खण्ड-06 सत्र -07 (भाग-01) / अंक-74

बुधवार 28 मार्च, 2018 / 07 चैत्र, 1940 (शक)

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्यमेव जयते

छठी विधान सभा

सातवां सत्र

अधिकृत विवरण

(सत्र-06, सत्र-07 (भाग-01) में अंक 66 के अंक 81 सम्मिलित हैं।)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

सम्पादक वर्ग

EDITORIAL BOARD

सी. वेलमुरुगन

सचिव

C. VELMURUGAN

Secretary

एम.एस. रावत

उप-सचिव (सम्पादन)

M.S. RAWAT

Deputy Secretary (Editing)

विषय–सूची

सत्र–07 भाग (1) बुधवार, 28 मार्च, 2018/07 चैत्र, 1940 (शक) अंक–74

क्रसं.	विषय	पृष्ठ सं.
1.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	1–2
2.	ताराँकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर (143, 146 और 150)	3–63
3.	ताराँकित प्रश्नों के लिखित उत्तर (142, 152 से 160 (141,144,145,151 को छोड़कर)	64–105
4.	अताराँकित प्रश्नों के लिखित उत्तर (369 से 461 (369, 371, से 376, 378, 381, व 383 से 387 को छोड़कर)	105–416
5.	विशेष उल्लेख (नियम–280)	416–432
6.	समितियों के प्रतिवेदन प्रस्तुतीकरण का समय बढ़ाने के प्रस्ताव।	433–437
7.	माननीय ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य	438–459
8.	सत्र की समयावधि बढ़ाने का प्रस्ताव	459–463
9.	स्कूल परीक्षाओं के प्रश्न पत्र कथित रूप से लीक होने का मामला।	463–470
10.	दिल्ली में सीलिंग से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा	470–489
11.	बधाई प्रस्ताव (नियम–114)	489–539

दिल्ली विधान सभा
की
कार्यवाही

सत्र-7 भाग (1) बुधवार, 28 मार्च, 2018/07 चैत्र, 1940 (शक) अंक-74

दिल्ली विधान सभा

सदन अपराह्न 2:00 बजे समवेत हुआ।

सदन में उपस्थित सदस्यों की सूचीः

1. श्री शरद कुमार
2. श्री संजीव झा
3. श्री पंकज पुष्कर
4. श्री पवन कुमार शर्मा
5. श्री अजेश यादव
6. श्री महेन्द्र गोयल
7. श्री सुखवीर सिंह दलाल
8. श्री ऋतुराज गोविन्द
9. श्री संदीप कुमार
10. श्री रघुविन्द्र शौकीन
11. श्रीमती बंदना कुमारी
12. श्री जितेन्द्र सिंह तोमर
13. श्री राजेश गुप्ता
14. श्री अखिलेश पति त्रिपाठी
15. श्री सोमदत्त
16. सुश्री अलका लाम्बा
17. श्री आसिम अहमद खान
18. श्री विशेष रवि
19. श्री हजारी लाल चौहान
20. श्री शिव चरण गोयल
21. श्री गिरीश सोनी
22. श्री मनजिंदर सिंह सिरसा

23. श्री जरनैल सिंह (तिलक नगर)
24. श्री राजेश ऋषि
25. श्री महेन्द्र यादव
26. श्री गुलाब सिंह
27. कर्नल देवेन्द्र सहरावत
28. श्री सुरेन्द्र सिंह
29. श्री विजेन्द्र गर्ग
30. श्री प्रवीण कुमार
31. श्री मदन लाल
32. श्री सोमनाथ भारती
33. श्रीमती प्रमिला टोकस
34. श्री नरेश यादव
35. श्री करतार सिंह तंवर
36. श्री अजय दत्त
37. श्री दिनेश मोहनिया
38. श्री सौरभ भारद्वाज
39. सरदार अवतार सिंह कालकाजी
40. श्री सही राम
41. श्री नारायण दत्त शर्मा
42. श्री राजू धिंगान
43. श्री नितिन त्यागी
44. श्री ओम प्रकाश शर्मा
45. श्री एस.के. बग्गा
46. श्री अनिल कुमार बाजपेयी
47. मो. इशराक
48. श्री श्रीदत्त शर्मा
49. चौ. फतेह सिंह
50. श्री जगदीश प्रधान
51. श्री कपिल मिश्रा

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही[1]

सत्र-7 भाग (1) बुधवार, 28 मार्च, 2018/07 चैत्र, 1940 (शक) अंक-74

सदन अपराह्न 2.00 बजे समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय **(श्री राम निवास गोयल)** *पीठासीन हुए ।*

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, दिल्ली विधान सभा...

श्री नितिन त्यागीः अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे व्यापारी वहां पे हैं। इस गर्मी में इस धूप में सारे बाजार दिल्ली के बंद हैं, बहुत परेशानी है। अब तक बात उठ रही थी कि विधान सभा में रेजल्यूशन पास हो जाये, 351 सड़कों का नोटिफिकेशन हो जाये। रेजल्यूशन भी विधानसभा में पास हो गया, नोटिफिकेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट भी हमने वो 351 सड़कों का भेज दिया, फॉरवर्ड कर दिया। सर, क्या वजह है कि केन्द्र सरकार संसद में...

माननीय अध्यक्षः नितिन जी, इसको मैं 280 के बाद समय दूँगा पूरा।

श्री नितिन त्यागीः ठीक है सर।

ताराँकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

माननीय अध्यक्षः प्रश्नकाल। प्रश्न संख्या–141 श्री सौरभ भारद्वाज जी।

श्री सौरभ भारद्वाजः अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या–141 प्रस्तुत है,

1. www.delhiassembly.nic.in पर उपलब्ध।

क्या **उप–मुख्यमंत्री** जी यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि चीफ सेक्रेटरी ने दिल्ली विधान सभा की प्रश्न एवं संदर्भ समिति तथा विशेषाधिकार समिति में अपनी उपस्थिति को लेकर याचिका दायर की है;

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में किए गए पत्राचार व फाइल नोटिंग की प्रतियां प्रदान करें;

(ग) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ने दिल्ली विधान सभा और इसकी समितियों के विरुद्ध दायर याचिका के मामले में चीफ सेक्रेटरी का प्रतिनिधित्व कर रहे एडवोकेट्स की फीस का भुगतान किया है अथवा भुगतान करने की सम्मति दी है; और

(घ) यदि हाँ, तो उन एडवोकेट्स को किए गए भुगतान का विवरण, इससे संबंधित फाइल नोटिंग्स की प्रतियों सहित प्रदान करें?

माननीय अध्यक्षः मंत्री जी।

माननीय **उप मुख्यमंत्रीः** प्रश्न संख्या–141 में माननीय विधायक ने पूछा था कि:

(क) क्या यह सत्य है कि चीफ सेक्रेटरी ने दिल्ली विधान सभा की प्रश्न एवं संदर्भ समिति तथा विशेषाधिकार समिति में अपनी उपस्थिति को लेकर याचिका दायर की है;

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में किए गए पत्राचार व फाइल नोटिंग की प्रतियाँ प्रदान करें;

(ग) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ने दिल्ली विधान सभा और इसकी समितियों के विरुद्ध दायर याचिका के मामले में चीफ सेक्रेटरी का प्रतिनिधित्व कर रहे एडवोकेट्स की फीस का भुगतान किया है अथवा भुगतान करने की सम्मति दी है; और

(घ) यदि हाँ, तो उन एडवोकेट्स को किए गए भुगतान का विवरण, इससे संबंधित फाइल नोटिंग्स की प्रतियों सहित प्रदान करें?

अध्यक्ष महोदय, सर्विसिज डिपार्टमेंट ने इस सवाल का जवाब देने से मना कर दिया है, सर्विसिज का हवाला देते हुए, मुझे समझ नहीं आता कि ये चीफ सेक्रेटरी रिजर्व सब्जैक्ट हैं या सर्विसेज रिजर्व सब्जैक्ट है! मतलब चीफ सेक्रेटरी खुद भी रिजर्व सब्जैक्ट हो गए हैं क्या! उन्होंने अगर कहीं याचिका दायर की है, अगर सरकारी ट्रेजरी से उनकी फीस जा रही है, कहीं एडवोकेट की तो इसकी जानकारी देना भी रिजर्व सब्जैक्ट हो गया, मतलब ऐसा लग रहा है कि तीन रिजर्व सब्जैक्ट संविधान ने किए है, एक भारत सरकार ने अपने हिसाब से वहाँ के बाबुओं ने कर दिया और अब चीफ सेक्रेटरी अपने आप में रिजर्व सब्जैक्ट हो गए हैं, इसका जवाब देने से मना कर दिया!

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः एक सेकेंड, एक सेकेंड, बैठिए प्लीज।

सुश्री अल्का लाम्बाः अध्यक्ष जी, इसके बाद आगे बढ़ने का क्या महत्व रह जाता है क्योंकि अगले भी प्रश्न के यही जवाब मिलने वाले हूँ तो एक बार देख लेते क्या फायदा! अध्यक्ष जी, अब ये सारे प्रश्न इससे संबंधित हूँ, एक ही जवाब आने वाला है कि जवाब नहीं दिया और एलजी साहब

के लेटर ने आग में घी डालने का काम किया है, अधिकारियों से बिल्कुल जो है बातचीत हो गई थी, ठीक से सब काम शुरू हो गया था, आपको भी मालूम है, एलजी साहब के लेटर ने आग में घी डाला, बात दुबारा वहीं से शुरू हो गई है। सर, इस सदन की, चुनी हुई सदन की, जनता द्वारा जो फैसला हुआ है उसका अपमान हुआ है, जनता प्रश्न पूछ रहीं है जनता का पैसा है, जनता को हक है जानने का...

माननीय अध्यक्षः सौरभ जी, दो मिनट बैठिए। सौरभ जी द्वारा पूछा गया प्रश्न अत्यंत गम्भीर है, दिल्ली विधान सभा के निर्णय के विरुद्ध कोई भी अधिकारी कोर्ट जाता है, मैं समझता हूँ व्यक्तिगत कैपेसिटी में जाता है और व्यक्तिगत कैपेसेटी में जब वो जाता है, जो माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है, तो उसका पर्सनल मैटर है और पर्सनल मैटर होने के कारण ये सर्विसेज के मैटर में नहीं आता और इसलिए मैं इसको क्वैश्चन एण्ड रैफरैंस कमेटी को सौंप रहा हूं।

सुश्री अलका लाम्बाः अध्यक्ष महोदय, अगर किसी अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगेंगे तो क्या ये सरकार उस भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ भी वकील मुहैया कराएगी, उस भ्रष्ट अधिकारी को बचाने के लिए, ये वही मामला है।

... (व्यवधान)

श्री विशेष रविः कमेटी में न आने के लिए कोर्ट में गए हैं और वहाँ जिन वकीलों को उन्होंने हॉयर किया है, वो वकील दिल्ली सरकार के पैनल में ही नहीं हूँ, पैनल से ही बाहर जा के वकीलों को लिया जा रहा है और एलजी साहब उसकी अप्रूवल दे रहे हैं, अप्रूवल देके फीस दे रहे हैं।

अप्रूवल देके... हमारी सरकार से, हमारे ही विरूद्ध वकील खड़े करवाके वो भी पैनल के बाहर, अच्छे महूँगे वकीलों को, जो दो–दो, तीन–तीन लाख रुपए लेते हैं एक हेयरिंग के।

सुश्री अलका लाम्बाः इन वकीलों की सूची आनी चाहिए। अगर वो दिल्ली सरकार के पैनल पे एडवोकेट वकील नहीं हैं, तो उन्हें क्यों फीस दें? हमारी सरकार करोड़ों रुपए की फीस क्यों देगी?

... (व्यवधान)

श्री विशेष रविः एलजी साहब का जो तानाशाह रूख है उनका, विधान सभा के सदस्यों के जवाब न देने के लिए, विधान सभा के कार्य... कार्यवाही को बाधित करने के लिए एक तरह से... और हम सब लोगों को दिल्ली की जनता को यहाँ जो रिप्रजेंट कर रहे हैं, उनके दिल्ली के सवालों के जवाब न देने के लिए उनका जो रूख है, रवैया है, (अपने दायें बाजू पर बंधी काली पट्टी की ओर इशारा करते हुए) ये पट्टी भी है और मैं आपके माध्यम से ये प्रार्थना करूंगा कि हम सब लोग दो मिनट का मौन रखें यहाँ पर, इस बात के लिए कि परमात्मा उनको सदबुद्धि दे, परमात्मा उनको अपने विचार/नीति बदलने के लिए जो है, उनको आशीर्वाद दे ताकि वो दिल्ली के हित में काम करना शुरू करें।

मेरा ये प्रस्ताव है कि सब लोग दो मिनट का मौन रखें इस बात के लिए कि एलजी साहब जो है परमात्मा उनको...

श्रीमती बंदना कुमारीः जो अभी पूरे क्षेत्र की जनता इस बात से चिंतित है ये इतना अच्छा बजट तो बन गया, सब कुछ हो गया लेकिन क्या अधिकारी और एलजी साहब काम करने देंगे, तब तो।

माननीय अध्यक्षः मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूँ, वो बैठें। बैठिए, प्लीज।

श्रीमती बंदना कुमारीः अध्यक्ष जी, अभी दिल्ली की जनता की चिंता

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः भई जनरैल जी, श्रद्धांजलि या दो मिनट का मौन, एक सैकेंड मेरी बात सुन लीजिए।

श्रीमती बंदना कुमारीः अध्यक्ष जी, आज दिल्ली की जनता चिंतित है कि हमारा बजट बन गया, हमारी सरकार चाहती है काम करना लेकिन क्या एलजी साहब और अधिकारी के माध्यम से काम होगा कि नहीं, इसकी चिंता पूरी दिल्ली को है और पूरी दिल्ली के लोग इससे चिंतित हैं।

माननीय अध्यक्षः विशेष जी, इसपे विशेष जी मेरी बात सुन लीजिए एक बार, विशेष जी, मैं कुछ कह रहा हूँ श्रद्धांजलि के लिए मौन रखा जाता है, शहीदों को दी जाती है और एलजी ने कोई ऐसा काम नहीं किया हम दो मिनट का मौन रखें, सद्बुद्धि उनको आ जाएगी, बैठिए, बैठ जाइए प्लीज।

... (व्यवधान)

श्री सोमनाथ भारतीः अध्यक्ष महोदय, एलजी साहब ने चिट्ठी लिखकर के सबको बताया कि आप... जो भी यहाँ से जा रहा है ऑर्डर, उसका सम्मान न करो। ये बड़ा हास्यास्पद है, इस तरह से व्यवहार कर रहे है! अध्यक्ष महोदय, आज सारे विधायकगण ये कहना चाहते हैं, आपके जरिए कि लोकतंत्र की हत्या एलजी महोदय ने की है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण

है और इस तरह का व्यवहार ये दर्शाता है कि भ्रष्ट और करप्ट के साथ वो खड़े हैं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः बैठिए सही राम जी, मैं जानकारी दे रहा हूँ। प्लीज बैठिए, सही राम जी, बैठिए, मैं जानकारी दे रहा हूँ मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूँ, बैठें, मैं राय ले रहा हूँ, मुझे क्या करना है क्या नहीं, मैं राय ले रहा हूँ बराबर, निरंतर राय ले रहा हूँ। एक सेकेंड अलका जी, बैठिए तो सही।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मैं माननीय सदस्यों को बड़े दुःख के साथ, बड़े भारी मन से ये जानकारी दे रहा हूँ कि प्रश्न संख्या–141, 144, 145 और 151, इन चारों के उत्तर नहीं आए हैं। इसके अतिरिक्त 13 प्रश्न अनस्टार्ड में हैं जिनके उत्तर नहीं आए। यानी कुल मिला के 40 में से 17 प्रश्नों के उत्तर नहीं है, मोर देन 40 परसेंट। इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। और मैं समझता हूँ कि भारत की आजादी के बाद, भारत की राजनीति में इससे बड़ा उपहास किसी गवर्नर ने... एलजी की तो बात छोड़ दीजिए, उठाने का दुस्साहस नहीं किया होगा और ये जो... अलका जी ने बिल्कुल ठीक कहा, उस घटना को लेकर जो भी हुआ था, वो धीरे–धीरे शांत हो रहा था। एलजी को लगा ये आग बुझ जाएगी। उस शांत होती आग में जो घी डाला है और घी नहीं डाला पूरा का पूरा कनस्तर उड़ेल दिया है, ये बहुत भयंकर घटना है। इसके दुष्परिणाम, हर वक्त कोई सत्ता में नहीं रहता। केन्द्रीय सरकार ने, लॉ मिनिस्टरी ने जो ये भेजा है, विजेन्द्र जी, इसको

हँसी–मजाक में मत लीजिए। मैं बहुत क्लीयर बात कह रहा हूँ, हँसी–मजाक में मत लीजिए इसको।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः हाँ, मैं कह रहा हूँ, केन्द्रीय सरकार के लिए, केन्द्रीय सरकार ने जो ये घटिया से घटिया पत्र लिखा है जितनी इसकी निंदा की जाए, उतनी कम है और मैं भी विरोध स्वरूप जिसने भी ये काली पट्टियों की व्यवस्था की है, काली पट्टी मुझे भी दी जाए, मैं भी विरोध स्वरूप काली पट्टी बाँधकर बैठना चाहता हूँ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, पत्र मुझे लिखा है। ओम प्रकाश जी, देखिए, ये सदन है। ये पत्र देखिए। मेरी बात सुन लीजिए विजेन्द्र जी, ओम प्रकाश जी, मेरी प्रार्थना है, एक बार सुन लीजिए। अगर ये पत्र किसी मंत्री को लिखा होता... सुन लीजिए बात को एक बार, मेरी प्रार्थना को... मैंने भी रूल पढ़ा है सारा। किसी मंत्री को लिखा होता। एक सेकेंड भई, वो अभी तक पत्र वापिस कहां हुआ है? या तो वापस लें। ये तो पता नहीं, आगे कहां तक बात जाएगी। हाँ, रख दी, जो सदस्यों ने निर्णय लिया है। विजेन्द्र जी, मैं ओम प्रकाश जी से बात कह रहा हूं।

श्री ओम प्रकाश शर्माः आप सुन लोगे जरा सी बात... जरा सी बात कहनी है अगर आप सुन सकें तो। मेरा कहना ये है स्पीकर साहब, सरकार का काम स्पीकर साहब न करें तो बेहत्तर है। तो ये सरकार ने करना है। आप इस काम को कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। सरकार का काम सरकार

को करने दो। आप स्पीकर हो, स्पीकर वाला काम कर लो। आप दोनो एक हो जाओगे तो बात नहीं बनेगी।

माननीय अध्यक्षः अभी मेरी बात सुन लीजिए। एक सेकेंड, ओम प्रकाश जी, आप बात नहीं सुन रहे, अपनी–अपनी बात रख रहे हैं। मेरी प्रार्थना सुन लीजिए एक बार। एक सेकेंड, बन्दना जी, प्लीज। पहले बैठिए, प्लीज। सोमनाथ जी, दो मिनट चुप होंगे, नहीं? मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, एक बार सिरसा जी, बैठिए प्लीज। ओम प्रकाश जी ने जो बात कही, उस संदर्भ में मुझे ये कहना है, अगर ये पत्र सरकार तक सीमित रहता तो शायद मुझे ये कदम नहीं उठाना पड़ता। ये पत्र सरकार को नहीं लिखा गया, मुझे लिखा गया है कि अध्यक्ष किसी भी प्रश्न को स्वीकार नहीं करेंगे। उस पत्र की भाषा ये है। अध्यक्ष किसी भी प्रश्न को स्वीकार नहीं करेंगे, सरकार के लिए डॉयरेक्शन नहीं है, ये अध्यक्ष के लिए डॉयरेक्शन है। नहीं, अब मैं इस विषय पर... नहीं वो मेरा काम है। नहीं, मुख्य मंत्री को जब पत्र ही नहीं लिखा आप विषय को ट्विस्ट कर रहे हैं। नहीं, क्यों बोलें वो? ये निर्णय मेरा है, पत्र मुझे लिखा है। देखिए ओम प्रकाश जी, चलिए। नहीं, अब सिरसा जी देखिए बात करिए न्याय की। न्याय की बात करेंगे तो मैं सुनूँगा और अन्याय की बात करेंगे तो मैं नहीं सुनूँगा। ये आप लोगों को तो एक आवाज में कहना चाहिए कि ये पत्र अध्यक्ष को लिखा गया है, सरकार को नहीं लिखा गया। नियम उठाकर देख लीजिए। अगर सरकार को लिखा जाता तो शायद मैं काली पट्टी बांधकर नहीं बैठता। ये पत्र मुझे लिखा गया है और ये सारी सीमाओं को लांघकर लिखा गया है। केन्द्रीय सरकार ने इतना अपमान किया है चुने हुए सदन का। लॉ मिनिस्टरी ने इतना अपमान किया है।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः अध्यक्ष जी, कुछ ने आपका समर्थन किया। आपको जो लेफ्टिनेंट गर्वनर साहब ने आपको पत्र लिखा। हमने एक ही अल्फाज में ये कहा, हम आपके साथ में इस बात में सहमत हूँ, चुने हुए नुमाइंदों की राय जो है, चुने हुए नुमाइंदों की राय सर्वोपरि है। स्पीकर जो है, इस हाउस की अथॉरिटी है, उसको कोई चेलेंज नहीं कर सकता। आज भी हम अपनी बात पर उसी तरह कायम हूँ। लेकिन जो परंपराएं हैं, जो एक देखिए, आप बात करने दीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी। मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से अपनी–अपनी बात...

माननीय अध्यक्षः इनको कह लेने दीजिए।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः जो परंपराएं बनी हुई हैं, जो प्रिंसिपल इस हाउस के बने हुए हैं, एक मर्यादा इस हाउस की बनी हुई है। आपके ऊपर कितनी भी ज्यादती भी हो जाए, स्पीकर जो होता है, हाउस को चलाना आपका एक दायित्व है बड़ा और आपको उतना बड़ा दिल भी करना पड़ेगा। स्पीकर महोदय, आपके ऊपर ज्यादती भी हो जाए, विपक्ष करे, सत्तापक्ष करे लेकिन स्पीकर का यही दायित्व है। स्पीकर अपना दिल बड़ा करके इस संविधान की रक्षा करना, इस कुर्सी की, जिसके ऊपर आप आज सुशोभित हैं, इसका बहुत बड़ा कद है। स्पीकर महोदय, मैं आपसे आगृह करना चाहता हूँ, हम सौ परसेंट विपक्ष के लोग इस बात के साथ सरकार के साथ हैं। सरकार ने जो काली पट्टियाँ बाँधी हैं, हम उसका समर्थन करते हैं। आपका हक है, हमारे मेम्बरों का हक है, सरकार इसके ऊपर हर तरह की बात करे। सरकार को बात रखने का हक है, सरकार चुनी हुई सरकार है दिल्ली की। ये दिल्ली की कोई नॉमिनेटेड सरकार नहीं है। इसको पूरा हक है,

हक्कूक है और इसके हक्कूकों के ऊपर चेलेंज नहीं कर सकता। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये भी आपको साथ में कहना चाहता हूँ, यह जो आज परम्परा शुरू करने लगे हैं। यह एक डेमोक्रेसी के लिए खतरा है जो आपने अपने कंधे पर काला फीता बांधा है। ये एक परंपराओं की खिलाफत है। आपको निष्पक्ष होकर हर उस ज्यादती को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा क्योंकि आप अध्यक्ष हैं। आपको अध्यक्ष के ओहदे पर इसलिए बैठाया जाता है, आपको वोट डालने का राइट भी नहीं मिलता। आप वोट भी उस संविधान में डाल पाते हैं।

माननीय अध्यक्षः मैं बात रख रहा हूँ, आप बैठिए। आप लोग बैठिए। ये मेरा विषय है।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः आपको वोट का राइट इसलिए नहीं होता कि सारे विकल्प खत्म हो जाएं तो अध्यक्ष जो है, अपना वोटिंग राइट चाहते हैं।

माननीय अध्यक्षः सिरसा जी, बात हो गई। हाँ, बैठिए, प्लीज बैठिए।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः मैं आपको एक आगृह करना चाहता हूँ ये जो आपने काली पट्टी बांधी है, ये काली पट्टी आपको नहीं बांधनी चाहिए।

माननीय अध्यक्षः मैं अभी इसको खोल रहा हूँ।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः मैं ये समझता हूँ आप ये काली पट्टी बांध के उस संविधान की जो रक्षा करने की आपने कसम खाई है, मेरे ख्याल में आप कहीं न कहीं उन परंपराओं को तोड़ने जा रहे हैं। ये परंपराएं

तोड़ना ठीक नहीं होगा। आप मालिक हैं। हम आपको कह कुछ नहीं सकते लेकिन आज तक विपक्ष आपके साथ है। इस मसले में हम सब आपके साथ हूँ। लेकिन आपने ये जो परंपरा तोड़ी है, ये दिल्ली के लोगों के लिए, देश के लिए, इस दिल्ली की राजधानी के लिए, ये अच्छी बात तो नहीं मानी जाएगी क्योंकि ये परंपराएं जो बनी होती हैं अनसेड जो कानून बने होते हैं जिनके लिखित कानून नहीं होते, इन कानूनों की पालना करना उन लोगों को दायित्व बनता है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः सिरसा जी, हो गई बात, रख ली आपने बात? हो गया, बैठिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र जी, बैठिए। अलका जी, बैठिए। सोमनाथ जी, नहीं, प्लीज। अलका जी नहीं—नहीं मैं उत्तर दे रहा हूँ। ये आप नहीं इसको मुझे करने दीजिए डील प्लीज। नहीं इस चीज को लंबी हो जाएगी। इसी में समय चला जाएगा। अलका जी, बैठिए। ओम प्रकाश जी, नहीं, सरकार इस पर न, सरकार बोल चुकी। सरकार जिस दिन पत्र आया था, उस दिन बोल चुकी।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः ओम प्रकाश जी, आप बैठिए प्लीज। नहीं, आप प्लीज बोलिए। भई हो गया आपका।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः आपने बात रख ली। आपने पूरी बात रखी है अपनी। देखो ओम प्रकाश जी, ऐसे नहीं चलेगा।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः बंदना जी, अब मैं इस विषय पर... ये विषय आज लगा हुआ है, इस पर डिस्कशन है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूँ, बैठ जाएं। बैठिए प्लीज, बैठिए। बंदना जी, बैठिए प्लीज। बैठ जाइए प्लीज, बैठिए, बैठिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः भावना जी उपस्थित नहीं हूँ। प्रश्न संख्या–143 श्री गिरीश सोनी जी।

श्री गिरीश सोनीः धन्यवाद अध्यक्ष जी, माननीय उप मुख्य मंत्री जी, प्रश्न संख्या–143 का जवाब देने का कष्ट करें।

(क) पिछले 10 वर्षों में महिला एवं बाल कल्याण विभाग के सचिव तथा निदेशकों द्वारा कितने महिला एवं बाल कल्याण गृहों, सुधार गृहों तथा बाल कल्याण केंद्रों का निरीक्षण किया गया है;

(ख) इन निरीक्षणों के परिणामस्वरूप इन केंद्रों में क्या सुधार आया है;

(ग) तिहाड़ जेल परिसर में स्थित 'निर्मल छाया' में कितनी मानसिक रूप से विक्षिप्त महिलाएं हैं; और

(घ) विभाग द्वारा उनकी दशा सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उप मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या—143 का उत्तर प्रस्तुत हैः

(क) समय समय पर विभाग के सचिव और निदेशकों द्वारा बाल कल्याण गृह, रिमाण्ड होम्स और बाल कल्याण केन्द्रों की निरीक्षण किया जाता रहा है। पिछले वर्षो का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, मगर विभाग के सचिव श्री डा. आशिष चन्द्र वर्मा वर्ष 2017—18 में कुल 12 निरीक्षण व निदेशिका श्रीमती शिल्पा शिन्दे द्वारा 22 निरीक्षण किये गए हैं;

(ख) विभाग के सचिव और निदेशकों द्वारा बाल कल्याण गृह, रिमाण्ड होम्स और बाल कल्याण केन्द्रों की निरीक्षण के आधार पर समय समय पर सुधार किये जाते हैं, समय समय पर किये गये निरीक्षणों के आधार पर संस्थाओं में आवश्यकतानुसार सुधार किये जाते हैं। बुनियादी ढाँचागत सुधार के लिए विभाग, लोक निर्माण विभाग से सिविल तथा इलेक्ट्रिक कार्यो के लिए अनुदान प्रदान करता है;

बालिका गृहों में सेनेट्री वेल्डिंग मशीन लगाई गई है संस्थाओं में रह रहे बच्चों के स्वास्थ्य व स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। सभी संस्थाओं में बेहतर निगरानी को सुनिश्चित करने के लिए उच्च गुणवत्ता के सीसीटीवी कैमरे व हाई स्पीड इन्टरनेट लगवाया गया है। संस्था में कार्यकर

कर्मचारियों को समय समय पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। जिससे कि वो बच्चों के साथ बेहतर ढंग से कार्य कर सकें।

विभाग ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के माध्यम से एनएसडीसी भारत सरकार के साथ समन्वय किया है, ताकि सूचीबद्ध एजेंसियाँ बाल देखभाल संस्थाओं में रखे बच्चों के लिए प्रशिक्षण को व्यावसायिक सेवाएं मुहैया करा सकें। विभाग एनजीओ और कॉरपोरेट हाऊस के माध्यम से सार्वजनिक और निजी साझेदारी को प्रोत्साहित करता है जो व्यावसायिक शिक्षा और अन्य मनोंरजन सुविधाएं प्रदान कर रहे है;

बच्चों के पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक संस्था में पुनर्वास अधिकारी को मनोनीत किया गया है; और

ग) पाँच (05)

घ) संस्था में मानसिक रूप से मंद महिलाओं को व्ययसायिक प्रशिक्षण, परामर्श, चिकित्सकीयय देखभाल प्रदान की जाती है।

माननीय अध्यक्षः सप्लीमेंटरी। हाँ, सोनी जी।

श्री गिरीश सोनीः अध्यक्ष जी, जैसा कि अधिकारी, वैसे तो जवाब जो दे रहे हैं, सारा का गोलमोल जवाब है। अधिकारी इस सदन को ही नहीं, मंत्रियों को और सबको गुमराह कर रहे हैं। जिस तरह से इस जवाबों से लगता है कि समय समय पर पहले में तो लिखा हुआ है 'क' में कि पिछले कुछ वर्षों का रिकॉर्ड ही नहीं है। ये रिकॉर्ड क्यों नहीं है, ये सरकार नहीं थी तो उसके पिछले वर्षों का कोई रिकॉर्ड... सरकारें तो थीं, दूसरी सरकारें बिल्कुल। वो रिकॉर्ड क्यों नहीं है और दूसरा जो भी जवाब दिया गया, 'ख'

में आपने देखा अध्यक्ष जी, समय समय पर... समय समय पर कौन कौन से समय पर क्या क्या किया गया, उसका रिकॉर्ड मांगा गया है न कि इस तरह का गोलमोल जवाब देकर सदन को अध्यक्ष जी, आपको गुमराह कर रहे हैं ये अधिकारी। मंत्री जी को गुमराह कर रहे हैं, सदन को गुमराह कर रहे हैं तो ये तो गुमराह करने वाले जवाब हैं। इसका हमें पूरा जवाब, विवरण चाहिए और ये विवरण अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से चाहिए, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः प्रश्न क्या पूछा आपने? प्रश्न तो पूछा नहीं।

श्री गिरीश सोनीः अध्यक्ष जी, प्रश्न ये था कि जो रिकॉर्ड मांगा गया है।

माननीय अध्यक्षः नहीं, आप सप्लीमेंटरी पूछिए इसमें।

श्री गिरीश सोनीः मैं ये कह रहा हूँ जो इन्होंने कहा है, समय समय पर इसके सुधार कार्य किए जाते हैं। समय समय पर जो सुधार कार्य किए जाते हैं कौन कौन से समय पर, कौन कौन सा सुधार कार्य किया गया, ये जवाब चाहिए और दूसरा ये पहले 'क' में जो है, इनके पास पुराना रिकॉर्ड नहीं है तो क्यों नहीं है वो रिकॉर्ड, उसका जवाब दें?

माननीय उप मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जहां तक सचिव या अन्य अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किए जाने के संबंध है, ये संभव है कि उनका रिकॉर्ड कार्यालय के पास न हो क्योंकि ये ऐसी जानकारी नहीं है जो हमेशा किसी सचिव के कब दौरे के बाद उसमें रखी जाए। तो ये संभव है कि उनका रिकॉर्ड न हो। लेकिन अभी जो डिपार्टमेंट ने बताया कि 2017—18 में कुल 12 निरीक्षण सचिव ने और डायरेक्टर ने 22 निरीक्षण किए हैं। उनमें

जो भी खामियाँ पाई गई होंगी, उसमें जो भी सजेशन दिए गए होंगे, उनका जिक्र होगा। मेरा माननीय सदस्य से अनुरोध रहेगा कि किसी भी होम्स का संचालन एक निरंतर प्रक्रिया है और उसमें चाहे किसी अधिकारी के निरीक्षण से, मंत्री के निरीक्षण से या किसी ओर जो अधिकारी वहाँ पे केन्द्र में काम रह रहे हैं, उनकी तरफ से आई किसी माँग की बदोलत या किसी मीडिया रिपोर्ट की बदोलत या कहीं से भी मिली सूचना की बदोलत सुधार भी किए जाते हैं और आवश्यकता पड़ने पर नीति से ले के स्थिति तक में बदलाव किए जाते हैं। तो अगर माननीय सदस्य किसी विशेष समयावधि में, किसी विशेष होम के बारे में कुछ सूचना चाहते हैं, जानकारी चाहते हैं तो वो उपलब्ध करा दी जाएगी। लेकिन ये थोड़ा सा जेनरिक इंफार्मेशन है कि समय समय पर क्या क्या सुधार किए गए हैं। माननीय सदस्य कोई स्पेसिफिक टाइम ले के स्पेसिफिक होम के बारे में जानना चाहेंगे तो मैं उनको उपलब्ध करवा दूँगा।

माननीय अध्यक्षः हाँ, सोमनाथ जी।

श्री सोमनाथ भारतीः अध्यक्ष महोदय, ये किसी साथी ने पूछा था और उसमें कानूनन प्रोविजन ये है कि हर बाल कल्याण केन्द्र या रिमांड होम्स के पास एक विजिटर, विजिटिंग रजिस्टर्ड होता है और विजिटिंग रजिस्टर्ड एक ऑथेंटिक लीगल डाक्यूमेंट है। ***And that document is to certify that who all visited, At what time they visited, what was the purpose of visit of those people.***

अध्यक्ष महोदय, चूंकि मेरे पास थोड़ी दूर पे लाजपत नगर के अन्दर एक बाल सुधार गृह है और मैं दो साल पहले वहाँ गया था, वहाँ की हालत बहुत बदतर थी। जब मैंने उनसे माँगा कि भई, आप मुझे रजिस्टर्ड दें तो

वो नहीं दिया गया। फिर मैंने एक चिट्ठी लिखकर के मंत्री जी से कहा था कि इसका ऑडिट कराया जाए। मैं जानना चाहता हूँ आपसे मंत्री जी कि इसका कभी ऑडिट किया गया?

माननीय अध्यक्षः अभी इस प्रश्न का निकलेगा?

उप मुख्य मंत्रीः इसका इस प्रश्न से सीधे संदर्भ नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो आपने लिखा था अगर उसकी कॉपी मुझे दे देंगे तो उसपे लिए गए एक्शन की जानकारी हम उपलब्ध करा देंगे। विजिटर... रजिस्टर सही है कि विजिटर रजिस्टर होता है पर मंत्री, अधिकारी या कोई भी व्यक्ति निरीक्षण करता है, उसका मतलब वो कोई संदर्भ में नहीं माना जा सकता कि इस रजिस्टर में जो जो लिखा हुआ है, उतने ही विजिट हुई होंगी। उससे इतर भी विजिट्स हो सकती हैं।

माननीय अध्यक्षः सही राम जी।

श्री सही रामः अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहूंगा, अभी मैंने एक हफ्ते पहले मंत्री महोदय को एक लेटर दिया था। तेहखंड गाँव में एक बाल गृह है और उसके बिल्कुल साथ में ही एक कम्पनी ने शराब और बियर का गोदाम खोल दिया है तो क्या उसे बंद करने की प्रतिक्रिया चालू कर रखी है कि बंद है?

माननीय अध्यक्षः संबंध नहीं है सही राम जी, इसका। अलग से जानकारी ले लीजिएगा। मंत्री जी।

श्री सही राम: नहीं, इसका संबंध है। वहाँ एक बाल गृह है जिसमें छोटे छोटे अनाथ बच्चे हैं उसके बिल्कुल साथ में ही शराब का गोदाम खोल दिया गया है। तो क्या उसका लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया है कि नहीं है?

माननीय अध्यक्ष: आप माननीय मंत्री जी को लिखके दे दीजिए इसपे।

श्री सही राम: दे दिया जी।

माननीय अध्यक्ष: लिख के दिया है?

माननीय उप मुख्य मंत्री: आपने लिखके दिया हुआ है और मैंने संबंधित विभाग को उसको फॉरवर्ड भी किया है, उनसे एक्शन लेने के लिए भी कहा है। लेकिन जहाँ इस प्रश्न से संबंधित है, इसमें कुछ अधिकारियों के विशेष का उल्लेख करते हुए 10 साल के दौरे की रिपोर्ट मांगी गई थी और उसमें निरीक्षणों के परिणाम सुधार आदि के संदर्भ में ये प्रश्न है।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 144 का उत्तर नहीं आया है। हाँ, बोलिए प्रश्न बोलिए।

श्री सही राम: माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या उप मुख्य मंत्री जी प्रश्न संख्या 144 का उत्तर देने का कष्ट करेंगे:

(क) दिल्ली सरकार में काम कर रहे दानिक्स अफसरों में से कितने तदर्थ दानिक्स अफसर बनाये गये है:

(ख) तदर्थ आधार पर दानिक्स अफसरों के रूप में पदोन्नति करने के क्या कारण हैं;

(ग) वर्ष 1990 में दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में कुल कितने ग्रेड–1 दास अफसर तैनात किए गए/काम कर रहे थे तथा वर्तमान में उनकी संख्या क्या है; और

(घ) क्या यह सत्य नहीं है कि दास कैडर से दानिक्स में आने के लिये ग्रेड–1 दास के तमाम नए पदों का सृजन किया गया; जैसा कि दिल्ली के सभी सरकारी विद्यालयों में कार्यालय अधीक्षकों के पद बना दिये गये, जिन्हें ग्रेड–1 दास अधिकारियों को नियुक्त कर भर दिया गया?

माननीय उप मुख्य मंत्रीः इस प्रश्न का उत्तर भी अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न मैं पढ़ देना चाहता हूँ क्योंकि सभी सदस्यों को हालाँकि सूचना होगी। लेकिन रिकॉर्ड में भी रहे किः

(क) दिल्ली सरकार में काम कर रहे दानिक्स अफसरों में से कितने तदर्थ दानिक्स अफसर बनाये गये हैः

ये सिर्फ संख्या देनी थी। लेकिन कितने एडहॉक दानिक्स दिल्ली सरकार में काम कर रहे हैं, ये सूचना देना भी रिजर्व सब्जेक्ट है, इससे शर्मिंदा अप्रोच क्या हो सकती है! इससे बड़ी कलंकित... लोकतंत्र और संविधान के प्रति इससे ज्यादा अपमानजनक सोच क्या हो सकती है कि हम विधान सभा को ये नहीं बताएंगे कि दिल्ली सरकार में एडहॉक दानिक्स कितने हैं। लानत है ऐसे जवाब, ऐसे ऐसे प्रयास पर जो ऐसी सूचना को रोकने की कोशिश कर रहे हैं!

(ख) तदर्थ आधार पर दानिक्स अफसरों के रूप में पदोन्नति करने के क्या कारण हैं;

(ग) वर्ष 1990 में दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में कुल कितने ग्रेड–1 दास अफसर तैनात किए गए/काम कर रहे थे तथा वर्तमान में उनकी संख्या क्या है; और

(घ) क्या यह सत्य नहीं है कि दास कैडर से दानिक्स में आने के लिये ग्रेड–1 दास के तमाम नए पदों का सृजन किया गया; जैसा कि दिल्ली के सभी सरकारी विद्यालयों में कार्यालय अधीक्षकों के पद बना दिये गये, जिन्हें ग्रेड–1 दास अधिकारियों को नियुक्त कर भर दिया गया?

अध्यक्ष महोदय, ये पूरी की पूरी जो अप्रोच है, ये डेमोक्रेसी की स्प्रिट को किल करने की अप्रोच है कि हम... इसलिए मैंने उस दिन कहा भी था, जिस दिन इस संदर्भ में पहला प्रश्न आया था कि ये धीरे धीरे उस तरफ ले जाने की कोशिश कर रही है। पहले जब सरकार में आए थे तो सरकार काम कर रही थी और हमने बड़ी चुनौती से कहा था और आज भी मैं कहता हूँ, बार बार चुनौती से कि इस सब तमाम विरोधों के बावजूद एजूकेशन पे, हेल्थ पे, बिजली पे, पानी पे जो काम हुआ है, आप तुलना करके बता दीजिए। लेकिन कोशिश क्या है, काम तो कहीं कर नहीं पा रहे किसी राज्य में, केन्द्र में भी नहीं कर पा रहे। एक ही तरीका है... हाँ बता रहे हैं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः ओम प्रकाश जी।

माननीय उप मुख्य मंत्रीः एक ही तरीका है, एक तरीका है कि अधिकारियों को काम... सबसे पहले अप्रोच ली गई कि जो अधिकारी काम

कर रहे थे, उन्हें बुला बुला के कहा गया, नसीहतें दी गई, तुम बड़ा काम करते हो। तुम तो पार्टी में शामिल हो जाओ। जब अधिकारी... फिर भी कुछ अधिकारी अपने काम पे लगे रहे, जो नाकारा थे, जो भ्रष्ट थे, उनके तो संकट आ गया था, उनके लिए तो... पर कुछ को लग रहा था कि शायद काम करने के दिन आ गए हैं। उनको डरा बुला बुला के धमकाया गया, डराया गया। उसमें से भी जो नहीं माने और जिनके अन्दर थोड़ा बहुत जमीर था, कुछ काम करने का, उनको लगता था तनख्वाह मिलनी है। संविध ाान के तहत काम करते हैं, जिंदगी में... पैदा हुए हैं तो कुछ कर गुजरें, अब करने का मौका आया है तो सरकार, कमीशन खोरी करने वाली सरकार गई। अब थोड़ा सा काम को प्रमोशन देने वाली सरकार आई है तो उनको जानबूझ के जिनके अन्दर भी जमीर था और उनको उठा उठाके कहीं कहीं बाहर भेजने की कोशिश की गई बीच... मतलब बीच प्रयासों में उठा उठा के बाहर भेजा गया और अब ये नई तरकीब निकाली है कि जवाब तक मत दीजिए। ये भी मत बताइए कि कितने ऑफिसर्स हैं विधायकों को, विधान सभा को, ये भी विधायक की... व्यक्तिगत विधायक का विषय नहीं है। कोई एक विधायक नहीं पूछ रहा विधान सभा पूछ रही है कि कितने दानिक्स, एडहॉक दानिक्स अधिकारी के काम करने पे... ये बताने में ये कौन सा रिजर्व सब्जेक्ट आ गया है! मुझको ये समझ में नहीं आ रहा कि एलजी साहब और होम मिनिस्ट्री कौन से लोकतंत्र के तहत, कौन से संविधान के तहत इस सूचना को रिजर्व सूचना में डाल रहे हैं कि सरकार का अफसर विध ाान सभा को ये नहीं बताएगा कि कितने एडहॉक दानिक्स अधिकारी काम कर रहे हैं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः बैठिए, अजयदत्त जी। मैंने किसी को एलाउ किया है?

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः अजय दत्त जी, बैठिए प्लीज बैठिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः हो गया ये। इसमें सप्लीमैंटरी कोई नहीं है, बैठिए प्लीज।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः प्रश्न संख्या 145, ऋतुराज गोविन्द जी।

श्री ऋतुराज गोविन्दः आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप मुख्य मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि प्रश्न संख्या 145 का जवाब देने की कृपा करें।

क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली सरकार के दानिक्स और दास कैडर के अधिकारियों व कर्मचारियों के विभिन्न पदो के नामों को कब–कब बदला गया;

(ख) क्या यह सत्य नहीं है कि दिल्ली सरकार द्वारा इन अधिकारियों के पदों के नाम बदलने और इन्हें मनमाने वेतनमान दिये जाने पर केन्द्रीय वित्त मंत्रालय की घोर अपत्ति के बावजूद सरकारी खजाने को नुकसान पहुँचाते हुए अधिकारियों ने बड़े–बड़े वेतनमान और बड़े–बड़े नाम के पदों पर कब्जा कर रखा है;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि पदो के वेतनमान वेतन आयोग की सिफारिशों पर दिये जाते हैं न कि सरकार द्वारा स्वंय स्वीकृत करा लिये जाते हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो उन तत्थों की सविस्तार जानकारी आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपलब्ध करायें?

माननीय उप मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, 145 के संदर्भ में भी यही कहना है, जो अभी मैंने उससे पहले कहा, सवाल रिकार्ड में ही है। ये उसी तरह का सवाल है।

... (व्यवधान)

श्री सही रामः ये हो गया, हो गया। हमारे इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। जिस तरह से वो कहते हैं, हम रिजर्व हैं, मेरा आपके माध्यम से सदन से अनुरोध है कि उनकी सैलरी भी रिजर्व कर दें आप। उनको उनकी औकात का सबका पता चल जायेगा और मैं अभी कहना चाहूंगा... अभी सिरसा जी एक मिनट बैठ जायें। सिरसा जी, सिरसा जी, भई, बैठ जाओ अभी एक मिनट। मैं आप ही की बात पर कह रहा हूँ, अभी आप ने कहा था कि

अध्यक्ष महोदय आप तो पद पर ऐसी जगह बैठे हो कि कोई कुछ भी कहता रहे, आपको झेलनी पड़ेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सिरसा जी को कहना चाहूंगा कि ये अंधी, बहरी, गूंगों की सरकार नहीं हैं। पूर्ण बहुमत की सरकार है, अगर हमारी तरफ कोई ईंट फेकेगा ना, उसका जवाब हम पत्थर से देने का काम करेंगे, ये आपको देख लेना चाहिए और आप

अपने एलजी महोदय को भी समझा देना चाहिए। ये दिल्ली की चुनी हुई सरकार है।

माननीय अध्यक्षः सही राम जी, बैठिये।

श्री सही रामः इनकंपीटेंट सरकार नहीं है।

माननीय अध्यक्षः हो गया।

श्री ऋतुराज गोविन्दः एक सेकेंड, एक सेकेंड।

माननीय अध्यक्षः नहीं, मंत्री जी ने उत्तर दे दिया इस सदन को।

श्री ऋतुराज गोविन्दः मैं सदन को एक बार इस सवाल से, सवाल से तो अवगत करा दूँ, सवाल है क्या।

माननीय अध्यक्षः इसमें सप्लीमेंटरी हैं ही नहीं। सप्लीमेंटरी नहीं निकलता इसमें। नहीं सिरसा जी, मैंने मौका दिया है। विषय फिर घूमता है। नहीं, मुझे मालूम है। आपने जो बात रखी मैं उसका उत्तर भी बाद में दूँगा।

... (व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः ये हाउस यही पास दे कि फिर इसका जवाब आरटीआई में भी न दें। सवाल आरटीआई से...

माननीय अध्यक्षः वो क्यों? ये तो और उल्टा हो जायेगा।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः फिर जब सरकार ने तो जवाब...

माननीय अध्यक्षः ये तो और उल्टा हो जायेगा। ये तो अधिकारियों को बचा लेंगे, बाद में।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः अरे! हमारी बात सुनिये। मेरा क्या कहना है...

माननीय अध्यक्षः प्लीज।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः अध्यक्ष जी, मेरा ये कहना है कि अगर अफसर इस तरह बांध डाले, यही कहना है, अरे! भाई यही कह रहा हूँ मैं भी। मेरा अध्यक्ष जी, यही कहना है। अध्यक्ष जी, मैं तो आपकी बात यही कह रहा हूँ। आरटीआई में जवाब देती है सरकार, मैं यही कह रहा हूँ अध्यक्ष जी, अगर सरकार या अफसर जो हैं, आरटीआई में जवाब दे सकते हैं 10 रुपये के ऊपर, चुने हुए नुमाइंदों को जवाब नहीं दे रहे हैं, मैं भी यही कह रहा हूँ, कम से कम ये हाउस ये तो तय कर दे कि हम चुने हुए लोग हैं। अगर अफसर इसका जवाब नहीं देना चाहते, आरटीआई में एक साधारण आदमी चलता आदमी जवाब ले सकता, दे सकता है, लेकिन हम लोगों को जवाब नहीं दे सकते! मैं तो यही चाह रहा हूँ कि कम से कम अफसरों को ये सोचना चाहिए। हम चुनी हुई सरकार हैं।

माननीय अध्यक्षः हम ना ट्विस्ट करेंगे। मैं इसीलिए कह रहा हूँ।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः नहीं कर रहा मैं अध्यक्ष जी। मैं तो एक ही बात कर रहा हूँ। मेरा स्पष्ट कहना है...

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, फेवर की बात नहीं है।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः अरे! मैं ये कह रहा हूं। मैं तो यही कह रहा हूँ, अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः सदन... सदन ये निर्णय क्यों ले?

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि...

माननीय अध्यक्षः सदन अक्षम हैं क्या?

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः हाँ, मैं ये कह रहा हूँ अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः नहीं, सदन अक्षम हैं क्या? नहीं सदन ये निर्णय...

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः हमारा जवाब नहीं आता।

माननीय अध्यक्षः सदन ये निर्णय ले लेगा।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः अध्यक्ष जी, मेरा ये कहना है कि हमारा जवाब...

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः बैठिए, बैठिए। नितिन जी, भई सिरसा जी बात हो गयी। नहीं अब समय न बर्बाद करिये प्लीज। प्रश्न संख्या 146, एस.के. बग्गा जी। प्रश्न संख्या 146

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नितिन जी, प्रश्न, भई ऋतुराज जी, बैठिए प्लीज, बैठिए हो गया।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं नहीं, उनकी बात नहीं हो रही। झा साहब, बैठिये प्लीज। झा साहब, बैठिए प्लीज। झा साहब बैठिये, झा साहब, बैठिए प्लीज। झा साहब, बैठिए समय न बर्बाद करिये। भई अजय दत्त जी, आप बैठ जाइये प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। बैठ जाइये प्लीज। आप बैठिए प्लीज, बैठिए अब।

माननीय अध्यक्षः प्रश्न संख्या 146।

श्री एस.के. बग्गाः अध्यक्ष महोदय, प्रश्न नंबर 146 प्रस्तुत हैः

क्या **समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कृष्णा नगर विधान सभा में कितने लोगों को वृद्घावस्था पेन्शन मिल रही है;

(ख) कृष्णा नगर विधान सभा में वृद्घावस्था पेन्शन के कितने आवेदन लंबित हैं, कारण सहित बताएं;

(ग) कृष्णा नगर विधान सभा में वृद्घावस्था पेन्शन के कितने आवेदन रद्द किये गये हैं, कारण सहित बताएं; और

(घ) वृद्घावस्था पेन्शन के कार्य के लिए कितने लोगों को लगाया गया है, पदवार विवरण दें?

माननीय समाज कल्याण मंत्री (श्री राजेन्द्रपाल गौतम): अध्यक्ष महोदय, प्रश्न सं.146 प्रस्तुत हैः

(क) कृष्णा नगर विधान सभा में कुल 6908 लोगों को वृद्घावस्था पेन्शन मिल रही है;

(ख) कृष्णा नगर विधान सभा में वृद्धावस्था पेन्शन के कुल 85 आवेदन लंबित हैं, जिनके कुछ मुख्य कारण निम्न प्रकार हैंः

ऑन लाइन अपलोड किये गये दस्तावेज अपूर्ण होने पर, दस्तावेज स्पष्ट न दिखाने के कारण, आवेदक ने केवल पंजीकरण किया, किंतु दस्तावेज अपलोड नहीं किये, दस्तावेजों में त्रुटि पाई जाने पर, आवेदक द्वारा समय पर सही दस्तावेज उपलब्ध न कराये जाने के कारण, सरकार के नियमानुसार ऑन लाइन आवेदन करने की सुविधा हेतु, यूजर आईडी पासवर्ड दिल्ली के सभी सांसदों व विधायकों, निगम पार्षदों, जिला कार्यालयों को दिया गया तथा साथ ही व्यक्तिगत रूप से सिटीजन लॉग इन के माध्यम से आवेदन करने की सुविधा प्रदान की गयी, जिस कारण बड़ी संख्या में आवेदक आवेदन विभाग के जिला कार्यालयों में सत्यापन एवं स्वीकृति के लिए एक साथ प्राप्त हुए। किंतु, जिला कार्यालयों में कर्मचारियों की कमी होने के कारण विभाग द्वारा अन्य कार्यालयों से सत्यापन हेतु अनेक कर्मचारियों को अपने कार्य के अतिरिक्त इस कार्य के लिए नियुक्ति किया गया, किंतु अंतिम स्वीकृति के लिए केवल जिला समाज कल्याण अधिकारी ही नियमानुसार अधिकृत है; और

ग) कृष्णा नगर विधान सभा में वृद्धावस्था पेन्शन के अंतर्गत 36 आवेदन रद्द किये गये, जिनका कारण सहित विवरण संलग्न है;

घ) वृद्धावस्था पेन्शन कार्य के लिए कुल आठ लोगों को लगाया गया है, जिनका पदवार विवरण निम्न प्रकार हैः

1.	जिला समाज कल्याण अधिकारी	–01
2.	अधीक्षक	–01

3.	कल्याण अधिकारी	–01
4.	डाटा एंट्री ऑपरेटर	–02
5.	कार्यालय सहायक	–01
6.	कनिष्ठ सहायक	–01 और
7.	केयर टेकर	–01

माननीय अध्यक्षः सप्लीमेंटरी।

श्री एस.के. बग्गाः सर, कृष्णा नगर विधान सभा में नये वर्ष में कितने लोगों को और नई पेन्शन देने का प्रावधान है?

माननीय समाज कल्याण मंत्रीः अभी हम लोग डाटा कलेक्ट करवा रहे हैं कि टोटल कितने लोगों की डेथ हुई है। चूँकि बजट में अलग से पेन्शन के लिए तो हमें पैसा नहीं मिला, लेकिन जो सर्वे हम लोग कर रहे हैं, उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि शायद हम लोग 35 हजार के आस पास और नये अप्लीकेंट जोड़ जायेंगे, लेकिन वो पूरा डाटा आने के बाद ही हम मुझे लगता है अप्रैल के लास्ट तक इसको कर पायेंगे।

श्री एस.के. बग्गाः तो दूसरा, सर दूसरी सप्लीमेंटरी।

माननीय अध्यक्षः नहीं एक ही सप्लीमेंटरी है। प्लीज ये हाथ आपका बहुत सोच समझ के उठा है। कितने सप्लीमेंटरी अलाउ करूँगा। हाँ, हो गया। एक सेकेंड...

श्री पवन कुमार शर्माः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जैसे केन्द्र सरकार की मंशा नहीं है वृद्धावस्था

पेन्शन और बढ़ाने की या चालू करने की, तो दिल्ली सरकार इसके बारे में क्या सोच रही है या कुछ ऐसा सोच रही है कि नहीं? और वृद्धावस्थ पेन्शन चालू हो।

माननीय अध्यक्षः हाँ, मंत्री जी।

माननीय समाज कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, पिछले साल ही एक लाख पेन्शन बढ़ाई गयीं थी और अभी जो मैंने अभी बताया कि सर्वे के बाद जो निकल के आ रहा है, मुझे लगता है कि हम 35 हजार पेन्शन अभी बढ़ा पायेंगे। चूंकि कुछ पेन्शन हमने एमसीडी के लिए रिजर्व रखी हुई है, उसको मैंने इसमें नहीं जोड़ा है। तो एमसीडी के लोगों को भी बुलाया गया था, तो उसमें जो वैरीफिकेशन हुई, वो बहुत ज्यादा संख्या नहीं हैं, ज्यादा लोग नहीं आये। शायद एमसीडी में फर्जी पेन्शन थीं, इसी वजह से उन्होंने सोचा कि अब पकड़े जायेंगे तो वो लोग डिस्ट्रिक्ट आफिसेज में वैरीफिकेशन के लिए नहीं आये और जो आये, उनकी संख्या बहुत कम रही, लगभग 15 हजार के आस पास।

माननीय अध्यक्षः भई, कम से कम 15 विधायकों के हाथ उठे हुए हैं, इसको लेकर।

श्री पवन कुमार शर्माः अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या इसके लिए कोई समय सीमा सरकार ने तय की है?

माननीय अध्यक्षः पवन जी, हो गया आपका। प्रमिला जी।

श्रीमती प्रमिला टोकसः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहती हूँ कि एक वृद्धावस्था पेन्शन है अनिल कुमार

की। 05/05/2015 को ही वो रिसिविंग दे रखी है और आज तक उनकी पेन्शन नहीं आई है। इतनी बार चक्कर काटे, क्या ऐसे अधिकारियों के ऊपर कोई एक्शन किया जायेगा और जो डी.ओ. ने पेन्शन रोकी हुई है मार्च से, वो कब तक चालू करेंगे? अगर अभी तक, एक साल तक चालू नहीं किया, उन पर भी कोई एक्शन होगा, ये मंत्री जी बतायें प्लीज?

माननीय समाज कल्याण मंत्रीः अगर माननीय सदस्य इसकी लिखित में मुझे जानकारी दे देंगे तो ये मैं पता लगा लूँगा कि ये क्यों नहीं आयी क्योंकि आप बता रही हूँ कि 2015 का केस है। तो अगर आईडी वगैरह उसकी मिली हुई है, तो आप मुझे अभी दे दें या सदन के बाद दें दें। मैं इसकी जानकारी उपलब्ध कराके आपको सूचित कर दूँगा।

माननीय अध्यक्षः देखिए, माननीय सदस्यों से मेरी प्रार्थना है, इसको इन्डीविजुअल में न लेके जाएं। जरनैल जी।

सुश्री अलका लाम्बाः अध्यक्ष जी यह बहुत ही गम्भीर मामला है। मैंने आज ही सुबह एक पेन्शन के लिए फोन किया था। उन्होंने कहा, इस तरह के जितने भी रिकार्ड हैं, हमारे पास नहीं हूँ। उन लोगों का क्या कसूर जो 20016–17–18 तक इस तरह की पर्चियाँ लेकर घूम रहे हैं। जो विभाग द्वारा लोगों को दी गयी है, वो कह रहे हैं, हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है। या तो जीरो से दूबारा से शुरू करें... इन अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो बेचारे बुजुर्गो को, विकलांगों को, विधवा महिलाओं को अपने दफ्तर बुलाने के बाद चक्कर कटवाते रहते हैं।

माननीय अध्यक्षः अलका जी, आप बिना मेरे नाम लिए बोल गये हैं। प्लीज। जरनैल जी।

श्री जरनैल सिंहः धन्यवाद अध्यक्ष जी, ये बात सही है कि सभी साथियों के दफ्तर में पेन्शन को लेकर डेली बहुत शिकायतें आतीं हैं। लगभग एक साल पहले हाईकोर्ट के निर्देश थे कि एमसीडी की सारी पेन्शन...

माननीय अध्यक्षः भई, सप्लीमैन्टरी पूछिए ना। क्वैश्चन क्या है?

श्री जरनैल सिंहः वही सप्लीमैन्टरी है। क्वैश्चन ये है कि जो एमसीडी के पेन्शन्स दिल्ली सरकार ने टेक ओवर करनी थी, क्या वो हो चुकी है? अभी भी प्रतिदिन डेली ऑफिस में केसेज आते है एमसीडी के पेन्शनर्स की कि हमारी पेन्शन दिल्ली सरकार नहीं दे पा रही है, तो वो कितने केसेज पेन्डिंग हैं, विधान सभा वाईज, उसका ब्यौरा दिया जाए।

माननीय अध्यक्षः विधान सभा वाईज का इस प्रश्न से कहाँ सम्बन्धित है? उन्होंने कृष्णा नगर विधान सभा का पूछा है।

श्री जरनैल सिंहः अध्यक्ष जी, पेन्डिंग पेन्शन्स तो चल रही हैं ना। अध्यक्ष जी, एमसीडी के जो पेन्डिंग मसले चल रहे हूँ।

माननीय अध्यक्षः एक सेकेण्ड रुकिए। मैं निर्णय कर रहा हूं। जरनैल जी, अब सुन लीजिए।

श्री जरनैल सिंहः मंत्री जी कह रहे हैं कि लग चुकी है।

माननीय अध्यक्षः मैं निर्णय कर रहा हूं। दो मिनट रुकिए। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना कर रहा हूँ, विधान सभा क्षेत्र अनुसार हर विधायक को कितनी एप्लीकेशन आई थी, कितनी पेन्शन मिल गयी और किस कारण से कितने पेन्डिंग हैं, एमसीडी वाली इसमें नहीं जुड़ेगी, एमसीडी का नहीं, केवल

दिल्ली सरकार की। इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाह रहा हूं। भई, मैंने बात कर दी है सबकी। एक अनिल वाजपेयी जी की और विजेन्द्र जी की मैं बात रखूँगा, बस। मैंने सबकी बात कर दी इसमें। इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाह रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम कि एपीसीआई क्या है। केपीसीआई है शायद वो। केवाईसी नहीं, एनपीसीआई। अब आधार कार्ड बैंक से लिंक हो गया। बैंक ने उस पर लिख दिया, पासबुक पर। आधार कार्ड इस डेट से लिंक कर दिया गया। उसके बाद पेन्शन उनकी चालू नहीं हो रही है। ये कहा जाता है कि ये एनपीसीआई से लिंक नहीं हुआ और इस कारण पेन्शन रुकी पड़ी है लोगों की। जब तक एनपीसीआई से लिंक नहीं होगा, तब तक पेन्शन नहीं मिलेगी। ये एक बड़ा अजीब सा तमाशा बना हुआ है। इस पर भी एक बार अगर आपकी जानकारी में है तो सदन को जानकारी दें।

श्रीमती बंदना कुमारीः सर ये सारा काम हमारे वॉलंटियर को करना पड़ता है। डिपार्टमेन्ट का एक अधिकारी कोई काम नहीं कर रहा है। ये सारे हमारे पास जब ज्यादा बात करी तो उन्होंने डाटा हमारे आफिस में लाकर रख दिया। आप कलेक्ट करके दो। आप ये सारे वॉलंटियर हमारे कलेक्ट करेंगे क्या? सारे पेपर पर हर समय सारे वॉलंटियर को दिक्कत है।

श्री जरनैल सिंहः पर अध्यक्ष जी, आपने जो मंत्री जी को भी बहुत बात कहीं है, उसमें एमसीडी का पेन्शन्स का भी डिटेल दी जाए कि एमसीडी की पेन्शन का क्या स्टेटस है। अध्यक्ष जी, मेजर हमारा दफ्तर, पेन्शन दफ्तर बना हुआ है आजकल।

माननीय अध्यक्षः भई, इस विषय को आगे बढ़ने देंगे? या तो इस पर चर्चा माँग लीजिए एक घंट की, दो घंटे की।

श्री जरनैल सिंहः चर्चा करवा दीजिए अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः हाँ, तो इस पर कोई लिखकर देगा एमएलए तभी तो होगा ना जी। देखिए, मैंने पहले भी कहा था। राखी जी बैठिए, दो मिनट। जब विषय कोई भी विधायक लगाता है तो सदन को ब्रेक लगाके बैठ जाते हैं। या तो इस पर किसी भी नियम के अन्तर्गत चर्चा माँगिए। उस वक्त ध्यान नहीं आता। उनको क्या करना है क्या नहीं। नहीं, इस पर चर्चा माँगिए। जो भी कुछ है। ऐसे नहीं होगा लिखित में दीजिएगा। प्रश्न संख्या... नहीं इस पर चर्चा की व्यवस्था करवा रहा हूं।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः तो ये जो 85 लोग हैं, इनको कैसे इन्फार्मेशन मिलेगी कि मेरे एप्लीकेशन में ये दिक्कत है। हो क्या रहा है कि लोग चक्कर काटते हैं अध्यक्ष जी और वो कहते हैं हमारी पेन्शन नहीं शुरू हुई लेकिन उनको अगर कारण पता लग जाए तो उसको वो ठीक कर लें। तो कोई विभाग...

माननीय अध्यक्षः नहीं, विजेन्द्र जी, कारण का तो उनके मोबाइल पर मैसेज आता है।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः नहीं—नहीं, ये नहीं आता है जी। ये नहीं आता है कि ये कमी है।

माननीय अध्यक्षः हाँ, मेसेज आता है। मेसेज आता है, बकायदा मेसेज आता है। प्रश्न संख्या 147, कमान्डो सुरेन्द्र सिंह।

श्री सुरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से प्रश्न संख्या 147 प्रस्तुत हैः

क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले 15 वर्षो में कला, संस्कृति एवं भाषा के विकास के लिए दिल्ली सरकार के कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग ने कौन–कौन से उल्लेखनीय कार्य किये हैं;

(ख) विभिन्न अवसरों पर विभाग द्वारा किये गये खर्च का उस अवसर के नाम, प्रकृति, तिथि व वर्ष सहित विवरण क्या है;

(ग) पिछले 15 वर्षो में कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग के बजट का मदवार विवरण क्या है;

(घ) पिछले 15 वर्षो में इस विभाग के सचिव के पद पर कौन–कौन अधिकारी नियुक्त हुए, उनके नाम और उनके कार्यकाल में हुए कार्यो का विवरण क्या है; और

(ङ) पिछले 15 वर्षो में विभाग द्वारा कला, संस्कृति एवं भाषा को प्रोत्साहन देने के लिए आयोजित किये गये कार्यक्रमों का, उनमें आमंत्रित कलाकारों की सूची व उन कलाकारों को दिये गये पारितोषिक की राशि सहित पूर्ण विवरण क्या है?

माननीय अध्यक्षः माननीय उप मुख्य मंत्री जी।

माननीय उप मुख्यमंत्रीः अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से प्रश्न संख्या 147 का उत्तर निम्न प्रकार से हैः

(क) कला, संस्कृति और भाषा विभाग की स्थापना भाषाओं और संस्कृति के प्रचार, प्रसार और संवर्द्धन के उद्देश्य से की गई है। इन गतिविधियों को साहित्य कला परिषद और भाषा अकादमियों, अर्थात स्वायत्त निकाय जो हिंदी, पंजाबी, उर्दू, सिंधी, संस्कृत, मैथली, भोजपुरी हैं, के माध्यम से किया जाता है। इन संस्थाओं द्वारा किये कार्यो का विवरण इस प्रकार हैः

साहित्य कला परिषदः

साहित्य कला परिषद दिल्ली सरकार की कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग के अन्तर्गत कार्यरत एक स्वायत्त संस्था है, जो राजधानी दिल्ली में संगीत, नृत्य, नाटक एवं ललित कला के विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन द्वारा कला एवं संस्कृति के प्रचार एवं प्रसार में निरन्तर कार्यरत है। दिल्ली सरकार की ओर से भी परिषद बड़े स्तर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करती है। गत् 15 वर्षो में परिषद के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों में एशियन परफॉर्मिंग आर्टस फैस्टिवल, ओलम्पिक टॉर्च रिले, राष्ट्रमंडल खेल 2010 के दौरान दिल्ली सेलिब्रेट्स केरला दिल्ली कल्चरल एंड हेरिटेज फेस्टिवल, प्रवासी भारतीय दिवस, भारत उत्सव, दिल्ली कॉर्निवाल, अन्धायुग (नाटक) तुगलक (नाटक), पॉपुलर म्यूजिक एट सेंट्रल पार्क, एएनएमसी–21, हाफ मैराथन, सेंटेनरी ऑफ सत्यागृह, गणतंत्र दिवस झांकी, दिल्ली में मास्को दिवस, मास्कों में दिल्ली दिवस के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन आदि आदि शामिल हूँ।

हिन्दी अकादमीः

हिंदी अकादमी द्वारा हिंदी भाषा एवं साहित्य के प्रोत्साहन के लिए कवि सम्मेलन साहित्यिक संगोष्ठियों व अन्य विवध विषयों पर कार्यक्रम आयोजित

किये जाते रहे हैं। इसके साथ ही इंन्द्रप्रस्थ भारत का प्रकाशन व अन्य पुस्तकों का प्रकाशन किया जाता रहा है।

संस्कृत अकादमीः

अकादमी पिछले 15 वर्षो में संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार एवं विकास के लिए निरंतर उल्लेखनीय कार्य कर रही है जिसमें युवा वर्ग को संस्कृत से जोड़ने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं, विद्वानों के लिए सम्मेलन, परिचर्चा, संगोष्ठी, संस्कृत कवियों की जयंतियाँ, अखिल भारतीय स्तर के संस्कृत कवि सम्मेलन, संस्कृत शिक्षकों का सम्मान, सहसंस्कृत साहित्यकारों का सम्मान, संस्कृत की पाण्डुलिपियों का प्रकाशन, त्रैमासिक संस्कृत मंजरी का नियमित प्रकाशन, संस्कृत की अन्य पुस्तकों का प्रकाशन, दिल्ली के विभिन्न विद्यालयों में जहाँ शिक्षा निदेशालय द्वारा संस्कृत शिक्षक का पद रिक्त है, उन विद्यालयों में संस्कृत शिक्षकों की नियुक्ति करना आदि।

मैथली भोजपुरी अकादमीः

मैथली–भोजपुरी अकादमी, दिल्ली द्वारा वर्ष 2008 से वर्तमान तक आयोजित कार्यक्रमों व योजनाओं का विवरण संलग्न है।[1]

सिंधी अकादमीः

सिंधी अकादमी ने समय समय पर नृत्य, गीत एवं नाटक के माध्यम से आने वाली पीढ़ी के सिंधी भाषा की संस्कृति की विरासत से अवगत कराया तथा सिंधी भाषा की पारम्परिक सभ्यता को दिल्ली की जनता के समक्ष संजोकर रखने में सफलता प्राप्त की। सिंधी अकादमी ने वरिष्ठ लेखकों/साहित्यकारों के अनमोल लेखों का प्रकाशन करके पाठकों को उपलब्ध कराया।

डॉ. गोस्वामी गिरधारी लाल भाास्त्री प्राच्य विद्या प्रतिष्ठानमः

दिल्ली में स्थित गुरूकुलों की आठवीं कक्षा तक का पाठ्क्रम तैयार करना तथा उनकी परीक्षाएं आयोजित करता है एवं संस्कृत व प्राच्य भाषाओं का प्रचार प्रसार करता है। इसके अतिरिक्त संस्थान संस्कृत एवं प्राच्य भाषाओं में शोध–अध्ययन (पीएचडी) की कक्षाओं का आयोजन भी माखन लाल चतुर्वेदी विश्व विद्यालय के तत्वाधान में करता है।

अभिलेखागार विभागः

दिल्ली अभिलेगार ने दिल्ली के ऐतिहासिक दस्तावेजों के संरक्षण एवं अभिलेखों के डिजिटलीकरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है। विभाग ने दिल्ली की जनता में अभिलेखीय चेतना उत्पन्न करने के लिए बीते 15 वर्षो में लगातार बहुत सारी प्रदर्शनियों का भी आयोजन किया है।

उर्दू अकादमीः

ऊर्दू भाषा एवं साहित्य का प्रचार प्रसार एवं उर्दू संस्कृति को बढ़ावा देना, इसके लिए उर्दू कार्यशालाएं, स्कूलों में उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति, सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा मुशायरा, कव्वाली आदि का आयोजन करते हैं।

पंजाबी अकादमीः

पंजाबी अकादमी द्वारा पंजाबी भाषा एवं संस्कृति के विकास, प्रचार एवं प्रसार के लिए विभिन्न उल्लेखनीय कार्य किये हैं, जैसे बैसाखी मेला, बाल रंगमंच कार्यशाला, स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय कवि दरबार, गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय कवि दरबार, वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह,

पंजाबी मेला, रंगमंच उत्सव, पंजाब दा पारम्परिक संगीत बाल रंगमंच एवं भंगड़ा–गिद्दा वर्कशॉप, गुरवाणी संगीत समागम, महान हस्तियों की याद में प्रोग्राम, साहित्यिक मिलनी इत्यादि का आयोजन किया गया। कार्यक्रमों की सूची संलग्न हैः

ख) साहित्य कला परिषदः विभिन्न अवसरों पर विभाग द्वारा किये गये खर्च का विवरण संलग्न है।

हिंदी अकादमीः सूची संलग्न है।

संस्कृत अकादमीः संलग्न है।

मैथली भोजपुरी अकादमीः सूची संलग्न है।

डॉ गोस्वामी गिरधारी लाल शास्त्री प्राच्य विद्या प्रतिष्ठानमः सबंधित नहीं है।

सिंधी अकादमीः–सूची संलग्न है।

अभिलेखागार विभागः

1. अभिलेखों पर संरक्षण खर्च रु. 1,41,45,730/– व इस मद के अन्तर्गत लगभग 5 लाख दस्तावेजों का संरक्षण किया गया है;

2. अभिलेखों का डिजिटलीकरण 31 अगस्त 2017 को प्रारम्भ किया गया व अब तक लगभग 45 लाख पृष्ठों का डिजिटलीकरण अब तक हो चुका है योजना का अनुमानित खर्चा रु. 29.49 करोड़ है तथा कार्य 30 माह में पूरा होगा. अब तक इस मद में रु. 34.73 लाख खर्च हुए हैं।

उर्दू अकादमीः सूची संलग्न है।

पंजाबी अकादमीः सूची संलग्न है।

(ग) कला, संस्कृति एवं भाषा विभागः– संलग्न है।

साहित्य कला परिषदः– संलग्न है।

हिन्दी अकादमीः– संलग्न है।

संस्कृत अकादमीः– संलग्न है।

मैथली भोजपुरी अकादमीः–संलग्न है।

सिंधी अकादमीः– सूची संलग्न है।

डॉ. गोस्वामी गिरधारी लाल शास्त्री प्राच्य विद्या प्रतिष्ठानमः– संलग्न है।

अभिलेखागार विभागः संलग्न है।

उर्दू अकादमीः सूची संलग्न है।

पंजाबी अकादमीः– सूची संलग्न है।

घ)	सुश्री नीता बाली	अक्टूबर 2000 से जनवरी 2005
	सुश्री गीता सागर	जनवरी 2005 से 2005
	श्री ओ.पी.केलकर	अप्रैल 2005 से अप्रैल 2005
	श्रीमती रीना रे	अप्रैल 2005 से मई 2009

सुश्री अर्चना अरोड़ा	मई 2009 से जून 2009
श्रीमती रीना रे	जून 2009 सेजुलाई 2011
श्री केशव चन्द्रा	जुलाई 2011 से मई 2012
श्री संतोष डी. वैद्या	मई 2012 से मार्च मार्च 2013
श्री एस.एस यादव	अप्रैल 2013 से जनवरी 2014
सुश्री रिंकू दुग्गा	जनवरी 2014 से जुलाई 2014
श्री एस.एस.यादव	अगस्त 2014 से नंवबर 2014
सुश्री गीतांजलि गुप्ता	दिसंबर 2014 से जून 2015
श्री वी.सी पांडेय (कला एवं संस्कृति)/श्री रमेश तिवारी (भाषा)	जून 2015 से जून 2016
श्री वी. अब्राहम (कला एवं संस्कृति)/श्री एन.के. शर्मा (भाषा)	जुलाई 2016 से सितम्बर 2017
सुश्री मनीषा सक्सेना	अक्टूबर 2017 से अब तक।

उपरोक्त सभी सचिवों ने उनके कार्यकाल के दौरान विभाग द्वारा आयोजित सभी कार्यक्रमों की अगुवाई की तथा उनका सफलतापूर्वक आयोजन किया। गत 15 वर्षो के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों में एशियन परफार्मिंग आर्टस फेस्टिवल, ओलिम्पिक टॉर्च रिले, राष्ट्रमंडल खेल 2010 के दौरान दिल्ली सेलिब्रेट्स, केरला दिल्ली कल्चरल एंड हेरिटेज फेस्टिवल प्रवासी भारतीय

दिवस, भारत उत्सव, दिल्ली कॉर्निवाल, अन्धा युग(नाटक) तुगलक (नाटक), पॉपुलर म्यूजिक एट सेंटल पार्क, ए.एन.एम.सी–21, हाफ मैराथन,सेटेंनरी ऑफ सत्यागृह, गणंतत्र दिवस झांकी, दिल्ली में मास्को दिवस, मास्को में दिल्ली दिवस, के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन आदि आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त कवि सम्मेलन, मुशायरा, नाटक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन सफलापूर्वक किया गया।

अभिलेखागार विभाग के ऐतिहासिक दस्तावेजों एंव अभिलेखों का डिजिटलीकरण का कार्य आरम्भ किया गया, भाषा के प्रचार एवं प्रसार हेतु दिल्ली सरकार के सभी विभागों में प्रति वर्ष कार्यशाला का आयोजन किया जाता हैं एवं विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है।

ङ) साहित्य कला परिषदः– संलग्न है।

हिन्दी अकादमीः सूची संलग्न है।

संस्कृत अकादमीः– सूची संलग्न है।

मैथिली भोजपुरी अकादमीः– संलग्न है।

सिंधी अकादमीः– सूची संलग्न है।

डॉ. गोस्वामी गिरधारी लाल शास्त्री प्राच्य विद्या प्रतिष्ठानमः कोई नहीं।

उर्दू अकादमीः– संलग्न है।

संस्कृत अकादमीः– संलग्न है।

मैथली भोजपुरी अकादमीः संलग्न है।[3]

पंजाबी अकादमीः– उत्तर (ख) के अनुसार।

[3] संलग्नक ***www.delhiassembly.nic.in*** पर उपलब्ध हैं।

माननीय अध्यक्षः सप्लीमेंटरी।

श्री सुरेन्द्र सिंहः माननीय अध्यक्ष जी, मैं डिप्टी सीएम साहब से पूछना चाहता हूँ कि पिछले बजट सत्र में माननीय विधायक सुखबीर दलाल जी ने प्रस्ताव रखा था कि दिल्ली के अंदर हरियाणा अकाडमी बनाई जाए क्योंकि बाहरी दिल्ली के क्षेत्र में और मैक्सिमम एरिया के अंदर जो हरियाणवी भाषा यहाँ पर बोली जाती है और एक ऐसी एकाडमी का भी गठन किया जाए। मैं माननीय डिप्टी सीएम साहब से पूछना चाहता हूँ कि भविष्य में उस प्रस्ताव के ऊपर कुछ विचार सरकार करेगी क्या?

माननीय उप मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, इस पर सरकार काम कर रही है और मैंने बजट प्रस्तावों में भी उल्लेख किया था; 13 भाषायी एकाडमियाँ और एक अंग्रेजी भाषा के लिए भी क्योंकि आज कल नौजवानों में, बच्चों में इंग्लिश का भी जोर है। इंग्लिश की पोएट्री, इंग्लिश के नाटक, इंग्लिश भाषा में प्रोज लिखना। अभी तक यह मानकर चलते थे कि अंग्रेजी भाषा तो बाहर से आएगी। हमारे बच्चे भी बहुत अच्छा–अच्छा अंग्रेजी में लिख रहे हैं तो इसीलिए 13 भारतीय भाषाओं की और एक अंग्रेजी भाषा की एकाडमी का प्रस्ताव मैंने बजट प्रस्तावों में भी रखा है और सरकार उस पर काम कर रही है।

श्री महेंद्र गोयलः हरियाणवी भाषा भी है?

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः हरियाणवी की लिपि नहीं है कोई भी। हरियाणवी बोली है, लिपि नहीं है उसकी।

श्री महेंद्र गोयलः हरियाणवी एकाडमी बना लो एक।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः बैठिये।

श्री सोमनाथ भारतीः सर, एक सवाल पूछना है...

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः इसमें क्या क्वैश्चन है सोमनाथ जी, बताइये, क्या क्वैश्चन है?

श्री सोमनाथ भारतीः सर, इसमें जो 13 भाषाओं की बात आप...

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः और क्वैश्चन रह जाएंगे। हाँ, पूछो।

श्री सोमनाथ भारतीः जो 13 भाषाओं की बात कर रहे हैं, उस पर सराइकी भाषा भी क्या सम्मिलित है, जो मुल्तानी लैंग्वेज है?

माननीय उप मुख्य मंत्रीः अभी चूंकि यह पूरक प्रश्न से संबंधित है, अभी मेरे पास इसकी जानकारी नहीं है। जो 13 भारतीय भाषाओं की और जो एकाडमी का विवरण है, वो मैं सोमनाथ जी को उपलब्ध करवा दूँगा।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः देखिये, लिपि नहीं है।

माननीय उप मुख्य मंत्रीः जवाब मांग लिया था, इसके बाद कम गुंजाइश बचती है।

श्री ऋतुराज गोविंदः सर, एक चीज... एक छोटा सा सुझाव माननीय उप मुख्य मंत्री जी को देना चाहता हूँ कि मैथिली–भोजपुरी एकाडमी को लेकर के कि इसको जो है, सेंट्रल दिल्ली से, मैथिली–भोजपुरी के जो कार्यक्रम होते हैं, उसको किराड़ी–बुराड़ी पहुँचाने की जरूरत है और इसका जो बजट है, मेरे कहने का मतलब है कि जहां लोग रहते हैं, जहाँ पर लोग इंट्रेस्ट लेते हैं, जहाँ पर इसका प्रचार हो सकता है, वहाँ पहुॅचाने की जरूरत है इसको। अभी तक सब कुछ सेंट्रली होता है। मतलब, सब जगह पर जहां लोग रहते हैं। और इसका बजट भी बढ़ाने की जरूरत है।

श्री ओम प्रकाश शर्माः अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन यही है कि जो मैथिली भाषा और जो दूसरी भाषा के कार्यक्रम हैं, ये केवल जो मैथिली बोलने वाले सदस्य हैं, उनके अलावा दूसरों के यहाँ भी होने चाहिए। दूसरी बात, जब यहाँ बात करते हैं तो विशेष रूप से एक बात यह समझ में आती है कि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं और जो विपक्ष के लोग हैं, उनके अनुसार ही कलाकारों को भेजते हैं। तो कम से कम ये दोनों का अलग–अलग पैमाना न रखा जाए और अच्छे और बढ़िया कलाकार भेजे जाएं। मेरा केवल इतना ही कहना है।

माननीय अध्यक्षः प्रश्न संख्या 148, श्री रघुविन्द्र शौकीन जी।

श्री रघुविन्द्र भाौकीनः अध्यक्ष महोदय, क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2016–17 में वित्तीय सहायता हेतु कितने आवेदन पत्र प्राप्त व प्रोसेस हुए;

(ख) कितने आवेदन बकाया हैं;

(ग) वित्तीय सहायता हेतु कितने अभ्यर्थी पात्र पाये गए व कितने आवेदन अस्वीकृत हुए तथा अस्वीकृति के कारणों सहित पूर्ण विवरण दें ;

(घ) वर्ष 2017–18 में वित्तीय सहायता हेतु कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए;

(ङ) क्या लक्ष्य प्राप्त करने में कोई कमी रही;

(च) कितने आवेदन प्रोसेस किये गये, कितने अभ्यर्थी पात्र पाये गये और कितने आवेदन अस्वीकृत किये गये;

(छ) कितने आवेदन बकाया पड़े हैं;

(ज) वर्ष 2016–17 व 2017–18 में आवेदन जमा कराने की तिथि से वित्तीय सहायता वितरित करने की संभावित औसतन अवधि (दिनों की संख्या) क्या है;

(झ) क्या इसे 180 दिनों पर लाने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है;

(ञ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(ट) लाभार्थियों व अन्य आवेदकों से शिकायत प्राप्त करने का क्या तरीका (मेकेनिज्म) है; और

ठ) वर्ष 2016–17 से अब तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं व कितनी शिकायतों का निवारण हुआ है?

माननीय अध्यक्षः मंत्री जी।

माननीय समाज कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 148 का उत्तर निम्न प्रकार हैः

(क) दिल्ली अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक एवं विकलांग वित्तीय एवं विकास निगम लि. (डीएसएफडीसी) में वर्ष 2016–17 के दौरान वित्तीय सहायता हेतु विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 305 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। इसके अतिरिक्त पिछले वर्षों के 145 आवेदन इस वर्ष (2016–17) प्रोसेस हुए;

(ख) वर्ष 2016–17 की समाप्ति के दिन 100 आवेदन बकाया थे।

(ग) वर्ष 2016–17 में 255 अभ्यर्थी पात्र पाए गए और उनके आवेदन पत्र स्वीकृत किए गए थे। 95 आवेदन पत्र अस्वीकृत किए गए थे, जिसका मुख्य कारण लाभार्थियों द्वारा ऋण स्वीकृति पश्चात् की औपचारिकताएं पूरी न कर पाना है अथवा प्रस्तावित कार्य का योजनाओं की अनुमोदित कार्य सूची के अनुरूप नहीं होना था। पूर्ण विवरण अनुलग्नक 'क'[3] में वर्णित है;

(घ) दिल्ली अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक एवं विकलांग वित्तीय एवं विकास निगम लि. (डीएसएफडीसी) में वर्ष 2016–17 के दौरान वित्तीय सहायता हेतु कुल 267 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त पिछले वर्ष के 100 प्रकरण इस वर्ष प्रोसेस किए गए;

(ङ) जी हाँ, वर्ष 2017–18 के लिए विभिन्न योजनाओं का कुल लक्ष्य 902 रखा गया था परन्तु कुल 267 आवेदन पत्र ही प्राप्त हुए, जिसमें से 240 अभ्यर्थी पात्र पाए गए एवं उनका आवेदन अस्वीकार किया गया। लक्ष्य प्राप्त करने में कमी रहने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:

(i) कम अभ्यार्थियों ने आवेदन जमा कराएं,

---

[3] संलग्नक ***www.delhiassembly.nic.in*** पर उपलब्ध हैं।

(ii) केन्द्र सरकार के राष्ट्रीयकृत, वित्तीय निगमों (एनएसएफडीसी, एनबीसीएफडीसी, एनएमएफडीसी, एनएस केएफडीसी एवं एनएचएफडीसी) द्वारा लागू योजनाओं में वार्षिक पारिवारिक आय की अधिकतम सीमा 1.20 लाख रुपये है, जिसके कारण दिल्ली के अभ्यर्थी इन योजनाओं में आवेदन नहीं कर पाते अथवा उनके आवेदन अस्वीकृत हो जाते हैं,

(iii) कई आवेदकों द्वारा उन कार्यों के लिए आवेदन किए जाते हैं जो कि विभिन्न योजनाओं की अनुमोदित कार्य सूची के अनुरूप नहीं होता।

(iv) कई लाभार्थियों द्वारा ऋण स्वीकृत हो जाने के पश्चात् की औपचारिकताएं पूरी नहीं की जाती हैं।

(च) वर्ष 2017–18 में सभी 367 (100 पिछले वर्ष के एवं 267 इस वर्ष के) आवेदन पत्र प्रोसेस किए गए जिनमें से 240 अभ्यर्थी पात्र पाए गए जिनके आवेदन पत्र स्वीकृत किए गए तथा 19 आवेदन पत्र अस्वीकृत किए गए हैं;

(छ) इस समय 108 आवेदन प्रोसेस में है जिन पर कार्रवाई की जा रही है।

(ज) वर्ष 2016–17 व 2017–18 में आवेदन जमा कराने एवं वित्तीय सहायता वितरित करने की औसतन अवधि 110 से 220 दिन रही। इस अवधि में एक आवेदन को विभिन्न आवश्यक प्रक्रियाओं से गुजरना होता है जैसे कि आवेदक का सर्वे करना, गारंटर का सर्वे करना, कार्य स्थल का

सर्वे करना, आवेदन की जाँच करना कि वह योजना के मापदण्ड के अनुरूप है अथवा नहीं, पूर्व में लिए गए किसी ऋण की वर्तमान स्थिति की जानकारी करना, सक्षम अधिकारी से ऋण स्वीकृति की अनुमति लेना, लाभार्थी द्वारा ऋण स्वीकृति पश्चात् की औपचारिकताएं पूरी करना, वित्तीय सहायता वितरित करना;

(झ) निगम द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि लाभार्थियों को कम से कम समय में ऋण उपलब्ध कराया जाए। अंतिम तिमाही में ऋण वितरण में तीव्रता आई है तथा इस समयावधि को 45 से 60 दिन में लाने का प्रयास किया जा रहा है। यह आज बोर्ड में पास भी हो गया है।

(ञ) जैसा कि उपरोक्त (झ) में बताया गया है कि आवेदन जमा कराने से वित्तीय सहायता वितरित करने के बीच अनेक प्रक्रियाओं से गुजरना होता है। कई अवसरों पर आवेदक के स्तर पर कोई कमी रह जाती है तो उसे पूरा करने में आवेदक कुछ समय ले लेते हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण कारण यह है कि आवेदकों द्वारा स्वीकृत पश्चात् की औपचारिकताएं पूरा करने में भी समय लिया जाता है;

(ट) लाभार्थियों एवं आवेदक अपनी शिकायत लिखित एवं मौखिक रूप से शाखा प्रभारी एवं मुख्यालय में दे सकते हैं। इस संदर्भ में शाखा कार्यालय में पूर्ण विवरण सहित बोर्ड लगे हुए हैं। इसके अतिरिक्त पीजीएमएस के द्वारा भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है; और

(ठ) वर्ष 2016–17 से अब तक ऋण से संबंधित मात्र 05 लिखित शिकायतें मुख्यालय में प्राप्त हुई हैं जिनका निवारण कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त मौखिक शिकायतों का तुरंत निराकरण कर दिया जाता है।

माननीय अध्यक्षः सप्लीमेंटरी शौकीन जी (अनुपस्थित)। रहने दो उसको चलिए, करिए करिए।

श्री गिरीश सोनीः धन्यवाद अध्यक्ष जी, जो इसके अंदर लक्ष्य दिखाया गया था 902 लाभार्थियों को था और ये मात्र 240 अभियार्थी पात्र पाये गये तो इसमें विभाग ने क्या... मतलब इसके लिए क्या योजना बनाई कि ऐसा क्यों रहा क्योंकि विभाग इसको क्या प्रचारित करने में या इसका जैसे एड–वेड देते हैं; न्यूजपेपर में या क्या वजह रही इसकी कि इतना लक्ष्य प्राप्त जो कहता हूँ आधे से भी कम लक्ष्य प्राप्त कर पाये और इसके लिए अब क्या योजना है कि ऐसे लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाएगा?

माननीय समाज कल्याण मंत्रीः माननीय अध्यक्ष जी, मैं सभी सम्मानित सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि जो लोन की जो स्कीम है, उसकी शर्तें थोड़ी जटिल हैं और जटिल होने के कारण लोग कभी कभी 6–6 महीने 7–7 महीने और साल तक धक्के खाते थे और अंततोगत्वा वो हार के बैठ जाते थे जिससे लोग हतोत्साहित हुए। अखबारों में देने के बाद भी, ऐड लगाने के बाद भी लोग उस मात्रा में नहीं आ रहे थे लेकिन इसके लिए मैंने कमेटी बनाई थी कि लोन की शर्तों को सिम्पलीफाई करने के लिए और आज मैं खुशी के साथ सारे सदस्यों को सूचित कर रहा हूं। आज ही बोर्ड की मीटिंग थी जिसमें स्कीम सिम्पलीफाई कर दी गई है और बोर्ड में पास भी कर दी गई है और दूसरा जो लोन के लिए जो मेक्सिमम लिमिट थी इनकम की, उसको भी बढ़ाने का पास किया गया है। चूंकि बहुत सारे ऐसे पात्र थे जिसकी इनकम उससे ऊपर थी और वो नहीं आ पाते थे। कुछ स्कीम ऐसी हैं जो सेन्ट्रल गवर्नमेंट की हैं। सेन्ट्रल गवर्नमेंट की ऐसी एकदम स्कीम ऐसी हैं, जो दिल्ली में लागू हो ही नहीं सकती। जैसे उनकी

स्कीम है; ग्रामीण क्षेत्र में 95 हजार सालाना इनकम और शहरी क्षेत्रों में एक लाख 20 हजार सालाना इनकम। हमारे यहाँ तो मिनिमम वेज ही दो लाख से ऊपर पहुंच जाता है तो हमने सेन्ट्रल गवर्नमेंट को भी लिखा है मंत्री जी से भी बात की है कि आप भी अपनी स्कीम को रिवाइज कीजिए और हमें पूरी उम्मीद है कि वहाँ से भी, वो आने वाले दो तीन महीनों के अंदर रिवाइज हो जाएगी और उसको फिर ज्यादा लोगों को हम लाभ दे पाएंगे और जितनी संख्या आए मुझे लगता है इससे संख्या तीन चार गुना हो जाएगी, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद। हो गया फतेह सिंह जी, हो गया क्लियर।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः चलिए, पूछिये फतेह सिंह जी। गिरीश जी, हो गया, ठीक हो गया। अच्छा क्वैश्चन किया आपने।

चौ. फतेह सिंहः अध्यक्ष जी, मेरा ये निवेदन था कि समाज कल्याण मंत्रालय ऐसी स्कीम लाए क्योंकि दिल्ली में बेरोजगारी का स्तर हमेशा बढ़ रहा है और इस बेरोजगारी को कम करने के लिए समाज कल्याण द्वारा कोई ऐसी स्कीम आ जाए जैसे थ्री व्हीलर, टैक्सीज के लिए लोन और कोई ऐसी व्यवस्था हो जाए जिससे बेरोजगारी कम हो।

माननीय अध्यक्षः फतेह सिंह जी क्वैश्चन निकालिये इसमें, क्वैश्चन निकालिये।

चौ. फतेह सिंहः क्या नई स्कीम बनाने की कोई योजना अपने मंत्रालय की है जिससे बेरोजगारी दिल्ली के अंदर कम हो, प्रश्न यह है?

माननीय समाज कल्याण मंत्रीः आज ही बोर्ड की मीटिंग में यह भी पास किया गया। पहले लोन की लिमिट ही पाँच लाख थी और आजकल ज्यादातर टैक्सियाँ जो डिजायर को पसंद कर रहे हैं और डिजायर की इनकम ही पाँच लाख से ऊपर है तो आज ही बोर्ड की मीटिंग में इसको भी पास किया है कि हम इससे बड़े 10 लाख तक के भी लोन हम दे पाएंगे ताकि लोगों को लाभ मिल सके।

चौ. फतेह सिंहः अध्यक्ष जी, 10 लाख लोगों को लोन देने की जो व्यवस्था है मैक्सिमम कितने लोगों को दी जा सकती है?

माननीय समाज कल्याण मंत्रीः ये अभी जो सवाल है, थोड़ा हाइपोथिकेटेड है। चूंकि एकुरेट पहले बजट देखना पड़ेगा लेकिन यह आश्वस्त कर सकता हूँ कि माननीय उप मुख्य मंत्री जी से बात करके चूंकि बहुत ज्यादा बजट इसमें नहीं है, 53 हजार करोड़ में से अगर 50 करोड़ भी इधर दे दें ये 90 परसेंट दिल्ली की जनता को कवर करता है। एससी, एसटी, ओबीसी, माइनोरिटी, हैण्डीकैप्ड और हैण्डीकैप्ड में तो अब 21 केटेगरीज हो गई हैं, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः प्रश्न संख्या 149 जगदीश प्रधान जी।

श्री जगदीश प्रधानः प्रश्न संख्या 149 प्रस्तुत है। इसमें एक क्लेरिकल मिस्टेक है प्रश्न संख्या 149 के 'क' भाग में जो वर्ष 2018–19 डाल दिया गया है क्लेरिकल मिस्टेक है उसको दुरुस्त कर दिया जाए।

(क) वर्ष 2018–19 में सैप्टिक टैकों की सफाई के दौरान कितने सफाई कर्मचारियों की मृत्यु हुई, विस्तृत जानकारी दें;

(ख) नालों की सफाई के दौरान इस प्रकार की घटनाओं की पनुरावृत्ति रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं;

(ग) सरकार ने सीवरों की सफाई के लिए क्या प्रबन्ध किये हैं; और

(घ) सैप्टिक टैंकों की केवल मशीनों द्वारा सफाई किया जाना सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

माननीय शहरी विकास मंत्री (श्री सत्येन्द्र जैन): क्या था ये 18–19 की जगह?

श्री जगदीश प्रधानः 2017–18 होना चाहिए 2018–19 डाल दिया गया है।

शहरी विकास मंत्रीः ठीक है, ठीक है, पर जवाब वही दिया गया है, जवाब ठीक दिया है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रश्न संख्या 149 का उत्तर देना चाहता हूं। पहले तो ये बता दूँ कि 2018–19 जो क्वैश्चन में गलत है पर आंसर में 2017–18 कर दिया गया है, ठीक है वो। इसका अलग अलग डिपार्टमेंट से जवाब आया है सभी के जवाब मैं बता रहा हूँ।

क) **कार्यालय मंडलायुक्त (राजस्व):** वर्ष 2017–18 में सैप्टिक टैंकों की सफाई के दौरान 12 व्यक्तियों की मृत्यु हुई (सूची संलग्न हैं)[4],

स्थानीय निकाय (शहरी विकास):

1 जनवरी 2018 से अब तक इस तरह की कोई घटना इस विभाग की जानकारी में नहीं है,

[4] संलग्नक ***www.delhiassembly.nic.in*** पर उपलब्ध हैं।

उत्तरी दिल्ली नगर निगमः

उत्तरी दिल्ली नगर निगम में वर्ष 2017–18 में सैप्टिक टैंकों की सफाई के दौरान किसी भी सफाई कर्मचारी की मृत्यु नहीं हुई है,

नई दिल्ली नगर पालिका परिषदः

नई दिल्ली नगर पालिका परिषद में ऐसी कोई घटना नहीं हुई हैं,

दक्षिणी दिल्ली नगर निगमः

वर्ष 2017–18 में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के किसी भी सफाई कर्मचारी की मृत्यु सैप्टिक टैंक की सफाई के दौरान नहीं हुई है,

पूर्वी दिल्ली नगर निगमः

वर्ष 2017–18 में पूर्वी दिल्ली नगर निगम के सैप्टिक टैंकों की सफाई के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु नहीं हुई है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम सैप्टिक टैंकों की सफाई मशीनों द्वारा ही करती है,

लोक निर्माण विभागः

लोक निर्माण विभाग के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत वर्ष 2017–18 में सैप्टिक टैंकों की सफाई के दौरान किसी भी कर्मचारी की मृत्यु नहीं हुई हैं,

देखो, कुछ ने आंसर दिये हैं 2017–18 के हिसाब से किसी ने 2018–19... वैसे 2017–18 का उसमें आ गया ना। रेवेन्यू के अंदर सबके आ गये 12 के 12 सबके उनके अंडर कोई भी नहीं था। उन्होंने पूरी दिल्ली का बता दिया तो जब 2017–18 का उन्होंने दे दिया 12, तो पूरे सबके

मिलाकर 12 ही बनते हैं। अगर कोई गलत समझा क्वैश्चन तब भी ठीक है।

अ.जा./जा.जा./अ.पि./अल्पसंसख्यक कल्याण विभागः

वर्ष 2018–19 में सैप्टिक टैंकों की सफाई किसी भी कर्मचारी की मृत्यु का मामला नहीं आया है। हांलाकि वर्ष 2017–18 में सैप्टिक टैंकों की सफाई के दौरान पाँच मामले आये थे, जिनमें 12 लोगों की मृत्यु हुई थी, सूची 'घ' संलग्न है।

(ख) **कार्यालय मंण्डलायुक्त (राजस्व):**

दी प्रोहीविशन ऑफ इमप्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेन्जर्स एण्ड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट 2013 की धारा 29(3) के तहत मैनुअली स्कैवेन्जर्स के सर्वे हेतु जिला स्तरीय विजिलेंस कमेटी बनाई गई है,

स्थानीय निकाय (शहरी विकास):

इसके लिए दिल्ली जल बोर्ड मानक संचालन प्रक्रिया बना रही है। शहरी विकास विभाग ने इस बाबत दो समिति गठित की हैं। उसकी अधिसूचना की प्रतिलिपि संलग्न है।[5] जिनका विवरण निम्न प्रकार से हैः

1. राज्य अनुवीक्षण समिति का गठन अधिसूचना दिनांक 22/12/2017 को जारी की गई है,
2. ग्यारह जिलों की सर्तकता समिति का गठन अधिसूचना दिनाँक 22/12/2017 को जारी की गई है,

उत्तरी दिल्ली नगर निगमः

उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अधीन चार फीट से कम नालों की सफाई के दौरान इस प्रकार की अभी तक कोई दुर्घटना नहीं घटी है,

नई दिल्ली नगर पालिका परिषदः

नालों की सफाई सीवर मेंटेनेस डिविजन से संबंधित नहीं है। खुले नाले नई दिल्ली नगर पालिका परिषद क्षेत्र में नहीं हैं,

दक्षिणी दिल्ली नगर निगमः

उपरोक्त 'क' के अनुसार,

पूर्वी दिल्ली नगर निगमः

पूर्वी दिल्ली नगर निगम के अधीन नालों की सफाई का कार्य मशीनों द्वारा किया जाता है,

लोक निर्माण विभागः

नालों की सफाई के दौरान उचित सुरक्षा एवं सावधानी सुनिश्चित की जाती है,

(ग) **दिल्ली जल बोर्डः**

दिल्ली जल बोर्ड द्वारा सीवर की सफाई के लिए किये गये प्रबन्ध का ब्यौरा पूरक जानकारी के रूप मे अनुलग्न 'अ' में संलग्न[5] है,

नई दिल्ली पालिका परिषदः

नई दिल्ली पालिका परिषद क्षेत्र में सीवर की सफाई मशीन से की जाती है,

---

[5] संलग्नक ***www.delhiassembly.nic.in*** पर उपलब्ध हैं।

लोक निर्माण विभागः

कम गहराई की नालों की सफाई के दौरान उचित सुरक्षा एवं सावधानी सुनिश्चित की जाती है,

(घ) **दिल्ली जल बोर्डः**

सैप्टिक टैंकों की केवल मशीनों द्वारा सफाई किये जाने को सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड ने सेपटेज मैनेजमेंट रेगुलेशन 2018 तैयार किया और इसे प्रस्ताव संख्या 54 द्वारा अनुमोदन कर दिया है। यह रेगुलेशन कैबिनेट स्वीकृति के पश्चात विधान सभा के पटल पर रखी जाएगी तथा उसके बाद इसको कार्याविन्त किया जाएगा। सेपटेज मैनेजमेंट रेगुलेशन 2018 के मुख्य बिन्दु अनुलग्न 'ब' के रूप में सलंग्न है।[6]

उत्तरी दिल्ली नगर निगमः

उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अधीन सैप्टिक टैंकों की सफाई सुचन मशीन के द्वारा करवाई जाती है,

नई दिल्ली नगर पालिका परिषदः

नई दिल्ली नगर पालिका परिषद क्षेत्र में सैप्टिक टैंकेां की सफाई मशीनों से ही जाती है। जिसके लिए मशीनें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं,

दक्षिणी दिल्ली नगर निगमः

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों को मशीनों द्वारा ही अपने सैप्टिक टैंकों की सफाई सुनिश्चित करने हेतु दिशा

---

[6] संलग्नक ***www.delhiassembly.nic.in*** पर उपलब्ध हैं।

निर्देश जारी कर दिये गये हैं। वर्तमान में भी निगम अपनी सैप्टिक टैंकों की सफाई मशीनो द्वारा ही ही करता है,

पूर्वी दिल्ली नगर निगमः

पूर्वी दिल्ली नगर निगम के सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों को मशीनों द्वारा ही अपने सैप्टिक टैंकों की सफाई सुनिश्चित करने हेतु दिशा निर्देश जारी कर दिये गये हैं। वर्तमान में भी निगम अपनी सैप्टिक टैंकों की सफाई मशीनों द्वारा ही करता है,

लोक निर्माण विभागः

सैप्टिक टैंकों की सफाई मैकानाईज्ड तरीके से करने के लिए जरूरत पड़ने पर निविदा आमंत्रित कर कार्य करवाया जाता है,

माननीय अध्यक्षः स्पलीमेंटरी। प्रधान जी कोई स्पलीमैंटरी? प्रश्न संख्या 150 पंकज पुष्कर जी। (अनुपस्थित)। 280 श्री जगदीश प्रधान जी। अब नहीं, ये रिकार्ड में आ ही गया। मैंने बोल दिये सारे प्रश्न संख्या।

माननीय उप मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 152 है, उसके संदर्भ में आपके समक्ष कुछ रखना है। यह महत्वपूर्ण है थोड़ा सा जिस संदर्भ में हम चर्चाएं कर रहे हैं, उस संदर्भ में। ये प्रश्न... इसका जवाब क्योंकि मुझे लग रहा था नम्बर आ जाए आपने डिसाईड किया चेंज करने का मैं सिर्फ रख देता हूँ यहां। ये एक अच्छी चीज है जिसको मुझे एप्रिसिएट करने के लिए आपके बीच में इंटरवीन करना पड़ा कि एक तरफ जहाँ सब अधिकारी, विभाग, एलजी होम मिनिस्ट्री मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि सरकार, इस विधान सभा को कोई जवाब न मिले किसी भी तरह के सवालों का

और खासतौर से जहां अभी जो मैने उदाहरण दिया कि एडहॉक दानिक्स की पदों की कितनी संख्या है, ये तक बताने को रिजर्व बता रहे हैं। ऐसे समय में एक प्रश्न आता है कि दिल्ली में राष्ट्रीय महत्व के कितने ऐतिहासिक स्मारक हैं और उनकी देखभाल के लिए कौन–कौन से विभाग जिम्मेदार हैं उन पर कितना अतिक्रमण है और उस पर क्या कार्रवाई की गई है। कुछ ऐसा प्रश्न है पूरा। इस प्रश्न का जवाब अगर अधिकारी चाहते तो यह भी कह सकते थे कि ये भारत सरकार से सम्बन्धित है। लेकिन उन्होंने भारत सरकार को लिखकर जवाब मांगा और भारत सरकार में बैठे उन सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों ने वो सूचना जो इससे सम्बन्धित थी, वो सूचना उपलब्ध भी कराई और वो सूचना अधिकारियों के द्वारा यहाँ सदन तक भी पहुँची। तो मैं इसलिए इसका स्पष्ट उल्लेख करना चाहता हूँ कि जब सूचनाएं देने, मतलब वो अधिकारी जिसके मन में अगर यह सूचना देनी है, तो भारत सरकार को चिट्ठी लिख देते हैं और भारत सरकार भी देती है और अधिकारी भी उपलब्ध करा रहे हैं लेकिन जब मांगा गया प्रश्नों का संदर्भ कहीं 20 साल में हुए भ्रष्टाचार से है, वो चाहे अधिकारियों का हो, मंत्रियों का हो, विधायकों का हो या पदों की संख्या में कुछ है, मनमानी में है, कुछ वहाँ तुरन्त एलजी साहब भी आड़े आ रहे हूँ। मैं इसको सिर्फ एक अपनी टिप्पणी के रूप में रख रहा हूं। इस प्रश्न के उत्तर से मुझे कुछ शिकायत नहीं है बल्कि मैं एप्रिसिएट कर रहा हूँ इस चीज को कि अधिकारी ने... जिन–जिन अधिकारियों ने भी इस कार्य को किया, उन्होंने भारत सरकार को लिखा और भारत सरकार के उन अधिकारियों को भी एप्रिशिएट कर रहा हूँ जिन्होंने लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सम्मान करते हुए इस सवाल का जवाब दिया।इस सदन के लिए, जबकि भारत सरकार चाहती तो मना भी कर सकती थी।

लेकिन जब इस तरह की बातें आती हैं तो जवाब मिल जाता है। लेकिन जैसे ही 20 साल के करप्शन, 20 साल में अधिकारियों के दौरे, 20 साल में हुई मनमानी, इन सब की तरफ भागते हैं तो उसको ये अपने आप मे एविडेंस है। मुझे ये भी पता है कि इस सवाल का जवाब एक कदम आगे बढने के देने के प्रयास में हो सकता है शाम तक उस अधिकारी को डॉट भी पड़ जाए एलजी हाउस से। हो सकता शाम तक ये भी कहा जाए कि भई तुमको क्या जरूरत थी, तुम ज्यादा हीरो बन रहे हो। जैसा कि बहुत पहले हो चुका है। लेकिन इस मैं रख रहा हूँ सदन के समक्ष कि जब मुद्दे उठते हैं तो कहीं न कहीं जान बूझकर कोशिश की जा रही है इस विधान सभा के सवालों को दबाने की जो सवाल भ्रष्टाचार से सम्बन्धित हैं। विगत में किए गए अधिकारियों के या मंत्रियों के, विधायकों के किसी तथ्य से सम्बन्धित हैं, तो जान बूझकर उन सूचनाओं को दबाने की कोशिश की जा रही है। जब सूचना देने का मन होता है तब विभाग को, जब जानकारी देने का मन होता है और जो सामान्य जानकारियां हैं, वो उपलब्ध भी कराई जा रही हैं, ऐसा नहीं है।

माननीय ऊर्जा मंत्रीः अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूँ कि दिल्ली में आज पावर के नए टैरिफ निर्धारित किये जा रहे हैं और दिल्ली सरकार ने पूरी कोशिश की है कि पिछले तीन साल से जो रेट नहीं बढ़े थे, इस साल भी न बढ़ें और हमने पूरी डिमांड की थी कि कम से कम 15 से 20 परसेंट रेट कम किये जाएं। मुझे आशा है, मैं आधे घंटे, एक घंटे तक बता पाऊँगा। पूरे सदन को बताऊँगा कि रेट जरूर कम किये जाएंगे।

माननीय अध्यक्षः मैं 280 के बाद लूँगा। ये चीज ठीक नहीं है। एक बार नियम को समझ लीजिए। श्री जगदीश प्रधान जी।

तारॉकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

142. सुश्री भावना गौड़: क्या **समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पालम विधानसभा में कितने लोगों को वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है;

(ख) पालम विधानसभा में वर्ष 2015 से 2018 तक वृद्धावस्था पेंशन के कितने नए आवेदन स्वीकृत हुए हैं, पूर्ण विवरण दें;

(ग) क्या यह सत्य है कि पालम विधानसभा में वर्ष 2017—18 के लिए तय की गई वृद्धावस्था पेंशनों का कुछ कोटो शेष बचा है;

(घ) यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है; और

(ङ) पालम विधानसभा में किन्हीं कारणों से रूकी हुई वृद्धावस्था पेंशनों कब तक फिर से मिलनी शुरू हो जाएंगी?

समाज कल्याण मंत्री : (क) पालम विधानसभा में कुल 6688 लोगों को वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है;

(ख) पालम विधानसभा में वर्ष 2015 से 2018 तक वृद्धावस्था पेंशन के कुल स्वीकृत आवेदनों का विवरण निम्न प्रकार है—

योजना	2015—16	2016—17	2017—18
वृद्धावस्था पेंशन	253	7	1442

(ग) जी नहीं।

(घ) उपरोक्त 'ग' के अनुसार लागू नहीं होता।

(ङ) विभाग द्वारा किसी भी लाभार्थी की पेंशन रोकी नहीं जाती, अपितु लाभार्थियों के खातों में किसी प्रकार की त्रुटि/कमी होने पर संबंधित बैंकों द्वारा पेंशन विभाग को वापस कर दी जाती है, जो कि आवश्यक सुधार के बाद बकाया राशि सहित लाभार्थियों के बैंक खातों में पुनः प्रेषित कर दी जाती है।

151. श्री सोमनाथ भारतीः क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार के सेवा विभाग में तकनीकी विभागों में तकनीकी पदों के सृजन के प्रस्ताव लबें समय से लंबित है;

(ख) सेवा विभाग में लंबित ऐसे प्रस्तावों का विवरण क्या है;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि सेवाएं विभाग तकनीकी विभागों में एक्स कैडर और तकनीकी पदों पर आईएएस एवं दानिक्स अधिकारियों को तैनात/नियुक्त करने में अतिरिक्त चुस्ती दिखाती है; और

(घ) तकनीकी विभागों में आईएएस व दानिक्स अधिकारियों की तैनाती/नियुक्ति हेतु वहां उनकी कैडर स्ट्रैन्थ बढ़ाने के लिए सेवाएं विभाग द्वारा क्या प्रक्रिया अपनायी जाती है, पूर्ण विवरण दें?

(संबंधित विभाग से प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

152. श्री अखिलेश पति त्रिपाठीः क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में राष्ट्रीय महत्व के कितने ऐतिहासिक स्मारक हैं;

(ख) उनकी देख–भाल के लिए कौन–कौन से विभाग जिम्मेदार है;

(ग) कितने स्मारकों की जमीन पर व्यवसायिक परिसरों, बाजारों, दुकानों, स्कूलों, पब्लिक स्कूलों, कबाड़ खानों, मंदिरों, मस्जिदों और गुरूद्वारों के निर्माण हो चुके हैं;

(घ) इन अतिक्रमणों के विरूद्ध क्या स्थानीय पुलिस थानों में कोई एफआईआर दर्ज करायी गई हैं;

(ङ) यदि हाँ, तो उन पर क्या कार्रवाही की गयी है; और

(च) कितने अवैध निर्माणों को ध्वस्त करके उस भूमि को वापस स्मारकों को सौंपा गया है?

पर्यटन मंत्री : (क) और (ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारत सरकार द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के दिल्ली मंडल के अधीन 111 संरक्षित स्मारक/पुरास्थल है जिनकी देखभाल की जिम्मेदारी दिल्ली मंडल के पास है। (परिशिष्ट 'क')

(ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारत सरकार द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के दिल्ली मंडल के अधीन कुल 7 स्मारकों की जमीन पर नवनिर्माण आदि से अतिक्रमण हुआ है। (परिशिष्ट 'ख')

(घ) और (ङ) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारत सरकार द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार इन अतिक्रमणों की एफआईआर विभाग ने दर्ज नहीं

करायी है, परंतु विभाग ने प्राचीन स्मारक और पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 तथा नियम 1959 के तहत लिखित शिकायत संबंधित थाने में दर्ज की है। तदुपरांत कारण बताओं नोटिस जारी करने के साथ–साथ डी.सी.पी. व एम.सी.डी. को अवैध निर्माण कार्य रूकवाने के लिए निवेदन किया जाता है।

(च) सूचिं संलग्न है। (परिशिष्ट 'ग')

परिशिष्ट 'क'

List of Centrally Protected Monuments under the jurisdiction of Delhi Circle, Archaeological Survey of India

Sl. No.	*Name of Monument*	*Location*	
		Locality	*District*
1	*2*	*3*	*4*
1	*Moth-ki-Masjid*	*Behind South Extension-II*	*South*
2	*Mosque known by the name of Shamsi Tallab together with both platform entrance gates.*	*Mehrauli Village*	*South*
3	*IronPillar, Hinduremains*	*Mehrauli (Qutb Complex)*	*South*
4	*Delhi fort or Lal Qila, NaubatKhana, Diwan-i-am, Mumtaz Mahal' Rang Mahal, Baithak, Maseu Burj, diwan-i-Khas' Moti Masjid, sawan Bhadon, Shah Burj, Hammam with all surrounding including the gardens, paths, terraces and water courses.*	*Red Fort*	*North*

1	2	3	4
5	*The Gateway of Arab Sarai facing North towards Purana Qila*	*Near Humayun's Tomb*	*South East*
6	*The Gateway of Arab Sarai facing East towards the tomb of Humayun*	*Near Humayun's Tomb*	*South East*
7	*The Afsah-wala-ki-Masjid situated outside the west gate of Humayun's tomb with its dalans and paved court.*	*Nizamuddin*	*South East*
8	*Humayun's tomb, its platforms, garden, enclosure walls and gateways Khasra No. 258 bounded on the east by Khasra No.l80&181& 244 of Miri Singh and on west by Kh. No. 268 &253 on the north by Khasra No. 266, on the south by Kh No. 245 of Miri Singh & Kh. No. 248 & 249 of Sayyed Mohummad*	*Nizamuddin*	*South East*
9	*Nila Gumbad outside the south corner of the enclosure of Humayun's tomb.*	*Nizamuddin*	*South East*
10	*The tomb of Isa Khan with its surrounding enclosure walls and turret, garden, gateways and mosque.*	*Nizamuddin*	*South East*
11	*The Tomb of Afsah-wala immediately near and to the south of Afsah-wala-ki-Masjid*	*Nizamuddin*	*South East*
12	*Remaining Gateways of Arab Sarai and of Abadi-Bagh-Buhalima*	*Near Humayun's Tomb*	*South East*
13	*The Qutab Archaeological area as now fenced in, including the Mosque, Iron Pillar (4th Century A.D.), Minar of Qutbud-din (12th and 13th Century A.D.), unfinished Minar (14th*		

1	2	3	4
	Century A.D.), all colonnades, screen arches, tomb of Altamash, college, buildings of Alaud-Din, Tomb of Imam Zamin and all carved stones in the above area with gardens, paths and water channels, and all gateways including the Alai-Darwaza (14th Century A.D.), also all graves in the above area	*Mehrauli Village*	*South*
14	*Tomb of Adham Khan (Rest House)*	*Mehrauli*	*South*
15	*HauzKhas :- Group of Building at Hauz Khas consisting of the following i. The tomb of Ferozshah ii. Domed Building to the west of No.l iii. Dalan between 1&2 iv. Domed Building & its court to the south of No. 3, v. Dalans and all ruined Buildings to the north of no. 1 and existing upto No.10 vi. Five Chhatris to the East of No. 1& No.5 vii. Old Gate to the north of No.6 viii. Three Chhatris to the north-west of No.7ix. Ruined courtyard and its Dalans with the Domed building to the north-west to the No.8x. Old wall running east from No.4 xi. 2.23 Acres of land surrounding the above monuments and bouded on the North by house of Chhange and Mehra Chand sons of Hansram and house of Udairam, son of Kushla South Ghairmumkan Rasta East By village site belonging to village community. Others West By field no. 185 & 186.*	*Hauz Khas*	*South*
16	*Gate and walls of Mubarakpur, Kotla in village Mubarakpur, Kotla*	*Kotla Mubrakpur Village*	*South*

1	*2*	*3*	*4*
17	*Tcmb and Mosque of Maulana Jamali Kamali*	*Mehrauli*	*South*
18	*Tcmb of Sultan Ghari*	*Malikpur Kothi opposite Vasant Kunj*	*South*
19	*Walls, gateways bastions and internal buildings of both inner and outer citadels of Tughlakabad Fort*	*Tughlaqabad*	*South East*
20	*Khirkee Masjid*	*Khirki Village near Malviya Nagar*	*South*
21	*Tomb of Khan-i-Khana*	*Nizamuddin*	*South East*
22	*Bara Pulah bridge near Nizammudin*	*Nizamuddin*	*South East*
23	*The Nila Chhatri or Sabz Burj, once used as a Police Station at Nizam-ud-Din.*	*Nizamuddin*	*South East*
24	*The Chausath Khamba or tomb of Mirza Aziz Kokaltash*	*Nizamuddin*	*South East*
25	*The Grave of Jahanara Begum*	*Nizamuddin-*	*South East*
26	*The Grave of Muhammad Shah*	*Nizamuddin.*	*South East*
27	*The Grave of Mirza Jahangir*	*Nizamuddin*	*South East*
28	*Bara Khamba outside north entrance to shrine*	*Nizamuddin*	*South East*
29	*Gateways of RaiPithoria's Fort*	*LadoSarai Village*	*south*
30	*Walls of Lal Kot and Rai Pithora's fort from Sohan Gate to Adham Khan's tomb including the ditch where there is an outer wall*	*Mehrauli*	*South*

1	*2*	*3*	*4*
31	*Walls of LalKot and RaiPithora's fort at the point where they meet together, near Jamali Kamali*	*Mehrauli*	*South*
32	*Wall of RaiPithora's fort including gateways and bastions, near BaghNazirto a bastions immediately to North of Qutb-Tughlaqabad Road.*	*Mehrauli*	*South*
33	*Bastion, where a wall of Jahanpanah meets the wall of RaiPithora's fort,Adchini*	*Adchini*	*South,*
34	*Ramp and gateways of RaiPithora's Fort, Adchini*	*Adchini*	*South*
35	*Wall of RaiPithora's Fort and Jahanpanah at the point where they meet together*	*Hauz Rani Village*	*South*
36	*Badaun Gates,*	*LadoSarai Village*	*South*
37	*A Gateway of Lalkot,*	*LadoSarai Village*	*South*
38	*Old Baoli known as Diving Wall in Mauza locally known as (Gandhak-ki-baoli), Mehrauli*	*Mehrauli*	*South*
39	*Walls, gate and bastions of Adilabad (Muhammadabad) and causeway leading there to from Tughlaqabad.*	*Tughlaqabad*	*South East*
40	*Bijay Mandal, neighbouring domes, buildings and dalan to north of Begumpur*	*Malviya Nagar*	*South*
41	*Jahaz Mahal in Mehrauli*	*Mehrauli Village*	*South*
42	*Kala Gumbad*	*Kotla Mubrakpur Village*	*South*

1	*2*	*3*	*4*
43	*Inchla Wali Gumti*	*Kotla Mubrakpur Village*	*South*
44	*Tombs of Bade-Khan, and Mubarakpur Kotla, Kotla*	*Kotla Mubrakpur Village*	*South*
45	*Tombs of Chote Khan, Mubarakpur, Kotla*	*KotlaMubrakpur Village*	*South*
46	*Begumpuri Masjid*	*Begumpur*	*South*
47	*Nai-ka-kot in Tughlaqabad*	*Tughlaqabad*	*South East*
48	*Tomb of GhiyasuddinTughlaqabad. walls and bastions, gates and causeway including the tomb of Daud Khan*	*Tughlaqabad*	*South East*
49	*Hauz Shamsi, with central red stone pavilion situated at Mehrauli in field Nos. 1574-81, 1588-97, 1614, 1623 & 1624, owner Government*	*Mehrauli*	*South*
50	*Tomb of Sheikh Kabir-ud-Din also known as RakabwalaGumbad in field no.84 min. situated at sarai Shah 31 property of Thoks Shahpur and Adhehini*	*Malviya Nagar*	*South*
51	*Tomb of Usuf-Qattal situated at Khirki*	*Khirki Village near Malviya Nagar*	*South*
52	*Old Palace of Bahadur Shah II alias Lal Mahal in Mehrauli*	*Mehrauli Village*	*South*
53	*Tomb of Bahlol Lodi*	*Chirag Delhi*	*South*
54	*Tomb of Mubarik Shah in Mubarikpur, Kotla*	*Kotla Mubrakpur Village*	*South*

1	2	3	4
55	*Internal buildings of Siri Mohammadi wali-Kh. No. 14 ShahpurJat Makhdumki Kh. No. 255 ShahpurJat Thana wala ShahpurJat*	*ShahpurJat Village*	*South*
56	*NiliMosque*	*HauzKhas Enclave*	*South*
57	*Tomb of Mohammad Tughlak Shah at Tughlaqabad*	*Tughlaqabad*	*South East*
58	*Walls of old City of Tughlaqabad.*	*Tughlaqabad*	*South East*
59	*Satpula-III-216*	*Khirki Village near Malviya Nagar*	*South*
60	*Tomb of MirzaMuzaffer, Chota Batasha*	*Nizamuddin*	*South East*
61	*Unknown tomb*	*Nizamuddin*	*South East*
62	*Baoli, Munirka*	*Munirka*	*South*
63	*Munda Gumbad, Munirka*	*Munirka*	*South*
64	*Unnamed Mosque, Munirka, 314*	*Munirka*	*South*
65	*Unnamed Tomb, Munirka 313*	*Munirka*	*South*
66	*Unnamed Tomb, Munirka 315*	*Munirka*	*South*
67	*Unnamed Tomb, Munirka 316*	*Munirka*	*South*
68	*Unnamed Tomb, Munirka 317*	*Munirka*	*South*
69	*Wall mosque at Mehrauli*	*Mehrauli*	*South*
70	*i. Unnamed Mosque, Munirka 321* *ii. Unnamed Mosque, Munirka 322*	*Munirka*	*South*
71	*Tomb with three domes near Rly. Station*	*Nizamuddin*	*South East*

1	2	3	4
72	Wazir Pur-ki-Gumbad, Munirka 312	Munirka	South
73	Tomb of MirzaMuzaffar, Bara Batasha	Nizamuddin	South East
74	Unnamed tomb, Mohammad Pur Village	Mohammad Pur Village	South
75	Tin Burji Wala Gumbad, Mommad Pur Village	Mohammad Pur Village	South
76	Bandi or PotikaGumbad III-280	HauzKhas %'	South
77	ChorMinarNo. 289 Vol III	HauzKhas	South
78	Idgah of Kharehra	HauzKhas Enclave	South
79	Lai Gumbad, Chirag Delhi	Chirag Delhi	South
80	Tomb of Amir Khusro	Nizamuddin	South East
81	Baoli	Nizamuddin	South East
82	Tomb of NizamuddinOlia	Nizamuddin	South East
83	Bag-i-AlamGumbad with a Mosque	Humayunpur Village (Hauz Khas)	South
84	Kali Gumti	HauzKhas	South
85	Tohfewala Gumbad	Humayunpur Village (Hauz Khas), ShahpurJat	South
86	Bara Khamba-285	HauzKhas	South
87	Biran-Ka-Gumbad-282	HauzKhas	South

1	2	3	4
88	Biwi or Dadi-ka-Gumbad-281	HauzKhas	South
89	Choti Gumti	HauzKhas .	South
90	Sakri Gumti-284	HauzKhas Enclave near Green Park	South
91	MandiMosque	LadoSarai Village	South
92	Rajon-ki-Bain with Mosque and Chatri	LadoSarai Village	South
93	Tomb of Tagah or Atgah Khan	Nizamuddin	South East
94	Tomb of Bhure Khan	KotlaMubrakpur Village	South
95	Enlosure containing the tomb of Shah Alam Bahadur Shah, Shah Alam II and Akbar Shah II	Mehrauli	South 1
96	Moti Masjid	Mehrauli Village	South
97	Arab Sarai	Near Humayun's Tomb	South East
98	LakkarwalaGumbad (Tomb)	Near Humayun's Tomb	South East
99	Sunderwala Burj	Near Humayun's Tomb	South East
100	Sunderwala Mahal	Near Humayun's Tomb	South East
101	Mosque attached to Mubarak shah Tomb	Kotla Mubrakpur Village	South

1	2	3	4
102	*Ruined line of walls, bastions & gateways of sir iKh. No. 88, 265 &447 of village ShahpurJat*	*ShahpurJat Village*	*South*
103	*Mound known as JogaBai*	*Jamia Nagar*	*South East*
104	*Ashokan Rock Edict at Bahapur*	*East of Kail ash*	*South East*
105	*AncientMosque (Babur'sPeriod) togetherwith adjacent area comprised in part of Survey plot No. 177*	*Palam Village*	*South West*
106	*Group of monuments atSaraiShahji*	*Malviya Nagar*	*South*
107	*Unknowntombsaid to be of Azim Khan*	*LadoSarai Village*	*South*
108	*Fortification Wall Asad Burj, Water gate, Delhi Gate, Lahori Gate, Jahangiri Gate, Chhattra Bazar, Baoli*	*Red Fort*	*Central*
109	*Salimgarh Fort, comprising the main gate on North, Ancient structure near the main gate and the entire fortification wall*	*Red Fort*	*Central*
110	*Area between Balban Khan's Tomb & Jamali Kamali*	*Lado Sarai*	*South*
111	*Mazar of Mirza Ghalib*	*Nizamuddin*	*South East*

परिशिष्ट 'ख'

Details of Action Taken Against Encroachments to the Centrally Protected Monuments

Sl. No.	Name of the monuments/sites	Location	Remarks
1	Lal Gumbad	Chirag Delhi	Encroachment have been removed in the year 2005 except foi mosque, a room and toilet block. The monument is being restored.
2.	Begumpur Mosque	Begumpur village	Encroachment have been removed partly-ih the year 2006.
3.	Arab-Ki-Sarai	Nizamuddin	Encroachment have been removed in the year 2005
4.	Nila Gumbad	Near Plumayun's Tomb	Encroachment have been removed in the year 2003.
5.	Bara Khamba	Nizamuddin	Encroachment have been removed in the 2002.
6	Red Fort	Chandni Chowk	Encroachment have been removed in the year 2003 from petty market area located outside Red Fort from the land taken over by the Archaeological Survey of India for care and maintenance.
7.	Chhotey Khan, Bhure Khan and Bare Khan Tomb	Kotla Mubarak Pur	Encroachment have been removed in the year 2004. The matter is subjudice in the Hon'ble High Court of Delhi.
8.	Tughsuqabad Fort	Tughluqabad Village	Encroachment removed in the year 2001 partly. The matter is subjudice in the Hon'ble High Court of Delhi
9.	Chhota Batashawala and Barabtashewala near Humayun's Tomb	Nizammuddin	Unauthorized construction removed in year, 2011

परिशिष्ट 'ग'

Delhi Circle: Number of Demolation notices issued under 19(1) & 19(2) of AMASR Act, 1938

Sl. No.	Name of Monument	Show Cause Notice issued	Request to DG ASI for 19(1)	19(1) issued by DG, ASI	Request to DG ASI for 19(2)	19(2) demolition order issued by DG, ASI	Present Status
1	Nila Gumbad, Haste Khas	Nil	-	-	-	-	Encroached
2	Ancient Mosque, Palam	Nil	-	-	-	-	Encroached
3	Tughuluqabad Fort	485	461	421	421	344	The Extent of encraochement is being demarcated through total station method by the Revenue Authority (SDM Kalkaji) in Compliance of direction of the Hon'ble High Court.

4	***Begampuri Masjid, Begampuri***	***84***	***41***	***41***	***41***	***41***	***Except mosque the area is fully encroached.***
5	***Sarai Shahji, Near Shivalik Malviyanagar***	***260***	***260***	***260***	***260***	***260***	***Fully encroached except Mahal***
6	***Joga Bai Mound***	***00***	***00***	***00***	***00***	***00***	***Fully encroached proposed for de-protection***
7	***Atgah Khan Tomb, H. Nizamuddin***	***20***	-	-	-	-	***Basement/Crypt encroached. These encroachers are to be rehabitat by AKTC***
	Total	*851*	*762*	*722*	*722*	***645***	

153. श्री विशेष रविः क्या **समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) करोल बाग विधान सभा में वर्ष, 2017 से अब तक कितने पेंशनधारकों की पेंशन किसी भी कारण से रूकी और फिर कुछ समय में चालू हो गयी, उस अवधि का वह पेंशन बंद हुई है जब फिर से शुरू हुई, सहित पूर्ण विवरण क्या है;

(ख) क्या यह सत्य है कि विधवा पेंशन का फार्म जमा होने के उपरांत विभाग एनएफबीएस फार्म के आवेदन नहीं लेता है;

(ग) पेंशनधारकों को बढ़ी हुई पेंशन न मिलने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह भी सत्य है कि किसी पेंशनधारक की पेंशन दो महिने तक न आने के उपरांत पेंशन दोबारा शुरू होने पर विभाग पिछले दो महिने की रूकी हुई पेंशन राशि नहीं देता है;

(ङ) दिल्ली गेट स्थित विभाग के जिला कार्यालय में विधवा पेंशन खिड़की के बाहर एसी ब्लोअर लगे होने, पेंशन धारकों के वेटिंग हाल में एसी लगाने तथा पानी की मशीन में गंदगी की शिकायत पर की गई कार्यवाही के संबंध में स्थानीय विधायक द्वारा माननीय समाज कल्याण मंत्री के साथ हुए पत्राचार का विवरण क्या है?

समाज कल्याण मंत्री : (क) विभाग द्वारा किसी भी लाभार्थी की पेंशन रोकी नहीं जाती, अपितु बैंक द्वारा निम्न कारणों से लाभार्थी की पेंशन विभाग को वापस कर दी जाती है, जो कि आवश्यक सुधार के बाद बकाया राशि सहित लाभार्थियों के बैंक खातों में पुनः प्रेषित कर दी जाती है।

कारणः—

1. बैंक खाता बंद/स्थानांतरित होने पर।
2. बैंक खाता उपलब्ध न होने पर।
3. बैंक खाते का मिलान न होने पर।
4. विविध।
5. आधार निष्क्रिय होने के कारण।
6. आधार डाटावेस में उपलब्ध न होने के कारण।
7. आधार अवैध होने के कारण।

वर्ष 2017 से अब तक कुल रिर्टन केसों का विवरण निम्न प्रकार है—

वृद्धावस्था पेंशन — 269

विकलांग पेंशन — 18

लाभार्थियों का विवरण सीडी में संलग्न है।

(ख) जी नहीं।

(ग) विभाग द्वारा बढ़ी हुई पेंशन राशि केवल आधार लिंक खातों में ही प्रेषित की जा रही है। अतः जिन लाभार्थियों का खाता आधार से लिंक है उन सभी को बढ़ी हुई पेंशन राशि मिल रही है। बाकी सभी लाभार्थियों को अपने आधार नम्बर को अपने बैंक खाते से सब्सिडी पाने हेतु ***NPCI Portal*** पर लिंक करवाने की सलाह दी जाती है।

(घ) जी नहीं। यदि किसी कारणवश लाभार्थी की पेंशन रूक जाती है तो उस समस्या का निवारण करके बकाया राशि सहित पेंशन प्रेषित कर दी जाती है।

(ङ) विधवा पेंशन खिड़की के बाहर लगे ब्लोअर व पीने के पानी की मशीन व्यवस्थित कर दी गई है। वेटिंग हॉल में एसी लगवाने की कोई योजना वर्तमान, में विचाराधीन नहीं है।

154. श्री पवन शर्मा : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले 15 वर्षों में दिल्ली सरकार के पर्यटन विभाग ने नौकायन गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाएं;

(ख) नौकायन गतिविधियों पर सरकार का सालाना खर्च और आमदनी का विवरण क्या है;

(ग) किन–किन झीलों, जलाशयों और पर्यटन स्थलों पर नौकायन गतिविधियां की जाती है; और

(घ) भलस्वा झील, नैनी झील, पुराना किला झील और संजय झील में कितनी नौकाएं चलाई जा रही हैं?

पर्यटन मंत्री : (क) पिछले 15 वर्षों से डीटीटीडीसी निम्नलिखित झीलों में नौकायन गतिविधि प्रदान कर रहा हैः–

1. कृषि भवन

2. मान सिंह रोड़

3. भल्स्वा झील

4. संजय झील, मयूर विहार

दिल्ली पर्यटन नैनी झील, मॉडल टाउन और पुराने किले में नौकायन भी आयोजित कर रहा था लेकिन क्रमशः उत्तर एमसीडी और एएसआई के साथ समझौते की समाप्ति के कारण अगस्त 2016 में नौकायन रोक दिया गया है। जब एएसआई ने पुराने किले में नोका विहार के लिए निविदा आमंत्रित किया तो दिल्ली पर्यटन ने अपनी बोली भी पेश की। एएसआई ने एकल बोली को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।

(ख) पिछले 5 वर्षों की वार्षिक व्यय और आय निम्न अनुसार हैः—

वर्ष	आय	व्यय
2013—14	70,94,895	1,27,87,655
2014—15	1,00,87,403	1,43,47,219
2015—16	1,05,34,124	1,40,66,705
2017—18	56,00,459	1,44,39,453

(ग) वर्तमान में दिल्ली पर्यटन निम्न झीलों/तलाबों पर नौकायन गतिविधियों को प्रदान कर रहा हैः—

1. कृषि भवन, बोट क्लब, इंडिया गेट
2. मान सिंह रोड़, इंडिया
3. भल्स्वा झील
4. संजय झील

(घ) विभिन्न झीलों में कार्यरत नौकाओं की संख्या निम्नानुसार हैः–

1. कृषि भवन, बोट क्लब–

   पेडल बोट – 26

   रोइंट बोट – 02

2. मान सिंह रोड़, बोट क्लब

   पेडल बोट – 34

   राइंट बोट – 05

3. भल्सवा झील

   मोटर बोट – 01

   पेडल बोट – 03

   क्याक कैनो – 04

4. संजय झील

   पेडल बोट – 20

5 नैनी झील एवं पुराना किला झील में बोटिंग नहीं हो रही है।

155. श्रीमती प्रमिला टोकस : क्या **समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों को वित्तीय सहायता की योजना इस वर्ष तक बढ़ा दी गई थी;

(ख) यदि हाँ, तो इसमें जुड़े लाभार्थियों की संख्या और पेंशन राशि में हुई वृद्धि सहित इसका पूर्ण विवरण क्या है;

(ग) वर्ष 2017–18 से अब तक इस योजना में कुल कितने वर्तमान सक्रिय लाभार्थी हैं और कितने लाभार्थियों को विभिन्न कारणों से इस योजना से हटा दिया गया है, इस सूचना को टैबूलर फॉर्म में, योजना से हटाए जाने के कारणों की श्रेणियां इंगित करते हुए प्रदान करें;

(घ) वर्ष 2016–17 से अब तक कितने आवेदन प्राप्त हुए, योजना में कितने लाभार्थी जुड़े;

(ङ) वर्ष 2016–17 से प्रत्येक महिने का पेंशन वितरण का तिथियों/शैड्यूल सहित पूर्ण विवरण क्या है;

(च) एक वर्ष के भीतर अभ्यार्थियों को चुनने, आवेदन को प्रोसेस करने की शैड्यूल तथा पेंशन अवार्ड करने की क्या प्रक्रिया है;

(छ) यदि रिक्ति न होने के कारण किसी अभ्यर्थी को पेंशन हेतु नहीं चुना जाता है तो क्या उसका मामला अगले राउंड में पेंशन अवार्ड करते समय विचार हेतु लिया जाता है;

(ज) युनिवर्सल कवरेज हेतु दिल्ली में उम्मीदवारों की अनुमानित संख्या है;

(झ) अब तक कितने लाभार्थी आधार से लिंक हैं;

(ट) लाभार्थियों को भुगतान करने की क्या प्रक्रिया है;

(ठ) आधार लिंग के अभाव में कितने लाभार्थियों को किस अवधि के लिए पेंशन का भुगतान नहीं किया गया;

(ड) पात्र लाभार्थियों के फिजीकल वैरीफिकेशन की क्या प्रक्रिया है;

(ढ) वर्ष 2016–17 व 2017–18 में कितने लाभार्थी फिजीकल वैरीफिकेशन में पात्र नहीं पाए गए;

(ण) क्या उनके केसों को सिस्टम से हटा दिया गया और उनकी पेंशन रद्द कर दी गई;

(त) उन आवेदकों के विरूद्ध द्वारा की गई दंडात्मक कार्यवाही का विवरण क्या है;

(थ) लाभार्थियों व आवेदकों से शिकायतें प्राप्त करने का या मैकेनिज्म है; और

(द) वर्ष 2016–17 से अब तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुई और कितनी शिकायतों का निवारण कर दिया गया?

समाज कल्याण मंत्री : (क) और (ख) यह योजना निरंतर चलती रहती है। फरवरी, 2017 से विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों को वित्तीय सहायता रुपए 1500 प्रति माह से बढ़ाकर रुपए 2500 प्रति माह कर दी गई। वर्तमान में कुल 76346 व्यक्ति इस योजना से लाभान्वित हैं। जिसमें से कुल 57596 लाभार्थियों को बढ़ी हुई दर से पेंशन दी जा रही है। जिनका विवरण सी डी में संलग्न हैं।

(ग) वर्ष 2017–18 से अब तक इस योजना में कुल 76347 वर्तमान सक्रिय लाभार्थी हैं। योजना के अंतर्गत किसी भी लाभार्थी को हटाया नहीं जाता केवल मृत लाभार्थियों को ही योजना से हटाया जाता है।

---

[1] संलग्नक ***www.delhiassembly.nic.in*** पर उपलब्ध हैं।

वर्ष 2017–18 में मृत लाभार्थियों की कुल संख्या 475 है।

(घ) वर्ष 2016–17 से अब तक कुल 22216 आवेदन प्राप्त हुए तथा कुल 14401 लाभार्थी जुड़े।

(ङ) वर्ष 2016–17 से प्रत्येक महीने का पेंशन वितरण का तिथियों/शैड्यूल सहित पूर्ण विवरण संलग्न है।

(च) योजना के अंतर्गत सभी आवेदन ***edistrict Portal*** पर स्वीकार किए जाते हैं, उसके पश्चात् योजना की पात्रता के अनुसार डाटा एंट्री आपरेटर के द्वारा ऑनलाइन आवेदनों की स्क्रुटनी की जाती है। इसके बाद कल्याण अधिकारी द्वारा आवेदनों का सत्यापन किया जाता है और अंतिम स्वीकृति/अनुमोदन जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा दी जाती है। योग्य पाए गए आवेदकों की पेंशन ***PFMS*** माध्यम से उनके बैंक खातों में सीधे प्रेषित की जाती है।

(छ) विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों को दी जाने वाली पेंशन में कोई निर्धारित क्षमता नहीं है इसलिए पेंशन रिक्तियों पर आधारित नहीं है। योजना में सभी पात्र आवेदकों को पेंशन दिए जाने का प्रावधान है।

(ज) ऐसा कोई सर्वेक्षण विभाग में उपलब्ध नहीं है।

(झ) अब तक कुल 57596 लाभार्थी आधार से लिंक हैं।

(ट) पेंशन का भुगतान ***Public Financial Management System (PFMS)*** के माध्यम से लाभार्थी के सत्यापित बैंक खातों में किया जाता है।

(ठ) आधार लिंक के अभाव में किसी भी लाभार्थी की पेंशन का भुगतान रोका नहीं गया है।

(ड) वर्तमान में दस्तावेजों के अनुसार ही पेंशन स्वीकृत या निरस्त की जाती है, केवल संदेहास्पद स्थिति में ही 5 प्रतिशत आवेदनों में भौतिक सत्यापन (फिजीकल वैरीफिकेशन) किया जाता है।

(ढ) से (त) वर्ष 2016–17 व 2017–18 के दौरान भौतिक जांच नहीं की गई है।

(थ) लाभार्थियों व आवेदकों से शिकायतें पत्राचार, जनसंपर्क खिड़की, पीजीएमएस पोर्टल, पीजीसी, आरटीआई, वीआईपी पत्राचार इत्यादि के माध्यम से प्राप्त की जाती हैं।

(द) चूंकि एक व्यक्ति अलग–अलग माध्यम से शिकायत दर्ज करता है अतः एक निश्चित संख्या नहीं बताई जा सकती। किंतु सभी प्राप्त शिकायतों का निवारण शीघ्रता पूर्ण कर दिया जाता है।

वर्ष 2016–17 से अब तक प्रत्येक महीने का पेंशन वितरण का विवरण

पेंशन अवधि	लाभार्थियों की संख्या	भुगतान का माह
अप्रैल 2016–जून, 2016	65740	जून, 2016
जुलाई, 2016	66570	अगस्त, 2016
अगस्त, 2016	67310	सितम्बर, 2016
सितम्बर, 2016	67829	अक्तूबर, 2016
अक्तूबर, 2016	68690	नवम्बर, 2016
नवम्बर, 2016	69403	दिसम्बर, 2016

पेंशन अवधि	लाभार्थियों की संख्या	भुगतान का माह
दिसम्बर, 2016	69729	जनवरी, 2017
जनवरी, 2017	70179	फरवरी, 2017
फरवरी, 2017	70814	मार्च, 2017
मार्च, 2017	71581	मार्च, 2017
अप्रैल, 2017—मई, 2017	72689	जून, 2017
जून, 2017—जुलाई, 2017	73470	अगस्त, 2017
अगस्त, 2017—सितम्बर, 2017	74746	अक्टूबर, 2017
अक्टूबर, 2017—नवम्बर, 2017	74905	दिसम्बर, 2017
अक्टूबर, 2017—नवम्बर, 2017	698 (नए केस)	जनवरी, 2018
दिसम्बर, 2017—जनवरी, 2017	71172	फरवरी, 2018
दिसम्बर, 2017—जनवरी, 2018	2498 (वर्तमान)	मार्च, 2018
दिसम्बर, 2017—जनवरी, 2018	878	मार्च, 2018

156. श्री अजेश यादव : क्या **उपमुख्यमंत्री/मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (डीसीपीसीआर) सभी स्कूलों का मूल्यांकन करने के विषय में विचार कर रहा है;

(ख) क्या यह निर्णय आरटीई सलाहार परिषद् के स्तर पर लिया जाता है;

(ग) यदि हाँ, तो इस प्रस्ताव का, स्कूलों के मूल्यांकन के मानदंड सहित पूर्ण विवरण क्या है; और

(घ) स्कूलों के मूल्यांकन की कवायद की क्या समय सीमा है?

उपमुख्यमंत्री : (क) जी हां।

(ख) जी हाँ, 01 नवम्बर, 2017 की आरटीई सलाहकार परिषद् की उपमुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया की डीसीपीसीआर सभी विद्यालयों का मूल्यांकन करेगा।

(ग) मूल्यांकन मापदंडो एवं अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में निर्णय लेने के लिए संबंधित एजेन्सी यथा शिक्षा विभाग दिल्ली सरकार, तीनो नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका एवं दिल्ली केंटोन्मेंट बोर्ड से विचार विमर्श किया जा रहा है।

(घ) दिल्ली सरकार की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत सात मास में मूल्यांकन कार्य पूरा किया जाना प्रस्तावित है।

157. श्री रामचन्द्र : क्या **उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली लाडली योजना को कब शुरू किया गया;

(ख) इस योजना का क्या उद्देश्य था;

(ग) इस योजना से लाभान्वित कन्याओं की संख्या का वर्षवार विवरण क्या है;

(घ) इस योजना का नवीनीकरण किन–किन स्टेजों पर किया जा सकता है;

(ङ) यदि किसी कन्या से कोई स्टेज छूट जाती है तो क्या उसे योजना के परिपक्व होने पर उसका पूर्ण लाभ मिलता है;

(च) इस योजना पर अब तक खर्च की गयी राशि का वर्षवार विवरण क्या है;

(छ) इस योजना के अंतर्गत बैंक को दी गयी राशि के लाभार्थी के खाते में पूर्णतः स्थानांतरित होने के लिए क्या मानदंड है; और

(ज) परिपक्वता राशि का जिस उद्देश्य के लिए जारी की गयी थी उसमें इस्तेमाल हो जाये इसे जांचने हेतु क्या विभाग के पास कोई मैकेनिज्म है?

उपमुख्यमंत्री : (क) दिनांक 01.01.2008 को 'लाडली योजना' का आरंभ किया गया।

(ख) लाडली योजना का उद्देश्य हैः–

* कन्या भ्रूण हत्या को नियंत्रित करना और लिंग अनुपात में सुधार करना।
* बालिका शिशु को सामाजिक रूप से तथा आर्थिक रूप से सशक्त करना।

* लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना तथा उनके स्कूल छोड़ देने की दर को कम करना।

* बालिका शिशु के विरूद्ध भेदभाव को समाप्त करना।

(ग) योजना से लाभान्वित कन्याओं की संख्या का वर्षवार विवरण निम्नप्रकार है:—

क्रम सं.	वित्त वर्ष	जन्म के समय	कक्षा 1 में	कक्षा 6 में	कक्षा 9 में	कक्षा 11 में	कक्षा 12 में	लाभार्थियों की संख्या
1.	2008—09	20242	23747	32120	31342	35	17851	125337
2.	2009—10	23871	20631	30043	30443	15688	19147	139823
3.	2010—11	20793	17071	24616	28238	6108	8911	105737
4.	2011—12	17738	18757	31116	24702	1646	12626	106585
5.	2012—13	19577	21261	30523	13893	8906	2640	96800
6.	2013—14	17869	21372	24999	14727	7146	3133	89246
7.	2014—15	17812	18396	22005	15861	5676	2919	82669
8.	2015—16	14579	18155	21551	14889	4177	1495	74846
9.	2016—17	एसबीआईएल की तरफ से डाटा लंबित है						68193

(घ) योजना का नवीनीकरण निम्न स्टेजों पर किया जा सकता हैं:–

* कक्षा 1 में प्रवेश पर
* कक्षा 6 में प्रवेश पर
* कक्षा 9 में प्रवेश पर
* कक्षा 11 में प्रवेश पर
* कक्षा 12 में प्रवेश पर

(ङ) नहीं, ऐसी स्थिति में जितने भी सफल नवीनीकरण होते है, उनके आधार पर परिपक्वता राशि का ब्याज सहित भुगतान किया जाता है।

(च) योजना पर अब तक खर्च की राशि का वर्षवार विवरण निम्नप्रकार है:–

क्र.सं.	वित्त वर्ष	खर्च की गई राशि (रु. करोड़ में)
1	2	3
1.	2008–09	86.44
2.	2009–10	86.97
3.	2010–11	89.26
4.	2011–12	92.90
5.	2012–13	95.50

1	2	3
6.	2013—14	103.88
7.	2014—15	95.64
8.	2015—16	101.92
9.	2016—17	96.67
10.	2017—10	99.00 (अनुमानित)

(छ) लाड्ली योजना की परिपक्वता राशि बालिका को कम से कम 10वीं कक्षा या 12वीं कक्षा पास कर लेने और 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर दी जाती है। लाड्ली योजना परिपक्वता राशि एकमुश्त रूप में दी जाती है। परिपक्वता राशि प्राप्त करने के लिए बालिका का भारतीय स्टेट बैंक में खाता होना अनिवार्य है। परिपक्वता राशि प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित दस्तावेज सम्बंधित महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यालय में जमा करना होता है:—

(क) एसबीआईएल द्वारा जारी प्राप्तिप्रति (***Acknowledgement receipt***) की फोटोकॉपी।

(ख) 10वीं एवं 12वीं पास की मार्कशीट/सर्टीफिकेट की फोटोकॉपी।

(ग) आवेदक के भारतीय स्टेट बैंक खाते की पासबुक की फोटोकॉपी।

(ज) लाड्ली योजना का उद्देश्य लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना तथा उनके स्कूल छोड़ देने की दर को कम करना है। दिल्ली सरकार

की लाड्ली योजना न्यूनतम हस्तक्षेप नीति पर आधारित है। यह राशि बालिका के कल्याण में ही खर्च हो इसलिए इसका भुगतान बालिका के खाते में किया जाता है।

158. श्री अजय दत्त : क्या **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले 5 वर्षों में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा कितने विकेन्द्रित एसटीपी लगाये गये हैं; और

(ख) इन एसटीपीज को लगाने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों (कनिष्ठ अभियन्ता से लेकर मुख्य अभियन्ता तक) का उनके नाम व पद नाम सहित पूर्ण विवरण क्या है?

मुख्यमंत्री : (क) दिल्ली जल बोर्ड द्वारा पिछले पांच सालों में एक विकेन्द्रित एस.टी.पी. स्थापित किया गया है, जो कि दिल्ली जल बोर्ड कार्यालय, वरूणालय भवन फेस–1, झण्डेवालान में स्थित हैं।

(ख) इस एस.टी.पी. के लगाने के लिये जिम्मेदार अधिकारियों के नाम व पद का विवरण निम्नलिखित हैं:–

1. श्री एस.सी. जैन, मुख्य अभियन्ता (ड्रेनेज) प्रोजेक्ट–1
2. श्री राकेश साहनी, अधीक्षण अभियन्ता (ड्रेनेज) प्रोजेक्ट पश्चिम एवं मध्य।
3. श्री बी. पी. सारसवत, अधिशासी अभियन्ता (निर्माण) ड्रेनेज–2
4. श्री गजेन्द्र तोमर, अधिशासी अभियन्ता (निर्माण) ड्रेनेज–2

5. श्री अनिल त्यागी, सहायक अभियन्ता (निर्माण) ड्रेनेज–2

6. श्री राजेश बंसल, कनिष्ठ अभियन्ता (निर्माण) ड्रेनेज–2।

159. श्री जगदीप सिंह : क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली आयोग के बाल अधिकार संरक्षण आयोग (डीसीपीसीआर) की एक टीम ने दिसंबर, 2017 में जहांगीर पुरी में प्रयास बाल गृह का निरीक्षण किया;

(ख) यदि हाँ, तो निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतिलिपि;

(ग) इस निरीक्षण के दौरान देखे गए कमी को दूर करने के लिए क्या कार्रवाई की गई;

(घ) विभाग में अधिकारी का नाम, जो डीसीपीसीआर की निरीक्षण रिपोर्ट पर कार्य करने के लिए जिम्मेदार था;

(ङ) जहांगीर पुरी में प्रयास बाल गृह के लाइसेंस का वर्तमान दर्जा;

(च) क्या डीसीपीसीआर से निरीक्षण रिपोर्ट इस फैसले का आधार बन गई है;

(छ) यदि लाइसेंस दिया गया है, तो इसकी अंतिम नवीनीकरण या अनुदान की तिथि;

(ज) यदि लाइसेंस आवेदन अभी भी लंबित है, जिसके पास फाइल की लंबित फाइल है, उस अधिकारी का नाम?

महिला एवं बाल विकास मंत्री : (क) जी हाँ, यह सच है कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा प्रयास बाल गृह का निरीक्षण किया गया।

(ख) निरीक्षण रिपोर्ट के लिए अनुलग्नक (क)* का अवलोकन करे।

(ग) इस संदर्भ में सूचित किया जाता है की, दिल्ली को महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा प्रयास बाल गृह को दिनांक 05.01.2018 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया जिसके सम्बन्ध में प्रयास बाल गृह के प्रभारी द्वारा विभाग को लिखित रूप से स्पष्टीकरण दिनांक 08.01.2018 को प्राप्त हुआ तदुपरांत समय–समय पर बाल कल्याण समिति, जिला अधिकारी तथा राज्य निरीक्षण समिति के द्वारा कोताही/कमियों के अवलोकन उपरांत सुधारों के बारे में विभाग को अवगत किया जाता रहता है।

इसके अतिरिक्त, इस संदर्भ में यह सूचित करना प्रासंगिक होगा कि माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली के समक्ष दिल्ली के बाल गृहों के संचालन एवं प्रदान किये जाने वाली सेवाओं से संबंधित मुकदमा विचाराधीन है जिसके अंतर्गत माननीय उच्च न्यायालय स्वं प्रयास बाल गृह में दी जाने वाली सेवाओं के सतत विकास और प्रगति कि निगरानी कर रहा है। माननीय उच्च न्यायालय ने इस सन्दर्भ में एमीकस कुरिए (फ्रेंड ऑफ कोर्ट) नियुक्त कि है जो समय–समय पर प्रयास बाल गृह जहांगीर पूरी का आकस्मिक निरीक्षण करते रहते है, और इस संदर्भ में न्यायालय के समक्ष निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करते है। डब्ल्यूपी (सिविल) संख्याः 1998/2017.

(घ) दिल्ली सरकार के विभागों में किसी प्रकार के निर्णय लेने के लिए अनुक्रम का पालन किया जाता है तथा संबंधित सचिव व निदेशक (विभाग

** www.delhiassembly.nic.in* पर उपलब्ध।

का प्रमुख) समस्त कार्यो के कार्यान्वयन एवं संचालन हेतु उत्तरदायी होता है।

(ङ) प्रयास बाल गृह को किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत 23.05.2017 से 22.05.2022 तक पंजीकृत किया गया है। निम्नलिखित प्रतिलिपि संलग्न है*

1. नवीनतम पंजीकृत प्रमाण पत्र के लिए अनुलग्नक (ख) का अवलोकन करे।

2. संबंधित निरीक्षण रिपोर्ट के लिए अनुलग्नक (ग)* का अवलोकन करे।

(च) जी नहीं! डीसीपीसीआर की निरीक्षण रिपोर्ट इस फैसले का आधार नहीं है! किसी भी संस्था के पंजीकरण के लिए जिला अधिकारी एवं बाल कल्याण समिति की निरीक्षण रिपोर्ट को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए भेजा जाता है। तदुपरांत किसी भी संस्था को पंजीकृत किया जाता है।

(छ) प्रयास बाल गृह के पंजीकरण की समय अवधि 23.05.2017 से 22.05.2022 है एवं प्रयास बाल गृह को वर्ष 2016–17 तक का अनुदान दिया गया है।

(ज) इस सन्दर्भ में, उत्तर उपरोक्त प्रश्न संख्या (ङ) में वर्णित है! अतः लाइसेंस आवेदन लंबित नहीं है।

---

* सभी संलग्नक ***www.delhi assembly.nic.in*** पर उपलब्ध।

160. सुश्री राखी बिडला : क्या **उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंगोलपुरी विधान सभा में कितने पुस्तकालय हैं;

(ख) नए पुस्तकालय स्थापित करने की क्या प्रक्रिया है, पूर्ण विवरण दें?

उपमुख्यमंत्री : (क) **क.सं. एवं भाषा विभाग** : मंगोलपुरी विधान सभा क्षेत्र में इस विभाग द्वारा दो एनजीओ को पुस्तकालयों के संचालन हेतु अनुदान दिया जाता है:

1. निशुल्क महिला प्रशिक्षण समिति, वाई–ब्लॉक, बस्ती विकास केन्द्र, मंगोलपुरी, दिल्ली–110083.
2. विकलांग सहारा समिति दिल्ली, जी–ब्लॉक, बस्ती विकास केन्द्र, मंगोलपुरी, दिल्ली–110083

इसके साथ ही पंजाबी अकादमी द्वारा मंगोलपुरी विधान सभा में क्षेत्र में एक संयुक्त पुस्तकालय, डी.डी.ए., कम्युनियटी सेंटर, एस.डब्ल्यू.सी., मंगोलपुरी, दिल्ली–110083 चलाया जा रहा है।

(ख) क.सं. एवं भाषा विभाग : विभाग के पैटर्न ऑफ असिस्टेंस के अनुसार दिल्ली के सभी विधान सभा क्षेत्रों में अधिकतम 02 पुस्तकालय खोलने की व्यवस्था है। नया पुस्तकालय खोलने के लिए के लिए कोई भी एनजीओ/आरडब्ल्यूए सम्बंधित विधान सभा क्षेत्र के विधायक की संस्तुति

से आवेदन कर सकता है। आवेदन के उपरांत माननीय मंत्री (क.सं. एवं भाषा) के अनुमोदन के उपरांत नया पुस्तकालय खोला जा सकता है। नया पुस्तकालय खोलने हेतु विभाग द्वारा रु. 1,03,000/– व उसके बाद संच्चालन हेतु प्रति वर्ष रु. 40,000/– दो समान किश्तों में दिए जाते हैं, जिसमें से 70 प्रतिशत किताबें व समाचार पत्र खरीदने हेतु व 30 प्रतिशत सैलरी पर खर्च किया जाना चाहिए। पुस्तकालय में कम से कम 30 व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, समाचार पत्र, मैगज़ीन आदि रखने कि व्यवस्था होनी चाहिए, बिजली–पानी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। एनजीओ/आरडब्ल्यूए द्वारा पाठकों के लिए फर्नीचर उपलब्ध कराया जाना चाहिए व साफ–सफाई का प्रबंध भी होना चाहिए। (पैटर्न ऑफ़ असिस्टेंस की प्रतिलिपि संलग्न है)

इसके अतिरिक्त हिंदी अकादमी भी पुस्तकालय खोलने के लिए योगदान पुस्तकालय खोलने के लिए योगदान करती है। संस्था जिसके पास भवन की व्यवस्था (बिजली–पानी) तथा स्थानीय विधायक से प्रस्ताव पास कर अकादमी के कार्यालय में भिजवाने के उपरांत अकादमी की कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन के उपरांत पुस्तकालय खोला जा सकता है।

GOVERNMENT OF N.C.T. OF DELHI

ART, CULTURE & LANGUAGE DEPARTMENT

THE PATTERN OF ASSISTANCE OF GRANT-IN-AID TO NGOS FOR OPENING OF LIBRARY IN ALL ASSEMBLY CONSTITUENCIES UNDER PLAN HEAD

Preamble

With a view to inculcate the reading habits amongst the public in general and younger population in particular amongst the weaker section of the society. The Govt. of NCT of Delhi decided to provide library facilities in all Assembly Constituencies. Under this scheme, minimum 1 library and maximum 2 libraries are required to be provided in each of 70 constituencies of Delhi Legislative Assembly under the' Bhagidari Scheme. The NGOs who are associated with the Scheme are required to provide sufficient accommodation for 30 readers at a time and also for display of Newspapers, Magazines, Periodicals etc. The NGOs are also required to provicit furniture and fixture according to the need of the readers. It is also ensured that there are healthy and hygienic conditions for the readers in the library.

1. Terms & Conditions of Opening of Libraries:

(a) These Rules will govern the grant-in-aid to NGOs registered under Societies Registration Act, 1860.

(b) Each application for opening of Library shall be submitted by the NGO along with letter of recommendation of the concerned MLAof the area in which the library is proposed to be opened.

(c) Time limit for receiving applications for opening new libraries and release of GIA will be 30th September, 2002 in prescribed Performa.

2. The society will provide accommodation for opening a library where;

a) One room of adequate size to accommodate minimum 30 readers at a time is made available.

b) Sufficient space for display of newspapers, journals, magazines etc. is also available.

c) Cross-ventilation with proper healthy and hygienic condition is available

d) Proper arrangements of electricity should be there, so that it could be used In all seasons and weathers.

3. Quantum of Grant

The Grant-in-aid to the NGOs shall be as uncjor in any financial year subject to availability of funds:-

(a) in the first year, each NGO will be sanctioned grant-in-aid @ Rs.1.03 lakh in two equal installments. 40% of the grant is to be spent on furniture and fixture and 40% to be spent on reading material, newspapers, magazines and remaining 20% will be spent for honorarium to staff. In the subsequent years, each NGO will be sanctioned grant-in-aid upto Rs. 40,000/- per year in two equal installments .out of which 70% will be spent for purchase of magazines and New papers and the remaining 30% will be spent for honorarium of staff. The above mentioned funds will be sanctioned subject to availability of funds.

(b) In any year, the level of grant will not exceed the budget allotment for NGOs as sanctioned by the Govt. of N.C.T. of Delhi including the revised budget allocation if any and will be utilised against items/ schemes that already stand approved by the Govt. of N.C.T. of Delhi.

(c) For expenditure on new items/schemes/any unforeseen items prior approval of Govt. of N.C.T. of Delhi will be necessary.

(d) The books and furniture for the libraries may also be supplied by the Govt. of NCT of De hi under the centrally sponsored scheme of "Raja Ram Mohan Rai "Library Foundation" for setting up libraries.

4. Applications for Grants:

Application for grant in prescribed Performa suall be submitted to the Language Department with th 3 following documents:-

(i) A utilization certificate in respect of grants received during the previous year.

(ii) An audited statement of accounts for previous financial year giving full data is of itemwise expenditure.

(iii) A brief note on the programmes of activities for the current year as well as previous year's activities.

(iv) Simiarly, applications for grants.for the purchase of equipment/furniture shot-Id contain complete details of the equipment/furniture desired to be purchased together with full justification, estimates of cost and the exist ng stock positbn.

(v) Any Droposed new items of expenditure should be specifically broughtto notice so that necessary approval of the Govt. of N.C.T. of Delhi may be obtained.

(vi) Any suppression of facts, mis-statement, false and misleading information furnished to the Language Department will, besides such other action as may be deemed appropriate, render thie NGO's ineligible for further grant and I able to refund the grant secured on such basis earlier.

5. General Conditions for sanction of Grants:

All grants sanctioned under these rules shall be subject to the following term and conditions-

(i) Before a grant is sanctioned, NGOs shall satisfy the Government, about lis aims and objects, financial conditions and satisfactory performance during the preceding year. Its accounts will be open for inspection by any officer as may be authorised in this behalf by Govt. of N.G.T. of Delhi.

(ii) Govt. Df NCT of Delhi will not bear any responsibility/liability in respect of staff employed by NGOs.

(iii) The NGO shall refund the grant to the Government in case of Govenment of NCT of Delhi is satisfied that the NGO is not maintaining efficiently or the grant is not utilized for the purpose for which it was sanctioned.

(iv) The MGO if closed or becomes defunct within one year of the receipt of the grant, shall refund the whole or such part of the grant, as may be determined by the Govt. of N.C.T. of Delhi.

(v) The giant, if not actually released, may be reduced, withheld or withdrawn in case the Govt. of N.G.T. of Delhi is satisfied that there has been breach or nor-fulfillment of any of the conditions laid down in these rules.

(vi) The assets created by the NGO out of the amounts received as grant-in-aid from the Govt. of India or Govt. of N.C.T. of Delhi shall not be transferred, sold, mortgaged or otherwise disposed off without the prior approval of the granting authority.

(vii) Grants for subsequent years will not ordinarily be sanctioned unless the Utilisation certificates of previous grants had/have been duly

submitted by the institution and they have been duly accepted by the Language Department after verification.

(viii) Any dues from the grantee under these rules shall be recoverable as arrears of land revenue.

(ix) The NGO shall exercise all possible economy in the working especially in respect of expenditure out of the grants received from Govt. of NC.T. of Delhi/Govt. of India.

6. Audit

All grants shall he subject to the General Financial Rules, 1963 as amended from time to time and they shall be subject to audit by the Examiner, Local Fund Accounts, Govt. of N.C.T. of Delhi. The cost of such audit shall be borne by the concerned NGO.

7. Execution of Bond:

Before a grant is released, each NGO shall be required to execute a bond to the President of India to say that, it will abide by the conditions of the grant and iri the event of its failing to comply with these conditions or committing a breach, of the bond, the grantee will be liable to refund to the President of India, the entire amount of the grant with interest thereon the sum specified under the bond.

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

369. श्री जगदीप सिंह : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तत्कालीन दिल्ली प्रशासन में सन् 1990 में सभी विभागों में अधिकारिक व्यवस्था क्या थी जैसे सचिव, निदेशक, आयुक्त और उनके अधीनस्थों का क्रम क्या था;

(ख) 2012–13 में उक्त सभी विभागों, निकायों और संस्थानों में अधिकारियों के अधीनस्थों के क्रम में कितने नये पद और नये वेतनमानों को शामिल किया गया; इसका प्रति विभाग/निकाय का विवरण उपलब्ध करायें; और

(ग) इस व्यवस्था में अधिकारियों की संख्या बढ़ाने, उन्हें अनेक सुविधाएं देने से सरकारी कामकाज और जनता की भलाई, सरकारी नीतियों, योजनाओं के कार्यान्वयन में क्या परिवर्तन हुआ, कितना सुधार हुआ?

(संबंधित विभाग से प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

370. श्री जगदीप सिंह : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत पांच वर्षों में शिक्षा सचिव के पद पर कौन–कौन से अधिकारी तैनात रहे;

(ख) इन अधिकारियों ने अपने कार्यकाल के दौरान कुल कितने स्कूलों का दौरा किया; और

उप मुख्यमंत्री : (क)

1. श्री दीवान चंद, आईएएस, सचिव (शिक्षा)
   (दिनांक 01.02.2012 से दिनांक 31.07.2013)

2. श्री अनिन्दो मजुमदार, आईएएस, प्रधान सचिव (शिक्षा)
   (दिनांक 01.08.2013 से दिनांक 05.01.2015)

3. श्रीमती पुण्य सलिला श्रीवास्तव, आईएएस, प्रधान सचिव (शिक्षा/उच्च शिक्षा/प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा)
(दिनांक 05.01.2015 से आज तक)

(ख) ऐसा कोई रिकॉर्ड मेन्टेन नहीं किया जाता है तथापि पत्र संख्या ***F.19/16/AR/2016/Misc./Part File-3(2017)/4354-4443 dated 02-06-2017*** के अनुसरण में प्रधान सचिव (शिक्षा/उच्च शिक्षा/प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा) ने प्रत्येक सप्ताह लगभग एक या अधिक फील्ड विजिट की है। संख्या सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित की जा चुकी है। जिन विद्यालयों की फील्ड विजिट की है, उनकी सूची संलग्न है।

Details of Field Visits of Schools Done bv Principal Secretary (Education)

Sl. No.	*Subject of Field Visit done*	*Date of Field Visit*
1	*2*	*3*
1.	*Sarvodaya Kanya Vidyalaya, Zeenat Mahal, Jaffarabad, Delhi*	*05.06.2017*
2.	*Sarvodaya Kanya Vidyalaya, Dilshad Garden, Delhi*	*05.06.2017*
3.	*Sarvodaya Kanya Vidyalaya, Shalimar Bagh, New Delhi*	*08.06.2017*
4.	*Govt. Co-ed Middle School, Bhalswa Village, Delhi*	*17.06.2017*
5.	*Sarvodaya Bal Vidyalaya, Rouse Avenue, New Delhi*	*20.07.2017*
5.	*Rajkiya Pratibha Vikas Vidyalaya, Lajpat Nagar, Delhi*	*23.08.2017*
7.	*Rajkiya Sarvodaya Vidyalaya, Roop Nagar No. 4, New Delhi*	*29.09.2017*

1	2	3
8.	*Sarvodaya Bal Vidyalaya, New Police Line, Kingsway Camp, Delhi*	*24.10.2017*
9.	*Sarvodaya Bal Vidyalaya, New Police Line, Kingsway Camp, Delhi*	*25.10.2017*
10.	*Sarvodaya Kanya Vidyalaya, Chirag Enclave*	*30.11.2017*
11.	*Dr. Rajendra Prasad Sarvodaya Vidyalaya, President's Estate, New Delhi*	*08.01.2018*
12.	*Govt Co-ed Sarvodaya Vidyalaya, Sector-22, Dwarka, Delhi*	*20.01.2018*
13.	*Rajkiya Pratibha Vikas Vidyalaya, Shalimar Bagh, New Delhi*	*08.02.2018*
14.	*Sarvodaya Bal Vidyalaya, Ramesh Nagar, New Delhi*	*15.02.2018*
15.	*Sarvodaya Kanya Vidyalaya, Pandara Road, New Delhi*	*21.02.2018*
16.	*Govt Boys Sr. Secondary School, Pandara Road, New Delhi*	*21.02.2018*
17.	*Govt Boys Sr. Secondary School No. 1, Shakti Nagar, New Delhi*	*01.03.2018*
18.	*Sarvodaya Co-Ed Sr. Secondary School, Moti Bagh, Nanak Pura, Delhi*	*10.03.2018*

371. श्री विशेष रवि : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार के अधिकारियों को उच्च न्यायालय में सेवाओं संबंधी मुकदमा दायर करने से पहले सरकार से अनुमति प्राप्त करना या सूचित करना आवश्यक है;

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में नियम क्या हैं;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि मुख्य सचिव, पूर्व मुख्य सचिव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डीयूएसआईबी, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिस सोसायटीज तथा पूर्व प्रधान सचिव, लो.नि.वि. ने दिल्ली सरकार, अध्यक्ष विधान सभा व उपाध्यक्ष दिल्ली विधानसभा के विरुद्ध याचिका दाखिल की है;

(घ) यदि हाँ, तो इन अधिकारियों द्वारा ली गई अनुमति/सूचना का विवरण क्या है;

(ङ) इन केसों में कानूनी खर्चा निजी रूप से इन अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है या दिल्ली सरकार द्वारा;

(च) यदि सरकार की ओर से खर्च हो रहा है तो क्या यह उचित होगा कि जब ये अधिकारी निजी रूप से न्यायालय में गए हैं और वह भी सरकार और विधायिका के विरुद्ध तो इनका कानूनी खर्च सरकार वहन करे;

(छ) उन विभागों का विवरण क्या है जो यह खर्च वहन कर रहे हैं और अब तक कितनी राशि का भुगतान किया जा चुका है;

(ज) उस प्राधिकारी का नाम जिसकी स्वीकृति से यह खर्च वहन किया जा रहा है या किया जाएगा; और

(झ) एतद्संबंधी संपूर्ण पत्राचार की प्रतियां उपलब्ध कराएं?

(संबंधित विभाग से प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।)

372. श्री अजेश यादव : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली सरकार के कितने टेक्निकल विभागों, निदेशालयों में गैर तकनीकी पृष्ठभूमि के अधिकारियों, जैसे भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा या दानिक्स नियुक्त हैं और क्यों; और

(ख) इन नियुक्त व तैनात अधिकारियों की सालाना गोपनीय रिपोर्ट में इन तकनीकी विभागों में उनकी सेवाओं को कैसे रिपोर्ट किया जाता है, उस विषय की जानकारी और मर्मज्ञता को कैसे दर्शाया जाता है?

(संबंधित विभाग से प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।)

373. श्री अखिलेश पति त्रिपाठी : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली सरकार का सेवा विभाग दिल्ली सरकार तमाम तकनीकी/एक्स कैडर विभागों में आई.ए.एस. और दानिक्स अधिकारियों के पदों का सृजन करने से पहले उन विभागों से प्रस्ताव या सहमति लेता है;

(ख) यदि सेवा विभाग ऐसे एक्स कैडर विभागों/संस्थान में आईएएस अधिकारियों के पदों को सृजन करता है और इन विभागों से प्रस्ताव प्राप्त करता है या सहमति लेता है ऐसी तमाम ली गयी सहमतियों और प्रस्तावों की सूची उपलब्ध कराई जाए; और

(ग) सेवा और वित्त विभाग ने सन् 1990 से अब तक कितने आईएएस, कितने दानिक्स और कितने दास अधिकारियों और कर्मचारियों के पे स्केल/पे बैंड परिवर्तित कर बड़े पे बैंड/बड़े स्केल इन पदों/कैडर को

दिए और किसकी सहमति और वित्तीय स्वीकृति से दिये, सविस्तार ब्यौरा देने की कृपा करें?

(संबंधित विभाग से प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।)

374. श्री सोमनाथ भारती : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेवाएं विभाग के कार्यक्षेत्र का पूर्ण विवरण दें और यदि कभी विभाग का उसकी प्रासंगिकता, उपयोगिता, सुधार व संसाधनों के अधिकतम प्रयोग के संदर्भ में कोई ऑडिट हुआ हो तो उसकी रिपोर्ट भी प्रदान करें;

(ख) दिल्ली सरकार के सभी विभागों की कैडरवार तथा विभागवार स्वीकृत स्टाफ क्षमता, वर्तमान क्षमता तथा न्यूनतम वांछित क्षमता क्या है तथा वर्ष 2008–2017 के दौरान योजना खर्च और गैर योजना खर्च का विवरण भी उपलब्ध कराएं;

(ग) दिल्ली सरकार के ऐसे कौन–से पद हैं जिनको केवल आईएएस और दानिक्स कैडर से ही भरा जाना अनिवार्य है, एतद्संबंधी संवैधानिक प्रावधान व प्रासंगिक कानून, अधिसूचनाएं इत्यादि उपलब्ध कराएं जिनसे उक्त अनिवार्यता सिद्ध होती हो;

(घ) क्या सरकार स्वविवेक से आईएएस और दानिक्स कैडर के अधिकरियों की अनिवार्यता के स्थान पर विभिन्न विभागों में प्रधान सचिव, सचिव, उप सचिव, अवर सचिव, इंजीनियर इन चीफ, चीफ इंजीनियर के पदों पर डोमेन एक्सपर्टस का चयन कर सकती है;

(ङ) यदि हाँ, तो इसमें क्या बाधाएं हैं;

(च) क्या वर्तमान में सेवाएं दिल्ली कैबिनेट/दिल्ली सरकार के क्षेत्राधिकार में आती हैं;

(छ) यदि नहीं, तो ये कब से दिल्ली सरकार के क्षेत्राधिकार में आती हैं;

(ज) क्या यह सत्य है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री सीधे तौर पर या अपने कैबिनेट के माध्यम से दिल्ली सरकार में कार्यरत किसी भी कैडर के किसी भी अधिकारी की नियुक्ति/स्थानांतरित/टर्मिनेट/निलंबित नहीं कर सकते हैं;

(झ) यदि हाँ, तो किसी भी कैडर के किसी भी अधिकारी के किसी भी अधिकारी की किसी भी कैडर में स्थानांतरण/टर्मिनेशन/निलम्बन नियुक्ति के लिए किस अधिकारी को सिफारिश की जाये;

(ञ) क्या यह व्यवस्था सभी पूर्ववर्ती सरकारों के दौरान रही है या इसमें बदलाव केवल श्री केजरीवाल के दिल्ली मुख्यमंत्री के रूप कार्यकाल के दौरान लागू किया गया है;

(ट) उक्त बदलाव किस तिथि से लागू हुआ है;

(ठ) आईएएस और दानिक्स कैडर के उन अधिकारियों का विवरण क्या हे जिनकी नियुक्ति/निलंबन/टर्मिनेशन व स्थानांतरण वर्ष 2015 में श्री अरविंद केजरीवाल की सरकार के सत्ता में आने के बाद हुआ है, इस विवरण में निर्णय लेने वाले अधिकारी का नाम, कार्रवाई की तिथि, निर्णय की संस्तुति करने वाले प्राधिकारी का नाम व की गई कार्रवाई के कारण भी बताएं; और

(ड) दिल्ली सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम कौन से हैं और इनको लागू करने के लिए उत्तरदायी अधिकारी कौन हैं व इन कार्यक्रमों की वर्तमान स्थिति क्या है?

(संबंधित विभाग से प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।)

375. श्री पंकज पुष्कर : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सर्विसेस के अंतर्गत दिल्ली सरकार के किस–किस कैडर के कर्मचारी आते हैं; कृपया सूची उपलब्ध कराएं;

(ख) सर्विसेस के अंतर्गत वर्तमान में अलग–अलग सभी कैडरों में कुल कितने पद स्वीकृत हैं, कितने स्थायी कर्मचारियों द्वारा भरे हुए हैं और कुल किनते पद रिक्त हैं; कृपया विभागवार विवरण उपलब्ध करवाएं;

(ग) अलग–अलग कैडर एवं अलग–अलग विभागों में रिक्त पदों को भरने की दिशा में क्या प्रयास चल रहे हैं;

(घ) अलग–अलग कैडर और विभागों में बड़ी संख्या में रिक्त पदों के होने से सार्वजनिक हित पर क्या प्रभाव पड़ रहे है;

(ङ) दिल्ली सरकार के अन्तर्गत होने वाली विभिन्न विभागों में कुल मिलाकर किस–किस स्तर पर संविदा के कर्मचारी काम कर रहे हैं; और

(च) दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाली विभिन्न विभागों में काम कर रहे संविदा के कर्मचारियों की विभागवार संख्या क्या है?

(संबंधित विभाग से प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।)

376. श्री नारायण दत्त शर्मा : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तत्कालीन दिल्ली प्रशासन में 1990 में कुल कितने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के स्वीकृत पद थे;

(ख) कितने दानिक्स अधिकारियों के स्वीकृत पद थे;

(ग) कितने दास, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन सबॉर्डिनेट सर्विसेस के ग्रेड–4, ग्रेड–3, ग्रेड–2 और ग्रेड–1 के स्वीकृत पद थे;

(घ) वर्तमान दिल्ली सरकार में भारतीय प्रशासनिक सेवा, दिल्ली अंडमान निकोबार आईलैंड सिविल सेवा और डीएएसएस कैडर के सभी ग्रेड–4, ग्रेड–3, ग्रेड–2 और ग्रेड–1 के अलग–अलग कितने पद सृजित और स्वीकृत हैं;

(ङ) इन पदों की संख्या में बढ़ोतरी की स्वीकृति किस अधिकारी के आदेश से हुई; उसका आधार क्या था; और

(च) इन पदों की संख्या में बढ़ोतरी के प्रस्तावों और उनकी सक्षम अधिकारी द्वारा की गई स्वीकृति की प्रतियां उपलब्ध कराई जाएं?

(संबंधित विभाग से प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।)

377. श्री दिनेश मोहनिया : क्या **खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत पांच वर्षों में सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति के पद पर कौन–कौन से अधिकारी तैनात रहे है;

(ख) इन अधिकारियों ने अपने कार्यकाल के दौरान कुल कितनी राशन दुकानों का दौरा किया; और

(ग) इस संबंध में प्रत्येक दौरे की तिथि, इन्सपेक्शन रिपोर्ट और एक्शन टेकन रिपोर्ट भी प्रदान करें?

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री : (क) विगत पांच वर्षों में सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति के पद पर निम्नलिखित अधिकारी तैनात रहे हैः—

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पद	समय
1.	श्री कुमारा स्वामी	सचिव	18.10.2012 से 07.04.2013
2.	श्री सज्जन सिंह यादव	सचिव	08.04.2013 से 07.01.2014
3.	श्री अरूण गोयल	सचिव	07.01.2014 (अपरान्ह) से 25.02.2014
4.	श्री सज्जन सिंह यादव	सचिव	25.02.2014 (अपरान्ह) से 21.04.2015
5.	श्री विजय कुमार	सचिव	22.04.2015 से 30.06.2015
6.	श्री संजीव खैरवार	सचिव	30.06.2015 (अपरान्ह) से 09.03.2016
7.	श्री एस. एस. घोनक्रोकता	सचिव	10.03.2016 से 17.04.2016
8.	श्री अमजद टांक	सचिव	18.04.2016 से 29.08.2016
9.	श्री के. आर. मीणा	प्रमुख सचिव	30.08.2016 से अब तक

(ख) खाद्य एवं संभरण विभाग में सचिवों द्वारा कुल 18 दुकानों का दौरा किया गया।

(ग) सूची संलग्नक 'क' के अनुसार संलग्न है।

सचिव (खाद्य एवं संभरण) द्वारा की निरिक्षण की सूची 'क'

क्र. सं.	निरिक्षण की तारीख	एफपीएस का नाम	एफपीएस का पता	संबंधित मंडल	कार्यवाही का विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	11.05.2015	7591 मैसर्स जैन स्टोर	13–ए तिकोना मार्केट आसफ अली रोड़, 6–मटिया महल	21	वर्तमान यह दुकान बन्द है।
2.	25.05.2017	5692 मैसर्स बांकेलाल एण्ड संस	दुकान नं.–सेक्टर–07, आर.के. पुरम	44	संबंधित क्षेत्रीय सहायक आयुक्त नई दिल्ली द्वारा 03.06.2017 को दुकान निलंबित कर दी गई।
3.	25.05.2017	6629 मैसर्स दीप्ती स्टोर	दुकान नं. 15, सेक्टर 1, आर.के. पुरम	44	स्टॉक में अंतर नहीं पाया गया।
4.	25.05.2017	2863 मैसर्स रामा स्टोर	दुकान नं. 21, मार्किट–02, सेक्टर–07,	44	05.06.2017 को दुकान निलंबित कर दी गई तथा

			आर.के. पुरम		24.06.2017 को एफआईआर दर्ज कर दी गई।
5.	01.09.2017	8570 मैसर्स रामा स्टोर	03—आताउर रहमान रोड़, राजपुर रोड़	20	दुकान पर 6000 रु. का जुर्माना लगाया गया तथा भविष्य के लिए सख्त चेतावनी दी गई।
6.	07.09.2017	6854 मैसर्स हरभगवान	पी—183, पीलान्जी गांव, सरोजनी नगर, आलीगांव	40	दुकान निलंबित कर दी गई।
7.	07.09.2017	5357 मैसर्स शेष नारायण, शशी नारायण	पी—62, पीलान्जी गांव, सरोजनी नगर, अलीगांव	40	दुकान पर 10,000/— रु. का जुर्माना लगा कर लाईसेंस बहाल कर दिया गया।
8.	14.09.2017	8388 मैसर्स नेहा, फेयर दुकान	गांव रंगपुरी शिव मंदिर के नजदीक	36	स्टॉक में अंतर नहीं पाया गया।

1	2	3	4	5	6
9.	14.09.2017	9388 मैसर्स अभिलाषा स्टोर	4/एफ, रंगपुरी शिव मंदिर के नजदीक, बी ब्लॉक रंगपुरी	36	स्टॉक में अंतर नहीं पाया गया।
10.	19.09.2017	4279 मैसर्स त्रिलोक सिंह	मैन रोड़ शादी खामपुर	24	दुकानदार पर 10,000/– रुपये का जुर्माना लगा कर दुकानदार का लाईसेंस रद्द कर दिया गया।
11.	19.09.2017	3197 मैसर्स घनश्याम दास	डी–113, रंजीत नगर, शादी खामपुर	24	दुकान पर 5,000/– रुपये का जुर्माना लगा कर दुकान बन्द कर दी गयी।
12.	26.09.2017	7084 मैसर्स वीरमानी स्टोर	शक्कूर बस्ती	15	दुकान निलंबित कर दी गई तथा एफआईआर दर्ज कर दी गई।
13.	26.09.2017	1949 मैसर्स हरद्वारी लाल	2151 रानीबाग	15	दुकानदार की लाईसेंस रद्द कर दिया गया तथा जमानत राशि जब्त कर ली गई।

14.	27.10.2017	7455 मैसर्स श्याम स्टोर	एन—02, मुर्खजी नगर	03	दुकान पर 10,000/— रुपये का जुर्माना लगाया गया तथा भविष्य के लिए सख्त चेतावनी दी गई।
15.	27.10.2017	9237 मैसर्स दुर्गा स्टोर	सी—354, नेहरू विहार	03	दुकान पर 10,000/— रुपये का जुर्माना लगाया गया तथा भविष्य के लिए सख्त चेतावनी दी गई।
16.	27.10.2017	5509 मैसर्स मॉर्डन स्टोर	सी—359, नेहरू विहार	03	कारण बताओ नोटिस 17.03.2018 को जारी किया गया है।
17.	14.11.2017	8044 मैसर्स डी.सी.सी. डब्ल्यू.एस. लिमिटेड	सी—ब्लॉक, मार्किट, राम मंदिर, आचार्य निकेतन	59	स्टॉक में अंतर नहीं पाया गया।
18.	14.11.2017	9043 मैसर्स लक्ष्मी स्टोर	22—कडकडडूमा, आचार्य निकेतन		फाईल प्रक्रियाधीन है।

378. श्री रघुविंद्र शौकीन : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि जन शिकायत निगरानी प्रणाली (पीजीएमएस) के द्वारा दिनांक 27.02.2018 तक सेवाएं विभाग से संबंधित 601 शिकायतें दर्ज की गई जिसमें से 17 शिकायतें अभी भी लंबित हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह भी सत्य है कि इनमें से 12 शिकायतें निवारण समय से भी अधिक समय से लंबित हैं;

(ग) यदि हाँ, तो इसका कारण क्या है;

(घ) क्या यह भी सत्य है कि 177 शिकायतों पर विभाग द्वारा दिए गए जवाब/कार्रवाई को संतोषजनक नहीं पाया गया है;

(ङ) यदि हाँ, तो इन शिकायतों पर विभाग ने क्या कार्रवाई की है;

(च) क्या यह भी सत्य है कि सभी शिकायतों के निवारण के लिए समय–समय पर मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्य सचिव के द्वारा भी विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी किये गये;

(छ) इन शिकायतों के समय पर निवारण के लिए विभाग ने क्या कदम उठाए हैं;

(ज) निवारण के लिए ये शिकायतें किन–किन अधिकारियों के पास कब–कब भेजी गईं इसका विवरण प्रदान करें;

(झ) संबंधित अधिकारियों ने इनके निवारण के लिए क्या कदम उठाए इसका विवरण प्रदान करें; और

(ञ) इन शिकायतों का निवरण कितने समय में हो जायेगा?

(संबंधित विभाग से प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।)

379. श्री सुरेन्द्र सिंह : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत पांच वर्षों में शिक्षा निदेशक के पद पर कौन–कौन से अधिकारी तैनात रहे;

(ख) इन अधिकारियों ने अपने कार्यकाल के दौरान कुल कितने स्कूलों का दौरा किया;

(ग) इस संबंध में निम्नलिखित जानकारी वर्षवार उपलब्ध करायी जाए। साथ ही प्रत्येक दौरे की तिथि, निरीक्षण रिपोर्ट, एक्शन–टेकन रिपोर्ट भी प्रदान करे?

उप मुख्यमंत्री : (क) 1. दिनांक 01.02.2012 से 31.12.2013 तक श्री अमित सिंगला, आई.ए.एस., निदेशक (शिक्षा)।

2. दिनांक 07.01.2014 से 31.03.2016 तक श्रीमती पद्मिनी सिंगली, आई.ए.एस., निदेशक (शिक्षा)।

3. दिनांक 01.04.2016 से आज तक श्रीमती सौम्य गुप्ता, आई.ए.एस, निदेशक (शिक्षा)।

(ख) और (ग) ऐसा कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। मई, 2016 के उपरान्त वर्तमान निदेशक द्वारा किए गए जिन निरीक्षणों की औपचारिक लिखित रिपोर्ट जारी की गई है उनकी सूची तिथिवार रूप में संलग्न है।

निरीक्षण रिपोर्ट एवं ऐक्शन–टेकन रिपोर्ट (***ATR***) विस्तृत दस्तावेज है, अभी सक्षम प्राधिकारी के पास विचाराधीन है। अगर किसी स्कूल विशेष की रिपोर्ट का माननीय विधायक महोदय उल्लेख करेंगे तो उपलब्ध करा दी जाएगी।

क्र. सं.	निरीक्षण की तिथि	विद्यालय का नाम
1	2	3
1.	31.05.2016	राजकीय सर्वोदय बाल विद्यालय, नम्बर–2
2.	11.07.2016	राजकीय कन्या सीनियर सेकेण्डरी स्कूल, करावल नगर
3.	03.02.2017	राजकीय सह–शिक्षा सीनियर सेकेण्डरी स्कूल, आईएनए
4.	01.03.2017	सर्वोदय कन्या विद्यालय, जोनापुर
5.	27.04.2017	राजकीय बाल सीनियर सेकेण्डरी स्कूल, 'के' ब्लॉक, जहांगीरपुरी
6.	04.05.2017	राजकीय बाल सीनियर सेकेण्डरी स्कूल, नम्बर–2, 'बी' ब्लॉक, यमुना विहार
7.	30.05.2017	गार्गी सर्वोदय कन्या विद्यालय, ग्रीन पार्क एक्सटेन्शन
8.	30.05.2017	सर्वोदय कन्या विद्यालय, पण्डारा रोड़
9.	17.06.2017	ए.डब्ल्यू.डब्ल्यू., बी–222, जे जे कॉलोनी, बवाना
10.	17.06.2017	एस.बी.वी.वी., प्रहलादपुर
11.	17.06.2017	जी.जी.एस.एस.एस., नम्बर–1, जे जे कॉलोनी बवाना

1	2	3
12.	17.06.2017	जी.बी.एस.एस.एस., नम्बर–1, जे जे कॉलोनी बवाना
13.	17.06.2017	एस.के.वी., जे.जे. कॉलोनी, बवाना
14.	17.06.2017	जी.बी.एस.एस.एस., बवाना
15.	27.07.2017	जी.बी.एस.एस.एस., ढाका
16.	04.08.2017	राजकीय सह–शिक्षा एस.एस.एस., आई.एन.ए. कॉलोनी
17.	16.09.2017	जी.बी.एस.एस.एस., नम्बर–3, सरोजनी नगर
18.	16.09.2017	जी.बी.एस.एस.एस., नम्बर–4, सरोजनी नगर
19.	16.09.2017	एस.बी.वी., नम्बर–1, (गणेश शंकर विद्यार्थी) सरोजनी नगर
20.	21.09.2017	जी.जी.एस.एस.एस., पूर्व, गोकलपुर
21.	10.10.2017	राजकीय बाल सीनियर सेकेण्डरी स्कूल, मुखर्जी नगर
22.	10.10.2017	जी.बी.एस.एस.एस., मुखर्जी नगर
23.	31.10.2017	राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय, शालीमार बाग
24.	01.11.2017	एस.के.वी., नम्बर–1, शकरपुर
25.	01.11.2017	एस.के.वी., नम्बर–2, शकरपुर
26.	28.11.2017	जी.बी.एस.एस., वरूण मार्ग, डिफेन्स कॉलोनी
27.	06.02.2018	एस.के.वी. जानकी देवी, मूयर विहार, फेस–1, पॉकेट–2
28.	13.02.2018	मयूर विहार, फेज–1

380. श्री रघुविन्द्र शौकीन : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत 5 वर्षों में स्वास्थ्य सचिव के पद पर कौन–कौन से अधिकारी तैनात रहे हैं;

(ख) इन अधिकारियों ने अपने कार्यकाल के दौरान कुल कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का दौरा किया है;

(ग) इस संबंध में प्रत्येक दौरे की तिथि, इन्सपेक्शन रिपोर्ट और एक्शन–टेकन रिपोर्ट भी प्रदान करें?

स्वास्थ्य मंत्री : (क) विगत 5 वर्षों में स्वास्थ्य सचिव के पद पर रहे अधिकारी निम्नवत हैं:

क्र.सं.	वर्ष	अधिकारी का नाम
1.	2013–2014	श्री एस.सी.एल. दास (अक्टूबर, 2012 से मई, 2015 तक)
2.	2013–2015	श्री एस.सी.एल. दास (अक्टूबर, 2012 से मई, 2015 तक)
3.	2015–2016	श्री अरूण बरूका (मई, 2015 से जून, 2015 तक)
4.	2016–2017	श्री तरूण सीम (फरवरी, 2016 से अगस्त, 2016 तक)

क्र.सं.	वर्ष	अधिकारी का नाम
5.	2017—2018	श्री मधूप व्यास (जनवरी, 2017 से सितम्बर, 2017) श्री राजीव यदुवंशी (सितम्बर, 2017 से अब तक)

(ख) इन अधिकारियों ने कार्यकाल के दौरान किये गये दौरे निम्नवत हैं।

वर्ष 2013 से जून, 2015 के दौरान सचिव (स्वास्थ्य) ने किसी भी स्वास्थ्य प्राथमिक केन्द्रों का दौरा नहीं किया है।

वर्ष जुलाई, 2015 में श्री अमर नाथ सचिव (स्वास्थ्य) ने केवल 01 आम आदमी मौहल्ला क्लीनिक जो पीरागढ़ी में स्थित है का 07.07.2015 को दौरा किया। इससे संबंधित ब्यौरा दस्तावेजों में उपलब्ध नहीं है।

वर्ष अगस्त, 2015 से सितम्बर, 2017 के दौरान कार्यरत किसी भी स्वास्थ्य सचिव ने किसी भी स्वास्थ्य केन्द्र दौरा नहीं किया।

वर्ष सितम्बर, 2017 से मार्च, 2018 के दौरान पदासीन अधोहस्ताक्षरी ने 08 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं आम आदमी मौहल्ला क्लीनिकों का निम्नलिखित दिनांक में दौरा किया:—

23.09.2017	—	दिलशाद गार्डन डिस्पेंसरी
23.09.2017	—	सीमापुरी डिस्पेंसरी।

23.09.2017	–	विवेक विहार मौहल्ला क्लीनिक।
17.02.2018	–	1. रोहिणी सेक्टर–16 आम आदमी मौहल्ला क्लीनिक।
		2. रोहिणी सेक्टर–17 आम आदमी मौहल्ला क्लीनिक।
		3. घेवर विलेज आम आदमी मौहल्ला क्लीनिक।
		4. निजामपुर आम आदमी मौहल्ला क्लीनिकं
28.02.2018	–	हाई कोर्ट, डी.जी.डी.

(ग) दौरे की तिथि कालम ख अनुसार है। इन्सपेक्शन रिपोर्ट संलग्न है। इन दौरों के दौरान कार्यप्रणाली में कोई खामी पाई जाती है तो तुरन्त संबंधित अधिकारी को उचित निर्देश दिये जाते हैं। संबंधित अधिकारी संबंधित फाइल में उन सभी खामियों एवं मुद्दों को नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनका निस्तारण होता है।

381. श्री सुरेन्द्र सिंह : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दानिक्स सेवा के क्षेत्राधिकार के अनुसार क्या दिल्ली प्रशासन/दिल्ली सरकार के अनुपात में अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, दादर नगर हवेली, गोवा और चंडीगढ़ जैसे केन्द्र शासित राज्यों के

भी अधिकारी इतनी ही संख्या में दानिक्स और आईएएस के कैडर में समाविष्ट किए जाते हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी कुल संख्या बताई जाए; और

(ग) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थाओं में अनेक दानिक्स अधिकारियों को भी नियुक्त किया है, इस सेवा के अधिकारियों को अस्पताल में नियुक्त करने का किसने प्रस्ताव किया, कृपया इसकी जानकारी दी जाए?

(संबंधित विभाग से प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।)

382. श्री गिरीश सोनी : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्लानिंग डिपार्टमेंट में कुल कितने सर्वेयर है;

(ख) पिछले 10 साल के भीतर इकनॉमिक सर्वे को छोड़कर कुल कितने सर्वे किए गये है जिनका प्लानिंग में इस्तेमाल होता है; इसकी जानकारी वर्षवार उपलब्ध कराई जाए;

(ग) इस दौरान सर्वे करने वाली कंपनियों की सूची प्रदान की जाए;

(घ) इन कंपनियों के चयन करने की प्रक्रिया क्या थी;

(ङ) इन कंपनियों ने क्या क्या सर्वे किया; और

(च) इन कंपनियों को भुगतान की गई राशि का विवरण क्या है;

उप मुख्यमंत्री : (क) फील्ड सर्वे का कार्य योजना विभाग के अधीन अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा किया जाता है। जिसमें सर्वेक्षण का कार्य सांख्यिकी सहायकों द्वारा किया जाता है। अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय में सांख्यिकी सहायकों के कुल 69 पद स्वीकृत हैं जिनमें से 42 पदों पर सांख्यिकी सहायक कार्यरत हैं।

(ख) पिछले 10 वर्षों में कुल 16 सर्वेक्षण पूरे किए गए हैं एवं दो सर्वेक्षणों का कार्य जारी है। विस्तृत जानकारी अनुलग्नक 'क' एवं 'ख' में संलग्न है।

(ग) शून्य, क्योंकि यह सर्वेक्षण कार्य अर्थ, एवं सांख्यिकी निदेशालय के कर्मचारियों द्वारा संपन्न किए गए।

(घ) लागू नहीं।

(ङ) लागू नहीं।

(च) लागू नहीं।

अनुलग्नक 'क'

List of Socio Economic Surveys conducted by the Directorate of Economics and Statistics, GNCTD during last 10 years

Sl. No.	Round	Subject	Year	Remarks
1	2	3	4	5
1.	64th	Employment & Unemployment and Migration Survey	July 2007- June 2008	Report has been published.
2.	65th	India- Housing Condition Survey	July 2008 - June 2009	Report has been bublished.
3.	66th	Employment and Unemployment Survey	July 2009- June 2010	Report has been published.
4.	167th	Unincorporated Non-Agricultural enterprises (excluding Construction)	July 2010- June 2011	Report has been published.
5.	68th	Employment & Unemployment and Household Consumer Expenditure	July 2011-June 2012	Report has been published.
6.	69th	Drinking Water, Sanitation, Hygiene and Housing Condition in India NSS 69th Round	July 2012- December 2012	Report has been published.

1	2	3	4	5
7	*70th*	*Situation: Assessment Survey of Agricultural Households, All India Debt and Investment & Land and Livestock Holdings in India*	*January 2013- December, 2014*	*Report has been published.*
8	*71st*	*Social Consumption Education and Health NSS 71st Round.*	*January 2014- June 2014*	*Report has been published.*
9	*72nd*	*Domestic Tourism*	*July 2014- June 2015*	*Report has been published.*
10	*73rd*	*Unincorporated Non-Agricultural enterprises.*	*July 2015-June 2016*	*Report has been published.*
11	*74th*	*Establishment focussed survey on Service Sector*	*July 2016- June 2017*	*Survey has been competed but reports compilation is under process*
12	*75th (On-going)*	*Household Consumer Expenditure, Household Social Consumption: Health and Education*	*July, 2017- June 2018*	*Round will complete on 30.06.2018.*

अनुलग्नक 'ख'

List of Annual Surveys of Industries conducted by the Directorate of Economics and Statistics, GNCTD during last 10 Years

Sl. No.	*Subject*	*Duration of Survey*	*Status of Report of ASI*
1	*Annual Survey of Industries 2011-12*	*Oct. 2012 to June 2013*	*Released in Aug. 2014.*
2	*Annual Survey of Industries 2012-13*	*Dec. 2013 to June 2014*	*Released in July 2015.*
3	*Annual Survey of Industries 2013-14*	*Nov. 2014 to June 2015.*	*Released in November 2016*
4	*Annual Survey of industries 2014-15*	*Mar. 2016 to Oct. 2016*	*The Report has been finalized and is under submission.*
5	*Annual Survey of Industries 2015-16*	*Jan. 2017 to Sep. 2017*	*The data processing work has been started.*
6	*Annual Survey of Industries 2016-17*	*Jan. 2018 to Aug. 2018*	*The field work has been started.*

283. श्री सौरभ भारद्वाज : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यदि रा.रा.क्षे.दि. सरकार कोई अधिकारी अक्षम है और जानबूझकर जनहित के कार्यों में विलंब करता है तो क्या रा.रा.क्षे.दि. सरकार के मंत्री उसका स्थानांतरण अथवा विलंबन कर सकते हैं, अथवा उसे कारण बताओ नोटिस जारी या अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकते हैं;

(ख) 1 जनवरी, 2016 से 28 फरवरी, 2018 तक अवधि में जिन विभागध्यक्षों के विरुद्ध रा.रा.क्षे.दि. सरकार के मंत्रियों ने अक्षमता, कार्य के लापरवाही, अनुशासनहीनता आदि की शिकायतें की हैं उनके विरूद्ध सक्षम प्राधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई का विवरण क्या है?

(संबंधित विभाग से प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।)

384. श्री सौरभ भारद्वाज : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री जे. बी. सिंह (सेक्रेटरी काम आरसीएस) तथा श्री शूरबीर सिंह (डीयूएसआईबी) ने रा.रा.क्षे. सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी/विभाग से दिल्ली विधान सभा व उसकी समितियों के विरूद्ध याचिका दायर करने से पूर्व अनुमति प्राप्त की थी;

(ख) यदि हाँ, तो संबंधित पत्राचार की तथा संबंधित फाइल नोटिंग्स की प्रतियां उपलब्ध कराएं;

(ग) क्या रा.रा.क्षे.दि. सरकार ने या किसी अन्य सरकारी प्राधिकारी ने दिल्ली विधानसभा के विरूद्ध याचिका के लिए उक्त अधिकारियों के वकीलों की फीस का भुगतान किया है या भुगतान के लिए सहमति प्रदान की है;

(घ) यदि हाँ, तो किए गए भुगतान का विवरण और संबंधित फाइल नोटिंग उपलब्ध कराई जाएं;

(ङ) क्या यह सत्य है कि फरवरी, मार्च, 2018 में श्री शूरबीर सिंह (सीईओ डीयूएसआईबी) और श्री जे.बी. सिंह (सेक्रेटरी–आरसीएस) कई मौकों पर अवकाश पर रहे थे;

(छ) यदि हाँ, तो उनके अवकाश से संबंधित संवाद व सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनकी स्वीकृति का विवरण क्या है?

(संबंधित विभाग से प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।)

385. श्री सौरभ भारद्वाज : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि पिछले दो वर्षों में याचिका समिति तथा प्रश्न एवं संदर्भ समितियों ने अपने प्रतिवेदनों में भ्रष्टाचार के लिए कार्रवाई की संस्तुति की है जिसमें कुछ अधिकारी भी सम्मिलित हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उन अधिकारियों का नाम क्या है और उनके विरुद्ध रा.रा.क्षे.दि. सरकार ने भ्रष्टाचार/कार्य में लापरवाही के लिए क्या कार्रवाई की है, एतद्संबंधी फाइल नोटिंग उपलब्ध कराएं;

(ग) समितियों के प्रतिवेदनों के आधार पर, जिन्हें दिल्ली विधानसभा ने स्वीकार किया है, सरकार ने रा.रा.क्षे.दि. सरकार के अधिकारियों के विरूद्ध कितनी एफआईआर दर्ज कराई हैं;

(घ) उक्त सभी एफआईआर की प्रतियां उपलब्ध कराएं; और

(ङ) यदि कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई है तो उसके कारण और इस संबंध में किए गए निर्णयों की जानकारी फाइल नोटिंग्स के साथ उपलब्ध कराएं?

(संबंधित विभाग से प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।)

386. श्री सौरभ भारद्वाज : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यदि विधायक किसी विभागाध्यक्ष से बैठक के लिए अनुरोध करता है तो विभाग के अध्यक्ष/प्रधान सचिव/सचिव द्वारा अनुपालनीय प्रोटोकोल क्या है;

(ख) विधायक और विभागाध्यक्ष/प्रधान सचिव/सचिव की बैठक के संबंध में अनुपालनीय प्रोटोकोल क्या है;

(ग) यदि कोई विधायक किसी विभागाध्यक्ष/प्रधान सचिव/सचिव से एपॉइंटमेंट लेकर उनके विभागीय कार्यालय में मिलता है और उक्त अधिकारी विधायक के प्रति असम्मान दिखाते हैं तो एतद्संबंधी शिकायत की प्रक्रिया और अनुशासनात्मक प्राधिकारी कौन है;

(घ) कोई आईएसएस अधिकारी, दानिक्स अधिकारी/एजीएमयूटी कैडर का अधिकारी किसी चुने हुए जन प्रतिनिधि अर्थात् विधायक व सांसद से मिलते हैं तो एतद्संबंधी नियम/प्रक्रियाएं/निर्देश/प्रोटोकोल क्या हैं, प्रतिलिपि उपलब्ध कराएं; और

(ङ) कोई आईपीएस अधिकारी या दानिप अधिकारी जब सरकारी तौर पर किसी जनप्रतिनिधि अर्थात् सांसद/विधायक से मिलता है तो एतद्संबंधी नियम/प्रक्रियाएं/निर्देश/प्रोटोकाल क्या हैं प्रतिलिपि उपलब्ध कराएं;

(संबंधित विभाग से प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।)

387. श्री विजेन्द्र गुप्ता : क्या **समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार गरीब लोगों के लिए आम आदमी कैंटीन खोलने की योजना पर काम कर रही है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि आम आदमी कैंटीन के माध्यम से गरीब लोगों को 5 से 10 रूपये में पौष्टिक नाश्ता, दोपहर व रात का खाना उपलब्ध कराया जाना था;

(ग) क्या यह सत्य है कि आम आदमी कैंटीन खोलने के लिए सरकार ने पहले वर्ष में 10 करोड़ तथा दूसरे वर्ष में 50 करोड़ रुपये आवंटित किये थे;

(घ) अब तक कितनी आम आदमी कैंटीन खोली गई;

(ङ) इस योजना की असफलता के क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार ने इस महत्वपूर्ण योजना को त्याग दिया है; और

(छ) यदि नहीं, तो वर्ष 2018–19 के लिए नई सरकार कितनी राशि आवंटित कर रही है?

(संबंधित विभाग से प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।)

388. श्री रामचंद्र : क्या **समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि लेडी नोयस स्कूल फॉर डीफ एंड डंब कि क्षमता बढ़ाने के लिए चालू वित वर्ष में बजट में 9.27 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था व लड़कों के हॉस्टल कि क्षमता 63 से 150 तथा लड़कियों के हॉस्टल कि क्षमता बड़ाकर 46 से बढ़ाकर 100 कि जानी थी;

(ख) यदि हाँ, तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) इनमें से प्रत्येक हॉस्टल की क्षमता में कितनी वृद्धि हुई है और प्रत्येक हॉस्टल में कितने बच्चे हैं;

(घ) बजट में 10 वृद्धाश्रम बनाने कि योजना थी जिसके लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, इनमें से प्रत्येक वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) बजट में हाफ वे/लॉन्ग स्टे होम्स में वर्तमान में 100 करोड़ का प्रावधान है। इनमें से प्रत्येक के निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है;

(च) क्या यह सत्य है कि बजट में मंदबुद्धि व्यक्तियों के लिए दो आवास बनाने के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था और इनका स्वामित्व डीएसआईआईडीसी ने वर्ष 2016–17 में सौंप दिया था।

(छ) यदि हाँ, तो इनमें से प्रत्येक आवास की क्षमता क्या है और प्रत्येक में कितने निवासी रह रहे हैं?

(ज) चालू वित्त वर्ष में जिन और तीन आवासों का कार्य पूरा होना था, उनकी वर्तमान स्थिति क्या है।

(झ) क्या है सत्य है कि कॉलेज जाने वाले दृष्टिहीन छात्रों के लिए किंग्सवे कैंप में हॉस्टल बनाने के लिए बजट में 12.50 करोड़ रुपए का प्रावधान था।

(ञ) यदि हाँ, तो इसके निर्माण कि वर्तमान स्थिति क्या है।

(ट) और इस हॉस्टल में जो 100 छात्रों को आवास देने का लक्ष्य था वह कहां तक प्रापत हो सका है।

(ठ) क्या यह भी सत्य है कि कॉलेज जाने वाली दृष्टिहीन छात्राओं के लिए तिमारपुर में हॉस्टल बनाने के लिए बजट में 12.50 करोड़ रुपए का प्रावधान था।

(ड) यदि हाँ, तो इसके निर्माण कि वर्तमान स्थिति क्या है।

(ढ) क्या यह भी सत्य है कि मानसिक दिव्यांगो के लिए नरेला में हॉस्टल बनाने के लिए 2 करोड़ रुपए का प्रावधान था।

(ण) इस हॉस्टल के निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है।

समाज कल्याण मंत्री : (क) चालू वितः वर्ष 2017 में राजकीय लेडी नोयस उच्चतर माध्यमिक बधिर विद्यालय की क्षमता बढ़ाने हेतु आपके द्वारा प्रश्न पत्र में उल्लेखित धनराशि 9.27 करोड़ का कोई प्रावधान नहीं है छात्रावास की क्षमता पूर्व के वर्षों से ही निरंतर चली आ रही है तथा इसमें कोई वृद्धि नहीं की गई है।

(ख) इस बिंदु का प्रत्युत्तर बिंदु 'क' के उत्तर में सम्मिलित है।

(ग) छात्रावास की क्षमता पूर्व के वर्षों से ही निरंतर चली आ रही है तथा इसमें कोई वृद्धि नहीं की गई है। वर्तमान छात्रावास स्थिति अद्योवत है:

छात्रावास बालक : 80

छात्रावास बालिका : 60

(घ) 10 वृद्धाश्रम की वर्तमान में स्थिति निम्न है–

क्र. सं.	वृद्धाश्रम का नाम	वर्तमान स्थिति
1	2	3
1.	कांति नगर	कांति नगर के वृद्धाश्रम को बनाने हेतु रुपये 5,78,83,000/– की राशि दिनांक 17.09.2015 को आवंटित की जा चुकी है। वृद्धाश्रम का कार्य दिसम्बर, 2018 तक पूर्ण हो जाने की उम्मीद है।
2.	चितरंजन पार्क	***DSMC*** द्वारा बिल्डिंग प्लान की मंजूरी दिनांक 26.07.2016 को दी जा चुकी है। उपरोक्त वृद्धाश्रम को बनाने हेतु विभाग द्वारा रुपये 4,83,58,000/– की राशि दिनांक 23.03.2017 को ***PWD*** को आवंटित की जा चुकी है। मिट्टी की टेस्टिंग का कार्य पूरा हो चुका है। संरचनात्मक डिजाइन चीफ इंजीनियर द्वारा मंजूर किया जा चुका है। वर्तमान में उपनिदेशक (हॉर्टिकल्चर) ने पेड़ काटने की अनुमति प्राप्त करने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं अनुमति मिलने के उपरांत निर्माण कार्य शुरू होगा।
3.	रोहिणी, सैक्टर–4	बिल्डिंग प्लान की मंजूरी ***NDMC*** द्वारा दिनांक 06.06.2016 को दी जा चुकी है। विभाग को वृद्धाश्रम बनाने रु. 12,48,58,400/– का एस्टिमेट प्राप्त हुआ था, जो कि वित्त विभाग की स्वीकृति हेतु भेजा जा चुका है।

1	2	3
4.	पश्चिम विहार	विभाग को वृद्धाश्रम बनाने रु. 9,87,84,600/- का एस्टिमेट प्राप्त हुआ था, जिसमें से रु. 3,00,00,000/- की राशि वृद्धाश्रम बनाने का कार्य शुरू करने हेतु दिनांक 09.01.2018 को विभाग द्वारा ***PWD*** को आवंटित की जा चुकी है।
5.	छत्तर पुर	***PWD*** द्वारा यह बताया गया है कि बिल्डिंग प्लान की मंजूरी ***MCD*** द्वारा दी जा चुकी है। प्लान ***SDMC*** में ऑनलाइन जमा करवाना है, जिससे दिक्कत आ रही है। कार्यकारी अभियंता पीडब्ल्यूडी ने आगे बताया कि ***SDMC*** में ऑनलाइन जमा करवाने की प्रक्रिया में केवल एक इंजीनियर के पंजीकरण के लिए एक विकल्प है, जबकि परियोजनाएं विभिन्न विभागों से संबंधित हैं।
6.	वजीर पुर, अशोक विहार	सिविल कार्य पूरा हो गया है। वर्तमान में इमारत में लिफ्ट स्थापित करने के लिए काम चल रहा है।
7.	गीता कॉलोनी	विभाग को ***PWD*** द्वारा वृद्धाश्रम बनाने हेतु एस्टिमेट प्राप्त हुआ है, जिसको अगले वित्त वर्ष में बजट मिलने के बाद प्रस्तुत किया जायेगा।
8.	जनकपुरी	***PWD*** द्वारा स्थानीय निकायों से स्वीकृति लेने के लिए प्रक्रिया पूरी की जानी है। इसके अतिरिक्त,

1	2	3
		विभाग को ***PWD*** द्वारा वृद्धाश्रम बनाने हेतु रु. 7.3 का एस्टिमेट प्राप्त हुआ था, परन्तु ***PWD*** को अनुरोध किया गया है कि इसको स्वीकृति हेतु, वित्त विभाग के ऑर्डर नंबर ***F-8/2/2007-AC/CD-01295543/2014-15/Exp-4/667-796 dated 10/09/2014*** के अनुसार बनाकर जमा करे।
9.	सरिता विहार	***PWD*** द्वारा यह बताया गया है कि प्लान ***SDMC*** में ऑनलाइन जमा करवाना है, जिसमें दिक्क्त आ रही है। कार्यकारी अभियंता पीडब्ल्यूडी ने आगे बताया कि ***SDMC*** में ऑनलाइन जमा करवाने की प्रक्रिया में केवल एक इंजीनियर के पंजीकरण के लिए एक विकल्प है, जबकि परियोजनाएं विभिन्न विभागों से संबंधित हैं, इसके अतिरिक्त, विभाग को ***PWD*** द्वारा वृद्धाश्रम बनाने हेतु रु. 10,76,81,000/– का एस्टिमेट प्राप्त हुआ था, परन्तु ***PWD*** को अनुरोध किया गया है कि इसको स्वीकृति हेतु, वित्त विभाग के ऑर्डर नंबर ***F-8/2/2007-AC/CD-01295543/2014-15/Exp-4/667-796 dated 10/09/2014*** के अनुसार बनाकर जमा करे।
10.	वसंत कुंज	पीडब्ल्यूडी ने एसडीएमसी को 28.10.2015 को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया। डीएफएस ने कुछ अवलोकन उठाया है और इसलिए ड्राइंग को

1	2	3
		संशोधित किया गया था और 04/05/2016 को टाउन प्लानर को प्रस्तुत किया गया था। पीडब्ल्यूडी ने अब सूचित किया है कि उन्होंने चीफ टाउन प्लानर एसडीएससी को योजना प्रस्तुत कर दी है, लेकिन एसडीएमसी में रजिस्ट्रेशन इश्यू के कारण दिक्कत आ रही है। सचिव (समाज कल्याण विभाग) ने एसडीएमसी कमिश्नर को एक पत्र लिखकर उत्तर डीएमसी की तरह सरकारी भवनों के लिए छूट जारी करने के लिए कहा है।

(ङ) वित्त वर्ष 2017—18 के बजट में हाफ वे/लांग स्टे होम्स के लिए 1.5 करोड़ का प्रावधान है। प्रत्येक के निर्माण की वर्तमान स्थिति निम्न है—

क्र.सं.	नाम	वर्तमान स्थिति
1.	द्वारका	कार्य पूर्ण, 06.10.2016 को ***dsiidc*** ने विभाग को हस्तानांतरित किया
2.	रोहिणी, सैक्टर—3	कार्य पूर्ण, 06.10.2016 को ***dsiidc*** ने विभाग को हस्तानांतरित किया
3.	रोहिणी, सैक्टर—3	कार्य पूर्ण, 13.06.2017 को ***dsiidc*** ने विभाग को हस्तानांतरित किया
4.	रोहिणी सैक्टर—22	कार्य पूर्ण, 27/04/2017 को ***dsiidc*** ने विभाग को हस्तानांतरित किया
5.	नरेला	कार्य पूर्ण, परन्तु ***dsiidc*** ने विभाग को हस्तानांतरित नहीं किया है

(च) नहीं यह सत्य नहीं है। मंदबुद्धि व्यक्तियों के लिए दो आवास बनाने के लिए 2 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, जो कि ***R.E.*** 2017–18 में 1 करोड़ कर दिया गया है। ये निम्न हैंः

1. मानसिक रूप से विकलांग (गर्ल्स) के लिए गृह, दल्लुपुरा
2. मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए स्कूल, उसमानपुर

उप्रोत्त भवनों के निर्माण के लिए ***PWD*** को जिम्मेदारी दी गयी है।

(छ)

1. मानसिक रूप से विकलांग (गर्ल्स) के लिए गृह, दल्लुपुरा–40 की क्षमता है। अभी नहीं बना है।
2. मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए स्कूल, उसमानपुर–150 की क्षमता है। अभी नहीं बना है।

(ज)

1. मानसिक रूप से विकलांग (गर्ल्स) के लिए गृह, दल्लुपुरा–40 की क्षमता है। अभी नहीं बना है, विभाग ने 1 करोड़ रुपए इसके निर्माण के लिए ***PWD*** को अनुमोदित कर दिए है।
2. मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए स्कूल, उसमानपुर–150 की क्षमता है। अभी नहीं बना है। ***PWD*** को संशोधित एस्टीमेट प्रस्तुत करना है।
3. मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए होम (नरेला), ***PWD*** ने एस्टीमेट प्रस्तुत कर दिया है।

(झ) सत्य है।

(ञ) विभाग को ***PWD*** द्वारा उक्त हॉस्टल बनाने हेतु रु. 12,63,00,000/– का एस्टिमेट प्राप्त हुआ था, जिसको स्वीकृति हेतु, वित्त विभाग के ऑर्डर नंबर ***F-8/2/2007-AC/CD-01295543/2014-15/Exp-4/667-796 dated 10/09/2014*** के अनुसार बनाकर जमा करने के लिए ***PWD*** को दिनांक 06.11.2017 एवं अनुस्मारक दिनांक 07.03.2018 द्वारा अनुरोध किया गया है।

(ट) निर्माण कार्य अभी आरंभ नहीं हो सका है।

(ठ) सत्य है।

(ड) विभाग को ***PWD*** द्वारा उक्त हॉस्टल बनाने हेतु रु. 12,20,00,000/– का एस्टिमेट प्राप्त हुआ था, वित्त विभाग की स्वीकृति मिलने के बाद यह राशि दिनांक 11.01.2018 को ***PWD*** को आवंटित की जा चुकी है।

(ढ) वर्तमान में हॉस्टल का कोई प्रावधान नहीं है अपितु नरेला में मानसिक रूप से बाधिकत दिव्यांगों के लिए एक समन्वित परिसर की योजना है।

(ण) ***PWD*** ने उक्त समन्वित परिसर के निर्माण के लिए 305 करोड़ रुपए का एस्टिमेट भेजा है। जिसको अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जाएगा। हॉस्टल के निर्माण का कोई प्रावधान नहीं है।

389. श्री विशेष रवि : क्या **समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2017 में वृद्धावस्था पेंशन स्कीम के अंतर्गत करोल बाग विधानसभा को मिले 1200 कोटे में से कितने आवेदकों को विभाग द्वारा पेंशन मिलने लगी है;

(ख) वर्ष 2017 में वृद्धावस्था पेंशन स्कीम के अंतर्गत करोल बाग विधानसभा को मिले 1200 कोटे में से कितने आवेदकों की पेंशन अभी तक चालू नहीं हुई है कारण सहित पूर्ण विवरण दें;

(ग) पूरी दिल्ली में सरकार द्वारा खोली गई वृद्धा पेंशन स्कीम में रिजेक्ट होने के बाद बने स्पेस के लिए नए आवेदन पत्र कब से स्वीकार किए जाएंगे;

(घ) करोल बाग विधानसभा में वृद्धावस्था पेंशन में 1200 के कोटे में से जिन पेंशनों के रिजेक्ट होने के बाद नई पेंशनों के लिए स्पेस बना इनके आवेदन पत्र की प्रक्रिया कब शुरू होगी;

(ङ) क्या वृद्धावस्था पेंशन स्कीम में आवेदनकर्ता की चालू पेंशन के दौरान एससी सर्टीफिकेट जमा कर उसे लाभ देने की प्रक्रिया नहीं है;

(च) करोल बाग विधानसभा में वर्ष 2017 फरवरी से अब तक कितने वृद्धि पेंशन धारकों की किसी भी कारण से पेंशन धारकों की किसी भी कारण से पेंशन रूकी हो जो फिर कुछ समय में चालू हो गई हो, ऐसे सभी पेंशनधारकों का जिस समय से पेंशन रूकी थी और जिस समय पुनः चालू हुई का विवरण कारण सहित प्रस्तुत करें;

(छ) बैकिंग व्यवस्था एनपीसीआई के वृद्धा पेंशन स्कीम से संदर्भ का विवरण दें;

(ज) क्या वृद्धा पेंशन धारक की पेंशन केवाईसी अथवा एनपीसीआई का आधार से लिंक न होने पर पेंशन रूक जाती है व बढ़कर नहीं आती हैं?

समाज कल्याण मंत्री : (क) वर्ष 2017–18 में वृद्धावस्था पेंशन स्कीम के अंतर्गत करोल बाग विधानसभा को मिले 1200 कोटे में से कुल 947 आवेदकों को विभाग द्वारा पेंशन मिलने लगी है।

(ख) वर्ष 2017 में वृद्धावस्था पेंशन स्कीम के अंतर्गत करोल बाग विधानसभा को मिले 1200 कोटे में से कुल 234 आवेदकों की पेंशन अभी तक चालू नहीं हुई है।

सूची सीडी में संलग्न है।

(ग) और (घ) यह एक नीतिगत मामला है।

(ङ) जी नहीं, वृद्धावस्था पेंशन स्कीम के अंतर्गत आवेदनकर्ता चालू पेंशन के दौरान किसी भी समय एससी सर्टीफिकेट जमा करवाकर लाभ प्राप्त कर सकता है।

(च) विभाग द्वारा किसी भी लाभार्थी की पेंशन रोकी नहीं जाती, अपितु बैंक द्वारा निम्न कारणों से लाभार्थी की पेंशन विभाग को वापस कर दी जाती है, जो कि आवश्यक सुधार के बाद बकाया राशि सहित लाभार्थियों के बैंक खातों में पुनः प्रेषित कर दी जाती है। कारणः–

1. बैंक खाता बंद/स्थानांतरित होने पर।
2. बैंक खाता उपलब्ध न होने पर।
3. बैंक खाते का मिलान न होने पर।
4. विविध।
5. आधार निष्क्रिय होने के कारण।

6. आधार डाटावेस में उपलब्ध न होने के कारण।

7. आधार अवैध होने के कारण।

करोल बाग विधानसभा क्षेत्र के वर्ष 2017 फरवरी से अब तक कुल 269 वृद्धावस्था पेंशन व 18 विकलांग पेंशन धारकों की पेंशन बैंकों द्वारा रिटर्न की गई जिसका विवरण सीडी में संलग्न है।

(छ) वृद्धावस्था पेंशन के अंतर्गत जिन वृद्धजनों के आधार उनके बैंक खाते में एनपीसीआई पोर्टल (***NPCI Portal***) पर लिंक दर्शाये जाते हैं, उन्हीं को बढ़ी हुई/संशोधित धनराशि प्रेषित की जाती है।

(ज) पेंशन रोकी नहीं जाती अपितु एनपीसीआई का आधार से लिंक न होने पर पेंशन बढ़ कर नहीं आती है।

390. श्री पवन शर्मा : क्या **समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नशीले पदार्थों के सेवन व इसकी लत के खिलाफ मद्य निषेध–विभाग द्वारा पिछले दस वर्षों में विद्यालयों में कितने जागरूकता अभियान चले गए;

(ख) पिछले दस वर्षों में नशीले पदार्थो के प्रयोग के संबंध में जागरूकता का प्रसार करने के लिए आम जनता के बीच कितने अभियान (स्ट्रीट कैंपेन) चलाये गए;

(ग) जिन क्षेत्रों में उक्त अभियान पिछले पांच वर्षों में चलाये गए है उनकी सूची उपलब्ध कराये;

(घ) नशीले पदार्थों के सेवन को हतोत्साहित करने के लिए पिछले पांच वर्षों में खर्च की गई बजट राशि के आंकड़े उपलब्ध करायें?

(ङ) पिछले पांच वर्षों इस संबंध में दिया गया विज्ञापन अभियानों के सूचि तथा जारी किया गए विज्ञापन के प्रति उपलब्ध कराये;

समाज कल्याण मंत्री : (क) दिल्ली विद्यालय शिक्षा अधिनियम और दिल्ली उच्च न्यायालय के माननीय किशोर न्याय समिति के निर्देशों के अनुसार ऐसी गतिविधियों को पूरा करने की जिम्मेदारी शिक्षा निदेशालय और स्वास्थ्य निदेशालय (स्कूल स्वास्थ्य योजना) की है।

(ख) पिछले दस वर्षों में नशीले पदार्थों के प्रयोग के संबंध में जागरूकता का प्रसार करने के लिए आम जनता के बीच जो अभियान (स्ट्रट कैंपेन) चलाये गए। उनकी सूची अनुलग्नक 'ए' पर देखें। (उपलब्ध जानकारी के अनुसार)

(ग) पिछले 05 वर्षों में चलाये गए उक्त अभियान की सूचि अनुलग्न 'बी' पर देखे। (उपलब्ध जानकारी के अनुसार)

(घ) पिछले 05 वर्षों के दौरान व्यय का विवरणः

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	बजट स्रोत	
		प्रचार और प्रसार (223502001890026)	सुधारक सेवाएं (223502106970013)
1.	2012—13	20271635	3234971
2.	2013—14	44188855	4407365
3.	2014—15	1880014	627975
4.	2015—16	16000	959289
5.	2016—17	3637531	390410

पिछले पांच सालों के दौरान व्यय में असंगत होने के संबंध में यह प्रस्तुत किया जाता है कि

1. वर्ष 2013–14 के दौरान दिल्ली उच्च न्यायालय के माननीय किशोर न्याय समिति ने विभाग को अधिक जागरूक गतिविधियों के लिए निर्देश दिया।

2. बाद में विज्ञापन और प्रचार पर सूचना और प्रचार निदेशालय के खाते से व्यय किया जाने लगा।

3. इस वित्तीय वर्ष से विभाग महाविद्यालय के छात्रों के नाटक मंडलियों से नशीली दवाओं के निवारण और रोकथाम के विषय पर नुक्कड़ कार्यक्रमों का दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में आयोजन करा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप कम धनराशि के साथ अधिक कवरेज होती हैं।

4. इसके अलावा नववर्ष में नया बजट स्रोत ''नशा मुक्ति एवम पुर्नवास केन्द्रों'' को सहायता प्रदान करने के लिये रुपये पांच करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

(ङ) विज्ञापन अभियानों की सूचीः

1. 26.06.2013 नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस

2. 26.06.2014 नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस

3. 26.06.2016 नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस

4. 1. 26.06.2017 नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस

5. 24.01.2018 नशा मुक्त दिल्ली

(विज्ञापन की प्रतियां संलग्नक सी के रूप में संलग्न हैं)

अनुलग्नक 'ए'

पिछले दस वर्षों में नशीले पदार्थों के प्रयोग के संबंध में जागरूकता का प्रसार करने के लिए आम जनता के बीच स्ट्रीट कैंपेन की सूची

Financial Year	स्ट्रीट अभियान / ***Campaign*** कार्यक्रम की संख्या
1	2
2006-07	***304***
2007-08	***288***
2008-09	***43***
2009-10	***194***
2010-11	***166***
2011-12	***325***

1	2
2012-13	***345***
2013-14	***362***
2014-15	***34***
2015-16	***4***
2016-17	***716***

अनुलग्नक 'बी'

क्षेत्रों की सूची जहां अभियान का आयोजन किया गया

शाहदरा	बाबरपुर	कुसुमपुर पहाड़ी
श्री राम कालोनी	भगीरथ विहार	गोविंद पुरी
शिव विहार	गौतम विहार	महरौली
सोनिया विहार	शकरपुर	खानपुर
वजीराबाद	कोंडली	संगम विहार–1
सीमापुरी	गीता कॉलोनी	हमदर्द नगर
नंद नगरी	त्रिलोकपुरी	बदरपुर
करावल नगर	पटपड़गंज	ओखला
आनंद–मानसरोवर	भाटी माइंस	मीठा पुर
सीलमपुर	मदनपुर खादर	जमरूद पुर
करदमपुरी	निजामुद्दीन	गौतम पुरी
सुन्दर नगरी	संगम विहार–2	पश्चिम विहार
		बुराड़ी

अमन विहार	नवादा	रोहिणी–1
बवाना	नजफगढ़	दीप एन्क्लेव
सावदा	कापसहेड़ा	नयादर एन्क्लेव
गुप्ता एन्क्लेव	नंगली	साई एन्क्लेव
खुशी राम–कॉलोनी	इंदर पुरी	रोहिणी द्वितीय
हस्तसाल	अलीपुर	प्रेम नगर
तिलक विहार	नरेला	शाहाबाद
शकूरपुर कीर्ति नगर	जहांगीरपुरी	दौलत पुर
पश्चिम विहार	शाहबाद	निलोठी
त्रिनगर	नांगलोई	प्रताप विहार
मोती नगर	होलमबी	मंगोलपुर खुर्द
मादीपुर	भलस्वा	ज्वाला पूरी
राजौरी गार्डन	बुद्धपुर	निहाल विहार
रानी बाग	कंझावला	नबी करीम
विष्णु गार्डन	सुल्तान पुरी	जामा मस्जिद
माया पुरी	टिकरी खुद	आनन्द पर्वत
उत्तम नगर	मयूर विहार	चांदनी चौक
सागर पुर	रोहिणी–1	बागकड़े खान
डाबरी	दीप एन्क्लेव	निमड़ी
मंगोल पुरी	नयादर एन्क्लेव	वजीर पुर
राजा गार्डन	साई एन्क्लेव	तिमार पुर

391. श्री पवन शर्मा : क्या **समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सहायता (पेंशन) की योजना का इस वर्ष विस्तार किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस विस्तार का विवरण अर्थात लाभार्थियों की संख्या व भुगतान की जाने वाली राशि में वृद्धि क्या है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत वर्तमान में सक्रिय लाभार्थियों की संख्या क्या है, यदि यह संख्या लक्ष्य से कम है तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) वित्त वर्ष 2016–17 व 2017–18 में अब तक इस योजना के लाभार्थियों में से कितने नाम मृत्यु अथवा अन्य कारणों से हटाए गए हैं, संपूर्ण विवरण तालिका बनाकर हटाए जाने के कारण सहित प्रदान करें;

(ङ) वित्त वर्ष 2016–17 व 2017–18 में अब तक इस योजना में कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं व इस अवधि में कितने नए नाम इसमें जोड़े गए;

(च) वर्ष 2017–18 में प्रत्येक महिने में पेंशन वितरण की तिथि/समय–सारणी बताएं;

(छ) यदि आवेदन आवश्यकता से अधिक आते हैं तो उनमें से चयन का मानदंड क्या है, एक वर्ष में पेंशन आवेदन पर कार्यवाही करने और पेंशन देने की समयावधि क्या है;

(ज) यदि कोई सच्चा आवेदक आवेदनों की अधिकता के कारण पेंशन से वंचित रह जाता है तो उसके आवेदन का क्या होता है, क्या इसे अगली बार के लिए विचाराधीन रखा जाता है;

(झ) विभाग के अनुमान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यूनिवर्सल कवरेज हेतु पात्र उम्मीदवारों की संख्या क्या है;

(ञ) आधार–संबद्धता के आधार पर आज तक कुल लाभार्थियों की संख्या क्या है, और ऐसे लाभार्थियों को भुगतान कैसे किया जाता है;

(ट) यदि कुछ लाभार्थियों को आधार–संबद्धता के चलते भुगतान रोका गया है तो उनकी संख्या क्या है;

(ठ) लाभार्थियों व अन्य आवेदकों की पात्रता को भौतिक रूप से जांचने के लिए वार्षिक प्रक्रिया व समय–सारिणी क्या है;

(ड) वर्ष 2016–17 व 2017–18 के दौरान भौतिक रूप से जांच के दौरान कितने लाभार्थियों को अयोग्य पाया गया;

(ढ) क्या ऐसे लाभार्थियों को हटाया गया और उनकी पेंशन को रोका गया;

(ण) ऐसे मामलों में आवेदकों के विरुद्ध व विभाग के अंदर क्या कार्यवाही की गई;

(त) लाभार्थियों व अन्य आवेदकों से शिकायतें प्राप्त करने का तंत्र क्या है;

(थ) वर्ष 2016–17 व 2017–18 में आज तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और कितनों का निवारण हुआ है;

(द) इस योजना के बारे में और इसे लागू किए जाने के संबंध में कितनी आरटीआई विभाग द्वारा प्राप्त की गई हैं;

(ध) इनमें से कितनी आरटीआई का उत्तर दे दिया गया; और

(न) कितनी आरटीआई अपीलिय प्राधिकारी द्वारा प्राप्त की गईं?

समाज कल्याण मंत्री : (क) जी हां।

(ख) वर्तमान में मंत्रीमंडलीय निर्णय संख्या–2462 दिनांक 06.01.2017 के अनुसार माह फरवरी से विभाग द्वारा चलाई जा रही वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत सहायता राशि में रुपये 1000/ प्रतिमाह की वृद्धि की गई है।

इस निर्णय के उपरान्त फरवरी माह से 60–69 आयु वर्ग के सभी लाभार्थियों को 2000/– प्रतिमाह व 70 और उससे अधिक आयु वर्ग के लाभार्थियों को 2500/– रुपये प्रतिमाह दिये जा रहे हैं जिनके बैक खाते आधार से जुड़े हुए हैं।

कुल 325486 लाभार्थियों को बढ़ी हुई पेंशन प्रेषित की जा रही है।

(ग) वर्तमान में इस योजना के अन्तर्गत कुल 432970 सक्रिय लाभार्थी हैं। कुल एक लाख नई रिक्तियों में से दिनांक 20.03.2018 तक 56000 लाभार्थी जुड़े तथा साथ ही बैंको द्वारा रिटर्न किए गए केसों में भी वैसा सुधार कार्य करने के बाद ही पैसा जाता है तथा मृत व्यक्तियों की भी पेंशन रोक दी जाती है।

(घ) योजना के अंतर्गत मृत व अन्य कारण (बैंक रिटर्न केस) हटाए गए लाभार्थियों का वर्षवार विवरण निम्न प्रकार हैं–

वर्ष	मृत लाभार्थी	रिटर्न केस
2016–17	4318	12797
2017–18	5037	14368

वित्त वर्ष 2016–17 व 2017–18 में अब तक इस योजना में कुल 106866 आवेदन प्राप्त हुए हैं और इस अवधि में कुल 6804 नए केस जोड़े गए।

(च) वर्ष 2016–17 व 2017–18 से प्रत्येक महिने का पेंशन वितरण का तिथियों/शैड्यूल सहित पूर्ण विवरण संलग्न है।

(छ) योजना में पहले आओ पहले पाओ की नीति का पालन किया जाता है। रिक्तियां पूर्ण होने पर नये आवेदन नहीं लिये जाते। लगभग 45 दिन की समयावधि में पेंशन आवेदनों का निपटान किये जाने का प्रावधान है। योग्य पाए गए स्वीकृत आवेदनों को पेंशन राशि आवेदन प्राप्त होने के अगले माह से बकाया राशि सहित प्रेषित की जाती है।

वर्ष 2017–18 में एक साथ अत्यधिक आवेदन ऑनलाइन प्राप्त होने व जिला कार्यालयों में कर्मचारियों की कमी के कारण निर्धारित समयावधि में आवेदनों का निपटान संभव नहीं है।

(ज) जी नहीं। योजना मे पहले आओ पहले पाओ की नीति का पालन किया जाता है।

(झ) ऐसा कोई सर्वेक्षण विभाग में उपलब्ध नहीं है।

(ञ) आधार–संबद्धता के आधार पर आज तक लाभार्थियों की कुल संख्या– 325486 है। पेंशन का भुगतान ***Public Financial Management System (PFMS)*** के माध्यम से लाभार्थी के सत्यापित बैंक खाते में किया जाता है।

(ट) आधार लिंक के अभाव में किसी भी लाभार्थी की पेंशन का भुगतान रोका नहीं गया है।

(ठ) वर्तमान में दस्तावेजों के अनुसार ही पेंशन स्वीकृत या निरस्त की जाती है, केवल संदेहास्पद स्थिति में ही 5 प्रतिशत आवेदनों में भौतिक सत्यापन (फिजीकल वैरीफिकेशन) किया जाता है।

(ड) से (ण) वर्ष 2016–17 व 2017–18 के दौरान भौतिक जांच नहीं की गई है।

(त) लाभार्थियों व आवेदकों से शिकायतें पत्राचार, जनसंपर्क खिड़की, पीजीएमएस पोर्टल, पीजीसी, आरटीआई, वीआईपी पत्राचार इत्यादि के माध्यम से प्राप्त की जाती हैं।

(थ) चूंकि एक व्यक्ति अलग–अलग माध्यम से शिकायत दर्ज करता है अतः एक निश्चित संख्या नहीं बताई जा सकती।

वर्ष 2016–17 व 2017–18 में आज तक लगभग–2200 शिकायतें प्राप्त हुई हैं और सभी प्राप्त शिकायतों का निवारण शीघ्र कर दिया गया।

(द) इस योजना के बारे में और इसे लागू किए जाने के संबंध में 2016–17 में 63 व 2017–18 में लगभग 70 आरटीआई विभाग द्वारा प्राप्त की गई है।

(ध) सभी आरटीआई का उत्तर दे दिया गया।

(न) प्रथम अपीलिय प्राधिकारी द्वारा पिछले दो वर्षों में कुल–179 आरटीआई अपील प्राप्त हुईं।

वर्ष 2017–18 से अब तक प्रत्येक महीने के वृद्धावस्था पेंशन वितरण का विवरण–

पेंशन अवधि	लाभार्थियों की संख्या	भुगतान का माह
1	2	3
अप्रैल, 2017–मई, 2017	237581	मई, 2017
अप्रैल, 2017–मई, 2017	35934	जून, 2017
अप्रैल, 2017–मई, 2017	107194	जून, 2017
मार्च, 2017–मई, 2017	4755 *(Ex-MCD)*	जुलाई, 2017
जून, 2017–जुलाई, 2017	229476	जुलाई, 2017
जून, 2017–जुलाई, 2017	64022	अगस्त, 2017
जून, 2017–जुलाई, 2017	86989	अगस्त, 2017
फरवरी, 2017 और जुलाई, 2017	7279 *(New Cases)*	अगस्त, 2017
फरवरी, 2017 और जुलाई, 2017	1845 *(New Cases)*	अगस्त, 2017
मार्च, 2017 और जुलाई, 2017	4807 *(New Cases)*	सितम्बर, 2017
अगस्त, 2017 और सितम्बर, 2017	256036	सितम्बर, 2017

1	2	3
फरवरी, 2017 और सितम्बर, 2017	4670 ***(New Cases)***	अक्टूबर, 2017
अगस्त, 2017 और सितम्बर, 2017	10081	अक्टूबर, 2017
अगस्त, और सितम्बर, 2017 (नए केस फरवरी, 2017 और सिम्तबर, 2017)	131305 ***(New + on going Cases)***	अक्टूबर, 2017
फरवरी, 2017—सितम्बर, 2017	4827 ***(New Cases)***	नवंबर, 2017
अगस्त, 2017 और सितम्बर, 2017 (नए केस फरवरी, 2017 और सितम्बर, 2017)	142012 ***(New + on going Cases)***	नवंबर 2017
अगस्त, 2017 और सितम्बर, 2017 (नए केस फरवरी, 2017 और सितम्बर, 2017)	6948 ***(New + on going Cases)***	नवंबर 2017
अगस्त, 2017 और सितम्बर, 2017	10616	दिसंबर, 2017
अगस्त, 2017 और सितम्बर, 2017	52742	दिसंबर, 2017
फरवरी, 2017—नवंबर, 2017	3180	दिसंबर, 2017

1	2	3
अक्टूबर, 2017 और नवंबर, 2017	285764	दिसंबर, 2017
अक्टूबर, 2017 और नवंबर, 2017	75726	दिसंबर, 2017
फरवरी, 2017—नवंबर, 2017	2508 ***(New Cases)***	दिसंबर, 2017
अक्टूबर, 2017 और नवंबर, 2017	49185	दिसंबर, 2017
फरवरी, 2017—नवंबर, 2017	4192 ***(New Cases)***	जनवरी, 2018
फरवरी, 2017—नवंबर, 2017	3121 ***(New Cases)***	जनवरी, 2018
दिसंबर, 2017—जनवरी, 2018	307209	जनवरी, 2018
दिसंबर, 2017 और जनवरी, 2018 (नए केस फरवरी, 2017—जनवरी, 2018)	11809 ***(New + on going Cases)***	फरवरी, 2018
दिसंबर, 2017—जनवरी, 2018	63543	फरवरी, 2018
मार्च, 2017—जनवरी, 2018	5896 ***(New + MCD Cases)***	मार्च, 2018

392. श्री दिनेश मोहनियां : क्या **समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि जन शिकायत निगरानी प्रणाली (पीजीएमएस) के द्वारा दिनांक 27.02.2018 तक समाज कल्याण विभाग से संबंधित 4896 शिकायतें दर्ज की गईं जिसमें से तक 172 शिकायतें अभी भी लंबित हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह भी सत्य है कि इनमें से 37 शिकायतें निवारण समय से भी अधिक समय से लंबित हैं यदि हाँ तो इसका क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि 1645 शिकायतों पर विभाग द्वारा दिए गए जवाब/कार्यवाही को संतोषजनक नहीं पाया गया यदि हाँ, तो इन शिकायतों पर विभाग ने क्या कार्यवाही की है;

(घ) क्या यह भी सत्य है कि सभी शिकायतों के निवारण के लिए समय–समय पर मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्य सचिव के द्वारा भी विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं; और

(ङ) इन शिकायतों को समय पर निवारण के लिए विभाग ने क्या कदम उठाए हैं;

(च) निवारण के लिए ये शिकायतें किन–किन अधिकारियों के पास और कब–कब भेजी गईं इनका विवरण प्रदान करें;

(छ) संबंधित अधिकारियों ने इनके निवारण के लिए क्या कदम उठाए इसका विवरण प्रदान करें;

(ज) तथा इन शिकायतों का निवारण कितने समय में हो जाएगा;

समाज कल्याण मंत्री : (क) जन शिकायत निगरानी प्रणाली (पीजीएमएस) के द्वारा दिनांक 27.02.2018 तक समाज कल्याण विभाग से संबंधित 4811 शिकायत दर्ज की गईं जिसमें से 94 शिकायतें अब भी लंबित हैं।

(ख) शिकायतों का निवारण समय से अधिक लंबित होने का कारण कभी–कभी तकनीकी समस्या का होना है।

(ग) संबंधित शाखाओं के अधिकारियों को शिकायतों के पुनः अवलोकन तथा उचित समाधान हेतु समय–समय पर लिखित रूप व मौखिक रूप से निर्देश दिए गए।

(घ) जी हां।

(ङ) विभाग की संबंधित शाखाओं को समय–समय पर रिमांइडर (अनुस्मारक) भेजे गए।

(च) सूची संलग्न है।

(छ) संबंधित अधिकारियों द्वारा शिकायतों का समाधान किया जा रहा है।

(ज) इन शिकायतों का निवारण शीघ्र–अतिशीघ्र किया जाएगा।

Date From 01/01/2015 to 27/02/20

Sl. No.	Department	Total Received	Total Pending	Total Overdue	Total Disposed	Disposed %
1	District Social Welfare Officer NWII	1193	0	0	1193	100%
2	GRO	853	5	5	848	99%
3	District Social Welfare Officer South West	557	37	2	520	93%
4	District Social Welfare Officer North Westl	472	0	0	472	100%
5	District Social Welfare Officer North East	417	2	2	415	100%
6	Financial assistance section	311	2	0	309	99%
7	District Social Welfare Officer East	214	0	0	214	100%
8	District Social Welfare Officer South	176	14	6	162	92%
9	District Social Welfare Officer West	154	0	0	154	100%
10	District Social Welfare Officer Central	134	13	11	121	90%
11	District Social Welfare Officer North	117	2	2	115	98%
12	Disability branch	25	0	0	75	100%
13	Admn II Branch	58	3	3	55	95%

14	Social Security Branch	47	0	0	47	100%
15	Estate Branch	23	4	4	19	83%
16	Social Defanse Branch	21	1	1	20	95%
17	District Social Welfare Officer New Delhi	20	1	0	19	95%
18	Admn 1 Branch	14	1	0	13	93%
19	Deaf and Dumb school	12	8	8	4	33%
20	VAC Branch	11	0	0	11	100%
21	School and Hostel GSSSBB	8	1	1	7	88%
22	Vigilance Branch	6	0	0	6	100%
23	Care taking Branch	5	0	0	5	100%
24	Rehabilitation services branch	4	0	0	4	100%
25	Computer cell	2	0	0	2	100%
26	Ashkiran	1	0	0	1	100%
	Total	4905	94	45	4811	98%

393. श्री जगदीश प्रधान : क्या **समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने ओल्ड एज होम बनाने के लिए कितनी जगह अधिग्रहित कि है;

(ख) गत तीन वर्षों में सरकार ने कितने नए ओल्ड एज होम बनाए हैं;

(ग) क्या कांतिनगर, चितरंजन पार्क, रोहिणी, पश्चिम विहार तथा छत्तरपुर में ओल्ड एज होम बनकर तैयार हो गए हैं;

(घ) इस समय कहां–कहां ओल्ड एज होम बनाए जा रहे हैं; और

(ङ) आगामी दो वर्षों में कितने ओल्ड एज होम बनकर तैयार हो जाएंगे?

समाज कल्याण मंत्री : (क) विभाग को दस विभिन्न स्थानों पर ओल्ड एज होम बनाने के लिए भूमि प्राप्त हुई है।

(ख) विगत तीन वर्षों में सरकार ने नए ओल्ड एज होम बनाने के प्रयास किये हैं परन्तु अभी तक किसी भी ओल्ड एज होम का निर्माण कार्य समाप्त नहीं हुआ है।

(ग) कांतिनगर, ओल्ड एज होम का कार्य शुरू हो चुका है। पश्चिम विहार ओल्ड एज होम का कार्य शुरू करने के लिए विभाग द्वारा तीन करोड़ रुपए की राशि आवंटित की जा चुकी है। चितरंजन पार्क में विभाग द्वारा रु. 4,83,58,000/– की राशि दिनांक 23.03.2017 को ***PWD*** को आवंटित की जा चुकी है। मिट्टी की टेस्टिंग का कार्य पूरा हो चुका है। संरचनात्मक

डिजाइन चीफ इंजीनियर द्वारा मंजूर किया जा चुका है। वर्तमान में उपनिदेशक (हॉर्टिकल्चर) ने पेड़ काटने की अनुमति प्राप्त करने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं, अनुमति मिलने के उपरांत निर्माण कार्य शुरू होगा।

रोहिणी, वृद्धाश्रम बनाने रु. 12,48,58,400/– का एस्टिमेट प्राप्त हुआ था, जो कि वित्त विभाग की स्वीकृति हेतु भेजा जा चुका है छत्तरपुर में ओल्ड एज होम का कार्य ***MCD*** से मंजूरी मिलने के बाद शुरू हो पाएगा।

(घ) इस समय निम्न जगह ओल्ड एज होम बनाए जा रहे हैं–

क्र.सं. वृद्धाश्रम का नाम वर्तमान स्थिति

1. कांति नगर 1550 ***Sqm. (117)*** कांति नगर के वृद्धाश्रम को बनाने हेतु रु. 5,78,83,000/– की राशि दिनांक 17.09.2015 को आवंटित की जा चुकी है। वृद्धाश्रम का कार्य दिसम्बर, 2018 तक पूर्ण हो जाने की उम्मीद है।

2. वजीर पुर, अशोक विहार ***666 Sqm. (36)*** सिविल कार्य पूरा हो गया है। वर्तमान में इमारत में लिफ्ट स्थापित करने के लिए काम चल रहा है।

(ङ) आगामी दो वर्षों में निम्नलिखित ओल्ड एज होम बनकर तैयार हो जाने की उम्मीद है।

क्र. सं. वृद्धाश्रम का नाम

1. चितरंजन पार्क

2. रोहिणी, सैक्टर–4

3. पश्चिम विहार

4. छत्तर पुर
5. गीता कॉलोनी
6. जनकपुरी
7. सरिता विहार
8. वसंत कुंज
9. कांति नगर
10. वजीर पुर, अशोक विहार

394. श्री मनजिंदर सिंह सिरसा : क्या **समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या है सत्य है कि सरकार ने वर्ष 2015 में किंग्सवे कैंप में नेत्रहीन कॉलेज छात्रों के लिए हॉस्टल बनाने वादा किया था;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या है सत्य है कि सरकार ने वर्ष 2015 तिमारपुर में नेत्रहीन कॉलेज छात्राओं के लिए हॉस्टल बनाने वादा किया था;

(घ) यदि हाँ, तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ङ) क्या है सत्य है कि सरकार ने वर्ष 2015 नरेला में मानसिक रूप से बाधित व्यक्तियों के लिए समेकित परिसर बनाने का वादा नेत्रहीन कॉलेज छात्राओं के लिए हॉस्टल बनाने वादा किया था;

(च) यदि हाँ, तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या है।

समाज कल्याण मंत्री : (क) सत्य है।

(ख) विभाग को ***PWD*** द्वारा उक्त हॉस्टल बनाने हेतु रु. 12,63,00,000/– का एस्टिमेट प्राप्त हुआ था, जिसको स्वीकृति हेतु, वित्त विभाग के ऑर्डर नंबर ***F-8/2/2007-AC/CD-01295543/2014-15/Exp-4/667-796 dated 10.09.2014*** के अनुसार बनाकर जमा करने के लिए ***PWD*** को दिनांक 06.11.2017 एवं अनुस्मारक दिनांक 07.03.2018 द्वारा अनुरोध किया गया है।

(ग) सत्य है।

(घ) विभाग को ***PWD*** द्वारा उक्त हॉस्टल बनाने हेतु रु. 12,20,00,000/– का एस्टिमेट प्राप्त हुआ था, वित्त विभाग की स्वीकृति मिलने के बाद यह राशि दिनांक 11/01/2018 को आवंटित की जा चुकी है।

(ङ) सत्य है।

(च) ***PWD*** ने उक्त हॉस्टल के निर्माण के लिए 305 करोड़ रुपए का एस्टिमेट विभाग को दिनांक 07.12.2017 को भेजा है जिस पर विभागीय स्तर पर प्रक्रिया चल रही है।

395. श्री मनजिंदर सिंह सिरसा : क्या **समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि केन्द्र सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए समाज सम्मानजनक स्थान बनाने के लिए 'निशक्त व्यक्ति अधिकार विधेयक 2016' अधिसूचित किया है;

(ख) क्या यह सत्य है कि अभी तक दिव्यांगों की केवल 7 श्रेणियां हैं जबकि विधेयक पारित हो जाने पर 21 श्रेणियां हो जाएंगी;

(ग) क्या यह सत्य है कि दिव्यांगों के लिए नौकरियों में आरक्षण बढ़ जाएगा;

(घ) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार ने इसे अभी तक पारित नहीं किया है;

(ङ) क्या सरकार का इस बिल को पारित करने को लेकर क्या इरादा है; और

(च) क्या सरकार दिव्यांगजनों के हितों की सुरक्षा के लिए अलग विभाग गठित करने जा रही है?

समाज कल्याण मंत्री : (क) जी, हां।

(ख) दिव्यांग अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत दिव्यांगजनों की 21 श्रेणियां हो गई हैं।

(ग) जी हां।

(घ) दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016, केंद्र सरकार के अधिसूचना द्वारा 19.04.2017 से पूरे देश में लागू हो चुकी है।

(ङ) उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए नियमावली बनाने की प्रक्रिया जारी है।

(च) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

396. श्री महेन्द्र गोयल : क्या **समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समाज कल्याण विभाग द्वारा विकलांग (दिव्यांग) लोगों के लिए कौन–सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, इसकी विस्तृत जानकारी क्या है?

समाज कल्याण मंत्री : (क)

(1) विकलांग व्यक्तियों हेतु आर्थिक सहायता (पेंशन) योजना चलाई जा रही है जिसके अन्तर्गत रुपये 2500/– (प्रतिमाह) की सहायता राशि प्रदान की जाती हैं। योजना की पात्रता निम्न प्रकार है–

* आयु सीमा 0 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
* प्रार्थी गत 5 वर्ष से दिल्ली का स्थायी निवासी होना चाहिए।
* प्रार्थी की विकलांगता 40 प्रतिशत से कम न हों।
* परिवार की सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय 1 लाख रुपये से अधिक न हो।

(2) विभाग निशक्त जन हेतु ''नेशनल प्रोग्राम फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ पर्सन्स विद डिसबिलिटीस'' (एनपीआरपीडी) के अंतर्गत सामान्य विकलांगता शिविर, सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं के सहयोग से आयोजित करता है। इस शिविर के द्वारा विकलांग व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इन शिविरों के आयोजन की जानकारी समय–समय पर समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाती है।

(3) दिल्ली अनुदान योजना के अंतर्गत, विभाग, गैर सरकारी संस्थाओं, संगठनों को जो विकलांगता के क्षेत्र में कार्य कर रहीं है, को अनुदान देती है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में कुल 7 एनजीओ को अनुदान दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2017–18 के अंतर्गत गैर–सरकारी

संस्थाओं, संगठनों को जो विकलांगता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उनको अनुदान देने की प्रक्रिया अभी विचाराधीन है।

(4) समाज कल्याण विभाग द्वारा उन गैर सरकारी संस्थाओं को संस्तुति भारत सरकार को की जाती है तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की विभिन्न योजनाओं जैसे कि दी दयाल रिहैबिलिटेशन स्कीम (डीडीआरएस), अवेयरनस जनरेशन प्रोग्राम (एजीपी), असिस्टेंशन टू डिसअब्ल्ड परसन फॉर पर्चेसिंग/फीटिंग ऑफ एडस/एप्लीएंसिस स्कीमस (डीडीआरएस), अवेयरनस जनरेशन प्रोग्राम (एजीपी), असिस्टेंश टू डिसअब्ल्ड परसन फॉर पर्चेसिंग/फीटिंग ऑफ एडस/एप्लीएंसिस स्कीमस (एडीआईपी) और स्कीम फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ परसन्स विद डिसअबिलिटी एक्ट (एसआईपीडीए) के तहत आवेदन करते हैं। वर्ष 2017–18 में विभाग द्वारा 02 संस्थाओं को अनुदान देने हेतु संस्तुति दी गई।

(5) विभाग द्वारा मानसिक बीमारी से ग्रस्त लोगों के लिए 4 हाफ–वे–होम शुरू हो चुके हैं, जिसमें से दो हाफ–वे–होम (महिलाओं) के लिए सेक्टर–3, रोहिणी (क्षमता 40 लोग) में हैं।

(6) सुगम्य भारत अभियान का क्रियान्वयन केन्द्रीय सरकार ने 3 दिसंबर, 2015 को शुरू किया जिसके तहत, इमारतों, यातायात व संचार के साधनों में विकलांगों के लिए सुगम्यता बढ़ाई जाए। अभियान के पहले चरण के अंतर्गत दिल्ली की 23 इमारतों का ऑडिट किया गया। जिनमें से 19 इमारतें दिल्ली सरकार की हैं।

ऑडिट के अनुसार केन्द्र सरकार ने 19 इमारतों में सुधार व सुगम्य बनाने के लिए लगभग 14 करोड़ रुपये राज्य सरकार को स्थानांतरण कर दिया है।

397. श्री रामचंद्र : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि पिछले दस वर्षों में आंगनवाड़ियों में भोजन की गुणवत्ता के संबंध में आपूर्तिकर्ता एनपीओज़ के विरुद्ध अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे एनपीओ की सूची उपलब्ध कराएं, व उन शिकायतों के निवारण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) डीडब्ल्यूसीडी द्वारा किराया बढ़ाने के बाद कितनी आंगनबाड़ियों को अपेक्षाकृत बड़े स्थानों पर स्थानांतरित किया गया है;

(घ) नए स्थानों की तलाश में वरिष्ठ अधिकारियों के निरीक्षण कितने अंतराल के बाद होते रहे हैं, पिछले दो वर्षों में हुए ऐसें निरीक्षणों का ब्यौरा उपलब्ध कराएं;

(ङ) सभी आंगनबाड़ियों को बड़े और बेहतर स्थान पर स्थानांतरित किए जाने हेतु विभाग की क्या योजना और समय–सारिणी है;

(च) कुपोषित बच्चों के बारे में जानने के लिए सरकार ने अंतिम बार सर्वे कब करवाया था; और

(छ) इन सर्वे के निष्कर्ष क्या थे और इन कुपोषित बच्चों के संबंध में विभाग क्या कदम उठाने जा रही है?

उप मुख्यमंत्री : (क) जी हां। पिछले दस वर्षों में आंगनवाड़ियों में भोजन की गुणवत्ता के संबंध में आपूर्तिकर्ता एनपीओज़ के विरुद्ध कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) एनपीओ इंडकेयर व एनपीओ जनचेतना के खिलाफ शिकायतों के निवारण के लिए इस विभाग ने इंडकेयर एनपीओ के साथ हुए समझौते के तहत कार्यवाही करते हुए इनसे आवंटित प्रोजेक्ट वापिस ले लिए तथा एक एनपीओ जनचेतना को ब्लैक लिस्ट किया गया तथा इसके अतिरिक्त निम्न एनपीओ द्वारा आंगनबाड़ी में पहुंचाये जाने वाले पोषाहार के वितरण में त्रुटि पाये जाने पर समय–समय पर पायी गई शिकायतों के आधार पर तथा अनुबंध के अनुसार एनपीओ पर वित्तीय आर्थिक जुर्माना लगाया गया तथा भविष्य में पोषाहार को सुधारने के लिए समय–समय पर मुख्यालय द्वारा चेतावनी दी गई।

एनपीओ की सूची निम्नलिखित हैः–

1. ***Dalit Prahari***
2. ***Nav Prayas***
3. ***Stri Shakti***
4. ***Mahila Bal Utthan***
5. ***Rewards***
6. ***Rao Raghubir***
7. ***Suprabhat***
8. ***IND Care***
9. ***Sunder Amarsheel***
10. ***People Welfare***

11. ***Seami Sivanand***
12. ***Dalit Mahav Utthan***
13. ***Shape India***
14. ***Jay Gee Humantarian***
15. ***Rastriya Nirbal***
16. ***Maitri Research***
17. ***Anmol***
18. ***Ekta Shakti***
19. ***Surya Charitable***
20. ***Ray Welfare***
21. ***BHIM Rao Ambedkar***
22. ***Waruda***

(ग) सरकार ने गत तीन वर्षों में 2651 आंगनवाड़ी केन्द्रों को बेहतर स्थानों पर स्थानान्तरित किया है। वर्ष 2017–18 में जब विभाग द्वारा तीन या तीन से अधिक आंगनबाड़ी को एक स्थान पर इकट्ठा करके हब सैन्टर बनाया गया, तब से फरवरी, 2017 तक 89 हब सैन्टर बनाए गए हैं जिनमें 314 आंगनवाड़ी केन्द्र स्थानांतरित कर दिए गए है।

(घ) क्षेत्र के संबंधित परियोजना अधिकारी द्वारा यह निरीक्षण समय–समय पर किए जाते है इसके अतिरिक्त अच्छे स्थानों की तलाश में वरिष्ठ अधिकारियों (निदेशक एवं उप निदेशक) द्वारा जुलाई 2017 से फरवरी, 2018 तक लगभग 64 निरीक्षण किये गये।

(ङ) सभी आंगनवाड़ियों को बड़े और बेहतर स्थान पर स्थानांतरित किए जाने हेतु प्रोत्साहन योजना बनाई गई है।

इस प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत उन आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं को प्रोत्साहित किया जाएगा जो अपने आंगनवाड़ी केन्द्र को ऐसे कमरे में स्थानान्तरित करने का प्रयास करेंगी जिनमें निम्न सुविधाएं उपलब्ध हो–

(1) आंगनबाड़ी केन्द्र का कमरा कम से कम 225 गज का हो।

(2) कमरे में मकानमालिक का कोई भी सामान न हो।

(3) बच्चों के खेलने के लिए पर्याप्त स्थान हो।

(4) बच्चों के लिए साफ सुथरे शौचालय की व्यवस्था हो।

(5) बच्चों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था हो।

(6) आंगनवाड़ी केन्द्र की दीवारें साफ–सुथरी एवम् पुती हुई हो।

(7) केन्द्र में प्राकृतिक हवा एवम् रोशनी की उचित व्यवस्था हो।

(8) बिजली की उचित व्यवस्था हो।

(9) बच्चों के लिए केन्द्र उनकी पहुंच में एवम् सुगम्य हो।

(10) इस योजना के अंतर्गत जून, 2017 से विभाग द्वारा कई आगंनबाड़ी केन्द्रों को बेहतर स्थानों पर स्थानांतरित करने का कार्य प्राथमिकता से किया जा रहा है और परियोजना अधिकारी के इस संबंध में कार्यालय आदेश भी समय–समय पर दिये गये है (आदेश की कापियां संलग्न है)।

समय सारिणी

विभाग आगामी वर्ष में समस्त आंगनवाड़ी केन्द्रों को बेहतर स्थानों पर स्थानान्तरित करने का प्रयास कर रहा है।

(च) समेकित बाल विकास परियोजना में आंगनवाड़ी केन्द्रों में प्रत्येक वर्ष सर्वे किया जाता है इसके अतिरिक्त प्रतिदिन गृह भम्रण में कुपोषित बच्चों की पहचान कर उनका विशेष ध्यान रखा जाता है।

(छ) कुपोषित बच्चों का सर्वे समेकित बाल विकास परियोजना के निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि वजन सम्बन्धी तथ्य को देख कर बच्चे के शारीरिक विकास में क्या कमिया है। बच्चों का वजन कितना घट रहा है या बढ़ रहा है। तीन बार लगातार वजन करने के बाद भी अगर वजन नहीं बढ़ता तो बच्चों को विशेष निगरानी देखरेख के लिए अस्पताल भेजा जाता है।

अपने आंगनबाड़ी क्षेत्र में सभी बच्चों की आयु, वजन और पोषण स्थिति का लिखित विवरण रखा जाता है।

कुपोषण को सुधारने के लिए विभाग द्वारा उठाये गए कदमः—

प्रत्येक महीने महिला मंडल के अंतर्गत महिलाओं को निम्नलिखित परामर्श दिया जाता हैः—

नियमित स्तनपान, छः माह के बाद शिशु को अर्द्ध ठोस भोजन देना शुरू करना, बीमारी के समय में भोजन बंद नहीं करना, उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेना, टीकारण अवश्य करवाना, स्वच्छ वातारण बनाए रखना तथा स्वच्छ जल का प्रयोग करना, बच्चों के जन्म में दो से तीन वर्षों का अंतराल रखना, चिकित्सकीय पोषण प्रदान करना, संक्रमण से ग्रसित बच्चे का विशेष ध्यान रखना।

398. श्री रामचन्द्र : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत 5 वर्षों में डीसीपीसीआर द्वारा गुमशुदा बच्चों की प्राप्त हुए हमलों का वर्षवार विवरण क्या है;

(ख) गत 5 वर्षों में डीसीपीसीआर द्वारा गुमशुदा बच्चों के कितने मामले हल कर लिए गए, वर्षवार विवरण क्या है;

(ग) गत 5 वर्षों में डीसीपीसीआर के हस्तक्षेप के कारण जो बच्चे मिल गए, ऐसे मामलों का वर्षवार विवरण क्या है;

(घ) गत 5 वर्ष में डीसीपीसीआर द्वारा गुमशुदा बच्चों के संबंध में आयोजित अध्ययन/कार्यशालाएं/सेमीनार आदि का वर्षवार विवरण क्या है;

(ङ) गत 5 वर्षों में जिन मामलों में गुमशुदा बच्चे छह महीने से अधिक समय तक भी नहीं मिल सके, उनमें इन्वेस्टिगेशन अधिकारी का नाम क्या है;

(च) गत 5 वर्षों में गुमशुदा बच्चों के संबंध में जांच अधिकारियों को जारी किए नोटिस/सम्मन का वर्षवार विवरण क्या है; और

(छ) गत 5 वर्षों में डीसीपीसीआर द्वारा गुमशुदा बच्चों के कितने मामलों में की गई जांचों का वर्षवार विवरण क्या है?

उप मुख्यमंत्री : (क)

क्रमांक	वर्ष	गुमशुदा बच्चो के प्राप्त मामलों की संख्या
1.	2013–14	106
2.	2014–15	87
3.	2015–16	94
4.	2016–17	44
5.	2017–18	42

(ख) और (ग)

क्रमांक	वर्ष	निपटाए गए मामले/बच्चे मिले।
1.	2013—14	66
2.	2014—15	59
3.	2015—16	53
4.	2016—17	23
5.	2017—18	11

(घ)

क्रमांक	वर्ष	कार्यक्रमों की संख्या
1.	2013—14	02
2.	2014—15	06
3.	2015—16	03
4.	2016—17	05
5.	2017—18	08

(ङ) गुमशुदा बच्चों के गत 5 वर्षों में से 6 माह से अधिक समय तक जो भी बच्चे नहीं मिले हैं, उनसे जुड़े हुए इन्वेस्टीगेशन अधिकारी का रिकॉर्ड इस आयोग में उपलब्ध नहीं है।

(च)

क्रमांक	वर्ष	जांच अधिकारी को भेजे गये नोटिस की संख्या
1.	2013—14	106
2.	2014—15	87
3.	2015—16	94
4.	2016—17	44
5.	2017—18	42

(छ) खोये हुए बच्चों के मामले की जांच का कार्य पुलिस द्वारा किया जाता है।

399. श्री जगदीप सिंह : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ईसीसीई में कुल कितने कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है, कितनों को रिफ्रेशर प्रशिक्षण मिला है व अंतिम बार रिफ्रेशर प्रशिक्षण कब दिया गया था;

(ख) सभी 10 हजार आंगनवाड़ी कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने की क्या योजना है;

(ग) आंगनवाड़ियों में अंतिम बार ईसीईई किट कब दी गई थी, कितनी आंगनवाड़ियों में वज़न तौलने व लंबाई मापने की मशीनें हैं;

(घ) वर्ष 2016–17 व 2017–18 में 3 से 6 वर्ष की आयु वर्ग में कितने बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित (एसएएम) पाए गए;

(ङ) इनमें से कितने बच्चों का इलाज सरकारी अस्पताल या स्वास्थ्य केन्द्र में हुआ;

(च) सीडीपीओ के कितने पद रिक्त हैं, इनको भरने की क्या योजना है;

(छ) सुपरवाइजरों के कितने पद रिक्त हैं व इनको भरे जाने की क्या योजना है;

(ज) वर्ष 2016–17 व 2017–18 में आंगनवाड़ी केंद्रों के कितने औचक निरीक्षण किए गए, इनमें क्या कमियां पाई गई और उन पर क्या कार्रवाई की गई;

(झ) क्या यह सत्य है कि आंगनवाड़ी केंद्रों में दिए जाने वाले एसएनपी की गुणवत्ता के संबंध में लाभार्थियों में व्यापक असंतोष है;

(ञ) वर्ष 2016–17 और 2017–18 में यह सेवा उपलब्ध कराने वालों के रसोई घरों का औचक निरीक्षक कितनी बार किया गया, इनमें कितनी और क्या कमियां पाई गई व इसके लिए क्या कार्रवाई की गई;

(ट) क्या यह भी सत्य है कि वर्तमान मैन्यू कम से कम 10 वर्ष से चल रहा है;

(ठ) क्या यह भी सत्य है कि एसएनपी मेन्यू रिवाइज करने का निर्णय भी लिया गया था;

(ड) इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है तथा नए और बेहतर मेन्यू के निविदाएं कब दी जाएंगी;

(ढ़) ऐसी आंगनवाड़ियों की कुल कितनी संख्या है जहां आंगनवाड़ी सपोर्ट एंड मॉनीटरिंग कमेटियां (एएसएमसी) बनाई गई हैं व चालू स्थिति में हैं;

(ण) प्रत्येक आंगनवाड़ी में चालू स्थिति में एएसएमसी बनाए जाने के संबंध में क्या योजना एवं समय–सारिणी है;

(त) क्या यह सत्य है कि महिला व बाल विकास मंत्री ने आंगनवाड़ी योजना के प्रोत्साहनमूलक उन्नयन का प्रस्ताव किया था, इस योजना के क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है तथा 10,000 से अधिक आंगनवाड़ियों के उन्नयन की समय–सारिणी क्या हैं;

(थ) लाभार्थियों से प्राप्त होने वाली शिकायतों के लिए क्या तंत्र है;

(द) वर्ष 2017–18 में अब तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं व इनमें से कितनों का निवारण कर दिया गया है;

(ध) इस योजना के संबंध में व इसके लागू किए जाने के संबंध में विभाग में कितनी आरटीआई प्राप्त हुई हैं;

(न) इनमें से कितनी आरटीआई का उत्तर दिया गया; और

(प) इनमें से कितनी आरटीआई अपीलीय प्राधिकारी के पास प्राप्त हुई है?

उप मुख्यमंत्री : (क) अभी तक ईसीसीई में कुल 417 सुपरवाइजर और 760 आंगनवाड़ी वर्कर को प्रशिक्षित किया गया है। विभाग द्वारा 118

मास्टर ट्रेनर (सुपरवाइजर) को समीक्षा प्रशिक्षण दिसम्बर, 2017 में दिया गया है।

(ख) आने वाले वित्तीय वर्ष में सभी आंगनवाड़ी कर्मचारियों को ईसीसीई प्रशिक्षण दे दिया जायेगा।

(ग) सभी आंगनवाड़ियों में अंतिम बार 2012—13 में शाला पूर्व किट दी गई। इस वर्ष 4343 ईसीसीई बास्केट किट आंगनवाड़ी केन्द्रों में दी गई है। वर्तमान में लगभग 4358 आंगनवाड़ियों में वज़न तौलने की मशीनें है व लंबाई मापने की मशीनें अभी तक केन्द्रों में उपलब्ध नहीं है।

(घ) यह सूचना इस प्रकार है—

2016—17	2017—18
4189	1312

(ङ) परिवार कल्याण निदेशालय में 8 पोषण पुनर्वास केन्द्र की सूचना उपलब्ध है। यह सूचना इस प्रकार है—

2016—17	2017—18
1212	818

उपरोक्त सभी बच्चे सरकारी अस्पताल के पोषण पुनर्वास केन्द्र में भर्ती हुए थे।

(च) सीडीपीओ के 33 पद रिक्त है। इसके लिए विभाग द्वारा यूपीएससी को मांग भेजी गई है।

(छ) सुपरवाइजरों के 04 पद रिकत हैं इसके अतिरिक्त 71 पद अनुबंध तथा 157 पद संविदा के आधार पर भरे है जिनको भरने की प्रक्रिया चल रही है।

(ज) वर्ष 2016–17 और 2017–18 में सभी 10897 आंगनवाड़ी केन्द्रों का औचक निरीक्षण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों, परियोजना अधिकारी व पर्यवेक्षिकाओं द्वारा किया गया।

वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पाई गई कमियां व उस पर की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न है (संलग्नक 'क')

(झ) जी नहीं ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

(ञ) वर्ष 2016–17 में कुल 09 और वर्ष 2017–18 में कुल 40 रसोई घरों का औचक निरीक्षण किया गया।

इनमें पाई गई कमियां व उस पर की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न है। (संलग्नक 'ख')

(ट) जी हाँ, वर्तमान मैन्यू दिसंबर, 2009 से लागू है।

(ठ) जी हाँ, एसएनपी मून्यू रिवाइज करने की प्रक्रिया चल रही है।

(ड) भारत सरकार द्वारा पूरक पोषाहार के दरों में बढ़ोतरी की गई है जिसकी दिल्ली सरकार द्वारा अधिसूचना जारी होना अभी शेष है।

उपरोक्त अधिसूचना के जारी होने के पश्चात् ही बेहतर मेन्यू के निविदाओं के संदर्भ में प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

(ढ़) 600 आंगनवाड़ियों में आंगनवाड़ी सपोर्ट एंड मॉनीटरिंग कमेटियां (एएसएमसी) बनाई गई हैं।

(ण) वर्तमान में विभाग द्वारा सभी परियोजना अधिकारियों एवं माननीय उपमुख्यमंत्री के कार्यालय के ***Co-ordinator*** के साथ संयुक्त सभा का आयोजन किया गया जिसमें यह निश्चित किया गया कि फिलहाल 600 आंगनवाड़ियों में ***ASMC*** (एएसएमसी) गठित की गई है। जिसमें संबंधित ***AWC*** की पढ़ी लिखी महिला, उप आंगनवाड़ी केन्द्र की 2 महिला लाभार्थी, उस क्षेत्र का सामाजिक कार्यकर्त्ता, आंगनवाड़ी केन्द्र के बच्चों की माता, आशा कार्यकर्त्ता, आंगनवाड़ी केन्द्र की कार्यकर्त्ता और उस क्षेत्र के विधानसभा के सदस्य समिति के सदस्य बनेंगें। यह समिति माह में 1 बार बैठक का आयोजन करेगी जो ***Co-ordinator*** द्वारा निश्चित की जाएगी और समस्त परियोजना अधिकारियों द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्र की सुपरवाइजर एवं कार्यकर्त्ता के सहयोग से आंगनवाड़ी केन्द्र में आयोजित की जाएगी।

संबंधित ***ASMC*** के लिए पढ़ी लिखी महिला के मिलते ही इन कमेटियों को गठित कर लिया जाएगा।

(त) जी हाँ, अगले वित्तीय वर्ष के प्रस्तावित बजट के अनुसार 2500 आंगनवाड़ी केन्द्रों के प्रोत्साहनमूलक उन्नय का प्रस्ताव है। तदुपरांत विभाग द्वारा 10,000 आंगनवाड़ियों के उन्नयन की योजना बनाई जा रही है।

(थ) क्षेत्रीय लाभार्थी परियोजना अधिकारी के कार्यालय में अपनी शिकायतें दर्ज कराते है।

(द) चार शिकायतों को लिखित रूप से प्राप्त किया गया था जो संबंधित परियोजना अधिकारी द्वारा हल कर दी गई थी। अधिकतर शिकायतें मौखिक रूप से आती है जिनका समाधान तुरंत कर दिया जाता है।

(ध) अप्रैल, 2017 से 19 मार्च, 2018 के दौरान आईसीडीएस में कुल 172 आरटीआई प्राप्त हुई।

(न) इनमें से सभी 172 आरटीआई का उत्तर दिया गया।

(प) इनमें से 28 आरटीआई अपीलीय अधिकारी के पास प्राप्त हुई।

संलग्नक 'क'

वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्रों में औचक निरीक्षण

2016–17 – 64 औचक निरीक्षण

2017–2018 – 407 औचक निरीक्षण

कमिया

* आंगनवाड़ी के लिए अपर्याप्त स्थान व मकान मालिक का व्यक्तिगत सामान रखा हुआ होना।
* आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता व सहायिका का अनुपस्थिति होना व उनकी अनुशासनहीनता।
* शाला पूर्व गतिविधियों में बच्चों की कम संख्या
* नामांकित लाभांवित का सर्वेक्षण से मिलान न हो पाना
* रजिस्टर का आंगनवाड़ियों में उपलब्ध न होना
* प्रवेक्षिका के पर्यवेक्षण में कमी पाया जाना

कार्यवाही

* आंगनवाड़ी को बेहतर स्थान पर स्थानांतरित किया गया।
* सही नामाकन करवाया गया परियोजना अधिकारी प्रवेक्षिका व आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता को ***ECCE*** का प्रशिक्षण रजिस्टर कार्य ठीक व पूरे करवाए गए।
* आवश्यकता होने पर परियोजना अधिकारी प्रवेक्षिका व कार्यकर्ता सहायिका पर अनुशासनात्मक कार्यवाही
* परियोजना अधिकारी प्रवेक्षिका व कार्यकर्त्ता को ***ECCE*** का प्रशिक्षण

संलग्नक 'ख'

रसोई घरों का औचक निरीक्षण (वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा)

2016–2017 – 09

2017–2018 – 40

कमियां

* रसोई के अंदर व बाहर सफाई का अभाव।
* भण्डार गृह का अव्यवस्थित होना।
* ड्रमो पर वजन न लिखना।
* पोषाहार समय पर आंगनवाड़ी में न भेजना।
* वजन मशीन का ठीक न होना।
* रोशनी की कमी।

* रसोई का अपर्याप्त स्थान।
* पोषाहार की मात्रा का वांछित मात्रा से कम पाया जाना।
* रजिस्टर का अधूरा होना।

कार्यवाही

* रसोई की सफाई व्यवस्थित व रोशनी के उचित निर्देश दिए गए।
* वजन मशीन को ठीक करने के लिए उचित निर्देश दिए गए।
* अधूरे रजिस्टर पूरे करने पर ध्यान देने के उचित निर्देश दिए गए।
* कम तोल के लिए दण्ड हेतु जुर्माना व ज्ञापन।
* रसोई में अनियमितता पाए जाने के कारण एक परियोजना अधिकारी का निलंबन व प्रवेक्षिकाओं की सेवाएं समाप्त की गयी।

400. श्री अजेश यादव : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य बाल सुरक्षा सोसायटी (आईसीपीएस) योजना के अंतर्गत, जिसके लिए बजट में 14 करोड़ का प्रावधान किया गया था, सरकार द्वारा चलाए जाने वाले आवासों की कुल संख्या क्या है व इस समय इन आवासों में रहने वाले लड़कों या लड़कियों की संख्या क्या है;

(ख) ऐसे गैर सरकारी संगठनों के द्वारा परिचालित आवासों की संख्या क्या है, जिन्हें इस योजना में सरकार से अनुदान प्राप्त होता है;

(ग) वर्ष 2017–18 व 2016–17 में कुल कितना अनुदान दिया गया, इन लड़कियों व लड़कों के आवासों की क्षमता क्या है व इस समय इन आवासों में रहने वाले लड़कों या लड़कियों की संख्या क्या है;

(घ) लाभार्थियों व अन्य आवेदकों से शिकायतें प्राप्त करने का तंत्र क्या है;

(ङ) वर्ष 2016–17 तथा 2017–18 में आज तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और कितनों का निवारण हुआ है;

(च) इस योजना के बारे में और इसे लागू किए जाने के संबंध में कितनी आरटीआई विभाग द्वारा प्राप्त की गई हैं;

(छ) इनमें से कितनी आरटीआई का उत्तर दे दिया गया; और

(ज) कितनी आरटीआई अपीलीय प्राधिकारी द्वारा प्राप्त की गई?

उप मुख्यमंत्री : (क) से (ग) समेकित बाल संरक्षण योजना (***ICPS***) के अंतर्गत बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम, 2015 के अंतर्गत आने वाली संस्थाओं तथा खुले आश्रम घर को भारत सरकार द्वारा 60 फीसदी और राज्य सरकार द्वारा 30 फीसदी अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

इसका उत्तर अनुलग्नक क, ख, में उपलब्ध है।

(घ) लाभार्थियों व अन्य आवेदकों से शिकायतें सदस्य सचिव के पास आती है व उनके द्वारा शिकायतों को आगे संबंधित स्टॉफ के पास भेज दिया जाता है।

(ङ) अभी तक (आईसीपीएस) में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई हैं।

(च) 10 (वर्ष 2017–18)

(छ) सभी का जवाब दके दिया गया है।

(ज) 04

अनुदान की जानकारी

DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

Govt. of NCT of Delhi

STATE CHILD PROTECTION SOCIETY

1, Canning Lane, K.G Marg, New Delhi

Sl. No.	Name of the Grantee institution	Profile of the NGO	Complete Address/ Head office	Financial Year 2016-17 Grant	Financial Year 2017-18
1	2	3	4	5	6
1	Don Basco Asharayam	Shelter Home Institutional Services Children Home	Old Nazafgarh Road Plam Gaon Delhi -45, tel - 25080097	3172796	The file is under proces for release GIA after finalization R.E.
2	Salam Balak Trust	Shelter Home Institutional Services Children Home	2nd Floor, DDA Community Centre, Chandiwali Gali Paharganj, New Delhi.	3271342	

3	Prayas Shelter Home for Gins	Shelter Home Institutional Services Children Home	Institutional Area 59, TughlakabadNew Delhi -62, tel-29955505	2896920
4	Prayas Shelter Home for boys	Shelter Home Institutional Services Children Home	EE, Block Jahagir puri, Delhi -33	5589600
5	Samarth the profesionals, shelter Home	Shelter Home Institutional Services Children Home	B-83, Tagore Extn., New Delhi-27, tel -	662486
6	Bal Sahyog	Shelter Home Institutional Services Children Home	Opposite L. Block Connaught .Place New Delhi-1, tel- 23411995	5044000
7	Salam Ealak Trust DMRC, Children Home,	Shelter Home Institutional Services Children Home	2nd Floor, DDA Community Centre, Chandiwali Gali Paharganj, New Delhi.	6129411
8	Society For Promotion of Youth & Masses, SPYM, 1.	Shelter Home Institutional Services Children Home	111/9. Opposite sector B-4, Vasant kunj, New Delhi-110070, tel -9999676929	NIL
9	Rose Udaa.n Children Home foe Girls	Shelter Home Institutional Services Children Home	2nd Floor, DDA Community Centre, Chandiwali Gali Paharganj, New Delhi.	1604700
			(A) Total Amount Rs.	28371255

1	2	3	4	5	6
10	***BalSahyog***	***Open Shelter in Urban and Semi-Urban Areas***	***Opposite L. Block Connaught Place New Delhi -1, tel- 23411995***	***1574650***	
11	***Shubhakshika Educational Society***	***Open Shelter in Urban and Semi-Urban Areas***	***A5/B-184, Pachim Vihar New Delhi -110063, tel-25253645***	***1483007***	
12	***Amar Holistic Society-' or Disabled***	***Open Shelter in Urban and Semi-Urban Areas***	***Amar Compex, B-24, Kanti Nagar, Shahadra Delhi -51. tel -9810661110***	***2161080***	
13	***Sanyog Charitable Trustl 87, Lower Ground Fioor, Hah Naga' Asnram New Delhi-110014***	***Open Shelter in Urban and Semi-Urban Areas***	***187, Lower Ground Floor, Hari Nagar Ashram New Delhi 110014. tel - 9810939453***	***Nil***	
14	***SAMARTH-The Professionals,***	***Open Shelter in Urban and Semi-Urban Areas***	***B-23, Tagore Extn., New Delhi-27, tei - 9212008543***	***Nil***	
15	***Salam Baalak Trust (Multani Dhanda) DZA, Comnunity center Gali no - 11, Multani***	***Open Shelter in Urban and Semi-Urban Areas***	***2nd Floor, DDA Community Centre, Chandiwali Gali Paharganj, New Delhi.***	***1782767***	***The file is under proces for release***

	Dhanda, Paharganj New Delhi -55.				***GIA after finalization RE.***
16	***ARADHYA***	***Open Shelter in Urban and Semi-Urban Areas***	***E-97, DDA Colony. Khyala, New Delhi-110018, tel-27639308***	***NIL***	
17	***Prayas (Mori Gate) Basti Vikas Kendra, Kucha Mortar Khan, near Phool Mandi***	***Open Shelter in Urban and Semi-Urban Areas***	***Institutional Area 59, TughlakabadNew Delhi -62, tel-29955505***	***1446120***	
18	***Prayas (Azad Pur) Sarai peepal Thala, Rani Basera, II nd Floor, Azadpur***	***Open Shelter in Urban and Semi-Urban Areas***	***Institutional Area 59, Tughlakabad New Delhi -62, tel-29955505***	***1510920***	
19	***Prayas (Nabi Karim) 6108, Gali No. 15, Gali Ravi Das (from Paharganj near Neem Wala Chowk***	***Open Shelter in Urban and Semi-Urban Areas***	***Institutional Area 59, Tughlakabad New Delhi -62, tel-29955505***	***1539000***	
20	***Prayas (Udyog nagar, peera gardi) Basti Vikas Kendra, Udyog Nagar, Peeragarhi***	***Open Shelter in Urban and Semi-Urban Areas***	***Institutional Area 59, Tughlakabad New Delhi -62, tel-29955505***	***1338120***	

1	2	3	4	5	6
21	*Prayas (Kuccha Pandit) 3074/7, Ajmeri Gate, Kucchha Pandit, New Delhi*	*Open Shelter in Urban and Semi-Urban Areas*	*Institutional Area 59, TughlakabadNew Delhi -62, tel-29955505*	*NIL*	*The file is under proces for release GIA after finalization RF*
22	*Prayas (Yamuna Bazar) 811/1, BVK Chhota Bazar, Kashmiri 3ate*	*Open Shelter in Urban and Semi-Urban Areas*	*Institutional Area 59, Tughlakabad New Delhi -62, tel-29955505*	*1489320*	
23	*Society for Participatory Integrated Development (SPID)*	*Open Shelter in Urban and Semi-Urban Areas*	*WZ-1374A/2,Krishna Bhawan, Nangal Raya, New Delhi-46, tel - 9311257097*	*2303280*	
24	*Grea: India Dream Foundation IIPM*	*Open Shelter in Urban and Semi-Urban Areas*	*Campus, Chhatarpur, Bhatimines Road satbari Chandanhaula, New Delhi-110074*	*NIL*	
25	*ODRS SBT Morigate,*	*Open Shelter in Urban and Semi-Urban Areas*	*2nd Floor, DDA Community Centre. Chandiwali Gali Paharganj, New Delhi.*	*1963980*	

26	*SATHI, open shelter,*	*Open Shelter in Urban and Semi-Urban Areas*	*4676/21, 2nd floor, Ansari road, Dariya ganj Delhi - 110002. Mob 9621672916*	*1268123*
27	*SP.......... open shelter Nila gumboaz Nizamudin*	*Open Shelter in Urban and Semi-Urban Areas*	*111/9, Opposite sector B-4, Vasant kunj, New Delhi-110070, tel -9999676929*	*NIL*
			(B) Total Amount Rs.	*19860367*
28	*Sewa Bharti Matri Chhaya*	*Familty Based Non Institutional Care, State Adoption Agency*	*Sri Guru Ram Rai Udasin Ashram Chander nagar Paharganj New Delhi-110055. tel - 9212538402*	*1337519*
29	*Holy Cress Social Services Center*	*Familty Based Non Institutional Care, State Adoption Agency*	*Dheerpur, DDA, Project Near Nirankari Sarovar & ITI, Delhi -110009. tel - 8826547365*	*NIL*
30	*Asharar Orphanage, Hope Founcaticn*	*Familty Based Non Institutional Care, State Adoption Agency*	*A-46, New Multan Nagar, Surya Enclave, Delhi-110056, tel-25291672*	*1373400*
31	*Welfare Home for Children*	*Familty Based Non Institutional Care, State Adoption Agency*	*1-B, Institutional Area, 110076 tel- 26974702*	*1411650*
			(C) Total Amount Rs,	*41 22 569*

अनुलग्नक 'ख'

गैर सरकारी संगठनों में बच्चों की संख्या

Sanctioned & Present Strength of Boys & Girls in NGO run CCI which are receiving grantunder ICPS

Sl. No.	Name of Child Care Institution	Person In-charge	Type of Home	Sanction Strength	Actual Strength
1	2	3	4	5	6
Children Home for Boys & Girls					
1	Rose Home, A-15, Kamla Nagar, New Delhi -07	Ms. Shuchi Dhasmana	Children Home for Girls	75	75
2	Aasra Children's home No- 67-68, Street C3, MS Block Ranaji Enclave, Najafgarh, New Delhi,	Mr. Kanti Nath Mishra	Children Home for Boys	50	12
3	Prayas Shelter home for Girls 59 Institutional Area, Tughlakabad, Delhi-110062	Ms. Deepshikha	Children Home for Girls	50	50
4	DMRc Children Home, Metro Pillar No. 65, Bhargava Lar e, Tis Hazari, Delhi.	Mr. A.K. Tiwari	Children Home for Boys	120	125

5	***Prayas Shelter home for Boys EE- Block, Jahangir Puri, Delhi-110033***	***Mr. Mukesh Kumar***	***Children Home for Boys***	***100***	***116***
6	***Bal Sahyog, Opp. L Block Market, Outer Circle, Cannuaght Circus, New Delhi- 01***	***Mr. Ram Mishra***	***Children Home for Boys***	***100***	***109***
7	***Don Bosco Ashalayam Old Najafgarh Rotd, Palam Gaon, New Delhi-110045***	***Father Swaroop***	***Children Home for Boys***	***120***	***98***
Specialised Adoption Agencies					
1	***Matri Chhaya C/o Sewa Bharti, 10455, Bagichi Allauddin, Gali No. 3, Motia Khan, Paharganj, New Delhi-110055.***	***Ms. Renu Sharma***	***SAA***	***25***	***13***
2	***Welfare Home for Children, 1- B, Institutional Area, Opposite Janta Flats, Sarita Vihar, New Delhi- 110065.***	***Ms. Ashla Khanna***	***SAA***	***65***	***25***

1	2	3	4	5	6
3	*Ashran Orphanage, C/o Hope Foundation, A-46, New Multan Nagar, Surya Enclave, Peeragarhi, Delhi-110056.*	*Mr. Jolly Gee Verghese*	*SAA*	*25*	*25*
Open Shelter Home					
l	*Amar Holistic Society for Disabled, RR8, Naveen Shahdara, near Post Office Gali, Opp. Shahdara Metro Station/Railway Station.*	*Ms. Naseem Usmaan*	*Open Shelter Home for Boys*	*25*	*25*
2	*Shubhakshika, 4/124, Block-J, Sec-16, near Sec-18 flyover, Bansal Bhawan, Rohini.*	*Ms. Usha Bhatnagar*	*Open Shelter Home for Boys*	*25*	*25*
3	*SATHI (OSH), 4676/21, 2nd Floor, Ansari Road, near Fire Station, Daryaganj.*	*Mr. Aakash*	*Open Shelter Home for Boys*	*25*	*25*
4	*Prayas(OSH): Mori Gate, Basti Vikas Kendra, Kucha Mohtar Khan, near Madarasi Mandir or near phool Mandi Mori Gate.*	*Ms. Pragati Pandey*	*Open Shelter Home for Boys*	*25*	*25*

5	*Prayas(OSH): Azadpur, Night Shelter Building, IInd Floor, Sarai Pipal Thala, Azadpur, New Delhi*	*Ms. Pragati Pandey*	*Open Shelter Home for Boys*	*25*	*25*
6	*Prayas (OSH) Udyog nagar, Peera Garhi*	*Ms. Pragati Pandey*	*Open Shelter Home for Boys*	*25*	*18*
7	*Prayas(OSH): Nabi Karim, 6108, Gali No. 15, Gali Ravi Das, (From Paharganj near*	*Ms. Pragati Pandey*	*Open Shelter Home for Boys*	*25*	*21*
8	*Prayas(OSH): Kashmiri Gate, 811/1, BVK Chhota Bazar, Kashmiri Gate Delhi-110006*	*Ms. Pragati Pandey*	*Open Shelter Home for Boys*	*25*	*25*
9	*Bal Sahyog (OSH), Connaught Circus, Opp L-Block Market, outer circle near Kaked Da Hotel.*	*Mr. Shiv Kumar*	*Open Shelter Home for Boys*	*25*	*29*
10	*APNA GHAR (OSH)Salaam Balaak Trust- Paharganj, H.No.9498, Gali No.11, DDA Community Centre, 2nd Floor, Multani Dhandha, Paharganj.*	*Mr. Pramod Kumar*	*Open Shelter Home for Boys*	*25*	*39*

1	2	3	4	5	6
11	*SPID-OSH [Girls and Boys), SMS Centre, MCD School Building, near Police Chowki & Hanuman Mandir, Shradhanand Marg.*	*Ms. Lalitha*	*Open Shelter Home for Boys*	*25*	*70%*
12	*(OSH jSalaam Balak Trust-Old Delhi Rly Stn, H.No.3903-3905, 2nd Floor, Mori Gate, Delhi.*	*Mr. Manoj*	*Open Shelter Home for Boys*	*25*	*25*
De-addiction Centre					
1	*Society for Promotion of Youth & Masses (SPYM, NGO) - Drug De-Addiction Centre for Juvenile in Conflict with Law Sewa Kutir Complex, Kingsway Camp, Delhi*	*Mr. Ashish Kumar*	*Observation Home For Boys*	*50*	*50*

401. श्री अखिलेश पति त्रिपाठी : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दस वर्षों में दिल्ली में कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए डीसीपीआर द्वारा क्या कदम ऊठाए गए है;

(ख) पिछले दस वर्षों में डीसीपीसीआर द्वारा मिड डे मील की रसोई के निरीक्षण का ब्यौरा उपलब्ध कराएं;

(ग) पिछले दस वर्षों में किए गए इन निरीक्षणों का निष्कर्ष क्या रहा;

(घ) क्या पिछले दस वर्षों में किए गए इन निरीक्षणों में कोई अनिमित्ताएं पाई गई;

(ङ) इन अनियामिताओं के संबंध में क्या कार्यवाई की गई, प्रत्येक का विवरण दे; और

(च) मिड डे मील में प्राप्त कमियों के संबंध में जारी किए गए नोटिस व सम्मन का ब्यौरा क्या है?

उप मुख्यमंत्री : (क) डीसीपीसीआर एक मोनेटरिंग संस्था है कुपोषण को नियंत्रण करने का कार्य संबंधित विभागों द्वारा किया जाता है।

(ख) डीसीपीसीआर द्वारा 2017–18 से ही रसोई एवं मिड डे मील का निरीक्षण शुरू किया गया है। मिड डे मील की सात रसोइयो का निरीक्षण अब तक किया गया है:

1. भारत रत्न, भीम राव अम्बेडकर दलित उथान एवं शिक्षा समिति, कोंडली, सब्जी मंडी (निरीक्षण दिनांक 26.09.2017)

2. भारत रत्न, भीम राव अम्बेडकर दलित उथान एवं शिक्षा समिति, खसरा 211, घरोली गांव (निरिक्षण दिनांक 26.09.2017)

3. दलित प्रहरी, घरोली गांव, मुल्ला कालोनी (निरीक्षण दिनांक 26.09.2017)

4. स्त्री शक्ति (सर्वोदय), खासरा संख्या 76, रन्होला गांव, नांगलोई रोड, नजफ़गढ़ (निरीक्षण दिनांक 06.12.2017)

5. स्त्री शक्ति (एसडीएमसी), नांगलोई रोड, राजफगढ़ (निरीक्षण दिनांक 06.12.2017)

6. स्त्री शक्ति (एनडीएमसी), नांगलोई रोड, नजफगढ़ (निरीक्षण दिनांक 06.12.2017)

7. एकता शक्ति फाउंडेशन, मटीयाला (निरिक्षण दिनांक 06.12.2017)

(ग) किए गए निरिक्षण में छोटी खामियां पाई गई। कोई अनिमियतता नई पाई गई।

(घ) किए गए निरिक्षण में छोटी खामियां पाई गई। कोई अनियमितता नहीं पाई गई।

(ङ) पाई गई छोटी कमियों का निवारण/सुधार तत्काल करवाया गया।

(च) मिड डे मील के संबंध में शिक्षा विभाग के द्वारा पके हुए खाने की मात्रा तय नहीं है। इससे संबंधित नोटिस भेजकर ***Nutrition Expert Committee*** की रिपोर्ट मांगी गयी है और जल्द मात्रा और वितरण को तय

करने के सम्बन्ध में नोटिस डीसीपीसीआर द्वारा जारी किया गया है मिड डे मील की कमियों के बारे में आयोग द्वारा 13 नोटिस जारी किए गए है।

402. श्री अखिलेश पति त्रिपाठी : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के कितने जिलों ने इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना को अपनाया है और इससे कितनी महिलाएं लाभान्वित हुई है;

(ख) आंगनवाड़ी केन्द्रों में भोजन उपलब्ध कराने वाले नॉन–प्रॉफिट संगठनों का पैनल बनाने के लिए अंतिम बार निविदाएं कब आमंत्रित की गई थी; और

(ग) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के एतद्सम्बन्धी नियम क्या है जिनके अनुसार निविदा प्रक्रिया पर दोबारा चर्चा करनी पड़ी?

उप मुख्यमंत्री : (क) इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, प्रारंभिक रूप से दिल्ली राज्य के केवल दो जिलों (उत्तर पश्चिम और पश्चिम) में चल रही थी। इस योजना को बदले हुए नए नाम– **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना,** में दिल्ली के सभी जिलों में 01.01.2017 से लागू कर दिया गया है।

इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के अंतर्गत

वित्तीय वर्ष 2011–12 : 5004

वित्तीय वर्ष 2012–13 : 18899

वित्तीय वर्ष 2013–14 : 25139

वित्तीय वर्ष 2014–15 : 14795

वित्तीय वर्ष 2015–16 : 15352

वित्तीय वर्ष 2017–18 : 27680 महिलाएं लाभान्वित हुई।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में दिनांक 24.03.2018 तक 14049 लाभार्थियों को 3,82,33000/– रुपये आवंटित किये गए।

(ख) आंगनवाड़ी केन्द्रों में भोजन उपलब्ध कराने वाले गैर सरकारी संगठनों का पैनल बनाने के लिए अंतिम बार नीविदाएं सन् 2014 आमंत्रित की गयी थी ताकि एनपीओ की पैनल सूची तैयार कर सके।

(ग) भारत सरकार के निर्देशानुसार आंगनवाड़ी में पोषाहार की बाधारहित आपूर्ति की जानी चाहिए।

विभाग में कार्यरत गैर–सरकारी संगठनों के खिलाफ शिकायतों के निवारण के लिए इस विभाग ने एनपीओ के साथ हुए समझौते के तहत कार्यवाही करते हुए कुछ एनपीओ से आवंटित प्रोजेक्ट वापस ले लिए तथा एक एनपीओ को ब्लैकलिस्ट किया। इन एनपीओ के खिलाफ शिकायतों के निवारण हेतु निविदा प्रक्रिया पर पुनः चर्चा हुई ताकि पोषाहार की आपूर्ति सुचारू रूप से हो सके।

403. श्रीमती प्रमिला टोकस : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि बेसहारा महिलाओं को वित्तीय सहायता (विधवा पेंशन) की योजना का इस वर्ष विस्तार किया गया था;

(ख) यदि हाँ, तो विस्तार का ब्यौरा अर्थात् लाभार्थियों की संख्या व पेंशन की राशि में वृद्धि की जानकारी दे;

(ग) इस योजना के अंतर्गत वर्तमान में सक्रिय लाभार्थियों की संख्या क्या हैं, यदि यह संख्या लक्ष्य से कम है तो उसके क्या कारण है;

(घ) वित्त वर्ष 2016—17 व 2017—18 अब तक इस योजना के लाभार्थियों में से मृत्यु अथवा अन्य कारणों से कितने नाम हटाए गए हैं, सम्पूर्ण विवरण तालिका बनाकर हटाए जाने के कारण सहित प्रदान करें; और

(ङ) वित्त वर्ष 2016—17 व 2017—18 अब तक इस योजना में कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं, व इस अवधि में कितने नए नाम इसमें जोड़े गए;

(च) वर्ष 2017—18 में प्रत्येक महीने में पेंशन वितरण की तिथि/समय सारणी बताएं;

(छ) यदि आवेदन आवश्यकता से अधिक आते हैं तो उनमें से चयन मानदंड क्या हैं, एक वर्ष में पेशन आवेदन पर कार्यवाई करने और पेंशन देने की समयावधि क्या हैं;

(ज) यदि कोई वास्तविक आवेदक आवेदनों के अधिकता के कारण पेंशन से वंचित रह जाता है तो उसके आवेदन क्या होता हैं क्या इसे अगली बार के लिए विचाराधीन रखा जाता हैं;

(झ) विभाग के अनुमान के अनुसार रा.रा.क्षे. दिल्ली में यूनिवर्सल कवरेज हेतु पात्र उम्मीदवारों की संख्या क्या हैं;

(ञ) आधार संबद्धता के आधार पर आज तक कुल लाभार्थियों की संख्या क्या हैं, और ऐसे लाभार्थियों को भुगतान कैसे किया जाता हैं;

(ट) यदि कुछ लाभार्थियों को आधार संबद्धता के चलते भुगतान रोका गया है तो कितनी अवधि तक और उनकी संख्या क्या हैं;

(ठ) लाभार्थियों व अन्य आवेदकों की पात्रता को भौतिक रूप से जांचने के लिए वार्षिक प्रक्रिया व समय सारिणी क्या हैं;

(ड) वर्ष 2016–17 व 2017–18 दौरान भौतिक रूप से जांच के दौरान कितने लाभार्थियों को अयोग्य पाया गया;

(ढ) क्या ऐसे लाभार्थियों को हटाया गया और उनकी पेंशन को रोका गया;

(ण) ऐसे मामलों में आवेदकों के विरूद्ध व विभाग के अन्दर क्या कार्यवाई की गई;

(त) लाभार्थियों व अन्य आवेदकों से शिकायत प्राप्त करने का तंत्र क्या हैं;

(थ) वर्ष 2016–17 तथा 2017–18 में आज तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुई और कितनों का निवारण हुआ हैं;

(द) इस योजना के बारे में और इसे लागू किये जाने के संबंध में कितनी आरटीआई विभाग द्वारा प्राप्त की गई;

(ध) इनमें से कितनी आरटीआई का उत्तर दे दिया गया; और

(न) कितनी आरटीआई अपीलीय प्राधिकारी द्वारा प्राप्त की गई?

उप मुख्यमंत्री : (क) हाँ, यह सत्य है कि बेसहारा महिलाओं को वित्तीय सहायता (विधवा पेंशन) की योजना का इस वर्ष विस्तार किया गया है।

(ख) इस वर्ष विधवा पेंशन की योजना में दो विस्तार किये गये;

* लाभार्थियों की आयु 18 से जीवनपर्यंत की गयी,
* लाभार्थियों की पेंशन की राशि 1500/– से बढ़ाकर 2500/– की गयी।

इस वर्ष लाभार्थियों की संख्या – 197999 (अधिसूचना संलग्न है।)

(ग) इस वर्ष लाभार्थियों की संख्या – 197999 आवेदकों की संख्या आवेदनों के अनुसार है।

(घ) 2016–17 में 16807 व 2017–18 में 1154 लाभार्थियों के नाम हटाए गए हैं। हटाए जाने के कारण निम्न हैः

* मृत्यु के कारण,
* पुनः विवाह,
* एकाधिक पंजीकरण,

* पता बदलने के कारण,

* वित्तीय स्थिति में सुधार

* दिए गए पते पर सत्यापित नहीं।

(ङ) वित्त वर्ष 2016–17 में 24608 व 2017–18 में 24573 आवेदन प्राप्त हुए हैं। वित्त वर्ष 2016–17 में 23363 नए नाम इसमें जोड़े गए व 2017–18 में 23765।

(च) वर्ष 2017–18 पेंशन विवरण संलग्न है।

(छ) चयन पत्रों की कोई आधारित सीमा नही है। मानक पूरा होने पर 2–3 महीनों में स्वीकृति दे दी जाती है।

(ज) उपर्युक्त के आधार पर लागू नहीं।

(झ) विभाग द्वारा ऐसा कोई अुनमान नहीं किया गया है।

(ञ) 186338 लाभार्थियों को आधार संबद्धता के आधार पर भुगतान किया जा रहा है।

(ट) 11661 लाभार्थियों को 1500/– प्रति माह आधार संबंद्धता ना होने के कारण भुगतान किया जा रहा है।

(ठ) अधिसूचना के अनुसार से तीन साल में एक बार भौतिक सत्यापन करने का प्रावधान है, और यह भौतिक सत्यापन 2014 से 2016 तक किया गया था।

(ड) वर्ष 2016–2017 में 16807 लाभार्थियों को जांच के दौरान भौतिक रूप से अयोग्य पाया गया व 2017–18 में 1154 मामले नियमित कार्यो के दौरान भौतिक रूप से न पाए जाने के कारण पेंशन रोक दी गई।

(ढ़) हां।

(ण) उन मामलों की पेंशन रोक दी गई थी।

(त) लाभार्थि स्वयं शिकायत पत्र जिला कार्यालय में, मुख्यालय में, आर. टी.आई. के माध्यम से शिकायत कर सकते है।

(थ) 2016–17 में 191 तथा 2017–18 में 481 शिकायते प्राप्त हुई और 2016–17 में सभी का निवारण किया तथा 2017–18 472 शिकायतों का निवारण किया और 9 शिकायते प्रक्रियाधीन है।

(द) इस योजना के बारे में और इसे लागू किये जाने के सम्बंध में 206 आर.टी.आई विभाग द्वारा प्राप्त की गई हैं।

(ध) इनमें से सभी 206 आर.टी.टाई. का उत्तर दे दिया गया है।

(न) 32 आर.टी.आई. अपीलीय प्राधिकारी द्वारा प्राप्त की गई।

रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99 भारत सरकार *REGISTERED No. D.L.-33002/99*

GOVERNMENT OF INDIA

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 87 दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 9, 2017/फाल्गुन, 18, 1938 रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 396

No. 87 Delhi, Thursday, March 9, 2017/Phalguna 18, 1938 [N.C.T.D. No. 396

भाग–*IV*

PART-IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

महिला एवं बाल विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 3 मार्च, 2017

सं. फा. 41 (22)/डीएसडब्ल्यू–डब्ल्यूसीडी/एफएएस/स्कीम संशो./2016–17/39141–47. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

एतद्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की निराश्रित महिला पेंशन 18 वर्ष से 60 वर्ष तक के आयु समूह के नियम, 2010, दिल्ली राजपत्र द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या सं. फा. 41(22)/डीएसडब्ल्यू–डब्ल्यूसीडी/एफएएस/स्कीम संशो./09–10/19874–884 दिनांक 26/11/2010 में समाहित संशोधन सम्मिलित करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्ः–

1. सं. फा. 41(22)/डीएसडब्ल्यू–डब्ल्यूसीडी/एफएएस/स्कीम अमेंड/09–10/31767–777, दिनांक 31/03/2011
2. सं. फा. 41(22)/डीएसडब्ल्यू–डब्ल्यूसीडी/एफएएस/स्कीम अमेंड/09–10/27017–027, दिनांक 1/11/2012
3. सं. फा. 41(22)/डीएसडब्ल्यू–डब्ल्यूसीडी/एफएएस/स्कीम अमेंड/09–10/14624–636, दिनांक 27/08/2013
4. सं. फा. 41(22)/डीएसडब्ल्यू–डब्ल्यूसीडी/एफएएस/स्कीम संशो./09–10/35589–95, दिनांक 03/02/2017

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ**–(1) इन नियमों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की 18 से जीवनपर्यंत आयु समूह की दिल्ली निराश्रित महिला पेंशन योजना (संशोधन) नियमावली, 2017 कहा जायेगा।

   (2) ये दिल्ली राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **नियम 7 (1) में**– शब्दों ''एक हजार पांच सौ'' के स्थान पर शब्दों ''दो हजार पांच सौ'' को प्रतिस्थापित किया जाता है।

3. **नियम 12 का संशोधन**– निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाता है किः–

(7) लाभ का विस्तार केवल नहीं लाभार्थियों तक होगा जो कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण द्वारा आधार संरक्षित/जुड़े खाते में पेंशन प्राप्त करती हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
ए.के. सिंह, सचिव

रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99 **भारत सरकार** ***REGISTERED No. D.L.-33002/99***

GOVERNMENT OF INDIA

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 41] दिल्ली, सोमवार फरवरी 6, 2017/माघ 17, 1938 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 348

No. 41] Delhi, Monday, February 6, 2017/Magha 17, 1938 [N.C.T.D. No. 348

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

महिला एवं बाल विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 3 फरवरी, 2017

सं. फा. 41 (22)/डीएसडब्ल्यू–डब्ल्यूसीडी/एफएएस/स्कीम संशो. /09–10/35589–95–राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की 18 से 60 वर्ष तक के आयु समूह की

दिल्ली निराश्रित महिला पेंशन योजना 2010 में संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्ः–

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभः** (1) इन नियमों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की 18 जीवनपर्यंत आयु समूह की दिल्ली निराश्रित महिला पेंशन योजना (संशोधन) नियमावली, 2016 कहा जायेगा।

   (2) ये दिल्ली राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. (*i*) **नियम 2 में** – ''आयु वर्ग 18 से 60 वर्ष'' शब्दों के स्थान पर ''आयु वर्ग 18 वर्ष से जीवनर्यंत'' शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाता है।

   (*ii*) **नियम 4 में, उप–नियम (*ii*) में** ''उसके परिवार'' शब्दों के स्थान पर ''आवेदक'' शब्द तथा ''60,000/– रुपये'' शब्द के स्थान पर ''1,00,000/– रुपये (सभी स्रोतों से)'' शब्द को प्रतिस्थापित किया जाता है।

3. **नियम 5 का संशोधन**– राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की 18 से 60 वर्ष तक के आयु वर्ग की दिल्ली निराश्रित महिला पेंशन योजना 2010 (इसके पश्चात् मूल नियमावली के रूप में संदर्भित है), नियम 5 (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाता है किः–

   (*i*) सभी नए आवेदकों को लाभ के हस्तांतरण के लिए आधार संख्या जमा करना एवं आधार संरक्षित खाता देना अत्यावश्यक

होगा। हालांकि मौजूदा लाभार्थियों (निराश्रित महिला) को अधिकतम एक वर्ष की अवधि के अन्दर आधार संख्या/आधार संरक्षित बैंक खाता प्रदान करने की अनुमति दी जाती है जिसके न देने पर पेंशन रोक दी जाएगी।

4. **नियम 12 का संशोधन**– राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की 18 से 60 वर्ष तक के आयु वर्ग की दिल्ली निराश्रित महिला पेंशन योजना 2010 (इसके पश्चात् मूल नियावली के रूप में संदर्भित है), नियम 5 (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाता है कि:–

(*vi*) निराश्रित महिला पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले आवेदक वृद्धावस्था पेंशन एवं विकलांगता पेंशन के लिए पात्र नहीं होंगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के
उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,
दिलराज कौर, सचिव

Date-wise pension remitted for F.Y. 2017-18

Sl. No.	*Date of Sanction*	*For the Month*	*No. of Cases*	*Total Amount Rs.*
1.	*1.5.2017*	*March, 2017*	*41871*	*6,28,06,500/-*
2.	*15.5.2017*	*April, 2017*	*134492*	*33,62,30,000/-*
3.	*27.6.2017*	*May-June, 2017*	*144293*	*75,37,30,000/-*
4.	*8.8.2017*	*July, 2017*	*144160*	*36,63,62,000/-*
5.	*28.8.2017*	*July, 2017*	*10143*	*9,17,70,000/-*
6.	*29.8.2017*	*July, 2017-ECS*	*19353*	*11,95,12,500/-*
7.	*18.9.2017*	*August, 2017*	*164332*	*41,92,32,500/-*
8.	*19.9.2017*	*August, 2017-ECS*	*15419*	*2,47,99,500/-*
9.	*12.10.2017*	*September, 2017*	*163779*	*40,94,47,500/-*
10.	*15.11.2017*	*October, 2017*	*172400*	*45,55,48,500/-*
11.	*24.11.2017*	*October, 2017*	*17022*	*5,63,59,500/-*
12.	*6.12.2017*	*November, 2017*	*177700*	*44,42,50,000/-*
13.	*26.12.2017*	*November, 2017*	*14534*	*3,54,91,000/-*
14.	*8.1.2018*	*December, 2017*	*181640*	*45,41,00,000/-*
15.	*12.1.2018*	*November 2017-ECS*	*1936*	*90,74,500/-*
16.	*25.01.2018*	*December, 2017*	*14423*	*3,56,46,000/-*
17.	*16.2.2018*	*January, 2017*	*96010*	*24,00,25,000/-*

** Bulk payment of ongoing cases is done in the 2nd week of every month*

** Additional cases and correction/rectified cases are made payment in 3rd or 4th week of month.*

404. श्री अखिलेश पति त्रिपाठी : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लाड्ली योजना के अंतर्गत वितरण/नवीनीकरण के स्तर पर इस समय कितने लाभार्थी है;

(ख) वर्ष 2016–17 तथा 2017–18 में इस योजना में कितने नए आवेदन प्राप्त हुए;

(ग) इनमें से कितने आवेदन स्वीकृत हुए और कितने रद्द हुए;

(घ) इस योजना के बारे में जागरूकता कैसे फैलाई जा रही है;

(ङ) लाभार्थियों की पात्रता के भौतिक सत्यापन हेतु क्या तंत्र है;

(च) वर्ष 2016–17 तथा 2017–18 में आज तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है और कितनों का निवारण हुआ है;

(छ) इस योजना के बारे में और इसे लागू किए जाने के संबंध में कितनी आरटीआई विभाग द्वारा प्राप्त की गई है;

(ज) इनमें से कितनी आरटीआई का उत्तर दे दिया गया; और

(झ) कितनी आरटीआई अपीलीय प्राधिकारी के पास प्राप्त की गई?

उप मुख्यमंत्री : (क) लाड्ली योजना के अंतर्गत वितरण नवीनीकरण के स्तर पर लाभार्थियों की संख्या निम्नप्रकार है:–

योजना की स्थापना के बाद से 31 मार्च, 2017 तक परिपक्वता राशि प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या–1,69,819

योजना की स्थापना के बाद से 31 मार्च, 2017 तक नवीनीकरण (सक्रिय लाभार्थी) की संख्या – 7,28,595

(ख) वर्ष 2016–17 तथा 2017–18 में योजना में प्राप्त हुए नए आवेदन निम्नप्रकार हैः–

क्र.सं.	वित्त वर्ष	नए आवेदनों की संख्या
1.	2016–17	68733
2.	2017–18	65292

(ग) स्वीकृत हुए आवेदन और रद्द हुए आवेदन निम्न प्रकार हैः–

क्र.सं.	वित्त वर्ष	स्वीकृत हुए आवेदन	रद्द हुए आवेदन
1.	2016–17	67421	1312
2.	2017–18	64341	951

(घ) लाडली योजना की जागरूकता के लिए विभाग के जिला कार्यालयों को स्कूलों और आंगनवाड़ियों में इस योजना की जानकारी वाले पोस्टर वितरित किए गए है। संबंधित क्षेत्र के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से माता–पिता को योजना की विस्तृत जानकारी प्रदान की जाती है। विभाग के जिला कार्यालयों में योजना की जानकारी से संबंधित बोर्ड और पोस्टर प्रदर्शित किए गए है।

(ङ) इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की पात्रता के भौतिक सत्यापन हेतु योजना में विभिन्न स्तर पर दस्तावेज लिए जाते है।

जन्म के समय : माता–पिता द्वारा पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र सभी संबंधित दस्तावेजों (जन्म प्रमाण पत्र) सहित अपने क्षेत्र के

महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यालय में कन्या के 01 वर्ष का होने से पहले जमा करना होता है।

स्कूल में दाखिले के समय : प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में स्कूलों द्वारा पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र प्रधानाचार्य द्वारा सत्यापित कर सभी संबंधित दस्तावेज सहित महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यालय में अग्रिम कार्यवाही हेतु जमा कराए जाता है।

परिपक्वता राशि के समय : परिपक्वता राशि प्राप्त करने हेतु लाभार्थी को 10वीं एवं 12वीं पास की मार्कशीट/सर्टीफिकेट की फोटोकॉपी तथा भारतीय स्टेट बैंक खाते की पासबुक की फोटोकॉपी अपने संबंधित जिला कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है।

(च) वर्ष 2016–17 तथा 2017–18 में प्राप्त हुई शिकायतों और उनके निवारण का विवरण निम्नप्रकार हैः–

क्र.सं.	वित्त वर्ष	शिकायतें प्राप्त हुई	निवारण किया गया
1.	2016–17	234	230
2.	2017–18	141	135

(छ) योजना के बारे में इसे लागू किए जाने के संबंध में विभाग द्वारा प्राप्त की गई आरटीआई का विवरण निम्नप्रकार हैः–

क्र.सं.	वित्त वर्ष	प्राप्त की गई आरटीआई
1.	2016–17	41
2.	2017–18	46

(ज) सभी आरटीआई का उत्तर दे दिया गया है।

(झ) अपीलीय प्राधिकारी के पास प्राप्त की गई आरटीआई का विवरण निम्न प्रकार हैः–

क्र.सं.	वित्त वर्ष	प्राप्त की गई आरटीआई
1.	2016–17	17
2.	2017–18	15

405. श्री नारायण दत्त शर्मा : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गरीब विधवाओं को पुत्री के और अनाथ बालिकाओं से विवाह हेतु वित्तीय सहायता के अंतर्गत वर्ष 2017–18 में कितने आवेदन प्राप्त हुए, इसमें से कितने स्वीकार किये गए और कितने लाभार्थियों को लाभ हुआ और कितनी धनराशि दी गई;

(ख) इस योजना के बारे में जागरूकता कैसे लाई जा रही हैं;

(ग) कितनी अनाथ बालिकाओं को यह सहायता दी गई;

(घ) इनमें से कितनी सरकार द्वारा परिचालित होम्स से थी और कितनी गैर सरकारी संगठनों द्वारा परिचालित होम्स से थी;

(ङ) लाभार्थियों व अन्य आवेदनों आवेदकों से शिकायतें प्राप्त का तंत्र क्या हैं;

(च) वर्ष 2016–17 तथा 2017–18 में आज तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और कितनों को निवारण हुआ हैं;

(छ) इस योजना के बारे में और इसे लागू किये जाने के संबंध में कितनी आरटीआई विभाग द्वारा प्राप्त की गई हैं;

(ज) इनमें से कितनी आरटीआई का उत्तर दे दिया गया; और

(झ) कितनी आरटीआई अपीलीय प्राधिकारी द्वारा प्राप्त की गई?

उप मुख्यमंत्री : (क) वर्ष 2017–18 में 2396 आवेदन प्राप्त हुए, इसमें से 2151 स्वीकार किये गए लाभार्थियों को लाभ हुए और 6,45,30,000/– धनराशि दी गई है।

(ख) जिला महिला एवं बाल विकास आधिकारियों तथा आंगनवाड़ी के माध्यम से जागरूकता लाई जाती है।

(ग) 24 अनाथ बालिकाओं को यह सहायता दी गई है।

(घ) यह सूचना विभाग के पास उपलब्ध नहीं है।

(ङ) पी.जी.एम.एस., आर.टी.आई. पत्र व्यवहार तथा एकल खिड़की द्वारा।

(च) वर्ष 2016–17 में 191 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें सभी शिकायतों का निवारण हो गया है। और वर्ष 2017–18 में 482 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें से 472 शिकायतों का निवारण हो गया है।

(छ) इस योजना के बारे में और इसे लागू किये जाने के सम्बंध में 206 आर.टी.आई. विभाग द्वारा प्राप्त की गई हैं।

(ज) इनमें से सभी 206 आर.टी.आई. का उत्तर दे दिया गया है।

(झ) 32 आर.टी.आई. अपीलीय प्राधिकारी द्वारा प्राप्त की गई।

406. श्री नारायण दत्त शर्मा : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सबला योजना के अंतर्गत कितनी लड़कियों को लाभ प्राप्त हुआ है;

(ख) यह योजना किस प्रकार के लाभ प्रदान कराती है; और

(ग) दिल्ली में जच्चा–बच्चा मृत्यु दर के बारे में सरकार के तथ्य क्या हैं और इस मुद्दे के संबंध में विभाग द्वारा कौन से प्रावधान प्रस्तावित हैं?

उप मुख्यमंत्री : (क) सबला योजना के अंतर्गत 1,05,987 लड़कियों को 2017–18 में लाभ प्राप्त हुआ है,

(ख) 11 से 18 आयु वर्ष की किशोरियों को निम्नलिखित लाभ प्रदान करके सशक्त बनाया जाता है,

* आंगनवाडियों में स्वास्थ्य विभाग के सहयोग द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत आयरन एवं फोलिक एसिड परिपूरक, कृमि निवारण गोलिया, स्वास्थ्य जांच एवं संदर्भ सेवाएं दी जाती है,

* इसके अतिरिक्त महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा लड़कियों को आंगनवाड़ी में पोषाहार, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, परिवार कल्याण पर परामर्श, व्यक्तिगत सफाई एवं मासिक धर्म के दौरान देखरेख तथा गृह प्रबंधन हेतु जानकारी प्रदान की जाती है,

* किशोरी बालिकाओं/लड़कियों के आत्मविकास और सशक्तिकरण हेतु जागरूकता शिविर आयोजित किये जाते है।

* किशोरी बालिकाओं/लड़कियों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने हेतु उन्हें प्राइमरी हेल्थ केयर (***PHC***), चाइल्ड हेल्थ केयर ***(CHC),*** डाक घर (पोस्ट ऑफिस), पुलिस चौकी (पुलिस स्टेशन) तथा बैंक आदि के विषय में जानकारी दी जाती है व इन उपर्युक्त स्थानों पर इनका भ्रमण कराया जाता है।

(ग)

मृत्युदर एसआरएस 2016

शिशु मृत्युदर	नवजात शिशु मृत्युदर
18	12

स्वास्थ्य विभाग इन मृत्यु दर को कम करने के लिए निम्नलिखित योजनाएं चलाई जा रही है।

1. विशेष नवजात देखभाल इकाई (एसएनसीयू)
2. न्यू बोर्न केयर कार्नर (एनबीसीसी)
3. पोषण पुनर्वास केन्द्र (एनआरसी)
4. कंगारू मदर केयर (***KMC***)
5. माताओं का पूर्ण स्नेह कार्यक्रम
6. शिशु युवा बाल आहार प्रथा
7. बाल मृत्यु की समीक्षा

8. तीव्रता डायरिया नियंत्रण पखवाड़ा डीइआईसी तथा न्यू बॉर्न स्क्रीनिंग का प्रावधान प्रस्तावित है।

मातृ स्वास्थ्य योजनाओं के अंतर्गत दी जाने वाली सुविधाएः

जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान

1. **जननी सुरक्षा योजना** : अनुसुचित जाति/अनुसुचित जनजाति/गरीबी रेखा के नीचे की सभी गर्भवती महिलाओं के संस्थागन प्रसव के लिए एवं गरीबी रेखा के नीचे की सभी गर्भवती महिलाओं गृह प्रसव के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाती है। प्रोत्साहन राशि 600 रुपये (शहरी क्षेत्र में संस्थागत प्रसव के लिए), 700 रुपये (ग्रामीण क्षेत्र में संस्थागत प्रसव के लिए) और 500 रुपये गरीबी रेखा के नीचे की सभी गर्भवर्ती महिलाओं गृह प्रसव के उपरान्त दिये जाते हैं।

2. **जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम** : इसके अंतर्गत सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में गर्भवती महिलाओं के लिए संस्थागत निःशुल्क प्रसव एवं प्रसवोत्तर जटिलताओं के निःशुल्क इलाज की सुविधा के साथ एक साल तक के अस्वस्थ बच्चों के लिए निःशुल्क इलाज की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही निःशुल्क आहार और परिवहन की सुविधा भी उपलब्ध है।

3. **प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान** : यह हर महीने की नौ तारीख को मनाया जाता है। यदि नौ दिनांक को रविवार या छुट्टी

हो तो अगले कार्य दिवस पर मनाया जाएगा। दूसरी एवं तीसरी तिमाही गर्भवती महिलाओं की गुणवत्ता प्रसव पूर्व देखभाल के लिए 'प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान' चलाया गया है। यह गुणत्ता प्रसव पूर्व भारी जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं को पता लगाएगा और उन्हें बड़ें अस्पताल में रेफरल करेगा इससें हम उन महिलाओ में जटिल स्थिति पैदा होने से रोक सकते हैं या कम कर सकते है। इससे हमारी महिलाआं की मातृ मृत्यु दर कर कर सकते है।

407. श्री सोमनाथ भारती : क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपके विभाग की महिलाओं व बच्चों के विकास से संबंधित योजनाओं की जानकारी, तत्संबंधी पात्रता मानदंड व यदि कोई यूटिलिटी ऑडिट कराया गया हो तो उसके साथ उपलब्ध कराएं;

(ख) विधवा पेंशन योजना, विधवाओं को एकमुश्त दी जाने वाली आर्थिक सहायता विधवाओं को पुत्री के विवाह पर एकमुश्त दी जाने वाली योजना का पूरा विवरण बताए जिसमें इन योजनाओं के लिए पात्रता मानदंड भी सम्मिलित हो;

(ग) इन योजनाओं से लाभान्वित मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के निवासियों की सूची उपलब्ध कराए जिसमें सहायता प्राप्तकर्ता का नाम, पता, नाम दर्ज करने की तिथि, अंतिम वित्तीय सहायता प्राप्त करने की तिथि, क्या वित्तीय पात्रता मानदंडों को दोबारा जांचा गया तथा नाम काटने की तिथि भी सम्मिलित हो;

(घ) क्या कभी यह जानने का प्रयास किया गया है कि लाभ लेने वाले व्यक्ति एकाधिक स्रोतों जैसे दिल्ली नगर निगम, दिल्ली सरकार, पारिवारिक पेंशन आदि से तो पेंशन नहीं ले रहे हैं;

(ङ) यदि हाँ, तो एदतसंबंधी विवरण क्या हैं?

महिला एवं बाल विकास मंत्री : (क) महिला एवं बाल विकास विभाग द्वरा निम्नलिखित योजनायें चलाई जा रही हैं। (योजनाओं की जानकारी, तत्संबंधी पात्रता मानदंड संलग्न है):–

महिला विकास योजनाएं

* काम काजी महिलाओं के लिए हॉस्टल
* गर्भवर्ती एवं स्तनपान करने वाली महिलाओं हेतु आश्रम गृह
* प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना

बाल विकास योजनाएं

* एकीकृत बाल विकास योजना
* एकीकृत बाल संरक्षण योजना

वित्तीय सहायता योजनाएं

* लाड्ली योजना।
* विधवा निराश्रित महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता योजना।
* विधवा की पुत्री अनाथ कन्या विवाह हेतु आर्थिक सहायता/ योजना।

इस सन्दर्भ में कोई यूटिलिटी ऑडिट नहीं कराया गया।

(ख) योजनाओं की जानकारी, तत्संबंधी पात्रता मानदंड संलग्न है।

(ग) मालवीय नगर विधान सभा क्षेत्र के निवासियों की विधवा/निराश्रित महिलाओं की पेंशन के कुल 239 व विधवा/अनाथ/निराश्रित महिला की पुत्री के विवाह के 07 आवेदन प्राप्त हुए हैं तथा विधवा पेंशन के 05 आवेदन निरस्त किये गए हैं। मालवीय नगर विधान सभा क्षेत्र के निवासियों की विधवा/अनाथ/निराश्रित महिला की पुत्री के विवाह की सूची संलग्न है तथा जिन महिलाओं की पेंशन बंद की गयी है वह सूची भी संलग्न है।

(घ) आवेदन के समय आवेदक से एक घोषणा पत्र लिया जाता है कि वह किसी अन्य सरकारी या गैर सरकारी विभाग/संस्था से आर्थिक सहायता नहीं ले रही है। इसके अलावा मुख्यालय के आदेशानुसार समय–समय पर आवेदकों का भौतिक निरिक्षण भी करवाया जाता है।

(ङ) यदि कोई लाभार्थी किसी अन्य सरकारी या गैर सरकारी विभाग/संस्था से आर्थिक सहायता लेता हुआ पाया जाता है तो उसकी पेंशन तुरंत बंद कर दी जाती है और लिए गए पैसे की वसूली की जाती है।

408. श्री रघुविंद्र शौकीन : क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली सरकार के महिला और बाल विकास विभाग ने पिछले 10 वर्षों में महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए कौन–सी योजनाएं बनाई है, उनका विवरण दें;

(ख) इन योजनाओं के कार्यान्वयन पर पिछले 10 वर्षों में कितना खर्चा किया गया;

(ग) महिलाओं और बच्चों के लिए विभाग क्या—क्या गतिविधियां कर रहा है, उसका विवरण दें; और

(घ) महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने में विभाग की क्या भूमिका रही है और इस दिशा में कौन—कौन से कदम उठाये गये है?

महिला एवं बाल विकास मंत्री : (क) महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा निम्नलिखित योजनायें चलाई जा रही हैं।

* काम काजी महिलाओं के लिए हॉस्टल
* गर्भवती एवं स्तनपान करने वाली महिलाओं हेतु आश्रम गृह वित्तीय सहायता योजनाएं
* दिल्ली लाड्ली योजना
* विधवा एवं निराश्रित महिलाओं के लिए आर्थिक योजना
* विधवा की पुत्री/अनाथ कन्या विवाह हेतु आर्थिक सहायता योजना

उपरोक्त योजनाओं की जानकारी संलग्न है।

(ख) इन योजनाओं के कार्यान्वयन पर पिछले 10 वर्षों में किए गए खर्चों का विवरण संलग्न है।

(ग) महिलाओं और बच्चों के लिए विभाग मुख्य गतिविधियां निम्न हैः—

* महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महिला तथा बाल कल्याण संबंधित विषयों पर जागरूकता अभियान चलाए जाते है।

* महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महिला तथा बच्चों से संबंधित 26 संस्थाएं चलाई जाती है, जिनमें संवासियों के लिए मुफ्त भोजन, शिक्षा, व्यवसायिक प्रशिक्षण, पुनर्वास तथा मनोरंजन गतिविधियां इत्यादि की सुविधाएं दी जाती है।

* महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 8 बाल कल्याण समितियां तथा 5 किशोर न्याय बोर्ड का संचालन किया जाता है।

* महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए 10897 आंगनवाड़ी केन्द्र चलाए जा रहे है, जिनमें बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा, पोषाहार, स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं आदि प्रदान की जाती है।

* महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किशोर न्याय अधिनियम, 2005 घरेलु हिंसा अधिनियम 2005, कार्यस्थल पर लैगिक उत्पीड़न (निवारण प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013, अनैतिक देह व्यापार रोकथाम उन्मूलन अधिनियम 1959, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 लागू किए जाते है।

* महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा गर्भवर्ती एवं स्तनपान कराने वाली (निराश्रित) महिलााओं हेतु आश्रय गृह तथा कामकाजी महिलाओं हेतु छात्रावास चलाए जा रहे है।

(घ) क. प्रत्येक जिले में घरेलु हिंसा अधिनियम (2005) के सफल क्रियान्वयन हेतु संरक्षण अधिकारीयों की नियुक्ति की गई है जिनका कार्य घरेलु घटना विवरणिका बनाना है, वर्तमान में इनकी संख्या 17 है।

ख. महिलाओं का कार्यस्थल पर लैगिक उत्पीड़न (निवारण प्रतिषेध एवं प्रतिपोष) अधिनियम 2013– इस अधिनियम की धारा 5 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अन्तर्गत प्रत्येक जिले के जिला मजिस्ट्रेट को जिला अधिकारी के रूप में मनोनीत किया गया है जो अधिनियम की धारा 06 के तहत स्थानीय शिकायत समिति का गठन करेगा जो लैंगिक उत्पीड़न की उन शिकायतों को प्राप्त करेगी जहां 10 कर्मचारियों से कम होने के कारण आन्तरिक शिकायत समिति का गठन नहीं किया गया है अथवा अगर शिकायत स्वयं नियोक्ता के विरूद्ध हो।

ग. इस विभाग द्वारा महिलाओं एवं बच्चों की तस्करी से निपटने एवं पुनर्वास हेतु नीति का मसौदा तैयार किया गया है यह मसौदा विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। वर्तमान में इस मसौदा पर सुझाव आमंत्रित किये गये है।

घ. महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित कोर ग्रुप माननीय मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनाया गया है जिसमें हितधारक विभाग के अन्तर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग, लोक निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग, दिल्ली नगर निगम इत्यादि शामिल है। जिसका मुख्य कार्य सार्वजनिक स्थानों को ऑडिट करना एवं सुरक्षा संबंधित जरूरी कदम उठाना है। इस कोर ग्रुप की बैठकों में निम्न सुरक्षा कदम उठाये गये हैः–

1. दिल्ली में अंधेरी कॉलोनियों, अंधेरे रास्तों एवं क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइटस की व्यवस्था की गई है।

2. परिवहन साधनों में महिला सुरक्षा हेतु महिला हेल्पलाइन नं. प्रदर्शित किये जा रहे है।

स्कूलों में पुलिस विभाग की माध्यम से बालिकाओं को स्वयं सुरक्षा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

409. श्री जगदीश प्रधान : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार ने सत्ता में आने पर कहा था कि समेकित बाल विकास योजना के अन्तर्गत स्लम एवं झुग्गी झोपड़ी समूह बस्तियों में कामकाजी महिलाओं के बच्चों के लिए 300 क्रैच बनाए जाएंगे;

(ख) सरकार ने गत तीन वर्षों में इस श्रेणी में कितने क्रैच बनाए हैं;

(ग) क्या नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के सहयोग से सरकार द्वारा चलाए जाने वाले गृहों/संस्थानों में बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग प्रदान की गई; और

(घ) इसको लेकर भविष्य में क्या योजनाएं हैं?

उप मुख्यमंत्री : (क) जी हां।

(ख) भारत सरकार द्वारा क्रैच के मानकों में बदलाव किये जा रहे है उसी आधार पर क्रैच खोले जाएगें परन्तु गत तीन वर्षों में दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर संचालित किए जा रहे क्रैचों का विवरण निम्न हैः

1. आंगनवाड़ी सह क्रैच – 24
2. नेशनल क्रैच स्कीम – 93
3. शहरी विकास विभाग द्वारा स्थानांतरित – 50

(ग) जी हाँ, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉउंसिल के सहयोग से – बाल गृह अलीपुर–1, पश्चात्वर्ती देखभाल संस्था अलीपुर, बाल गृह–1 अलीपुर, बालिका गृह–2 निर्मल छाया, पश्चातवर्ती देखभाल संस्थान, प्रर्यवेक्षण गृह, महिला निर्मल छाया में 100 बाल व बालिकाओं के लिए ट्रेनिंग प्रदान की गयी जिसमें से 21 बालकों व बालिकाओं को नौकरी मिली।

(घ)

1. जिन बच्चों को प्रशिक्षित किया गया है उन्हें नौकरियों में रखे जाने की कोशिश करेंगे।
2. जब बच्चों के नए बैचों को बनाया जाएगा तो बच्चों के साथ मूल्यांकन की आवश्यकता के आधार पर प्रशिक्षण शुरू करने के लिए एनएसडीसी से फिर से संपर्क किया जाएगा।
3. अधीक्षक, सीएसआर के माध्यम से नई संभावनाओं की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं।

410. श्री रघुविन्द्र शौकीन : क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि जन शिकायत निगरानी प्रणाली (पीजीएमएस) के द्वारा दिनांक 27.02.2018 तक महिला एवं बाल विकास से संबंधित 2619 शिकायतें दर्ज की गई जिसमें से 57 शिकायतें अभी भी लंबित है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह भी सत्य है कि इसमें से 29 शिकायतें निवारण समय से भी अधिक समय से लंबित है। यदि हाँ, तो इसका कारण क्या है;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि 1178 शिकायतों पर विभाग द्वारा दिए गए जवाब/कार्यवाही को संतोषजनक नहीं पाया गया है। यदि हाँ, तो इन शिकायतों पर विभाग ने क्या कार्यवाही की है;

(घ) क्या यह भी सत्य है कि सभी शिकायतों को निवारण के लिए समय–समय पर मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्य सचिव के द्वारा भी विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी किये गए;

(ङ) इन शिकायतों को समय पर निवारण के लिए विभाग में क्या–क्या कदम उठाए है;

(च) निवारण के लिए ये शिकायतें किन–किन अधिकारियों के पास और कब–कब भेजी गई, इसका विवरण प्रदान करें;

(छ) संबंधित अधिकारियों ने इनके निवारण के लिए क्या कदम उठाए, इसका विवरण प्रदान करें; और

(ज) इन शिकायतों का निपआरा कितने समय में हो जायेगा?

उप मुख्यमंत्री : (क) जी, हाँ, दिनांक 21.03.2018 को केवल 32 शिकायतें लंबित है जिनको शीघ्र अति शीघ्र निबटा दिया जायेगा।

(ख) दिनांक 21.03.2018 को केवल 12 शिकायते समय से भी अधिक समय से लंबित है। यह शिकायतें विशेष रूप से मानदंड/वेतन के भुगतान से संबंधित हैं और निवारण में देरी वेतन और खाता कार्यालयों के स्तर पर है। त्वरित निवारण के लिए, संबंधित अधिकारी/सीडीपीओ द्वारा नियमित रूप से वेतन और लेखा कार्यालय के साथ मामले उठाये जा रहे है।

(ग) ऐसी अधिकतर शिकायतें नीतिगत मामले से संबंधित है। पेंशन संबंधित है। अधिकतर मामलों में आर्थिक सहायता नियमानुसार दी जाती है परन्तु लाभार्थियों का बैंक खाता आधार लिंक न होने, खाता निष्क्रिय होने जैसे कारणों से आर्थिक सहायता समय पर नहीं मिल पाती जिसके कारण शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं हो पाते।

(घ) जी हाँ, सभी शिकायतों को निवारण के लिए समय–समय पर उपमुख्यमंत्री कार्यालय और सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा भी विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी किये गए।

(ङ) शाखा अधिकारी (पीजीएमएस) मामलों में शीघ्र कार्यवाही करते हैं, कुछ मामलों में शिकायतकर्ता से भी संपर्क किया जाता है। स्थातरित किये गए मामलों का भी अवलोकन किया जाता हैं।

(च) महिला एवं बाल विकास विभाग के सभी संबंधित शाखा अधिकारियों तथा जिला अधिकारियों को शिकायतें (पीजीएमएस) निवारण हेतु नियमित रूप स्थानांतरित की जाती है। (सूची संलग्न है)

(छ) शाखा अधिकारी (पीजीएमएस) मामलों में शीध्र कार्यवाही करते हैं, कुछ मामलों में शिकायतकर्ता से भी संपर्क किया जाता है। स्थातरित किये गए मामलों का भी अवलोकन किया जाता हूँ।

(ज) यह मामले शीघ्रता से निपटाए जा रहे है, दिनांक 21.03.2018 को केवल 32 शिकायतें लंबित है जिनको भी शीघ्र अति शीघ्र निबटा दिया जायेगा।

Sl. No.	AGRO PGMS	Short Name	User Id
1.	AssttDirector ESTATE	ADE	agroadedowa
2.	AssttDirector GRC	GRC	agrogrcdowa
3.	AssttDirector Ladli	ADII	agroadiidowa
4.	AssttDirector RTI	RTI	agrortidowa
5.	AssttDirector WEC	ADI	aroadidowa
6.	District Officer CENTRAL	DOC	agrodocdowa
7.	District Officer EAST	EAST	Agroeastdowa
8.	District Officer New Delhi	ND	agrondowa
9.	District Officer NORTH	NORTH	agronorthdowa
10.	District Officer NORTH EAST	NE	agronedowa
11.	District Officer NORTH WEST I	NWI	agronwidowa
12.	District Officer NORTH WESTII	NWII	agronwiidowa
13.	District Officer SOUTH	SOUTH	agrosouthdowa
14.	District Officer SOUTH WEST	SW	agroswdowa
15.	District Officer West	West	agrowestdowa
16.	Dy Director Admn	DDII	agroddiidowa
17.	Dy Director CPU	DDIII	agroddiiidowa
18.	Dy Director CTB	DDCTB	agroddctbdowa

Sl. No.	*AGRO PGMS*	*Short Name*	*User Id*
19.	***Dy Director FAS***	***DDIV***	***agroddivdowa***
20.	***Dy Director ICDS***	***DDI***	***agroddidowa***
21.	***Dy Director ICPS***	***DDV***	***aroddvdowa***
22.	***Dy Director IGMSY***	***IGMSY***	***agroigmsydowa***
23.	***Dy Director VAC***	***DDVI***	***agroddvidowa***

411. श्री ओम प्रकाश शर्मा : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि वर्ष 2014 के बजट में कड़कड़डूमा इन्सटीट्यूशनल एरिया के दीपक नर्सिंग होम के पीछे डीलक्स वूमेन होस्टल बनाने की योजना थी;

(ख) यदि हाँ, तो इस योजना के लिए कितने बजट का प्रावधान किया गया था;

(ग) इस योजना का कार्य अभी तक किस कारण से प्रारम्भ नहीं हो पाया है; और

(घ) यदि कार्य कब तक शुरू हो जाएगा?

उप मुख्यमंत्री : (क) ऐसी कोई योजना नहीं थी, किन्तु उसी क्षेत्र के अंतर्गत विश्वास नगर फैमिली कोर्ट के समीप प्रियदर्शिनी कामकाजी महिला हॉस्टल 2003 से संचालित किया जा रहा है।

(ख) डीलक्स वूमेन होस्टल बनाने की कोई योजना नहीं थी।

(ग) उपरोक्त के अनुसार।

(घ) उपरोक्त के अनुसार।

412. श्री सुरेन्द्र सिंह : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कामकाजी महिलाओं के लिए निर्माणाधीन दोनों होस्टलों में से प्रत्येक की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) उस एक होस्टल की स्थिति क्या है जिसे लोक निर्माण विभाग ने आपके विभाग को हस्तारित कर दिया था?

उप मुख्यमंत्री : (क) कामकाजी महिलाओं हेतु निर्माणाधीन दोनों होस्टलों की स्थिति निम्न है:–

(1) कामकाजी महिला होस्टल, दिलशाद गार्डन के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2016–2017 में लोक निर्माण विभाग को स्वीकृति आदेश जारी किया गया है।

(2) कामकाजी महिला होस्टल, पीतमपुरा के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को आदेश जारी किया गया है, जिसका प्रारंभिक प्राकलन अभी प्राप्त होना है।

(ख) सन् 2003 में लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रियदर्शनी कामकाजी महिला छात्रावास इस विभाग को हस्तारित किया गया था जो वर्तमान में ***YWCA*** एनजीओ के माध्यम से विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है।

इसमें वर्तमान में 102 महिलाओं के रहने की व्यवस्था है जिसमें आज दिनांक तक 100 महिलाएं रह रही है इसके अतिरिक्त 30 बच्चों को रखने की क्रेच की सुविधा भी उपलब्ध है।

413. श्री सुरेन्द्र सिंह : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सुश्री निर्मला ने डीसीपीसीआर में कोई शिकायत फाइल की गयी हैं;

(ख) यदि हाँ, तो डीसीपीसीआर में की गयी शिकायत का विवरण और वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) डीसीपीसीआर द्वारा इस शिकायत के निवारण के लिए क्या कदम उठाए गए है;

(घ) एतद्सम्बन्धी मीटिंग के मिनट्स उपलब्ध कराये जाये;

(ङ) क्या इस सम्बन्ध में कोई सम्मन जारी किया गया है;

(च) एतद्सम्बन्धी फाइल की नोटिंग्स व फाइल मूवमेंट का तिथिवार विवरण उपलब्ध कराये; और

(छ) शिकायत निवारण के लिए उतरदायी अधिकारी का नाम क्या हैं;

उप मुख्यमंत्री : (क) जी, हां।

(ख) श्रीमती निर्मला की शिकायत उनके बच्चों को कथित रूप से प्रताड़ित किये जाने के बारे में थी जिसमें संबंधित आवासीय वेलफेयर

एसोसिएशन सेन्ट्रल गवर्नमेंट एम्प्लोईस रेजिडेंट्स वेल्फेयर एसोसिएशन, डी. डी.यू. मार्ग नई दिल्ली को नोटिस जारी किया गया आवासीय वेलफेयर एसोसिएशन से दिनांक 23.02.2018 को प्राप्त उत्तर के संबंध में आयोग द्वारा अधिक स्पष्टीकरण/जानकारी मांगी गयी है।

(ग) उपरोक्त (ख) के अनुसार दिनांक 15.03.18 को पत्र भेजकर स्पष्टीकरण/जानकारी मांगी गयी।

(घ) आयोग द्वारा ऐसी कोई मीटिंग नहीं बुलाई गयी।

(ङ) जांच जारी है परन्तु आयोग द्वारा कोई सम्मन जारी नहीं किया गया है।

(च) नोटिंग की तिथि 11.01.18, 02.02.18, 08.03.18 और 15.03.18, नोटिस की तिथि 11.01.18, 02.02.18 को अनुस्मारक और 15.03.18 को स्पष्टीकरण/अधिक जानकारी के लिए पत्र भेजा गया।

(छ) जांच के पूर्ण होने के उपरांत शिकायत निवारण का कार्य संबंधित अधिकारी/विभाग द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

414. सुश्री भावना गौड़ : क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि कुछ ऐसे मामले में आये हैं कि जिनमें महिलाओं के पति काफी समय से उनके साथ नहीं रह रहे हैं और उनके पास इसका कोई प्रमाण अथवा एफआईआर भी नहीं हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा ऐसी महिलाओं को निराश्रित पेंशन दी जा सकती हैं; 40 से 50 वर्ष

के मध्य की आयु वाली उन अविवाहित महिलाओं को जिनके पास अपने माता पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र भी नहीं हैं, क्या समाज कल्याण विभाग द्वारा उन्हें निराश्रित पेंशन दी जा सकती हैं;

(ग) 18 वर्ष से कम आयु के जिन बच्चों के माता पिता जीवित नहीं हैं, क्या उनके अभिभावक उन बच्चों के लिए निराश्रित पेंशन आवेदन कर सकते है; और

(घ) जिन अशिक्षित लड़कियों के माता पिता जीवित अनाथ हैं क्या वे लड़कियां भी समाज कल्याण विभाग द्वारा दी जाने वाली निराश्रित पेंशन की अधिकारी हैं?

महिला एवं बाल विकास मंत्री : (क) इस तरह के मामलों का कोई डाटा उपलब्ध नहीं है, पर ऐसे मामलों में आवेदकों को एफआईआर करने की तथा अन्य दस्तावेज़ एकत्रित करने की सलाह दी जाती है।

(ख) नहीं ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

(ग) नहीं ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

(घ) नहीं ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

415. सुश्री भावना गौड़ : क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पालम विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत मार्च, 2015 से लेकर अब तक कुल कितनी विधवा पेंशन स्वीकृत की गई हैं और उनका ब्यौरा क्या हैं;

(ख) पालम विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत मार्च, 2015 से लेकर अब तक कुल कितनी विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई हैं और उनका ब्यौरा क्या हैं;

(ग) पालम विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत मार्च, 2015 से लेकर अब तक कुल कितनी लड़कियों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई हैं और उनका ब्यौरा क्या हैं;

(घ) क्या सत्य हैं कि पालम विधान सभा क्षेत्र में निराश्रित अथवा तलाकशुदा महिलाओं को पेंशन दी जा रही हैं; और

(ङ) यदि हाँ, तो उसका पूरा विवरण क्या हैं?

महिला एवं बाल विकास मंत्री : (क) पालम विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत मार्च, 2015 से लेकर फरवरी, 2018 तक 924 विधवा पेंशन स्वीकृत की गयी है।

विधवा पेंशन के संबंध में ब्यौरा :

मार्च, 2015 से दिसम्बर, 2015 तक : विधवा पेंशन स्वीकृत 126

जनवरी, 2016 से दिसंबर, 2016 तक : विधवा पेंशन स्वीकृत 396

जनवरी, 2017 से दिसंबर, 2017 तक : विधवा पेंशन स्वीकृत 296

जनवरी, 2018 से दिसंबर, 2018 तक : विधवा पेंशन स्वीकृत 106

(ख) उपरोक्त उत्तर (क) के अनुसार।

(ग) पालम विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मार्च, 2015 से लेकर फरवरी, 2018 तक कुल 78 विधवा की पुत्री के विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की गयी है।

विधवा की पुत्री के विवाह के सम्बन्ध में ब्यौरा :

मार्च, 2015 से दिसंबर, 2015 तक : 26 स्वीकृत आवेदन

जनवरी, 2016 से दिसंबर, 2016 तक : 20 स्वीकृत आवेदन

जनवरी, 2017 से दिसंबर, 2017 तक : 8 स्वीकृत आवेदन

जनवरी, 2018 से दिसंबर, 2018 तक : 9 स्वीकृत आवेदन

कुल : 32

416. श्री एस. के. बग्गा : क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृष्णा नगर विधान सभा में कितने लोग विधवा पेंशन ले रहे है;

(ख) कृष्णा नगर विधान सभा में विधवा पेंशन के कितने आवेदन लम्बित पड़े है;

(ग) क्या यह सत्य है कि कृष्णा नगर विधान सभा में विधवा पेंशन के कितने आवेदन रद्द किये है;

(घ) यदि हाँ, तो उसका क्या कारण है और उनकी संख्या कितनी है; और

(ङ) कृष्णा नगर विधान सभा में कितनी बायो मशीन है;

महिला एवं बाल विकास मंत्री : (क) कृष्णा नगर विधानसभा में 3989 महिलाएं विधवा/निराश्रित पेंशन ले रही है।

(ख) कृष्णा नगर विधान सभा में विधवा पेंशन का कोई भी आवेदन लम्बित नहीं है।

(ग) जी हाँ यह सत्य है। कृष्णा नगर विधान सभा में विधवा पेंशन के सत्र 2017–18(***Feb***) तक 44 आवेदनों को रद्द किया गया।

(घ) कृष्णा नगर विधान सभा में विधवा पेंशन के सत्र 2017–18(***Feb***) 44 आवेदनों को रद्द किया गया तथा आवेदनों के रद्द होने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैः–

1. प्रार्थी की वार्षिक आए 1 लाख से अधिक होने के कारण

2. गलत मृत्यु प्रमाण पत्र/मृत्यु प्रमाण पत्र न होने के कारण

3. प्रार्थी द्वारा पेंशन प्राप्त होते हुए भी दोबारा आवेदन करने के कारण

(ङ) बायो मशीन उपलब्ध नहीं है।

417. श्री विजेंद्र गुप्ता : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि आंगनवाड़ी कर्मचारियों को कई महीनों से मानदेय नहीं मिल रहा है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि दिल्ली सरकार ने वर्ष 2017 में आंगनवाड़ी कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाया था;

(ग) इन कर्मचारियों के मानदेय के लिए सरकार ने वर्ष 2017–18 में कितने बजट का प्रावधान रखा था;

(घ) इन कर्मचारियों को मानदेय न मिलने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इन्हें कब तक मानदेय दे दिया जाएगा?

उप मुख्यमंत्री : (क) सरकार द्वारा वर्ष 2017–18 में 65 करोड़ रुपया दिया गया था जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का नवंबर, 2017 तक तथा सहायिकाओं का दिसंबर, 2017 तक का मानदेय भत्ता दिया जा चुका था। इसके उपरांत बजट मिलने पर मार्च माह में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका को फरवरी 2018 तक की राशि भुगतान की जा चुकी है।

(ख) हाँ, दिल्ली सरकार द्वारा आंगनवाड़ी कर्मचारियों का मानदेय 17 अगस्त, 2017 से बढ़ा दिया गया था। कार्यकर्ता का कुल मानदेय भत्ता रु. 9678/– व सहायिका का मानदेय भत्ता कुल रु. 2500/– से बढ़ाकर रु. 4839/– कर दिया गया था।

(ग) सरकार द्वारा वर्ष, 2017–18 में बजट में 65 करोड़ रुपये दिए गए थे। जोकि अब बढ़ाकर 110 करोड़ रुपये कर दिए गए है।

(घ) से (ङ) फरवरी, माह 2018 तक का मानदेय भत्ता मार्च माह में दिया गया है।

418. श्री ऋतुराज झा : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी संस्थानों में बच्चों की स्वीकृत क्षमता क्या है, संस्थावार सूचना दें;

(ख) प्रत्येक संस्थान में बच्चों की वास्तविक क्षमता क्या है;

(ग) प्रत्येक संस्थान में कितने स्टाफ की तैनाती है, पदवार स्वीकृत एवं वास्तविक क्षमता की जानकारी दें;

(घ) इन संस्थानों में रहने वालों के लिए कौन–से व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध है;

(ङ) अप्रैल, 2017 से व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से कितने बच्चों का पुनर्वास हुआ है, संस्थानवार विवरण उपलब्ध कराएं; और

(च) अप्रैल, 2017 से बच्चों के प्रति यौन हिंसा की रोकथाम हेतु कितनी कार्यशालाओं या जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया?

उप मुख्यमंत्री : (क) और (ख) महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 21 बाल गृह कार्यरत है जिसमें निराश्रित, अनाथ, बालभिक्षु, अपरिपक्व, विपदाग्रस्त व विशेष संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों को रखा जाता है जिसमें कि उनकी भोजन, आवास, शिक्षा चिकित्सा, मनोरंजन, व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि की सुविधाएं प्रदान की जाती है।

इसका उत्तर अनुलग्नक क में उपलब्ध है।

(ग) प्रत्येक संस्थान में स्टाफ की तैनाती के लिए उत्तर अनुलग्नक ख का अवलोकन करें।

(घ) और (ङ) विभाग ने प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना के माध्यम से एनएसडीसी भारत सरकार के साथ समन्वय किया है, ताकि सूचीबद्ध एजेंसियों बाल देखभाल संस्थानों में रखे बच्चों के लिए प्रशिक्षण को व्यावसायिक सेवाएं मुहैया करा सकें। विभाग एनजीओ और कॉरपोरेट हाऊस के माध्यम से सार्वजनिक और निजी साझेदारी को प्रोत्साहित करता है जो व्यावसायिक शिक्षा और अन्य मनोरंजन सुविधाएं प्रदान कर रहे है।

इसका उत्तर अनुलग्नक ग में उपलब्ध है।

(च) अप्रैल, 2017 से बच्चों के प्रति यौन हिंसा की रोकथाम हेतु डीसीपीयू द्वारा कुल 10 कार्यशालाओं का व 07 जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

Strength of Children in Child Care Institutions run by Deptt. of Women and Child Development, Govt. of NCT of Delhi

Children in Conflict with Law

Sl. No.	Institutions	Sanctioned Capacity			Children in Homes As on 21/03/18		
		B	G	Total	B	G	Total
1	Observation Home for Boy-I, Prayas, Delhi Gate, Delhi	50	--	50	62	0	62
2	Adharshila Observation Home for Boys-II, Sewa Kutir Complex, Kingsway Camp, Delhi	100	--	100	160	0	160
3	Annexe-Adharshila Observation Home for Boys-II, Magazine Road, Delhi	10	--	10	3	0	3
4	Observation Home for Girls, Nirmal Chhaya Complex	--	50	50	0	2	2
5	Special Home, Magazine Road, Delhi	20	--	20	27	0	27
6	Place of Safety, Magazine Road, Delhi	20		20	8	0	8
7	Place of Safety for Girls, Nirmal Chhaya Complex, Jail Road	--	10	10	0	0	0
	Grand Total	200	60	260	260	2	262

Strength of Children in Child Care Institutions run by Deptt. of Women and ChildDevelopment, Govt. of NCT of Delhi

Children in Need of Care and Protection

Sl. No.	Institutions	Sanctioned Capacity			Children in Homes As on 21/03/18		
		B	G	Total	B	G	Total
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Phulwari Children Home for Boys-I, Alipur, Delhi	100	0	100	65	0	65
2	Ashiyana Children Home for Boys-II, Alipur, Delhi	100	0	100	29	0	29
3	Ujjawal Children Home for Boys-I Lajpat Nagar	100	0	100	15	0	15
4	Uday Children Home for Boys-11, Lajpat Nagar	100	0	100	46	0	46
5	Anupama Children Home for Girls-I, Nirmal Chhaya Complex, Jail Road	0	100	100	0	48	48
6	Anukriti Children Home for Girls-iI,Nirmal Chhaya Complex, Jail Road	0	100	100	3	29	32
7 89	Village Cottage Home-I, Village Cottage Home-II, (for Boys & Girls).Village Cottage Home-III (Boys & Girls), Kasturba Niketan Complex, Lajpat Nagar	40	40	80	24	9	33

1	2	3	4	5	6	7	8
101	Bal Niketan (M&F), Nirmal Chhaya Cmplx, Jail Road, Delhi	25	25	50	3	27	30
11	Balika Greh (Female), Nirmal Chhaya Complex, Jail Road, Delhi	0	100	100	0	40	40
12	Sanskar Ashram for Boys-I GTB Lnclave, Dilshad Garden, Delhi	50	0	50	36	0	36
13	Sanskar Ashram for Boys-II GTB Enclave, Dilshad Garden	50	0	50	32	0	32
14	Sanskar Ashram for Girls GTB Enclave, Dilshad Garden	0	100	100	0	75	75
	Grand Total	565	465	1030	253	228	481

Sl. No.	After Care Institutions	Girls	Boys	Total
1	After Care for Girls, Nirmal Chhaya Complex	34	--	34
2	After Care for Boys, Alipur	--	15	15

Status of Staff of Government run Child Care Institutions

Name of the institution	Superintendent	Counselors	Welfare officer	Doctor/ Nurse	Care takers	House father/ house mother	Guards	Cooks	Sanitation Staff	Misc. (peon/ayas/ House Aunties/ peon/ Driver)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
CHG-MV.OHG Nirmal Chhaya	01	03 Counselors from MANAS Foundation	04	01 Doctor (part time) 02 Nurse	04	03	29	03	07	04 Ayas 04 House Aunty 01 Driver
SAB, Dilshad Garden	01	02	02	01 Nurse	05	04	17	03	04	-
SAB, Dilshad Garden	01	02	03	01 Nurse	09	02	06	04	04	-
CHB I&II, Lajpal Nagar	01	-	04	01 Doctor 01 Nurse	09	05	05	04	01	01
Village Cottage Home I-III, Lajpat Nagar	01	01	01	01 Nurse	01	01	03	06 (HA)	02	06 House Aunty
Place of Safety/ Special Home/Annex Magzine Road	01	01	05	01	08	05	51	06	04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OHB-II, Sewa Kutir, Kingsway Camp	*01*	*05*	*06*	*01 Doctor 01 Nurse*	*08*	*05*	*30*	*05*	*09*	*01 Peon 01 Driver*
CHB I&II, Alipur	*01*	*02*	*05*	*01 Doctor 01 Nurse*	*12*	*09*	*06*	*04*	*08*	*01*
Bal Niketan & Balika Greh, Nirmal Chhaya Complex	*01*	*Counseling from MANAS Foundation*	*02*	*01 nurse MCU in Nirmal Chhaya Complex*	*01*	*03*	*04*	*02*	*06*	*02 House auntie, 02 Peon*
Place of Safety. Nirmal Chhaya Complex	*01*	*01*	*01*	*MCU Nirmal Chhaya Complex*	*04 Care takers*	*02*	*09*	*02*	*12*	*08 Chowkidar, 01Aya*
Observation home for boys-I (PRAYAS)	*01*	*04 from Agapee Bliss Foundation*	*05 Welfare Officer*	*01 Doctor (Part time) 01 Nurse*	*05*	*02*	*30*	*02*	*02*	*01 (Peon)*

Vocational Training in Juvenile Homes.

Sl. No	Name of Institution	Agency for Vocational Training	Name of Vocational Training	No. of Children Enrolled	No of Children Passed Out	No of Children Placed in Job
1	2	3	4	5	6	7
1	Children home for boys, Alipur	PMKVY, PRIMERO (NSDC)	House Keeping & Services	22	17	
		Institutional	Barber	05		
		Institutional	Welding	08		
2	After Care Home for Boys, Alipur	PMKVY, PRIMERO (NSDC)	House Keeping & Services	08	07	09
		ITI, Dheerpur		02	01	
3	Children home for Boys Lajpat Nagar	PMKVY, PRIMERO (NSDC)	House Keeping & Services	04	Pursuing	03 (Lemon Tree Hotels) 01 (in Siesta Hospitality Service)

1	2	3	4	5	6	7
		ITI		*05*	*02*	
		Polytechnic		*05*	*Pursuing*	
4	*Sanskar Ashram for Girls*	*Institution*	*Jewelery Making*	*20*	*on going*	
4	*Children Home for Girls, Nirmal Chhaya*	*PMKVY, PRIMERO (NSDC)*	*Beauty and Wellness*			
		Institutional	*(Music)*	*19*	*on going*	
		Institutional (Sun Foundation)	*Computer*	*05*	*on going*	
		Institutional (Bal Bhawan)	*(Stitching)*	*15*	*on going*	
5	*Sanskar Ashram for Boys*	*Institutional (Bal Sahyog)*	*Singing*	*12*	*on going*	
		Institutional (Bal Sahyog)	*Art & Craft*	*10*	*on going*	
6	*Place of Safety*	*PMKVV, PRIMERO (NSDC)*	*Food & Bewredges Services*	*29*	*23*	*09*

7	***OHB-II***	***Institutional***	***Mobile Reparing***	***27***	***on going***	
		Institutional	***Hair Cutting & Grooming***	***15***	***on going***	
		Institutional	***Music***	***06***	***on going***	
		Institutional	***Computer***	***28***	***on going***	
8	***After Care Home for Women***	***PMKVY, PRIMERO (NSDC)***	***Beauty & Wellness Wellness***	***06***	***02***	***02***
		Sun Foundation	***Stitching***	***05***	***04***	-
		Sun Foundation	***Computer***	***02***	***10***	-
		Sun Foundation	***Sanitary Pad Making***	***10***	***10***	***10***
		Sun Foundation	***Production unit***	***06***		

419. श्री ऋतुराज झा : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डीसीपीसीआर द्वारा बाल श्रम की शिकायतों का वर्षवार विवरण क्या हैं;

(ख) डीसीपीसीआर द्वारा बाल श्रम के कितने मामले निपटाए गए, वर्षवार विवरण क्या है;

(ग) डीसीपीसीआर के हस्तक्षेप के कारण कितने बच्चों को बाल श्रम से बचाया गया, वर्षवार विवरण दें;

(घ) डीसीपीसीआर द्वारा बाल श्रम के विषय पर कितने अध्ययन/कार्यशालाए/सेमिनार आयोजित किये गए, वर्षवार विवरण दें;

(ङ) गुमशुदा बच्चों के सम्बन्ध में डीसीपीसीआर द्वारा कितनी जांचे की गए; और

(च) डीसीपीसीआर द्वारा बाल श्रम से बचाने के लिए कितने बचाव–कार्य किये गए, एतद्सम्बन्धी छापों के विशिष्ट ब्यौरे के साथ जानकारी दे;

उप मुख्यमंत्री : (क)

वर्ष	बालश्रम की शिकायतों का वर्षवार विवरण
1	2
2008–09	4
2009–10	10

1	2
2010—11	21
2011—12	12
2012—13	21
2013—14	23
2014—15	13
2015—16	6
2016—17	5
2017—18	34

(ख)

वर्ष	बाल श्रम की शिकायतों का वर्षवार निपटारा
1	2
2008—09	4
2009—10	10
2010—11	21
2011—12	12
2012—13	21
2013—14	23

1	2
2014—15	13
2015—16	6
2016—17	5
2017—18	25

(ग)

वर्ष	बाल श्रम से बचाए गए बच्चे	संस्था/विभाग का विवरण
1	2	3
2015—16	लक्ष्मी	पुलिस स्टेशन कीर्ति नगर, दिल्ली
2016—17	5 बच्चे	एस.डी.एम. विवेक विहार, दिल्ली
2017—18	कमला	बाल कल्याण समिति, निर्मल छाया
2017—18	महफूज	बाल कल्याण समिति, संस्कार आश्रम
2017—18	मोहम्मद अबराव, सुहैल, शाहिद, जिबराल, सुहैल	श्रम विभाग, विश्वास नगर दिल्ली
2017—18	अर्जुन	चाइल्डलाइन, डी.बी.एस. उत्तर—पूर्वी दिल्ली

1	2	3
2017—18	राजा	चाइल्डलाइन, प्रयास
2017—18	2 बच्चे	चाइल्डलाइन, बटरफ्लाई, दिल्ली पुलिस
2017—18	आरती	पुलिस स्टेशन आजादपुर, दिल्ली
2017—18	3 बच्चे	चाइल्डलाइन, प्रयास

(घ)

वर्ष	अध्ययन/कार्यशाला/सेमिनार
2009—10	बचपन संवारती दिल्ली
2012—13	बाल श्रम से बचाए बच्चों के पुनर्वास पर इन्टरफेस बैठक
2012—14	दिल्ली मे बाल श्रम के उन्मूलन के लिए कार्य योजना का क्रियान्वयन/एक अध्ययन
2017—18	जिला स्तर के अधिकारियों के लिए बाल अधिकारों पर एक दिवसीय संवेदीकरण कार्यशाला

(ङ) गुमशुदा बच्चों के संबंध में जांच का कार्य पुलिस विभाग द्वारा किया जाता हैं। दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग संबंधित मामलों की निगरानी/अनुश्रवण करता हैं।

(च) दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग अनुश्रवण प्राधिकरण हैं। बाल श्रम से बालकों के बचाव कार्य या छापा मारने का कार्य जिला टास्क फोर्स/संबंधित जिलाधिकारी के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता हैं।

420. श्री विजेन्द्र गुप्ता : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार ने अपने पहले बजट में वायदा किया था कि वह आंगनवाड़ी केन्द्रों को और अधिक बेहतर लोकेशन पर स्थानान्तरित करेगी, ताकि वहां पर बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें;

(ख) सरकार ने गत तीन वर्षों में कितनी आंगनवाड़ी केन्द्रों को बेहतर स्थानों पर स्थानान्तरित किया है;

(ग) क्या यह सत्य है कि सरकार ने यह भी वायदा किया था कि आंगनवाड़ी केन्द्रों में गरमागरम तैयार खाना और प्रि–कुक्ड फूड की गुणवत्ता को सुधारा जाएगा और क्वालिटी नियंत्रण पर पैनी निगाह रखी जाएगी;

(घ) सरकार ने खाने की गुणवत्ता और क्वालिटी नियंत्रण के क्षेत्र में अब तक क्या कार्य किया है?

उप मुख्यमंत्री : (क) जी हां।

(ख) सरकार ने गत तीन वर्षों में 2651 आंगनवाड़ी केन्द्रों को बेहतर स्थानों पर स्थानान्तरित किया है। अन्य आंगनवाड़ी केन्द्रों को बेहतर स्थानों पर स्थानान्तरित करने की प्रक्रिया चल रही है।

(ग) जी हां।

(घ) सरकार ने खाने की गुणवत्ता और क्वालिटी नियंत्रण के क्षेत्र में निम्नलिखित कार्य किए है–

आईसीडीएस योजना के तहत लक्षित लाभार्थियों को एसएनएफ की गुणवत्ता की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने एसएनएफ खाद्य

वस्तुओं के नमूना उठाने के लिए प्रक्रिया को बदल दिया है जिसमें नमूना उठाने के लिए पांच एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाएं और पूरक पोषण के रूप में उपलब्ध कराई जा रही खाद्य की जांच के लिए प्रयोग किया गया था। सीडीपीओ को एक महीने में कम से कम दो बार संबंधित आईसीडीएस परियोजना से विश्लेषण के लिए नमूने उठाए जाने का निर्देश दिया गया है।

निरीक्षण के दौरान पायी गयी कम आपूर्ति/अन्य कमियों/विसंगतियों के मामले में विभाग आपूर्तिकर्ताओं पर वित्तीय दंड लगा रहा है।

421. श्री सही राम : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डीसीपीसीआर में स्वीकृत कुल कितने स्वीकृत पद है;

(ख) इनमें से कितने पद भरे है;

(ग) जो पद भरे नहीं गए है उनकी सूची उपलब्ध कराएं;

(घ) इन पदों को भरे जाने के लिए सेवाएं विभाग ने क्या कदम ऊठाए है;

(ङ) क्या सेवाएं विभाग में डीसीपीसीआर में किन्ही पदों के सृजन के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(च) यदि हाँ, तो इस प्रस्ताव का विवरण क्या है?

उप मुख्यमंत्री : (क) बाल अधिकार संरक्षण आयोग एक्ट, 2005 के तहत डीसीपीसीआर में कुल 7 पद स्वीकृत है। (1 पद अध्यक्ष और 6 पद सदस्य)

(ख) एक अध्यक्ष तथा सदस्यों के सभी छह पद भरे हुए है।

(ग) उपरोक्त 'ख' के उत्तर के संदर्भ में लागू नहीं।

(घ) उपरोक्त 'ख' के उत्तर के संदर्भ में लागू नहीं।

(ङ) डीसीपीसीआर द्वारा 36 पदों के सृजन हेतु प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है।

(च) डीसीपीसीआर के प्रस्ताव में जिन पदों का सृजन मांगा गया है उसमें सचिव 1 (एक), उप–सचिव 1 (एक), कनिष्ट लेखा अधिकारी 1 (एक), अधीक्षक 1 (एक), सहायक अनुभाग अधिकारी 1 (एक), वरिष्ठ सहायक 4 (चार), कनिष्ठ सहायक 2 (दो), अशुलिप्क/निजी सहायक दस (10), चपरासी 8 (आठ), चालक 3 (तीन), सफाई कर्मचारी 2 (दो), प्रेषण सवार 2 (दो) कुल छत्तीस (36) पद।

422. श्री विजेन्द्र गुप्ता : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली में कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टलों की भारी कमी है;

(ख) क्या सरकार ने इस कमी को दूर करने के लिए प्राईवेट सैक्टर के सहयोग से महिलाओं के लिए 6 होस्टल बनाने का वायदा किया था;

(ग) यदि हाँ, तो विस्तृत ब्यौरा दे;

(घ) सरकार ने तीन साल में कामकाजी महिलाओं के लिए कितने होस्टल बनाए है;

(ङ) शेष दो वर्षों में कितने होस्टल बनकर तैयार हो जाएंगे; और

(च) सरकार ने इस कार्य के लिए कितना बजट आबंटित किया है?

उप मुख्यमंत्री : (क) ऐसा कोई सर्वेक्षण विभाग द्वारा नहीं किया गया है।

(ख) दिल्ली सरकार के अंतर्गत प्राइवेट सेक्टर के सहयोग से निर्माण कार्य कराने की कोई योजना प्रस्तावित नहीं है, अपितु निर्माण कार्य केवल सरकारी निर्माण संस्थानों द्वारा ही किया जाना प्रस्तावित है।

(ग) उपरोक्त (ख) के अनुसार।

(घ) एक (01), कामकाजी महिला होस्टल, द्वारका

(ङ) दो (02)

(च) रुपये दो करोड़ रिवाइजड – एस्टीमेट – 2017–18

423. श्री सही राम : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत 5 वर्षों में सचिव, महिला एवं बाल विकास के पद पर कौन–कौन से अधिकारी तैनात रहे है;

(ख) इन अधिकारियों ने अपने कार्यकाल के दौरान कुल कितनी आंगनवाड़ी केन्द्रों का कब कब दौरा किया है; और

(ग) इस संबंध में प्रत्येक दौरे की तिथि, इंस्पेक्शन रिपोर्ट और एक्शन टेकन रिपोर्ट भी प्रदान करें?

उप मुख्यमंत्री : (क)

1. डॉ. सतबीर बेदी, आईएएस 27.02.2014 से 08.10.2014 तक
2. श्री अश्वनी कुमार, आईएएस 26.11.2014 से 01.01.2015 तक
3. श्री धर्मपाल, आईएएस 05.01.2015 से 01.06.15 तक
4. श्री परिमल रॉय, आईएएस 01.06.2015 से 16.11.15 तक
5. सुश्री गीतांजलि गुप्ता, आईएएस 16.11.2015 से 27.03.2016 तक
6. श्री अश्वनी कुमार, आईएएस 28.03.2016 से 30.08.2016 तक
7. डॉ. दिलराज कौर, आईएएस 30.08.2016 से 02.03.2017 तक
8. श्री अनिल कुमार सिंह, आईएएस 02.03.2017 से 13.11.2017 तक
9. डॉ. ए.सी. वर्मा, आईएएस 14.11.2017 से अब तक।

(ख) विगत वर्षों का विवरण उपलब्ध नहीं है।

वर्तमान में सचिव डॉ. ए.सी. वर्मा, आईएएस ने 8 आंगनवाड़ियों का निरीक्षण किया उसका विवरण निम्न रूप से है:–

वर्ष	आंगनवाड़ी केन्द्र	दिनांक वार विवरण
2017–18	08	24.11.2017–04 आ.के.
		12.12.2017–03 आ.के.
		14.03.2018–01 आ.के.

(ग) इस्पेक्शन का दिनांक वार विवरण निम्नलिखित हैः–

24.11.2017	–	04 आ.के.
12.12.2017	–	03 आ.के.
14.03.2018	–	01 आ.के.

इस्पेक्शन के दौरान पाई गई कमियां व उनके निवारण के लिए विभाग द्वारा की गई कार्यवाही निम्नलिखित हैः–

कमियां–

* शाला पूर्व गतिविधियों में बच्चों की कम संख्या
* नामांकित लाभांवित का सर्वेक्षण से मिलान न हो पाना
* पोषाहार की कम आपूर्ति

कार्यवाही

परियोजना अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी।

कार्यकर्त्री का निलंबन।

424. श्री पवन शर्मा : क्या **समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सत्य है कि जन शिकायत निगरानी प्रणाली (पीजीएमएस) के द्वारा दिनांक 27.02.2018 तक अनु.जा./जनजाति./अ.पि.व./अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से संबंधित 499 शिकायतें दर्ज की गई जिसमें से 55 शिकायतें अभी भी लंबित है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह भी सच है कि इसमें से 41 शिकायतें निवारण समय से अधिक समय से लंबित है;

(ग) यदि हाँ, तो इसका कारण क्या है;

(घ) क्या यह भी सत्य है कि 246 शिकायतों पर विभाग द्वारा दिए गए जवाब/कार्यवाही को संतोषजनक नहीं पाया गया है। यदि हाँ, तो इन शिकायतों पर विभाग ने क्या कार्यवाही की है;

(ङ) क्या यह भी सच है कि इन शिकायतों को निपटाने के लिए समय–समय पर मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्य सचिव के द्वारा भी विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी किये गये;

(च) इन शिकायतों को समय पर निपटाने के लिए विभाग ने क्या–क्या कदम उठाए है;

(छ) निवारण के लिए ये शिकायतें किन–किन अधिकारियों के पास और कब–कब भेजी गई, इसका विवरण प्रदान करें;

(ज) संबंधित अधिकारियों ने इनके निवारण के लिए क्या कदम उठाए, इसका विवरण प्रदान करें; और

(झ) इन शिकायतों का निपटारा कितने समय में हो जायेगा?

समाज कल्याण मंत्री : (क) जी, नहीं। जन शिकायत निगरानी प्रणाली (पीजीएमएस) पोर्टल के अनुसार दिनांक 27.02.2018 तक विभाग में कुल 502 शिकायतें प्राप्त हुई थी। पीजीएमएस पोर्टल की दिनांक 27.02.2018 की रिर्पोट के अनुसार अभी केवल 19 शिकायतें लंबित हैं।

(ख) जी, नहीं। पीजीएमएस पोर्टल की रिपोर्ट के अनुसार केवल 08 शिकायतें निवारण समय से अधिक समय से लंबित हैं।

(ग) जन शिकायत निगरानी प्रणाली (पीजीएमएस) के तहत दर्ज शिकायतों का उत्तर विभागीय अधिकारियों द्वारा ऑन–लाइन ही दिया जाता है एवं महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड द्वारा संचलित अन्तरजाल (***Internet***) प्रणाली दिनांक 08.01.2018 से 27.02.2018 तक बाधित रहने के कारण इन शिकायतों का पीजीएमएस पोर्टल पर निर्धारित अवधि में निस्तारण नहीं हो पाया था।

(घ) जिन मामलों में उत्तर संतोषजनक नहीं पाया जाता है, उनका विभाग द्वारा पुनःअवलोकन किया जा रहा है।

* विभाग द्वारा उपलब्ध रिकॉर्ड एवं सूचना के आधार पर जवाब दिया जाता है।
* कुछ शिकायतें नीतिगत मामलों से संबंधित हैं, जिनका विभागीय स्तर पर निपटारा संभव नहीं है।
* कुछ शिकायतें निराधार शिकायतें हैं, जो कि एक वर्ष से अधिक समय से लंबित है।
* कुछ शिकायतें अनर्दिष्ट है इसलिए संतोषजनक उत्तर नहीं दिया जा सकता है।

विभागीय स्तर पर इन सभी शिकायतों का पुनः अवलोकन कर इनके निपटान के लिए जरूरी कार्रवाई की जा रही है ताकि शिकायतकर्ता को संतोषजनक उत्तर दिया जा सके।

(ङ) जी, हां।

(च) * ऑन–लाइन प्राप्त इन शिकायतों को समय पर निपटान के लिए विभाग द्वारा नोडल ऑफिसर को नियुक्त किया गया है और उच्च अधिकारियों द्वारा समय–समय पर मॉनीटिरिंग की जाती है।

* ऑन–लाइन प्राप्त इन शिकायतों को अन्य विभागों और शाखाओं को ऑन–लाइन माध्यम द्वारा ही भेजा जाता है।

(छ) और (ज) निवारण के लिए जो शिकायतें विभाग से संबंधित होती है उन्हें संबंधित शाखा अधिकारी को समय–समय पर ऑन–लाइन के माध्यम से भेज दिया जाता है एवं जो शिकायतें अन्य विभागों से संबंधित होती है उन्हें संबंधित विभाग को ऑन लाइन भेज दिया जाता है।

विभाग में पीजीएमएस पोर्टल पर दिनांक 27.02.2018 तक 502 शिकायतें प्राप्त हुई जिनमें से 483(96%) शिकायतों का निष्पादन कर दिया गया है। दिनांक 27.02.2018 की रिर्पोट के अनुसार 19 शिकायतें लंबित है जिसमें से 11 शिकायतें दी गई समय सीमा के अंतर्गत है और 8 शिकायतें निवारण समय से अधिक समय से लंबित हैं जिनके निष्पादन के लिए कार्रवाई की जा रही है ताकि शिकायतकर्ता को संतोषजनक उत्तर दिया जा सके।

(झ) विभाग में लंबित शिकायतों पर कार्रवाई जारी है तथा इन्हे अतिशीघ्र निष्पादित कर दिया जायेगा।

425. श्री दिनेश मोहनिया : क्या **समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विद्यार्थियों की स्कूल फीस की धनवापसी के संबंध में वर्ष 2016–17 में कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए, कितनों पर कार्रवाई हुई और कितने शेष हैं;

(ख) इनमें से कितने पात्र पाए गए और कितने रद्द किए गए;

(ग) बहुत अधिक संख्या में आवेदन रद्द किए जाने का कारण क्या है;

(घ) यदि इतने अधिक अपात्र व्यक्ति आवेदन कर रहे हैं तो इसका कारण क्या है;

(ङ) वर्ष 2017—18 में कितने आवेदन प्राप्त हुए;

(च) क्या यह सत्य है कि ये आवेदन लक्ष्य से कम हैं;

(छ) यदि हाँ, तो कितने कम है;

(ज) कितने आवेदनों पर कार्रवाई की गई और कितने शेष हैं;

(झ) इनमें से कितने अपात्र पाए गए और कितने रद्द किए गए;

(ञ) ये आवेदन ऑनलाइन प्राप्त किए जाने की क्या प्रक्रिया है;

(ट) वर्ष 2017—18 में कितने आवेदन ऑनलाइन और कितने ऑफलाइन प्राप्त हुए;

(ठ) आवेदन प्राप्त होने की तिथि से लेकर उसके निपटान तक की औसत अवधि (दिनों में) वर्ष 2016—17 व 2017—18 में कितनी रही;

(ड) क्या इस अवधि को कम करके 180 दिन तक लाने का लक्ष्य प्राप्त हो सका है;

(ढ़) यदि नहीं, तो उसका क्या कारण है;

(ण) क्या यह सत्य है कि विभाग ने यह निर्णय किया था कि इन आवेदनों को वर्ष की प्रथम तिमाही में निपटा लिया जाएगा;

(त) क्या इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सका है;

(थ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(द) लाभार्थियों व अन्य आवेदकों से शिकायतें और आवेदन प्राप्त करने का तंत्र क्या है;

(ध) वर्ष 2016–17 तथा 2017–18 में आज तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और कितनों का निवारण हुआ है;

समाज कल्याण मंत्री : (क) विद्यार्थियों की स्कूल फीस की धन वापसी के संबंध में वर्ष 2016–17 में कुल 25174 आवेदन प्राप्त हुए, कुल 23768 पर कार्रवाई हुई है और 1406 आवेदन पत्र विद्यालय स्तर पर सत्यापन हेतु लंबित है।

(ख) इनमें से 23492 पात्र पाए गए और 1682 आवेदन रद्द किए गए।

(ग) छात्रवृत्ति योजना के अन्तगर्त वह आवेदन जो कि निर्धारित मापदण्डों के अनुकूल नहीं पाए गए उन्हें शिक्षण संस्थानों और संबंधित प्रशासनिक विभागों द्वारा अस्वीकृत किया गया हैं।

(घ) आवेदकों द्वारा योजना के दिशानिर्देशानुसार आवेदन न भरने के कारण अपात्र है।

(ङ) वर्ष 2017–18 में स्कूल फीस की धनवापसी योजना के अंतर्गत अभी तक (22.03.2018), कुल 23878 आवेदन प्राप्त हुए।

(च) इन योजनाओं के अंतर्गत कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है एवं आवेदन भरने की अंतिम तिथि 31.03.2018 है।

(छ) लागू नहीं है।

(ज) वर्ष 2017–18 के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 31.03.2018 है।

(झ) लागू नहीं है।

(ञ) ऑनलाइन आवेदन भरने की विस्तृत जानकारी ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल ***www.edistrict.delhigovt.nic.in*** एवं विभाग की अधिकारिक वेबसाइट ***www.scstwelfare.delhigovt.nic.in*** पर दी गई है।

(ट) वर्ष 2017–18 में सभी आवेदन केवल ऑनलाइन प्रणाली से ही मान्य है।

(ठ) वर्ष 2016–17 में विभाग ने ऑनलाइन प्रक्रिया को प्रथम बार अपनाया और इसके कई तकनीकी पहलुओं में सुधार की आवश्यकता रही है जिसकी वजह से आवेदन पत्रों के निपटान की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकी है।

(ड) सभी तकनीकी पहलुओं में सुधार करने के बाद लक्ष्य निर्धारित किया जा सकेगा।

(ढ) लागू नहीं।

(ण) जी, नहीं।

(त) संबंधित नहीं हैं।

(थ) संबंधित नहीं हैं।

(द) लाभार्थी व अन्य आवेदक अपनी शिकायतें ऑनलाइन अथवा विभागीय हेल्पडेस्क पर लिखित में भी दे सकतें है आवेदन करने की प्रक्रिया ऑनलाइन निर्धारित की गई है।

(ध) वर्ष 2016–17 तथा 2017–18 में आज तक कुल 42 शिकायतें, पीजीएमएस के माध्यम से प्राप्त हुई हैं, और सभी का निष्पादन किया जा चुका है।

426. श्री पंकज पुष्कर : क्या **समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एससी/एसटी/ओबीसी/माइनॉरिटी के छात्रों के लिए जो विशेष विद्यालय और होस्टल वर्तमान में चलाए जा रहे है, उनकी संख्या, इनसे लाभान्वित हो रहे छात्रों की संख्या, इनमें छात्र छात्रओं को मिलने वाली सुविधाओं आदि का पूर्ण विवरण क्या है;

(ख) इन के लिए अलग–अलग मद में कितना बजट आवंटित किया जा रहा है, कृपया पूर्ण विवरण उपलब्ध कराएं;

(ग) क्या यह सत्य है कि एससी/एसटी की बहुसंख्यक आबादी दिल्ली में अभी भी ज्यादातर झुग्गी–बस्तियों या कटरों में रहती है;

(घ) क्या यह भी सत्य है कि सरकार ऐसे बच्चों को पढ़ाई का उचित वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से इनके लिए और होस्टल बनाने की योजना पर विचार कर रही है; और

(ङ) क्या यह भी सत्य है कि सरकार एससी/एसटी/ओबीसी/माइनॉरिटी के छात्रों के लिए विशेष आवासीय विद्यालय बनाने की कार्य योजना पर कार्य कर रही है?

समाज कल्याण मंत्री : (क) वर्तमान में एससी/एसटी/ओबीसी/माइनॉरिटी के छात्रों के लिए–

(*i*) एक आवासीय विद्यालय, कलिंगा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस (***KISS***), जो कि कलिंगा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस (***KIIT***), भुवनेश्वर एवं दिल्ली सरकार के संयुक्त उद्दम में ***MOU*** के तहत चलाया जा रहा है। वर्ष 2017–18 में इसमें 562 विद्यार्थी शिक्षारत है। इनमें रहने वाले छात्र छात्राओं को शिक्षा, आवास, खाना, यूनिफार्म, लेखन सामग्री, किताबें तथा प्राथमिक उपचार की सुविधाएं निशुल्क दी जाती है।

(*ii*) दो होस्टल है, जिनमें 160 विद्यार्थी (छात्र–100 व छात्रा–60) लाभान्वित हो रहे हैं। इनमें रहने वाले छात्र छात्राओं को आवास एवं खाने–पीने की सुविधाएं निशुल्क दी जाती है।

(ख)

विद्यालय/होस्टल	शीर्ष	संशोधित अनुमान (***MRE***) 2017–18
एक विद्यालय (***KISS***), (ईसापुर)	पूंजीगत शीर्ष राजस्व शीर्ष	1.50 करोड़ रुपए 4.00 करोड़ रुपए
दो होस्टल (दिलशाद गार्डन)	राजस्व शीर्ष	243 लाख रुपए (छात्र हॉस्टल) 75 लाख रुपए (छात्रा हॉस्टल)

(ग) विभाग में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) जी नहीं, वर्ष 2017–18 में सरकार द्वारा और होस्टल बनाने की कोई योजना नहीं है।

(ङ) जी नहीं।

427. श्री ऋतुराज झा : क्या **अनु.जाति/अनु.ज.जाति/अ.पि.व. मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विद्यार्थियों को दी जाने वाली सभी सीएसएस छात्रवृत्तियांः– प्री मेट्रिक माइनॉरिटी, पोस्ट मेट्रिक माइनॉरिटी, मेट्रिक कम मीन्स माइनॉरिटी, प्री मेट्रिक ओबीसी, पोस्ट मेट्रिक ओबीसी, प्री मेट्रिक एससी, पोस्ट मैट्रिक एससी योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2016–17 में कितने आवेदन प्राप्त हुए, इसमें से कितनों पर कार्रवाई की गई और कितने योग्य पाए गए और पहले के कितने शेष थे व किनते अस्वीकार किए गए;

(ख) इतनी अधिक अस्वीकृति का क्या कारण है, इतने अधिक अयोग्य व्यक्ति आवेदन कर रहे हैं तो उसका कारण क्या है;

(ग) वर्ष 2017–18 में कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि ये लक्ष्य से कम है तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) कितने आवेदनों पर कार्रवाई की गई और कितने योग्य पाए गए और कितने अस्वीकार किए गए, कितने पहले के शेष थे;

(च) इतनी अधिक अस्वीकृति का कारण है, इतने अधिक अयोग्य व्यक्ति आवेदन कर रहे हैं तो उसका कारण क्या है;

(छ) आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन करने की प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ज) वर्ष 2017–18 में कितने आवेदन ऑनलाइन प्राप्त हुए और कितने ऑफलाइन प्राप्त किए गए;

(झ) लाभार्थियों व अन्य आवेदकों से शिकायतें प्राप्त करने का तंत्र क्या है;

(ञ) वर्ष 2016–17 तथा 2017–18 में आज तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और कितनों का निवारण हुआ है;

(ट) इस योजना के बारे में और इसे लागू किए जाने के संबंध में कितनी आरटीआई विभाग द्वारा प्राप्त की गई है;

(ठ) इनमें से कितनी आरटीआई का उत्तर दे दिया गया और;

(ड) कितनी आरटीआई अपीलीय प्राधिकारी द्वारा प्राप्त की गई;

अनु.जाति/अनु.ज.जाति/अ.पि.व. मंत्री : (क) विवरण अनुलग्नक 'क' में वर्णित है।

(ख) छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत निर्धारित मापदण्डों के अनुकूल न पाए जाने के कारण शिक्षण संस्थान और संबंधित प्रशासनिक विभागों द्वारा अस्वीकृत किए गए हैं।

(ग) प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक एवं मैरिट कम मीन्स माइनॉरिटी छात्रवृत्ति योजनाओं का संचालन भारत सरकार, अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा एनएसपी 2.0 पोर्टल पर किया गया था, इन योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2017–18 में कुल 50081 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे।

वर्ष 2017–18 में, अभी तक (26.03.2018) प्री मैट्रिक ओबीसी, पोस्ट मैट्रिक ओबीसी, प्री मेट्रिक एससी, पोस्ट मैट्रिक एससी योजनाओं के अंतर्गत, ई–डिस्ट्रिक पोर्टल पर कुल 3152 आवेदन प्राप्त हुए है।

(घ) इन योजनाओं के अंतर्गत कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है एवं ई–डिस्ट्रिक पोर्टल पर आवेदन भरने की अंतिम तिथि 31.03.2018 है।

(ङ) वर्ष 2017–18 के लिए ई–डिस्ट्रिक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 31.03.2018 है।

(च) लागू नहीं है।

(छ) छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया जारी है। आवेदक 31.03.2018 तक ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल ***www.edistrict.delhi.govt.nic.in*** पर आवेदन भर सकते है।

(ज) वर्ष 2017–18 में सभी आवेदन केवल ऑनलाइन प्रणाली से ही मान्य है।

(झ) लाभार्थी व अन्य आवेदक अपनी शिकायतें ऑनलाइन अथवा विभागीय हेल्पडेस्क पर लिखित में भी दे सकतें हैं।

(ञ) वर्ष 2016–17 तथा 2017–18 में आज तक कुल 66 शिकायतें, पीजीएमएस के माध्यम से प्राप्त हुई हैं, और सभी का निष्पादन किया जा चुका है।

(ट) इस योजना के बारे में और इसे लागू किए जाने के संबंध में वर्ष 2017–18 में कुल 25 आरटीआई विभाग द्वारा प्राप्त की गई है।

(ठ) सभी का उत्तर दिया गया है।

(ड) वर्ष 2017–18 में कुल 5 आरटीआई अपीलीय प्राधिकारी द्वारा प्राप्त की गई।

अलुलग्नक 'क'

क्र.सं.	योजना का नाम	प्राप्त आवेदनों की संख्या	कार्यवाही की गई (शिक्षण संस्थानों द्वारा सत्यापित)	योग्य पाए गए विद्यार्थियों की संख्या	पिछले वर्षों के शेष आवेदकों की संख्या	अस्वीकार किए गए आवेदकों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1.	अन्य पिछड़ा वर्ग विद्यार्थियों के लिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप	7728	7728	7719	00	9
2.	अन्य पिछड़ा वर्ग विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप	6613	6613	6499	00	114
#3.	अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के लिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप	389	104	104	00	285
#4.	अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप	7153	4752	4752	00	2401

1	2	3	4	5	6	7
*5.	अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के लिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना। (कक्षा 1 से 10)	52987	52987	30567	00	22420
*6.	अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना (कक्षा 11, 12 एवं उच्च शिक्षा)	3800	3800	2814	00	986
*7.	अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के लिए योग्यता–एवं–आय आधारित छात्रवृत्ति। (स्नातक स्तर के तकनीकी एवं व्यवसायिक कोर्स)	1400	1400	1028	00	372

#वर्ष 2016–17 में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए आवेदन, भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं सहकारिता मंत्रालय द्वारा एनएसपी 2.0 पोर्टल पर मंगाये गये थे। जिनका सत्यापन एवं अनुमोदन संबंधित शिक्षण संस्थानों एवं विभागों द्वारा किया गया था। निर्णय के अनुसार, मंत्रालय से अनुमोदित आवेदन पत्रों का विवरण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को अग्रिम कार्यवाही हेतु ऑफलाइन प्राप्त हुआ। विभाग द्वारा योग्य आवेदकों को भुगतान हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

*अल्पसंख्यक छात्रों के लिए प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मैरिट कम मिन्स छात्रवृत्ति योजनाओं का संचालन सीधे अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा किया जाता है और आवेदनों को एनएसपी 2.0 पोर्टल पर मंगाया गया था। जिनका सत्यापन/अस्वीकृत संबंधित शिक्षण संस्थानों द्वारा किया गया था। वर्ष 2016–17 में प्री मैट्रिक स्कालरशिप योजना अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए, के अंतर्गत कुल 22420 आवेदन पत्रों को संबंधित शिक्षण संस्थानों/विभागों द्वारा अस्वीकृत किया गया था, जिसका मुख्य कारण विद्यार्थियों को राज्य सरकार की योजनाओं में पहले ही छात्रवृत्ति के लिए अनुमोदित किया जाना बताया गया।

428. श्री गिरीश सोनी : क्या **अनु.जाति/अनु.ज.जाति/अ.पि.व. मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति (तकनीकी व पेशेवर कॉलेज) योजना के अंतर्गत वर्ष 2016–17 में कितने आवेदन प्राप्त हुए, इसमें से कितनों पर कार्रवाई की गई और कितने योग्य पाए गए और पहले के कितने शेष थे व कितने अस्वीकार किए गए;

(ख) इतनी अधिक अस्वीकृति का क्या कारण है, इतने अधिक अयोग्य व्यक्ति आवेदन कर रहे हैं तो उसका कारण क्या है;

(ग) वर्ष 2017–18 में कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि ये लक्ष्य से कम है तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) कितने आवेदनों पर कार्रवाई की गई और कितने योग्य पाए और और कितने अस्वीकार किए गए, कितने पहले के शेष थे;

(च) इतनी अधिक अस्वीकृति का क्या कारण है, इतने अधिक अयोग्य व्यक्ति आवेदन कर रहे हैं तो उसका क्या कारण है;

(छ) आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन करने की प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ज) वर्ष 2017–18 में कितने आवेदन ऑनलाइन प्राप्त हुए और कितने ऑफलाइन प्राप्त किए गए;

(झ) लाभार्थियों व अन्य आवेदकों से शिकायतें प्राप्त करने का तंत्र क्या है;

(ञ) वर्ष 2016—17 तथा 2017—18 में आज तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और कितनों का निवारण हुआ है;

(ट) इस योजना के बारे में और इसे लागू किए जाने के संबंध में कितनी आरटीआई विभाग द्वारा प्राप्त की गई है;

(ठ) इनमें से कितनी आरटीआई का उत्तर दे दिया गया; और

(ड) कितनी आरटीआई अपीलीय प्राधिकारी द्वारा प्राप्त की गई?

अनु.जाति/अनु.ज.जाति/अ.पि.व. मंत्री : (क) विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति (तकनीकी व पेशेवर कॉलेज) योजना के अंतर्गत वर्ष 2016—17 में 2996 आवेदन प्राप्त हुए, इसमें से कुल 2905 पर कार्रवाई की गई और 2500 योग्य पाए गए। वर्ष 2014—15 व 2015—16 के 10996 शेष थे और 464 आवेदन अस्वीकार किए गए।

(ख) छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत वह आवेदन जो कि निर्धारित मापदण्डों के अनुकूल नहीं पाए गए उन्हें शिक्षण संस्थानों और संबंधित प्रशासनिक विभागों द्वारा अस्वीकृत किया गया है।

(ग) वर्ष 2017—18 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति (तकनीकी व पेशेवर कॉलेज) योजना के अंतर्गत अभी तक (22.03.2018) कुल 2379 आवेदन प्राप्त हुए।

(घ) इन योजनाओं के अंतर्गत कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है एवं आवेदन भरने की अंतिम तिथि 31.03.2018 है।

(ङ) वर्ष 2017—18 के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 31.03.2018 है।

(च) लागू नहीं है।

(छ) छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया जारी है। आवेदक 31.03.2018 तक ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल ***www.edistrict.delhi.govt.nic.in*** पर आवेदन भर सकते है।

(ज) वर्ष 2017–18 में सभी आवेदन केवल ऑनलाइन प्रणाली से ही मान्य है।

(झ) लाभार्थि व अन्य आवेदक अपनी शिकायतें ऑनलाइन अथवा विभागीय हेल्पडेस्क पर लिखित में भी दे सकतें हैं।

(ञ) वर्ष 2016–17 तथा 2017–18 में आज तक कुल 22 शिकायतें, पीजीएमएस के माध्यम से प्राप्त हुई हैं, और सभी का निष्पादन किया जा चुका है।

(ट) इस योजना के बारे में और इसे लागू किए जाने के संबंध में वर्ष 2017–18 में कुल 12 आरटीआई विभाग द्वारा प्राप्त की गई है।

(ठ) सभी का उत्तर दिया गया है।

(ड) वर्ष 2017–18 में कुल 5 आरटीआई अपीलीय प्राधिकारी द्वारा प्राप्त की गई।

429. श्री गिरीश सोनी : क्या **अनु.जाति/अनु.ज.जाति/अ.पि.व. मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत वर्ष 2016–17 में कितने आवेदन प्राप्त हुए, इसमें से कितनों पर कार्रवाई की गई और कितने योग्य पाए गए और पहले के कितने शेष थे व कितने अस्वीकार किए गए;

(ख) इतनी अधिक अस्वीकृति का क्या कारण है, इतने अधिक अयोग्य व्यक्ति आवेदन कर रहे हैं तो उसका कारण क्या है;

(ग) वर्ष 2017–18 में कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि ये लक्ष्य से कम हूँ तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) कितने आवेदनों पर कार्रवाई की गई और कितने योग्य पाए और और कितने अस्वीकार किए गए, कितने पहले के शेष थे;

(च) इतनी अधिक अस्वीकृति का क्या कारण है, इतने अधिक अयोग्य व्यक्ति आवेदन कर रहे हैं तो उसका क्या कारण है;

(छ) आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन करने की प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति क्या हैं;

(ज) वर्ष 2017–18 में कितने आवेदन ऑनलाइन प्राप्त हुए और कितने ऑफलाइन प्राप्त किए गए;

(झ) लाभार्थियों व अन्य आवेदकों से शिकायतें प्राप्त करने का तंत्र क्या है;

(ञ) वर्ष 2016–17 तथा 2017–18 में आज तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और कितनों का निवारण हुआ है;

(ट) इस योजना के बारे में और इसे लागू किए जाने के संबंध में कितनी आरटीआई विभाग द्वारा प्राप्त की गई है;

(ठ) इनमें से कितनी आरटीआई का उत्तर दे दिया गया; और

(ङ) कितनी आरटीआई अपीलीय प्राधिकारी द्वारा प्राप्त की गई?

अनु.जाति/अनु.ज.जाति/अ.पि.व. मंत्री : (क) विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत वर्ष 2016–17 में 1047223 आवेदन प्राप्त हुए, इसमें से कुल 1039803 पर कार्रवाई की गई और 1037970 आवेदन योग्य पाए गए। वर्ष 2014–15 व 2015–16 के लगभग 25000 आवेदन शेष थे व 9253 आवेदन अस्वीकार किए गए।

(ख) छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत वह आवेदन जो कि निर्धारित मापदण्डों के अनुकूल नहीं पाए गए उन्हें शिक्षण संस्थानों और संबंधित प्रशासनिक विभागों द्वारा अस्वीकृत किया गया है।

(ग) विभाग द्वारा वर्ष 2017–18 में विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत अभी तक (26.03.2018), ई–डिस्टिक पोर्टल और संबंधित विभागों द्वारा सरकारी शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों का विवरण सहित कुल 868459 आवेदन पत्र प्राप्त हुए है।

(घ) इन योजनाओं के अंतर्गत कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है एवं आवेदन भरने की अंतिम तिथि 31.03.2018 है।

(ङ) वर्ष 2017–18 के लिए ई–डिस्टिक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 31.03.2018 है। सरकारी शिक्षण संस्थानों से प्राप्त आवेदनों में से कुल 784954 छात्रों का छात्रवृत्ति देने के आदेश जारी किए जा चुके है।

(च) लागू नहीं है।

(छ) छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया जारी है। आवेदक 31.03.2018 तक ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल ***www.edistrict.delhi.govt.nic.in*** पर आवेदन भर सकते है।

(ज) वर्ष 2017–18 में सभी आवेदन केवल ऑनलाइन प्रणाली से ही मान्य है।

(झ) लाभार्थी व अन्य आवेदक अपनी शिकायतें ऑनलाइन अथवा विभागीय हेल्पडेस्क पर लिखित में भी दे सकतें हैं।

(ञ) वर्ष 2016–17 तथा 2017–18 में आज तक कुल 217 शिकायतें, पीजीएमएस के माध्यम से प्राप्त हुई हैं, और सभी का निष्पादन किया जा चुका है।

(ट) इस योजना के बारे में और इसे लागू किए जाने के संबंध में वर्ष 2017–18 में कुल 20 आरटीआई विभाग द्वारा प्राप्त की गई है।

(ठ) सभी का उत्तर दिया गया है।

(ड) वर्ष 2017–18 में कुल 9 आरटीआई अपीलीय प्राधिकारी द्वारा प्राप्त की गई।

430. श्री अजय दत्त विधायक : क्या **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंटरसेप्टर प्रोजेक्ट में कार्य अवार्ड की तिथि और समापन–समय क्या था (वर्क आर्डर के अनुसार समापन का मनिा वर्ष बताये);

(ख) एन.जी.टी. जैसे कारणों से कितने समय तक कार्य रूका रहा, महीनों में समय बताये;

(ग) इस परियोजना का मूल खर्च व समय सीमा क्या था और विलम्ब के विभिन्न कारणों से अब संशोधित खर्च व समय सीमा क्या है;

(घ) नजफगढ़ नाले, सपलीमेन्टरी नाले ओर शाहदरा नाले गिरने वाले मूल नाले कितने थे;

(ङ) कितने नाले गिर रहे थे, प्रत्येक का नाम व बहाव बताये तथा इस परियोजना के अंतर्गत कितने नालों को रोका जाना प्रस्तावित है प्रत्येक का नाम व बहाव बताये;

(च) प्रस्तावित नालों में से कितनों को रोका जा चुका है व प्रत्येक रोके गए नाले से वास्तव में कितना बहाव रोका गया है;

(छ) इस परियोजना के अंतर्गत जो नाले शामिल नहीं है उन के लिए क्या प्रस्ताव है;

(ज) जो नाले इस परियोजना के अंतर्गत नहीं आते है, उन पर होने वाले कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है प्रत्येक नाले की स्थिति का पूर्ण विवरण बताये;

(झ) परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान कितने नए नाले सामने आये है; और

(ञ) इंटरसेप्टर परियोजना के अंतर्गत आने वाले, इस परियोजना के अंतर्गत न आने वाले और नए नालों के बहाव का विवरण क्या है?

मुख्यमंत्री : (क) इंटरसेप्टर प्रोजेक्ट के अंतर्गत 6 पैकेज है। जिनमें पैकेज–1, 4 और 5 के लिए अवार्ड की तिथिः 01.07.2011 एवं कार्य समापन

की तिथि 30.06.2013 थी। और पैकेज– 2, 3 और 6 के लिए अवार्ड की तिथि 01.07.2011 एवेम कार्य समापन की तिथि 30.06.2014 थी।

(ख) दिल्ली जल बोर्ड ने इंटरसेप्टर सीवर प्रोजेक्ट का कार्य करने के लिए इंजिनियर इंडिया लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) को नियुक्त किया है। उनके अनुसार एनजीटी के मुद्दों के कारण कार्य लगभग अप्रैल, 2016 से मार्च 2017 (12 महीने) तक प्रभावित रहा।

(ग) इस प्रोजेक्ट की मूल खर्च राशि निम्नलिखित है (*i*) 1395 करोड़ (केपएक्स) (*ii*) 568.38 करोड़ रुपए (ओपेक्स) इस प्रोजेक्ट के पैकेज–1, 4 और 5 की समापन समय सीमा 30.06.2013 एवम पैकेज–2, 3 और 6 के लिए समापन समय सीमा 30.06.2014 थी। और इंजिनियर इंडिया लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) के अनुसार विलम्ब के कारण लागत में कोई वृद्धि नहीं हुई है। और अब इस कार्य की 31.12.2018 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

(घ) कुल नाले जो नजफगढ़, सपलीमेनटरी और शाहदरा में गिरते है उनकी संख्या–190 है। जिसमें नजफगढ़ (66), सपलीमेन्टरी (83) और शाहदरा (41) में गिरने वाले नाले है।

(ङ) इस विस्तृत जानकारी सूची संख्या 1 एवम सूची संख्या 2 में संलग्न है।

(च) इस की विस्तृत जानकारी सूची संख्या 3 में संलग्न है।

(छ) जो नाले इस परियोजना में शामिल नहीं किये गए है इसका मुख्य कारण अधिकांश नालों में उसके कमांड क्षेत्र में सीवर लाइन डालने का

कार्य प्रस्तावित है। जिसकी योजना पर कार्य चल रहा है अथवा प्रस्तावित है और कुछ नालों में बहाव सीवर लाइन में रूकावट एवेम क्षतिग्रस्त होने के कारण आ रहा है। उसके पुनः निर्माण का कार्य प्रस्तावित है।

(ज) दिल्ली में कुल 1669 अनाधिकृत कॉलोनिया है जिनमें से 255 कॉलोनियों में सीवर लाइन डालने का कार्य पूरा हो चूका है एवेम 345 कालोनियों में सीवर लाइन डालने का कार्य प्रगति पर है। बाकी कालोनियों में सीवर मास्टर प्लान 2031 के तहत सीवर लाइन डालने का काम किया जायेगा। जो नाले इस परियोजना के अंतर्गत नहीं आते है, उनकी वर्तमान स्थिति की जानकारी सूची संख्या 05 में संलग्न हैं।

(झ) इसकी जानकारी सूची संख्या 4 में संलग्न है।

(ञ) इंटरसेप्टर सीवर परियोजना के अंतर्गत आने वाले नालों का विवरण सूची संख्या 3 एवेम और इस परियोजना के अंतर्गत न आने वाले और नए नालों के बहाव का विवरण सूची संख्या 4 एवम् 5 में संलग्न है।*

431. श्री अजय दत्त : क्या **समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली की तीनों नगर निगम के द्वारा समाज कल्याण विभाग को वृद्धावस्था पेंशनर्स से जुड़ी जानकारी प्रदान की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो विभाग द्वारा इन पर क्या कार्यवाही की गई;

(ग) इन पेंशनर्स की कुल संख्या कितनी है, और क्या इन सभी का सत्यापन किया गया;

---

* सभी संलग्नक ***www.delhiassembly.nic.in*** पर उपलब्ध हैं।

(घ) यदि हाँ, तो इनमें से कितने पेंशनर्स की पेंशन सत्यापन के बाद पुनः शुरू कर दी गई; और

(ङ) इनमें से कितनों से पुनः आवेदन मंगाए गए;

(च) जांच के उपरांत कितने पेंशनर्स का सत्यापन नहीं हो पाया है; और

(छ) इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के सम्मुख शपथ पत्र दायर किए गए शपथ पत्र की प्रति उपलब्ध करें?

मुख्यमंत्री : (क) जी हां।

नगर निगमों से वृद्धावस्था एवं विकलांगता पेंशनर्स से संबंधित अव्यवस्थित आंकडे प्राप्त हुए थे। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिसम्बर, 2016 के अनुसार नगर निगम के वृद्धावस्था तथा विकलांग पेंशनधारियों के दिल्ली सरकार की पेंशन योजना में स्थानांतरण हेतु नगर निगम द्वारा फरवरी, 2017 तक विभिन्न वार्डों में दस्तावेज एवं योग्यता जांच हेतु 155 कैम्पों का आयोजन हुआ।

इसके उपरांत समाज कल्याण विभाग दिल्ली सरकार द्वारा 3–4 मार्च, 2017 को सत्यापन हेतु 10 जिला कार्यालयों में मेगा कैम्प आयोजित किया गया।

(ग) कुल 1,68,418 नगर निगम के पेंशनधारियों की अव्यवस्थिव व अपूर्ण सूची सीडी में तीनों नगर निगमों से प्राप्त हुई थी, किंतु इन सूचियों में सभी प्रकार के लाभार्थी सम्मिलित थे जैसे वृद्ध विकलांग, विधवा, अनाथ, निराश्रित, किन्नर इत्यादि।

अपूर्ण व अव्यवस्थित सूचना होने के कारण इनका संपूर्ण सत्यापन संभव नहीं था, परंतु उच्च न्यायालय के दिनांक 01.12.2016 के आदेशानुसार नगर निगमों द्वारा आयोजित सत्यापन कैम्पों में कुल 13305 वृद्ध एवं कुल 688

विकलांग व्यक्तियों ने कैंप में भाग लिया तथा दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित मैगा कैम्प में कुल 1494 व्यक्तियों ने वृद्धावस्था पेंशन के लिए संपर्क किया।

(घ) सत्यापन के बाद कुल 9533 वृद्धजनों एवं कुल 723 विकलांग व्यक्तियों को पेंशन मिलना शुरू हो गई है।

(ङ) दिल्ली सरकार की पेंशन योजनाओं के नियमानुसार योग्य पाये गए सभी प्रार्थना पत्रों को स्वीकृत कर पेंशन प्रेषित की जा चुकी है। अतः दोबारा प्रार्थना पत्र नहीं मांगे गए।

(च) जांच के उपरांत कुल 3800 पेंशनर्स के विवरण सत्यापित नहीं किए जा सके।

(छ) शपथ पत्र की प्रति संलग्न है।

432. श्री रामचंद्र विधायक : क्या **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले 20 वर्षों में परियोजनाओं में विस्तार व संशोधन के कारण ठेकेदारों को कितनी राशि दी गई, वर्षवार ब्यौरा दें;

(ख) परियोजनाओं की सूची व वर्ष का विवरण क्या है;

(ग) इससे संबंधित जे.ई., ए.ई., एग्जी. इंजी., एस.ई., सी.ई. एम (टेक्नीकल) तथा सीईओ के नाम बताएं; और

(घ) प्रथम स्वीकृत राशि के बाद किया गया अतिरिक्त भुगतान, जिसमें बोर्ड के समक्ष स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की गई संशोधित राशि भी सम्मिलित हो, का पूर्ण विवरण क्या है?

मुख्यमंत्री : (क) से (घ) सूची संलग्न 'अ' 'ब' एवं 'स' में संलग्न हैं।

Annexure 'A'

Assembly Question No.432.

MLA- Sh. Rain Chandra

Subject: Details of excess over estimates and payments made.

Sl. No.	Name of work	Awarded cost (In Rs.)	Excess over estimate (In Rs.)	Paymtnt made. (In Rs.)	Year	Name of officers
1.	Rehabilitation of 1600 MM DIA Trunk sewer from Harsh Vihar to Haiderpuri Sewage Pumping station	Rs. 24,25,96,140/-	Rs. 26,25,05,800/-	Rs. 45,73,13,290/- (Revised cost amounting to Rs. 50,5101,940/- was approved by Delhi Jal Board vide Resolution No. 1008 DJB dated 7/6/2005)	17-02-2006- 11-03-2011	JE 1. Sh Rajesh Varsne 2. Sh. B.S. Bansala 3. Sh. P.K. Shanna 4. Sh. Vipin Jain AE 1. Sh. S.K. Gupta EE 1. Sh. R.P. Singh 2. Sh. S.C.Jain 3. Sh. M.P.Singh SF. 1. Sh. R.K. Jain 2. Sh. A.K. Verma CIS 1. Sh. R.K. Jain Member (Dr) 1. Sh. S.K. Aggarwal CEO 1. Sh. Rakesh Mohan
2.	Providing laying	79,00,00,000/-	22,36,10,410/-	95,02,75,618/-	2008-12	JE- 1. Sh. Deeraj Singh

	of sewer line through mircotunneling and confined trench method on Wazirabad Road under Yamuna Action Plan-II			*(Revised cost amounting to Rs. 101,36,10,410/- was approved by Delhi Jal Board vide Resolution No. 2118 dated 28.11.2011)*		*2. Sh. Dharm Singh 3. Sh. N.K Chauhan 4. Sh. Saroj Kumar Tiwari AE- 1. Sh. Lalit Kumar Singhal 2.Sh. R.S. Tripathi 3. Sh. L.R. Sharma EE- 1. Sh. Arun Gupta SE- 1. Sh. V.S. Thind 2. Sh. V.K. Gupta CE- 1. Sh. R.B. Mohar 2. Sh. V.S. Thind Mem (T) 1. Sh. R.K. Garg, 2. Sh. R.B. Mohar 3. Sh. V.K. Babar*
3.	*Preparation of Sewerage Master Plan-2031*	*12,36,11,000/-*	*49,44,72,01/-*	*16,39,23,316/- (Revised cost amounting to Rs. 17,30,58,201/- was approved by Delhi Jal Board vide Resolution No. 122 dated 24.062014)*	*2010-14*	*JE- 1. Sh. Dharm Singh 2. Sh, Saroj Kumar Tivari AE- 1. Sh. Lalit Kumar Singhal 2. Sh. Parveen Kumar Gupta EE- 1. Sh. Arun Gupta 2. Sh. Anil Chaudhary Mem(T) 1. Sh. R.B. Mohar, 2. Sh. V.K. Babar 3. Sh. R.S. Tyagi*

अनुलग्नक 'ब'

वर्ष	परियोजना का नाम	प्रथम स्वीकृत राशि (₹)	संशोधित राशि (₹)	बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव पारित का पूर्ण विवरण	जे.ई., ए.ई., एस.ई., सी.ई., एम (टेक्निकल) तथा सीईओ के नाम
1	2	3	4	5	6
1998–99 से 2001–2002	इस अवधि के दौरान किसी भी परियोजना में विस्तार व संसोधन का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष नहीं प्रस्तुत लिया गया				
2002–03	रिलीविंग ट्रंक सीवर (वेस्ट दिल्ली) से गाद निकलने का कार्य	189,42,000/– संकल्प संख्या 262 दिनांक 02.08.2002 कार्य आदेश क्रमांक ***W.O. No. DJB/E.E. (C) Dr.-II/W-403/2002/2802/Dt. 29/08/2002***	संशोधित लागत– 384,05,100/–	संकल्प संख्या 997 दिनांक 07.06.2005	श्री आर.एन. मौर्या (जे.ई.) श्री वीर सिंह (ए.ई.) श्री मुकेश जिन्दल (ई.ई.) श्री आर.एस. त्यागी (एस.ई.) श्री आर.के. जैन

					(सी.ई.), श्री एस.के. अग्रवाल (मेम्बर, ड्रेनेज) श्री पी.के. त्रिपाटी (सीईओ)
2006–07	सेंट्रल जोन में रिंग रोड से सेवा नगर तक 1100–1200 मिमी व्यास एनपी 3 आरसीसी सीवर पाइप लाइन का प्रावधान, बिछाने और जोड़ना	2,69,09.664/– कार्य आदेश क्रमांक 27(2004–05)	375,00,000/–	संकल्प संख्या 1329 दिनांक 31.01.2007	श्री संजय गुप्ता, (जे.ई.) श्री जी. पी. सिंह, (ए.ई.) श्री शेर सिंह, (ईई) श्री आर के जैन, (एस ई) श्री वी बी. जैन, (सी.ई.), श्री आर के गर्ग, (मेम्बर, ड्रेनेज) श्री राकेश मोहन, (सीईओ)

1	2	3	4	5	6
2007—08 से 2009—10	इस अवधि के दौरान किसी भी परियोजना में विस्तार व संशोधन का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष नहीं प्रस्तुत किया गया।				
2010—11	महिपालपुर, रंगपरी, रजोकरी, समालरखा और कापसहेड़ा गांव में सीवर लाइन उपलब्ध करना तथा बिछाना	रुपए 12,33,86,114/— कार्य आदेश क्रमांक 01(2008—09)	रुपए 18,96,97,321/—	संकल्प संख्या 2010 दिनांक 13.01.2011	श्री आशीष चौधरी, (जे.ई.) श्री टी. एम. खान, (ए.ई.) श्री एस. सी. जैन. (ईई) श्री शेर सिंह, (एस.ई.) श्री आर एस त्यागी (सी.ई.), श्री आर. बी. मोहर (मेम्बर, ड्रेनेज) श्रीमती देवाश्री मुखर्जी (सीईओ)
2012—13	इस अवधि के दौरान किसी भी परियोजना में विस्तार व संशोधन का				

से 2015–16	प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष नहीं प्रस्तुत किया गया।				
2016–17	बी–2 ब्लॉक से एंड्रयूज गंज पंपिंग स्टेशन तक सीवर लाइन का पुनर्वास।	रुपए 41,77,61,750/– कार्य आदेश क्रमांक 01(2015–16)	रुपए 51,45,28,257/–	संकल्प संख्या 338 दिनांक 29.08.2016	श्री ए. के. दत्ता (ए.ई.) श्री आदर्श कुमार (ई.ई.) श्री एस. के. भरद्वाज (एस.ई.) श्री पी. भार्गव (सी.ई.) श्री बी एम धौल (मेम्बर, ड्रेनेज) श्री केशव चंद्र, (सीईओ)

अनुलग्नक–'स'

Details of Schemes Extended/Revised under Chief Engineer (Water) Project

Sl. No.	Name of work	Awarded Cost (Lakh)	Revised Cost (Lakh)	Year of Revision	Name of JE	Name of AE	Name of EE	Name of SE	Name of CE	Name of Member (W)	Name of CEO	Payment made till date (Lakh)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Improvement in service level for water supply in Mehrauli project area and Vasant Vihar project area	20100	20100	2016	Sh. Satender Kumar	Sh. Arvind Kumar	Sh. Devender Kumar	Sh. Jagdish Arora	Sh. Rajesh Mittal	Sh. R.S. Tyagi	Sh. Keshav Chandra	3131.00
2	Ancillary works in newly constructed office building at Andrews Ganj	373.00	447.19	2018	Sh. Alok Kumar	Sh. D.K. Gupta	Sh. P.K. Tyagi	Sh.Virender Kumar	Sh. Rajesh Mittal	Sh. P. Bhargava	Sh. Anil Kumar Singh	369.00
3	P/L/J 1600-1400-1200-	4433.61	4819.38	2010	Sh. A. K. Bhalla,	Sh. J.S. Sisodia,	Sh. Narender	Sh. Y. K. Sharma,	Sh. Subash	Sh. R.K. Garg &	Sh. Ramesh	4819.38

	900-800-700 mm dia MS (Lined & coated) / Dl water main from Re-cycling plant, Haiderpur to Kirari UGR".				Sh. Sanjeev jain	Sh. Kesh Raj Singh	Kumar, Sh. Anil Chaudhary, Sh. Bhagmal Singh	Sh. S. L Meena, Sh. M. K. Jain	Arya, Sh. V. K. Babbar,	Sh. B. M. Dhaul	Negi	
4	P/L/J Peripheral water main under command of Narela UGR (Near STP).	333.70	442.46	2015	Sh. Bachu Singh Verma, Sh. Sanjeev lain	Sh. Kesh Raj singh, Sh. A.K. Gupta	Sh. Bhagmal singh, Sh. Mukul Bhandula, Sh. P.K. Jain, Sh. S.P. Singh	Sh. Y. K. Sharma, Sh. S. L Meena, Sh. M. K. Jain	Sh. Subash Arya, Sh. V. K. Babbar, Sh. R.S. Negi	Sh. R.K. Garg & Sh. B. M. Dhaul	Sh. Ramesh Negi	442.46
5	Construction of 15.90 ML Capacity UGR & BPS at Kirari.	1225.24	1378.27	2012	Sh. A. K. Bhalla, Sh. Sanjeev Jain, Sh. D.P. Singh	Sh. Kesh Raj singh, Sh. A.K. Gupta	Sh. Bhagmal singh, Sh. Mukul Bhandula, Sh. P.K. Jain, Sh. S.P. Singh	Sh. Y. K. Sharma, Sh. S. L Meena, Sh. M. K. Jain	Sh. Subash Arya, Sh. V. K. Babbar, Sh. R.S. Negi	Sh. R.K. Garg & Sh. B. M. Dhaul	Sh. Ramesh Negi	1378.27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	*Replacement of balance two stretches of old PSC 1500 mm dia main carrying treated effluent from STP Okhla to Tilak Bridge.*	*2032.36*	*2398.18*	*2016*	*Sh. Dinesh Kumar, Sh. Suresh Chandra*	*Sh. S.D. Mishra, Sh. R.K. Gupta*	*Sh.Pravesh Tyagi, Sh. Arun Gupta, Sh. S.P. Singh*	*Sh. R.K. Sahani, Sh. P.K. Jain, Sh. M.K. Jain, Sh.Ajay Gupta*	*Sh. R.S. Negi, Sh. Rajesh Mittal*	*Sh. B. M. Dhaul*	*Sh. Debashri Mukherji*	*2335.74*
7	*P/L/J 900-800-700-500-300-250-200 mm dia peripheral water main for the villages in the command of UGR of Qutab Garh*	*1328.38*	*1432.53*	*2013*	*Sh. Sunil Gupta, Sh. Prashant Kumar*	*Sh. S.K. Ohlan, Sh. Angoor singh*	*Sh. V.P. Sharma, Sh. P.K. Jain*	*Sh. Y.K. Sharma, Sh. M.K. Jain*	*Sh. Subhash Arya*	*Sh. R.K. Garg*	*Sh. Ramesh Negi*	*1432.53*
8	*Replacement of 1000 mm & 1500 mm dia PSC water pipe lines emanating from Haiderpur in stretches near Prashant Vihar, Delhi Cantt BPS,*	*1828.00*	*2246*	*2014-15*	*Sh. C.M. Joshi*	*Sh. Rajni Kant*	*Sh. Virender Kumar*	*Sh. R.K. Saliani*	*Sh. Praveen Bhargava*	*Sh. B.M Dhaul*	*Sh. Dehashri Mukherji*	*2246.00*

	Mangolpuri. Meera Bagh & Cariappa Marg											
9	*Replacement/ Shifting of 900 mm dia. PSC triplicate water main in to 900 mm dia MS pipe from Majnu Ka Teela pontoon bridge to Salim Garh fort Delhi.*	*1060.00*	*1190*	*2014-15*	*Sh. Manoj Kumar*	*Sh. Narayan Singh*	*Sh. L.L. Meena, Sh. VP. Yadav, Sh. Arun Gupta*	*Sh. M.K Jain, Sh. Ajay Gupta*	*Sh. Rajesh Mittal*	*Sh. R.S. Tyagi*	*Sh. Keshav Chandra*	*1190.00*
10	*Supply, installation and maintenance of 15mm size, dry dial, inferential type, multi let Magnetically coupied. class 'B' water meters complete with brass nuts and nipples conforming to IS-779:1994 or ISO 4064:1993*	*4795.00*	*5754*	*2012-13*	*Sh. Umesh Rana*	*Sh. Narayan Singh*	*Sh. Virender Kumar*	*Sh. Praveen Bhargava*	*Sh. B.M. Dhaul*	*Sh. R.K. Garg*	*Sh. Debashri Mukherji*	*5700.00*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	standard with ISIEFC/OIML certification mark shall be with protection class of IP68 with 5 year maintenance.											
11	*Design, Construction, Supply, Laying & Jointing, Testing and Commissioning Successfully 1 year DLP and 5 year O & M of MS Clear water main hunt the 50 MGD WTP at Dwarka to Various areas of Dwarka, Nakafgarh, Daulatpur, Ujwa & IGI Airport (PKG-III)*	*12746.00*	*13033.77*	*2015*	*Ajay Kumar Yadav*	*R.K. Narang*	*Chander Parkash*	*Vikram Singh*	*R.S. Negi*	*R.S. Tyagi*	*S.S. Yadav*	*13033.77*

433. श्री अजेश यादव : क्या **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पी.डब्ल्यू.सी. कंपनी से कितने सलाहकार पारिश्रमिक पर लिए गए हैं;

(ख) उन्होंने कितने समय तक कार्य किया और प्रत्येक को कितनी राशि का भुगतान किया गया;

(ग) पी.डब्ल्यू.सी. के सलाहकारों द्वारा किये गए कार्यों की सूची, कार्यों की फोटोकॉपी सहित उपलब्ध कराएं;

(घ) ऐसे प्रथम व द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों की सूची दें जो ऐसे पदों पर कार्य कर रहें हैं जो आर.आर. रूल्स के अनुकूल नहीं हैं; और

(ङ) यह अधिकारी कब से कम कर रहे हैं?

मुख्यमंत्री : (क) पी.डब्ल्यू.सी. कंपनी से 03 सलाहकार पारिश्रमिक पर लिए गए हैं एक सीनियर तथा दो जूनियर सलाहकार। (एक सीनियर सलाहकार तथा एक जूनियर सलाहकार, 1.10.2016 से 30.04.2017 तक कार्य किया व एक जूनियर सलाहकार को 1.10.2016 से 40 माह के लिए पारिश्रमिक पर रखा गया है)।

(ख) एक सीनियर सलाहकार तथा एक यूनियर सलाहकार ने 1.10.2016 से 30.4.2017 तक कार्य किया, एक यूनियर सलाहकार को 1.10.2016 से 40 माह के लिए पारिश्रमिक पर रखा गया है। निक्सी द्वारा निर्धारित दरों पर एक सीनियर सलाहकार को रू. 2,60,000/– प्रतिमाह + कर अतिरिक्त

तथा दो यूनियर सलाहकारों को रु. 2,00,000/– प्रतिमाह + कर अतिरिक्त की दर से भुगतान किया जा रहा है।

1.10.2016 से 30.11.2017 तक रु. 72,06,500/– की राशि का भुगतान किया गया।

(ग) किये गए कार्यों की सूची निम्न प्रकार है:–

(i) राजस्व प्रबंधन प्रणाली 1.0 का अध्ययन करना;

(ii) राजस्व प्रबंधन प्रणाली 2.0 के लिए 'प्रस्ताव के लिए अनुरोध' तैयार करना,

(iii) बोली प्रबंधन;

(iv) ट्रांजिक्सन, सिस्टम अपग्रेड तथा ***e-SLA*** निरीक्षण व रिपोर्ट।

(v) नए क्रियान्वयन के चयन में सहायता करना।

(vi) राजस्व प्रबंधन प्रणाली 2.0 के लिए सलाहकार। वर्क आर्डर की कॉपी अनुलग्न 'अ' में सलग्न है।

(घ) दिल्ली जल बोर्ड द्वारा समस्त नियुक्तियां भर्ती विनियमों के अनुसार ही की जाती है, किन्तु जहां नियमित पदोन्नति/भर्ती हेतु यू.पी.एस.सी. की संलग्नता अनिवार्य है, वहां जब तक यू.पी.एस.सी. द्वारा अपनी सहमति नहीं दी जाती है तब तक पदों को तदर्थ आधार पर भरा जाता है।

(ङ) उपरोक्त (घ) के संदर्भ में लागू नहीं होता।

अनुलग्नक 'अ'

DELHI JAL BORD

OFFICE OF THE DIRECTOR (REVENUE)

VARUNALAYA PHASE-II, KAROL BAGH, NEW DELHI

No. DJB/DOR/W.O./Consultant for RMS-II/2016 Date 17.1.17

M/s Price Water House Coopers Private Limited
Building 10, Tower 'C', DLF Cyber City
Gurgaon-122002 (Haryana)

WORK ORDER NO. 24

Subject:- Work Order for selection of M/s Price Water House Coopers Pvt. Ltd. as Consultant/Transaction Advisor for Revenue Management System-II of Delhi Jal Bord.

Dear Sir,

In continuation to the Contract Agreement No. 12 dated 22.11.2016 signed between Delhi Jal Board and M/s Price Water House Coopers Private Limited (PWC) regarding selection of M/s PWC as Consultant/Transaction Advisor for 'As is Study', preparation of RFP, Bid Management System-II of Delhi Jal Board, you are requested to commence the work, accordingly as per following Manpower, rates and period. The date of Start of work as per CA is 1.10.2016.

Sl. No.	Category of Consultant	Qualifications	No. of Resource	Time Period	Man month Rates Taxes extra
(i)	Senior Consultant (Management Profile) and Team Leader	With 10 + Years Experience	One	Seven Months	Rs. 2,60,000
(ii)	Junior Consultant (Technology Profile)	With 7 + Years Experience	One	Seven Months	Rs. 2,30,000
(iii)	Junior Consultant (Technology Profile)	With 5 + Years Experience	One	Forty Months (4 Months + 36 Months for PMC)	Rs. 2,00,000

2. *Further, all terms and conditions mentioned in the CA shall be applicable.*

(Naresh Kumar)
Dy. Director (Rev)HQ-II

Copy to:

1. *DOR/DOV: for kind information.*
2. *Jt. Director (R)HQ*
3. *AO (R)/AAO(R)HQ*

434. श्री विशेष रवि : क्या **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चन्द्रावल प्लांट का जाइका द्वारा प्रस्तावित कार्य शुरू होने की तिथि क्या है; और

(ख) झंडेवालान यूजीआर बूस्टर पंपिंग स्टेशन का प्रस्तावित कार्य शुरू होने की तिथि क्या है?

मुख्यमंत्री : (क) चंद्रावल प्लांट का जाइका द्वारा प्रस्तावित कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की गई थी, परन्तु इस निविदा सूचना के तहत केवल एक निविदा ही प्राप्त हुई। दिल्ली जल बोर्ड द्वारा इसको रद्द करने तथा पुनः निविदा आमंत्रित करने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। दिल्ली जल बोर्ड की स्वीकृती जाइका को उनकी सहमति हेतु भेज दी गई है। जाइका की सहमति प्राप्त होने के पश्चात् दोबारा निविदा सूचना आमंत्रित की जाएगी।

(ख) झंडेवालान यू.जी.आर. बूस्टर पम्पिंग स्टेशन के प्रस्तावित कार्य का एस्टीमेट बना दिया गया है। यह कार्य दिल्ली जल बोर्ड की स्वीकृति के लिए प्रस्तावित है। तत्पश्चात् निविदा आमंत्रित की जाएगी।

435. श्रीमती प्रमिला टोकस : क्या **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आगामी 5 वर्षों में एसटीपी, एसपीएस तथा इंटरसेप्टर ड्रेन्स पर प्रस्तावित अनुमानित खर्च क्या है?

मुख्यमंत्री : (क) आगामी पांच वर्षों में एस.टी.पी., एस.पी.एस. तथा इन्टरसेप्टर प्रोजेक्ट पर अनुमानित खर्च का विवरण निम्न लिखित है।

1.	एस.टी.पी.	–	रु. 3523.44 करोड़
2.	एस.पी.एस.	–	रु. 507.65 करोड़
3.	इन्टरसेप्टर प्रोजेक्ट	–	रु. 382 करोड़
	कुल		रु. 4413.09 करोड़

436. श्रीमती प्रमिला टोकस : क्या **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली जलबोर्ड द्वारा विभिन्न न्यायालयों में दिल्ली जलबोर्ड द्वारा यमुना की सफाई से संबंधित कितने शपथपत्र जमा कराए गए हैं, सबकी फोटोप्रतियां उपलब्ध कराएं?

मुख्यमंत्री : (क) दिल्ली जलबोर्ड द्वारा विभिन्न न्यायधिकरण में यमुना की सफाई से संबंधित कुल 26 शपथपत्र जमा कराए गयें है, जिनकी प्रतियां संलग्न हैं।*

437. श्री नारायण दत्त शर्मा : क्या **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि उन शिकायत निगरानी प्रणाली (पीजीएमएस) के द्वारा दिनांक 27.02.2018 तक दिल्ली जल बोर्ड से संबंधित 616.15 शिकायतें दर्ज की गई जिसमें से 922 शिकायतें अभी भी लंबित हैं;

* ***www.delhiassembly.nic.in*** पर उपलब्ध।

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह भी सच है कि इनमें से 81 शिकायतें निवारण समय से भी अधिक समय से लंबित हैं, यदि हाँ, तो इसका कारण क्या है;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि 25397 शिकायतों पर विभाग द्वारा दिए गए जवाब/कार्यवाही को संतोषजनक नहीं पाया गया है;

(घ) यदि हाँ, तो इन शिकायतों पर विभाग ने क्या कार्यवाही की है;

(ङ) क्या यह भी सच है कि इन शिकायतों को निपटाने के लिए समय–समय पर मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्य सचिव के द्वारा भी विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी किये गये;

(च) इन शिकायतों को समय पर निपटाने के लिए विभाग ने क्या कदम उठाए हैं;

(छ) निवारण के लिए ये शिकायतें किन–किन अधिकारियों के पास कब–कब भेजी गयी, इसका विवरण प्रदान करें;

(ज) संबंधित अधिकारियों ने इनके निवारण के लिए क्या कदम उठाए, इसका विवरण प्रदान करें; और

(झ) इन शिकायतों पर निपटारा कितने समय में हो जायेगा?

मुख्यमंत्री : (क) जी हाँ, वर्तमान में 734 शिकायतें लंबित है।

(ख) 27.02.2018, को 81 शिकायतें अतिदेय थी, वर्तमान में केवल 27 शिकायतें अतिदेय हैं। देरी का कारण नीचे प्रस्तुत किया गया है:–

आखिरी छोर और ऊंचाई पर होने के कारण पानी का नहीं पहुंच पाना एवं पानी और सीवर लाईन के कार्यों में आने वाली रूकावटों के कारण

अधिक समय लगना तथा गंदे पानी की शिकायत का पता लगाकर उसे दूर करने में अधिक समय लगना, पानी के बिलों को कम करने की शिकायतों से संतुष्ट ना होना इत्यादि हैं।

(ग) उपरोक्त (ख) में दिये कारणों की वजह से उपभोक्ता अकसर पुर्णतः संतुष्ट नहीं होते।

(घ) शिकायतकर्त्ताओं से संबंधित अधिकारियों द्वारा संपर्क लिया जाता है तदनुसार उपभोगताओं की शिकायतें दूर की जाती है।

(ङ) जी हां।

(च) यथा संभव प्रयासों से शिकायतों को दूर किया गया है। संबंध विभागध्यक्षों के स्तर पर इन सभी शिकायतों की समीक्षा की जाती है और निवारण के लिए यथासंभव प्रयत्न किये जाते हैं।

(छ) मुख्यअभियंताओं एवं निदेशकों को प्रतिदिन ऑनलाइन भेजी जाती है, इसका विवरण पीजीएमएस ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध हैं।

(ज) शिकायतकर्त्ताओं से संबंधित अधिकारियों द्वारा संपर्क किया जाता है तथा नियमानुसार शिकायतें दूर करने का यथासंभव प्रयत्न किया जाता है। प्रत्येक शिकायतों पर की गई कार्यवाही का विवरण पीजीएमएस ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध हैं।

(झ) संबंधित अधिकारियों के कथनानुसार 30 दिनों में निपटान करने का पूरा प्रयत्न किया जाएगा।

438. श्री पंकज पुष्कर : क्या **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली जल बोर्ड के चीफ नोडल ऑफिसर, वाटर श्री प्रवीण भार्गव जी की सेवा अवधि के दौरान की कुछ ऐसी विभागीय

या भ्रष्टाचार निरोधक जांच एजेंसियों द्वारा जांच चल रही है, जिनमें वे स्वयं जांच के दायरे में है;

(ख) विभागीय या अन्य भ्रष्टाचार निरोधक जांच एजेंसियों द्वारा ऐसी जांच जो पूरी हो चुकी हैं, उसकी जांच रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध करें;

(ग) विभागीय या अन्य भ्रष्टाचार निरोधक जांच एजेंसियों द्वारा ऐसी जांच जो चल रही हैं, उसकी अद्‌यतन स्थिति की रिपोर्ट उपलब्ध करवाएं;

(घ) क्या यह सत्य है कि दिल्ली जल बोर्ड द्वारा मालवीय नगर क्षेत्र में सभी घरों तक पानी की लाईन बिछाने/बदलने का कार्य किया गया;

(ङ) यदि हाँ, तो क्या इस कार्य का इस्टीमेट एक से अधिक बार तैयार किया गया;

(च) कृपया एक या अधिक बार बनाए गए एस्टीमेंट की प्रति उपलब्ध करवाएं;

(छ) पूरा काम अंततः कितनी धनराशि में पूर्ण हुआ; उसका पूर्ण विवरण दें;

(ज) एस्टीमेंट बनाने एवं अप्रूव करने में कौन–कौन से अधिकारी सम्मिलित थे; कृपया इनका नाम एवं पदनाम का विवरण दें;

(झ) दिल्ली जल बोर्ड में सदस्य, वाटर के पद के रिक्त रहने का क्या कारण है;

(ञ) इस रिक्त पद को कब तक भरा जा सकेगा?

मुख्यमंत्री : (क) श्री प्रवीण भार्गव के विरूद्ध वर्तमान में कोई भी विभागीय जांच नहीं चल रही है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में एक मामला पंजीकृत है।

(ख) विभाग द्वारा तीन मामलों में की गई विभागीय कार्यवाही पूरी हो चुकी है तथा इन तीनों मामलों से संबंधित जांच रिपोर्ट की प्रतियां संलग्न[1] हैं।*

(ग) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में पंजीकृत (क) में वर्णित मामले में एजेंसी द्वारा जांच जारी है।

(घ) पानी की लाईन बिछाने/बदलने का कार्य प्रगति पर है, जिसकी दिसम्बर, 2018 तक पूरा होने की आशा है।

(ङ) इस कार्य का एस्टीमेट एक बार ही दिल्ली जल बोर्ड द्वारा स्वीकृत किया गया है।

(च) उपरोक्त (ङ) अनुसार।

(छ) पी.पी.पी. मालवीय नगर प्रोजेक्ट के वर्क आर्डर की कुल लागत 171 करोड़ है। अभी लगभग 75 प्रतिशत कार्य हो चुका है तथा कार्य अभी प्रगति पर है। कार्य की पूर्ण लागत काम पूरा होने पर पता चलेगी।

(ज) एस्टीमेंट को बनाने तथा अप्रूव करने में लगभग 50–55 अधिकारी सम्मिलित है। रिकार्ड जांच एजेंसी के पास होने के कारण इनका निवारण उपलब्ध नहीं है।

---

1 www.delhiassembly.nic.in पर उपलब्ध।

(झ) दिल्ली जल बोर्ड में सदस्य, वाटर का पद श्री आर.एस. त्यागी के रिटारमेंट दिनांक 30.11.2017 के बाद से रिक्त है और इसके भरने के लिए कार्यवाई श्री आर.एस. त्यागी के रिटारमेंट के पहले से चल रही है।

(ञ) प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है।

439. श्री जगदीश प्रधान : क्या **जल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार ने उचित दरों पर दिल्ली की जनता को पानी की आपूर्ति करने का वायदा किया था;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि सरकार ने सत्ता में आने पर पानी की कीमत में वृद्धि करते हुए दिल्लीवासियों पर वर्ष 2015 में 10 प्रतिशत तथा वर्ष 2017 में 20 प्रतिशत का बड़ा बोझ डाल दिया;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि वर्ष 2016 में दी गई सब्सिडी के कारण जल बोर्ड को 2017—18 में 516.15 करोड़ का घाटा होने जा रहा है; और

(घ) क्या यह भी सत्य है कि सरकार ने अपने कार्यकाल में सीवरेज की दरों में लगभग एक—तिहाई वृद्धि कर दी है?

जल मंत्री : (क) दिल्ली जल बोर्ड द्वारा निर्धारित दरों पर पानी की आपूर्ति की जाती है।

(ख) 2015 में टैरिफ में 10 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी। 01 फरवरी, 2018, से केवल पानी और सीवर की दरों में 20 प्रतिशत वृद्धि की गई है।

(ग) 20 किलो लीटर प्रतिमाह फ्री वाटर स्कीम के तहत उपभोक्ताओं को बिल में दी गई छूट की राशि को दिल्ली सरकार, दिल्ली जल बोर्ड को सब्सिडी के तहत अदा करती है, जिससे दिल्ली जल बोर्ड को कोई घाटा नहीं है।

(घ) सीवरेज की दरों में उपरोक्त (ख) के अलावा कोई वृद्धि नहीं की गई है।

440. श्री मनजिंदर सिंह सिरसा : क्या **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि राजौरी गार्डन एरिया में पानी का प्रैशर बहुत कम है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि जो पानी आता है, उसमें सीवर का पानी मिलकर आता है;

(ग) यदि हाँ, तो इसका क्या कारण है; और

(घ) क्या सरकार द्वारा इस समस्या के समाधान के लिए कोई कार्रवाई की गई है?

मुख्यमंत्री : (क) राजौरी गार्डन विधानसभा में पानी की सप्लाई 5:30 से 7:45 सुबह एवं 5:30 से 7:30 शाम की जाती है। लगभग 2½ महीने से यमुना के पानी में अमोनिया की मात्रा बढ़ने के कारण पानी की मात्रा में कुछ कमी आई है, जिससे की कुछ क्षेत्रों में जोकि नेटवर्क की अंतिम छोर पर स्थित है, वहां पर कम समय के लिए पानी की उपलब्धता होती है।

(ख) यह सत्य नहीं है। जब कभी गन्दे पानी की शिकायत आती है, उसका तुरन्त निवारण किया जाता है। अधिकतर शिकायतों में उपभोक्ता का सर्विस पाईप ही गला पाया जाता है।

(ग) उपोक्तानुसार।

(घ) सरकार द्वारा कच्चें पानी की सुचारू रूप से उपलब्धता हेतु समय–समय पर कार्यवाही की जाती रही है। राजौरी गार्डन विधानसभा क्षेत्र में पानी की सप्लाई ख्याला पम्प हाउस से की जाती है। राजौरी गार्डन विधानसभा क्षेत्र के अन्दर समान रूप से पानी की उपलब्धता अच्छे प्रेशर पर करने हेतु ख्याला पम्प हाउस के कमांड क्षेत्र में हाइड्रोलिक मॉडलिंग का कार्य प्रगति पर है। इसके द्वारा अनुमोदित सुझावों की स्वीकृति के उपरान्त इन सुझावों को लागू किया जाएगा। इस कार्य के पूर्ण होने पर पानी अच्छे दबाव से इस विधानसभा के सभी क्षेत्रों में उपलब्ध होगा एवं गन्दे पानी की शिकायतें भी दूर हो जाएगी।

441. श्री मनजिंदर सिंह सिरसा : क्या **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार ने जल सप्लाई में वृद्धि करने का वायदा किया था;

(ख) यदि हाँ, तो गत तीन वर्षो में वाटर प्रोडक्शन कितना बढ़ा है;

(ग) क्या यह सत्य है कि सरकार ने इरादत नगर में नया वाटर ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने का वायदा किया था;

(घ) इस दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई;

(ङ) क्या यह सत्य है कि सरकार ने चंद्रावल तथा वजीराबाद स्थित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता बढ़ाने का भी वायदा किया था; और

(च) गत तीन वर्षों में सरकार ने इनकी कितनी क्षमता बढ़ाई, इसकी विस्तृत जानकारी क्या है?

मुख्यमंत्री : (क) जी हां।

(ख) गत तीन वर्षों में 70 ***MGD*** प्रोडक्शन बढ़ा है,

द्वारका – 45 ***MGD***

बवाना – 15 एमजीडी

ओखला – 10 ***MGD***

(ग) यह सत्य नहीं है।

(घ) –उपरोक्तानानुसार–

(ङ) जाइका द्वारा प्रस्तावित योजना के अंतर्गत चन्द्रावल स्थित वाटर ट्रीटमैंट प्लांट की क्षमता को 445 ***MGD*** से बढ़ाकर 477 ***MLD*** करने की योजना पर कार्य किया जा रहा है, वजीराबाद प्लांट की क्षमता बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है, अपितु दोनों प्लांटों में अमोनिया के ट्रीटमैट करने की क्षमता 0.8 पीपीएम से बढ़ाकर 4.0 पीपीएम करना प्रस्तावित है।

(च) चन्द्रावल प्लांट की क्षमता बढ़ाने हेतु कार्य अक्टुबर माह, 2018 में शुरू होने की सम्भावना है।

442. श्री ओम प्रकाश शर्मा : क्या **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि विश्वास नगर में सीवर ओवर फ्लो के कारण नागरिकों को नारकीय जीवन जीने पर विवश होना पड़ रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सीवर ओवर फ्लो के कारण से फैलने वाली बीमारियों के प्रति सरकार सचेत है;

(ग) सरकार द्वारा इस क्षेत्र की सीवर व्यवस्था को ठीक किये जाने हेतु क्या उपाय किये जा रहे हैं; और

(घ) इस क्षेत्र की सीवर व्यवस्था कब तक ठीक कर दी जायेगी?

मुख्यमंत्री : (क) जी नहीं यह सत्य नहीं है। विश्वास नगर में सीवर सुचारू रूप से कार्य कर रहें है।

(ख) उपरोक्तानानुसार लागू नहीं है।

(ग) विश्वास नगर में सीवर व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है तथा सीवर की लाइनों को समय–समय पर मशीनों द्वारा साफ किया जाता है।

(घ) –उपरोक्तानानुसार–

443. श्री ओम प्रकाश शर्मा : क्या **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि विश्वास नगर एरिया में पानी का प्रैशर बहुत है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि जो पानी आता है, उसमें भी सीवर का पानी मिलकर आता है;

(ग) यदि हाँ, तो इसका क्या कारण है; और

(घ) क्या सरकार द्वारा इस समस्या के समाधान के लिए कोई कार्रवाई की गई है?

मुख्यमंत्री : (क) जी नहीं।

विश्वास नगर की गली न. 12 व 13 के कुछ भाग को छोड़ कर पानी का प्रैशर सामान्य है।

(ख) यह सत्य नहीं है। जब कभी भी गन्दे पानी की शिकायतें आती है, उसका तुरन्त निवारण किया जाता है, अधिकतर शिकायतों में उपभोक्ता का सर्विस पाइप ही गला पाया जाता है।

(ग) –उपरोक्तानानुसार–

(घ) पानी के प्रैशर को सुधारने हेतु इंटर कनैक्शन का एक प्रस्ताव बना दिया गया है। जोकि रोड कटिंग की अनुमति मिलने के उपरान्त पूरा कर दिया जायेगा।

444. श्री ओम प्रकाश शर्मा : क्या **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार ने वर्ष 2015 के बजट में यमुना नदी के पुर्नजीवन का वायदा किया था;

(ख) क्या यह सत्य है कि सरकार ने वायदा किया था कि ऐसे क्षेत्रों में सीवर सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी जहां अभी तक ये सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं;

(ग) क्या सरकार ने नजफगढ़ तथा सप्लीमेंट्री ड्रेन में वेस्ट वाटर के फ्लो को रोकने का वायदा किया था;

(घ) क्या यह सत्य है कि सरकार ने इस परियोजना के लिए 3656 करोड़ रुपये की योजना तैयार करी थी;

(ङ) क्या यह भी सत्य है कि इस परियोजना में 15 नए एसटीपी स्थापित किये जाने थे;

(च) क्या यह भी सत्य है कि परियोजना को वर्ष 2017 तक पूरा किया जाना था;

(छ) उक्त सभी मामलों की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ज) ये सभी कार्य कब तक पूरे हो जायेंगे?

मुख्यमंत्री : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां।

(घ) जी हां।

(ङ) जी हां।

(च) जी हां।

(छ)

1. नजफगढ़ क्षेत्र में 14 अवजल शोधन संयंत्र हेतु कार्य आवंटित कर दिया है। वर्तमान में लगभग 2 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है। कमेटी ऑन एस्टीमेंट के आदेशानुसार 14 अवजल शोधन संयंत्र के अंतर्गत आने वाले अवजल प्रवाह के परिणाम हेतु स्वतंत्र सलाहकार की नियुक्ति की जा रही है। स्वतंत्र सलाहकार की रिपोर्ट के आने के पश्चात् 14 अवजल शोधन संयंत्र हेतु अग्रिम कार्रवाई का होना निश्चित किया गया है।

2. कोरोनेशन पिलर में अवजल शोधन संयंत्र के कार्य हेतु आवश्यक आदेश दिए जा चुके हैं। वर्तमान में लगभग 30 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है।

3. वर्तमान में इंटरसेप्टर सीवर लाईन का कार्य लगभग 88.5 प्रतिशत पूरा हो चुका है।

4. परिधिय अवजल की पुनःप्रतिष्ठा हेतु आवश्यक आदेश दिए जा चुके हैं। वर्तमान में लगभग 14 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका हैं। आदेश दिए जा चुके हैं। वर्तमान में लगभग 14 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है।

(ज)

1. 14 अवजल शोधन संयंत्र का कार्य अक्टूबर, 2019 तक पूर्ण होने की संभावना है।

2. कोरोनेशन पिलर के अवजल शोधन संयंत्र का कार्य दिसंबर, 2019 तक पूर्ण होने की संभावना है।

3. इंटरसेप्टर सीवर लाईन का कार्य दिसम्बर, 2018 तक पूर्ण होने की सम्भावना हैं।

4. परिधीय अवजल की पुनःप्रतिष्ठा का कार्य अक्टूबर 2019 तक पूर्ण करने की योजना है।

445. श्री अखिलेश पति त्रिपाठी : क्या **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली में यमुना नदी में लगातार अमोनिया का स्तर बढ़ा हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो इसमें अमोनिया कहां से आ रहा है;

(ग) अमोनिया छोड़ने के लिये जिम्मेदार फैक्ट्रियों के खिलाफ अभी तक क्या कारवाई की गई है;

(घ) जल में अमोनिया का स्तर कब तक ठीक कर लिया जायेगा जिससे जल की कमी को पूरा किया जा सके;

(ङ) वजीराबाद प्लांट अपनी पूरी क्षमता से कब तक काम करना शुरू कर पायेगा;

(च) अमोनिया का जल में स्तर यही रहने पर दिल्ली सरकार प्रभावित कम जल क्षेत्रों को पानी उपलब्ध कराने की क्या व्यवस्था कर रही है;

(छ) मॉडल टाउन विधान सभा क्षेत्र में पहले की तरह जल सप्लाई कब तक शुरू कर दी जाएगी;

(ज) कम पानी आने की वजह से ओल्ड गुप्ता कालोनी, गुजरांवाला टाउन, एसबीआई कालोनी, राजपुरा गांव गुडमंडी, मॉडल टाउन एफ ब्लाक, ए. ब्लाक आदि स्थानों पर गंदे पानी की समस्या बनी हुई है;

(झ) इस समस्या का कब तक निदान हो जाएगा; और

(ञ) क्या यह सत्य है कि गर्मियों में अमोनिया का स्तर यही रहने पर दिल्ली जल बोर्ड को अपना प्लांट बंद करना पड़ सकता है जिससे पूरी दिल्ली में पानी की समस्या हो जायेगी; और

(ट) इससे गर्मियों में पानी के संकट से निपटने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है?

मुख्यमंत्री : (क) यह सत्य है कि अमोनिया का स्तर 30.12.2017 से 09.03.2018 तक बढ़ा हुआ था।

(ख) यमुना नदी में अमोनिया का स्तर बढ़ने का कारण पानीपत से ड्रेन न. 02 द्वारा ओद्योगिक व घरेलु अवजल छोड़ा जाना था।

(ग) संबंधित नहीं है।

(घ) –तदैव–

(ङ) यमुना नदी द्वारा पर्याप्त मात्रा में पानी मिलने पर वजीराबाद संयंत्र पूरी क्षमता से काम करना शुरू कर देगा। दिल्ली जल बोर्ड ने इस विषय पर एन.जी.टी. के समक्ष गुहार लगाई है।

(च) दिल्ली जल बोर्ड ने दूसरे क्षेत्रों में पानी की कटौती करके समस्त क्षेत्रों में आपूर्ति के प्रयत्न करे है। तथा प्रभावित क्षेत्रों में जरूरत के अनुसार टैकंरों द्वारा पानी सप्लाई भी की जा रही है।

(छ) वजीराबाद प्लांट पर उचित मात्रा में पानी मिलने पर पहले की तरह जलापूर्ति कर दी जायेगी।

(ज) गंदे पानी की शिकायत आने पर तुरन्त उसके कारणों का पता लगाकर ठीक करने की व्यवस्था की जाती है। वजीराबाद प्लांट पर पानी की सप्लाई समान्य होने पर इस तरह की शिकायत स्वतः ही ठीक हो जायेगी।

(झ) इस समस्या का निदान हरियाणा सरकार द्वारा उचित मात्रा व सही गुणवत्ता वाला पानी यमुना नदी में छोड़ने पर हो जाने की सम्भावना है।

(ञ) जी नहीं, इस समय यमुना नदी में अमोनिया की समस्या नहीं है। परन्तु यमुना नदी में उचित मात्रा में जल उपलब्ध न होने के कारण, संयंत्र पूरी क्षमता पर नहीं चल रहे है। सामान्यतः अमोनिया का स्तर सर्दियों में ही तय मानको से अधिक होने की सम्भावना रहती है।

(ट) दिल्ली जल बोर्ड ने दूसरे क्षेत्रों में पानी की कटौती करके समस्त क्षेत्रों में जरूरत के प्रयत्न करे है। तथा प्रभावित क्षेत्रों में जरूरत के अनुसार टैंकरों द्वारा पानी की सप्लाई भी की जा रही है।

446. श्री ऋतुराज झा : क्या **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इजराइली कंपनी को एवार्ड किए गए काम की स्थिति क्या है;

(ख) इस संबंध में कितना भुगतान हो चुका है और कुल कितने की बात हुई है;

(ग) इस परियोजना को पूरा करने की समयावधि क्या है; और

(घ) इस परियोजना से संबंधित फाइल जिस अफसर के पास लंबित रही उसका नाम, तथा जितने समय तक लंबित रही वह समयावधि तिथियों के साथ उपलब्ध कराएं?

मुख्यमंत्री : (क) इजरायली कंपनी मेसर्स अयला नेचुरल बायोलॉजिकल सिस्टम प्रा. लि. द्वारा प्रारंभिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जमा कर दी गयी है।

(ख) इस कार्य में अभी तक कोई भुगतान नहीं किया गया, प्रथम बिल 12,07,500/– रुपये भुगतान के लिए वित्त विभाग के पास दिनांक 23.02.2018 से लंबित है। इस कार्य की कुल लागत 1,20,75,000/– रुपये है।

(ग) इस परियोजना को पूरा करने की समयावधि 2 वर्ष 6 माह है।

(घ) परियोजना से संबंधित प्रारंभित सर्वेक्षण रिपोर्ट दिनांक 03.07.2017 को कंपनी से प्राप्त हुई थी। विभागीय परामर्शदाता से विचार करने के बाद 17.08.2017 को रिपोर्ट मुख्य अभियंता–1 सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग को टिप्पणियों के लिए भेज दी गयी, जो कि अभी तक लंबित है।

447. श्री विजेन्द्र गुप्ता : क्या **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार ने यह वायदा किया था कि दिल्ली जल बोर्ड परम्परागत एनर्जी के साधनों पर निर्भरता कम करेगा और क्लीन एनर्जी सोर्सेज पर निर्भरता बढ़ाएगा;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार ने इस दिशा में काम करते हुए गैस, सोलर तथा जल शक्ति पर किस प्रकार अपनी निर्भरता बढ़ाई है;

(ग) क्या यह सत्य है कि सरकार ने यह लक्ष्य निर्धारित किया था कि विभिन्न जल प्लांटों में गैस आधारित पावर जनरेशन बढ़ाकर एक लाख यूनिट प्रतिदिन किया जाएगा; और

(घ) इस दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई, इसकी विस्तृत जानकारी क्या है?

मुख्यमंत्री : (क) यह सत्य है कि दिल्ली जल बोर्ड ने क्लीन एनर्जी सोर्सेज पर निर्भरता बढ़ाई है।

(ख) दिल्ली जल बोर्ड ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों में बायो गैस से बिजली उत्पाद किया है, कुछ सीवेज प्लांटों के नाम इस प्रकार हैः—

1.	ओखला ***Ph-VI***	:	***30 MGD.***
2.	दिल्ली गेट ***Ph-II***	:	***15 MGD.***
3.	कोंडली ***Ph-IV***	:	***45 MGD.***
4.	यमुना विहार ***Ph-III***	:	***25 MGD.***
5.	रिठाला ***Ph-II***	:	***40 MGD.***
6.	चिल्ला ***STP***	:	***9 MGD.***

इसके अलावा दो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट निलोठी और पप्पनकला पर बिजली का उत्पादन का ट्रायल रन चल रहा है। इसके अलावाः—

* 16 मेगावाट सोलर पावर प्लांट लगाने का कार्य प्रगति पर है और 21.06.2018 तक पूर्ण होने की संभावना हैं।

* 04 मेगावाट सोलर पावर प्लांट का वर्क आर्डर 16.01.2018 को दिया गया है और 15.10.2018 तक कार्य पूर्ण होने की संभावना है।

(ग) हाँ, यह सत्य है कि लक्ष्य 1 लाख यूनिट प्रतिदिन का था जो की निलोठी और पप्पनकला पर बिजली उत्पादन चालू होने पर पूरा करने का लक्ष्य था।

(घ) इस दिशा में दिल्ली जल बोर्ड लगभग 70000 से 75000 ***KWH*** प्रतिदिन बिजली का उत्पादन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से कर रहा है। इस दिशा में सोलर प्लांट से भी बिजली उत्पादन का लक्ष्य है, जिसके तहत सभी जल संयंत्रों तथा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे और बिजली का उत्पादन किया जायेगा।

448. श्री सही राम : क्या **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत 25 वर्षों में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा कितने बायोडाइजेस्टरों का निर्माण कराया गया, और उसकी क्षमता कितनी है;

(ख) इनमें से कितने बायोडाइजेस्टर चालू होलत में हैं और कितने नहीं हैं;

(ग) जो बायोडाइजेस्टर चालू हालत में नहीं हैं वे कब से खराब हैं, वर्ष बताएं;

(घ) इनको कमीशन करते समय अधिकारी (जेई से सीईओ तक) कौन थे, नाम बताएं?

मुख्यमंत्री : (क) पिछले 25 वर्षों में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा लगभग 90 बायों डायजेस्टरों का निर्माण कराया गया, जिनकी कुल क्षमता 4.29 ***Lac*** M^3 है।

(ख) इनमें से 43 बायो डयजेस्टेर चालू हालत में है तथा शेष का पुनर्उत्थान के कार्य यमुना एक्शन प्लान–***III***, अमृत एवं विभागीय परियोजनाओं द्वारा अगले 2 से 3 वर्षों में कर लिया जायेगा।

(ग) कोंडली ***STP*** के 3 बायो डायजेस्टोर 2013 से निष्क्रिय है तथा अगले 3 सालों में यमुना एक्शन प्लान–***III*** इनका पुर्नउत्थान अंतर्गत किया जायेगा। यमुना विहार के 3 बायो डाजेस्टेर 2015 से निष्क्रिय है, इनका पुर्नउत्थान अमृत स्कीम के अंतर्गत अगले 3 वर्षों में किया जायेगा।

रोहिणी ***STP*** के 6 बायो डाजेस्टेर एवं नरेला ***STP*** के 4 बायो डायजेस्टोर कम सीवेज आने के कारण क्रमशः 1996 एवं 2003 से निष्क्रिय हैं, सीवर की उपलब्धता बढ़ने पर इन बायो डायजेस्टेरों को सक्रिय किया जायेगा।

कोरोनेशन पिलर के 12 बायो डायजेस्टेर जो की 1999 से निष्क्रिय पड़े हुए है, उन्हें 2 वर्षों के अंदर कोरोनेशन पिलर में नए 70 ***MGD STP*** के बनने के बाद इनकी आवश्यकता नहीं रहेगी।

ओखला ***STP*** में 6 बायो डायजेस्टेर जो की 2012 से निष्क्रिय पड़े है, ओखला में 124 एम.जी.डी. के नए एस.टी.पी. बनने के उपरान्त इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी।

पप्पनकला के 8 बायो डाइजेस्टर जो की 2017 से निष्क्रिय पड़े थे उनकी मरम्मत का कार्य चल रहा है तथा सितम्बर, 2018 तक इनका पुर्नउत्थान कर दिया जायेगा। निलोठी एस.टी.पी. में 5 बायो डायजेस्टेर 2014 से निष्क्रिय है, उनके पुर्नउत्थान के लिए अनुमान तैयार कर लिए गए है तथा 2 वर्ष के अंदर इनका पुर्नउत्थान करने की योजना हैं।

(घ) इन बायो डाइजेस्टर के कमीशनिंग के समय जो अधिकारी थे उनकी सूची अनुलग्नक 'अ' में संलग्न है।

ANNEXURE-A

Sl. No.	*Name of Sewage Teatment plant*	*Name of Officials during commissioning (for E&M part.)*
1	*2*	*3*
1.	***Kondli Ph-I***	***Record not traceable.***
2.	***Kondli Ph-II***	***Record not traceable.***
3.	***Kondli Ph-III***	***Record not traceable.***
4.	***Kondli Ph-IV***	***Sh. Balroop, JE(E&M), Sh. Anil Gupta, AE(E&M), Sh. S.P. Singh, EE(E&M), Sh. V. P. Gunjial, SE(E&M), Sh. Mahender Singh, CE(E&M)***
5.	***Yamuna Vihar Ph-II***	***Record not traceable.***
6.	***Yamuna Vihar Ph-III***	***Sh. Chetan, JE(E&M), Sh. Shobha Ram, AE(E&M), Sh. C.L. Sagar, EE(E&M), Sh. Anil Arora, SE(E&M), Sh. Bir Singh, CE(E&M)***

1	2	3
7.	Chilla	Sh. Sandip Yadav, JE(E&M), Sh. S.P.S. Rana, AE(E&M), Sh. Anil Gupta, AE(E&M), Sh. K.K. Phohani, EE(E&M), Sh. V.P. Gujial, SE(E&M), Sh. Mahender Singh, CE(E&M)
8.	Rithala Phase-II	Sh. H.S. Bhatia, EE(E&M), Sh. P.M. Naagar, SE(E&M), Sh. K.C. Jain, CE(E&M)
9.	STP Sector-25 Rohini	Record not traceable.
10.	Coronation Pillar Ph-I & II	Record not traceable.
11.	Coronation Pillar Ph-III	Record not traceable.
12.	Narela	Record not traceable.
13.	Okhla Ph-V	Sh. Yash Pal Saran, JE(E&M), Sh. Yash Pal Gupta, AE(E&M), Sh. S.C. Jain, EE(E&M), Sh. Ranbir Yadav, SE(E&M), Sh. K.C. Jain, CE(E&M)
14.	Okhala New Ph-VI	Sh. R.K. Gupta, JE(E&M), Sh. Beer Singh, AE(E&M), Sh. Shesh Ram Singh, EE(E&M), Sh. O.P. Singhal, SE(E&M), Sh. Mahender Singh, CE(E&M)
15.	Delhi Gate Ph-II	Sh. Raj Kumar, JE(E&M), Sh. Ravinder Kumar, AE(E&M), Sh. Kuldeep Singh, EE(E&M), Sh. J.K. Singh, SE(E&M), Sh. Bir Singh, CE(E&M)
16.	Keshopur Ph-I	Sh. Anil Kumar, JE(E&M), Sh. T.P. Singh, AE(E&M), Sh. Chattarpal Singh, EE(E&M), Sh. Jagdish Arora, SE(E&M), Sh. M.P. Arya, CE(E&M)

1	2	3
17.	*Nilothi Ph-I*	***Record not traceable.***
18.	*Nilothi Ph-II*	***Sh. Kaptan Singh, JE(E&M), Sh. P.K. Rawat, AE(E&M), Sh. V.K. Grover, EE(E&M), Sh. Bhupesh Kumar, SE(E&M), Sh. D.K. Vaishya, CE(E&M)***
19.	*Pappankalan Ph-I*	***Sh. Uday Veer Singh, JE(E&M), Sh. R.K. Srivastav, AE(E&M), Sh. Mahender Singh, EE(E&M), Sh. A.K. Gupta, CE(E&M)***
20.	*Pappankalan Ph-II*	***Sh. Hari Om, JE(E&M), Sh. Prem Chand Panchal, AE(E&M), Sh. Umesh Tyagi, EE(E&M), Sh. Bhupesh Kumar, SE(E&M), Sh. Bir Singh, CE(E&M)***

449. श्री गिरीश सोनी : क्या **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत पांच वर्षों में दिल्ली जलबोर्ड में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) उक्त शिकायतों का वर्षवार विवरण क्या है; और

(ग) इन शिकायतों के संबंध में क्या कार्रवाई की गई?

मुख्यमंत्री : (क) दिल्ली जल बोर्ड के पी.जी.एम.एस. ऑनलाईन पोर्टल में पांच वर्षों में 62841 शिकायतें प्राप्त हुई है।

(ख) वर्षवार विवरण निम्न प्रकार हैः–

1. 14.02.2015 से 31.12.2015 में 13281 शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

2. 01.01.2016 से 31.12.2016 में 21446 शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

3. 01.01.2016 से 31.12.2016 में 23617 शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

4. 01.01.2018 से 20.03.2018 में 4497 शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ग) 99 प्रतिशत शिकायतें दूर कर दी गयी है।

450. श्रीमती प्रमिला टोकस : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली सरकार के पर्यटन विभाग ने पिछले 15 वर्षों के दौरान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या–क्या नई शुरूआत की हैं;

(ख) विगत वर्षों के दौरान कितनी पर्यटन प्रदर्शनी लगाई गई;

(ग) ये पर्यटन प्रदर्शनी किस नाम से थी, किस स्थान पर लगाई गई, सविस्तार बताएं;

(घ) विभाग ने कितने उत्सव बाजार इस दौरान आयोजित किये?

पर्यटन मंत्री : (क) राजधानी दिल्ली में और इसके आसपास पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग, दिल्ली सरकार की इकाई डी.टी. टी.डी.सी. ने बहुआयामी भूमिका के रूप में बहुत सी पर्यटन संबंधी गतिविधियों की शुरूआत की है जिसका उद्देश्य दिल्ली का पर्यटक स्थल के रूप में बढ़ावा देना है।

डी.टी.टी.डी.सी. ने दिल्ली सरकार के साथ मिलकर पीतम पुरा और जनक पुरी में दिल्ली हाट, गार्डन ऑफ फाईव सैंसेज, कॉफी होम्स, संयज झील मयूर विहार में सॉफ्ट एडवेंचर पार्क, गुरू तेग बहादुर मैमोरियल, नेचर बाजार, छावला कांगनहेड़ी में इको टूरिजम कॉम्प्लैक्स, कलाम मैमोरियल, राजा गार्डन में नेबरहुड कल्चरल सैंटर, कला ग्राम आदि बनाये हैं। ये परियोजनाएं शारीरिक अक्षम लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की गयी हैं।

कृषि भवन (बोट क्लब), मानसिंह रोड़, इंडिया गेट में नौकायन सुविधा शुरू की गयी है।

पर्यटकों को आंगतुकों को बेहतर मनोरंजन प्रदान करने के लिए दिल्ली हाटों और गार्डन ऑफ फाइव सेंसेंज में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

सांस्कृतिक विभिन्नताओं को दर्शाने और इनको बढ़ावा देने के लिए डी. टी.टी.डी.सी. नियमित रूप से आयोजित उत्सवों जैसे आम उत्सव, उदयान पर्यटन उत्सव, के अतिरिक्त डी.टी.टी.डी.सी. ने वर्ल्ड हैरिटेज फैस्टिवल, इत्र और सुगंधी मेला, अंतर्राष्ट्रीय मैजिक फैस्टिवल, जहाने खुसरों, पुराने किले पर अनन्या उत्सव, अंतर्राष्ट्रीय पतंग मेला, शरद उत्सव, फोक म्युजिक बैसाखी मेला, शरबत मेला, दिल्ली के पकवान आदि उत्सवों का आयोजन भी किया।

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए डी.टी.टी.डी.सी. द्वारा प्रैस विज्ञापन, रेडियो जिंगल, आउटडोर मीडिया, मैट्रो द्वारा प्रचार और सोशल मीडिया का नियमित उपयोग किया गया।

अन्यः

* दिल्ली हाट जनकपुरी में ए.सी. ओडिटोरियम और दिल्ली हाट आई.एन.ए. का सुधार किया गया।
* डी.टी.टी.डी.सी. के ऑन लाईन वैब पोर्टल का शुभारंभ।
* दिल्ली में फिल्म शुटिंग के लिए सुविधा उपलब्ध कराना।
* हवाई यात्रा टिकिट और विदेशी मुद्रा विनीमय सुविधा।
* होप ऑन होप ऑफ सेवा।

(ख) डी.टी.टी.डी.सी. द्वारा 2003 से 2018 के बीच कुल 220 पर्यटन प्रदर्शनियों में भाग लिया गया। जिनमें डी.टी.टी.डी.सी. ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटक सूचना स्टॉल एवं प्रदर्शनी लगायी।

(ग) पर्यटन प्रदर्शनियों की सूची परिशिष्ट–ए में संलग्न है।

(घ) डी.टी.टी.डी.सी. ने पिछले 15 सालों में 105 उत्सव/कार्यक्रम आयोजित किये हैं। इनका विवरण परिशिष्ट–बी में संलग्न है।

परिशिष्ट–ए

List of Exhibition in which DTTDC setup its stalls and exhibitions from 2003-2018

Sl. No	*Name of the Event*	*Venue*
	2003-2004	
1.	***South Asia Travel and Tourism Exchange (SATTE)***	***New Delhi***
2.	***Indian Association of Tour Operators (IATO) Convention***	

Sl. No	*Name of the Event*	*Venue*
3.	*India International Travel Mart (IITM)*	
4.	*Asian Network of Major Cities (ANMC - 21)*	*Hanoi*
5.	*International Travel Borse (ITB)*	*Berlin*
6.	*World Travel Mart (WTM)*	*London*
7.	*Zee Heritage Festival*	*USA*
	2004-2005	
8.	*South Asia Travel and Tourism Exchange (SATTE)*	*New Delhi*
9.	*India International Travel Mart (IITM)*	*Mumbai*
10.	*International Travel Borse (ITB)*	*Berlin*
11.	*World Travel Mart (WTM)*	*London*
12.	*Asian Network of Major Cities (ANMC - 21)*	*Jakarta*
13.	*Travel & Tourism Fair (TTF)*	*Calcutta*
	2005-2006	
14.	*South Asia Travel and Tourism Exchange (SATTE)*	*New Delhi*
15.	*India International Travel Mart (IITM)*	*Ahmedabad*
16.	*Asian Network of Major Cities (ANMC - 21)*	*Taipei*
17.	*International Travel Borse (ITB)*	*Berlin*
18.	*World Travel Mart (ITB)*	*London*
19.	*Travel and Tourism Fair (TTF)*	*Calcutta*

Sl. No	Name of the Event	Venue
	2006-2007	
20.	*South Asia Travel and Tourism Exchange (SATTE)*	*New Delhi*
21.	*India International Travel Mart (IITM)*	*Ahmedabad*
22.	*Travel Mart*	*Columbo*
23.	*International Travel Borse (ITB)*	*Berlin*
24.	*World Travel Mart (WTM)*	*London*
25.	*Indian Association of Tour Operators (IATO) Convention*	*Jaipur*
26.	*Service Export Conference*	*New Delhi*
27.	*Dilli Haat Exposition at AGORA Book Fair*	*Frankfurt*
	2007-2008	
28.	*South Asia Travel and Tourism Exchange (SATTE)*	*New Delhi*
29.	*Travel and Tourism Fair (TTF)*	*Kolkata*
30.	*Friendz Exhibitors and Promoters*	*Delhi*
31.	*Travel Tourism Expo (TTE)*	*Pune*
32.	*India Travel Mart (ITM)*	*Mumbai*
33.	*Travel Agents Association of India (TAAI) Convention*	*Chennai*
34.	*The Council of Promotion of Tourism in India(CPTA) Event*	*Kuala Lampur*

Sl. No	Name of the Event	Venue
35.	Tourism Photo Exhibition	Japan
36.	World Travel Mart (WTM)	London
37.	Arabian Travel Mart (ATM)	Dubai
38.	Travel Agents Federation of India (TAFI) Convention	Malaysia
39.	International Travel Borse (ITB)	Berlin
40.	Participation in Events like Osian Film Festival, Italian Orchestra	New Delhi
41.	150 Annual of Freedom Fighter	Meerut
42.	Participation in public sector reforms	Australia
43.	5th Infra Education	Delhi
44.	4th Orissa Tourism International Fair	Orissa
45.	Perfect Health Mela	New Delhi
46.	Global Villaqe	Dubai
47.	IITTF	New Delhi
	2008-2009	
48.	Travel & Tourism Fair (TTF)	Mumbai
49.	4th Summer Tourism Fair	Kolkata
50.	India International Travel Mart (HTM)	Cochin
51.	Bhagidari	Delhi

Sl. No	*Name of the Event*	*Venue*
	2009-2010	
52.	*South Asian Travel and Tourism Exchange (SATTE)*	*New Delhi*
53.	*Travel & Tourism Fair (TTF)*	*Kolkata*
54.	*Travel & Tourism Fair (TTF)*	*Ahmedabad*
	2010-2011	
55.	*South Asian Travel and Tourism Exchange (SATTE)*	*New Delhi*
56.	*World Travel Mart (WTM)*	*London*
57.	*India International Trade Fair (IITF)*	*New Delhi*
58.	*Travel & Tourism Fair (TTF)*	*Mumbai*
59.	*Travel & Tourism Fair (TTF)*	*New Delhi*
	2011-2012	
60.	*Travel Tourism Exhibition (TTE-Chalo Jaai)*	*Kolkata*
61.	*Travel &. Tourism Fair (TTF)*	*Kolkata*
62.	*North East Travel Fair*	*Guwahati*
63.	*Indian International travel Mart (IITM)*	*Bangalore*
64.	*PATA TRAVEL MART*	*Delhi*
65.	*Indian Association of Tour Operators (IATO) Convention*	*Ahemadabad*
66.	*Indian International travel Mart (IITM)*	*Hyderabad*

Sl. No	Name of the Event	Venue
67.	Island Tourism Festival	Port Blair
68.	Travel & Tourism Fair (TTF)	Bangalore
69.	Indian International travel Mart (IITM)	(Kochi)
70.	Travel & Tourism Fair (TTF)	New Delhi
71.	Travel & Tourism Fair (TTF)	Mumbai
72.	Gujarat Travel Mart	Ahmedabad
73.	Travel Tourism Fair and Outbound Travel Mart (TTF & OTM)	New Delhi
74.	India Travel Mart (ITM)	Ahmedabad
75.	World Travel Mart (WTM)	London
76.	International Travel Borse (JTB)	Berlin
77.	India Festival	Geneva
	2012-2013	
78.	FICCI	Jaipur
79.	Travel Tourism Exhibition (TTE-Chalo Jaai)	Kolkata
80.	Travel & Tourism Fair (TTF)	Kolkata
81.	Travel & Tourism Fair (TTF)	Ahmedabad
82.	Indian Association of Tour Operators (IATO) Convention	Mumbai
83.	Travel and Tourism Fair (TTF)	Surat

Sl. No	*Name of the Event*	*Venue*
84.	*Travel and Tourism Fair (TTF)*	*Pune*
85.	*India International Travel Mart (IITM)*	*Bangalore*
86.	*India International Travel Mart (IITM)*	*Mumbai*
87.	*Holiday Expo*	*Nagpur*
88.	*The Hindu Tourism Fair*	*Chennai*
89.	*Association of Domestic Tour Operators of India (ADTOI) Convention*	*Srinagar*
90.	*Travel and Tourism Bazaar (TTB)*	*Kolkata*
91.	*India International Travel Mart (IITM)*	*Pune*
92.	*Travel and Tourism Bazaar (TTB)*	*Shillong*
93.	*Conclave on Heritage Tourism PHD Chamber of Commerce*	*New Delhi*
94.	*India International Travel Mart (IITM)*	*Hyderabad*
95.	*India Travel Mart (ITM)*	*Lucknow*
	2013-2014	
96.	*International Summit on Health & Wellness Tourism*	*New Delhi*
97.	*Travel and Tourism Fair (TTF)*	*Kolkata*
98.	*Travel and Tourism Fair (TTF)*	*Hyderabad*
99.	*India International Travel Mart (HTM)*	*Bangalore*
100.	*Travel and Tourism Fair (TTF)*	*Ahmedabad*

Sl. No	Name of the Event	Venue
101.	Travel and Tourism Fair (TTF)	Surat
102.	Travel and Tourism Fair (TTF)	Pune
103.	India International Travel Mart (IITM)	Mumbai
104.	FICCI- The Great Domestic Tourism Bazaar	New Delhi
105.	Travel and Tourism Bazaar (TTB)	Kolkata
106.	Indian Association of Tour Operators (IATO) Convention	Kochi
107.	Holiday Expo	Visakhapatnam
108.	India International Travel Mart (IITM)	Hyderabad
109.	CII Tourism Fest	Chandigarh
110.	India Travel Mart (ITM)	Lucknow
111.	India Travel Mart (ITM)	Goa
112.	India International Trade Fair (IITF)	Pragati Maidan, New Delhi
113.	Travel and Tourism Fair (TTF)	Bangalore
114.	Travel and Tourism Fair (TTF)	Chennai
115.	NDTV Good Times	Mumbai
116.	South Asia Travel and Tourism Exchange (SATTE)	New Delhi
117.	India International Travel Mart (IITM)	Kochl

Sl. No	Name of the Event	Venue
118.	Surajkund Crafts Mela	Faridabad
119.	Travel Tourism Fair and Outbound Travel Mart (TTF & OTM)	Mumbai
120.	Travel Tourism Fair and Outbound Travel Mart (TTF & OTM)	Noida
121.	Hindu Tourism Fair	Chennai
122.	Health & Wellness Tourism	LAVASA
	2014-2015	
123.	Travel and Tourism Fair (TTF)	Ahemdabad
124.	Travel and Tourism Fair (TTF)	Surat
125.	India International Travel Mart (IITM)	Mumbai
126.	1 ravel and lourism hair (TTF)	Pune
127.	Holiday Expo	Nagpur
128.	India International trade Fair (IITF)	Delhi
129.	India International Travel Mart (IITM)	Hyderabad
130.	South Asia Travel and Tourism Exchange (SATTE)	New Delhi
131.	NDTV Good Times	Mumbai
132.	Travel Tourism Fair and Outbound Travel Mart (TTF & OTM)	Mumbai
133.	Travel and Tourism Fair (TTF)	Chennai

Sl. No	*Name of the Event*	*Venue*
134.	*Travel and Tourism Fair (TTF)*	*New Delhi*
135.	*Travel and Tourism Fair (TTF)*	*Bangalore*
136.	*India International Travel Mart (IITM)*	*Kochi*
137.	*India International Travel Mart (IITM)*	*Kolkata*
138.	*India Travel Mart (ITM)*	*Goa*
139	*Film Tourism Conclave*	*Chennai, Hyderabad & Mumbai*
140	*MTNL Perfect Health Mela*	*New Delhi*
141	*Conference on Service Tax Management 2015-2016*	*Goa*
142	*J &. K Travel Mart*	*Srinagar*
143	*India International Travel Mart (IITM)*	*Bangalore*
144	*India International Travel Mart (IITM)*	*Chennai*
145	*Travel and Tourism Fair (TTF)*	*Hyderabad*
146	*Travel and Tourism Fair (TTF)*	*Kolkata*
147	*India International Travel Exhibition (IITE)*	*Aurangabad*
148	*Indian Association of Tour Operators (IATO)*	*Indore*
149	*India International Travel Mart (IITM)*	*Mumbai*
150	*PATA TRAVEL MART*	*Bangalore*

Sl. No	Name of the Event	Venue
151.	ASSOCHAM SUMMIT	New Delhi
152.	1 ravel and lourism i-air (ill-)	Ahemdabad
153.	Travel and Tourism Fair (TTF)	Surat
154.	MITM	Mumbai
155.	Travel and Tourism Fair (TTF)	Pune
156.	Holiday Expo	Nagpur
157.	Travel & Tourism Exhibition	Visakhapatnam
158.	India International Trade Fair (IITF)	New Delhi
159.	India International Travel Mart (IITM)	Hyderabad
160.	India International Travel Mart (IITM)	Kochi
161.	NDTV Good Times (IITT)	Mumbai
162.	South Asian Travel and Tourism Exchange (SATTE)	New Delhi
163.	National Kayaking & Canoeing Championship	Kovalam & Bhopal
164.	Travel & Tourism Fair (TTF)	New Delhi
165.	Travel & Tourism Fair (TTF)	Mumbai
166.	Vibrant Gujarat International Travel Mart (VGITM)	Gujarat
167.	India Travel Mart (ITM)	Goa
168.	India International Travel Mart (IITM)	Kolkata

Sl. No	Name of the Event	Venue
169.	International Tourism Brouse (ITB) 2016-2017	Berlin
170.	Anand Bazar Patrika (ABP)	Kolkata
171.	Travel & Tourism Fair (TTF)	Kolkata
172.	Travel & Tourism Fair (TTF)	Hyderabad
173.	FICCI	Delhi
174.	India International Travel Mart (IITM)	Chennai
175.	India International Travel Mart (IITM)	Bangalore
176.	Travel & Tourism Fair (TTF)	Ahmedabad
177.	Travel & Tourism Fair (TTF)	Surat
178.	Indian Association of Tour Operators (IATO) Convention	Chennai
179.	Confederation of Indian Industries (CII)	New Delhi
180.	India International Travel Mart (IITM)	Mumbai
181.	Travel & Tourism Exhibition (Holiday Expo)	Visakhapatnam
182.	India International Trade Fair (IITF)	New Delhi
183.	Travel & Tourism Bazar (TTB)	Kolkata
184.	India International Travel Mart (IITM)	Pune
185.	India International Travel Mart (IITM)	Hyderabad

Sl. No	Name of the Event	Venue
186.	India International Travel Exhibition (IITE)	Madurai
187.	Travel & Tourism Fair (TTF)	Chennai
188.	National Kayaking & Canoeing Championship	Indore
189.	Travel & Tourism Fair (TTF)	Bangalore
190.	India International Travel Mart (IITM)	Kochi
191.	Runn of Kutch	Gujarat
192.	Travel & Tourism Bazaar (TTB)	Ranchi
193.	Bharat Parv	New Delhi
194.	NDTV Good Times (IITT)	Mumbai
195.	Travel 8t Tourism Fair (TTF-OTM)	New Delhi
196.	India International Travel Mart (IITM)	Kolkata
197.	India Travel Mart (ITM)	Goa
198.	PHD Chamber of Commerce	Khajuraho
199.	India International Travel Exhibition (IITE)	Bhubaneswar
200.	The Kerala Institute of Tourism & Travel Studies (KITTS)	Kerala
	2017-2018	
201.	Anand Bazar Patrika (ABP)	Kolkata
202.	Travel & Tourism Fair (TTF)	Kolkata

Sl. No	Name of the Event	Venue
203	Travel & Tourism Fair (TTF)	Hyderabad
204	India International Travel Mart (IITM)	Chennai
205.	PHD Chamber of Commerce & Industry	New Delhi
206.	Indian Association of Tour Operators	Bhubneswar
207.	Travel & Tourism Fair (TTF)	Ahemdabad
208.	Travel & Tourism Fair (TTF)	Surat
209.	India International Travel Mart (HTM)	Mumbai
210.	Perfect Health Mela	New Delhi
211.	India International Trade Fair (IITF)	New Delhi
212.	Association of Domestic Tour Operators of India (ADTOI)	Visakhapatnam
213.	India International Travel Mart (HTM)	Pune
214.	India International Travel Mart (IITM)	Hyderabad
215.	Travel & Tourism Bazar (TTB)	Kolkata
216.	India International Travel Mart (IITM)	Kochi
217.	India International Travel Exhibition (IJTE)	Nagpur
218.	Bihar Travel Mart	Patna
219.	South Asian Travel and Tourism Exchange (SATTE)	New Delhi
220.	Travel Tourism Fair (TTF)	Chennai

परिशिष्ट—ए

450 (D) Details of Event and Exhibitions

Year	***Name of the Event***
2003-04	***Kite Flying Festival***
	Garden Tourism Festival
	Mango Festival.
	Jahan-E-Khusrau
	Chrysanthemum Show
	Bhakti Utsav
	Ananya- Festival of Dance & Music.
	Swar Utsav
	Sharad Utsav
	Teej Festival
2004-05	***Garden Tourism Festival.***
	Mango Festival.
	Jahan-E-Khusrau
	Chrysanthemum Show
	Bhakti Utsav
	Qutub Festival
	Ananya- Festival of Dance & Music.
	Sharad Utsav

Year	*Name of the Event*
2005-06	*Bhakti Utsav*
	Jahan-E-Khusrau
	Garden Tourism Festival
	Ananya Festival
	Sharad Utsav
	Mango Festival.
	Bonsai Festival
2006-07	*Bhakti Utsav*
	Jahan-E-Khusrau
	Garden Tourism Festival
	Ananya- Festival of Dance & Music
	Sharad Utsav
	Mango Festival.
	Qutub Festival
2007-08	*Ananya- Festival of Dance & Music*
	Bhakti Utsav
	Bharat Utsav
	Mango Festival
	Sharad Utsav
	Garden Tourism Festival
	Jahan E Khursau festival
	Qutab Festival.

Year	*Name of the Event*
2008-09	*Mango Festival*
	Gandhi Jyanti
	Sankalp Utsav
	Garden Tourism Festival
	Sharad Utsav
2009-10	*Mango Festival*
	Sharad Utsav
	Basanth Utsav
	Garden Tourism Festival.
	Holi Festival
2010-11	*Mango Festival*
	Sharad Utsav
	lst Itra Festival
	Garden Tourism Festival
	Incredible India
	Food Festival
2011-12	*Rang Utsav*
	Mango Festival
	Magic Festival
	Kite flying Festival
	Sharad Utsav.
	2ndItra Festival.

Year	*Name of the Event*
	Basant Utsav.
	Garden Tourism Festival.
	Holi Festival at Dilli Haat, INA.
	Festival of India.
	Dilli ke Pakwaan.
	Mushiara & Quawali.
	Punjabi Mehfil.
2012-13	***Mango Festival***
	Magic Festival
	Kite flying Festival
	Dilli Ke Pakwan
	Sharad Utsav
	Basant Utsav
	Itra Festival
	Garden Tourism Festival
	Holi Festival
2013-14	***Mango festival***
	Magic Festival
	Dilli Ke Pakwan
	Kite festival
	Garden Tourism Festival
	Itr Festival

Year	*Name of the Event*
2014-15	*Mango festival*
	Magic Festival
	Jashan- E-Azadi
	World Tourism Day
	Dilli Ke Pakwan
	Garden Tourism Festival
2015-16	*Garden Tourism Festival*
	Kayaking & CanoeingCompetition
	Mango Festival
	World Heritage Day
	World Tourism Day
2016-17	*World Heritage Day*
	Delhi Summer Festival
	World Tourism Day
	4th International Kite Festival
	Garden Tourism Festival
2017-18	*World Heritage Day*
	Greeshm Utsav
	Mango Festival
	World Tourism Day
	Garden Tourism Festival

451. श्री पवन शर्मा : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के पर्यटन विभाग के अधीन दिल्ली में कितने शराब के ठेके खोले गये हैं, वे कहां–कहां स्थित हैं; पूर्ण विवरण क्या है;

(ख) इन शराब के ठेकों से सरकार को सालाना कितनी आमदनी होती है और वह कहां खर्च की जाती है;

(ग) क्या यह सत्य है कि दिल्ली पर्यटन के कुछ शराब ठेके निजी कंपनियों/व्यक्तियों को चलाने के लिए दिये हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो किन शर्तों पर ये ठेके किन लोगों को दिये गये हैं?

पर्यटन मंत्री : (क) पर्यटन विभाग, दिल्ली सरकार की इकाई डी.टी.टी.डी.सी. द्वारा 126 शराब की दुकानें चलायी जा रही हैं जिसका पूर्ण विवरण परिशिष्ट–क पर संलग्न है।

(ख) विवरण परिशिष्ट–ख पर संलग्न है।

(ग) जी नहीं।

(घ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

परिशिष्ट–क

दिल्ली पर्यटन दुकानों की संची

क्र. सं.	दुकान का नाम	पता
1.	मंगलापूरी, आयी एम ऍफ अल/ सी अल वेंड	शॉप नम्बर 6. जी ऍफ, डीडीडीए मार्किट, मंलापूरी गांव, दिल्ली
2.	संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर, आयी एम ऍफ़ अल/सीअल वेंड	सीडब्ल्यू, 233 संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर नई दिल्ली

क्र. सं.	दुकान का नाम	पता
3.	स्वरूप, मॉडल टाउन, आयी एम् ऍफ़ अल/सी अल वेंड	प्लाट नंबर 19, खसरा नंबर 297802 नियम जी टी रोड, स्वरूप नगर दिल्ली
4.	जी टी करनाल रोड, आयी एम् ऍफ़ अल	शॉप नंबर 1, जीटी करनाल रोड, दिल्ली
5.	गुलाबी बाग, आयी एम् ऍफ़ अल	शॉप नंबर 3, गुलाबी बाग, डीडीए मार्किट, दिल्ली 110007
6.	मॉडल टाउन, प्रशांत विहार ए आयी एम् ऍफ़ अल	शॉप नंबर ऍफ–14/53, ग्राउंड फ्लोर, अपोजिट एमसीडी पार्क, मॉडल टाउन–2, दिल्ली 110009
7.	फाउंटेन, आयी एम् ऍफ़ अल वेंड	फाउंटेन, चांदनी चौक नई दिल्ली
8.	गोखले मार्केट आयी एम् ऍफ़ अल वेंड	दुकान नंबर 79, गोखले बाजार, (तीस हजारी कोर्ट के सामने), दिल्ली
9.	मोरी गेट आयी एम् ऍफ़ अल वेंड	शॉप नंबर–3907 और 3909 हैमिल्टन रोड, मोरी गेट, दिल्ली
10.	सब्ज़ी मंडी आई एम् ऍफ़ अल/सी अल वेंड	बुर्फ़खाना के पास, पुरानी सब्जी मंडी, दिल्ली
11.	दरिया गंज आयी एम् ऍफ अल वेंड	शॉप नंबर 3578 और 3579, नेताजी सुभाष मार्ग, दरियागंज, दिल्ली
12.	सरिता विहार आयी एम् ऍफ़ अल वेंड	शॉप नंबर 16, एलएससी पॉकेट डी एंड ई, सरिता विहार, नई दिल्ली

क्र. सं.	दुकान का नाम	पता
13.	गोले मार्केट आयी एम् ऍफ़ अल वेंड	शॉप नंबर 11, भगत सिंह बाजार, गोले मार्केट नई दिल्ली–1100 001
14.	एन–ब्लॉक कनॉट प्लेस आयी एम् ऍफ़ अल वेंड	33/12, एन ब्लॉक, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली
15.	ईस्ट ऑफ़ कैलाश आयी एम् ऍफ़ अल वेंड	दुकान संख्या 5 सी ब्लॉक, सीडीए बाजार, पूर्व कैलाश, नई दिल्ली
16.	गोविंदपुरी, आयी एम् ऍफ़ अल/सी अल वेंड	मुख्य मार्ग, गोविंद पुरी (कालकाजी बस डेपो के पास), दिल्ली
17.	नेहरू प्लेस, कालकाजी, आईएमएफएल वेंड	लॉट नं.–13, शॉप नंबर 37–38, गुप्त प्लाजा, कालकाजी डाकघर के पास, नई दिल्ली
18.	श्रीनिवासपुरी, आईएमएफएल/सीएल वेंड	आश्रम चौक के पास, एसएन। पुरी, नई दिल्ली
19.	मयूर विहार चरण–***II***	दुकान संख्या 4 और 5, कृष्ण प्लाजा, एलएससी, बी ब्लॉक, मयूर विहार चरण–***II***, दिल्ली।
20.	जोहरीपुर, आयी एम ऍफ अल/सी अल वेंड	खसरा नं. 8/3/1, गांव जोहरी पुरी (एलीइस जीवन पुरा विलेज), दिल्ली
21.	मीत नगर, आईएमएफएल/सीएल वेंड	प्लॉट नं. 1, रेलवे फाटक वजीराबाद रोड, दिल्ली के पास नगर चौक से मिलें
22.	राजा गार्डन, आईएमएफएल वेंड	शॉप नंबर 5/116, राजा गार्डन, रिंग रोड, नई दिल्ली

क्र. सं.	दुकान का नाम	पता
23.	शिवाजी एन्क्लेव, आईएमएफएल वेंड	दुकान नंबर ए–7, डीडीए मार्केट, शिवाजी इन्क्लेव, दिल्ली–110027
24.	दीनपुर, आईएमएफएल/सीएल विकें	दुकान नंबर–1, खसरा नं. 339, गांव देदरपुर, मुख्य नजफगढ़ रोड़, नई दिल्ली
25.	द्वारका सेक्टर–12, आईएमएफएल वेंड	शॉप नंबर जी 4, पॉकेट–7, प्लॉट नंबर 2, आशीष प्लाजा सेक्टर 12, द्वारका, नई दिल्ली–75
26.	द्वारका सेक्टर–3, आईएमएफएल वेंड	शॉप नंबर जी–1 और जी–2, वर्धमान मार्केट, प्लांट नं. 2, सेकंड–3 द्वारका, नई दिल्ली–75
27.	दक्षिण पटेल नगर, आईएमएफएल वेंड	दुकान नंबर 31 दक्षिण पटेल नगर बाजार, नई दिल्ली–1100008
28.	नंगल राय *I*, आईएमएफएल/सीएल वेंड	13/2–4 जीएफ, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, नंगल राय, नई दिल्ली
29.	नंगल राय–द्वितीय, लाजवन्ती चौक, आईएमएफएल वेंड	शॉप नंबर 22–23, डीडीए मार्केट, लाजवन्ती गार्डन चौक, नंगल राय, नई दिल्ली
30.	तिलक नगर, आईएमएफएल वेंड	4/ए, प्लांट नं. 26, तिलक नगर, नई दिल्ली
31.	विकासपुरी, आईएमएफएल वेंड	शॉप जी जी–9, वाधमान मार्केट, जेजी–ब्लॉक, बाहरी रिंग रोड, विकास पुरी, नई दिल्ली–11110
32.	लॉरेंस रोड, आईएमएफएल/सीएल वेंड	सी–8, सामुदायिक केन्द्र, लॉरेंस आरडी इंडस्ट्रीज़ एरिया, नई दिल्ली

क्र. सं.	दुकान का नाम	पता
33.	पीतम पुरा सम्राट एनक्लेव, आईएमएफएल/सीएल वेंड	शॉप नंबर 26–29, डीडीए मार्केट, सम्राट एनक्लेव, पीतमपुर, दिल्ली
34.	पंजाबी बाग (आईएमएफएल/सीएल)	शॉप नंबर–18, मेन रोड पंजाबी बाघ फ्लायओवर, ट्रांसपोर्ट सेंटर पंजाबी बाघ दिल्ली
35.	गोपाल नगर (नजफगड़ धनस्यान बस स्टैंड), आईएमएफएल वेंड	1625/ई1, खसरा सं. 15/24/1, धन्सा बस स्टैंड, नजफगढ़, दिल्ली
36.	चांद बाग, आईएमएफएल वेंड	ई–8, चंद बाग, वजीराबाद रोड, दिल्ली
37.	सादतपुर, आईएमएफएल/सीएल वेंड	सी–5, सदापुर एक्स्टएन, दिल्ली–110094
38.	टैगोर गार्डन, आईएमएफएल वेंड	दुकान सं. डी 57 और डी–58, शिवाजी मार्केट, टैगोर गार्डन एक्सटेंशन, दिल्ली
39.	ईस्ट ऑफ कैलाश (सपना सिनेमा), आईएमएफएल वेंड	दुकान सं. 33/2 और 33/3, डीडीए बाजार, सामुदायिक केंद्र (सपना सिनेमा के पास) दिल्ली के पूर्व कैलाश
40.	मूलचंद, आईएमएफएल वेंड	सी–46, डीडीए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली–24
41.	डिफेंस कॉलोनी, आईएमएफएल वेंड	146 और 148, फ्लायओवर बाजार के तहत, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली
42.	बावाना रोड, आईएमएफएल वेंड	के.–33,/9/12 बावाना रोड, समाएपुर बदली, दिल्ली–11,022

क्र. सं.	दुकान का नाम	पता
43.	बुध विहार	ए–36, सूर्य बाजार, नई कांझावाला रोड, बुध विहार, दिल्ली–10063
44.	बुध विहार (कांझावा), आईएमएफएल/सीएल वेंड	ए–4, बुद्ध विहार, दिल्ली
45.	मंडावली, आईएमएफएल वेंड	दुकान नंबर 2 और 3, खसर नं. 551, रेलवे कॉलोनी, मंडावली, दिल्ली–110092
46.	न्यू कोंडली, आईएमएफएल वेंड	शॉप नंबर 148–149/बी 1, मेन रोड, न्यू कॉन्डली, दिल्ली।
47.	शास्त्री पार्क, आईएमएफएल वेंड	शॉप नंबर 17, डीडीए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, शास्त्री पार्क, दिल्ली।
48.	उत्तर नगर (पश्चिम), आईएमएफएल वेंड	दुकान नंबर ए–8, प्रेम नगर, मुख्य नाजफगढ़ रोड, पश्चिम उत्तम नगर, नई दिल्ली–59
49.	मोहन गार्डन, आईएमएफएल/सीएल वेंड	दुकान नंबर ए–5/***II***, मोहन गार्डन मेन नजफगढ़ रोड, उत्तम नगर, नई दिल्ली
50.	उत्तम नगर, आईएमएफएल वेंड	ए/7, मिलाप नगर,, उत्तम नगर, नई दिल्ली
51.	वसंत कुंज मसूदपुर	शॉप नंबर 14 और 15, मसूद पुर डेयरी फार्म, वसंत कुंज, नई दिल्ली
52.	वंसत कुंज, डी–1, आईएमएफएल वेंड	दुकान नं.–17 सेक्टर डी–पॉकेट–आई डीडीए मार्केट, वसंत कुंज नई दिल्ली–70
53.	बदरपुर	सी 1–सी 2 और बी 2, शिव मक्का, मेन मथुरा रोड, बदरपुर, दिल्ली

क्र. सं.	दुकान का नाम	पता
54.	शकरपुर, विकास मार्ग, आईएमएफएल वेंड	सी 1–सी 2 और बी 2, शिव मक्का, मेन मथुरा रोड, बदरपुर, दिल्ली शॉप नंबर 434/113, शकरपुर, वीर सावरकर ब्लॉक, मेन विकास मार्ग, दिल्ली–110092
55.	प्रीतम विहार, आईएमएफएल वेंड	शॉप नंबर जी–9, जी–10, जी.एफ. प्लॉट नं. 10, सिक्का कॉम्प्लेस, सामुदायिक केन्द्र, प्रीत विहार, दिल्ली–110092
56.	सविता विहार, आईएमएफएल वेंड	प्लॉट नं. 10, सिक्का कॉम्प्लेक्स, सामुदायिक केन्द्र, प्रीत विहार, दिल्ली–110092 शॉप नंबर जी–7ए ग्राउंड फ्लोर, प्लॉट नं. 5, एलएससी सविता विहार, दिल्ली
57.	लक्ष्मी नगर कॉफी होम, आईएमएफएल वेंड	प्लॉट नं. 14, लक्ष्मी नगर कॉफी होम, लक्ष्मी नगर जिला केन्द्र, विकास मार्ग, दिल्ली–92
58.	नई राजधानी एन्क्लेव, आईएमएफएल वेंड	शॉप नंबर जी–4, जी–8, उषा चैंबर, नई राजधानी एनसीएल, दिल्ली–92
59.	मॉल रोड, किंग्सवे कैंप, आईएमएफएल वेंड	37 मॉल रोड, किग्सवे कैंप, दिल्ली–110009
60.	मुखर्जी नगर, आईएमएफएल वेंड	ए–29–30, जैन हाउस, डॉ मुखर्जी नगर, दिल्ली
61.	तिमारपुर, आईएमएफएल वेंड	ए–7 जीएफ, ट्रक पार्किंग, तिमारपुर, दिल्ली
62.	सिद्धार्थ एन्क्लेव	शॉप नंबर 10, 11 और 12, डीडीए मार्केट, सिद्धार्थ एन्क्लेव, नई दिल्ली

क्र. सं.	दुकान का नाम	पता
63.	मयूर विहार वर्धमान (घरोली), आईएमएफएल वेंड	शॉप नंबर जी–10, जी–11, जी–12 और 26 जीएफ वर्धमान मयूर मार्केट मयूर विहार चरण–***III***, दिल्ली।
64.	आजादपुर नैनीवाला, आईएमएफएल वेंड	454/2, नानीवाला बाग, आजादपुर, दिल्ली।
65.	एसपी थाला, आईएमएफएल वेंड	454/2, नानीवाला बाग, आजादपुर, दिल्ली।
		दुकान नंबर ए–7, खसरा सं. 729/135/1 साराई पीपल थल्ला, जीटी। करनाल रोड़ दिल्ली।
66.	भीकाजी कामा प्लेस, आईएमएफएल वेंड	दुकान नं. यूजी–6, सोमदत्त चैंबर–द्वितीय, प्लांट नं. 9, भिकाजी काम प्लेस, नई दिल्ली–10066
67.	मुनीरका–***II***, आईएमएफएल वेंड	ए 1, डीडीए शॉपिंग सेंटर चरण–2, मुनीरका
68.	मुनीरका–आई, आईएमएफएल वेंड	ए1–डीडीए मार्केट, शॉपिंग सेंटर, फेज़टू–, मुनीरका
69.	वसंत विहार–1, आईएमएफएल वेंड	शॉप नंबर सी 4–, सी ब्लॉक, पश्चिम मार्ग, वसंत विहार, नई दिल्ली
70.	वसंत विहार द्वितीय, आईएमएफएल वेंड	दुकान नंबर सी–5, सी ब्लॉक, पश्चिम मार्ग, वसंत विहार, नई दिल्ली
71.	पीरा गढ़ी	खसरा नं. 487, आरजेडएन, ए 128, पीरा गढ़ी चौक दिल्ली

क्र. सं.	दुकान का नाम	पता
72.	अशोक विहार, दीप सिनेमा कॉम्प्लेक्स, आईएमएफएल वेंड	शॉप नंबर 24, जीएफ, दीप सिनेमा कॉम्प्लेक्स, अशोक विहार, फेज–1, दिल्ली
73.	निमी कॉलोनी, आईएमएफएल/सीएल वेंड	सी–8, निम्री शॉपिंग सेंटर, निमी कॉलोनी, दिल्ली
74.	जनकपुरी वर्धमान, आईएमएफएल वेंड	शॉप नंबर जी 13, जी मार्केट जनक वर्धमान 15 जी और 14, ए 2–बी, जनकपुरी, नई दिल्ली–58
75.	जनकपुरी सिनेमा, आईएमएफएल वेंड	1, जनक सिनेमा कॉम्प्लेक्स, जनकपुरी, नई दिल्ली–58
76.	नई अशोक नगर, आईएमएफएल वेंड	दुकान नंबर 36 से 33 और 27, एब्लॉक–नई अशोक नगर, दिल्ली–96
77.	नई अशोक नगर, आईएमएफएल /सीएल वेंड	शॉप नंबर ए95–, न्यू अशोक नगर, दिल्ली–9091110
78.	पांडव नगर, कोटला, मयूर विहार चरण–*I*, आईएमएफएल/सीएल वेंड	खसरा सं. 15 और 14, मेन रोड, कोटला ग्राम, मयूर विहार, चरण–*I*, दिल्ली –091110
79.	त्रिलोक पुरी, आईएमएफएल वेंड	दुकान नंबर 40/4, डीडीए बाजार, त्रिलोकपुरी, दिल्ली–190110
80.	रोहिणी सेक्टर–4,	दुकान नंबर 5, डीडीए मार्केट, पॉकेट बी, सेक्टर 4, रोहिणी, दिल्ली 085110

क्र. सं.	दुकान का नाम	पता
81.	मंगोलपुरी–आई, आईएमएफएल/सीएल वेंड	ए28, मंगोलपुरी इंडस्ट्रीज एरिया चरण–1, दिल्ली
82.	मंगोलपुरी–*II*, आईएमएफएल/सीएल वेंड	डीएसआईडीसी कॉम्प्लेक्स, बाहरी रिंग रोड, मंगोलपुरी, नई दिल्ली
83.	राजीव नगर, आईएमएफएल/सीएल वेंड	बी–10, गांव बेगमपुर, राजीव नगर, दिल्ली
84.	बावाना सेक 5, आईएमएफएल वेंड	दुकान नंबर जी–21, जीएफ, पॉकेटजे, सेक्टर–5, डीएसआईडीसी परिसर, वर्धमान मॉल, बवाना, दिल्ली
85.	दिलशाद गार्डन, आईएमएफएल वेंड	12/488, दामोदर पार्क, दिलशाद गार्डन, शाहदरा, दिल्ली
86.	निहाल विहार, आईएमएफएल/सीएल वेंड	प्लॉट नं. 22/आरजीएए नं. नई सी 14, निहाल विहार, नांगलोई रोड, दिल्ली
87.	जगत्पुरा 100 फीट, आईएमएफएल वेंड	सी–105, जगतपुरा आरडी फीट 100, शाहदरा, दिल्ली–93
88.	चंदर नगर, आईएमएफएल वेंड	प्लांट नं. 6, दुकान नं. 1, मुख्य चंदर नगर, दिल्ली 110051
89.	सुल्तान पुरी डीडीए मार्केट, आईएमएफएल वेंड	दुकान नंबर 73–72 और 67–66, सी ब्लॉक, डीडीए बाजार, सुल्तानपुरी, दिल्ली–86
90.	सुल्तानपुरी मज़रा, आईएमएफएल/सीएल वेंड	दुकान नंबर 1, के 582 एन., राजपार्क, सुल्तानपुर मज़रा

क्र. सं.	दुकान का नाम	पता
91.	नाथूपुरा (बुराड़ी), आईएमएफएल वेंड	खसरा नंबर 1/19/5, मुख्य रोड फुट 100, नाथ पुरा (बुराड़ी), दिल्ली
92.	संत नगर, आईएमएफएल वेंड	दुकान सं. 6 और 5, खसरा नंबर बुराड़ी डाकघर और गांव 7/137, संत नगर, दिल्ली
93.	जीटी रोड शाहदरा, आईएमएफएल वेंड	दुकान नं. 556, जी शाहदरा रोड़ टी., दिल्ली
94.	अलीपुर, सीएल वेंड	प्लांट नं. रोड करनाल जीटी। 23/29, अलीपुर, दिल्ली
95.	नरेला–तृतीय, आईएमएफएल वेंड	शॉप नंबर 12, एफसी–4, नरेला, डीएसआई – आईडीसी वाणिज्यिक परिसर, नरेला एरिया दिल्ली–04111
96.	नरेला–*I*, आईएमएफएल/सीएल वेंड	दुकान नंबर 6, एफसी–7, डीएसआईडीसी वाणिज्यिक परिसर, नरेला, दिल्ली
97.	नरेला–*II*, आईएमएफएल वेंड सीएल	शॉप नंबर 31 और 1, वर्धमान मॉल, सेक्टर ए–6, पॉकेट–10, नरेला, दिल्ली
98.	नरेला चतुर्थ, आईएमएफएल वेंड	दुकान नंबर जी–17, वर्धमान चयन मॉल एफसीवी, सेक्टर–1, नरेला इंडस्ट्रीज एरिया, नरेला, दिल्ली
99.	ग्रेटर कैलाश, आईएमएफएल वेंड	शॉप नंबर 37, गुरू नानक मार्केट, आर ब्लॉक, ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली–48
100.	कारमुरा, आईएमएफएल वेंड	शॉप नंबर 24, शॉपिंग सेंटर, कारमुरा, दिल्ली

क्र. सं.	दुकान का नाम	पता
101.	कीर्ति नगर, आईएमएफएल वेंड सीएल	डीएसआईआईडीसी परिसर, कीर्ति एनजीआर इंडस्ट्रीज एरिया, नई दिल्ली
102.	जखीरा, आईएमएफएल वेंड सीएल	शॉप नंबर 5/बी 2, अमर पार्क, जखीरा, दिल्ली
103.	सराय रोहिल्ला, आईएमएफएल वेंड	शॉप नंबर हिस्सा का 22 नंबर शॉप और 23, एलएससी पदम नगर, चंदर शेखर आजाद कॉलोनी, सराय रोहिल्ला दिल्ली–0071100
104.	मालवीय नगर, आईएमएफएल वेंड	शॉप नंबर 4/55/948, महर्षि दयादंद मार्ग, कॉर्नर मार्केट, मालवीय नगर, नई दिल्ली
105.	मालवीय एनजीआर, सीब्लॉक, आईएमएफएल वेंड	दुकान सं. सी–2, मालवीय नगर, नई दिल्ली 017110
106.	सफदरजंग एन्क्लेव, आईएमएफएल वेंड	ए21ई/बी, सफदरजंग एनक्लेव मार्केट, कमल सिनेमा के पास दिल्ली
107.	राजेन्द्र पार्क, रोहतक रोड	दुकान नंबर–13ए, खसरा सं. 19/36, राजेन्द्र पार्क, रोहतक रोड, दिल्ली
108.	यशवंत प्लेस, आईएमएफएल वेंड	शॉप नंबर 122, यशवंत प्लेस, नई दिल्ली
109.	शालिमार बाग–***II***, हैदरपुर, आईएमएफएल वेंड	दुकान नंबर 3, 17 और 16, ब्लॉक डी, पॉकेट ए, शालीमार बाग, दिल्ली
110.	नारायणा, आईएमएफएल वेंड	शॉप नंबर 28, डीडीए सेंट्रल मार्केट, नारायणा, नई दिल्ली–28

क्र. सं.	दुकान का नाम	पता
111.	रोहिणी सेक्टर–15, आईएमएफएल वेंड	दुकान नंबर 8, जी ब्लॉक, सेक्टर–15, रोहिणी, दिल्ली
112.	समयपुर बदली, आईएमएफएल वेंड सीएल	दुकान नंबर बी–1, सूरज पार्क, (बादली इंडस्ट्रज़ एरियाबदली सीमापुर दिल्ली)
113.	पदम सिंह रोड, आईएमएफएल वेंड	शॉप नंबर 10164/16, पदम सिंह रोड, करोल बाग, नई दिल्ली
14.	राजेन्द्र प्लेस, आईएमएफएल वेंड	शॉप नंबर 2–1, राजेंद्र भवन, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली
115.	***D.B.G.*** मार्केट, करोल बाग, आईएमएफएल विकें/सीएल	शॉप नंबर 68 और 82, डीबीजी मार्केट, करोल बाग, नई दिल्ली 110005
116.	डीबीजी रोड, आईएमएफएल वेंड	शॉप नंबर–138, डीबीजी मार्केट, डीबीजी रोड, करोल बाग
117.	ईस्ट पार्क रोड, आईएमएफएल वेंड	1/8635, ईस्ट पार्क रोड, करोल बाग, नई दिल्ली–005110
118.	फैज़ रोड, आईएमएफएल वेंड सीएल	2364, अशोक नगर, फैज रोड चौक, करोल बाग, दिल्ली।
119.	वसंत कुंज ऑप पुलिस स्टेशन	शॉप नंबर 25, सेक्टर बी–7, प्लांट नं. 11, वसंत कुंज, नई दिल्ली
120.	झंडेवाला, आईएमएफएल वेंड	दुकान नंबर ई 3/4, झंडेवाला एक्सटेंशन, दिल्ली–055110

क्र. सं.	दुकान का नाम	पता
121.	आज़ादपुर नैनी वाला, सीएल वेंड	जी–3–10, अम्बर टावर नैनी वाला बाग, आज़ादपुर जीटी रोड दिल्ली
122.	नई मंडोली, सीएल वेंड	खसरा नंबर–181 गांव सबोली मंडोली नई (एक्सटेंशन सबोली), दिल्ली
123.	बुराड़ी (नगरी नन्द), सीएल वेंड (बिक्री अभी आरम्भ होनी हैं)	खसरा नंबर 458, जी एफ, एक्सटेंड लाल डोरा, बुराड़ी 100 फीट रोड, दिल्ली
	बंद दुकानों की सूची	
124.	एनएच 8 कापसहेड़ा	दुकान नंबर 2, खसरा नंबर 34/16, गांव कापसहेड़ा, रजोकरी नई दिल्ली
125.	युसूफ सराय	48/3 मूलराज बिल्डिंग युसूफ सराय नई दिल्ली
126.	आसफ अली रोड	दुकान नंबर 4.5, ग्राउंड फ्लोर, आसफ अली रोड, नई दिल्ली

परिशिष्ट–ख

OPERATING RESULT FOR 2016-17

Particulars	***Amount (incrores)***
Sale of Liquor	***992.09***
Other Incom (Non Operatin Income)	***3.97***
Total (A)	***996.06***

Particulars	***Amount (incrores)***
Cost of Goods Sold	***930.70***
Salary, Administrative & Other Overheads	***71.34***
Total (B)	***1002.04***
Net Profit (A)-(B)	***-5.98***

Contribution to Ex.chequer

Excise Paid-599.25 crores

Vat Paid-34.83 crores

Total-634-08 crores

452. **श्री सोमनाथ भारती** : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली को पर्यटन के अनुकूल बनाने के लिए जो कदम उठाए गए हैं/योजनाएं प्रस्तावित हैं, उनका विवरण क्या है;

(ख) दिल्ली के 'अभिज्ञात' पर्यटन स्थल कौन से हैं, इनमें कितने नए स्थल जोड़े गए हैं;

(ग) इन पर्यटन स्थलों के रखरखाव पर और नए स्थलों को जोड़ने पर कितना वार्षिक खर्च किया गया है, वर्ष 2008 से 2017 तक का वर्षवार संपूर्ण विवरण प्रदान करें;

(घ) वर्ष 2008 से 2017 तक दिल्ली में व पूरे देश में कितने पर्यटक आए;

(ङ) यदि पर्यटकों की संख्या में कमी आई है तो उसका कारण क्या है;

(च) क्या गोवा की भांति दिल्ली में भी पर्यटकों के अनुकूल मोटरसाइकिल सवार पुलिस उपलब्ध कराई जा सकती है;

(छ) वर्ष 2008 से 2017 के बीच टूरिस्ट वीजा धारक कितने विदेशी अपराध में लिप्त पाए गए और कितने विदेशियों के विरुद्ध अपराध हुए, वर्षवार और राष्ट्रवार विवरण प्रदान करें;

(ज) यदि सरकार की कोई पर्यटन नीति है तो उसका विवरण क्या है;

(झ) दिल्ली में किसी प्राचीन स्मारक के समीप निर्माण कार्य के लिए क्या मानदंड हैं;

(ञ) पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कितने स्मारकों पर से अतिक्रम हटाने की कार्रवाई हेतु कार्य किया जा रहा है;

(ट) दिल्ली में किस प्रकार के प्राचीन स्मारक हैं; और

(ठ) जिस एजेंसी के अंतर्गत ये आते हैं, उनके नाम सहित इनकी पूरी सूची उपलब्ध कराएं?

पर्यटन मंत्री : (क) राजधानी दिल्ली में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के तत्वाधान में वर्ष 1975 में डी.टी.टी.डी.सी. की स्थापना की गई थी।

डी.टी.टी.डी.सी., दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पर्यटन, परिवहन और आतिथ्य सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए अनेक सेवाएं पर्यटको और

दिल्लीवासियों के प्रदान करता है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए डी.टी. डी.सी. द्वारा की जाने वाली मुख्य गतिविधियां इस प्रकार हैः–

(क) पर्यटकों को सुविधा प्रदान करने के लिए पर्यटन सूचना केन्द्रों की स्थापना की गई है। ये सूचना केन्द्र–नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, घरेलू हवाई अड्डा, दिल्ली हाट–आईएनए, केन्द्रिय आरक्षण कार्यालय, बाबा खड़गसिंह मार्ग, क्नॉट प्लेस, कोलकत्ता और चेन्नई में स्थित है।

(ख) पर्यटक संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए होम–ऑन–होप–ऑफ बस सेवा शामिल है जो दिल्ली के मुख्य पर्यटक स्थलों का भ्रमण करवाती है। डी.टी.टी.डी.सी. स्थानीय व अन्य राज्यों के लिए टूर पैकेज देना, एयर टिकटिंग, विदेशी मुद्रा विनिमय सेवा भी प्रदान करता है।

(ग) दिल्ली में तीन स्थानों – आईएनए, पीतमपुरा और जनकपुरी में दिल्ली हाट बनाए गए है। जो खरीदारी और विभिन्न भारतीय व्यंजनों का स्वाद, हस्तकरघा, हस्तशिल्प और लोककला के विस्तार का मुख्य केन्द्र है।

(घ) **एडवेंचर गतिविधियां :**

डी.टी.टी.डी.सी. निम्नलिखित स्थानों पर नौकायन सुविधा प्रदान करता हैः–

1. कृषि भवन (बोट क्लब)
2. मानसिंह रोड, इंडिया गेट
3. भलस्वा झील

एक एडवेंचर पार्क मयूर विहार में बनाया गया है जहां विभिन्न एडवेंचर गतिविधियां उपलब्ध है।

(ङ) **सांस्कृतिक पर्यटन** : पर्यटकों और आगंतुकों को बेहतर मनोरंजन प्रदान करने के लिए डी.टी.टी.डी.सी. नियमित रूप से अपने दिल्ली हाटों और गार्डन ऑफ फाइव सेंसेंज में वर्ष भर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करता है।

* नेचर बाजार की स्थापना भी की गई है जहां पर स्थानीय हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए देश के विभिन्न स्थानों से आए शिल्पकार अपनी कला का प्रदर्शन करते है।

* प्रमुख वार्षिक आयोजनों में गार्डन टूरिज़्म फेस्टिवल, आम महोत्सव, पतंग महोत्सव, विश्व पर्यटन दिवस आदि शामिल है।

(च) **विरासत (हैरिटेज) पर्यटन** : शहरी की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का अनुभव प्रदान करने के लिए इंटेक और दिल्ली वॉक के साथ मिलकर रिक्शा टूर, नई दिल्ली व पुरानी दिल्ली और मैहरोली में साइकिल टूर का आयोजन किया गया था।

अन्य गतिविधयां

* दिल्ली सरकार की ओर से विषय आधारित कैलेंडर और डायरी का प्रकाशन।

* पर्यटकों के बीच निःशुल्क वितरण हेतु प्रचार साहित्य सामग्री का प्रकाशन।

* दिल्ली हाट आईएनए में कमाल स्मारक।
* विशेष कार्यक्रमों का आयोजन जैसे– राज्य शिक्षक पुरस्कार, दिल्ली में जीएसटी परिषद सदस्यों के लिए रात्रिभोज और सांस्कृतिक कार्यक्रम।
* दिल्ली हाट जनकपुरी में 800 व्यक्तियों की क्षमता वाला वातनुकुलित ऑडिटोरियम।
* दिल्ली हाट आईएनए में अंतर्राष्ट्रीय गणमान्य व्यक्तियों को प्रदत सुविधाएं।
* डी.टी.टी.डी.सी. की वेबसाइटस और सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के माध्यम से दिल्ली का ब्रांड के रूप में प्रचार।
* दिल्ली को एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल के रूप में पुरस्कृत करने वालों में मुख्य प्रकाशन जैसे– कोंड नास्ट इंडिया, लोनली पलैनेट और मुख्य संस्थाएंः विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद, पब्लिक रिलेशंस कॉनसिल ऑफ इंडिया शामिल है।

वित्त वर्ष 2018–19 के लिए निम्नलिखित योजनाएं हैः–

पर्यटक का विकास – दिल्ली एक गंतव्य स्थल

* प्रिंट और इलेक्ट्रोनिक मीडिया प्रचार सामग्री का प्रकाशन और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा अन्य संबंधित गतिविधियों का प्रचार–प्रसार।

* दिल्ली को एक गंतव्य स्थल के रूप में विकसित करने के लिए पर्यटन आयोजनों में भागीदारी।

* मेले व उत्सवों का आयोजन।

पर्यटन का आधारभूत ढांचा

* गार्डन ऑफ फाइव सेंसेंज के पास कला ग्राम का विकास/अपग्रेडेशन।

* आजाद हिंद ग्राम का नवीनीकरण और अपग्रेडेशन।

* कॉफी होम, क्नॉट प्लेस का नवीनीकरण और अपग्रेडेशन।

* दिल्ली हाट आईएनए में फूड कोर्ट, अस्थायी दुकानों/क्राफ्ट स्ऑल आदि का अपग्रेडेशन।

(ख) दिल्ली में समस्त अभिज्ञात पर्यटन स्थलों की सूची परिशिष्ट–क पर उपलब्ध है।

लेकिन डी.टी.टी.डी.सी. द्वारा संचालित पर्यटन परियोजनाओं सूची इस प्रकार है:

1. दिल्ली हाट आई.एन.ए.
2. दिल्ली हाट पीतम पुरा
3. गुरू तेग बहादुर मैमोरियल सिंधु बॉर्डर
4. नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मैमोरियल, टीकरी कलां

5. गार्डन ऑफ फाईव सेंसिज, साकेत

6. नौका विहार (कृषि भवन, मान सिंह रोड, भलस्वा झील, संजय झील)

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित पर्यटन परियोजनाएं 2008 के पश्चात् प्रारंभ की गई–

7. दिल्ली हाट जनकपुरी

8. अब्दुल कलाम मैमोरियल, दिल्ली हाट आईएनए

9. नेचर बाजार, महरौली

10. सॉफ्ट एडवेंचर पार्क, मयूर विहार

11. छावला कांगनहेड़ी

(ग) डी.टी.टी.डी.सी. द्वारा संचालित पर्यटन स्थलों का वर्ष 2008 से 2017 तक का वर्षवार खर्च का ब्यौरा परिशिष्ट–ख में संलग्न है।

(घ) इसका ब्यौरा पर्यटन विभाग, दिल्ली सरकार के पास उपलब्ध नहीं हैं।

(ङ) उत्तर (घ) के अनुसार।

(च) वर्तमान में पर्यटन विभाग, दिल्ली सरकार के पास ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

(छ) इसका ब्यौरा पर्यटन विभाग, दिल्ली सरकार के पास उपलब्ध नहीं हैं।

(ज)

1. पर्यटन विभाग, दिल्ली सरकार, द्वारा दिल्ली में पर्यटन सुधारने और पर्यटन का बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए पर्यटन नीति और मास्टर प्लान तैयार करने के लिए मैसर्स जे.पी.एस. एसोसिएट्स प्रा. लि. को सलाहकार एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है।

2. अनुबंध में शर्तों के अनुसार सलाहकार को 9 महीनों के भीतर पर्यटन नीति का कार्य तीन चरणों में पूर्ण किया जाना है। मैसर्स जे.पी.एस. एसोसिएट्स प्रा.लि. ने प्रथम चरण की स्थापना रिपोर्ट जून, 2016 में प्रस्तुत कर दी है।

3. दूसरे चरण की मसौदा अंतरिम रिपोर्ट सलाहकार द्वारा अगस्त, 2017 में प्रस्तुत की गयी थी जो मंजूरी के लिए सरकार के विचाराधीन है।

4. दूसरे चरण की रिपोर्ट (अंतरिम रिपोर्ट) की स्वीकृति के बाद, परियोजना का तृतीय चरण सरकार से अनुमोदन के उपरांत, शुरू किया जाएगा।

(झ) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारत सरकार द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार प्राचीन स्मारक और पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 तथा नियम 1959 और प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) अधिनियम 2010 के अंतर्गत केन्द्रीय संरक्षित इमारत से 100 मीटर की दूरी तक के क्षेत्र को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है और 100 से 300 मीटर की दूरी तक के क्षेत्र विनियमित क्षेत्र घोषित किया गया है।

उपरोक्त नियमानुसार केन्द्रीय संरक्षित स्मारक की नोटिफाइड बाउन्ड्री (चारों दिशाओं) के बाहर 100 मीटर के घेरे में नवनिर्माण वर्जित है, पुराने मकान की मरम्मत आदि की जा सकती है एवं उससे परे 200 मीटर तक नवनिर्माण किया जा सकता है परंतु दोनों स्थिति में अनुमति आवश्यक है जो कि सक्षम प्राधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, पुरातत्व भवन, जी. पी.ओ. परिसर, डी–खण्ड प्रथम तल, आई.एन.ए., नई दिल्ली–110023 के द्वारा दी जाती है।

(ञ) पुरातत्व विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार दिल्ली सरकार के 19 संरक्षित घोषित स्मारकों पर कोई भी अतिक्रमण नहीं है।

हालांकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारत सरकार द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, दिल्ली मंडल के अधीन कुल 7 स्मारकों पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही जारी है। सूची परिशिष्ट–ग पर संलग्न है।

(ट) पुरातत्व विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार दिल्ली में राष्ट्रीय महत्व, स्थानीय महत्व तथा असंरक्षित प्राचीन स्मारक है।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारत सरकार द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के दिल्ली मंडल के अधीन मौर्य काल से मुगल काल तक के स्मारक हैं। जिसमें ज्यादातर मध्यकाल के स्मारक है।

(ठ) पुरातत्व विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार दिल्ली में राष्ट्रीय महत्व के संरक्षित प्राचीन स्मारक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारत सरकार के अंतर्गत आते हैं, जिसकी सूची परिशिष्ट–घ संलग्न है तथा स्थानीय महत्व के संरक्षित प्राचीन स्मारक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारत सरकार के अंतर्गत आते हैं, जिसकी सूची परिशिष्ट–घ संलग्न है

तथा स्थानीय महत्व के संरक्षित प्राचीन स्मारक, पुरातत्व विभाग, दिल्ली सरकार के अंतर्गत आते हैं जिसकी सूची परिशिष्ट–च पर संलग्न है।

परिशिष्ट–क

दिल्ली में समस्त अभिज्ञात पर्यटन स्थलों की सूचीः

1. अक्षरधाम मंदिर
2. लोटस टेम्पल
3. बिरला मंदिर
4. हुमायुं मकबरा
5. इंडिया गेट
6. इस्क्कोन टेम्पल
7. जामा मस्जिद
8. जंतर मंतर
9. लोधी मकबरा
10. संसद भवन
11. पुराना किला
12. कुतुब मीनार
13. राष्ट्रपति भवन
14. लाल किला
15. सफदरजंग का मकबरा
16. गुरूद्वारा बांग्ला साहिब

परिशिष्ट–ख

Details of Repair Maintenance Expenditure or Various Projects Excluding Salary Component

Year	Azad Hind Gram	Boating	Chhawla	Kanganheri	Soft Adventure at Sanjay Lake	Dilli Haat INA	Dilli Haat Pitam Pura	Dilli Haat Janak Puri
2008-09	6.10	23.51	-	-	-	33.67	29.79	
2009-10	6.98	25.41	-	-	-	44.93	32.59	
2010-11	5.66	26.48	-	-	-	114.37	43.26	
2011-12	14.73	37.67	-	-	-	55.78	89.76	
2012-13	16.55	44.29	-	-	-	70.21	94.03	
2013-14	17.24	42.33	2.70	-		95.31	104.36	
2014-15	20.49	46.70	14.08	28.43	18.47	98.16	133.8	69.31
2015-16	28.24	56.70	9.33	18.53	-	184.69	102.62	87.14
2016-17	27.22	36.99	9.48	29.07	-	174.54	105.52	137.28
Total	143.21	340.08	35.60	76.03	18.47	871.66	735.73	293.73

Details of Capital Expenditure in r/o various projects commenced from 2008 onwards	*1,085.42*	*525.35*	*489.88*		*3135.00*	*12000.00*

परिशिष्ट—ग

Delhi Circle: Number of Demolation notices issued under 19(1) & 19(2) AMASR Act, 1938

Sl. No.	*Name of Monument*	*Show Cause Notice issued*	*Request to DG ASI for 19(1)*	*19(1) issued by DG, ASI*	*Request to DG, ASI for 19(2)*	*19(2) demolition order issued by DG, ASI*	*Present Status*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	*Nila Gumbad, Hauz Khas*	*Nil*	-	-	-	-	*Encroached*
2	*Ancient Mosque, Palam*	*Nil*	-	-	-	-	*Encroached*
3	*Tughuluqabad Fort*	*485*	*461*	*421*	*421*	*344*	*The Extent of encraochement is being demarcated through total station method by the Revenue Authority (SDM*

1	2	3	4	5	6	7	8
							Kalkaji) in Compliance of direction of the Hon'ble High Court.
4	*Begampuri Masjid, Begampuri*	*84*	*41*	*41*	*41*	*41*	*Except mosque the area is fully encroached.*
5	*Sarai Shahji, Near Shivalik Malviyanagar*	*260*	*260*	*260*	*260*	*260*	*Fully encroached except Mahal*
6	*Joga Bai Mound*	*00*	*00*	*00*	*00*	*00*	*Fully encroached proposed for de-protection*
7	*Atgah Khan Tomb, H. Nizamuddin*	*20*	-	-	-	-	*Basement/Crypt encroached. These encroachers are to be rehabitat by AKTC*
	Total	*851*	*762*	*722*	*722*	*645*	

परिशिष्ट—घ

List of Centrally Protected Monuments under the jurisdiction of Delhi Circle, Archaeological Survey of India

Sl. No.	Name of Monument	Location	
		Locality	District
1	2	3	4
1	Moth-ki-Masjid	Behind South Extension-II	South
2	Mosque known by the name of ShamsiTallab together with both platform entrance gates.	Mehrauli Village	South
3	IronPillar, Hinduremains	Mehrauli (Qutb Complex)	South
4	Delhi fort or LalQila, NaubatKhana, Diwan-i-am, Mumtaz Mahal' Rang Mahal, Baithak,MaseuBurj, diwan-i-Khas' Moti Masjid, sawanBhadon,Shah Burj, Hammam with all surrounding including the gardens, paths, terraces and water courses.	Red Fort	North
5	The Gateway of Arab Sarai facing North towards Purana Qila	Near Humayun's Tomb	South East

1	2	3	4
6	***The Gateway of Arab Sarai facing East towards the tomb of Humayun***	***Near Humayun's Tomb***	***South East***
7	***The Afsah-wala-ki-Masjid situated outside the west gate of Humayun's tomb with its dalans and paved court.***	***Nizamuddin***	***South East***
8	***Humayun's tomb, its platforms, garden, enclosure walls and gateways Khasra No. 258 bounded on the east by Khasra No.l80&181&244 of Miri Singh and on west by Kh. No. 268 &253 on the north by Khasra No. 266, on the south by Kh No. 245 of Miri Singh &Kh. No. 248 & 249 of Sayyed Mohummad***	***Nizamuddin***	***South East***
9	***NilaGumbad outside the south corner of the enclosure of Humayun's tomb.***	***Nizamuddin***	***South East***
10	***The tomb of Isa Khan with its surrounding enclosure walls and turret, garden, gateways and mosque.***	***Nizamuddin***	***South East***
11	***The Tomb of Afsah-wala immediately near and to the south of Afsah-wala-ki-Masjid***	***Nizamuddin***	***South East***
12	***Remaining Gateways of Arab Sarai and of Abadi-Bagh-Buhalima***	***Near Humayun's Tomb***	***South East***
13	***The Qutab Archaeological area as now fenced in, including***	***Mehrauli Village***	***South***

	the Mosque, Iron Pillar (4th Century A.D.), Minar of Qutbud-din (12th and 13th Century A.D.), unfinished Minar (14th Century A.D.), all colonnades, screen arches, tomb of Altamash, college, buildings of Alaud-Din, Tomb of Imam Zamin and all carved stones in the above area with gardens, paths and water channels, and all gateways including the Alai-Darwaza (14th Century A.D.), also all graves in the above area		
14	*Tomb of Adham Khan (Rest House)*	*Mehrauli*	*South*
15	*HauzKhas:- Group of Building at HauzKhas consisting of the following i. The tomb of Ferozshah ii. Domed Building to the west of No. l iii. Dalan between 1&2 iv. Domed Building & its court to the south of No. 3, v. Dalans and all ruined Buildings to the north of no. 1 and existing upto No.10 vi. Five Chhatris to the East of No. 1& No.5 vii. Old Gate to the north of No.6 viii. Three Chhatris to the north-west of No.7ix. Ruined courtyard and its Dalans with the Domed building to the north-west to the No.8x. Old wall running east from No.4 xi. 2.23 Acres of land surrounding the above monuments and bouded on the North by house of Chhange and Mehra Chand sons of Hansram and house of Udairam, son of Kushla South Ghairmumkan Rasta East By village site belonging to village community. Others West By field no. 185 & 186.*	*HauzKhas*	*South*

1	2	3	4
16	*Gate and walls of Mubarakpur, Kotla in village Mubarakpur, Kotla*	*Kotla Mubrakpur Village*	*South*
17	*Tcmb and Mosque of MaulanaJamaliKamali*	*Mehrauli*	*South*
18	*Tcmb of Sultan Ghari*	*Malikpur Kothi opposite Vasant Kunj*	*South*
19	*Walls, gateways bastions and internal buildings of both inner and outer citadels of Tughlakabad Fort*	*Tughlaqabad*	*South East*
20	*Khirkee Masjid*	*Khirki Village near Malviya Nagar*	*South*
21	*Tomb of Khan-i-Khana*	*Nizamuddin*	*South East*
22	*Bara Pulah bridge near Nizammudin*	*Nizamuddin*	*South East*
23	*The NilaChhatri or SabzBurj, once used as a Police Station at Nizam-ud-Din.*	*Nizamuddin*	*South East*
24	*The ChausathKhamba or tomb of Mirza Aziz Kokaltash*	*Nizamuddin*	*South East*
25	*The Grave of Jahanara Begum*	*Nizamuddin-*	*South East*

26	*The Grave of Muhammad Shah*	*Nizamuddin.*	*South East*
27	*The Grave of Mirza Jahangir*	*Nizamuddin*	*South East*
28	*Bara Khamba outside north entrance to shrine*	*Nizamuddin*	*South East*
29	*Gateways of RaiPithoria's Fort*	*LadoSarai Village*	*south*
30	*Walls of LalKot and RaiPithora's fort from Sohan Gate to Adham Khan's tomb including the ditch where there is an outer wall*	*Mehrauli*	*South*
31	*Walls of LalKot and RaiPithora's fort at the point where they meet together, near JamaliKamali*	*Mehrauli*	*South*
32	*Wall of RaiPithora's fort including gateways and bastions, near BaghNazirto a bastions immediately to North of Qutb-Tughlaqabad Road.*	*Mehrauli*	*South*
33	*Bastion, where a wall of Jahanpanah meets the wall of Rai Pithora's fort, Adchini*	*Adchini*	*South,*
34	*Ramp and gateways of RaiPithora's Fort, Adchini*	*Adchini*	*South*
35	*Wall of RaiPithora's Fort and Jahanpanah at the point where they meet together*	*Hauz Rani Village*	*South*
36	*Badaun Gates,*	*Lado Sarai Village*	*South*

1	2	3	4
37	A Gateway of Lalkot,	Lado Sarai Village	South
38	Old Baoli known as Diving Wall in Mauza locally known as (Gandhak-ki-baoli), Mehrauli	Mehrauli	South
39	Walls, gate and bastions of Adilabad (Muhammadabad) and causeway leading there to from Tughlaqabad.	Tughlaqabad	South East
40	Bijay Mandal, neighbouring domes, buildings and dalan to north of Begumpur	Malviya Nagar	South
41	Jahaz Mahal in Mehrauli	Mehrauli Village	South
42	Kala Gumbad	Kotla Mubrakpur Village	South
43	Inchla Wali Gumti	Kotla Mubrakpur Village	South
44	Tombs of Bade-Khan, and Mubarakpur Kotla, Kotla	Kotla Mubrakpur Village	South
45	Tombs of Chote Khan, Mubarakpur, Kotla	Kotla Mubrakpur Village	South
46	Begumpuri Masjid	Begumpur	South

47	*Nai-ka-kot in Tughlaqabad*	*Tughlaqabad*	*South East*
48	*Tomb of GhiyasuddinTughlaqabad. walls and bastions, gates and causeway including the tomb of Daud Khan*	*Tughlaqabad*	*South East*
49	*Hauz Shamsi, with central red stone pavilion situated at Mehrauli in field Nos. 1574-81, 1588-97, 1614, 1623 & 1624, owner Government*	*Mehrauli*	*South*
50	*Tomb of Sheikh Kabir-ud-Din also known as Rakabwala Gumbad in field no.84 min. situated at sarai Shah 31 property of ThoksShahpur and Adhehini*	*Malviya Nagar*	*South*
51	*Tomb of Usuf-Qattal situated at Khirki*	*Khirki Village near Malviya Nagar*	*South*
52	*Old Palace of Bahadur Shah II alias LalMahal in Mehrauli*	*Mehrauli Village*	*South*
53	*Tomb of Bahlol Lodi*	*Chirag Delhi*	*South*
54	*Tomb of Mubarik Shah in Mubarikpur, Kotla*	*Kotla Mubrakpur Village*	*South*
55	*Internal buildings ofSiri Mohammadi wali-Kh. No. 14 Shahpur Jat Makhdumki Kh. No. 255 Shahpur Jat Thana wala Shahpur Jat*	*Shahpur Jat Village*	*South*
56	*Nili Mosque*	*Hauz Khas Enclave*	*South*

1	2	3	4
57	*Tomb of Mohammad Tughlak Shah at Tughlaqabad*	*Tughlaqabad*	*South East*
58	*Walls of old City of Tughlaqabad.*	*Tughlaqabad*	*South East*
59	*Satpula-III-216*	*Khirki Village near Malviya Nagar*	*South*
60	*Tomb of MirzaMuzaffer, ChotaBatasha*	*Nizamuddin*	*South East*
61	*Unknown tomb*	*Nizamuddin*	*South East*
62	*Baoli, Munirka*	*Munirka*	*South*
63	*Munda Gumbad, Munirka*	*Munirka*	*South*
64	*Unnamed Mosque, Munirka, 314*	*Munirka*	*South*
65	*Unnamed Tomb, Munirka 313*	*Munirka*	*South*
66	*Unnamed Tomb, Munirka 315*	*Munirka*	*South*
67	*Unnamed Tomb, Munirka 316*	*Munirka*	*South*
68	*Unnamed Tomb, Munirka 317*	*Munirka*	*South*
69	*Wall mosque at Mehrauli*	*Mehrauli*	*South*

70	*i. Unnamed Mosque, Munirka 321*	*Munirka*	*South*
	ii. Unnamed Mosque, Munirka 322		
71	*Tomb with three domes near Rly.Station*	*Nizamuddin*	*South East*
72	*Wazir Pur-ki-Gumbad, Munirka 312*	*Munirka*	*South*
73	*Tomb of MirzaMuzaffar, Bara Batasha*	*Nizamuddin*	*South East*
74	*Unnamed tomb, Mohammad Pur Village*	*Mohammad Pur Village*	*South*
75	*Tin Burji Wala Gumbad, Mommad Pur Village*	*Mohammad Pur Village*	*South*
76	*Bandi or PotikaGumbad III-280*	*Hauz Khas %'*	*South*
77	*ChorMinarNo. 289 Vol III*	*Hauz Khas*	*South*
78	*Idgah of Kharehra*	*Hauz Khas Enclave*	*South*
79	*Lai Gumbad, Chirag Delhi*	*Chirag Delhi*	*South*
80	*Tomb of Amir Khusro*	*Nizamuddin*	*South East*
81	*Baoli*	*Nizamuddin*	*South East*
82	*Tomb of NizamuddinOlia*	*Nizamuddin*	*South East*

1	2	3	4
83	Bag-i-AlamGumbad with a Mosque	Humayunpur Village (Hauz Khas)	South
84	Kali Gumti	HauzKhas	South
85	Tohfewala Gumbad	Humayunpur Village (Hauz Khas), Shahpur Jat	South
86	Bara Khamba-285	Hauz Khas	South
87	Biran-Ka-Gumbad-282	Hauz Khas	South
88	Biwi or Dadi-ka-Gumbad-281	Hauz Khas	South
89	Choti Gumti	Hauz Khas .	South
90	Sakri Gumti-284	Hauz Khas Enclave near Green Park	South
91	MandiMosque	Lado Sarai Village	South
92	Rajon-ki-Bain with Mosque and Chatri	Lado Sarai	South

		Village	
93	*Tomb of Tagah or Atgah Khan*	*Nizamuddin*	*South East*
94	*Tomb of Bhure Khan*	*Kotla Mubrakpur Village*	*South*
95	*Enlosure containing the tomb of Shah AlamBahadur Shah, Shah Alam II and Akbar Shah II*	*Mehrauli*	*South 1*
96	*Moti Masjid*	*Mehrauli Village*	*South*
97	*Arab Sarai*	*Near Humayun's Tomb*	*South East*
98	*LakkarwalaGumbad (Tomb)*	*Near Humayun's Tomb*	*South East*
99	*Sunderwala Burj*	*Near Humayun's Tomb*	*South East*
100	*Sunderwala Mahal*	*Near Humayun's Tomb*	*South East*
101	*Mosque attached to Mubarak shah Tomb*	*Kotla Mubrakpur*	*South*
		Village	
102	*Ruined line of walls, bastions & gateways of siriKh. No. 88, 265 &447 of village ShahpurJat*	*Shahpur Jat Village*	*South*

1	2	3	4
103	Mound known as JogaBai	Jamia Nagar	South East
104	Ashokan Rock Edict at Bahapur	East of Kail ash	South East
105	AncientMosque (Babur'sPeriod) togetherwith adjacent area comprised in part of Survey plot No. 177	Palam Village	South West
106	Group of monuments atSaraiShahji	Malviya Nagar	South
107	Unknowntombsaid to be of Azim Khan	LadoSarai Village	South
108	Fortification Wall Asad Burj, Water gate, Delhi Gate, Lahori Gate, JahangiriGate, Chhattra Bazar, Baoli	Red Fort	Central
109	Salimgarh Fort, comprising the main gate on North, Ancient structure near the main gate and the entire fortification wall	Red Fort	Central
110	Area between Balban Khan's Tomb &JamaliKamali	Lado Sarai	South
111	Mazar of MirzaGhalib	Nizamuddin	South East

List of 19 Protected Monuments notified under the provisions of "The Delhi Ancient and Historical Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 2004"

Sl. No.	Name of the Monument	Location
1	Northern Gateway	Badarpur
2	Central Gateway	Badarpur
3	Southern Gateway and enclosure remains	Badarpur
4	Kos Minar	Badarpur
5	Kos Minar	Badarpur
6	Kos Minar	Village Mahigirm (near Apollo Hospital)
7	Tomb of Muhammad Quli Khan	Ladha Sarai, Archaeological Park, Mehrauli
8	Horse Stable	Ladha Sarai, Archaeological Park, Mehrauli
9	Tomb	Ladha Sarai, Archaeological Park, Mehrauli
10	Tomb	Ladha Sarai, Archaeological Park, Mehrauli
11	Munda Gumbad	District Park, Hauz Khas
12	Mutiny Memorial	Kamla Nehru Ridge
13	Northern Guard House	Kamla Nehru Ridge
14	Southern Guard House	Kamla Nehru Ridge

Sl. No.	Name of the Monument	Location
15	*Mosque of Darwesh Shah*	*DDA Park, Near Siri Fort Auditorium, Khel Gaon*
16	*Tomb of Sayyid Yasin*	*Near I.T.I. Nizamuddin*
17	*Sarai of Azimganj*	*National Zoological Park*
18	*Tomb*	*National Zoological Park*
19	*Tomb*	*National Zoological Park*

453. श्री नारायण दत्त शर्मा : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली सरकार के पर्यटन विभाग ने पिछले 15 वर्षों में क्या–क्या प्रचार सामग्री और पर्यटन सामग्री प्रकाशित कराई;

(ख) कितने कैलेंडर, कितनी डायरियां और कितने फोल्डर प्रकाशित कराये;

(ग) इन सब कुल कितना धन व्यय किया गया;

(घ) किस–किस वरिष्ठ अधिकारी की स्वीकृति, अनुसंशा ओर वित्तीय स्वीकृति से उक्त कार्यों को किया गया?

पर्यटन मंत्री : (क) पिछले 15 वर्षों में प्रकाशित प्रचार सामग्री और पर्यटन सामग्री का विवरण परिशिष्ट–ए में संलग्न है।

प्रचार सामग्री और पर्यटन सामग्री के पकाशन का खर्च वार्षिक प्लान फंड के अंतर्गत पर्यटन विभाग, दिल्ली सरकार के लिए किया गया।

कलैंडर और डायरियों का प्रकाशन डी.टी.टी.डी.सी. द्वारा अपने खर्च पर किया गया।

(ख) डी.टी.टी.डी.सी. द्वारा वर्ष 2003 से 2018 तक प्रकाशित किये गये कलैंडर और डायरियों का विवरण परिशिष्ट ए और बी में उपलब्ध है।

(ग) इन सब का कुल खर्च 3,85,42,448 रुपये है। विवरण परिशिष्ट–बी में उपलब्ध है।

(घ) सामान्यतः कैलेंडर व डायरियों के लिए माननीय पर्यटन मंत्री/माननीय उपमुख्य मंत्री/माननीय मुख्य मंत्री अथवा सक्षम अधिकारी की सहमती/स्वीकृति ली गयी थी।

पर्यटन विभाग, दिल्ली सरकार की ओर से प्लान फंड खर्चों के लिए व निजी खर्चों के लिए डी.टी.टी.डी.सी. के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्वीकृति, अनुसंशा और वित्तीय स्वीकृति के लिए सक्षम अधिकारी हैं।

परिशिष्ट–ए

Expenditure Statement of Publicity / Production of Tourist literature (Annexure-A) (w.e.f. 2003-2018)

Sl. No.	*Publication*	*Amount (in Rs.)*
1	*2*	*3*
1	*Brochures of Welcome to Asia Campaign (10000/*	*29,000*
2	*Miniature Prints: printing of miniature prints in foreign languages for use in forejgn trade marts*	*30,000*

1	2	3
3	Brochure on seven different topics like - museums, shopping's, park, art, galleries, metro etc.	2,28,000
4	Folders on Delhi Tours	1,18,576
5	Folders containing information on Lodhi Garden and adjoining areas	2,00,000
6	Brochure on Ho-ho	6,18,000
7	Printing & Designing Ho-ho	2,66,440
8	Brochure on Ho-Ho	19560
9	Printing of Poster - SATTE	5,471
10	Printing of leaflets (Tours) 1,00,000 nos.	47,777
It	Printing of Mango Festival Souvenir	2,69,000
12	Printing of leaflets Itr & Sugandhi Mela-12	49,000
13	Printing of Brochure English Language (B&B)	29,956
14	Printing of Ho-Ho Pamphlet	12,630
15	Printing of leaflets of Garden Tourism Festival - 2012	54,000
16	Printing of Brochures B&B scheme 'German'	42,500 + 24169
17	Printing of Brochure Dilli Hat - JP	14,438
18	Printing of Booklet-Magic Festival - 12	2,69,000
19	Printing of Bed & Breakfast Folder (25000)	87,000
20	Printing of Nature Bazar Brochure (25000)	87,500
21	Printing of Regular tour leaflet (1 lakh) Delhi Brochure (50000)	2,24,720

1	*2*	*3*
22	***Printing of Ho-Ho leaflets***	***1,21,810***
23	***Printing of kite Festival Booklet (10000) Content creation & design***	***2,69,000 10,000***
24	***Printing of Dilli Ke Pakwaan Booklet (10000) Design & content creation charges***	***2,69,000 10,000***
25	***Printing & Designing Booklet - Hindi Patrika (2500)***	***1,32,023***
26	***Printing of Coffee Table Book(500)***	***6,12,500***
27	***Printing of Garden Tourism Festival Souvenir (10000) Content & design charges***	***2,69,000 10,000***
28	***Printing of Itr & Sugandhi Mela souvenir Content & Design charges***	***2,69,000 10,000***
29	***Delhi Tourist Map (1 lakh) Delhi Metro (1 lakh)***	***13,00,000***
30	***Delhi Tourist & Metro Map (1 lakh)***	***13,00,000***
31	***Designing & Printing Booklet - Hindi Patrika***	***1,45,023***
32	***Printing of Souvenir on Mango Festival (10000) Content & Design charges***	***2,69,000 10,000***
33	***Printing of Brochure on Dilli Haat-JanakPuri (10000) Designing charges***	***47,500 44,944***
34	***Designing charges — Delhi 100 years***	***20,000***
35	***Production of Brochure of Dilli Haat — Janak Puri***	***78,120***
36	***Printing of publicity material GTB memorial - leaflet, brochures, entry tickets & bookmark***	***2,25,277***
37	***Printing of Ticket for GTB Light & Sound Show (10000)***	***21,000***
38	***Design & Printing - Hindi Patrika 3rd edition (2500)***	***1,32,023***

1	*2*	*3*
39	*Designing & Printing of Manual of Office Procedure (25)*	*23,125*
40	*Printing of Ho-Ho leaflets (40000)*	*39,200*
41	*Printing of Bookmark with Ribbon (10000)*	*36,350*
42	*Printing of Handbills - E-Ticketing (20000)*	*23,800*
43	*Printing of Handbill for Dilli Haat - Janak Puri (20000)*	*23,800*
44	*Printing of Dilli ke Pakwaan Souvenir Design & supervision*	*3,51,750* *15,000*
45	*Printing of GTF- 15 Souvenir (5000) Design & supervision*	*1,96,630* *15,000*
46	*Printing of leaflets on Heritage Walks (10000)*	*13,388*
47	*Printin g of leaflets on Heritage Walks*	*21,263*
48	*Printing of Brochure on Nature Bazaar (10000)*	*21,263*
49	*Printing of Tourist Map - Delhi Heritage & Tourist Map (3000)*	*36,000*
50	*Printing of Ho-ho leaflets (4000)*	*45,360*
51	*Printing of leaflets for DITTM (5000)*	*15,696*
52	*Printing of Poster E-Ticketing online Booking*	*6,930*
53	*Printing of Citizen Charter (2000)*	*9,240*
54	*Printing of Brochure - Heritage & City walk*	*26,000*
55	*Printing of Brochure on Garden Tourism Festival -2016*	*35,700*
56	*Designing & printing of Brochure — Heritage & City walks*	*26,000*
57	*printing of brochure of DH- Janak Puri & Pitam Pura (25000)*	*3,62,000*

1	*2*	*3*
58	*Printing of brochure of Dilli Haats - INA, JP & PP (10000)*	*3,12,000*
59	*Des igni ng of Booklets of Garden of Five Senses*	*5,62,000*
60	*Printing of Brochure on Kalam Memorial (10000)*	*47,200*
	Designing charges	*46,000*
61	*Printing of Brochure on Delhi Cinemagic (10000)*	*7,59,360*
62	*Printing of Brochure on MICE Destination*	*98,858*
63	*Printing of Brochure - Cycle Tours (12000)*	*1,58,400*
64	*Mango Festival - 2004 Entry Ticket, Invitation cards (2000) Brochure (1500), Placards (1500), duty pass (300)*	*76,070*
65	*Chhawla Kanganheri- Invitation card (1200)*	*10,787*
66	*Mango festival - 2007 Entry Ticket (20000), Invite (5000), Leaflet (5000), Placards (1500), duty pass (300)*	*83,821*
67	*Mango Festival - 2006 Entry Ticket (20000), Invite (5000), Brochure (10000), Placards (1500), duty pass (300), Digital Panel(10)*	*1,42,600*
68	*Garden Tourism Festival — 2008 Entry Tickets (7500) Invitation Cards (2500), Poster (200) Production of Schedule (500), Leaflets (15000)*	*53,320*
69	*Garden Tourism Festival - 2009 Invitation Cards (5000), Leaflets (10000)*	*31,000*
70	*Garden Tourism Festival — 2010 Invitation Cards (4000), Poster (400)*	*80,579*
71	*Inauguration of Madhuban Chowk Underpass Invitation cards (1000)*	*4,212*

1	*2*	*3*
72	***Foundation Stone Laying Ceremony-Prem Bari Underpass Invitation Card (3000)***	***11,489***
73	***Dilli Ha at Laying Ceremony Pitam Pura Invitation cards (800)***	***3,615***
74	***Guru Teg Bahadur Memorial Foundation Laying Stone Ceremony - Invitation Cards (110000), Stickers (1500)***	***63,270***
75	***Qutub Festival-2005 Entry Tickets (8000), Invitation Cards (2000), Poster***	***31,200***
76	***Qutub Festival - 2006 Invitation Cards, Posters, Flyers***	***1,76,800***
77	***Qutub Festival - 2007Artist Profiles (3000), Invitation Cards (10650), Poster (50)***	***54,985***
78	***Printing of Booklet on Qutub (2000)***	***3,60,984***
79	***Basant-10 Invitation cards***	***11,583***
80	***Sharad Utsav & Holi Milan 2006 Invitation card (1000), Poster (100)***	***2,142***
81	***Blue Band Performance Invitation, Poster & Hand Bills***	***27,500***
	Total Amount (Folder & Tourist Literature)	***1,28,55,227***
	Total Amount of Calendars & Diaries	***2,56,87,221***
	Grand Total	***3,85,42,448***

परिशिष्ट–ए

Year wise printing / production cost 01 Calendars & Diaries

Years	Calendars Qty. Printed	Diaries Qty. Printed	Printing/Production Cost in Rs.
1	2	3	4
2003	6000	5000	5,98,998
2004	9271	9271	6,30,022
2005	6500	8200	7,84,596
2006	8000	8000	11,16,600
2007	8000	7000	11,96,512
2008	8970	6,000	11,43,734
2009	7118	12000	9,73,947
2010	12490	9508	15,79,068
	2000 Special Calendar to (Commemorate CWG)	--	16,63,050
2011	11500	7000	15,79,068
2012	Not Printed		
2013	23000	10000	41,01,745
2014	6500	7000	18,64,500

1	*2*	*3*	*4*
2015	***6000***	***5500***	***19,41,195***
2016	***6000***	***5500***	***34,46,769***
2017	***6000***	***6500***	***17,03,462***
2018	***7000***	***7500***	***13,63,955***
Total	***1,32,349***	***1,13,979***	***2,56,87,221***

454. श्री दिनेश मोहनिया : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार के पर्यटन विभाग ने दिल्ली में स्थित ऐतिहासिक स्मारकों के साथ संक्षिप्त विवरण को दर्शाते पत्थरों के पट्ट लगाये थे;

(ख) आज उनकी क्या स्थिति है;

(ग) क्या यह सत्य है कि उन स्मारकों पर लोगों ने कब्जा कर उन्हें कुछ अन्य रूप दे दिया है;

(घ) यदि हाँ, तो पर्यटन विभाग और दिल्ली के पुरातत्व विभाग ने इस पर क्या कार्रवाई की; और

(ङ) ऐसे सभी पुरातत्वीय महत्व के ऐतिहासिक स्मारकों की फोटो के साथ सूची उपलब्ध करायी जाये;

(च) दिल्ली में पुरातत्व महत्व के जिन स्मारकों पर कब्जा है, उनकी सूची क्या है?

पर्यटन मंत्री : (क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारत सरकार द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, के दिल्ली मंडल के अधीन संरक्षित स्मारकों में दिल्ली सरकार के पर्यटन विभाग ने दिल्ली में स्थित ऐतिहासिक स्मारकों के साथ संक्षिप्त विवरण को दर्शाते पत्थरों के पट्ट नहीं लगाए थे।

हालांकि, डी.टी.डी.सी. ने सैन्टरल स्पोंसर्ड स्कीम के अंतर्गत सरकार के लिए वर्ष 2002–03 में चांदनी चौंक में साईनेज लगाये थे, जिसमें चांदनी चौंक की प्रमुख हैरिटेज बिल्डिंगों का विवरण दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, डी.टी.टी.डी.सी. ने वर्ष 2005–06 में दिल्ली सरकार की प्लान स्कीम 'पर्यटन आधारभूत ढांचा' के अंतर्गत व भारत सरकार के फंड से प्रमुख चुनिंदा हैरिटेज स्मारकों पर सरकार के लिए साईनेज लगाये थे।

ये दोनों कार्य ईंटैक संस्था द्वारा कराये गये थे।

(ख) से (ङ) इन ऐतिहासिक स्मारकों का संचालन, नियंत्रण व रखरखाव पर्यटन विभाग, दिल्ली सरकार के पास नहीं है। साईनेज का रखरखाव भी पर्यटन विभाग, दिल्ली सरकार के पास नहीं है।

(च) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारत सरकार द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, दिल्ली मंडल के अधीन 7 केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों पर अतिक्रम है जिसकी सूची **परिशिष्ट–क** पर संलग्न है।

परिशिष्ट—क

List of Centrally Protected Monuments in Delhi Circle which are under encroachment

Sl. No.	Name of Monuments	Area of Monuments	Area of encroachment	Present status
1.	Nili Masjid, Hauz Khas	0.08 Acr	Fully encroached	Unauthorized occupation/ encroachment. The monument was under religious use at the time of notification.
2	Ancient Mosque, Palam	0.003 Acr	Fully encroached	Unauthorized occupation/ encroachment. The monument was under religious use at the time of notification.
3	Tughluqabad Fort	560.20	The extent of encroachment is being demarcated through Total Station Method by the Revenue Authority (SDM Kalkaji) in compliance of direction of the Hon'ble High Court.	The matter is subjudice in the Hon'ble High Court, Delhi. (A copy of status note is enclosed).
4	Begumpuri Masjid, Begumpur	3.97 Acr	Except mosque the area is fully encroached	The Hon'ble High Court of Delhi has accorded its approval in respect to demarcation of the protected area of the monument

				carried by Total Station Method. The matter regarding removal of encroachments in accordance with law is yet to be processed.
5	*Sarai Sliahji.near Shivalik Malviya Nagar*	*3.2123 Acr*	*Fully encroached except Mahal*	*The matter regarding removal of encroachments from the protected area of the monument is to be taken up by the Dy. Commissioner, South District. Further three court cases are pending before the Hon'ble High Court i.e. Rati Ram, V/s UOT, Jaipal V/s UOI and Molana Mohd Ali Johar V/s UOI*
6.	*Joga bai Mound*	*1.26 Acr*	*Fully encroached*	*The mound is fully encroached upon since long and has been recommended for de-protection vide letter No. DC-11/CN1A/ 2013-1073 dated 18.12.2013.*
7	*Atgah Khan's Tomb, Hazrat Nizamuddin,*		*Basement/Crypt encroached*	*The basement of the monument is encroached. Show couse noticees issued to encroachers under intimation to other civic law enforcing agencies.*

455. श्री महेन्द्र गोयल : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि रोहिणी सेक्टर–11 स्थित स्वर्ण जयंती पार्क को पर्यटन विभाग दिल्ली विकास प्राधिकरण से हस्तांतरित करने की योजना पर सरकार विचार कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में हुई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) रिठाला विधानसभा क्षेत्र के लिए पर्यटन विभाग की कौन सी योजनाएं विचाराधीन हैं?

पर्यटन मंत्री : (क) जी नहीं। वर्तमान में पर्यटन विभाग, दिल्ली सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है।

(ख) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

(ग) दिल्ली पर्यटन ने स्वर्ण जयंती पार्क में नवंबर, 2011 से अक्तूबर, 2014 तक बोटिंग का आयोजन किया था। झील में पर्याप्त पानी नहीं होने के कारण बोटिंग बंद करनी पड़ी।

(घ) पर्यटन संबंधी योजनाएं विधान सभा क्षेत्र अनुसार तैयार करना संभव नहीं होता है। योजनायें पर्यटक स्थल, संभावित पर्यटक सुविधाओं आदि की उपलब्धता पर निर्भर करती हैं।

456. श्री अजेश यादव : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली सरकार कर पुरातत्व विभाग दिल्ली में कितने ऐतिहासिक स्मारकों और ऐतिहासिक महत्व के भवनों का रखरखाव करता है;

(ख) इन ऐतिहासिक स्मारकों और भवनों के नाम, पता और उनके रखरखाव पर आने वाली सालाना खर्च की राशि क्या है;

(ग) क्या ऐसे कुछ ऐतिहासिक स्मारकों या भवनों के आसपास अतिक्रमणकारियों के कब्ज़ा करने की सूचना विभाग की पास है? यदि हाँ, तो विभाग ने क्या–क्या कार्रवाई अब तक की है इनकी स्टेटस रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए। यदि कार्रवाई नहीं की गई तो किसके हस्तक्षेप से नहीं की गई है?

उप मुख्यमंत्री : (क) पुरातत्व विभाग, दिल्ली सरकार वर्तमान में 19 संरक्षित समारकों का रखरखाव करता है।

(ख) उपरोक्त (क) में वर्णित ऐतिहासिक स्मारकों की नाम व पता सहित सूची **संलग्न** है। उनके रखरखाव पर लगभग 80 लाख रुपए का सालाना खर्च होता है।

(ग) उपरोक्त (क) व (ख) में वर्णित पुरातत्व विभाग, दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले 19 ऐतिहासिक संरक्षित स्मारकों पर कोई भी अतिक्रमण/कब्ज़ा नहीं है।

DEPARTMENT OF ARCHAEOLOGY
GOVERNMENT OF NCT OF DELHI

List of 19 Protected Monuments notified under the provisions of "The Delhi Ancient and Historical Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 2004"

Sl. No.	Name of the Monument	Location
1	Northern Gateway	Badarpur
1	Northern Gateway	Badarpur
2	Central Gateway	Badarpur
3	Southern Gateway and enclosure remains	Badarpur
4	Kos Minar	Badarpur
5	Kos Minar	Badarpur
6	Kos Minar	Village Mahigirm (near Apollo Hospital)
7	Tomb of Muhammad Quli Khan	Ladha Sarai, Archaeological Park, Mehrauli
8	Horse Stable	Ladha Sarai, Archaeological Park, Mehrauli
9	Tomb	Ladha Sarai, Archaeological Park, Mehrauli
10	Tomb	Ladha Sarai, Archaeological Park, Mehrauli

Sl. No.	*Name of the Monument*	*Location*
11	*Munda Gumbad*	*District Park, Hauz Khas*
12	*Mutiny Memorial*	*Kamla Nehru Ridge*
13	*Northern Guard House*	*Kamla Nehru Ridge*
14	*Southern Guard House*	*Kamla Nehru Ridge*
15	*Mosque of Darwesh Shah*	*DDA Park, Near Siri Fort Auditorium, Khel Gaon*
16	*Tomb of Sayyid Yasin*	*Near I.T.I. Nizamuddin*
17	*Sarai of Azimganj*	*National Zoological Park*
18	*Tomb*	*National Zoological Park*
19	*Tomb*	*National Zoological Park*

457. श्री जगदीप सिंह : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग में कितने अधिकारी और कर्मचारी तैनात हैं;

(ख) इनमें से कितने एक्स कैडर हैं और कितने नॉन टेक्निकल हैं;

(ग) कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग द्वारा विभिन्न अकादमियों के गठन की प्रक्रिया के विषय में जानकारी दी जाए;

(घ) पिछले 15 वर्षों के दौरान विभिन्न अकादमियों की गठित गवर्निंग बॉडी और कार्यकारी समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं?

उप मुख्यमंत्री : (क) **कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग** :

अधिकारी – 05

कर्मचारी – 07

(ख) **कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग** :

एक्स कैडर : 02

नॉन टेक्निकल/मिनिस्ट्रियल : 10

(ग) **कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग** : नई अकादमी के गठन के लिए सर्वप्रथम माननीय मंत्री (कला, संस्कृति एवं भाषा) की अनुमति से विभाग द्वारा मंत्रिमंडल की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजा जाता है। मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर माननीय उपराज्यपाल की स्वीकृति मिलने के बाद नई अकादमी के गठन की प्रक्रिया शुरू की जाती है। क्योंकि अकादमी स्वायत संस्था होती है अतः इसका पंजीकरण सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत किया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री अकादमी की कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष होते हैं तथा उनके द्वारा ही उपाध्यक्ष एवं कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों का नामांकन किया जाता हैं। अकादमी का सचिव कार्यकारिणी समिति का सदस्य सचिव होता है तथा इसकी नियुक्ति विभाग द्वारा की जाती है।

(ग) **साहित्य कला परिषद्** : सूची संलग्न है।

मैथिली भोजपुरी अकादमी : सूची संलग्न है।

उर्दू अकादमी : सूची संलग्न है।

संस्कृत अकादमी : सूची संलग्न है।

हिंदी अकादमी : सूची संलग्न है

पंजाबी अकादमी : वर्ष 2009 से वर्ष 2017 तक गठित की गई गवर्निंग बॉडी और कार्यकारी समिति के सदस्यों की **सूची संलग्न है[1]।** इनसे पहले की सूची उपलब्ध नहीं है।

सिंधी अकादमी : सूची संलग्न है।

डॉ. गोस्वामी गिरधारी लाल शास्त्री प्राच्य विद्या प्रतिष्ठानम : सूची संलग्न है[1]।

458. श्री विशेष रवि : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली सरकार के अधीन भाषा के विकास के लिए कितने अकादमियों पिछले 15 वर्षों के दौरान बनाई गई;

(ख) इन अकादमियों के उल्लेखनीय कार्यों की जानकारी उपलब्ध कराई जाए;

(ग) पिछले 15 वित्त वर्ष के दौरान इन अकादमियों के बजट की जानकारी दें;

(घ) इन अकादमियों में कार्यरत सचिवों के चयन की प्रक्रिया बतायें;

(ङ) पिछले 15 वर्षों के दौरान इन अकादमियों में अधीनस्थ स्टाफ की भर्ती कैसे की गई, सिलसिलेवार ब्यौरा दें?

---

[1] सभी संलग्नक ***www.delhiassembly.nic.in*** पर उपलब्ध।

उप मुख्यमंत्री : (क) दिल्ली सरकार के अधीन भाषा के विकास के लिए पिछले 15 वर्षों के दौरान एक अकादमी, **मैथिली–भोजपुरी अकादमी,** वर्ष 2008 में बनाई गई।

(ख) **मैथिली–भोजपुरी अकादमी** के कार्यों की जानकारी संलग्न है।

(ग) **मैथिली–भोजपुरी अकादमी** के संबंध में सूचना इस प्रकार है:

वर्ष	बजट (रु. लाख)
2008—09	30.0
2009—10	40.00
2010—11	160.00
2011—12	60.00
2012—13	20.00
2013—14	50.00
2014—15	100.00
2015—16	100.00
2016—17	115.00
2017—18	190.00

(घ) अकादमियों में कार्यरत सचिवों का चयन अधिसूचित भर्ती नियमों के तहत किया जाता है। (**प्रतिलिपि संलग्न है**)

(ङ) **मैथिली–भोजपुरी अकादमी** : मैथिली–भोजपुरी अकादमी, दिल्ली में अभी तक मात्र तीन नियुक्तियां हुई हैः

1. अवर श्रेणी लिपिक – 1
2. चतुर्थ श्रेणी लिपिक – 2

उक्त नियुक्तियां कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन से तदर्थ आधार पर की गई हैं।

459. श्री पंकज पुष्कर : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बस्ती विकास केन्द्र जो डीयूएसआईबी (शहरी आश्रम बोर्ड) द्वारा झुग्गी बस्तियों के विकास के लिए बनाये गए हैं, उनमें भाषा विकास पुस्तकालय स्थापित कर सकता है;

(ख) यदि हाँ, तो इसकी क्या प्रक्रिया है;

(ग) नए पुस्तकालय खोलने की विभाग की क्या प्रक्रिया है;

(घ) वर्तमान में पूरी दिल्ली में कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग की विभिन्न अकादमियों के कुल कितने पुस्तकालय संचालित हैं? कृपया पूर्ण विवरण उपलब्ध करवाएं;

(ङ) विगत 3 वर्षों में कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग की विभिन्न अकादमियों के माध्यम से कुल कितने नए पुस्तकालयों की स्थापना हुई है;

(च) कला, संस्कृति, एवं भाषा विभाग की विभिन्न अकादमियों के माध्यम से पहले से संचालित पुस्तकालयों पर वर्षवार अलग–अलग मदों पर होने वाला व्यय का विवरण क्या है;

(छ) यदि सार्वजनिक भूमि उपलब्ध हो/या उपलब्ध करा दी जाए तो क्या नया भवन बनाकर लाइब्रेरी बनाने की प्रक्रिया अपना सकता है;

(ज) यदि हाँ, तो इसकी प्रक्रिया क्या होगी?

उप मुख्यमंत्री : (क) विभाग के पैटर्न ऑफ असिस्टेंस के अनुसार दिल्ली के सभी विधान सभा क्षेत्रों में अधिकतम 02 पुस्तकालय खोलने की व्यवस्था है। इस योजना के तहत इस विभाग द्वारा पुस्ताकलय स्थापित नहीं किया जाता अपितु नया पुस्ताकलय स्थापित नहीं किया जाता अपितु नया पुस्तकालय खोलने हेतु विभाग द्वारा एनजीओ/आरडब्ल्यूए को रु. 1,03,000/– व उसके बाद सच्चालन हेतु प्रति वर्ष रु. 40,000/– दो समान किश्तों में दिए जाते हैं। प्रार्थी एनजीओ/आरडब्ल्यूए डीयूएसआईबी (शहरी आश्रम बोर्ड) की अनुमति से अनेक विकास केन्द्र में भी यह पुस्तकालय खोल सकते हैं

(ख) उपरोक्त 'क' के अनुसार।

(ग) विभाग के पैटर्न ऑफ असिस्टेंस के अनुसार दिल्ली के सभी विधान सभा क्षेत्रों में अधिकतम 02 पुस्तकालय खोलने की व्यवस्था है। नया पुस्तालय खोलने हेतु विभाग द्वारा एनजीओ/आरडब्ल्यूए को रु. 1,03,000/– व उसके बाद सच्चालन हेतु प्रति वर्ष रु. 40,000/– दो समान किश्तों में दिए जाते हैं। प्रार्थी एनजीओ/आरडब्ल्यूए डीयूएसआईबी (शहरी आश्रम

बोर्ड) की अनुमति से उनके विकास केन्द्र में भी यह पुस्तकालय खोल सकते हैं।

(ख) उपरोक्त 'क' के अनुसार।

(ग) विभाग के पैटर्न ऑफ असिस्टेंस के अनुसार दिल्ली के सभी विधान सभा क्षेत्रों में अधिकतम 02 पुस्तकालय खोलने की व्यवस्था है। नया पुस्तकालय खोलने हेतु विभाग द्वारा एनजीओ/आरडब्ल्यूए को रु. 1,03,000/– व उसके बाद संचालन हेतु प्रति वर्ष रु. 40,000/– दो समान किश्तों में दिए जाते हैं, जिसमें से 70% किताबें व समाचार पत्र खरीदने हेतु व 30% सैलरी पर खर्च किया जाना चाहिए। नया पुस्तकालय खोलने के लिए कोई भी एनजीओ/आरडब्ल्यूए आवेदन कर सकता है परन्तु संबंधित विधान सभा क्षेत्र के विधायक की संस्तुति आवश्यक है, पुस्तकालय में कम से कम 30 व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, समाचार पत्र, मैगजीन आदि रखने कि व्यवस्था होनी चाहिए, बिजली–पानी उचित व्यवस्था होनी चाहिए। समाचार पत्र, मैगज़ीन आदि रखने कि व्यवस्था होनी चाहिए, एनजीओ/आरडब्ल्यूए द्वारा पाठकों के लिए फर्नीचर उपलब्ध कराया जाना चाहिए व साफ–सफाई का प्रबंधन भी होना चाहिए।

हिंदी अकादमी : संस्था जिसके पास भवन की व्यवस्था, बिजली–पानी सहित हो, तथा वह स्थानीय विधायक से प्रस्ताव पास कर अकादमी के कार्यालय में भिजवाने के उपरांत अकादमी की कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन के उपरांत पुस्तकालय खोला जा सकता है।

(घ) **हिंदी अकादमी** : हिंदी अकादमी द्वारा 12 पुस्तकालयों का संचालन किया जा रहा है।

सिंधी अकादमी : अकादमी के कार्यालय में एक पुस्तकालयों का सच्चालन किया जा रहा है।

उर्दू अकादमी : अकादमी के कार्यालय में एक पुस्तकालय का सच्चालन किया जा रहा है।

संस्कृत अकादमी : अकादमी द्वारा प्लाट नं. 5 झंडेवालान, करोल बाग में संस्कृत पुस्तकालय संचालित किया जाता है।

पंजाबी अकादमी : सूची संलग्न है

मैथिली–भोजपुरी अकादमी : मैथिली–भोजपुरी अकादमी, दिल्ली का एक मात्र पुस्तकालय है जो कार्यालय परिसर में ही है।

डॉ. गोस्वामी गिरधारी लाल शास्त्री प्राच्य विद्या प्रतिष्ठानम :प्रतिष्ठान के कार्यालय में एक पुस्तकालय संचालित है।

(ङ) **हिंदी अकादमी** : हिंदी अकादमी द्वारा 04 नए पुस्तकालयों की स्थापना की गई है।

(च) **हिदी अकादमी** : सूची संलग्न है।

समाचारपत्र पत्रिकाएं : 235000/– लगभग

सफाई का कार्य : 142000/– लगभग

पीने का पानी : 2100/– लगभग

बिजली : 3000/– लगभग

अन्य : 10,000/– लगभग

सिंधी अकादमी : सूची संलग्न है।

उर्दू अकादमी : सूची संलग्न है।

संस्कृत अकादमी : अकादमी द्वारा वर्ष 2017–18 में कुल रु. 6250/– राशि खर्च की गई।

पंजाबी अकादमी : सूची संलग्न है।

मैथिली–भोजपुरी अकादमी : मैथिली–भोजपुरी अकादमी, दिल्ली की स्थापना वर्ष 2008 में हुई है। वर्ष 2008 से वर्तमान तक पुस्तकालय पर व्यय विवरण संलग्न है।

डॉ. गोस्वामी गिरधारी लाल शास्त्री प्राच्य विद्या प्रतिष्ठानम : सूची संलग्न है।

(छ) जी नहीं वर्तमान में भवन बनाकर लाइब्रेरी खोलने की कोई योजना नहीं है।

(ज) उपरोक्त के सदर्भ में लागू नहीं है।

460. श्री दिनेश मोहनिया : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दस वर्षों में कला एवं संस्कृति विभाग ने दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क में कितने समारोह आयोजित किये;

(ख) प्रत्येक समारोह की जानकारी और उस पर खर्च किये गए विवरण की सूची क्या है;

सभी संलग्नक ***www.delhiassembly.nic.in*** पर उपलब्ध।

(ग) क्या इन आयोजनों में अन्य विभागों की भी भागीदारी थी;

(घ) यदि हाँ, तो कौन–कौन से; और

(ङ) इन समारोहों में शामिल कलाकारों एवं रंगकर्मियों के नाम, प्रत्येक को दी गई पारितोषित धनराशि की सूची?

उप मुख्यमंत्री : (क) **साहित्य कला परिषद्** : 27

मैथिली, भोजपुरी अकादमी : 02

उर्दू अकादमी : 01

संस्कृत अकादमी : 05

हिंदी अकादमी : 06

पंजाबी अकादमी : 01

सिंधी अकादमी : 03

डॉ. गोस्वामी गिरधारी लाल शास्त्री प्रच्य विद्या प्रतिष्ठानम : प्रतिष्ठान द्वारा पिछले दस वर्षों में दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क में कोई समारोह नहीं किया गया।

(ख) **साहित्य कला परिषद्** : संलग्न है।

मैथिली, भोजपुरी अकादमी :

वर्ष 2013–14

1.	कलाकार मानदेय :	160000.00
2.	जलपान :	2079.00

3.	प्रासंगिक व्यय :	6150.00
4.	कोरियर :	106.00

वर्ष 2014—15

1.	कलाकार मानदेय :	280000.00
2.	जलपान :	1080.00
3.	प्रासंगिक व्यय :	5255.00
4.	पुष्पगुच्छ :	825.00

उर्दू अकादमी : संलग्न है।

संस्कृत अकादमी :

1. फ्यूज़न म्यूजिक — अस्तित्व बैंड
2. 1857 की क्रांति नाटक
3. सांस्कृतिक कार्यक्रम
4. ध्रुवा बैंड
5. संस्कृतिक कार्यक्रम

हिंदी अकादमी : सूची संलग्न है।

पंजाबी अकादमी : प्रकाश एवं ध्वनि समारोह में कुल खर्च 10,01,461/— रु. हुआ।

सिंधी अकादमी : संलग्न है

डॉ. गोस्वामी गिरधारी लाल शास्त्री प्रच्य विद्या प्रतिष्ठानम : इस प्रकार का कोई व्यय नहीं किया गया।

(ग) **साहित्य कला परिषद्** : जी हां।

मैथिली, भोजपुरी अकादमी : जी हां।

उर्दू अकादमी : जी हां।

संस्कृत अकादमी : जी हां।

हिंदी अकादमी : जी हां।

पंजाबी अकादमी : जी हां।

सिंधी अकादमी : उपरोक्त (क) में दिए गए समारोह दिल्ली सरकार के कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग और साहित्य कला परिषद् के आधार पर किया गया।

डॉ. गोस्वामी गिरधारी लाल शास्त्री प्रच्य विद्या प्रतिष्ठानम : लागू नहीं।

(घ) **साहित्य कला परिषद्** : एनडीएमसी

मैथिली, भोजपुरी अकादमी : अन्य अकादमियां एवं साहित्य कला परिषद्

उर्दू अकादमी : लागू नहीं।

संस्कृत अकादमी : साहित्य कला परिषद्

हिंदी अकादमी : लागू नहीं।

पंजाबी अकादमी : लागू नहीं।

सिंधी अकादमी : साहित्य कला परिषद्

डॉ. गोस्वामी गिरधारी लाल शास्त्री प्रच्य विद्या प्रतिष्ठानम : लागू नहीं

(ङ) **साहित्य कला परिषद्** : संलग्न है।

मैथिली, भोजपुरी अकादमी :

वर्ष 2013–14

श्री गुड्डू रंगीला	100000.00
सुश्री रंजना झा	60000.00

वर्ष 2014–15

श्रीमती मालिनी अवस्थी	25000.00
श्री देवआनंद झा	30000.00

उर्दू अकादमी : लागू नहीं

संस्कृत अकादमी :

1. फ्यूज़न म्यूजिक – अस्तित्व बैंड – 80000/–
2. 1857 की क्रांति नाटक – 80000/–

3. सांस्कृतिक कार्यक्रम :

अन्नू सिन्हा – 21000/–

मीनू ठाकुर – 21,000/–

4. ध्रुवा बैंड – 80000/–

5. सांस्कृतिक कार्यक्रमः

पुष्पांजलि ग्रुप – 40000/–

स्वर तृष्ण ग्रुप – 35000/–

हिंदी अकादमी : सूची संलग्न है।

पंजाबी अकादमी :

गुरूघ सेवक जत्था (पंजीकृत)

पारितोषिक – एक लाख

सिंधी अकादमी : सूची संलग्न है।

डॉ. गोस्वामी गिरधारी लाल शास्त्री प्रच्य विद्या प्रतिष्ठानम : प्रतिष्ठान द्वारा इस प्रकार कोई व्यय नहीं किया गया।

461. श्री सोमनाथ भारती : क्या **गुरूद्वारा चुनाव मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुरूद्वारा प्रबंधन समिति के अंतर्गत कितने जी.एच.पी.एस. स्कूल कार्यरत हैं, विवरण बताऐं;

(ख) क्या यह सत्य है कि इन स्कूलों में सैकड़ों मामलों में छठे वेतन आयोग के अनुसार वेतन नहीं दिया जा रहा है;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि ये स्कूल वेतन देने की स्थिति में नहीं है, जिसके कारण वसंत विहार और इंडिया गेट स्कूल में अध्यापक कई बार हड़ताल पर भी जा चुके हैं;

(घ) क्या यह भी सत्य है कि सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कोई भी स्कूल यूनिफार्म और स्टेशनरी की दुकान नहीं चलाऐगा, परंतु जी.एच.पी.एस. स्कूलों में ये अभी भी चलाई जा रही हैं;

(ङ) क्या यह भी सत्य है कि पहले जी.एच.पी.एस. स्कूल अपने खातों को शीशगंज पत्रिका में प्रदर्शित करते थे, परंतु अब उन्होंने ऐसा करना बंद कर दिया है;

(च) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं?

उप मुख्यमंत्री : (क) गुरूद्वारा प्रबंधन समिति के अंतर्गत दिल्ली में कुल 13 जी.एच.पी.एस. स्कूल कार्यरत हैं जिनमें से 1 जिला उत्तर–पूर्व में, 1 जिला दक्षिण–पश्चिम 'ए' में, 2 स्कूल जिला मध्य/नई दिल्ली 1 स्कूल जिला पूर्व, 4 स्कूल जिला पश्चिम 'ए' में जिनमें 1 स्कूल की मान्यता रद्द की जा चुकी है, 2 दक्षिण–पूर्व जिला में व 2 स्कूल उत्तर–पश्चिम 'ए' जिला में है।

(ख) विभाग में उपलब्ध सूचना अनुसार छठे वेतन आयोग के बकाया न देने के कुछ मामले न्यायालयों में लम्बित है।

(ग) इस विषय में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई है जिसमें विभाग जांच कर रहा है।

(घ) दिल्ली उच्च न्यायालय ने और में दिनांक 21.02.2018 को यह आदेश पारित किया है कि विक्रेता किताबों के अलावा अन्य किताबें, स्टेशनरी, स्कूल वर्दी व सामान बेच सकते हैं। बशर्ते स्कूल किसी भी अभिभावक व विद्यार्थी को स्कूल विक्रेता में सामान लेने के लिए बाध्य नहीं करेगा।

(ङ) शिक्षा विभाग से संबंधित नहीं है एवं ऐसा कोई सूचना इस विभाग में उपलब्ध नहीं है।

(च) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

विशेष उल्लेख (नियम–280)

श्री जगदीश प्रधानः धन्यवाद, अध्यक्ष जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि पिछले वर्ष तक प्लानिंग विभाग द्वारा बेव साइट पर प्रतिमास इस बात की जानकारी दी जाती थी कि योजना मद के अन्तर्गत विभिन्न विभागों की योजनाओं की सैक्टर वाईज एजेन्सी वाईज खर्चे का ब्यौरा दर्शाया जाता था।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः भई अब तो रह तो सारे ही गए हैं। बीस क्वैश्चन हैं। नहीं, बैठ जाइए रवि जी, प्लीज। नहीं, अब मैं किसी और को नहीं ले रहा। सीमा समय की होती है थोड़ा। एक घंटा का डेढ़ घंटा ले रहा हूँ मै। उसको लिखकर दीजिए।

श्री जगदीश प्रधानः अध्यक्ष जी, इसमें ये भी दर्शाया जाता था कि कौन सी योजना पर कितना प्रतिशत बजट व्यय किया गया है। इससे विधायकों को तथा जनता को नियमित रूप से सभी योजनाओं के विकास की जानकारी मिलती रहती थी। परन्तु अब पता नहीं किन कारणों से इस जानकारी को उपलब्ध कराना बंद कर दिया गया है। इसके कारण हम योजनाओं को लेकर अंधेरे में रहते हैं। अतः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस प्रथा को पुनः जल्द से जल्द आरम्भ करवाया जाए ताकि जनता को भी और विधायकों को भी जानकारी मिल सके कि हमारे कितने काम कितने प्रतिशत हुए हैं, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः श्री आदर्श शास्त्री जी

श्री आदर्श भास्त्रीः बहुत–बहुत धन्यवाद, अध्यक्ष जी कि नियम 280 के तहत आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

अध्यक्ष जी, मैं सदन का ध्यान द्वारका विधान सभा में एससीएसटी डिपार्टमेंट द्वारा बनाए गए बारात घर या चौपाल की तरफ ले जाना चाहता हूँ। एससीएसटी डिपार्टमेंट ने पिछले कई वर्षो में... बीसों वर्षो में अलग–अलग खासतौर से जहाँ समाज का छोटा तबका निवास करता है, वहाँ पर ऐसी चौपाल बारात घर बनाए कि वो गरीब परिवारों को शादी वगैरह करानी हो, छोटे छोटे सामाजिक कार्यक्रम कराने हों तो वहाँ पर वो कम दर पर वहाँ पर वो काम करा सकते हैं। उसी के तहत द्वारका विधानसभा के अंदर एससीएसटी डिपार्टमेंट ने बारात घर का निर्माण किया। उस में से दो बारात घर अध्यक्ष जी, आज ऐसी स्थिति में हैं कि मुझे बड़ा अफसोस होता है। एक बारात घर जो कि लगभग 18 साल पहले निर्माण किया गया था, आज

से लगभग 10 साल पहले इलैक्शन कमिशन ने उसमें एक कमरा टैम्परेरी ऑफिस की तरह इस्तेमाल करने के लिए सागर पुर में बनाया। और आज उसका नतीजा ये हुआ कि 10 साल के बाद वो टैम्परेरी कमरा एक लेने के बाद जो उन्होने बोला था कि हम तीन चार महीने में खाली कर देंगे, आज दस साल के बाद वो एक कमरा नहीं, पूरा बारात घर जो एससीएसटी विभाग के और हमारे गरीब समाज के लोगों के लिए बना, उसको उन्होंने कब्जा कर लिया और इलैक्शन कमिशन का बतौर वहाँ पर बारात घर में ऑफिस चलता है और वहाँ पर कोई भी सामाजिक कार्यक्रम एससीएसटी वर्ग का नहीं हो सकता। उसी तरह एक और बारात घर है और ये तो उससे भी बडे अचम्भे की बात है अध्यक्ष जी कि ये बारात घर भी एससीएसटी डिपार्टमेंट ने बनाया और एससीएसटी डिपार्टमेंट की गाईड लाइन है जो साफ कहती है कि एसडीएम बारात घर का निरीक्षण करेगा, रख–रखाव करेगा और उसी क्षेत्र के विधायक के साथ मिलकर एक कमेटी बनाएगा जो उसकी देखरेख करेगी। ये वाला बारात घर जिसके बारे में बता रहा हूँ, ये पिछले 6–7 वर्षो से अवैध लोगों के कब्जे में है और आज वहाँ की जमीन की ही कीमत कम से कम नहीं तो 15 करोड़ रुपये है। और कमाल की बात ये है कि ये बारात घर जोकि सरकार का होना चाहिए, इसपे उन लोगों ने जिन्होंने इसपे अवैध कब्जा कर रखा है, कोर्ट गए और कोर्ट से भी उनको स्टे मिल गया कि वहाँ पे वो लोग रह सकते हैं और वहाँ पे वो बारात घर दिल्ली सरकार का और एससी/एसटी डिपार्टमेंट का विभाग का होने के बजाए एक चार–पाँच ऐसे अवैध लोगों के कब्जे में आ गया है। 15–20 करोड़ का ये बारात घर की जमीन है, बिल्डिंग है, जोकि आज पूरी तरीके से अवैध रूप से इन लोगों के कब्जे में है। मैं आपके माध्यम से अनुरोध

करूँगा कि एससी/एसटी डिपार्टमेंट को इसमें ये बोला जाए कि जल्द से जल्द ये दोनों बारात घर जो कि समाज के गरीब तबके के और एससी/एसटी तबके के लिए बनाए गए थे, उनको खाली कराने का काम करे, बहुत बहुत धन्यवाद।

माननीय माननीय अध्यक्षः श्री दत्त शर्मा जी।

श्री दत्त शर्माः अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने 280 पर बोलने का मुझे मौका दिया।

अध्यक्ष महोदय, मेरी विधानसभा घोंडा के अंदर एक घोंडा गाँव पड़ता है। उसके जब कालोनी नहीं बसी थी, तो उसके सामने एक जोहड़ होता था जो दो–तीन एकड़ में है। जब कालोनियाँ बस गयी, सीवर और पानी की लाईन डाली गयीं, तो वहाँ पर जल बोर्ड के द्वारा उस जोहड़ को बंद कर दिया गया, भराव कर दिया गया और वहाँ पर तीन–चार सौ गज में एक पंपिंग स्टेशन बना दिया गया और वहाँ उसकी बाउंड्री कर दी गयी। तो अध्यक्ष महोदय, मैं मेरा कहना इतना है कि अब वहाँ पर लोगों को ब्याह शादी के लिए कोई जगह नहीं है, जगह है नहीं। अब से हमारी सरकार बनने से पहले तक वहाँ पर गांव के गरीब लोग बाग वहाँ पर ब्याह शादी के लिए टैंट लगा लेते थे। लेकिन जब से हमारी सरकार आई है, जब से वहाँ पर जो कर्मचारी हैं वहाँ पर टैंट नहीं लगाने देते क्योंकि पहले क्या था कि वहाँ पर जो कर्मचारी होते थे, वो हजार–दो हजार, चार हजार, पांच हजार रुपये लेकर के टैंट की परमिशन दे देते थे और लोग बाग लगा लेते थे। जब हमने इसका विरोध किया तो उन्होंने हमारे शादी के टैंट लगवाने बंद कर दिए। मैंने कुछ दिन पहले... जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ

माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक मीटिंग थी, माननीय मंत्री गोपाल राय जी भी मीटिंग में थे। उनके संज्ञान में ये बात लाई। उन्होंने भी कहा, भई, यहाँ पर टैंट इनको लगाने दो और ये भी सुझाव दिया कि साफ सफाई के लिए और जिससे कि दो कार्यक्रम एक साथ न हों, उसके लिए एक छोटी सी धनराशि रख दी जाए उसकी साफ सफाई भी हो जायेगी और डबलिंग भी नहीं होगी। अधिकारियों को निर्देश दे दिया, सारा कुछ दे दिया लेकिन उसके बाद भी मैं दो–तीन बार लैटर भी लिख चुका हूँ, सारा कह चुका हूँ लेकिन आज तक कोई भी अधिकारी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे यही निवेदन है कि आज वहाँ के गरीब आदमी गाँव के लोग 15–15 फुट की गलियों में टैंट लगाकर शादियाँ करने पर मजबूर हैं क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो किसी पंडाल में जाके ब्याह शादी कर सकें या कोई मैरिज होम वगैरह बुक करा सकें। मेरा आपसे निवेदन है कि इस पर संज्ञान लेते हुए जल बोर्ड के अधिकारियों को आपके माध्यम से ये सूचना दी जाए कि भई, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, उसपे कार्रवाई करें और गाँव वाले लोगों को इसकी सुविधा मिल सके कि वहाँ पर वो टैंट वगैरह लगा सकें। कोई परमानेंट वो नहीं बना रहे हैं। साल में तीन, चार, पाँच, दस, बीस शादियाँ होती हैं उसके बाद वो टैंट हटा लिया जाता है एक दिन के लिए टैंट लगता है फिर दूसरे दिन टैंट हट जाता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे यही निवेदन है कि इसको जल्द से जल्द संज्ञान में लें, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद। श्री राजेश गुप्ता जी।

श्री राजेश गुप्ताः धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने बोलने का मौका दिया।

अध्यक्ष जी, जैसे मैंने कल भी सवाल उठाया था, आज भी उसी हिस्से के लिए मैं सवाल उठाना चाहता हूँ। वजीरपुर विधान सभा में वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पर बहुत सारी झुग्गियाँ हैं, बहुत गरीब लोग वहाँ पे रहते हैं। पिछले काफी टाईम से न सिर्फ हरियाणा से पानी न आने की वजह से वहाँ पानी की प्राब्लम थी, उसके अलावा क्योंकि अभी दो महीने तकरीबन ये जो चला, जिसमें हमें अयोग्य करार दिया गया था। वहाँ पे एक बहुत ही विचित्र माहौल बनाया गया, क्योंकि वहाँ पर दिल्ली सरकार ने बहुत सारे शौचालय बनाए थे। नए नए शौचालय लोगों को पटरियों पे बैठना पड़ता था, खुले में जाना पड़ता था, महिलाओं के लिए नारकीय जीवन था। बहुत ही अच्छे अच्छे शौचालय बनाए। जहाँ पर उनको इज्जत के साथ में वहाँ जा सकते थे। लेकिन पिछले 2–3 महीने में लगातार उन शौचालयों को नुकसान पहुँचाया गया, जो नये शौचालय बने। बहुत जगह पुलिस से शिकायत करी गयी, लेकिन वहाँ पे कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। जो सार्वजनिक संपति थी, लोगों के पैसे से ही बनाए गए थे लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने उनमें तोड़फोड़ मचाई, उन्हें तोड़ा गया। लेकिन न तो अभी तक डूसिब की तरफ से उसमें कोई काम हो पाया है और न ही... जैसे मैंने कहा कि दिल्ली पुलिस ने वहाँ जाके जानने की भी कोशिश करी कि कौन वो असामाजिक तत्व हैं जो वहाँ पे नल तोड़ रहे हैं, जो वहाँ पे सीट्स को तोड़ रहे हैं, दरवाजों को तोड़ रहे हैं। इतना माहौल वहाँ पे बन गया है जो लोग वहाँ पे खुश थे दो–तीन सालों से जो लगातार खुश हो रहे थे, हर तीन महीने में हम एक नया शौचालय बना पा रहे थे, अब वो तोड़ दिए गए।

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि इसका जवाब जरूर आये क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ तो अधिकारी तो कोई भी यहाँ पे है नहीं और हम 280 के तहत जो सवाल उठाते हैं, आपने भी अभी देखा कि कुछ साथी हमारे खड़े भी हो गये जिनके स्टार्ड क्वेश्चंस रह गये। इतने इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हम लगाते हैं, बार बार गंभीर सवाल लगाते हैं। लेकिन अभी यहाँ मैं देख रहा हूँ कि कोई अधिकारी नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ, मेरा विश्वास है कि आप इसपे जोर देंगे और इन सवालों के जवाब हमें जरूर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः श्री तोमर जी।

श्री जितेन्द्र तोमरः धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय कि आपने मुझे नियम 280 के तहत मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात को रखने का मौका दिया।

अध्यक्ष महोदय, मेरे त्रिनगर विधान सभा क्षेत्र में त्रिनगर की साथ से एक गंदा नाला गुजरता है; नजफगढ़ ड्रेन। करीब एक किलोमीटर का स्ट्रेच है जो रोहतक रोड से शुरू होके और रोड नं. 37 तक जाता है –इंदरलोक तक। सोम दत्त भाई का भी बहुत सारा एरिया लगता है। उसमें आनंद नगर भी, तुलसी नगर भी... उसके बाद राजेश का लगता है। तो उससे पहले शिव चरण गोयल का है। सब लोग हम लोग प्रभावित हैं, बड़े परेशान है उससे। उसमें बहुत साल पहले 2011 से एक कार्यक्रम चल रहा था 2011 से 2013 हुआ, 2013 से 2014 हुआ। इंटरसेप्टर सीवर स्कीम – इंटरसेप्टर लगाने का काम चल रहा था वहाँ पर। तो पिछले दो साल से बंद पड़ा है वो। एक बार तो एनजीटी की प्रॉब्लम आई थी। उसके अंदर 12 महीने के लिए बंद हुआ था लेकिन 2016 के बाद कोई इंटरप्शन किसी तरह की

है नहीं। लेकिन वहाँ काम शुरू नहीं हो पाया है। अध्यक्ष जी, इंटरसेप्टर वहाँ लगाने का मकसद ये था कि नाले के दोनों तरफ रहने वाले एक हजार से अधिक परिवार तो मेरे क्षेत्र में रहते हैं और करीब एक हजार ही रहते हैं सोम दत्त भाई की तरफ। आगे राजेश के वहाँ से गुजरता है, वहाँ इससे भी ज्यादा होंगे मुझे लगता है। हाँ, बहुत लंबा स्ट्रेच है आपका भी। तो ये जो है इनकी जो गैस जो है, जो इतनी जबर्दस्त बदबू निकलती है उसके अंदर से अध्यक्ष जी, कि वहाँ रहना मुश्किल है, लोगों के फेफड़े तो खराब हो ही रहे हैं, शरीर खराब हो रहा है, बीमारियाँ हो रही हैं। इसके साथ साथ जो उनके इलैक्ट्रॉनिक इक्विपमैंट जो हैं, चाहे टीवी है, फ्रिज है, ये सब साल दो साल में सब खराब हो जाते हैं, कितनी भी अच्छी क्वालिटी के लेके आ जाएं। तो मैंने बहुत बार दिल्ली जल बोर्ड के जो आलाधिकारी हैं, उनसे इस काम को शुरू करने के लिए बार बार बात की। दो बार मैंने जो पहले दिल्ली जल बोर्ड के मेंबर सीवेज, वर्क मेंबर (वाटर) हुआ करते थे, आर.एस. त्यागी जी, उनके साथ और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के अधिकारियों के साथ भी वहाँ पे दौरा किया। हर बार हुआ ये कि एक महीने में काम शुरू कर देंगे, एक साल के अंदर खत्म कर देंगे लेकिन अभी तक हो नहीं पा रहा है वो। तो मैं आपको इस सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से जल बोर्ड से प्रार्थना कर रहा हूँ कि यहाँ पे इंटरसेप्टर लगाने का कार्य काम जल्दी से शुरू कर दिया जाए। वैसे तो एक और आज अजय दत्त ने शायद एक क्वैश्चन लगाया था, मैंने देखा है अभी इंटरसेप्टर का, उसमें उन्होंने कहा है कि 31 दिसम्बर 2018 तक पूरा कर देंगे। लेकिन अभी तो वहाँ शुरूआत भी नहीं हुई तो पूरा कहाँ से होगा! ये भी एक झूठा जवाब साबित होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः ओम प्रकाश शर्मा जी।

श्री ओम प्रकाश शर्माः धन्यवाद, अध्यक्ष जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूँ कि आपने वर्ष 2017—18 के अपने बजट भाषण में डेटा बेस को लेकर एक बहुत अच्छी योजना की घोषणा की थी। आपने कहा था कि वर्तमान में विभिन्न विभागों द्वारा अनेकानेक सामाजिक कल्याण कार्यक्रम लागू किये जा रहे हैं जैसे कि अनेकानेक प्रकार की पेन्शन और उसके अलावा जो अन्य कल्याणकारी जो कार्यक्रम हैं, जिनके पास लाभार्थियों का अलग अलग डाटाबेस उन सभी डिपार्टमेंट के पास है, सरकार द्वारा आधार, आयकर, पैन, मतदाता फोटो पहचान पत्र के मौजूदा डेटाबेस को लेकर एकीकृत कर एक कॉमन डाटाबेस बनाया जा रहा है, की बात कही गयी थी। इस कॉमन डाटाबेस से जनसेवाओं के वितरण के लिए इस्तेमाल किये जाने वाले विभागीय डाटाबेस के साथ की जानी थी इससे लाभार्थियों की सही पहचान की जानी चाहिए थी जैसे कि पेन्शन का मामला जो दूसरी सेवाएं हैं, वो एक विभाग के अलावा अलग अलग विभागों से तो नहीं ली जा रही, या अलग अलग जगह से कोई व्यक्ति नहीं ले रहा तो जो वास्तविक जरूरतमंद व्यक्ति है, उसको इन चीजों का लाभ मिले और जो बेइमानी करने वाले लोग हैं, इससे हतोत्साहित हो सकें। तो ये एक बहुत अच्छी एक योजना थी। इस विशिष्ट डाटा बेस से सृजित आंकड़ों का इस्तेमाल नये कल्याणकारी कार्यक्रमों की योजना के लिये किया जाना था। कल्याण सेवाओं में इससे दोहरेपन से भी बचा जा सकता था परंतु दुःखद ये है कि अभी तक इस दिशा में कोई परिणाम सामने नहीं आये।

अतः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूँ कि सरकार इस प्रकार का डाटा बेस बनाये जिससे कि ये पता लगे कि कौन कौन व्यक्ति इसके माध्यम से लाभ ले रहे हैं और इसका दुरूपयोग न हो सके, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः अजय दत्त जी।

श्री अजय दत्तः धन्यवाद, अध्यक्ष जी कि आपने मुझे मेरे क्षेत्र के विषय उठाने का मौका दिया।

अध्यक्ष जी, मैंने पहले भी एमसीडी के द्वारा न काम करने पर, नालों की सफाई न होने पर मेरे क्षेत्र में जो महामारी जैसा माहौल पिछले साल हुआ था और अब भी वो दोबारा शुरू हो गया है, उसी के संदर्भ में मैं आगे एक और चीज यहाँ उठाना चाह रहा हूं। अभी पिछले हफ्ते जब मैं क्षेत्र में घूम रहा था तो मैंने देखा हमारे अंबेडकर नगर की दक्षिणपुरी, मदनगीर और खानपुर की गलियाँ जो जेजे कालोनी के नाम से जानी जाती हैं, उन गलियों में अध्यक्ष जी, नालियाँ जो एमसीडी के अंडर आती हैं, भरी हुई हैं और वो करीबन एक एक डेढ़ डेढ़ महीने से नालियाँ भरी हुई हैं। और मैंने एमसीडी के अधिकारियों को कहा, इनको साफ करा दो और उन गंदी नालियों की वजह से वहाँ से जो पानी की पाइप लाइन लोगों के घर में जा रही है, कई जगह वो पानी भी कंटेमिनेटेड हो गया है और लोग उस पानी को पीकर बहुत सारी भयंकर बीमारियों का शिकार हो गये हैं। अभी पीछे जब मैं खानपुर जे जे कालोनी में गया तो कुछ लोगों ने कहा, देखिये, सर इस गली के कुछ लोगों को, स्पेसिफिक लोगों को जो इस गली मे रहते हैं, उनको कुछ एक अलग सी बीमारी हो गई है जो

कि पानी की वजह से है। जब उन्होंने जाँच कराई तो पता चला दो लोगों को कैंसर हो गया है और मैंने पानी की लाइन खुदवा के चैक कराई, वो बिल्कुल ठीक है लेकिन जब पता चला कि ये नालियों के अंदर से पाइप जा रहा है जो कि भरी खड़ी है। वो न साफ होने की वजह से वहाँ पर बीमारियाँ उत्पन्न हो रही हैं। गर्मी का मौसम सिर पर है और अध्यक्ष जी, अब वहाँ पर मच्छर भी पनपने लगे हैं। इसके संदर्भ में मैंने डीसी को भी कहा, कमिशनर को भी कहा, पत्र व्यवहार भी किया लेकिन मुझे लग रहा है एमसीडी की कोई ऐसी मंशा नहीं है जहां पर मेरे क्षेत्र में काम करने की। गंदे नाले भरे पड़े हैं, उनकी सफाई का बहुत बड़ा मुद्दा है। नालियाँ हैं, जहां छोटी छोटी गलियाँ हैं, वहाँ पर सफाई का और बीमारियाँ फैलने का एक बहुत बड़ा ईशू उत्पन्न हो रहा है और अब वो पानी के कंटैमिनेशन तक चला गया है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ और एक और नया मैंने ईशू अभी देखा परसों कि एमसीडी के जो ढ़लाव हैं, वहाँ पर कूड़ा तीन तीन–तीन, चार–चार दिन नहीं उठ रहा है जब कि एमसीडी कहती है कि हमने टिप्पर लगाकर घर घर से कूड़ा उठवाना शुरू कर दिया है। उस कूड़े के न उठने से पूरा रोड पर वो कूड़ा आ जाता है और एमसीडी का एक प्रावधान है कि अगर कूडा आठ घंटे के अंदर नहीं उठा तो एमसीडी उस पर पैनेल्टी लगायेगी, जो भी उनका कान्ट्रेक्टर है। एमसीडी ने बहुत मोटा पैसा खर्च करके ढ़लाव पर बड़े–बड़े कुछ टरबाइन टाइप की कुछ मशीनें लगाई हैं। वो कहते हैं कि इनमें कूड़ा डालेंगे और वो प्रोसेस हो के उनको छोटा करके और बाक्स टाइप कुछ बना के ले जायेगा लेकिन ऐसा कुछ भी मुझे रोड पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो अध्यक्ष जी, मैं आपसे यहाँ पर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एमसीडी को स्पेसिफिकली अंबेडकर नगर

के संदर्भ में ये हिदायत दें कि भई, वहाँ पर गंदगी कम हो, वहाँ पर सफाई का माहौल रहे और जो सफाई का माहौल रहे और जो सफाई कर्मचारी है वहाँ पर, एक बहुत बड़ी संख्या मेरे ख्याल से 960 सफाई कर्मचारी मेरे पूरे अंबेडकर नगर में होने चाहिए। उसमें से मुझे नही लगता कि दो सौ या तीन सौ से ज्यादा रोड पर होंगे। उस संदर्भ में भी आप उनको गाइड लाइन कीजिये कि वो बाकी के जो लोग हैं, वो घोस्ट तो नहीं बन गये। अगर हैं तो उन्हें नीचे उतारिये, काम कराइये, पब्लिक को सहूलिये दीजिये। और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप एमसीडी के कमिशनर को इस बारे में अवगत करायें और मेरे क्षेत्र की जितनी भी समस्याएं हैं, उनका निदान करायें, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः सुश्री राखी बिड़ला जी।

सुश्री राखी बिड़लाः धन्यवाद, अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष जी, जो मैं मुददा सदन के समक्ष रख रही हूँ, ये मुद्दा सिर्फ मेरी विधान सभा से संबंधित नहीं है। यहाँ बैठे लगभग सभी साथियों की विधानसभाओं में ये समस्या होगी।

अध्यक्ष जी, जब पिछले साल चुनाव हुए थे एमसीडी के तो बीजेपी ने अपने मैनिफैस्टो में कहा था कि अगर हम चुनकर एमसीडी में आते हैं तो हम हाऊस टैक्स नहीं बढायेंगे। लेकिन बहुत दुःखद बात है कि एक साल का जो है, समय पूरा होने के जा रहा है, एमसीडी में बीजेपी का ये हाऊस टैक्स बढाने की दोबारा लागू करने का जो इनका नारा था, वो बिल्कुल जुमला साबित हुआ। मंगोलपुरी विधानसभा जैसा क्षेत्र जहां पर गरीब लोग, दलित लोग पिछड़े वर्ग के लोग 22–22 गज के मकानों में रहते हैं, अध्यक्ष

जी, ये पूरा का पूरा बण्डल मैं सदन पटल पर रखना चाहूँगी। इस तरह के नोटिस हर घर में आ रहे हैं। 2004–05 से लेकर 2016–17 तक के हाऊस टैक्स पे करने के लिये, और अगर नहीं देते तो उनके ऊपर... जिस तरह से आज व्यापारियों के ऊपर सीलिंग की मार है, फिर इनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। अध्यक्ष जी, मंगोलपुरी जैसा क्षेत्र जो रिसेटलमेंट कालोनी है; जहांगीरपुरी भी इसके अंतर्गत आता है, सुल्तानपुरी भी इसमें आता है, सीमापुरी भी आता है, त्रिलोकपुरी भी आता है और आप सब लोग वाकिफ हैं कि वहाँ पर कैसे लोग रहते हूँ। मजदूर वर्ग के लोग रहते हैं, रोज कमाने रोज खाने वाले लोग रहते हैं। अगर ऐसे लोगों को 22–22 गज में अपना जीवन यापन करने वाले लोगों को एमसीडी के द्वारा ऐसे हाऊस टैक्स के नोटिस आयेंगे तो अध्यक्ष जी, हम किस और जा रहे हैं! दिल्ली में एक ओर दिल्ली सरकार है जो गरीब लोगों का इतना ध्यान रख रही है; निःशुल्क पढ़ाई, मिनिमम वेजिज को बढ़ाने का, आँगनवाड़ियों को सुधारने का, उनको मुफ्त में स्वास्थ्य सेवाएँ देने का, दूसरी और 22 गज के प्लॉट में एक नहीं, चार–चार परिवार अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उन परिवारों को अगर इस तरह से एमसीडी नोटिस देगी हाऊस टैक्स का, तो मुझे लगता है कि ये बेहद शर्मनाक बात है। आज मैं सदन के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके माध्यम से कोई सख्त कार्रवाई एमसीडी के खिलाफ नहीं हुई और मेरी मंगोलपुरी विधानसभा में ये हाऊस टैक्स के नोटिस आने अगर जनता को बंद नहीं हुए तो हम बहुत जल्दी एमसीडी के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे और उनको दिखा देंगे कि एक तरफ आपने व्यापारियों को परेशान करा हुआ है, दूसरी तरफ पूरे देश में अलग अलग यूनिवर्सिटी में छात्र परेशान हैं। आपने जो है, लोगों को तरह तरह से दुखी कर रखा

है। अब आपकी जो नजर है, वो गरीब लोगों के ऊपर, दलित बस्तियों के ऊपर, रिसेटलमैंट कालानी के ऊपर है। तो अध्यक्ष जी, ये कहीं से कहीं तक बर्दाश्त होने वाली बात नहीं है। मेरा बार बार निवेदन है कि आप ये हाऊस टैक्स के जितने भी नोटिस हैं... ये बहुत कम हैं और अगर आप कहेंगे तो मैं और कलेक्ट कर कर सदन पटल पर रखूँगी। इसे सदन पटल पर रखें और इसके खिलाफ सख्त से सख्त आप कार्रवाई करें, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः ये लिस्ट मुझे दे दीजिये। श्री विजेन्द्र गुप्ता जी।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी, मैं सरकार का ध्यान जो टिकरी खामपुर में नई मंडी स्थापित करने की और खींचना चाहता हूं।

सरकार ने आज से लगभग तीन वर्ष पूर्व, अप्रैल 2015 में घोषणा की थी कि दो वर्ष में मंडी चालू हो जायेगी परंतु आज तक सरकार का ये वायदा पूरा नहीं हुआ। 2017 के बजट भाषण में उप मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि आजादपुर मंडी में जरूरत से ज्यादा भीड़ रहने लगी है। इसमें भीड़भाड़ कम करने के लिये सरकार ने टीकरी खामपुर में 70 एकड़ में आधुनिक मंडी बनाने का फैसला किया है।

अध्यक्ष जी, आजादपुरी मंडी जब बनी थी तो ये सोचकर बनाई गई थी कि वो शहर से बाहर है लेकिन लगभग 40 वर्ष भी पूरे नहीं हुए कि आज आजादपुर मंडी शहर के बीच में आ गई है और जिसके कारण लगभग पौने दो लाख ट्रक मंडी में आते हैं, जाम लगता है, गंदगी की भरमार होती है और वहाँ के हालात ये हैं कि वहाँ अंदर कोई महामारी फैल जाये तो कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि इस तरह की गंदगी का आलम मंडी के

अंदर की स्थिति में है और ये फैसला बहुत पहले से लिया गया था कि टीकरी खामपुर में नई मंडी बनाई जायेगी, 800 करोड़ रुपये की लागत से। इस मंडी का निर्माण प्रारंभ होना था, उसके लिये बजट का प्रावधान भी रखा गया था और योजना को दिसम्बर 2019 तक पूरा किया जाएगा, इसका टॉरगेट भी फिक्स किया गया था। लेकिन देखा जा रहा है कि बजट आबंटन के बावजूद आज तक इस योजना ने कार्यरूप नहीं लिया है। आपके माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करूँगा कि इस दिशा में गम्भीरता से काम करें ताकि राजधानी में सब्जियों और फलों का थोक व्यापार सुचारू रूप से प्रबंधित हो सके।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद, विजेन्द्र जी। विशेष रवि जी।

श्री विशेष रविः धन्यवाद, अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, आज का 280 के अंदर उठाया जाने वाला मेरा विषय मेरे कल के प्रश्नकाल के दौरान लगाए गए प्रश्न से जुड़ा हुआ है जो अनस्टार्ड था, इसलिए वो चर्चा में नहीं आ पाया।

पहले मैं धन्यवाद दूँगा जीएडी डिपार्टमैंट और माननीय मंत्री जी का। कल मैंने पूछा था अपने प्रश्न में कि दिल्ली सचिवालय के अंदर विधायकों के बैठने की क्या व्यवस्था है क्योंकि अभी सचिवालय के अंदर अगर हम विधायक जाते हैं सर, तो वहाँ पर कोई ऐसी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है विधायकों के बैठने के लिए। अगर कोई विधायक जो वहाँ सचिवालय में पहुंचता है किसी मीटिंग के लिए, अगर उस मीटिंग के बाद दुबारा कोई उसकी और दूसरी मीटिंग है तो उसको मजबूरन जो है, किसी माननीय मंत्री के कमरे

में बैठना पड़ता है जिससे मंत्री जी को भी समस्या होती है और हमें भी समस्या होती है। तो मैंने प्रश्न लगाया था कि दिल्ली के विधायक जो सचिवालय में जाते हैं, उनके लिए कोई विधायक लाउंज बनाने की व्यवस्था है तो डिपार्टमेंट ने ये बताया कि हाँ, ये लॉन्ज बनाने की व्यवस्था है और तीन महीने के अंदर ये लाउंज सचिवालय के अंदर बन जाएगा।

सर, दूसरा सवाल लगाया था मैंने कि दिल्ली में सचिवालय के अंदर विधायकों को मीटिंग कराने की व्यवस्था है तो उसमें भी अच्छी बात ये है, बताया गया है कि अगर पूर्व सूचना देंगे हम, तो जो जितने भी 3–4 ऑडिटोरियम हैं, जहां मीटिंग हॉल हैं या ऑडिटोरियम हूँ, पूर्व सूचना पर वहाँ हम मीटिंग कर सकते हैं। ये सिर्फ जानकारी के लिए था सभी के लिए... वो जीएडी को ही बोलना पड़ेगा, जीएडी को ही बोलना पड़ेगा शायद।

आज का सर, मेरा जो विषय है, वो ये है कि सचिवालय में विधायकों की गाड़ी खड़ी होने की व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था। सर, आज हम जब जाते हैं सचिवालय के अंदर तो वहाँ पर जहाँ पर माननीय मुख्य मंत्री जी का कार्यालय है सामने, वहाँ हम गाड़ी अपनी खड़ी करते है या वहाँ से उतरते हैं लेकिन वहाँ पर विधायकों को गाड़ी खड़ी करने की परमिशन नहीं है। जो इसमें बताया गया है, कल के उत्तर में, वो ये बताया गया है कि गेट नम्बर–7 के सामने, वहाँ विधायकों को गाड़ी खड़ी करने की व्यवस्था है। गेट नम्बर–7 के सामने का मतलब ये हुआ कि विधान सभा परिसर के बाहर जो सड़क है, उसके दूसरी तरफ, जहाँ पर सामान्य लोगों की गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, वहाँ पर विधायकों की गाड़ी खड़ी होने की व्यवस्था

है तो मैंने, आज का मेरा ये जो प्रश्न, आज का विषय है, वो यही है कि क्योंकि इसी प्रश्न के अंदर बताया गया है कि अधिकारियों की गाड़ी खड़ी होने की व्यवस्था सचिवालय के नीचे बेसमेंट के अंदर है और विधायकों की गाड़ी खड़ी करने की व्यवस्था, सड़क के उस पार सामान्य पार्किंग के अंदर है, तो मेरी माननीय मंत्री जी से ये प्रार्थना है कि सचिवालय के अंदर ही क्योंकि जब हम गाड़ी से उतरते है तो हमारे साथी जो गाड़ी चला रहे हैं, उनको गाड़ी बाहर खड़ी करनी पड़ती है। सचिवालय में फोन नेटवर्क की इतनी प्रॉब्लम है, फोन हम कर नहीं सकते तो बहुत बार ये होता है कि खुद ही जाकर वहाँ से बाहर गेट पर आकर गाड़ी लेनी पड़ती है... और अगर जिस दिन सर, खुद ही गाड़ी चला के आना पड़ता है कभी तो गाड़ी, क्योंकि ऊपर नहीं लगती है तो गाड़ी को बाहर गेट नम्बर–7 के बाहर जाकर गाड़ी लगाना पड़ता है और फिर नीचे मेन एन्टरी से दुबारा ऊपर आना पड़ता है तो मेरी ये प्रार्थना है।

माननीय अध्यक्षः चलिए, विशेष जी, हो गया।

श्री विशेष रविः सर, मेरी ये प्रार्थना है कि सचिवालय के परिसर के अंदर ही विभाग द्वारा विधायकों की गाड़ी खड़ी होने की व्यवस्था दी जाए ताकि अभी जो परेशानी हो रही है, उससे हमें हल मिल सके, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मैं दूँगा समय, आपने दे दिया है, मुझे बोल दिया है, मैं समय दूँगा। अब थोड़ा सा विषय को रखने दो।

समितियों के प्रतिवेदन प्रस्तुतीकरण का समय बढ़ाने के प्रस्ताव

विशेष समितियों का पीछे गठन हुआ था, उन समितियों के प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की समयावधि बढ़ाने के लिए प्रस्ताव रखेंगे, सर्वप्रथम श्री सोमनाथ भारती जी।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः अब नहीं हो रहा, 280 पूरा हो गया। मुझे बिजनेस पूरा करने दो, बहुत लेट हो गया है।

श्री सोमनाथ भारतीः अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन 'बुराड़ी में राशन की एक दुकान के निरस्त लाइसेंस के तथाकथित अवैध पुनःर्स्थापन की जांच के लिए विशेष जांच समिति' के प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण की समयावधि बढ़ाने के लिए सहमत है। समिति माननीय अध्यक्ष को, अपना प्रतिवेदन छठी विधान सभा के आठवें सत्र के प्रारम्भ होने से पहले प्रस्तुत करेगी।

माननीय अध्यक्षः मैं ये सदन की राय; तीनों, चारों जो हैं, इनकी इकट्ठी ले लूँगा। श्री अजेश यादव जी।

श्री अजेश यादवः यह मैं प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन 'दिल्ली के नगर निगमों के लिए सदन की समिति' के प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण की समयावधि बढ़ाने के लिए सहमत है। समिति माननीय अध्यक्ष को, अपना प्रतिवेदन छठी विधान सभा के आठवें सत्र के प्रारम्भ होने से पहले प्रस्तुत करेगी।

माननीय अध्यक्षः सुश्री अलका लाम्बा जी। सौरभ भारद्वाज जी, चलिए।

श्री सौरभ भारद्वाजः माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में हॉकी और क्रिकेट के खेलों की प्रशासनिक व्यवस्था करने वाले निकायों में कथित अनियमिताओं तथा भ्रष्टाचार की जाँच करने के लिए विशेष जाँच समिति' के प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण की समयावधि बढ़ाने के लिए सहमत है। समिति माननीय अध्यक्ष को, अपना प्रतिवेदन छठी विधान सभा के आठवें सत्र के प्रारम्भ होने से पहले प्रस्तुत करेगी। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास एक और...

माननीय अध्यक्षः अगला भी। सौरभ जी, नेक्सट।

श्री सौरभ भारद्वाजः माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन 'माननीय उपराज्यपाल महोदय द्वारा सदन के नाम भेजे गए दिनांक 13 सितम्बर, 2017 के संदेश में जाहिर की गई चिंताओं का अध्ययन करने के लिए एक विशेष समिति' के प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण की समयावधि बढ़ाने के लिए सहमत है। समिति माननीय अध्यक्ष को अपना प्रतिवेदन छठी विधान सभा के आठवें सत्र के प्रारम्भ होने से पहले प्रस्तुत करेगी।

माननीय अध्यक्षः राजेश गुप्ता जी।

श्री राजेश गुप्ताः माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के परिवहन विभाग द्वारा मैन्युफैक्चर्स ई.एस.पी. इंडिया प्राईवेट लिमिटेड को संविदा जारी करने की कथित अनियमितताओं की जाँच करने के लिए विशेष जाँच समिति' के प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण की समयावधि बढ़ाने के लिए सहमत है। समिति माननीय

अध्यक्ष को अपना प्रतिवेदन छठी विधान सभा के आठवें सत्र के प्रारम्भ होने से पहले प्रस्तुत करेगी।

माननीय अध्यक्षः अब श्री सोमनाथ भारती जी, श्री अजेश यादव जी, श्री सौरभ भारद्वाज जी द्वारा दो समितियों का विवरण दिया गया है, श्री राजेश गुप्ता जी, इन सभी के समय बढ़ाने के प्रस्ताव से सदन सहमत है।

यह प्रस्ताव सदन के सामने है;
जो पक्ष में हैं, वो हाँ कहें;
जो विरोध में हैं, वो ना कहें;
(सदस्यों के हाँ कहने पर)
प्रस्ताव पारित हुआ।

समय बढ़ाने की अनुमति दी जाती है।

माननीय अध्यक्षः अब केवल जरनैल सिंह जी, कुछ कहना चाह रहे है ईडब्लूएस एडमिशन के बारे में।

श्री जरनैल सिंहः बहुत–बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी।

ये मामला ईडब्लूएस एडमिशन से जुड़ा, आजकल सभी विधायकों के दफ्तर में एडमिशन को लेकर काफी लोग आते हैं। मैं एक मामला स्पेसिफिकली सदन के सामने रख रहा हूँ कि कई प्राइवेट स्कूलों द्वारा अध्यक्ष जी, इंटेन्शली ईडब्लूएस केटेगिरी के बच्चों को ड्रॉ में रिजल्ट आने के बाद भी एडमिशन देने से मना किया जा रहा है। पहला बहाना ये मारा जाता है कि तीन जनरल बच्चे आएंगे तो एक ईडब्लूएस का बच्चा लेंगे। मैंने कहा, जी, मैं तीन जनरल बच्चे साथ में भेज रहा हूँ तो फिर वो ना–नुकर

उसके बाद भी करने लगे। अब ये जो चालाकी एक प्राइवेट स्कूल कर रहा है, उसका मैं किस्सा बता रहा हूँ कि 'वनस्थली पब्लिक स्कूल' करके विकास पुरी के अंदर एक स्कूल है, 13 केसिस मैं लेकर आया हूँ, साथ में जिन बच्चों के नाम दिल्ली सरकार के ड्रॉ में निकले हैं। ड्रॉ में, रिजल्ट में नाम आने के बावजूद वो बच्चे स्कूल में जाते हूँ तो स्कूल वाले कह रहे हैं जी, हमारे यहाँ तो नर्सरी क्लास ही नहीं है।

माननीय अध्यक्षः बच्चे?

श्री जरनैल सिंहः नर्सरी क्लास ही नहीं है। हमारा स्कूल प्रेप से शुरू होता है और ये सिर्फ ईडब्लूएस वाले बच्चों के लिए अध्यक्ष जी। अगर कोई जनरल बच्चा आ रहा है तो सड़क के दूसरी तरफ, स्कूल के बिल्कुल सामने एक स्कूल खोल रखा है, उसका भी सेम नाम है, वहाँ पर सिर्फ नर्सरी क्लास के बच्चों को एडमिशन दिया जाता है, जनरल वालों को। तो ये सरकार को गुमराह करने के लिए, उन लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, सामने ये... एक मतलब ये साजिश की जा रही है कि जनरल बच्चा है तो सामने वाले स्कूल में एडमिशन कर लेंगे पर ईडब्लूएस का बच्चा है तो सरकार को ये कह दिया गया है कि हमारे स्कूल में तो हमने मना कर रखा है जी, प्रेप से ही होगा पर सरकार ने जिन 13 बच्चों को ड्रॉ में ये नम्बर दिया है, उन बच्चों का क्या होगा अध्यक्ष जी? और इस तरीके के स्कूलों के ऊपर कोई इस तरीके की जाँच होनी चाहिए कि उनकी कोई सुनवाई करने वाला हो। अब 31 तारीख को ये एडमिशन बंद हो जाएंगे तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे और नॉर्मली होता ये है कि उन पर इतना, ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी जाती है कि वो कहीं और दूसरी जगह अपना

जनरल जगह पर जाकर एडमिशन करा ले और इनकी जान छूट जाए। हमारी सीटें खाली पड़ी रह जाएं तो इनकी इन चालाकियों से क्योंकि समझ तो सबको आती है, उसको स्कूल वाले को लग रहा है कि किसी को समझ नहीं आती, एक ले–मैन को भी समझ में आ रही है तो इनके ऊपर कोई ऐसी सख्त... क्योंकि सरकार हमारी हमेशा से ही प्राइवेट स्कूलों के मामले में काफी संजीदगी से और एजुकेशन के मामले में अच्छा काम कर रही है तो इस मामले के ऊपर भी अध्यक्ष जी, कोई जाँच की या जाँच बिठाई जाए। मैं ये पूरा केस सदन के सामने रख रहा हूं। धन्यवाद, अध्यक्ष जी।

... (व्यवधान)

सुश्री राखी बिड़ला: अध्यक्ष जी, या इसके लिए एक कमेटी बनायी जाये और 31 तारीख के बाद एडमिशन नहीं होंगे और विधायकों के ऑफिस में आकर के लोग जवाब माँगेंगे।

माननीय अध्यक्षः अभी बाद में आकर करेंगे इस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे जरूर। सदन आधा घंटा चाय के लिए स्थगित किया जाता है, साढ़े चार बजे हम मिलेंगे।

(सदन की कार्यवाही आधे घण्टे के लिए स्थगित की गई।)

सदन अपराह्न 4:40 बजे पुनः समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष (श्री राम निवास गोयल) ***पीठासीन हुए।***

माननीय ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र जी, अभी माननीय मंत्री जी का मेरे पास संदेश आया है, कुछ बोलेंगे। भई, माननीय मंत्री जी।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः भई विजेन्द्र जी, दो मिनट, विजेन्द्र जी, बैठिए दो मिनट। माननीय मंत्री महोदय माननीय सत्येन्द्र जैन जी।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः अब भई सिरसा जी, वो स्टेटमैंट दे रहे हैं ना। माननीय मंत्री जी स्टेटमैंट दे रहे हैं ना। उनका स्लिप मेरे पास आया है, इसी विषय में है। बैठिए सिरसा जी, ये तरीका ठीक नहीं है, फिर आप कहते हैं...

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः माननीय मंत्री जी खड़े हैं। उनकी स्लिप मेरे पास आई है। उनकी स्लिप बहुत पहले मेरे पास आ चुकी है। उसके बाद...

माननीय ऊर्जा मंत्री (श्री सत्येन्द्र जैन): हाँ जी, इसी पर बोल रहे हैं, इसी पर बोल रहे हैं, शांतिपूर्वक–शांतिपूर्वक। अभी आराम से सुन लेते हैं।

... (व्यवधान)

माननीय ऊर्जा मंत्रीः आदरणीय अध्यक्ष महोदय, देखो पता क्या है, मैं अपने साथियों से कहूँगा कि जितने भी राज्य इनके पास हूँ, उस सबका भी कल लेकर आ जाएं हिसाब–किताब बनाकर, तो पता लग जाएगा कि...

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः भई विजेन्द्र जी, उनको... विजेन्द्र जी तरीका ठीक नहीं है, सिरसा जी।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं ये तरीका ठीक नहीं है। नहीं, क्या कहा है उन्होंने? नहीं, क्या कह दिया उन्होंने? क्या गलत कह दिया? क्या कह दिया? उन्होंने बैठिए। आप बोलने नहीं दे रहे।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः क्यों चिंता नहीं होगी? वो हिन्दुस्तान के नागरिक नहीं है? नहीं, वो भारत के नहीं है? बैठिए, चलिए।

... (व्यवधान)

मननीय ऊर्जा मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, अरे! सुन तो लो पहले, हिम्मत तो रखो, ठंड रखो, थोड़ी ठंड रखो। अरे पहले थोड़ी ठंड रखो चिंता मत करो। अरे! मैं आपसे नहीं कह रहा था, आप चिंता मत करो। पंजाब की बात नहीं कर रहा अभी। करूँगा उसकी भी।

अध्यक्ष महोदय, आज दिल्ली के अंदर डीईआरसी ने बिजली के नए रेट तय किए हैं। मैं सारा बताना चाहता हूँ कि क्या—क्या चेंजेज है इसके अंदर। हमारी डिमांड ये थी कि दिल्ली के अंदर बिजली के रेट न बढ़ें। पिछले तीन साल से रेट नहीं बढ़े हैं, इस साल भी हमने कोशिश की थी कि कुछ कम हो जाए।

... (व्यवधान)

माननीय ऊर्जा मंत्री: अरे! सुन तो लो यार।

माननीय अध्यक्षः भई ओम प्रकाश जी, अब ये तो कोई तरीका नहीं है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, ओम प्रकाश जी मैं ऐसे मंत्री जी खड़े हैं और आप, नहीं, ये कोई तरीका है! अरे! उनको बोलने तो दो ना। क्या चीज है...

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः उनको आने तो दो। नहीं आप बीच—बीच में बार—बार टोका टाकी कर रहे हैं, सदन का समय खराब कर रहे हैं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, उनको बोलने दो।

... (व्यवधान)

माननीय ऊर्जा मंत्रीः पहले बोलने तो दो।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः कमाल की बात है! नहीं, फिर आप लोग बोलेंगे, पूरा सदन खड़ा हो जाएगा। ये कोई तरीका नहीं है। आप बैठिए पहले।

माननीय उप मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, इन लोगों को पता है कि दिल्ली में बिजली के दाम घट गए हैं। ये सुनने से घबरा रहे हैं। इनको डर है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र जी, आप बैठिए, विजेन्द्र जी, आप बोलने नहीं दे रहे हैं मंत्री जी को। विजेन्द्र जी, आप मंत्री जी को बोलने नहीं दे रहे हूँ। विजेन्द्र जी, मैं बार–बार बोल रहा हूँ, तीसरी बार बोल रहा हूँ विजेन्द्र गुप्ता जी, विजेन्द्र गुप्ता जी, आप मंत्री जी को बोलने नहीं दे रहे। मंत्री जी को बोलने दीजिए इनको।

माननीय उप मुख्य मंत्रीः इनको डर है कि सदन में सच... जैसे ही सदन में सच आएगा इनकी जमीन खिसक जाएगी। दिल्ली में बिजली के दाम घटाए गए हैं। अगर हिम्मत है तो दो मिनट सच सुनो, बहरे बनके बैठकर। धैर्य से बैठकर अगर हिम्मत हो तो दो मिनट सच सुनो, आपकी बत्ती गुल हो जाएगी, बैठो।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः बैठ जाइए आप प्लीज। बैठ जाइए उनको बोलने दीजिए।

... (व्यवधान)

माननीय ऊर्जा मंत्रीः अच्छा मैं ऐसा करता हूँ, अध्यक्ष जी, ऐसा करता हूँ सत्य की बात पहले मैं कर लेता हूँ। इस के अंदर हमारे विपक्ष के चार सदस्य हूँ। इन चारों लोगों को मैं एक आश्वासन देना चाहता हूँ... थोड़ा तमीज से बोलो, ज्यादा चें–चें नहीं किया करते, मुझे भी बद्तमीजी करनी आती है। अब सुन ले मेरी बात, सुन ले।

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र जी, ये तरीका ठीक नहीं है।

... (व्यवधान)

माननीय ऊर्जा मंत्रीः सुन मेरी बात अगर तेरा बिल बढ़ जाए ना, आकर मेरे से ले जाइयो।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र जी, नहीं कोई माइक नहीं खुलेगा, माइक बंद रखिए। कोई तमाशा है ये? आप बोलने नहीं दे रहे हैं। आप उनको बोलने नहीं दे रहे हैं। क्या बात रखना चाह रहे हैं वो?

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः सिरसा जी, ये ठीक नहीं है तरीका। नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ये बहुत गलत है। मुझे सदन चलाने के लिए... मैं पंगु नहीं बनूँगा। मुझे जो करना होगा, मैं करूँगा। नहीं, मुझे या तो सदन को चलाने

दो। मैं बार–बार वार्निंग दे रहा हूं। ऐसा है, पहले मेरी बात सुन लीजिए एक बार। माननीय मंत्री जी की... चाय के लिए स्थगित करने से पहले मेरे पास स्लिप आई थी कि मैं चाय के बाद बोलूँगा। स्लिप आई हुई है, उनको बोलने दीजिए पहले। किस विषय पर बोल रहे है? नहीं, तो आप उनको टोका... आप एक–एक सेकेंड में टोका–टाकी कर रहे हैं, आप बोलने नहीं दे रहे उनको। मुझे लग रहा है दाल में कुछ काला है आपकी। भई जगदीप जी, यहाँ आ जाइए, अपनी सीट पर आइए प्लीज। ये कोई 15 मिनट खराब कर दिए बेमतलब। ये कोई तरीका थोड़े ही है, आप बोलने नहीं देंगे! अरे! आप उनको बोलने दे रहे हैं? वो कुछ ना बोले? आप जो उनके मुँह में डालेंगे, वो ही बोलेंगे। आप उनको बोलने दे रहे हैं? पूरे 15 मिनट हो गए हैं। आप बोलने नहीं दे रहे हैं। राजेश जी, बैठिए प्लीज।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः सही राम जी, बैठिए–बैठिए, अजेश जी।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः राखी जी, आप माननीय मंत्री जी को बोलने दीजिए प्लीज। राखी जी, बैठिए।

माननीय ऊर्जा मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, 200 यूनिट तक जो बिजली के रेट अभी चार रुपये यूनिट थे, उसको घटाकर तीन रुपये कर दिया गया है।

माननीय अध्यक्षः भई, आप इसीलिए परेशान हो रहे थे आप, गरीबों के लिए सुनना नहीं चाहते आप, गरीबों के लिए सुनना नहीं चाहते आप।

बोलिए। बकवास कर रहे हैं बेमतलब। हाँ जी, आप गरीबों के लिए सुनना नहीं चाहते, आप सुनना नहीं चाहते। वो बिजली के रेट क्या बता रहे हैं, आप सुनना नहीं चाहते। क्या सुनूँ मैं! आधा घंटा खराब कर दिया आपने! ये लोकसभा नहीं है, ये दिल्ली की विधानसभा है। ये 18 दिन से चल नहीं रही लोकसभा, बैठ जाइए।

माननीय ऊर्जा मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, एक्चुअली में मैं जो कहना चाह रहा हूँ, कुछ लोगों के...

माननीय अध्यक्षः दोबारा से रिपीट कर दीजिए।

माननीय ऊर्जा मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, दोबारा से बोल देता हूँ मैं। शांतिपूर्वक सुन लीजिए, सभी के काम आएगा, सभी के फायदे की चीज है। सबको पता होना चाहिए। देखिएगा...

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः भई, कोई सदस्य टोका–टिप्पणी नहीं करेगा और... नहीं, फिर ठीक नहीं लग रहा मुझे। माननीय मंत्री जी खड़े हैं, आप बोले जा रहे हैं।

माननीय ऊर्जा मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, पिछले तीन साल से दिल्ली में बिजली के रेट नहीं बढ़े हैं और इस साल भी, मुझे खुशी है कि इस साल भी, चौथे साल भी बिजली के रेट नहीं बढ़े हैं। मैं सारी डिटेल्स...

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः उनको सुन लीजिए पहले पूरा। पहले सुन लीजिए पूरा। नहीं, वो ताली, उन्होंने मेज थपथपाई है, चलिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः : आपको मौका मिलेगा बोलने का।

माननीय ऊर्जा मंत्रीः हाँ जी, अध्यक्ष महोदय, 200 यूनिट तक के रेट चार रुपये से घटाकर तीन रुपये यूनिट किया गया है। एक रुपये यूनिट कम किया गया है। 201 यूनिट से लेकर 400 यूनिट तक का रेट 5 रुपये 95 पैसे से घटाकर 4 रुपये 50 पैसे किया गया है। 401 यूनिट से लेकर 800 यूनिट तक का रेट...

माननीय अध्यक्षः 401 से...

माननीय ऊर्जा मंत्रीः 401 यूनिट से लेकर 800 यूनिट तक का रेट 7 रुपये 30 पैसे से घटाकर 6 रुपये 60 पैसे किया गया है। 800 यूनिट से 1200 यूनिट तक का रेट 8 रुपये 10 पैसे से घटाकर 7 रुपये किया गया है और 1200 यूनिट से ऊपर का रेट 8 रुपये 75 पैसे से एक रूपया कम करके 7 रुपये 75 पैसे किया गया है, आगे सुन लीजिए।

माननीय अध्यक्षः दो मिनट रुक जाइए आप।

माननीय ऊर्जा मंत्रीः दिल्ली के अन्दर जो फिक्स चार्जिज हैं उसका पहले कारण बताता हूँ; बेकग्राउंड क्या है। केन्द्र सरकार ने... जितने भी पॉवर प्लांट्स हैं, सभी पॉवर प्लांट्स के अन्दर 50 पैसे यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ा दी है। डेट इज फिक्स्ड चॉर्ज, वो वेरिएब्ल चॉर्ज नहीं होता। 50 पैसे.

.. 50 पैसे यूनिट का मतलब है, फिक्स्ड चार्ज है, 50 पैसे यूनिट कि आप बिजली उनसे खरीदें या न खरीदें जितना आपका एग्रीमेंट है, पॉवर पर्चेज एग्रीमेंट...

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, विजेन्द्र जी, आप... विजेन्द्र जी मैं...

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः आप बैठ जाइए अब। नहीं मुझे बाहर करना पड़ेगा मजबूरी में, मैं बोल रहा हूँ अभी। मैं मजबूरी में, बोल रहा हूँ, मुझे बाहर करना पड़ेगा।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः ये कोई तरीका ठीक नहीं है। अगर... विजेन्द्र जी, मैं वॉर्निंग दे रहा हूँ अब, अब फिर मुझे बाहर करना पड़ेगा।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मैं वॉर्निंग दे रहा हूँ आपको। नहीं, आप बार बार उठ रहे हैं। मंत्री जी बोल रहे हैं, पूरा एक... क्या जस्टिफिकेशन देंगे? मंत्री जी बताएंगे नहीं! जस्टिफिकेशन नहीं देंगे। आप कोई खुदा हो गए, जस्टिफिकेशन नहीं देंगे! ये ही तमाशा लोकसभा में बना रखा है! विपक्ष ...नहीं, बिल्कुल ठीक है। ये कोई तरीका है! नहीं, वो बोलेंगे नहीं क्या? उनके... मंत्री को बोलने नहीं दे रहे हैं। 10 बार डिस्टर्ब कर चुके हैं आप।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः अब बोलिए, जितना बोल सकते हैं। बोलिए आप। नहीं, बोलिए। कमाल है!

माननीय ऊर्जा मंत्रीः 50 पैसे यूनिट फिक्स्ड चॉर्जिज, सैन्टर गवर्नमेंट ने सभी बिजली प्लांट्स के रेट बढ़ा दिए हैं, उसके अन्दर... नए टैरिफ के अन्दर तो उसका...

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं अब कोई बोलेगा नहीं प्लीज।

माननीय ऊर्जा मंत्रीः दिल्ली सरकार का पॉवर पर्चेज एग्रीमेंट लगभग 7500 हजार मैगावाट के हैं, हमारी बिजली की खपत 2000 मैगावाट से लेकर मैक्सिमम फिक्स 6500 मैगावाट तक जाती है। अगर बिजली यूज न करें तभी हमारे को फिक्स्ड चार्जेज देने होते हैं। फिक्स्ड चार्जेज में कोई फर्क नहीं पड़ता। वेरिएब्ल चार्ज नहीं चैंज किए, उन्होंने फिक्स्ड चार्ज में 50 पैसे यूनिट का चैंज कर दिया है। उसकी वजह से दिल्ली के अन्दर फिक्स्ड चार्जेज का रिवाइज किया गया है। फिक्स्ड चार्जेज जो हैं; 2 किलोवाट तक के 125 रुपये किलोवाट किया गया है।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः कितने से कितने तक?

माननीय ऊर्जा मंत्रीः सुन लो।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः पूरा बताइए न।

माननीय ऊर्जा मंत्रीः अरे! आपको तो कोई चीज... कमजोर थे क्या पढ़ाई में! पीछे बैठते थे क्या क्लास में? पहले सुन लिया करो।

... (व्यवधान)

श्री जगदीप सिंहः सर, पूरी बात तो सुन लो आप।

माननीय ऊर्जा मंत्रीः पूरी तो सुन लिया करो।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः सिरसा जी, वो बता रहे हैं, एक एक चीज। अरे! आपको बोलने का मौका नहीं चाहिए?

श्री जगदीप सिंहः पूरी बात तो सुन लो।

माननीय ऊर्जा मंत्रीः 20 रुपये से बढ़ाकर...

माननीय अध्यक्षः सिरसा जी, जो वो बता रहे हैं, जो आपको इंक्वायरी करनी है, आप नोट करिए, पूछिएगा उनसे।

माननीय ऊर्जा मंत्रीः 125 रुपये किया गया है और 2 किलोवाट से 5 किलोवाट तक का 35 रुपये से बढ़ाकर 140 रुपये किया गया है।

माननीय अध्यक्षः ये कोई तरीका ठीक नहीं। ये अच्छी लेजिस्लेटर का तरीका नहीं है।

माननीय ऊर्जा मंत्रीः 5 किलोवाट से 15 किलोवाट तक का रेट 45 से लेकर 175 रुपये किया गया है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः सवाल पूछने का मौका मिलेगा, पूछ लीजिएगा आप।

माननीय ऊर्जा मंत्रीः 15 किलोवाट से लेकर 25 किलोवाट तक का रेट जो पहले 200 था वो 200 रखा गया है।

... (व्यवधान)

माननीय ऊर्जा मंत्रीः सर जी, सुनने का माद्दा है नहीं।

श्री जगदीप सिंहः एक कॉपी मिल जाएगी आपको।

माननीय ऊर्जा मंत्रीः बता देता हूँ, दोबारा बता देता हूँ। 25 किलोवाट से ले के...

माननीय अध्यक्षः नहीं, जैन साहब, नहीं, एक सैकेण्ड भई। जैन साहब, ये एक बार शुरू से बोल दीजिए, जो आपने बोला। 50 पैसे पर यूनिट... ये एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए, समझ में नहीं आया।

माननीय ऊर्जा मंत्रीः वो सुन नहीं पाएंगे सर, दोबारा बोल देता हूँ।

माननीय अध्यक्षः हां।

माननीय ऊर्जा मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, देश के अन्दर जितने भी पॉवर प्लांट्स हैं जिनसे बिजली का उत्पादन होता है, केन्द्र सरकार के आदेशानुसार सभी की कीमत 50 पैसे पर यूनिट बढ़ा दिया गया है, रेट बढ़ा दिया गया है। फिक्स्ड चार्जेज होता है, मैं आज समझा देता हूँ। अगर एक प्लाँट से हमने 500 मैगावाट का अगर टाइअप किया हुआ है कि हमने 500 मैगावाट आपसे बिजली खरीदनी है, उसमें दो रेट होते हूँ। एक फिक्स्ड चार्ज, एक वेरिएब्ल चार्ज। फिक्स चार्ज देना ही देना है, वो मान लो दो रुपये यूनिट है, वो देना ही पड़ेगा। आप बिजली लें या न लें। बाकी वेरिएब्ल चार्ज

होता है कि दो रुपये यूनिट, ढ़ाई रुपये यूनिट, तीन रुपये यूनिट वो आपको अगर बिजली लेंगे तो देना है नही, तो नहीं देना। तो उन्होंने फिक्स्ड चार्जेज बढ़ा दिए हैं; 24 बाई 7, आपको वो पैसे देने ही पड़ेंगे, बिजली यूज करें या न करें। तो 50 पैसे यूनिट ये बढ़ गए हूँ। तो दिल्ली के अन्दर जो फिक्स्ड चार्जेज हैं, उन्होंने भी फिक्स्ड चार्जेज बढ़ाए हैं। 50 पैसे यूनिट फिक्स चार्जेज बढ़ा दिए हैं। तो दिल्ली के अन्दर जो फिक्स्ड चार्जेज हैं, दो किलोवाट तक के 20 रुपये से बढ़ाकर 125 रुपये किया गया है। दो से पाँच किलोवाट के रेट 35 रुपये से बढ़ाकर 140 रुपये किए गया है। पाँच किलोवाट से 15 किलोवाट तक के 45 रुपये से बढ़ाकर 175 किया गया है। 15 से 25 किलोवाट तक के 200 रुपये किलोवाट था, उसको 200 रुपये रखा गया है। 25 से 100 किलोवाट, 250 रुपये किलोवाट था, वो 250 रुपये किलोवाट रखा गया है। इसके साथ साथ जो 3.7 पेन्शन ट्रस्ट का था, उसको प्वाईंट जीरो वन परसेंट, प्वाईंट वन परसेंट... सॉरी, प्वाईंट वन परसेंट का मतलब होता है एक हजार रुपये के ऊपर एक रुपया। इसके ऊपर भी चिल्लाएंगे... इसलिए मैं पहले ही बता देता हूँ कि ये प्वाईंट वन परसेंट बढ़ा दिया है। आपको नहीं पता था, मैं बता रहा हूँ।

... (व्यवधान)

माननीय ऊर्जा मंत्रीः प्वाईंट वन उसमें प्वाईंट वन परसेंट यानी एक हजार रुपये के ऊपर एक रुपया।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः सोमनाथ जी, मंत्री जी को बैठा दूँ? क्या करूं, बोलिए?

माननीय ऊर्जा मंत्रीः अब मैंने...

माननीय अध्यक्षः वो भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप भी डिस्टर्ब करें। बोलने दीजिए उनको। आप भी डिस्टर्ब... मंत्री जी क्या बता पाएंगे, बताइए?

श्री ओम प्रकाश शर्माः हमारा अधिकार है बोलने का, आपका नहीं है।

माननीय अध्यक्षः इनका अधिकार है, लोकसभा में मुँह बंद करने का।

... (व्यवधान)

माननीय ऊर्जा मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैंने एक चार्ट बनाया है। अरे! सुन लीजिए यार, दो मिनट सुन तो लो। दो ही मिनट की बात है। अध्यक्ष महोदय, अगर कोई 200 यूनिट प्रतिमाह यूज करता है और उसका एक किलोवाट का कनेक्शन है तो उसे 115 रुपये की बचत होगी। नये, दोनों चीजें जोड़ने के बाद। अगर 400 यूनिट और 4 किलोवाट का कनेक्शन है तो 70 रुपये का बेनिफिट होगा। अगर 400 यूनिट... ये मैंने दोनों चीजें जोड़ दी हूँ। फिक्स्ड चार्जेज भी और कहते हैं यूनिट चार्जेज भी। अगर तीन किलोवाट का कनेक्शन है तो 175 रुपये का फायदा होगा। अगर 400 यूनिट है और दो किलोवाट का कनेक्शन है तो 280 रुपये का पर मंथ फायदा होगा। 800 यूनिट।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः सौरभ जी, सौरभ जी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं है। आप थोड़ा समझिए बात को। इतने महत्वपूर्ण विषय पर मंत्री जी बोल रहे हैं।

... (व्यवधान)

माननीय ऊर्जा मंत्रीः हाँ जी, अगर 800 यूनिट का बिल है और पाँच किलोवाट का कनेक्शन है तो 170 रुपये का बेनिफिट होगा और 800 यूनिट का बिल है और चार किलोवोट का कनेक्शन है तो 285 रुपये का पर मंथ बेनिफिट होगा। अगर 2000 यूनिट का बिल है तो लगभग–लगभग 2000 रुपये महीने का बेनिफिट होगा। अच्छा, मैं इसी के साथ–साथ इस सदन में बैठे हुए सभी सदस्यों से कहना चाहूंगा कि भई, अपना बिल ले आना और चार सदस्य विपक्ष के भी हैं, उनको भी कह रहा हूँ पर कहना तो उनको ही चाहता था। सबको ही कह रहा हूँ। अरे! करा रहा हूँ ना। आप अपनी दुकान का ले आना अगर एक रुपया भी बढ़ गया तो मैं दूँगा। अगर किसी का भी 100 रुपये बिल बढ़ता है या अपनी दुकान का बिल ले आएं, अगर इनमें 100 रुपये बढ़ गए तो पूरे के पूरे पैसे मैं दूँगा, इसकी गारंटी मेरी।

माननीय अध्यक्षः मुझे लग रहा है विजेन्द्र जी के पास केन्द्रीय सरकार की सूचना थी जिसके लिए उछल रहे थे, दिल्ली सरकार की सूचना नहीं थी।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, अब मैं स्पीकर ही हूं। स्पीकर का रोल मुझे अदा करना आता है। आपसे सीखने की जरूरत नहीं है। मुझे आपसे सीखने की जरूरत नहीं है। स्पीकर हैं, स्पीकर रहिए!

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः आपने समय... इजाजत मांगी।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः हाँ, तो अभी अभी कहा मैं बोलना चाह रहा हूँ।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः बिजली की कीमतें सरकार ने बढ़ाके लोगों की आँख में धूल झोकने...

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः भई, अमानतुल्लाह जी।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः एक किलोवाट और 200 यूनिट। ये कितने लोग हैं, सवाल ये है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः अखिलेश जी।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः सवाल ये है और जो जो वजन पड़ा है दिल्ली के लोगों पे। मैं बताता हूँ ना, आपको कैसे पड़ा है। करूँ मैं केलकुलेट? मैं करूँ क्या केलकुलेट? एक तो बिजली की कीमत बढ़ा दी, छः गुना! 20 रुपये से आपने सवा सौ रुपये, सवा सौ रुपये सीधा। साढ़े छः गुना। साढ़े छः गुना, आपने साढ़े छः गुना, साढ़े छः गुना फिक्स्ड चार्जेज बढ़ाए हैं। आप बात कर रहे हैं अब। अब मैं बोलू अध्यक्ष जी? मैं बोलूँ अब?

माननीय अध्यक्षः ये बताया मंत्री जी ने। नहीं, केन्द्रीय सरकार ने बढ़ाए हैं, 50 पैसे।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी झूठ! सरकार गुमराह कर रही है सदन को।

माननीय अध्यक्षः चलिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः मैं बताता हूँ।

माननीय अध्यक्षः बताइए, बताइए। क्या बता रहे हैं? अब बैठ जाइए।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी, अगर 400 से और 800 यूनिट के बीच में किसी का बिजली का बिल आता है और पाँच किलोवाट का उसको कनेक्शन है तो पाँच किलोवाट पर उसको 700 रुपये तो फिक्स्ड चार्जेज हो गए, यानी कि वो एक यूनिट भी खर्च नहीं करे तो उसको 700 रुपये देना ही देना है। 200 यूनिट वाला भी अगर एक भी पैसा खर्च न करे तो उसको सवा जो आपने बताया है, उसको सवा सौ रुपया देना ही देना पड़ेगा। अगर 100 यूनिट यूज करता है, वो मान लीजिए तो 100 यूनिट का उसका 420 रुपये बिल आता था, अब उसका 100 यूनिट का 300 जमा 125, 425 रुपये बिल आएगा। आप कह रहे होकृ आप कह रहे हो. .. आप कह रहे हो, बिल घट गया।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र जी।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः आप क्या बात कर रहे हो आप? चलिये, मैं बताता हूँ आपको।

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र जी, बैठिये।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः चार सौ या आठ सौ यूनिट।

माननीय अध्यक्षः हो गया, ये क्लीयर हो गया। बैठिये, विजेन्द्र जी, मैं सीलिंग पर चर्चा के लिए...

श्री विजेन्द्र गुप्ताः सात रुपये तीस पैसे और 800 यूनिट कितना हुआ?

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र जी, आप बैठिये।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी, बिजली की जो कीमत बढ़ी है, सिरसा जी, हमारा... हम इसके फेवर में नहीं हैं। बिल्कुल नहीं हूँ। आप गुमराह कर रहे हैं सदन को।

माननीय अध्यक्षः सीलिंग पर चर्चा के लिए सोमनाथ भारती जी। सीलिंग पर चर्चा के लिए सोमनाथ भारती जी। सीलिंग पर चर्चा के लिए सोमनाथ भारती जी, सीलिंग पर चर्चा के लिए सोमनाथ भारती जी।

श्री सोमनाथ भारतीः अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः वो आपसे कह रहे हैं, बॉयकाट कर रहे हैं, आप करिये। आपने कहा ना, चलिये, आपने भी इशारे से कहा। मैं आपको समय नहीं दे रहा हूं। मैं कोई समय नहीं दे रहा हूँ, नहीं, प्लीज।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः भाई साहब, दिल्ली परेशान हो रही है, सीलिंग... सीलिंग से बंद है। सीलिंग से मर रही है दिल्ली। सीलिंग से आज रामलीला मैदान मर रहा है।

श्री सोमनाथ भारतीः आज दिल्ली का व्यापारी...

माननीय अध्यक्षः करिये आप जो करना है, करिये।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः करिये।

श्री सोमनाथ भारतीः पस्त हो करके... अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः सोमनाथ जी, अलका जी कुछ कह रहीं हैं पहले।

सुश्री अलका लाम्बाः अभी खबर आयी है, अध्यक्ष जी, बहुत गंभीर मामला है। हाँ दो मिनट। हाँ, दो मिनट आप सीलिंग पर बोलिएगा।

माननीय अध्यक्षः मैंने कहा, बोलने का मौका दूँगा, उससे पहले उन्होंने कह दिया, चलिये बाहर। विजेन्द्र जी ने भी कहा, चलिये बाहर। मैं सुन रहा हूँ बैठा हुआ। विजेन्द्र जी, आपकी रिकार्डिंग मैं निकाल देता हूँ, आपने इशारा किया, चलिये बॉय–काट करिये। इन्होंने कहा है खुद, नहीं बोलने का, किसको मौका दूँ। अरे! जब वो कह रहा है कि बाहर जा रहे हैं हम। उन्होंने बोलते कह दिया, चलिये बाहर।

माननीय उप मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध ये है। देखिये एक मिनट, बिजली के दाम का मुद्दा, इससे पहले की सरकार ने त्राहि–त्राहि मचायी हुई थी।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः आपने भी तो...

उप मुख्य मंत्रीः एक मिनट सुन लीजिए आप, सुन लीजिए एक मिनट। थोड़ा सुनने का माद्दा रखिये, नेता जी, थोड़ा सा सुनेंगे? अरे! आपको बोलने के लिए कह रहा हूं। मैं आपको बोलवाने के लिए कह रहा हूँ। अब आप... अब आपके पास कुछ कहने–वहने के लिए तो है नहीं। मैं अध्यक्ष जी, मैं ये कह रहा हूँ...

माननीय अध्यक्षः इसीलिए तो, मैं समझ रहा हूं।

माननीय उप मुख्य मंत्रीः इनके पास कुछ नहीं है कहने लिए, इनको पाँच मिनट दे दीजिए। इनको आप समय दे दीजिए और दुनिया जहान के जो तथ्य निकाल के ला सकते हैं, मैं इनको और इनकी पूरी भारतीय जनता पार्टी, इनकी पूरी रिसर्च सैल को चुनौती देके कहता हूँ आज यहाँ... एक मिनट सुन लीजिए और बड़ी बात कह रहा हूं। सुन लीजिए, सुन लीजिए। हैं भी कंटेन्ट।

अध्यक्ष जी, मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी और इनके सारे रिसर्च सैल, सबको चुनौती देके कह रहा हूँ कि आज दिल्ली में बिजली के जो दाम कम हुए हैं, उसके खिलाफ कुछ तथ्य निकाल के लायें ,हम जवाब देंगे इनका। लेकिन तथ्य निकाल के लायें, बकवास न करें, ये चीख–चिल्लाहट न करें। बैठो, बैठो। बैठो, बैठो। आपका बिजली कंपनियों से धंधा सबको पता है, पूरे देश में एक भी सरकार... सुनो, मैं बोल रहा हूँ, पूरे देश में.

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः सिरसा जी, ये ठीक नहीं हो रहा है। मुझे उम्मीद नहीं थी। आपके नेता जी कह रहे हैं, चलिये बाहर, अपना भाषण खत्म करके.।

... (व्यवधान)

माननीय उप मुख्य मंत्रीः इनके पास कुछ है नहीं, हवा हवाई!

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः आप... सभा में सच्चाई पर आइये। आपके नेता ने कह दिया चलिये बाहर।

... (व्यवधान)

माननीय उप मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष जी, इतना बड़ा फैसला... अध्यक्ष जी, मेरा अनुरोध है, आप इस पर चर्चा कराइये, ये बहुत महत्वपूर्ण मसला है। विपक्ष दिल्ली की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष के पास जो तथ्य हैं, लेके आयें। हम उसकी धज्जियाँ उड़ायेंगे, यहाँ बैठ के। हमको पता है ईमानदारी से दिल्ली में बिजली के दाम ऐतिहासिक रूप से कम किये गये हैं। तीन साल बाद केन्द्र सरकार की करतूतों की वजह से दिल्ली के ऊपर... अध्यक्ष जी, बस एक मिनट। अध्यक्ष जी, तीन साल बाद केन्द्र सरकार की करतूतों की वजह से दिल्ली के लोगों के ऊपर जो बोझ पड़ने वाला था, उसको नहीं पड़ने दिया गया, उसको भी रोका गया है, इनकी धज्जियाँ और इनके तथ्य देने दीजिए, इनके पास है तो। ये यहाँ चिल्ला के... मुझे पता है, इनकी साजिश। यहाँ पे चिल्ला के बाहर जाके ये कहने के लिए शोर मचा रहे हैं, बिजली के दाम बढ़ गये! बिजली के दाम बढ़ गये! सदन में तथ्यों पे बात करें, इनके एक एक दावे की धज्जियाँ उड़ायेंगे बैठ के, बताइये कैसे बढ़े हैं?

माननीय अध्यक्षः एक सेकेंड सिरसा जी, बैठिये। सिरसा जी, बैठिए दो मिनट। प्लीज बैठिये। बैठिए विजेन्द्र जी। विजेन्द्र जी, बैठिए आप।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, वो बैठिए आप प्लीज। वो उप मुख्य मंत्री हैं, उप मुख्य मंत्री हैं।

... (व्यवधान)

माननीय उप मुख्य मंत्रीः मैं चाहता हूँ कि इसपे चर्चा हो। इनकी धज्जियाँ उड़े। मैं चाहता हूँ, इसपे चर्चा हो।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः अमानतुल्लाह जी, बैठिए प्लीज। माननीय सदस्यों के बहुत अधिक विषय भी आये हुए हैं और ये बिजली का मुद्दा भी, रेट का अभी सामने आया है। माननीय उप मुख्य मंत्री जी ने भी कहा कि इसपे चर्चा होनी चाहिए और मैं माननीय उप मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूँगा कि सदन का समय कम से कम दो दिन और बढ़ा दिया जाये, अगर सदन सहमत है तो।

उप मुख्य मंत्रीः मैं प्रस्तावना प्रस्तुत कर देता हूँ।

माननीय अध्यक्षः हाँ, रखिये।

सत्र की समयावधि बढ़ाने का प्रस्ताव

माननीय उप मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की विधान सभा के सातवें सत्र की बैठक सोमवार 02 अप्रैल, 2018 तथा मंगलवार 03 अप्रैल, 2018 को भी आयोजित की जाये।

माननीय अध्यक्षः यह प्रस्ताव सदन के सामने है,

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,
जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें,
(सदस्यों के हाँ कहने पर)
हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता
प्रस्ताव पास हुआ।

तदनुसार विधान सभा के सांतवें सत्र की बैठक सोमवार, दिनाँक 02 अप्रैल, 2018 तथा मंगलवार 03 अप्रैल, 2018 को भी होगी। समय वही दो बजे रहेगा और पहले सत्र में 02 तारीख को पहले सत्र में 280 के बाद बिजली का मुद्दा रखा जायेगा। उसी पर चर्चा होगी।

माननीय उप–मुख्यमंत्रीः मेरा एक अनुरोध था, मेरा एक अनुरोध था...

माननीय अध्यक्षः नहीं, अब ये हो गया। आज का मेरा बिजली के...

माननीय उप मुख्य मंत्रीः सिरसा जी, मैं आज के लिए कह रहा हूँ, आज के लिए कह रहा हूँ। मेरा एक अनुरोध था, क्योंकि विजेन्द्र जी, एक मिनट सुन लीजिएगा क्योंकि दिल्ली में बिजली के दाम...

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र जी, बैठ जाइये आप, प्लीज।

माननीय उप–मुख्यमंत्रीः क्योंकि दिल्ली में...

... (व्यवधान)

माननीय उप–मुख्यमंत्रीः अध्यक्ष जी, दिल्ली में बिजली के दाम...

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः सही राम जी, बैठिये।

माननीय उप मुख्य मंत्रीः ऐतिहासिक रूप से सरकार ने आते ही आधा किये थे और उसके बाद से लेके आज तक बढ़ने नहीं दिये हैं और आज भी जब कि केन्द्र सरकार की पूरे देश में कुचक्रों के चलते बिजली महँगी की गयी है, आज भी दिल्ली की जनता के ऊपर बिजली के दाम बढ़ाने की नौबत नहीं आने दी गयी है, ये इसलिए क्योंकि ये यहाँ सदन में चार लोग हूँगामा करके बाहर कहना चाहते हैं कि दिल्ली में बिजली के दाम बढ़े, इसलिए मैं चाहता हूँ, आज ही, इनके जो भी तथ्य हैं, आज ही मंगवा लीजिए, आज ही ये जो कुछ रखना चाहते हैं, आज ही इसका जवाब देंगे।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मैं अभी, अभी माननीय उपमुख्यमंत्री जी ने कहा, मैं अभी समय देता हूँ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, विजेन्द्र जी, आप कैसी कैसी बात कर रहे हो? बैठ जाइये नीचे। मैं नहीं दे रहा हूँ अभी। तहजीब कर रहे हैं आप। तहजीब नहीं है। क्या? किस ढंग से बात कर रहे हैं ये? नहीं किस ढंग से बात कर रहे हैं? अब मैं करवा रहा हूँ अभी। मैं कह रहा हूँ, अभी चर्चा करवा रहा हूँ मैं। बैठ जाइये।

माननीय सदस्य ध्यान देंगे। माननीय मंत्री जी ने कह दिया। सोमनाथ जी, बैठिये। मैं, अलका जी कुछ कहना चाह रही है, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैंने, मैंने समय दे दिया।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः हाँ, मैं बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूँ, बोल रहा हूँ, मैं नहीं करवा रहा हूँ अभी। मैं अभी नहीं करवा रहा हूं। बिजली पर, बिजली पर चर्चा के लिए मुझे चाहे रात नौ बजे तक सदन चलाना पड़े, मैं आज ही सदन चलाऊँगा। ना, बैठ जाइये, नहीं ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे गुंडागर्दी नहीं चलेंगी। में ऐसी गुंडागर्दी अलाउ नहीं करूँगा, धमका के... वाला बात कर रहे हैं ये। मैं अलाउ नहीं करूँगा। मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूँगा। जनता मर रही है। मेरे पास पचास लोग... आ जाइये।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः जाइये। हाँ जाइये, जाइये। अब बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः बैठिये, बैठिये, बैठिये।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मैंने कहा आज ही करवाऊँगा चर्चा। अभी नहीं दे रहा हूँ मैं। इस गुंडागर्दी के लिए मैं नहीं दे रहा हूँ समय। बकवास कर रहे हैं!

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, बैठ जायें। बैठ जायें, सभी सदस्य। सभी माननीय सदस्य, बैठ जायें प्लीज। अभी होने दीजिए, ठीक है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः ऋतुराज जी, बैठिये। बैठिए, बैठिये।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः प्लीज बैठिये। अभी मेरे पास कम से कम 25–30 लोग आए थे। दिल्ली के रामलीला मैदान में हजारों लोग बैठे हैं सीलिंग को लेकर भूखे–प्यासे। उनका आगृह था कि कम से कम सीलिंग में... आज उन्होंने धन्यवाद भी दिया। पहले दिन सीलिंग पर चर्चा हुई। आज थोड़ी चर्चा हो जाए। 10–15 मिनट। 20 मिनट के लिए। मैं समझता हूँ, ये जरूरी है। एक अलका जी मेरे पास आईं थीं। एक न्यूज एनडीटीवी पर चल रही थी। उसके बारे में मैं समझ रहा हूँ, वही विषय है। हाँ, ये बहुत ही गम्भीर विषय है। इसको एक बार... इस पर चर्चा नहीं करवा रहे हैं। सदन में कहां गये एन.डी. शर्मा जी? नारायण दत्त शर्मा जी, आप रखिए। आप भी आये थे, आपने भी बात रखी थी। अलका जी, दो मिनट बैठिए। आपको देता हूं। दानों माननीय सदस्य बोलेंगे।

स्कूल परीक्षाओं के प्रश्न पत्र कथित रूप से लीक होने का मामला

श्री नारायण दत्त शर्माः धन्यवाद अध्यक्ष जी। आपने बड़ा गम्भीर विषय है। अभी एनडीटीवी के ऊपर अभी रिसेन्टली एक न्यूज चल रही है। मुझे लगता है कि इससे पहले न तो ऐसे बैंक लूटी थी, न बच्चों का भविष्य ऐसे लूटा था जो आज की डेट ये सेन्ट्रल सरकार के द्वारा लूटा जा रहा

है। बच्चों के भविष्य के साथ... बच्चा पूरी साल में मेहनत करता है। इस मेहनत के लिए कि उसको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अच्छी पढ़ाई करने के बाद में एग्जाम में मार्क्स आएंगे। अच्छा ग्रेड आएगा, अच्छी नौकरी मिलेगी लेकिन एग्जाम से पहले पेपर लीक कर दिया जाता है। उस भ्रष्ट नेताओं के और अधिकारियों के द्वारा। उस बच्चे का भविष्य खत्म होता है बल्कि मैं तो एक बात और कहूंगा, हमारे डिप्टी सीएम साहब ने बजट अभिभाषण में बोला था कि ये इसलिए देश के उस भविष्य के साथ में खिलवाड़ करना चाहते हैं कि इनको नौकरी न देनी पड़े। इनसे कोई पढ़–लिख के नौकरी नहीं माँगे। ये देश को सिर्फ गर्त में ले जाना चाहते हैं। उन बच्चों के भविष्य को अंधेरे में ले जाना चाहते हैं। अभी एनडीटीवी के अन्दर इतनी बड़ी बहस चल रही है और जो बच्चे पढ़ाई करकर एग्जाम की तैयारी करके एग्जाम के मुहाने पर बैठे हैं और उनको पता चल रहा है कि आज का पेपर लीक हो गया और फिर वो बच्चों के लिए एक नम्बर भी डिस्प्ले पर आ रहा है कि इस पर बात करें बच्चे। मैं सिर्फ सदन के माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूँ सेन्टर की सरकार को, आप बैंकों के साथ में, जनता के साथ में, व्यापारियों के साथ में, किसानों के साथ में, सबके साथ में आप दगा कर रहे हो, धोखा कर रहे हो, झूठ कर रहे हो लेकिन भारत के भविष्य नौजवान, युवा और बच्चे हैं जो आगे चलके इस देश की मजबूत भविष्य की नींव रखेंगे। उनके साथ में खिलवाड़ न करें। यही मेरा निवेदन है इस सरकार को। जय हिन्द, जय भारत।

माननीय अध्यक्षः सुश्री अलका लाम्बा जी।

सुश्री अलका लाम्बाः धन्यवाद अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी टीवी में खबर आती है, उससे पहले बहुत से... मेरे भी चाँदनी चौक विधान सभा के बहुत

से छात्र जिन्होंने दसवीं और बारहवीं के पेपर दिये, लगातार उनके लगभग हरेक असेम्बली से, सोमनाथ भारती जी ने भी बताया सबके फोन आए कि क्या ये खबर सच है जो पेपर हम बारहवीं के क्लास के बच्चे इकॉनामिक्स का, दसवीं के बच्चे मैथ्स का पेपर देकर आये हैं, वो पेपर रद्द हो चुका है क्योंकि वो पेपर लीक हो गया था। अध्यक्ष जी, 28 लाख बच्चों के भविष्य से जुड़ा प्रश्न है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी ने सीबीएसई के एग्जाम शुरू होने से पहले सभी सीबीएसई के बच्चों बुलाकर उनको गुरू और शिष्य के... बहुत बड़ा लम्बा–चौड़ा भाषण दिया। हिम्मत मत हारिएगा, एग्जाम लिखिएगा। ये होगा, लेकिन ये गारण्टी नहीं दे पाए कि पेपर लीक नहीं होगा। आज 28 लाख बच्चे वो बारहवीं का इकॉनामिक्स का पेपर देकर आएं हैं। सबका भविष्य अंधकारमय है। सब इस समय टेन्शन में हैं। लगातार फोन कर रहे हैं। पुलिस के एक हेल्प लाइन जिसका जिक्र मैं कर रही हूँ 011–29247066, ये नम्बर पुलिस ने जारी कर दिया कि कोई भी बच्चा हो, इस हेल्पलाइन पर बात करें। क्या बात करे! क्या पूछेगा! 28 लाख बच्चे गुमराह हैं कि ये पेपर जो रद्द कर दिया गया, अब दुबारा होगा, नहीं होगा, कब होगा! रिजल्ट देर से आएंगे। दुबारा लीक होगा या नहीं होगा। इसकी कौन और क्या गारण्टी दे रहे हैं! सिर्फ एक लाइन नीचे चला दी। प्रधानमंत्री जी गम्भीर हैं। देश के एचआरडी मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी को बुलाकर इसके लिए गम्भीरता से विचार करने को कहा है। मजाक बनाकर रख दिया है! अध्यक्ष जी, ये पहली बार नहीं हो रहा है। एसएससी के स्टूडेन्ट कम से कम एक महीने से जो है, स्टाफ सलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर भूख–हड़ताल पर बैठे हुए हैं। 31 मार्च को वो हल्ला बोल जो है, वो पूरे देश के जो है एसएससी के स्टूडेन्ट जो

है, वो मार्च करने वाले हैं पार्लियामेन्ट का। उनकी भी माँग क्या थी! उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। नौकरियों तक में अपने लोगों को नौकरियाँ देने के लिए पेपर लीक करवाकर उन्हें पास कराकर और जो गरीब का बच्चा मेहनत करके पास करता है, वो फेल हो रहा है। अध्यक्ष जी, बहुत गम्भीर मामला है। दिल्ली पुलिस कह रही है, हम इसमें मामला दर्ज करेंगे। हम जाँच करेंगे। सब खानापूर्ति हैं। जवाबदेही बनती है आप लोगों की। आप बेहतर जानते हूँ। 15 लाख जो है, वो हमारे एनसीसी बच्चों का डाटा पूरा चोरी हुआ। प्रधानमंत्री जी बखूबी जानते हैं क्योंकि वो डाटा चोरी होकर आपके पीएमओ में पहुँचा है। तो आप बखूबी जानते हैं। ये किस तरीके से सीबीएसई या एसएससी के स्टूडेन्ट जो हैं, जो अपने भविष्य बनाने जाते हैं। उनके भविष्य से भारत की सरकार खिलवाड़ कर रही है और 28 लाख बच्चों का भविष्य आज मझधार में हैं। मैं कहूँगी, इसे गम्भीरता से लिया जाए और केन्द्र सरकार को जागना होगा। अभी एक सदस्य ने कहा, ये दिल्ली के मैटर पर बात होगी। यहाँ देश के बारे में बात मत करिए। पर सीबीएसई के जो 28 लाख बच्चों में दिल्ली के बच्चे भी शामिल हैं जो चिन्तित हैं और हमारे से जवाब माँग रहे हैं। हमें नहीं मालूम, वो पेपर होगा या नहीं होगा। होगा तो किस तारीख को होगा। अगर होगा भी तो दुबारा लीक होगा या नहीं होगा, इस बात की गारण्टी जो है, भारत सरकार के एचआरडी मिनिस्टरी को देनी है। धन्यवाद अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः माननीय उप मुख्य मंत्री मनीष सिसोदिया जी उत्तर दें इसका।

माननीय उप–मुख्यमंत्रीः अध्यक्ष महोदय, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मसला है जो दोनों माननीय सदस्यों ने उठाया। मैं खुद भी यहाँ पर बैठा हुआ इस

पूरे समाचार को लेके चिन्तित था और एक बार किसी टीवी चैनल से खबर आई तो मुझे लगा शायद अति–उत्सुकता, अति–उत्साह में किसी ने दे दी है खबर। इसके पहले भी कई इस तरह की खबरें आई थीं परन्तु अब आज शाम को जिस वक्त हम ये बात कर रहे हैं, ये खबर कन्फर्म है कि दोनों बारहवीं क्लास का भी और दसवीं क्लास का भी पेपर लीक हुआ। ये संयोग है कि मैं आज सुबह एक स्कूल के सामने से था और वहाँ बच्चों से मैंने पूछा तो दसवीं क्लास के बच्चे थे। उन्होंने बताया कि उनका आज मैथमैटिक्स का पेपर हैं। मैंने उन्हें बधाई भी दी और शुभकामनाएं भी दीं। अब उन बच्चों की तो सारी मेहनत बेकार चली गई। पूरे देश में... मैं सीबीएसई की कार्यप्रणाली पर सवाल नहीं उठा रहा। सीबीएसई एक इज्जतदार संस्था है। उसने एक पिछले काफी वर्षों में काम करके इज्जत अर्जित की है लेकिन आज और इस बार खासतौर से कई बार ये सूचनाएं आईं। मेरे पास कई बार पेपर्स आये। ये पेपर है, वो पेपर हैं। मैनें जाँच के लिए भी दी है। कई बार ये सही निकला। जैसे एक बार ये सही निकला कि जो पेपर व्हाट्सएप्प पर दिया गया, वो जारी किये गये पेपर्स में था। आज फिर बीच में एक बार और ह्वाट्सएप्प पर मेसेज मेरे को भेजा किसी ने कि आप चेक कराइए। मैंने चेक कराया तो वो सही नहीं था। इसका मतलब कहीं न कहीं पेपर्स चल रहे थे। बेचे जा रहे थे पेपर। आज फिर ये हुआ। पूरे देश में लाखों छात्र बड़ी मेहनत करके तैयारी करके और बहुत... हम चाहे जितनी बात कर लें, रेडियो पर जितने विज्ञापन दे दें। समाज में स्ट्रेस है, परीक्षा को लेके। तनाव है, डर है। उस डर को झेलते हुए एग्जाम देने जाते हैं और उसके बाद सीबीएसई की कार्यप्रणाली की वजह से वो पेपर लीक हो जाता है। क्या फंक्शन है और आज इन्टरनेट

के युग में, व्हाट्सएप्प के युग में आप पता ही नही लगा सकते इतनी आसानी से कि वो पेपर लीक कहां से हुआ। इन्वेस्टीगेशन एजेन्सीज काम कर रही हैं। देखते हैं, क्या नतीजा निकालते हैं। कौन लोग हैं जो इस पूरे के पूरे भारत के भविष्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। ये पेपर लीकेज का मसला नहीं है। आज पकड़ा गया, हो सकता है पिछले पहले भी लीक हुए हों। पकड़े न गये हों। तो यानी कि जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत एक तरफ और जिनके लिंक्स हैं, जो इस षडयंत्र में शामिल हैं, जो पेपर खरीद लेते हैं, वो जीतेंगे। पढ़ने की रेस में वो जीतेंगे। कल के वही आके टॉपर्स बनके अधिकारी बनके बैठे होंगे। कल बड़ी–बड़ी कम्पनियों में दावे करेंगे। हम बड़े–बड़े वो चला रहे होंगे। तो ये बड़ा मजाक हैं बच्चों के साथ! मैं खुद भी सीबीएसई के अधिकारियों से, भारत सरकार के अधिकारियों से इस बारे में बातचीत करूँगा लेकिन यहाँ ये जरूर कहना चाहूंगा कि बड़े दुःखद दौर में... पूरे देश में पहुँच गये हैं। मतलब हर वक्त, हर तरफ से इस केन्द्र सरकार के जो भी इन्स्टीट्यूशन्स हैं, उनसे लीकेज की खबरें आ रही हैं। कल चुनाव आयोग की डेट लीक हो गयी पहले। आज पेपर लीक हो गया। कभी जो है, एसएससी का पेपर लीक हो जाता है। कहीं से डेटा लीक हो जाता है तो ये जो सरकार है केन्द्र सरकार, ये लीकेज गवर्नमेन्ट बन गई है क्या? इनसे इन्टरनेट पर डेटा संभाल के नहीं रखा जाता। प्रधानमंत्री के ह्वाट्सएप्प पर डेटा संभाल के नहीं रखा जाता। ये एसएससी का पेपर बेचते हैं, लीक कराते हैं। ये मतलब... अब यहाँ तक स्थिति आ गयी है कि सीबीएसई के दसवीं और बारहवीं के लाखों छात्रों के साथ खिलवाड़ करते हुए देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते

हुए उसके पेपर लीक करा रहे हैं। अगर इनसे सरकार नहीं चल रही है तो आराम से इस्तीफा दे दें। इस देश में बहुत काबिल लोग हैं जो सरकारें भी चला सकते हैं, परीक्षायें भी करा सकते हैं, बिना लीकेज किये। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी चला सकते हैं। बिना लीकेज किये हुए एसएससी के परीक्षाएं भी करा सकते हैं और बिना बेईमानी और बिना लीकेज किये हुए बारहवीं और दसवीं के परीक्षाएं भी करा सकते हैं। लेकिन थोड़ा शर्म करें! इससे ज्यादा शर्मिन्दा हो ही नहीं सकते आप! इन मासूम बच्चों के साथ जिनको उम्मीद है, जिनको आप किताबों में पढ़ा रहे हो, भारत महान देश है। भारत का इतना बड़ा इतिहास है। भारत का इतना बड़ा बढ़िया भविष्य... हम सपने बुन रहे हैं। उनको कह रहे हैं आइए ऐसे हिन्दूस्तान में प्रवेश करते हैं जहाँ लीकेज गवर्नमेन्ट्स हैं। तो शर्मिंदा होने की बात है, मैं इसकी पूरी भर्त्सना करता हूँ, शर्मिंदा हूँ इस बात पर! आज मुझे एजुकेशन मिनस्टिर होने के नाते बहुत दुःख हो रहा है कि इतने सारे बच्चे, जिनके साथ हमारे टीचर्स ने पूरे साले मेहनत की, जिन बच्चों ने मेहनत की, जिनके पेरेंट्स ने मेहनत की, आज उनको हम कह रहे हैं, बेटा अभी तुम्हारे मेहनत का नतीजा नहीं निकलेगा, दोबारा एग्जाम में बैठना पड़ेगा। यह तो शर्मिंदगी की... कैसे नजरों से नजरें मिलाकर हम उन लाखों बच्चों को कह सकते हैं कि बेटा हमारी किसी मूर्खता की वजह से...

... (व्यवधान)

माननीय परिवहन मंत्री (श्री कैलाश गहलोत): पेपर लीक हो गया था तो वो एग्जाम दिलाने की जरूरत क्या थी बच्चों को! और एक घंटे के अंदर उनको पता चल गया कि पेपर लीक हो गया है।

माननीय उप मुख्य मंत्रीः मैं कह रहा हूँ कैसे हम किसी मासूम... 10वीं या 12वीं के बच्चे की आँखों में आँख डालकर कह सकते हैं, वो मेरे से पूछे, शिक्षा मंत्री जी, मेरी मेहनत का क्या हुआ? क्या जवाब देंगे उसको! इनको शर्म भी नहीं आती है

माननीय अध्यक्षः स्थिति यह हो गई है और इसमें सब शामिल हैं।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद। सीलिंग पर चर्चा श्री सोमनाथ भारती जी। हाँ, रखिये, रखिये।

दिल्ली में सीलिंग से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा

श्री सोमनाथ भारतीः अध्यक्ष महोदय, इससे पहले मैं सीलिंग पर अपनी बात रखूँ, मेरे पास अभी–अभी जो दर्द मनीष जी के भाषण में था, मेरे क्षेत्र की एक महिला है, शैफाली मित्तल उन्होंने भेजा है मुझे कि ***very unfair for the kids who study hard*** उनका बेटा 12वीं कक्षा में पढ़ता है...

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः आप और उसके बाद अनिल बाजेपयी जी इस पर चर्चा करेंगे। फिर हम आज का जो लिस्टेड बिजनैस है, उस पर आ जाएं।

श्री सोमनाथ भारतीः इस पर कर रहे हैं सीलिंग पर?

माननीय अध्यक्षः हाँ, बिल्कुल। सीलिंग पर करिये।

श्री सोमनाथ भारतीः तो यह मेरे क्षेत्र की महिला ने भेजा है कि ***very unfair for the kids who study hard*** और इस तरह की घटना से बहुत दुःखी हैं, बहुत लोग। अध्यक्ष महोदय, बहुत ही गम्भीर विषय है और यह लीकेज

की सरकार हो गई है, मोदी की सरकार! आज दिल्ली के अंदर दो बड़े–बड़े वर्ग आज धरना कर रहे हैं। एक तो हजारों की संख्या में शिक्षक दिल्ली में आए हुए हैं, एक उनका अलग चल रहा है और दिल्ली के रामलीला मैदान में हजारों की संख्या में आज व्यापारी वर्ग आए हुए हैं, सीलिंग के विरोध में और यह माँग कर रहे हैं कि सीलिंग पर रोक लगे और जो सील्ड प्रोपर्टीज हूँ, वो खुले। लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि सीलिंग का सारा का सारा समाधान जब भाजपा के पास है तो दे क्यों नहीं रही! पिछले तीन महीने से दिल्ली के व्यापारी इतने ज्यादा पीड़ित है, मेरे पास शब्द नहीं हूँ, बयान करने के लिए। जिन–जिन साथियों ने अमर कालोनी का वो सीन देखा होगा, उनके दिलों के अंदर क्या बीत रही है, उनके जीवन में क्या बीत रही है, हम सब समझ सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, हमने पहले भी कई बार इस सदन के अंदर इस बात को रखने का प्रयास किया कि आज वो सारी की सारी एजेंसियाँ, जो कि सीलिंग का समाधान दे सकती हैं, वो सब बीजेपी के पास हैं। डीडीए बीजेपी के पास है, एमसीडी बीजेपी के पास है, शहरी विकास मंत्रालय बीजेपी के पास है, केन्द्र सरकार बीजेपी के पास है और बीजेपी आज बहुमत में है। राज्य सभा के अंदर भी पूरी की पूरी सम्भावना है, सारी पार्टियाँ साथ देंगी। सब ने कह दिया, हर ने कह दिया कि इसका कोई समाधान हड़बड़ी में नहीं निकल सकता। आप अगर एक साल का, दो साल का मोरेटोरियम पीरियड लाकर, एक बिल पास कर दो। अगर सदन मोशन में नहीं है तो आप उसका अध्यादेश ले आओ। लेकिन पता नहीं, इनके कान पर जूँ नहीं रेंग रही। अध्यक्ष महोदय, व्यापारी वर्ग के ऊपर, जो मूलतः किसी जमाने में भाजपा का वोट बैंक हुआ करता था, आज अचानक पता नहीं क्या हो गया है कि व्यापारी वर्ग के

खिलाफ काम कर रहे हैं! आज इस तरह से देखा सदन के अंदर; बिजली के दाम घटे हैं, लेकिन शायद इनको कोई टिप पहले से दी गई थी कि किस तरह से आपको विरोध करना है।

माननीय अध्यक्षः सोमनाथ जी, इस पर आएंगे बाद में।

श्री सोमनाथ भारतीः माननीय अध्यक्ष, वो जुड़ा हुआ है।

माननीय अध्यक्षः नहीं, यहीं तक सीमित रखिये।

श्री सोमनाथ भारतीः ये क्रॉनिक कैपिटलिस्ट के पुजारी हैं। यह जो क्रॉनिक कैपिटलिस्ट है, उनके पुजारी हैं और उसकी पूजा करते–करते जो स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज के जो हमारे इंटरप्राइजेज के व्यापारी वर्ग हैं, उनके खिलाफ काम कर रहे हैं। छोटी दुकानें बंद हो जाएं, दिल्ली का व्यापार और व्यापारी वर्ग ठप हो जाए जिससे ये बड़े–बड़े जो इस्टैब्लिशमेंट लाना चाहते हैं फॉरेन कंट्रीज से, उनको जगह दे सकें। दिल्ली के अंदर खास कर के व्यापारियों पर खास बीती है, अध्यक्ष महोदय। और हम सब ने देखा है। हम सब ने अपनी–अपनी विधान सभाओं के अंदर उनकी बहुत बुरी हालत होते देखी है। पहले, सारे व्यापारी वर्ग; वो नोटबंदी से जूझे, फिर जीएसटी से जूझना पड़ा, अब फॉरेन डॉयरेक्ट इनवेस्टमैंट के कारण ये भाजपा सीलिंग कर रही है दिल्ली के अंदर। सब ने कह दिया, हमने कानून तक बता दिया कि भई यह फलाने–फलाने, फलाने–फलाने कानून में तब्दील करना है। फलाने–फलाने एसोसिएशन के साथ, आरडब्ल्यूएज के साथ, मार्केट वेल्फेयर एसोसिएशन्स के साथ, जनता के साथ, सब के साथ परामर्श करके यह समाधान निकालना है। जब तक समाधान निकले

और वो इतने इफेक्टिव तरीके से निकले कि सुप्रीम कोर्ट उसको खत्म न कर सके, उसको रिजेक्ट न कर सके, उसके लिए मोरेटोरियम पीरियड का दो साल का, एक साल का जो कुछ भी हो सके, आप बिल तो ले आओ, अध्यादेश ले आओ। लेकिन ऐसा क्या कारण है, ऐसा कौन सा मिस्टीरियस कारण है, ऐसे कौन से, इनके मन में क्या विचार है, क्या करना चाहते हैं, किसको फायदा पहुँचाना चाहते हैं, यह समझ में नहीं आ रहा। अध्यक्ष महोदय, कुछ गहरी साजिश है, हमने बार–बार कहा, हमने पहले भी कहा सदन के अंदर कि सैक्शन–5 जो डीडीए एक्ट का है, उसमें एडवाइजरी काउंसिल है और एडवाइजरी काउंसिल डीडीए एक्ट का है, उसका कुल मिलाकर के काम यह है जो सब–सैक्शन–3 कहता है उसका, कि आप मास्टर प्लान पर जो कुछ भी तब्दीली करनी चाहिए, उसके ऊपर काम करोगे और डीडीए को आप सलाह दोगे। लेकिन पिछले सात साल में चार साल भाजपा के, तीन साल काँग्रेस के, एक भी मीटिंग एडवाइजरी काउंसिल की नहीं हुई है और एडवाइजरी काउंसिल के अंदर दो लोक सभा के सदस्य हैं और दोनों भाजपा के हैं और एक राज्य सभा का सदस्य है, वो भी भाजपा के हैं। तो ये तीनों भाजपा के जो सदस्य हैं, इन तीनों सदस्यों ने क्या कर लिया! इनकी एकाउंटबिलिटी कौन फिक्स करेगा, इनसे कौन डिमांड करेगा कि जो आपने अपने कर्त्तव्यों का निर्वाह नहीं किया, जिसके कारण आज व्यापारी वर्ग दिल्ली का अपने परिवार सहित रामलीला मैदान में आया है। अध्यक्ष महोदय, इनके लिए डूब मरने की बात है लेकिन इनके कान पर क्यों जूँ रेंगे! इनकी दुकानें तो चल रही हैं, इनके व्यापार चल रहे हैं, इनकी मिठाई की दुकान चल रही है। अध्यक्ष महोदय, मुसीबत क्या है कि इन लोगों ने...

... (व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश शर्मा: तुम्हारी कितनी...

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: ओम प्रकाश जी, फिर आप गलत बोल रहे हो।

श्री ओम प्रकाश शर्मा: ये मेरे पर बोलेंगे...

... (व्यवधान)

श्री सोमनाथ भारती: आपकी मिठाई का दुकान है?

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: : क्या बोला है इन्होंने? मिठाइयाँ पूरी दिल्ली बेचती है।

श्री सोमनाथ भारती: अध्यक्ष महोदय, न तो हमने इनका नाम लिया.

... (व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश शर्मा: हमने भी आपका नाम नहीं लिया।

... (व्यवधान)

श्री सोमनाथ भारती: अरे भाई! तो मिठाई की दुकान कहा है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: सोमनाथ जी...

... (व्यवधान)

श्री सोमनाथ भारतीः बैठ जाओ, बहुत हो गया। अरे, बैठ जाओ भाई।

श्री ओम प्रकाश शर्माः गड़बड़ है...

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः गड़बड़ तो मुझे लग रहा है, मै क्या कहूँ?

श्री सोमनाथ भारतीः देखो, कहाँ लग रहा है गड़बड़, बता रहे हैं।

माननीय अध्यक्षः छोड़िये आप।

श्री सोमनाथ भारतीः अभी बाहर किया था, अभी माफ करके लाए हैं आपको अंदर।

माननीय अध्यक्षः सोमनाथ जी, आप इनके ट्रैप में आ रहे हैं, मैं बार—बार कह रहा हूँ। आप इनके ट्रैप पर आ रहे हैं, वो नहीं चाहते चर्चा हो, बिजली पर। आप समझते नहीं हैं, सीलिंग पर चर्चा हो, वो नहीं चाहते।

श्री सोमनाथ भारतीः अध्यक्ष महोदय, आज व्यापारी वर्ग इतनी भारी संख्या में जब रामलीला मैदान में आया...

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः आप बोलते रहिये।

श्री सोमनाथ भारतीः अपना अहँकार, अपना स्वाभिमान छोड़कर के अगर हम उनकी चिंता कर रहे हैं, आप बताये क्या करना पड़ेगा उनको यकीन दिलाने के लिए? इन भाजपाइयों ने और काँग्रेसियों ने पूरी दिल्ली को गुमराह करने का प्रयास किया कि नहीं जी, केजरीवाल सरकार ने इसका

रिलीफ लाना है। अरे, कहाँ से रिलीफ लाना है। डीडीए तुम्हारे को दिया है जनता ने, एमसीडी तुम्हारे को दिया है जनता ने, यूडी मिनिस्ट्री तुम्हारे पास है, केन्द्र सरकार तुम्हारे पास है और रिलीफ हमारे यहाँ से आएगा। नहीं, आप अच्छा–अच्छा वकील कर लो, अच्छा–अच्छा वकील कर लो। हमने वकील भी कर लिया। जो डीडीए को रिप्रजेंट करेगा, उसका वकील कौन देगा? जो एमसीडी को रिप्रजेंट करेगा, उसका वकील कहां से आएगा? जो केन्द्र सरकार को रिप्रजेंट करेगा, उसका वकील कहाँ से आएगा। नहीं, केजरीवाल साहब वकील करें, अच्छे वकील करें। केजरीवाल साहब 351 सड़कों को नोटिफाई करें। अरे भइया, 351 सड़कों पर तो एक भी सीलिंग नहीं हुई है। उसके बावजूद भ्रष्ट एमसीडी के लोगों ने उस पर फ्रॉड्यूलेंट रिपोर्ट्स बनाकर के अपनी दुकानदारी चलाकर के, अपने साइकिल से मर्सिडीज बनाने का व्यापार कर कर के, इन लोगों ने ढ़ाई हजार सड़कों के ऊपर फेक रिपोर्ट्स बनाकर के, वो चाह रहे थे 351... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः अब कन्क्लूड करिये।

श्री सोमनाथ भारतीः मैं आ रहा हूँ। वो चाह रहे थे...

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः कन्क्लूड करिये, सोमनाथ जी।

श्री सोमनाथ भारतीः तो अंततः हमारी सरकार ने सब कुछ कर कराकर के, पूरा का पूरा 351 सड़कों का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के सामने है, ऐफिडेविट हमने फाइल कर दिया। अध्यक्ष महोदय, इनके पास जब कुछ भी नहीं मिला, केजरीवाल सरकार को हम कैसे लाएं! बड़ा अचंभा हुआ उस दिन, जब

केजरीवाल साहब ने खुद अपने नेतृत्व में मीडिया को बुलाकर के कहा कि भाजपा के साथी आ जाएं। काँग्रेस के साथी आ जाएं और सबके सामने साफ साफ हो जाए कि भई, किसका क्या दायित्व है, किसने क्या करना है। दिल्ली सरकार ने क्या करना है, केन्द्र सरकार ने क्या करना है, एमसीडी ने क्या करना है। तो भाजपा के साथी आए और झगड़ा करके भाग गए और इल्जाम क्या लगाया कि वहाँ मारपीट हो गई। अरे भई, किसकी मारपीट हो गई! वैसे ही मारपीट जैसे कि सीएस के साथ हुई थी। वहाँ भी ढ़ोंग और यहाँ भी ढ़ोंग, हर तरफ ढ़ोंग! अध्यक्ष महोदय, सीलिंग की समस्या का समाधान देने की मंशा इनके मन में नहीं है। इनको कई मौके दिये गये। माननीय मुख्य मंत्री ने इनको कई मौके दिये कि भई, आकर समझाओ, हम तो सब कुछ करने को तैयार हैं। केजरीवाल साहब सब कुछ करने को तैयार हैं लेकिन ये बात साफ साफ अध्यक्ष महोदय, कि सीलिंग का समाधान इनके हाथों में होने के बावजूद ये व्यापारियों के दुश्मन बने हुए हैं और क्यों बने हुए हैं, क्योंकि ओवर द इयर्स जो दिल्ली को इन्होंने खराब किया है, जो दिल्ली के अंदर मास्टर प्लान की धज्जियाँ उड़ाई हैं, उस धज्जियों को उड़ाने में इनके घर बसे हैं। इनके पार्षद! जिनके पास साईकिल हुआ करता था, आज मर्सडीज है। जो कभी थर्ड फ्लोर पर हुआ करते थे...

माननीय अध्यक्षः भई अब सोमनाथ जी, कन्क्लूड करिए, नहीं अब कन्क्लूड करिए। 15—20 मिनट हो गए हैं।

श्री सोमनाथ भारतीः एक मिनट दे दीजिए। मैं इस बात को कहना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, कि आज पार्षद मालामाल हो गए। अधिकारी

मालामाल हो गए लेकिन भुगत कौन हो रहा है, सिर्फ व्यापारी! उन व्यापारियों को जिनसे कि आपने हजारों करोड़ों कमाये और आज उनके साथ खड़ा होने में आपको शर्म आ रही है। मैं खुला चैलेंज करता हूँ इनको कि वो प्रोविजन बतायें जिसके अंदर केजरीवाल साहब ने काम करना है। मैंने प्रोविजन बताया; सेक्शन–5 डीडी एक्ट में काम करना है एडवाइजरी काउंसिल ने। मास्टर प्लान आता है डीडीए का, इम्पलीमेंट करना एमसीडी ने और इन सबको करने में जो वक्त लगेगा उस वक्त को खरीद सकें, उस वक्त को ले सकें, ये वो वक्त अवेलेबल करा सकें, ये इसके लिए इनके पास पूरी ताकत है, पूर्ण मिजोरिटी है और ये भी सिर हिला रहे हैं। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि भइया, अपने आकाओं को बोलो कि पार्लियामेंट में एक पन्ने का बिल आएगा, एक पन्ने का बिल आएगा। अध्यक्ष महोदय, एक पन्ने का बिल मैं ड्राफ्ट करके देने को तैयार हूं। वो एक पन्ने के बिल को ये पार्लियामेंट में पास कर दें। एक साल का मोरेटोरियम पीरियड ले आएं और तब तक सबसे सलाह मशविरा करके इसका समाधान निकाल लें। इसके दौरान जितने सील्ड प्रोपर्टीज हैं, मैं डिमांड करता हूँ आपको ये अध्यक्ष महोदय, कि जितने सील्ड प्रोपर्टीज हैं, सबको खोला जाए क्योंकि सारे व्यापारी रो रहे हैं, खून के आंसू रो रहे हैं। और व्यापारी अकेला नहीं है, एक दुकान के पीछे कम से कम तो 10 फैमिली हैं अध्यक्ष महोदय। एक दुकान के पीछे कम से कम 50 लोग हैं तो मान लीजिए आठ लाख व्यापारी और 5–50 कर लीजिए तो ये पूरे देश के अंदर फैले हुए हैं। कई व्यापारी वर्ग के लोग काम करते हैं उनके परिवार पीछे कई राज्यों में रहते हैं तो इतने भारी संख्या में लोगों को जो तकलीफ दे रहे हैं, ये इनका क्या फायदा हो रहा है, ये ही जानते हैं अध्यक्ष महोदय। पूरा सदन और मैं आपके जरिए

ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सदन की मंशा को केन्द्र सरकार के यहाँ पहुँचाइए और कहिये कि भइया, दिल्ली का सदन, दिल्ली विधानसभा पूर्ण बहुमत से, मैं मानता हूँ कि हमारे साथी इसमें सम्मिलित होंगे सभी लोग चाहते हैं कि एक पेज का कानून पास करके मोरेटोरियम पीरियड ले आओ, व्यापारियों को बचा लो। अध्यादेश लाओ, व्यापारी बचाओ, केन्द्र सरकार होश में आओ, धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय।

माननीय अध्यक्षः अनिल बाजपेयी जी। मेरे पास आ गया, मैं सत्ता पक्ष से दो दे रहा हूँ और एक आपको दे रहा हूँ।

श्री अनिल वाजपेयीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने सीलिंग जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुझे बोलने का अवसर दिया। सबसे पहले मैं अपनी विधानसभा से शुरू होता हूँ। अध्यक्ष महोदय, गाँधी नगर में 10 हजार दुकानें हैं रेडीमेड गारमेंट्स की और उन रेडीमेड गारमेंट्स के अलावा हर दूसरी या तीसरी गली में हर तीसरे मकाने में कोई न कोई रेडीमेड गारमेंट्स की फैक्टरी चल रही है और जिसमें हजारों की संख्या में लोगों को रोजगार मिल रहा है। आज तीन से चार महीने हो गये, सीलिंग का इतना बड़ा आतंक हो गया कि अगर कोई व्यक्ति एक लाल डायरी लेकर भी अगर चला जाए और ये अगर हो जाये कि एमसीडी का कर्मचारी आ गया तो सारी गाँधी नगर की मार्केट पूरी की पूरी सर, बंद हो जाती है आज। अभी ईडीएमसी के अंदर, मैं ईडीएमसी का मेंबर भी हूं। हमने वहाँ ईडीएमसी में दो हाउस के अंदर इस बात का प्रस्ताव रखा कि जिन लोगों ने कन्वर्जन चार्जेज जमा कर दिये हैं, जिनका कोई बकाया नहीं है और उनकी दुकानें सील कर दी गईं, उनकी फैक्टिरियां सील कर दी गईं। हाउस टैक्स के नाम पर... आज हाउस टैक्स के नाम पर वहाँ पर भगदड़

सी मची रहती है और जिन लोगों के ट्रेडिंग लाईसेंस बने, सर, उन लोगों की भी फैक्टिरियाँ सील की गई हैं। उन लोगों की दुकानें सील की गई हैं। मैं पूछना चाहता हूँ सर, कि जो एक हजार रुपये का कन्वर्जन चार्जेज जो जमा हुआ है, उसका हिसाब किसके पास है? आज भी... कल मेरे पास एक केस आया और सर, मैं आपके पास सदन में रखूँगा कि कई व्यापारियों ने गाँधी नगर के कन्वर्जन चार्जेज जमा करा दिया और उनके यहाँ सीलिंग करने लोग पहुँच गये। उन्होंने रसीद दिखाई कि ये देखिये, ये रसीद है और ये ईडीएमसी के द्वारा जो रसीद दी गई। बोले, ये रसीद किसी ने चोरी से रसीद बुक चुरा ली और इसकी एफआईआर दर्ज करा दी गई। 95 हजार रुपये का बिल उस व्यापारी का था। इसकी जाँच कराई जाए सर। इसका विद प्रूफ मैं आपको सदन में जब होगा, आपको रखूँगा दो तारीख को। एक बात मैं कह देना चाहता हूँ कि आज भाजपा के सात सांसद दिल्ली के अंदर हैं और किसी भी सांसद ने आज लोकसभा में, राज्यसभा में एक भी आवाज दिल्ली के व्यापारियों के लिए संसद में नहीं उठाई, सिर्फ दिखावा किया है। हमारी पार्टी के सांसद अभी बिल्कुल नये नये चुने गये, माननीय संजय सिंह जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं सुशील गुप्ता जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि जिन्होंने... मैंने एक बार उनसे कहा कि हमारे गाँधी नगर में लोग बेरोजगार हो रहे हैं। उन्होंने संसद के अंदर आवाज उठाई और खासकर गाँधी नगर के बारे में आवाज उठाई। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री साहब से मिले, गाँधी नगर के सारे व्यापारी उनसे मिलने गये, उनके निवास स्थान पर और हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर, ये इनके बच्चे हैं, ये कहां जाएं? दुकानदारों ने उन लोगों को नौकरी से निकाल दिया। दुकानदार भाईयों की भी कोई गलती नहीं है। वो कहते हैं

सर, हमारे पास बोहनी नहीं होती। आज जहाँ हमारी लाखों रुपये की दुकानदारी होती थी, आज हमारे यहाँ एक हजार, दो हजार रुपये की मार्केट में सेल नहीं है, हम क्या करें? माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं व्यापारियों की बात सुनने के लिए आपकी विधानसभा में आऊँगा। माननीय मुख्यमंत्री साहब हमारे यहाँ आये चार से पाँच हजार की संख्या से अधिक लोग हमारी विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए आए। माननीय मुख्यमंत्री साहब ने एक बात कही कि दिल्ली के लोग और हम, दिल्ली के मुख्यमंत्री, हमारी सरकार ये चाहती है कि सीलिंग का समाधान हो लेकिन सीलिंग का समाधान करेगा कौन? उन्होंने कहा कि अगर... क्यों नहीं, लोकसभा के अंदर एक लाइन का रखिये प्रस्ताव कि दिल्ली के लोगों के लिए सीलिंग रोकी जाए। क्यों नहीं प्रस्ताव भाजपा के लोग लाना चाहते हैं? हमारे विपक्ष के साथी बैठे हुए हैं। ओमप्रकाश शर्मा जी डीडीए के मेंबर भी हैं। हमारे सौरभ भाई हैं, सोमनाथ जी हैं, बग्गा जी बैठे हैं। हम लोग डीडीए की हेयरिंग में भी गए। हमने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बात की। हमने वहाँ कहा गाँधी नगर में सीलिंग हो रही है। हमने कहा ओमप्रकाश शर्मा जी, विश्वास नगर आपका क्षेत्र है, आपके क्षेत्र में भी सीलिंग हो रही है। हमारे लक्ष्मी नगर में सीलिंग हो रही है। जिन लोगों ने... और तो और सर, जिन लोगों ने दस साल पहले मकान खरीदा है, आज उनका भी मकान सील किया जा रहा है। उनके घर के सामान को उठाकर बाहर फेंका जा रहा है। शांति मोहल्ला... हमारे यहाँ एक्सपोर्ट सरप्लस की सबसे बड़ी मार्केट है, आज भी अगर वहाँ चलिए, कल भी वहाँ दुकान बंद रही। चार दिन से वहाँ दुकानें बंद हैं। लोग, व्यापारी सड़क पर उतरे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? और एक बात बता देना चाहता हूँ सर, हम लोग माननीय

उपराज्यपाल महोदय से भी मिले थे और ढ़ाई घंटे खुली छत के नीचे बैठे रहे। बाद में माननीय उपराज्यपाल महोदय ने बुलाया, हमने उनसे एक बात कही, हमने कहा सर, पापी पेट का सवाल है अगर लोगों का रोजगार छिन जाएगा और लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा तो कल को सर, वो हमारा घर लूटेंगे या आपका घर लूटेंगे माननीय उपराज्यपाल साहब! और हमने कहा कि मजबूर मत कीजिए, अभी सीलमपुर के अंदर 2002 में आप सभी लोग जानते हैं, वहाँ पर सीलिंग हुई जाफराबाद के अंदर और चार लोग मौत का शिकार हो गए। कहीं ऐसा न हो कि लोग कानून अपने हाथ में ले लें... कानून व्यवस्था अपने हाथ में ले लें तब लोग क्या करेंगे? इसलिए सर, हम एक बात जरूर कह देना चाहते हैं कि आज सारे हाउस के हमारे सभी सदस्यगण यहाँ मौजूद हैं और एक स्वर में सर, हम माँग करते हैं और आप हमारे अध्यक्ष हैं, आपके शाहदरा में भी इंडस्ट्रियल एरिया है सर, आपके यहाँ भी सीलिंग हो रही है सर, ये... मैं ये कहना चाहता हूँ चाँदनी चौक में... अलका जी बैठी हैं, उनके यहाँ पर सीलिंग हो रही है। मैं एक स्वर से माँग करता हूँ कि पूरी... यहाँ पर जितने भी हमारे सदस्य बैठे हैं, चाहे सत्ता पक्ष के हों, चाहे विपक्ष के हों, एक स्वर से हमारी माँग है केन्द्र सरकार से कि ये सुन लीजिए कि हम मांग करते हैं। कि लोक सभा में प्रस्ताव लाइए और दिल्ली के अंदर सीलिंग को रुकवाइए। ये हमारी सर, माँग है और ये हमारी भावना है।

मुझे उम्मीद है अध्यक्ष महोदय, कि आपका क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है, ओम प्रकाश शर्मा जी का भी क्षेत्र इससे अछूता नहीं है, अलका जी का क्षेत्र अछूता नहीं है। कहीं ऐसा न हो कि लोग अपने आप कानून को हाथ में लें।

एक बात और कह देना चाहता हूँ बार—बार सर, बात आती है; गलती कहीं न कहीं काँग्रेस से हुई है। जिस समय काँग्रेस सत्ता में थी सर, उस समय एमसीडी में भी काँग्रेस की सरकार थी, राज्य में काँग्रेस की सरकार थी, केन्द्र में काँग्रेस की सरकार थी। सही तरीके का मास्टर प्लान—2021 को जो लोग नहीं लेकर आए। आज काँग्रेस के लोग कहते हैं... हमें जिम्मेदार ठहराते हैं। अरे सुन लो काँग्रेस के लोगो, सबसे बड़ी गलती तो आपने की है। आपने जो पाप किये हैं, उसको कहीं न कहीं हमको भुगतना पड़ रहा है। लेकिन भाजपा आज दस साल से अधिक शासन में भाजपा का ईडीएमसी में है। सारी हमारी एमसीडी के अंदर हैं। भाजपा के लोगों ने क्या किया है? ये कौन से व्यापारियों के साथ खड़े हैं?

माननीय अध्यक्षः बाजपेयी जी, कन्क्लूड कीजिए।

श्री अनिल कुमार बाजपेयीः सर ईडीएमसी के मेयर ने सीलिंग के मुद्दे पर मैने उससे समय माँगा। 25 सारे हमारे दस काउंसलर हमारे एल्डैर मैन, हमारे तीन विधायक, हम लोग ईडीएमसी के मेयर से मिलने के लिए गए। हमने कहा, गाँधी नगर के व्यापारी आपसे बात करना चाहते हैं, सीलिंग के बारे में बात करना चाहते हैं। साढ़े तीन बजे का सर, समय दिया। बगैर मिले सर, चली गई। हमसे व्यापारियों से मिलना तक उचित नहीं समझा। व्यापारी दिल्ली के चोर नहीं हूँ सर, टैक्स देते हैं और पुराना इतिहास पाँच हजार वर्षों का उठा लीजिए। पहले लोग नगर सेठ होते थे, सब लोग इन व्यापारियों की वजह से कहीं न कहीं... हमारी भी सरकार और केन्द्र की सरकार चल रही है। आज पूरे देश का हमारे सवर्ण भाई पूरे देश की बीजेपी की सरकार के खिलाफ हैं। आज जितने हमारे व्यापारी वहाँ बैठे हुए हैं, हमारी सहानुभूति उनके साथ है। हमारे परिवार की सहानुभूति उनके साथ है।

मैं अध्यक्ष महोदय पुनः आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ और आपसे माँग करता हूँ कि आप भी हमारी इस माँग में सम्मिलित रहें और मैं कहूंगा, विपक्ष के लोगों से भी... हमारे मुख्य मंत्री साहब ने कहा है, हमारे मुख्य मंत्री जी ने बोला है कि आप चलो हमारे साथ, बड़े सम्मान के साथ अपने घर, उन्होंने सभी सांसदों को बुलाया था। लेकिन इनमें से बड़बोले सांसद थे विधूडी साहब, वो ही झगड़ा करने लगे माननीय मुख्य मंत्री जी से। लेकिन हम वो लोग नहीं है। ये कुछ भी करते रहूँ। बाद में हमने काँग्रेस को भी आमन्त्रित किया। भाजपा के लोगों को भी आमन्त्रित किया। आज भी हमारे मुख्य मंत्री इनको आमन्त्रित करते हैं और इनके साथ... हमारे साथ खड़े तो हैं। आज केन्द्र में आपकी सरकार है, क्यों नहीं चलते आप हम लोगों के साथ?

अध्यक्ष महोदयः बाजपेयी जी, बैठिए अब। कन्क्लूड करिए।

श्री अनिल कुमार बाजपेयीः आप नहीं चलेगें तो मैं समझता हूँ कि आप की भी भागीदारी है, कहीं न कहीं आप लोग भी इससे मिले हुए हैं।

मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपका बहुत—बहुत शुक्रिया।

माननीय अध्यक्षः श्री ओम प्रकाश शर्मा जी।

श्री ओम प्रकाश शर्माः धन्यवाद अध्यक्ष जी। आपने मुझे सीलिंग के ऊपर अपने विचार रखने का मौका दिया। आज मैं दिल्ली के रामलीला मैदान में गया था। मेरे साथी श्री बाजपेयी जी और सदन के जो सभी सदस्य हैं, उनकी जो दिल्ली के व्यापारियों और व्यापार पर हो रही सीलिंग के प्रति जो चिंता है, मुझे लगता है इसमें पक्ष और विपक्ष सभी एक मत हैं। आज

दिल्ली त्राहि–त्राहि कर रही है। अभी मेरे कुछ साथियों ने कहा कि दिल्ली में जो भी बातें हुई या हमने आज से तीन–चार दिन पहले एक मसौदा यहाँ तैयार किया दिल्ली में सीलिंग को रोकने के लिए। आज दिल्ली में जो सीलिंग हो रही है, उसके जिम्मेदार कौन हूँ! दिल्ली में यदि हम सीलिंग की बात करें तो आज जो दिल्ली में सीलिंग हो रही है, वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई मॉनिटरिंग कमेटी के द्वारा दिल्ली में सीलिंग हो रही है। सच क्या है, आप बता दीजिए।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः सोमनाथ जी, सोमनाथ जी, मैं अब अलाऊ नहीं करूँगा। सोमनाथ जी, बैठिए, ये सारा समय... जो महत्वपूर्ण विषय है, वह रह जाएगा। आप बार–बार ट्रैप हो रहे हैं, बार बार ट्रैप हो रहे हैं। सारी जनता को मालूम है। किसको मालूम नहीं है दिल्ली की जनता को?

श्री ओम प्रकाश शर्माः दिल्ली में हो रही सीलिंग के विषय में एनपीडी–2021 के अनुसार दिल्ली के व्यापारी, आरडब्ल्यूए, माननीय उच्चतम न्यायालय, पर्यावरणविद् उन सभी की चीजों को ध्यान में रखते हुए, इस सदन के जो चार सदस्य उसके मैम्बर हैं। दिल्ली की जनता को रिलीफ देने की कोशिश की गई और इसमें पार्किंग से लेकर ट्रैफिक सीवर और जो भी नौ प्वाइंट हैं, उनका ध्यान रखते हुए एक समन्वय करने के बाद में एक एफिडेविट तैयार किया गया। आज जो दिल्ली की दिक्कत है, दिल्ली में जो मॉनिटरिंग कमेटी के निर्देशन में जो सील हो रही है, वो ऐसा लगता है, दिल्ली के अंदर मॉनिटरिंग कमेटी जिस प्रकार कार्य कर रही है, किसी भी देश के जनताँत्रिक ढाँचे में बिना किसी दूसरे के पक्ष को सुने, बिना

किसी को नोटिस दिये, बिना किसी के कागज दिये जिस प्रकार से सीलिंग हो रही है, ये बिल्कुल गलत कार्य है, यह अमानवीय भी है और मुझे लगता है, ये गैर कानूनी भी है। किसी भी व्यक्ति को, चाहे उसने कन्वर्जन चार्ज में लेट किया हो या और कोई कारण हो, उसको एक खास समय सीमा के लिए नोटिस दिया जाना चाहिए और उसको अपना पक्ष रखने का समय देना चाहिए। लेकिन मॉनिटरिंग कमेटी ये नहीं कर रही और जिन लोगों ने कन्वर्जन चार्ज जमा किया है और कन्वर्जन चार्ज में भी विशेष रूप से जो कार्पोरेशन की कॉम्पीटैंट आथोरिटी के द्वारा जिन दुकानदारों को नोटिस देकर कन्वर्जन चार्ज जमा किया गया, उन लोगों की दुकानों को भी सील किया जा रहा है जो कि अमानवीय है। इसके अलावा जिन दुकानों को सील किया जा रहा है, उनको अगर डि–सील कराने की बात करते हैं तो केवल प्रोसेसिंग के लिए एक लाख रुपये का पे–आर्डर उसके साथ जमा कराना होता है जो कि जजिया कर है। आज ये जो कुछ सारा हो रहा है, आज अपने अधिकारों का दुरूपयोग जो हमारी ये मॉनिटरिंग कमेटी कर रही है। इसके अलावा अगर हम अन–ऑथोराइज्ड कालोनियों की बात करें तो अन–ऑथोराइज्ड कालोनियों के अंदर जो बने हुए बारात घर हैं, उन बारात घरों को सीलिंग कराने का काम दिल्ली सरकार के जो एसडीएम हैं, उनके आदेश से हो रहा है। तो जहाँ पर अन–ऑथोराइज्ड कालोनियों में यदि हम सीलिंग की बात करें तो उसमें दिल्ली सरकार के आदेश से सीलिंग हो रही है बारात घरों की और पूरी दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो उसमें बात हो रही है मॉनिटरिंग कमेटी के द्वारा। तो डीडीए के... अरे भाई! थोडी देर बोल लेने दे। अरे! मान जा भाई, मान जा, जब नम्बर आएगा, तब बोल लेना। आज दिल्ली में जो माहौल बना हुआ है; सीलिंग कमेटी

अपनी मनमानी कर रही है और कहीं न कहीं अपनी पॉवर का मिसयूज कर रही है। आज दिल्ली का व्यापारी खून के आँसू रो रहा है। लेकिन लगता ये है कि दिल्ली में डेमोक्रेसी, दिल्ली के व्यापारियों का जो संविधान सम्मत जो नागरिक अधिकार है, उसका हनन आज हो रहा है। एक–एक लाख रुपया... डि–सीलिंग के लिए जब जाते हैं तो एक जजिया कर की तरह प्रोसेसिंग फीस ली जा रही है। जो कि गैर कानूनी है और मुझे ये समझ नहीं आता कि डीडीए में यो सारा प्रस्ताव पास हुआ और पन्द्रह दिन पहले माननीय उच्चतम न्यायालय में वो जमा करा दिया गया।

एक तरफ तो इस देश में हम बहुत बड़ी बातें करते हैं ज्यूडियशरी की। अफजल गुरू की फाँसी के लिए जो कोर्ट रात को दो बजे और तीन बजे खुलती है, वो ही कोर्ट आज 16 दिन से उस मसौदे को लिए बैठी है और उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये दिल्ली और दिल्ली के व्यापारियों के लिए बहुत घातक समय है। और जहां। तक सवाल मॉनिटरिंग कमेटी का है, मॉनिटरिंग कमेटी में जो लोग हैं, उनकी उम्र 80–80 साल से ऊपर है। 2007 में भी ये मॉनिटरिंग कमेटी थी, 2018 में भी ये मॉनिटरिंग कमेटी है। ग्यारह साल तक ये मॉनिटरिंग कमेटी ने क्या किया! इस मॉनिटरिंग कमेटी के होते हुए इतना बदलाव क्यों हुआ! इसका जिम्मेदार कौन है? और इनके ऊपर कार्रवाई, इनके साथ–साथ जो म्युनिसिपल कार्पोरेशन के जो कॉम्पीटैंट आफिसर लोगों को नोटिस देकर कन्वर्जन चार्ज जमा करा रहे हैं, करोड़ो रुपया जो इकट्ठा कर रहे हैं और उनको जब मॉनिटरिंग कमेटी सील करती है तो इसका मतलब ये है कि या तो वो कॉम्पीटैंट अधिकारी अपराधी हैं और या मॉनिटरिंग कमेटी इसकी अपराधी है। लेकिन आज दुर्भाग्य ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट रात को

दो–दो बजे उठ के सुनता है आंतकवादियों की बात, वो दिल्ली के नागरिकों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज 16 दिन से...

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः समय खराब हो रहा है, बोलते रहिए। सारा समय सदन का खराब हो रहा है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः वो ठीक बोल रहे हैं, सोम नाथ जी।

... (व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश शर्माः तो आज दिल्ली के अंदर...

माननीय अध्यक्षः सोम नाथ जी, बैठ जाइए आप प्लीज, मैं आगृह कर रहा हूँ, आप बैठ जाइए। आप क्यों टोका टिप्पणी कर रहे हैं, आप क्यों बीच में बोल रहे हैं?

... (व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश शर्माः तो माननीय अध्यक्ष जी, मेरा ये कहना है कि आज दिल्ली का व्यापारी जो खून के आँसू रो रहा है, ये पूरा सदन बिना पक्ष विपक्ष के उनके साथ है और आज मॉनिटरिंग कमेटी की तरफ से जो अत्याचार दिल्ली के व्यापारियों पे हो रहा है और दिल्ली सरकार के जो एसडीएम अनऑथोराइज कालोनी में जो बारात घरों को बंद करा रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि जो दिल्ली सरकार के जो एसडीएम आपके सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और अनऑथोराइज कालोनियों में जो बंद करा रहे हैं, उनको रोका जाए और आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ

कि जो कोर्ट रात को दो–दो बजे उठ के आतंकवादियों के केसों को सुनती है, वो त्वरित कार्रवाई करके दिल्ली को बचाए और दिल्ली की जनता को रिलीफ दिलाए। इस मौके पर पूरा सदन एक साथ है, धन्यवाद।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, मैं अब इसपे, नहीं प्लीज। नहीं सिरसा जी, बिल्कुल नहीं, मैं हाथ जोड़ के... नहीं, मेरा समय न खराब करिए।

बिजली पर चर्चा, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के आगृह पर मैं जो... नहीं, मैं इसपे कुछ नहीं। नहीं, मैं कुछ भी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बैठ जाइए। मेरे पास 10 रिक्वेस्ट थी, मैंने दो... नहीं मैं बिल्कुल नहीं दूँगा। मैं बिल्कुल नहीं दूँगा। मैं विपक्ष की गालियाँ भी खाता रहूँ और सदस्यों को बुलवाता भी रहूँ, ये मेरा... आप बैठ जाइए प्लीज। सिरसा जी, आप उल्टा भी लटक जाएं, मैं नहीं सुनूँगा। न, मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूँगा। न, बिजली पर चर्चा होने दीजिए जिसकी माँग थी। जिसकी माँग थी अब आप बिजली पर चर्चा नहीं करवाना चाह रहे जिसके लिए वाक आउट किये थे। अब बिजली पर चर्चा होने दीजिए। राखी बिड़ला जी, मैं कुछ नहीं कहूँगा।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः राखी बिड़ला जी, बिजली पर चर्चा के लिए प्रस्ताव रखें। राखी जी, रखिए आप, जल्दी रखिए, प्लीज।

बधाई प्रस्ताव (नियम–114)

सुश्री राखी बिड़लाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि यह सदन दिल्ली सरकार को

हार्दिक बधाई देता है जिसमें मुख्य मंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के कुशल नेतृत्व में बिजली की दरों में कमी करने का अभूतपूर्व कार्य किया है और जनता के हितों को सर्वोपरि महत्व जो देते हुए अपने कार्यकाल के दौरान बिजली की दरों में बढ़ोत्तरी न होने देने का उल्लेखनीय रिकॉर्ड कायम किया है। हमारी सरकार ने 2015 में आते ही दिल्ली में बिजली के दाम आधे कर दिए थे। तब से लेकर अभी तक लगातार चौथे वर्ष भी दिल्ली में बिजली के दामों में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। दिल्ली के लोगों को इस वर्ष भी पिछले तीन वर्षों की भाँति सस्ती बिजली मिलती रहेगी। इसके लिए मैं दिल्ली सरकार को और माननीय उर्जा मंत्री समेत पूरे सदन को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः हाँ, नाम दीजिए। विजेन्द्र जी, चर्चा के लिए नाम नहीं आए मेरे पास। श्री सौरभ भारद्वाज जी।

श्री सौरभ भारद्वाजः अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आज यहाँ बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, जैसा कि उप मुख्य मंत्री जी बता रहे थे कि दिल्ली के अंदर बिजली एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। दिल्ली के अंदर बिजली इतना बड़ा मुद्दा रहा है कि शीला दीक्षित जी की सरकार को बिजली के कारण ही जाना पड़ा था। जिस वक्त शीला दीक्षित जी की पिछली सरकार यहाँ पे थी, कांग्रेस की सरकार थी, हमारे मुख्य मंत्री अरविंद केजरीवाल उस वक्त एक साधारण से आदमी थे। उन्होंने बिजली की बढ़ती हुई दरों का मुद्दा उठाया। जिस वक्त, उस वक्त था जब, प्रमुख विपक्षी दल था, वो भी उसके ऊपर मौन था। वो कुछ नहीं बोलते थे। शीला दीक्षित जी की विपक्ष के साथ साँठ–गाँठ थी। दाम हर

साल बढ़ाए जाते थे, कोई दंगा फसाद नहीं होता था, कोई सदन में हँगामा नहीं होता था, कोई किसी के ऊपर पर्सनल अटैक नहीं होते थे। सब कुछ आराम से चल रहा था। अंबानी साहब के पास दिल्ली की बिजली थी। तो उद्योगपति कांग्रेस और नेता भाजपा के नेता हों और जो हमारे अफसर हैं, ये सारे मिलकर ये पूरा का पूरा भ्रष्ट तंत्र चला रहे थे। अंबानी साहब को खूब फायदा दिया जाता था, कोई शोरगुल नहीं जनता हाय–हाय करती थी और इस हाय–हाय के बीच में अरविंद केजरी वाल जैसे साधारण आदमी ने आ के इस बिजली के मद्दे को उठाया। उन्होंने बिजली के बढ़ते हुए दामों के खिलाफ अनशन किया, 14–15 दिन तक अनशन किया गया। हम लोग उस वक्त छोटे से कार्यकर्ता हुआ करते थे, घर घर जा के बाजारों के अंदर टेबल लगा के हम लोगों से फार्म भरवाया करते थे कि वो बिजली के दाम कम कराना चाहते हैं, नहीं कराना चाहते हैं और वो एक लिख के साईन करके हमें दे देते थे कि मैं, मैं भी अगले एक महीने बिजली का बिल नहीं दूँगा, अगले दो महीने बिजली का बिल नहीं दूँगा कुछ लोग कहते थे, मैं तीन महीने बिजली का बिल नहीं दूँगा और जिन लोगों के बिजली के कनैक्शन काटे गये थे, उन लोगों के कनैक्शन जोड़ने के लिये भी हमारी जो पार्टी थी, उसने मुहिम चला रखी थी। खुद मुख्य मंत्री जा के घरों में, उन लोगों के कनैक्शन जोड़ा करते थे। दिल्ली के अंदर जो बिजली का मामला है, बहुत ही ऐतिहासिक मामला है और जब आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर बनी तो अक्सर ये बात कही जाती थी कि ये सिर्फ चुनावी वादे हैं। जब ये लोग एक बार गवर्नेंस सीखेंगे, क्योंकि ये गवर्नेंस नाम का जो शब्द है, ये भाजपा और काँग्रेस ऐसा समझते हैं कि इनकी बपौती है। हर बात पर कहते हैं, नहीं, इनको गवर्नेंस नहीं आती

है। नहीं, ये लोग नये हैं। ठीक है, मगर इनको गवर्नेंस नहीं आती है। ये लोग सीख रहे हैं, इनको गवर्नेंस नहीं आती है। क्योंकि गवर्नेंस सिर्फ इन्हीं को आती थी; कांग्रेस और भाजपा वालों को। हम लोगों को भी अध्यक्ष जी, कई बार ऐसा लगता था, हो सकता है, वाकई में हमें गवर्नेंस न आती हो, इन्हीं को आती हो। ये लोग कोशिश कर रहे हों, घटा न पाते हों दाम। को हो सकता है, वाकई में बिजली के दाम बढ़ रहे हों, हमीं लोगों को नहीं पता। शायद सही में बढ़ रहे हैं और इसलिये इनको भी बढ़ाने पड़ रहे हूँ, इनकी ये मजबूरी है। हमारे सत्येन्द्र जैन जी को बिजली का मंत्री बनाया गया। मुझे नहीं लगता कि इन्होंने बिजली के बारे में कोई पढ़ाई की है। ये तो आर्किटैक्ट हैं। हमारे मुख्य मंत्री ने भी बिजली के बारे में कोई पढ़ाई नहीं की, वो मैकेनिकल इंजीनियर हैं। एक चीज पढ़ाई है, और एक चीज पढ़ी है; ईमानदारी और सच्ची नीयत, ईमानदारी और सच्ची नीयत से। जो बिजली हर साल बढती थी, जिस पर हाय–हाय दिल्ली करती थी, उसके ऊपर आते ही हमने ऑडिट बिठाया, सीएजी ने ऑडिट किया, जिसमें कहते थे, नहीं, इसमें कोई घोटाला नहीं है। उस आडिट के अंदर सीएजी ने बताया कि आठ हजार करोड़ का घोटाला किया गया था। अंबानी की कंपनी ने और कांग्रेस की सरकार ने मिल के ये घोटाला किया था। भाजपा चुप रहती थी। ये प्रमुख विपक्षी दल थे। बीस से ज्यादा इनके एमएलए हुआ करते थे। मुझे लग रहा है, शायद 26–27 होते थे इनके या हो सकता है ज्यादा भी होते हों। कभी अखबार में नहीं छपता था कि आज मुख्य मंत्री शीला दीक्षित के घर के बारह धरना देंगे, विजय कुमार मल्होत्रा जी। कभी नहीं हुआ। सब साँठ गाँठ से चलता था। आज 25–25 पैसे के लिये ये लोग धरने देते हैं। चवन्नी बढ गई वहाँ पर या बढने वाली

है, उसके लिये ये लोग धरना देते हूँ। मैं बताना चाहूंगा, इस सदन को, जैन साहब ने तो बता ही दिया कि दाम कितने घटे हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो राज्य जहाँ पर इनकी सरकारें हैं, जिन लोगों ने 25–25 तीस तीस साल से गवर्नेंस सीखी है या वो राज्य जहाँ पर काँग्रेस की सरकार है, जो 70 साल से गवर्नेंस सीख के सारी दुनिया को सिखा रहे हैं, उनके यहाँ क्या हाल है! ऐसा नहीं है कि बिजली सत्येन्द्र जैन अपने घर में बनाते हैं और बेचते हैं, तो ये सस्ती बना लेंगे। कर्नाटका वाला महँगी बनायेगा या हरियाणा वाले खट्टर जी को बनानी नहीं आती। कोई घर में कोई ना बनती है बिजली! बिजली तो ज्यादातर जो सैन्ट्रल गवर्नमैंट के पॉवर प्लांटस हैं या कुछ प्राइवेट पॉवर प्लांटस हैं, वहीं से आती है। हम तो नहीं बनाते घर पर। इन्हीं को वहाँ से मिलती है, वहाँ से हमको मिलती है। फिर ऐसा क्या कारण है कि भाजपा शासित राज्यों के अंदर बिजली के दाम बढ़ रहे हैं।

उत्तर प्रदेश में योगी जी आये, उन्होंने आते ही दाम बढ़ाये। हिमाचल प्रदेश में ये आये, इन्होंने आते ही दाम बढ़ाये। जहां जहाँ ये आये, इन्होंने आते ही दाम बढाये। और बेशर्मी देखिये! और हमारा ये समझिये कि हमारी ईमानदारी देखिये या ये मान लीजिये, हमारी सजजनता देखिये, हमारी दाम घटाने के बाद भी इन लोगों की गालियाँ सुन रहे हैं। ये हमारे लोगों को, उनके परिवार की छोटी छोटी चीजों के लिये ऐसी बात बोल रहे हैं। ओमप्रकाश जी मेरे रिश्तेदार हैं। इस सदन में बता रहा हूं। और ऐसी कोई परिवार में चीज नहीं हुई जो इनके परिवार में भी न हुई हो। मैं भी सब के परिवारों के बारे में जानता हूँ। ऐसी ओछी बात नहीं कहनी चाहिये। ये जो डोमेस्टिक... जो छोटे छोटे डिसप्यूट होते हैं, ये किसी के घर में भी हो सकते हैं। कई बार पति की गड़बड़ी से होते हैं, कई बार पत्नी की

गडबड़ी से होते हैं। कई बार सर्कमस्टानसेज ऐसे होते हैं, इन सब चीजों को लेके सदन के अंदर किसी के ऊपर टीका टिप्पणी करना, ये अच्छी बात नहीं है। भगवान न करे किसी और के घर में हो जायेगा तो क्या करेंगे! ये सब करना ठीक नहीं है और जब इस तरीके के आरोप लगते हैं तो हर तरीके के आरोप लगाती है, पत्नी भी लगाती है, पति भी लगाता है। तो इन सब चीजों को... मुझे लगता है कि कोर्ट तक छोड़ना चाहिए, उनको जिन अखबार वालों ने जिन टीवी वालों ने जिन निर्लज्ज टीवी वालों ने जो खबर सोमनाथ की चलाई, उन्हें शर्म से डूब मरना चाहिये! उनके एडिटर्स क्या क्या करते हैं, मुझे भी पता है और उनकी एडिटर्स के साथ उन लोगों के क्या क्या लोगों को काले कारनामें पता चलते हैं, वो सबको मालूम है। इस देश के अंदर ऐसा नहीं है... नहीं मालूम है मगर वो अखबार में कभी नहीं छापे जाते। किसी के पर्सनल मामले को इस तरह से छापना, टीवी पर दिखाना निहायत ही घटिया चीज है और शर्म मुझे लगता है कि उन नेताओं को नहीं आनी चाहिए, उन टीवी चैनलों को भी आनी चाहिए, उन अखबार वालों को भी आना चाहिये जिन्होंने उन चीजों को अखबार में छापा और इस चीज को इस तरीके के लेवल तक गिराया, ये बहुत ही गलत बात है। मेरी प्रार्थना है विजेन्द्र गुप्ता जी से कि वो अपने सदस्य को समझायें कि इस तरीके की चीजों को इस सदन में न कहें। अब आते हैं बिजली के ऊपर। इनके राज्यों के अंदर जहाँ पर इनकी सरकारें हैं, हरियाणा का मैं इनको बता देता हूं।

माननीय अध्यक्षः सदन का समय... एक बार सौरभ जी, सदन का समय सात बजे तक के लिये बढाया जाता है।

श्री सौरभ भारद्वाजः हरियाणा के अंदर अध्यक्ष जी, इनके स्लैब थोड़े अलग हैं मगर 150 से ढ़ाई सौ वाला जो स्लैब है इनका, उनमें इनकी बिजली के दाम पाँच रुपये 25 पैसे है। दिल्ली सरकार के दाम दौ सौ से चार सौ वाली में साढ़े चार रुपये हैं। इनसे एक कम हैं नहीं, जी, नहीं।

माननीय अध्यक्षः दौ सौ तक तीन हो गये ना।

श्री सौरभ भारद्वाजः दौ सौ से चार सौ।

माननीय अध्यक्षः : कम्पैरिजन।

श्री सौरभ भारद्वाजः मैं आपको बता देता हूँ, इनका जो स्लैब है, 151 से 250 वाला जो है, उसमें इनके जो दाम हैं, हरियाणा में भाजपा वालों के पाँच रुपये 25 पैसे हैं तो उसके अंदर अगर हमारा एक जीरो से दौ सौ वाला देखें तो तीन रुपये और दौ सौ से चार सौ वाला भी देख लें अगर हम, तो भी हमारा साढ़े चार सौ रुपया... तो भी इनसे कम है।

पाँच रुपये 25 पैसे वाले से वो भी है। जैन साहब, इसके बाद आधा भी है तो इसके बाद आधा भी है। दूसरा पाँच सौ एक से आठ सौ रुपये का स्लैब है, इनका हरियाणा वालों का। उसमें इनके बिजली के दाम सात रुपये 10 पैसे हैं। हमारा स्लैब इनसे अलग है। मगर हमारा स्लैब जो 400 से 800 वाला है, वो साढ़े छह रुपये है और इफैक्टिवली वो तीन रुपये 25 पैसे पड़ेगा। तो वो भी इनसे कम है और हरियाणा बिल्कुल पास में ही है, जहाँ से वो बिजली खरीदते हैं। वहीं से हम खरीदते हैं लगभग..

बाकी इनके स्टेटस पर आ जायें; कांग्रेस की बात करें। 100 से 200 यूनिट वाला काँग्रेस का स्लैब 6.25 पैसे है। हमारा तीन रुपये है दो सौ से ज्यादा उनका साढ़े सात रुपये हैं। हमारा वो भी साढ़े चार रुपये है।

मध्य प्रदेश के अंदर आ जाते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर इनका स्लैब है 101 से 300 रुपये वाला। 101 से 300 रुपये वाले स्लैब में इनका दाम है प्रति यूनिट छह रुपये और हमारा है तीन रुपये और ज्यादा से ज्यादा अगर बढा दो साढ़े चार रुपये। वो भी कम है, बहुत कम है और आधा कर दोगे तो आधे से भी कम है।

इसके अलावा महाराष्ट्र जहां पर इनकी सरकार है, वहाँ पर तीन सौ से... वहाँ पर दो स्लैब हैं। अध्यक्ष जी, इनके एक से सौ– चार रुपये 21 पैसे जो हमसे ज्यादा है। हमारा तीन रुपये है। 100 से तीन सौ–लगभग आठ रुपये है। इनका सौ से लगभग तीन सौ–आठ सौ रुपये है, आठ रुपये प्रति यूनिट है और हमारा तो 400 तक का भी सिर्फ साढ़े चार रुपये है। तो वो भी कम है।

अगले स्टेट पर आ जाते हैं। पंजाब में काँग्रेस का है। उससे भी हमारे दाम कम हैं। उनका अगर हम देखें तो 200 यूनिट तक का जो है, सौ से तीन सौ वाला– इनका छह रुपये 14 पैसे, हमारा उसके अंदर भी दो सौ से 400 भी अगर हम मान लें तो भी हमारा साढ़े चार रुपये प्रति यूनिट है। तो आसपास के जितने भी राज्य हैं, अध्यक्ष जी, चाहे वो काँग्रेस के हों, चाहे वो बीजेपी के हों, हमारे दाम न सिर्फ कम हैं, अगर उसमें सब्सिडी दे दी जाये तो हमारे इनसे आधे से भी कम हैं, बेहद कम है मगर राजनीति देखिए हमारी ही बिल्ली, हमें ही म्याऊं! हम ही ने दाम घटाए और हमीं

के ऊपर चढ़ रहे है कि अरे, तुमने दाम बढ़ा दिए! मेरा कहने का मतलब ये है बिल्ली तो किसी की भी नहीं है। मगर मेरा कहने का मतलब है कि राजनीति के अंदर थोड़ी तो ईमानदारी रखनी चाहिए। ये बात और है कि टीवी चैनल इनकी बात को चार बार चलाते हैं, हमारी बात को कभी–कभी चलाते हैं मगर फिर भी सच और झूठ के अंदर थोड़ा सा अनुपात रखना चाहिए। जो सच्ची बात है, उसके ऊपर बहस करनी चाहिए, चर्चा इसीलिए होनी चाहिए। विधान सभा इसी चीज के बनी है। एक मर्यादित चर्चा हो और आपने इस चर्चा के लिए इस हाउस में समय दिया, इसका बहुत–बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः अखिलेश पति त्रिपाठी जी। नहीं हैं। श्री सिरसा जी।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः धन्यवाद अध्यक्ष जी।

दिल्ली के अंदर बिजली के दामों को लेकर सरकार ने इसी हाउस के अंदर माननीय वित्त मंत्री जी ने आश्वासन दिया हाउस को कि हमारी ये दिल्ली की ऐसी सरकार है जिसने तीन साल से रेट नहीं बढ़ाए लेकिन ये जानकारी भी अधूरी और ये आश्वासन भी अधूरा निकला। जानकारी इसलिए अधूरी थी कि जिस दिन वो हाउस के अंदर ये जानकारी दे रहे थे, उस दिन भी सरकार ने, आज जो सरकार ने खुद अभी माना कि साढ़े तीन–पौने चार परसेंट के हिसाब से पहले सेस लगा रखा था, जिसका एमाउंट बनता था 965 करोड़ रुपया। अब उसको कम कर दिया गया, एमाउंट बनता है 300 करोड़ रुपया तो 300 करोड़ रुपया तो सरकार पहले ही ज्यादा 900–950 करोड़ तो ले रही थी। लेकिन सरकार ने यहाँ कहा, हमने नहीं बढ़ाए। अब उस 900 करोड़ के साथ जो नया सरचॉर्ज लगा

दिया, जो नया मिनिमम चॉर्जैज लगा दिए और ये कहा गया कि हमने बिजली सस्ती कर दी।

अध्यक्ष जी, अब मैं दो बातें आपकी जानकारी में लाना चाहता हूँ कि बाकी स्टेटों के साथ तुलना की जाती है और बाकी स्टेटों में और दिल्ली स्टेट में क्या अंतर है। क्यों दिल्ली स्टेट के अंदर सबसे सस्ती बिजली चाहिए? दिल्ली स्टेट के अंदर पिछले 15 साल में भी कोई ऐसी नई व्यवस्था नहीं आई, न तो दिल्ली के अंदर ऐसी रॉ लैंड है, ***virgin land*** है जिसको डिवेलप किया जा सकता हो। नई कॉलोनियाँ डिवेलप हो सकती हों, नए एरिया डेवलप हो सकते हों, एग्रीकल्चर के टयूबवैल लगाए जा सकते हों, ऐसी कोई दिल्ली के अंदर परिस्थिति नहीं है इसलिए दिल्ली की ट्रांसमिशन कॉस्ट जो है, वो निल बढ़ती है, जीरो। उसमें कोई बढ़ने वाले काम नहीं हूँ क्योंकि कोई नई लाईन डलनी ही नहीं है। जब नई ट्रॉंसमिशन लाइन ही नहीं डलनी, नई कॉलोनी बसनी नहीं है। उस नई कॉलोनी को बसाने के लिए कोई पैसा खर्च होने वाला नहीं है दिल्ली सरकार का, दिल्ली के बिजली मंत्रालय का और दिल्ली के डिपार्टमेंट का भी तो रेट बढ़ाने का तो कोई कारण ही नहीं बनता।

दूसरा, रेट बढ़ाने का कारण क्या होता है? जब आपको बिजली पीछे से महँगी मिलती है, आपको रेट बढ़ाना पड़ता है। दिल्ली के नहीं, पूरे देश के अंदर बिजली का दाम घट रहा है। क्यों घट रहा है? सोलर एनर्जी से लेकर, जो 18 रुपये यूनिट से शुरू हुई थी आज 3.50 रुपये यूनिट पर पहुंच गई है। जो ट्रॉंसमिशन कॉस्ट है क्योंकि इंटर–ट्रॉंसमिशन एलाउ हो गई, अब आप एक जगह की बिजली दूसरी जगह ले सकते हैं। इसलिए

इंटर–ट्रॉंसमिशन चॉर्जेज भी बहुत कम, नीचे आ गए, शून्य के बराबर आ गए तो बिजली के रेट बढ़ने का कारण क्या है। क्यों बढ़ाया जाएगा बिजली का रेट? जो डीआरसी बैठे हैं, कमिशन यही तो स्टडी करते हैं।

मेरे भाई भारद्वाज जी ने अभी बहुत अच्छी बात बताई, पंजाब का उदाहरण दिया। अध्यक्ष जी, मैं आपको पंजाब का उदाहरण देना चाहता हूँ। आप उदाहरण की बात करें, दूसरे स्टटों की चर्चा होनी चाहिए। मैं पंजाब सरकार के अंदर रहा हूँ। मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड ये बताना चाहता हूँ, पूरे देश के अंदर एक सरकार थी, आपने कहा हम आधे दाम करेंगे लेकिन शीला दीक्षित जी की सरकार के अंदर 200 यूनिट का 100 यूनिट माफ किया जाता था, आधा रेट लिया जाता था 200 यूनिट का तो आपने भी आधे रेट नहीं किए, आपने उस 200 यूनिट को 400 यूनिट कर दिया और रेट पर आधा नहीं किया। जो 100 यूनिट पर सब्सिडी मिलती थी, आपने उसको 200 यूनिट पर करनी शुरू कर दी। मतलब 400 यूनिट के पैसे आपने आधे लेने शुरू कर दिए। शीला दीक्षित जी 200 यूनिट के पैसे आधे लेते थे तो क्या अंतर था? जो हमने सरकार के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार ने बड़े–बड़े विज्ञापन दिए थे, क्या ये दिए थे? नहीं, यह दिया था कि आपके बिजली के दाम आधे होंगे। यह नहीं कहा था कि जो शीला दीक्षित कर रही है, वही काम हम करेंगे। फिर शीला दीक्षित दिल्ली की जेब में से 300 करोड़ रूपया रिलायंस को और टाटा को देती थी। आपकी इस सरकार के मंत्री, मुख्य मंत्री जी ने जो कन्वीनर भी थे, जा के कनेक्शन भी काटे, तारें भी काटी और ये कहा कि दिल्ली के अंदर टाटा और रिलायंस लूट रहे हूँ। हमने कब कहा, नहीं लूट रहे? अरे भई, लूट रहे है! जो लूट रहे थे, वो जब तो कॉंग्रेस के लोग सत्ता पर बैठते थे, हम विपक्ष में बैठते

थे। तो 300 करोड़ रूपया लूट के ले के जाते थे। अब जब आम आदमी पार्टी सत्ता में बैठी है, हम विपक्ष में बैठे हैं, वो 3000 करोड़ रूपया लूट के ले गए। अध्यक्ष जी, 300 करोड़ रूपया, अब 3000 करोड़ रूपया। अभी मेरे भाई ने भारद्वाज जी ने भी कहा कि ये रिलायंस, अंबानी! भाई, तो हम तो कह रहे है भई, जिन अंबानी भाइयों को काँग्रेस 300 करोड़ देती थी, आप ही कहते थे, करप्शन है, हम भी कहते थे, ये करप्शन है। आपके कहते थे, कमिशनें लेते हैं, हम कहते थे ज्यादा कमिशनें लेते हैं। तो मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि जो 300 करोड़ रूपया दिया करते थे, वो कितनी कमिशन लेते थे? जो आज 3000 करोड़ रूपया देते हैं, वो कितनी कमिशन लेते है?

तीसरी बात, अध्यक्ष जी, अब ये कहा गया कि जो मिनिमम चार्जेज है, वो केंद्र सरकार ने बढ़ा दिए। क्या केंद्र सरकार ने दिल्ली के लिए मिनिमम चार्जेज बढ़ाए हैं? नहीं। दिल्ली सरकार के लिए अकेले बढ़ाए हैं? नहीं। दिल्ली के लोगों के लिए अकेले बढ़ाए है? नहीं। केंद्र की सरकार ने अगर मिनिमम चॉर्जेज बढ़ाएं हैं तो जो उनके पॉवर जनरेशन हाउस हैं, जिस–जिस को पूरे देश में बिजली दे रहे हैं, उन सबके लिए बढ़ाए हैं। 50 पैसे तो अगर आपके लिए बढ़ाए हैं तो आप लाइऐ कौन से और स्टेट ने आज घोषणा की होगी कि हमने भी चॉर्जेज बढ़ा दिए। 50 पैसे बढ़ाए और आपने 50 पैसे के एगेंस्ट कितना बढ़ाया, साढ़े 6 गुणा। 2 रुपये से 2.50 रुपये किए लेकिन आपने 35 रुपये से 145 रुपये कर दिए। अध्यक्ष जी, 20 रुपये के 125, 35 रुपये के 140 रूपये, 45 रुपये के 175 रूपये। अब ये कहा गया, सस्ती हुई बिजली। अब मैं ये भी कलकुलेशन देना चाहता हूँ और मैं चाहूंगा मेरे भाईयों को जिनके पास कैलकुलेटर नहीं है, भैया, फोन से

कैलकुलेटर निकाल दो, मैं कैलकुलेशन करके दे देता हूं। ऐसा है जिसके घर में 800 यूनिट बिजली थी, 400 से 800 कहा, पहले उसको देने पड़ते थे 45 रुपये के हिसाब से पैसे। अब 45 रुपये के हिसाब से बनते थे 245—50 रूपये, अब अध्यक्ष जी, वहीं पैसे देने पड़े 1040 रूपये... अध्यक्ष जी, मुझे कोई फर्क नहीं लगता अगर किसी को एतराज है तो बाहर नोट कराए।

माननीय अध्यक्षः चलिए—चलिए।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः 1040 रूपये! 1040 रुपये किसको देने पड़ रहे हैं जिसको पहले 250 रुपये देना पड़ता था। अच्छा जी, फिर अब कहा, जी, बिजली सस्ती कर दी! अच्छा किया। तो फिर क्या होगा? अब उसको 800 यूनिट इस्तेमाल करेगा, उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे, उसकी जेब में से 440 रुपये जेब में से चले गए और। 440 रूपये, आगे वो जो रेट देता था, आपने कितने पैसे कम किए उसको? आपने कुल उसको 80 पैसे कम किए और उससे जेब से कितने पैसे ले लिए 1040 रूपये। 80 पैसे के हिसाब से आपने 650 रुपया तो उसको कम किया और 1040 रुपये आपने उससे ज्यादा ले लिए। तो भई, आप तो उससे... 450 रुपये उसकी जेब में से निकाल लिया, गरीब आदमी की जेब में से और वहाँ कह रहे हैं आप वाह! वाह! करो, हाँ लूटो, हाथ मारो। अरे भई, किस चीज के हाथ मारें, किस चीज की वाह! वाह! लूटे 300 करोड़ की जगह 3000 करोड़! न कोई ट्राँसमिशन कॉस्ट बढ़ी, न कोई नई लाईनें डली, न नई कॉलोनियाँ बसी, उसकी जगह 3000 करोड़ रुपये और यहाँ पर जिसको 1040 रुपये देने पड़ेंगे, उसको पहले कितने देने पड़ते थे ये जरा बता दें मंत्री जी।

अध्यक्ष जी, और फिर हमें ये कहा जाता है, आप बोलो मत। मैं तो आज... पक्ष के लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने हमें अपनी बात को ***un-interrupted*** रखने का यदि मौका दिया, अगर सत्ता पक्ष को हम ये बताएंगे नहीं, उनकी गलतियाँ कहां हैं, उनको पता कैसे चलेगा। बड़ी बात ये है।

अध्यक्ष जी, जो इस हाउस के अंदर कहा जाता है, इस हाउस की एक गरिमा है। फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने चार दिन पहले ये कहा, न हमने रेट बढ़ाए हैं, न बढ़ने देंगे और चार दिन बाद ये अपनी स्टेटमेंट से पीछे हट गए और आज आ के सफाइयाँ दे रहे हैं। अरे! फिर इस हाउस की क्या गरिमा है? जिस हाउस के अंदर आप ये कहते हैं कि हम रेट नहीं बढ़ने देंगे, आप उसी दिन कहते, हमने आज नहीं बढ़ाए लेकिन कल कब बढ़ाने पड़ेंगे, हमें पता नहीं है। लेकिन आप हाउस में ये करें, हाउस को आश्वासन दें, पूरे हाउस को कॉन्फिडेंस में लेके ये कहूँ कि रेट नहीं बढ़ाने वाले और फिर आकर हमें कागजों पर कैलकुलेट करके बताएं। अध्यक्ष जी, ये गरीब आदमी जो है ना, ये गरीब आदमी जो है ना, इसके पास कैलकुलेटर नहीं है, पर दिल है। इसको पता है क्यों मेरे को बार–बार इस तरह चाबुक मारे जाते हैं। हर तरीके का उसको, गरीब को चाबुक मारा जाता है। मैट्रो से लेकर बहाने ढूँढ़े जाते हैं। बिजली के रेट बढ़ाने के बहाने ढूँढ़े जाते हैं। 30 परसेंट पानी के रेट बढ़ाने के बहाने ढूँढ़े जाते हैं और फिर कहा जाता है, हमारी वाह! वाह! करो। मेरे भाई, वही वाह! वाह! कर सकते हैं जिनको टिकटों की जरूरत होगी। हम काहे के लिए वाह! वाह! करें? हम तो सच्चाई बोलने के लिए इस हाउस में आए हैं। मैं बहुत पुरजोर आपके माध्यम से ये सत्ता पक्ष को कहना चाहता हूँ, बिजली मंत्री जी यहाँ बैठे

हैं, मैं इनसे रिकवेस्ट करना चाहता हूँ, गरीबों के ऊपर ये बोझ मत डालें। गरीब ये बोझ झेल नहीं पाएगा। गरीब आगे इस बोझ के अंदर दबा हुआ है। हर तरह का बोझ गरीब के ऊपर डलता जा रहा है, ये बिजली का। अनाथ गरीब के ऊपर बोझ मत डालें। मैं आपके माध्यम से ये विनती करना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी अंतिम बात कहकर समाप्त करूँगा। अध्यक्ष जी, मेरे को आपने उस मामले में बोलने का मौका नहीं दिया। मैं एक स्टेटमेंट देना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्षः नहीं, आज बिजली पर मैं रखवाऊँगा।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः आप एक मेरी स्टेटमेंट... चाहें तो कटवा देना।

माननीय अध्यक्षः मैं, सिरसा जी, बिल्कुल नहीं।

श्री मनजिन्दर सिंह सिरसाः मैं ये चाहता हूँ अध्यक्ष जी, उन एमसीडी के अधिकारियों पे कार्रवाई हो।

माननीय अध्यक्षः इसके बाद बंद कर दीजिए कोई रिकॉर्ड मत करिए।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः xxx[7]

माननीय अध्यक्षः सिरसा जी मैं अलाउ नहीं करूँगा। मेरे साथ जिस ढंग का अन्याय हो रहा है, मैं अलाउ नहीं करूंगा। श्री मदन लाल जी। न बिल्कुल नहीं, आप बार–बार वॉक आउट करें, बार–बार आ जाएं।

---

[8]***xxx*** चिह्नित अंश माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार सदन की कार्यवाही से निकाले गए।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः XXX

श्री मदनलालः धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः XXX

माननीय अध्यक्षः : चलिए, दिल्ली सरकार के अधिकारियों के बारे में भी सोचने की जरूरत है, दिल्ली सरकार के अधिकारियों के बारे में भी सोचने की जरूरत है, बैठिए।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः XXX

माननीय अध्यक्षः श्री मदनलाल जी।

माननीय अध्यक्षः श्री मदनलाल जी, बहुत संक्षेप में, मदनलाल जी बहुत संक्षेप में।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः बैठिए, दलाल जी बैठिए प्लीज, दलाल जी बैठिए प्लीज।

माननीय अध्यक्षः भई ये समय सारा नष्ट हो रहा है प्लीज मदनलाल जी, बहुत शॉर्ट में। झा साहब प्लीज।

श्री मदनलालः धन्यवाद महोदय, आपने मुझे इस बर्निंग विषय पर जिस पर आज बहुत सारे मैंबर्स, खासकर विपक्ष चिंतित हो गया है कि बिजली के दाम घटे नहीं बल्कि बढ़ाए गए हैं, वो एक गणित पेश कर रहे थे और

XXX चिह्नित अंश माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार सदन की कार्यवाही से निकाले गए।

वो भूल गए कि मंत्री महोदय ने जिस कैल्कुलेशन को बताया, उसके मुताबिक न केवल दिल्ली में पिछले तीन साल से बिजली के दाम नहीं बढ़ रहे हैं बल्कि अब इस साल में उन्होंने जिस तरीके से कैल्कुलेशन करके बताया कि बिजली के दाम जो 400 यूनिट तक, पहले जो सबसे ज्यादा गरीब तबका है, उसका 200 यूनिट तक, दूसरा स्लैब 400 तक, तीसरा 800 तक, चौथा 1200 तक और पाँचवां स्लैब 1200 के ऊपर तक, जिस तरीके से बिजली के दामों में भारी कमी की गई है, वो न केवल आम जनता को, एक ओर अच्छा जीवन दिल्ली में यापन करने का मौका देगा, बल्कि लोगों में उस सरकार के प्रति एक विश्वास पैदा करेगा जिसका भरोसा उन लोगों ने माननीय केजरीवाल को जिताकर 2015 में दिया था। मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय मंत्री जी का, माननीय मुख्य मंत्री जी का और खासकर उस सोच के खिलाफ जो अभी माननीय सिरसा जी बता रहे थे कि शीला दीक्षित के जमाने में ये केवल 100 यूनिट तक आधा होता था, 200 यूनिट के पैसे जाने की जगह 100 यूनिट के लिए जाते थे। पर मैं उनको एक बात बता देना चाहता हूँ कि वो जो 200 यूनिट तक का स्लैब था, वो बहुत थोड़े लोगों को कवर करता था। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच थी कि उन्होंने 200 तक की कन्जम्शन करने वाले लोगों का दायरा बढ़ाने के लिए उसमें वो लोग भी शामिल किए जो 400 यूनिट तक बिजली खर्च करते हैं। तो एक बड़ा दायरा इसके लाभ में आया और उन लोगों को जो आधा दाम दिया, आज के दिन हर आदमी को कम से कम 3 से 600 रुपए, 900 रुपए, 1200 रुपए और उसके बाद ओर बड़ी मात्रा में हर मास में इस लाभ का होगा, इस नए बिजली की दरों का और इसका माननीय महोदय जी, स्पीकर सर, एक सबसे बड़ा कारण है कि जब से ये सरकार आई है, आम

आदमी पार्टी, तब से इसके सारे विधायकों ने बिजली कंपनी के साथ मिलकर अपने इलाके में एन्श्योर किया है कि बिजली की जो चोरी हो रही थी, जो टेपिंग हो रही थी, उसके रोकने में सबने सहयोग दिया है, आज के दिन बिजली की कंपनियों का, कम से कम नुकसान हो रहा है। उसमें सारे विधायकों का बहुत बड़ा योगदान है। मैं धन्यवाद देता हूँ ऐसी सरकार को और ऐसी सरकार के सभी नुमाइंदों को, उन एमएलएज को जिन लोगों ने बिजली कंपनी के साथ, क्योंकि बिजली कंपनी में आधी भागीदारी दिल्ली सरकार की भी है, अगर आज दिल्ली सरकार का कोई भी काम होता है तो भले ही हम उसमें आधे साझे के हों पर हमारी मॉरल जिम्मेवारी बनती है कि हम उस कंपनी के इंट्रेस्ट का भी ध्यान रखें और ये भी ध्यान रखें कि वो चोरी रुके जिसकी वजह से पहले बिजली के दामों में ज्यादा बढ़ोत्तरी होती थी। तो बढ़ोत्तरी का एक बहुत बड़ा कारण दिल्ली में चोरी रुकना है। साथ के साथ इस सरकार की दूरदर्शिता है, इस सरकार की एक कमिटमैंट है कि वो बिजली की कंपनी के ऊपर पूरी लगाम कसे हुए है जिसकी वजह से आज के बाद दिल्ली के लोगों को बिजली का लाभ मिलने लगेगा। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी का बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूँ, माननीय मुख्य मंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपने दिए हुए उन सभी वायदों को पूरा करने की दिशा में एक बहुत बड़ा वायदा पूरा किया है। जो उनका सबसे पहला वायदा था कि तीन साल तक बिजली का दाम नहीं बढ़ने दिया है और अब इसी क्रम में उन्होंने ओर बिजली के फायदों को ज्यादा बढ़ाते हुए बिजली के दामों में कमी की है। इसके लिए मैं आप सबका बहुत–बहुत धन्यवाद करते हुए स्पीकर महोदय आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

माननीय अध्यक्षः श्री विजेन्द्र गुप्ता जी।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी, ये बहुत हैरानी की बात है कि दिल्ली में लोगों के ऊपर... देश भर में बिजली के प्रोडक्शन के दामों में कमी आ रही है और बिजली पूरे देश में सस्ती हो रही है लेकिन दिल्ली में उसका लाभ उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा है।

माननीय अध्यक्षः बोलने दीजिए, माननीय मंत्री जी जवाब देंगे ना।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी, जो फिक्स्ड चॉर्जेज है, वो 6 गुणा, 7 गुणा, 8 गुणा, 5 गुणा ये फिक्स्ड चॉर्जेज बढ़ाए गए हैं। इसको आप ध्यान में रखिए, मैं आपको कुछ एग्जाम्पलस के साथ बात बताऊँगा क्योंकि ये 3 महीने, 4 महीने के अंदर दूसरी बार बिजली की कीमतों में वृद्धि हुई है। पहली वृद्धि हुई जब 3.7 प्रतिशत सरचॉर्ज लगाया गया और वो जो सरचॉर्ज है, वो कंजम्शन जो, चॉर्जेज ऑफ कंजम्शन है, प्लस फिक्स्ड चॉर्जेज, दोनों को मिलाकर उसके ऊपर 3.7 प्रतिशत का सरचार्ज लगाया गया है। एक तो वजन वो पड़ा, चार परसेंट के करीब, अब बिजली की कीमत अभी तीन महीने पहले ही बढ़ी है। सदन में अभी उप मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया कि हम बिजली की कीमत नहीं बढ़ने देंगे और इसी सदन के, इसी सत्र में बिजली की कीमत बढ़ गई, फिक्स्ड चॉर्जेज... मैं कुछ उदाहरण देता हूँ, मान लीजिए एक किलोवॉट का मीटर है और 10 यूनिट उसने इस्तेमाल की, उसका बिल आता है 60 रुपए अभी तक... उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ जिससे बात स्पष्ट हो जाए।

माननीय अध्यक्षः : विजेन्द्र जी, 10 यूनिट दिल्ली में किसके पास आएंगे,

श्री विजेन्द्र गुप्ताः एक मिनट अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः आप 10 यूनिट का उदाहरण दे रहे हैं महीने में, 10 यूनिट का बिल आएगा किसी का?

श्री विजेन्द्र गुप्ताः एक उदाहरण दे रहा हूँ कि एक...

माननीय अध्यक्षः कम से कम उदाहरण तो वो दो ना।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः आप सुनिए, मैं ओर आगे उदाहरण देता हूँ।

माननीय अध्यक्षः : चलिए, दीजिए, दीजिए जो भी देना है। जनता देख लेगी जब बिल कम होंगे।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः एक किलोवाट का मीटर है और 10 यूनिट उसका बिल आया तो बिल आया उसका 60 रुपए लेकिन अब कितना आएगा, 155 रुपए, कहने का अर्थ ये है 50 यूनिट वो इस्तेमाल करता है और एक किलोवाट का मीटर है, अभी जो बिल आ रहा है, वो आ रहा है 240 रुपए, अब जो आएगा अगर सरचॉर्ज भी उसमें लगा लूँ मैं, तो वो बिल आएगा 414 रुपए का तो तीन महीने में 240 रुपए से, 414 रुपए पहुँच गई। 200 यूनिट वो इस्तेमाल करता है और पाँच किलोवाट का मीटर है तो अभी जो उसका बिल आ रहा है, वो आ रहा है 1375 रुपए। लेकिन अब वो जो देगा बिल वो देगा, उसके ऊपर लगभग 1835 रुपए, इसी तरह अगर कोई व्यक्ति 200 यूनिट इस्तेमाल करता है और उसका जो मीटर है, वो चार किलोवाट का है या तीन किलोवाट का है तो उसका बिल जो है, वो बढ़कर के हो जाएगा लगभग एक हजार रुपए, 160 रुपए यानी 16 परसेंट बिजली

के दाम बढ़ गए। कहने का अर्थ ये है कि फिक्स्ड चॉर्जेज के बढ़ने से जो लोग बिजली की... एक सैकेंड, अध्यक्ष जी,

... (व्यवधान)

अरे! बैठिए, बैठिए, बैठिए, अब आप हो गए हो वाइट कॉलर लोग! गरीबों के साथ नहीं हो आप!

माननीय अध्यक्षः बोल लीजिए, बोल लीजिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः क्योंकि गरीबों का जो बिल है, जो कम कन्जम्पशन करते हैं, जो लोग बिजली ध्यान से खर्च करते हैं, उनके ऊपर ये वजन डल रहा है क्योंकि जो लोग बिजली का प्रयोग कम करते हैं, 450 यूनिट अगर यूज कर रहा है वो पाँच किलोवॉट का मीटर है तो उसको 800 रुपये का फर्क पड़ रहा है। कहने का अर्थ ये है कि सरकार एक तरफ कहती है कि हम कंपनियाँ लायेंगे और कम्पीटिशन करायेंगे, ऑडिट करायेंगे। कहां गया! अब आप बिजली कंपनियों की भाषा बोलने लगे! अब आप बिजली कंपनियों के साथ खड़े हो गए! आपने 125 रुपये पर किलोवॉट से लेकर के 250 रुपये किलोवॉट तक आपने फिक्सड चार्जिज को बढ़ाया है। जो अधिकतम 25 किलोवॉट के मीटर पर सिर्फ 60 रुपये थे, वो बढ़कर के 250 रुपये तक जा रहे हैं। चार गुना अगर आप मैक्सिमम भी पकड़ें तो 60 रुपये से 250 रूपये, 20 रुपये से 125 रुपये। गरीब, एक किलोवॉट वाला जो 20 रुपये देता था। अब आप उससे 125 रुपये लेंगे। जो दो किलोवॉट के 40 रुपये देता था, उससे आप 250 रुपये लेंगे। तो ये जो 40 से 250 रुपये... 210 रुपये प्रति किलोवॉट और 3.7 प्रतिशत का सरचॉर्ज! अरे! बड़े–बड़े दावे करते थे बिजली आधे दाम पर देंगे। कितने लोगों को

आधे दाम पर दी आपने, बताइए आप? 1700 करोड़ रुपये की सब्सिडी देकर आप कहते हैं, बिजली... हमने करप्शन घटा दी बिजली कंपनी की। आप कहते थे, बिजली कंपनी की हम करप्शन कम करेंगे। सरकार के खजाने से एकमुश्त निकालकर पैसा दे रहे हो आप! फिक्सड चॉर्जेज बढ़ा रहे हो, सरचॉर्ज लगा रहे हो और फिर सदन में कह रहे हो कि हमने कम कर दिए!

माननीय अध्यक्षः हो गया? धन्यवाद। श्री सोमनाथ भारती जी।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः एक सेकेंड, झा जी। श्री सोमनाथ भारती जी। अखिलेश जी।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः अमानतुल्लाह जी।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः झा साहब, अब बैठिए प्लीज, अखिलेश जी, बैठिए अब। झा साहब, बैठिए प्लीज, झा साहब। वो पब्लिक देख रही है, पब्लिक के हाथ में है, जब बिल आयेंगे जब पता लगेंगे। ये 10 यूनिट से शुरू कर रहे हैं एक दिन में 10 यूनिट फुक जाते हैं घरों में आम घर में। सोमनाथ भारती जी।

श्री सोमनाथ भारतीः अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बिजली के मुद्दे पर अपनी बात रखने का मौका दिया। अपनी बात रखने से पहले मैं कुछ और कहना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय।

मैं एक अपने विपक्ष के साथियों से कहना चाहता हूँ कि ब्रस्टल कमेंट्स ना किया करें। ये चूंकि जिस तरह की जिंदगी आम आदमी पार्टी का एमएलए जीता है, हम लोग जिस तरह की जिंदगी जीते हैं एक मिसाल है। सवेरे पाँच बजे से उठकर रात के दो बजे तक काम करते हैं। इन्हें क्या पता जनसेवा होती क्या है! अध्यक्ष महोदय, इतिहास बताएगा और इतिहास गवाह है कि क्या रहा इनका कंट्रीब्यूशन देश की आजादी में! जिन लोगों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर के हिन्दुस्तानियों के ऊपर तरह–तरह के जुर्म किए, जो गोडसे के साथ के लोग हैं, उन्हें क्या पता हम क्या करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, जब इतिहास खोलकर देखो... आज देश का दुर्भाग्य है कि भाजपा सरकार में इन लोगों के काले कर्म और कुकर्म इतिहास में दर्ज हैं, जिनके हाथ गाँधी के खून से सने हैं, हम पर पर्सनल कमेंट्स ना किया करें।

माननीय अध्यक्षः आज मैं अपने साथियों को धन्यवाद करता हूँ मुझे उनसे हमेशा सपोर्ट मिला है। अध्यक्ष महोदय, मेरे साथियों ने हमेशा मेरा साथ दिया है, मैं उनका तहेदिल से धन्यवाद करता हूं।

माननीय अध्यक्षः आपकी जब मर्जी है आपकी इच्छा है जाइए–आइए आपकी इच्छा है।

श्री सोमनाथ भारतीः अध्यक्ष महोदय, आज जिसकी बात कर रहे हैं, ये टाइम्स आफ इंडिया की हेड लाइन क्या कहता है ***'DRC slashes power tariff across consumer categories.'*** ये तो ये कहता है। ये कह रहे हैं पॉवर का दाम बढ़ गया। अध्यक्ष महोदय, आप निंदा करें, आलोचना करें लेकिन सच बोलना सीखें। मेरे साथी सौरभ भारद्वाज जी ने बड़े अच्छे तरीके से

बताने का प्रयास किया, किस तरह से इनका पास्ट रहा है। हम सबको मालूम है कि जिस तरह से 49 दिन की सरकार में अरविंद केजरीवाल साहब ने जब एफआईआर किया था तो कैसे साँप लोट रहा था इनके दिल पे। अंबानी जी के फेवर में कैसे–कैसे स्टेटमेंट आ रहे थे। अध्यक्ष महोदय, इस सरकार को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ, लाख शुक्रिया करना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ कि लाख प्रयासों के बावजूद भी दिल्ली वासियों के साथ जो हमारा कॉण्ट्रेक्ट था कि हम पॉवर टैरिफ नहीं बढ़ने देंगे, हमने नहीं बढ़ने दिए और बढ़ना तो छोड़िए, हमने घटा दिया! हमने पॉवर टैरिफ घटाया और ये एक अजूबा है कि जब हर तरफ माहौल कुछ उल्टा चल रहा हो तो दिल्ली वासियों को पॉवर टैरिफ घटाकर के ऐसा गिफ्ट देना आम आदमी पार्टी की सरकार को, उनके जज्बे को मैं सलाम करता हूं। अध्यक्ष महोदय, ये तो मैथमेटिक्स है। प्योर मैथमेटिक्स में जैन साहब ने सबको बनाकर सारे साथियों के साथ शेयर किया और हमने देखा कि जिस किसी का भी बिल आएगा, इसलिए उन्होंने बड़ा अच्छा कहा कि भैया, जब आप तब विवेचना कर लेना जब अपने–अपने बिल लेके आना। ये सिर्फ बात करने के लिए आप कुछ भी कह सकते हो और साथ में ये बता दूँ, जहाँ बढ़ने की बात वो कर रहे हैं, वहाँ भी इनका ही हाथ है। अगर वो भी न बढ़ता, कोई मूल टैरिफ तो न बढ़ा हमारा। इन–टो टो जब आप कैलकुलेट करोगे अपने इलैक्ट्रीसिटी बिल को, तो उसमें दाम कम हुए हैं। लेकिन अगर फिक्सड चॉर्जेज भी ना बढ़ते जिसके बढ़ने में इनका हाथ है... केन्द्र सरकार का हाथ है और कैसे हाथ है, सभी साथियों को मालूम है कि 25 साल का कॉण्ट्रेक्ट है। आज संभावना है कि दिल्ली सरकार सस्ते में बिजली खरीद सकती है। लेकिन हम कर नहीं सकते क्योंकि एक कॉण्ट्रेक्ट है, वो कॉण्ट्रेक्ट

किसने साइन किया? जो शीला दीक्षित की सरकार थी, वो साइन करके गई है। अगर वो कॉण्ट्रेक्ट नहीं होता तो आज दिल्ली की सरकार और सस्ते में बिजली खरीदकर के दिल्ली वासियों को और फायदा पहुँचा सकती थी और कई बार कहा... सौरभ जी ने बात कही आज ये कि जिस वक्त शीला जी की सरकार थी, तब जब–जब दाम बढ़े तो भाजपा चुपचाप बैठकर के अपना शेयर लेती रही और कुछ न कही। अध्यक्ष महोदय, हमने कई बार कार्टून देखे और कई कार्टून में दिखाया अंबानी जी के एक जेब में भाजपा और एक जेब में कॉंग्रेस! हम सब साथियों ने देखा है। वो कहते थे और डंडा लिए हम खड़े हैं साथियो।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि ये वहीं लोग है जिनके कारण मैट्रो का दाम बढ़ा, दिल्ली वासियों पर एडीशनल वर्डन आया। हमारे मुख्यमंत्री ने यहाँ कहा था, सदन के अंदर कहा था कि फिफ्टी परसेंट हम उठाने के लिए तैयार हैं, फिफ्टी परसेंट आप उठा लो और इस बात को यूडी मिनिस्टर ने पार्लियामेंट के अंदर कहा कि हाँ, ये दाम बढ़ाना ठीक नहीं था, इस बात को माना। माना, क्यों माना? जब इनको वहाँ पर कोई एलजी साहब जैसा अब नहीं बैठा कि प्रश्नों के जवाब न आएं। वहाँ तो जवाब आ जाते हैं। ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि एलजी साहब कह रहे हैं, प्रश्नों के जवाब नहीं आते। तो वहाँ माना कि राइडरशिप मैट्रो की घट गई। मेट्रो को नुकसान पहुँच गया। अगर दाम नहीं बढ़ाते तो मैट्रो की राइडरशिप बढ़ती। मुझे ये भी याद है कि जब माननीय केजरीवाल साहब ने बिजली के बढ़ते हुए रेट के विरोध में आंदोलन छेड़ा था और इस जिस तरह से जनता बढ़–बढ़ के आई थी, एक हाहाकार मचा था। पूरी देश में एक संभावना जगी थी। जनता में आशा

की किरण जगी थी कि ऐसी सरकार आ रही है, जिसका कुछ लेना देना नहीं है क्रोनी कैपेलिस्ट के साथ और ये फ्रूफ करके दिखाया मनीष जी ने अपने बजट भाषण के दौरान। जब कहा ट्रिक्लअप है हमारा अप्रोच, ट्रिक्लडाउन नहीं है। हम आम आदमी को मजबूत करेंगे जब रेट घटते हैं, जब पावर का रेट घटता है तो आम आदमी मजबूत होता है। जो एक्सट्रा पैसा उसके पास बचेगा, उससे कुछ और कर पाएगा, बच्चों के लिए कुछ और कर पाएगा, अध्यक्ष महोदय। और यही तो उनको चुभता है कि आम आदमी को मजबूत करने की कवायद जो आम आदमी पार्टी कर रही है जिससे कि हमेशा हमेशा के लिए भाजपा और काँग्रेस जैसे पार्टियाँ जिसका सारा का सारा अप्रोच ट्रिक्लडाउन है कि क्रोनी कैपेलिस्ट से दोस्ती है इनकी। उनकी जेबें भरते हैं, उनसे पैसे लेते हैं। जनता के पैसे उनके हाथ में देते हैं। तो ये मैं सरकार को मुबारकबाद देना चाहता हूँ और ऑन द रिकॉर्ड बेसिस जैन साहब ने कह दिया था, उसमें मैं चार फीगर पढ़ देना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, कि जब ये 200 यूनिट कम्युलेटिवली अगर आ गया किसी के बिल में और एक किलोवाट का लोड रहा तो उसको सेविंग होगी 115 रुपये की। 400 यूनिट और दो किलोवाट का लोड रहा तो उसको सेविंग होगी 280 रुपये की। 400 यूनिट अगर तीन किलोवाट का लोड रहा तो उसको सेविंग होगी 175 रुपये की। 400 यूनिट अगर चार किलोवाट का लोड रहा तो उसको सेविंग होगी 70 रुपये की। अगर 800 यूनिट चार किलोवाट का लोड रहा, उसको सेविंग होगी 285 रुपये की और 800 यूनिट पाँच किलोवाट का लोड रहा उसको सेविंग होगी 170 रुपये की और अगर 2000 यूनिट और 15 किलोवाट का लोड रहा, उसको सेविंग होगी 2000 रुपये की। यहाँ तो सेविंग दिख रही है! यहाँ तो सेविंग दिख रही है और

ये आधी कहानी कह कर के भाग गए। कुछ भी कर लें, गणित तो न बदल जाएगा। भाजपा केलकुलेटर तो न बना रही है मार्केट में। ईवीएम बनाती है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ऐसे माहौल में जहाँ नोटबंदी के कारण सबकी हालत पस्त है। देश की इकॉनोमी गिर रही है, अनएम्पलायमेंट बढ़ रहा है, ट्रेडर्स इतने मजबूर हैं, शिक्षक सड़को पर हैं, किसान सड़क पर है। जेएनयू के अन्दर क्या क्या नहीं घट रहा है। जब हर तरफ तबाही मच रही है तो ये हमारी सरकार कुछ तो आस की किरण ले के आई है और साफ साफ ऑन द रिकॉर्ड हमने समझाने का प्रयास किया कि कितने कंजम्प्शन पे कितना फायदा होगा। तो मैं अपनी बात इस बात से समाप्त करता हूँ कि जैन साहब आपने बड़ा अच्छा काम किया है और इस तरह से और अच्छे काम करते रहो। दिल्ली वासियों का आशीर्वाद हम सबको मिलेगा और इस तरीके से पूरे देश में बात फैल रही है। अगर कोई सबसे सस्ती बिजली दे पाई तो आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में दे पाई। अगर कोई सबसे सस्ती बिजली दे पाई तो आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में दे पाई। अगर सबसे अच्छी शिक्षा दे पाई तो आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में दे पाई। सबसे अच्छा स्वास्थ्य दे पाया तो आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में कर पाई। अच्छा पानी दे पाया तो आम आदमी पार्टी की सरकार दे पाई दिल्ली में कर पाई।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे आप बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः माननीय मंत्री, श्री सत्येन्द्र जैन जी।

माननीय ऊर्जा मंत्रीः आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जब हमारी सरकार बनी थी, तब ये कहा जा रहा था कि बिजली के रेट हर साल बढ़ना..

... (व्यवधान)

मननीय ऊर्जा मंत्रीः हाँ जी। सबसे पहले सुन लीजिए। सुन लीजिए, आराम से सुन लीजिए। मैं पहले सब्सिडी की बात कर लेता हूं।

अध्यक्ष महोदय, दिल्ली सरकार सबसे पहले क्योंकि सब्सिडी का मुद्दा इनको ज्यादा लग रहा है तो इसके बारे में बता देता हूँ।

माननीय अध्यक्षः भाई विजेन्द्र जी, नहीं, सिरसा जी, ये तरीका ठीक नहीं है। नहीं, आप जो चाहेंगे, वो बोलेंगे। नहीं, आप जो चाहेंगे, वो बोलेंगे। नहीं, जो आप चाहेंगे, माननीय मंत्री बोलेंगे?

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मेरी बात सुनिए। नहीं, माननीय मंत्री जी वो ही बोलेंगे जो आप चाहेंगे? कोई तरीका है ये! आप उनको बोलने नहीं दे रहे। नहीं, ये कोई तरीका है! किसको? नहीं, आप जो मर्जी आए बोलें। आप जो मर्जी आए बोलें। आज 10 यूनिट बोले। एक बिल ले आइए 10 यूनिट का। छोड़िए, बेकार की बात करते हैं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः अब उनको बोलने नही दे रहे। अब उनको बोलने दीजिए। आप बैठ जाइए। प्लीज बैठ जाइए। आप बैठ जाइए प्लीज। उनको

बोलने दीजिए। माननीय मंत्री जी को बोलने दीजिए। आप बैठ जाइए प्लीज। बैठिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः अरे भाई, इनको परेशानी हो रही है बिजली के दाम कम हो गए। आप समझिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः अमानुतल्लाह जी, बैठिए, बैठिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः अमानतुल्लाह जी।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः चलिए अब आप। ठीक है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः अरे! वो बता रहे हैं। वो बता रहे हैं, फिर आप बोल रहे हैं। उन्होंने कहा में पहले सब्सिडी बता देता हूं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः झा साहब, सोमनाथ जी, वो सच्चाई सुनना नहीं चाहते। वो लोग सच्चाई नहीं सुनना चाहते, आप लोग बैठिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः आप दोनों बोले, उन्होंने शांतिपूर्वक सुना। आप दोनों बोले, उन्होंने शांतिपूर्वक सुना है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः अरे भाई, झा साहब, बैठिए प्लीज। सही राम जी, बैठिए। अखिलेश जी, बैठ जाइए। बैठ जाइए प्लीज। सही राम जी बैठिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः बैठिए, बैठिए, सिरसा जी बैठिए। अब लोगों के बिल आएंगे तो पता लग जाएगा। बैठिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः झा साहब, अब बैठ जाइए प्लीज। प्लीज बैठ जाइए, झा साहब।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः सिरसा जी, माननीय मंत्री जी को... क्या बात है ये? नहीं, क्या तमाशा है ये? नहीं, शुरूआत... अब माननीय मंत्री जी खड़े हुए हैं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः माननीय मंत्री जी, एक सैकेण्ड मेरी बात... झा साहब, रुकिए। झा साहब, बैठिए जरा। सोमनाथ जी, बैठिए। सही राम जी, बैठिए। झा साहब, बैठिए प्लीज। चलिए, बैठिए। सोमनाथ जी, बैठ जाइए। मैं आगृह

कर रहा हूँ बैठ जाइए। सही राम जी, बैठिए। सोमनाथ जी, बैठिए प्लीज। झा साहब, बैठ जाइए। एक सेकेंड मेरी बात सुन लीजिए। उनको मैंने सब कुछ... कोई नहीं बोलेगा, लेकिन जब तक माननीय मंत्री जी बोलेंगे। नहीं, मैं आपको समझाने की जरूरत... सबसे ज्यादा आपको समझाने की जरूरत है। माननीय मंत्री जी बोले तो आप चुप बैठ जाइये। नहीं वो मेज थपथपायेंगे, उनकी कोई अच्छी बात लगती है, मेज थपथपायेंगे, हाँ वो मेज थपथपायें या उनको अच्छी बात लगती है। माननीय मंत्री जी। उनको मेज थपथपाने का हक है। हाँ शांत हों। झा साहब, अब बैठ जाइये, चुप हो जाइये प्लीज। चलिये, आप बोल लीजिए सब बोल लीजिए। बोलिये अब।

माननीय ऊर्जा मंत्रीः आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं सब्सिडी की बात करता हूँ। दिल्ली सरकार ने तीन साल पहले जब हमारी सरकार बनी, 50 परसेंट सब्सिडी दिल्ली की सरकार ने 400 यूनिट तक देनी स्टार्ट की।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः फिर आप बोल रहे हैं विजेन्द्र जी, नहीं फिर आप बोल रहे हैं। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा अब। अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा बिल्कुल। बहुत देर हो गया, मुझे बर्दाश्त करते हुए। I will not tolerate it. वो एक शब्द बोलते हैं, आप उछलते हैं। वो बोलते हैं, एक शब्द बोलते हैं, वे उछलते हैं, फिर आप कहते हैं, वो नहीं बोलते।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः बोलिये जितना बोल सकते हैं, बोलिये। माननीय मंत्री जी, बैठ जाइये। कीजिये, जितने बोल सकते हैं आप, बोलिये, बोलिये जितना मर्जी है, बोलिये। तमाशा बना रखा है ये!

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं क्या तमाशा है ये? नहीं, क्या तमाशा है ये? वो एक मिनट बोलते हैं, तो उससे पहले आप तो उछलने लगते हैं, नीचे स्प्रिंग लगा के आये हैं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः हमारा काम है? ये काम नहीं है? होगा ये लोक सभा में, मैं विधान सभा में नहीं होने दूँगा। लोक सभा में जो होता होगा, होता होगा, मैं यहाँ नहीं होने दूँगा।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः हाँ, मैं नहीं होने दूँगा यहाँ पर।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं सिरसा जी, मैंने उनको सबको चुप करा दिया। माननीय मंत्री जी बोलने के लिए खड़े होते हैं, माननीय मंत्री जी उसी वक्त आप बोलने शुरू कर देते हैं, एक सेकेंड नहीं लगाते। एक सेकेंड नहीं लगाते। वो चुप होते हैं, आप बोलते हैं, ये नेता विपक्ष की हालत है। बैठ जाइये प्लीज।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः झा साहब, अब शांत हो जाइये प्लीज। माननीय मंत्री जी।

माननीय ऊर्जा मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं... कहते हैं कि जितने प्रश्न हैं, सबके जवाब मैं दूँगा, परंतु सुन लेंगे तो अच्छी बात है, पर सुनना उनके लिए थोड़ा तकलीफदेह होगा। तो सुन लेना चाहिए फिर भी, तकलीफ हो, तब भी सुन लेना चाहिए। पहले मैं दो राज्य की बात करूँगा मध्य प्रदेश और...

श्री विजेन्द्र गुप्ताः आप दिल्ली की बताओ पहले।

मननीय ऊर्जा मंत्रीः तू मेरा बाप नहीं लगा। तेरे कहने से मूव करूँगा।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, ये कोई तरीका नहीं है। नहीं, आपको परेशानी क्यों होती है, मध्य प्रदेश की बात करने में क्या परेशानी... नहीं क्या परेशानी है आपको?

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः वो, आप बैठ जाइये। ठीक है, मालूम है मुझे, कंपैरिजन सबका होता है, कंपैरिजन सबका होता है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, बैठ जाइये प्लीज।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदयः वो पूरा उत्तर तो उनका होने दीजिए। वो सब्सिडी की बात करते हैं, तो परेशानी है! नहीं, परेशानी क्यों हो रही है आप लोगों को? तो ये इंडिया नहीं है क्या? नहीं, बिजली का कंपैरिजन होगा, सब जगह हुआ है, बैठिये।

माननीय ऊर्जा मंत्रीः आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पहले मुझे लगता है, आपको व्यवस्था देनी पड़ेगी कि मैं क्या बोल सकता हूँ, क्या नहीं बोल सकता हूं। क्या ये तय करेंगे? अब ये पूछ रहे हैं कि रिलायंस को कितना पैसा दिया...

श्री विजेन्द्र गुप्ताः हाँ, बिल्कुल।

मननीय ऊर्जा मंत्रीः अब उसका जवाब देना है तो शब्द भी लिख के दे दो क्या देना है, अगर उसके अलावा सुनने को तैयार नहीं हो, अपने चाचा के बारे में!

श्री विजेन्द्र गुप्ताः वो रिलांयस को पैसा दे दिया।

माननीय अध्यक्षः अरे भाई, वो बोलेंगे न अपनी बात में। वो अपने उत्तर, विजेन्द्र जी मेरी बात सुनिये। आप लोग तय करके आये हैं, उनको बोलने नहीं देना। वो अपनी बात में जवाब देंगे, वो अपनी बात में जवाब देंगे। वो अपनी बात में जवाब देंगे पूरा।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः सोमनाथ जी, बैठिए प्लीज, बैठिये।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, देखिये मुझे... अब अगर आपने टोका मुझे, मुझे सख्त होना पड़ेगा। सोमनाथ जी, बैठिये, बैठिए प्लीज। बैठिए प्लीज, बैठिये। सोमनाथ जी बैठिये, बैठिये।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः ओम प्रकाश जी। नहीं, जब उनको बोलने नहीं देंगे, बोलेंगे। अब वो जरा सा बोलने शुरू होते हैं, तो आप बोलना शुरू कर देते हैं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः बैठिए, सोमनाथ जी, बैठिए प्लीज। बैठिए प्लीज। वो नीरव मोदी कह रहे हैं, मोदी कह रहे हैं, नीरव मोदी भी हो सकता है वो। ललित मोदी भी हो सकता है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः बैठ जाइये अब। बैठ जाइये। सिरसा जी, बैठ जाइये, बैठ जाइये, बैठ जाइये, बैठ जाइये प्लीज, बैठ जाइये अब। आप बैठ जाइये, आप बैठ जाइये अब। बैठ जाइये, बैठ जाइये, नहीं बैठ जाइये। आप लोग मंत्री का जवाब, आप लोग एक्चुअल में...

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः बैठिये, बैठिये, बैठिये, बैठिए प्लीज,

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः वो दिल्ली की जनता बता देगी। बैठिए प्लीज बैठिये। बैठिये।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः सही राम जी, बैठिये। अजेश जी, बैठिए प्लीज।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः आप जितना मर्जी, जितना मर्जी है, आप बोल लीजिए। मैं रोकूँगा नहीं, मैं रोकूंगा नहीं, बोलिये।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः बोलिये, जितनी देर बोलना है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, बोलिये जितनी देर... बोलिये आप, जितनी देर बोलना है, बोलिये।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः बैठिये।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः बैठिए प्लीज। झा साहब, मान जाइये, बैठिए झा साहब। झा साहब।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः आप लोग सुनना नहीं पसंद कर रहे हैं। झा साहब, बैठिए प्लीज।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः बैठिए प्लीज।

माननीय ऊर्जा मंत्रीः मेरा कोई टाइम नहीं है, कहते। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अरे! चिंता मत करो। रात नौ नहीं, सुबह नौ बजे तक बैठ जायेंगे।

माननीय अध्यक्षः चलिये।

ऊर्जा मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय,

माननीय अध्यक्षः वो जहाँ बोल रहे हैं, विजेन्द्र जी, मैं सब समझ रहा हूं। पागल नहीं हूँ मैं। जो बोल रहे हैं वो।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः वो जो बोल रहे हैं, सारा सदन समझ रहा है। फिर आप कहेंगे, फिर आप मेरे पास आयेंगे। फिर कहते हैं, छेड़ते... ये कमेंट्स ये करते हैं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः क्या बात करते हैं आप! क्या बात करते हैं आप!

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मार्शल्स बाहर करें। नहीं, कोई तरीका नहीं, आधा घंटा खराब कर दिया आपने। मार्शल्स बाहर करें। नही, आप क्या बोले जा रहे हैं, हम रात मर्जी बैठेंगे, रात भर बैठे रहें, तमाशा है ये! तमाशा है ये आपका। मैं समझता नहीं? नहीं, एक को।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मैंने केवल ओम प्रकाश कहा अभी। आप जाइये, जाइये। जाइये, कोई दिक्कत नहीं। आप सुनना ही नहीं चाहते मंत्री का जवाब।

... (व्यवधान)

(माननीय सदस्य श्री ओम प्रकाश शर्मा को मार्शल द्वारा बलपूर्वक सदन से बाहर निकाला गया।)

माननीय अध्यक्षः चलिये, आज सिरसा जी, ये जो मर्जी आये बोलता रहे। मैं जब चार घंटे से देख रहा हूं। मेरी बात सुनिये, मैं चार घंटे से देख रहा हूँ। एक उन्होंने केवल मिठाई की बात कही थी, इन्होंने पूरे खानदान की बात कर दी।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नही, ठीक है ना। नहीं, कोई बात नहीं। चलिये, ठीक है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः आप बैठिए। समझ रहा हूँ मैं, कहां का हूं। मैं सब समझ रहा हूँ, नहीं कहा, ठीक है। रात भर नहीं बैठने वाले हैं। चलिये, हाँ ठीक है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मुझे सब दिख रहा है। मैं एक एक चीज देख रहा हूं। मेरे साथ शांति से बैठिये, मैं एक एक चीज देख रहा हूँ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः सिरसा जी, आपने बैठना है तो बैठिये, मुझे मंत्री जी को उत्तर देना, मैंने नहीं निकाला है, आपने जाना है जाइये, आपने जाना है, जाइये। माननीय मंत्री जी, उत्तर दीजिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः देखिए, सिरसा जी, माननीय मंत्री को उत्तर देने दीजिए। आप नहीं दे रहे हैं। माननीय मंत्री जी, एक सेकेंड के लिए खड़े... आप एक सेकेंड खड़ा नहीं होने दे रहे हैं उनको और ये बड़े शर्म की बात है! ये बड़े शर्म की बात है! एक सेकेंड माननीय मंत्री को बोलने नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो सच्चाई सामने आयेगी और उस सच्चाई में विपक्ष नंगा होगा।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः हाँ, छोड़िये, किसको? मैं नहीं बुलाता हूँ उनको। मैं नहीं बुलाऊँगा। अब नहीं बुलाऊँगा मैं। फिर उसने गलत शब्द इस्तेमाल

किया। उसने कलकृ उन्होंने रात शब्द इस्तेमाल किया, किस कॉंटेक्स्ट में किया, मुझे मालूम है कि...

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः हाँ, मुझे मालूम है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। छोड़ दीजिए आप, छोड़ दीजिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः हाँ, ठीक है, तानाशाही है, चलिये। माननीय मंत्री जी, एक सेकेंड।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः चलिए, चलिए। हजारीलाल जी, आप छोड़िए। भई सदन का समय... माननीय मंत्री जी, दो मिनट।

मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं। माननीय मंत्री जी दो मिनट। मुझे बड़ी पीड़ा हुई है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए सिरसा जी ने बहुत अपशब्द बोले। वो भी मैंने सहन किया। सोमनाथ जी के लिए बोला, वो भी मैंने सहन किया। ओमप्रकाश जी ने। विजेन्द्र जी ने माननीय मंत्री जी के लिए बहुत कुछ बोला। वो मैंने सहन किया और अब जिस ढंग से ओमप्रकाश जी ने शब्द बोले हैं, मैं मीडिया के बन्धुओं को कहना चाहता हूं। आज मैंने हर प्रकार से सोचा था, मैं सहन करूँगा और सब कुछ सहन किया। अन्त में मुझे ये निर्णय लेना पड़ा। वो मंत्री जी को बोलने नहीं देना चाहते। तय करके आये हैं। मंत्री जी खड़े होते हैं। कोई न कोई उछलता है और बड़ी पीड़ा है इस बात की। माननीय मंत्री जी।

माननीय ऊर्जा मंत्रीः आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं सब्सिडी के बारे में बताना चाहूंगा। जब तीन साल पहले हमारी सरकार बनी और हमने तय किया कि 400 यूनिट तक का जो बिल है, उसको हम आधा करेंगे और उसको सब्सिडी दिया जाएगा। मैं बताना चाहता हूँ कि जो रिलायन्स की कम्पनियों की बात कर रहे हैं। दो कम्पनियाँ हैं। पिछले तीन साल में दिल्ली सरकार की ओर से उनको एक रुपया भी कैश नहीं दिया गया है। सारा का सारा पैसा जो दिल्ली सरकार की कम्पनियाँ जो पॉवर उत्पादन करतीं हैं, पॉवर जनरेशन कम्पनींज हैं, जिनका पेमेन्ट वो कम्पनियाँ नहीं करती हैं। रिलायन्स की कम्पनियां कई सालों से उनकी पेमेन्ट नहीं करतीं हैं। वो सारा का सारा पैसा उनको दे दिया जाता है। उनको कोई कैश नहीं दिया गया। अगर सब्सिडी न भी दें, अगर सब्सिडी नहीं देंगे तो उन कम्पनियों का पैसा तो नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले सभी सदस्यों को मैं समझाना चाहता हूँ कि जो भी सब्सिडी हम दे रहे हैं, वो दिल्ली सरकार की कम्पनियाँ जो कि बवाना प्लान्ट हैं। हमारा प्रगति प्लान्ट है, पॉवर प्लान्ट है। उसमें जो बिजली बनाई जाती है उसको बनाने के एवज में उनको दे दिया जाता है। रिलायन्स को एक भी पैसा पिछले तीन साल में नहीं दिया गया कैश में, पहली बात। मैं दो–चार सन्दर्भों पर आना चाहूँगा। जब हमारी सरकार बनी थी। सबको ये सिखाया गया कि भई देखो, बिजली के रेट हर साल बढ़ने चाहिए और आज भी देश के अन्दर बहुत सारे राज्यों के अन्दर ये प्रचलन है कि हर साल रेट बढ़ते हैं और रिसेन्टली जितनी भी सरकारें बनीं; उत्तर प्रदेश की, पंजाब की, उत्तराखंड की, सरकारें बनने के बाद सबसे पहला काम उन्होंने तीन–चार महीने के अन्दर बिजली के रेट बढाए सभी ने। हमारी जब सरकार बनी थी। मैं केन्द्रीय मंत्री से, माननीय

मंत्री से मिलने गया, तो मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट की। थोड़े दिनों की बात थी, जब सरकार बनी, तुरन्त मैं गया था। तो मैंने रिक्वेस्ट की कि सर, ये जो पॉवर परचेज एग्रीमेन्ट है दिल्ली के, ये बहुत ज्यादा रेट हैं। आप इनको छुड़वा दीजिएगा। बहुत सारे एग्रीमेन्ट ऐसे भी हूँ जो 25 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं तो उन्होंने कहा जितने चाहो, सारी बिजली छोड़ दो। हमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप देख लेना कि दिल्ली के अन्दर बिजली का इन्तजाम कैसे करोगे। आप चाहो तो सारे एग्रीमेन्ट छोड़ दीजिए। एक भी एग्रीमेन्ट आपको रखने की आवश्यकता नहीं है। मैं पूरे एक महीने की तैयारी करके माननीय मंत्री जी के पास गया। पीयूष गोयल जी उस समय मंत्री थे। 2265 मेगावाट की पॉवर परचेज एग्रीमेन्ट की लिस्ट बनाके लेके गया कि सर जी, ये वापस ले लीजिए। पहले तो उन्होंने मुझसे कहा, दिल्ली के अन्दर ब्लैक आउट हो जाएगा। दिल्ली के अन्दर बिजली नहीं मिलेगी। दिल्ली बन्द हो जाएगी। मैंने कहा, मंत्री जी, आप इसको वापस ले लीजिएगा। बिजली कहाँ से लेनी है, कैसे लेनी है, वो मुझे ज्यादा पता है। आप इसको कर लीजिएगा। वो दिन देख लीजिए और आज का दिन देख लीजिए। एक भी पॉवर परचेज एग्रीमेन्ट उन्होंने हमारा वापस नहीं होने दिया, केन्द्र सरकार ने! और मैं सदन को बताना चाहता हूँ अगर 2265 मेगावाट वो पॉवर परचेज एग्रीमेन्ट आज भी केन्सिल कर दिए जाएं तो दिल्ली के अन्दर सिर्फ उसी वजह से कम से कम एक रुपये से लेके डेढ़ रुपये यूनिट बिजली के रेट कम हो जाएंगे। दूसरी बात, मैंने एक मुद्दा और उठाया था। मैं आज सदन को बताना चाहता हूँ कि दिल्ली के अन्दर जो बिजली के रेट हैं, अगले दस साल तक नहीं बढ़ने चाहिए और उसका सारा हिसाब बताऊँगा आपको कि भई, कैसे नहीं बढ़ने चाहिए और ये बात मैं आज नहीं कह रहा हूँ,

मैं पिछले दो–तीन साल से कह रहा हूं। कई मैंने मीटिंगों में भी कहा है कि दिल्ली के अन्दर बिजली के रेट जितने हैं, वो एनफ हैं और अगले दस साल भी नहीं बढ़ने चाहिए। एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पॉवर कारपोरेशन केन्द्र सरकार का उपक्रम है। वो बिजली बनाता है। अलग–अलग राज्यों को अलग–अलग रेट से बिजली देता है। मैंने उनके सामने प्रपोजल रखा। पहली बात तो ये है कि पेट्रोल है, डीजल है। पूरे देश में लगभग एक रेट है। कहीं 70 रुपये, कहीं 72 रुपये तो कहीं 68 रुपये। पाँच परसेन्ट का, दस परसेन्ट का फर्क होगा। इससे ज्यादा फर्क नहीं होता। अब दूध को ले लीजिएगा। भई, कहीं 40 रुपये, कहीं 42 रुपये, कहीं 38 रुपये। आप दाल का रेट ले लीजिएगा। कहीं 60 रुपये, कहीं 62 रुपये, कहीं 58 रुपये। दो–चार रुपये का फर्क होता है। दस परसेंट, पाँच परसेंट के अन्दर फर्क हो जाता है। पर बिजली के अन्दर इतना गड़बड़झाला है कि बिजली 20 पैसे यूनिट से लेके 12 रुपये, 14 रुपये यूनिट तक मिलती है।

अध्यक्ष महोदय, आज मैं इस सदन को आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, इसके अन्दर गड़बड़झाला क्या है। जो भी पॉवर प्लान्ट, जो भी कम्पनी पॉवर प्लान्ट लगाती है, वो कितना भी खर्चा करे, एक हजार मेगावाट का पॉवर प्लान्ट लगाया, वो पाँच हजार करोड़ रुपये खर्च करें, वो चार हजार करोड़ रुपये खर्च करें या बीस हजार करोड़ रुपये खर्च करें, उसको 16 परसेंट की रिटर्न की गारन्टी दी जाती है। ऐसा कौन सा बिजनेस है! आज तो किसी बिजनेस के अन्दर 16 परसेंट की गारन्टी नहीं मिलती। और गारन्टी 16 परसेंट की मिलेगी। खर्चा आता है 5000 करोड़ का तो खातों में कितने हजार करोड़ का दिखायेगा जी, कम से कम 10000 करोड़ तो दिखायेगा जी। तो उसने पहले दिन ही खर्चा दो गुना दिखा दिया। अब उसका रिटर्न

कितना हो गया? 16 परसेन्ट नहीं हुआ, 32 परसेन्ट हो गया। एक या दो साल में पैसा वापस। चल जाये तो कम्पनी उसकी, और डूब जाये तो जनता की। फिर कहते हैं बैंक वालों के पैसे नहीं देने हैं। और पैसे लेके विदेश फरार। तो ये गड़बड़झाला है। इस देश के अन्दर बिजली के रेट को कम्पीटीटिव नहीं किया गया। इसको क्रोनी कैपिटलिस्ट, क्रोनी मतलब जो, क्रोनी का मतलब सब समझते हैं। क्रोनी कैपटिलिस्ट और सरकारों ने मिलके जनता को लूटने का साधन बना लिया है। ऐसे राज्य जो बिजली का उत्पादन खुद करते हैं। जिनको बिजली बहुत सस्ती मिलती है, उनके यहाँ बिजली का रेट हमसे ज्यादा है जब कि बिजली हम उनसे खरीदते हैं।

मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगा मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश के अन्दर में... धन्यवाद भी करूंगा सौरभ जी का, उन्होंने ये पूरा चार्ट मुझे दिया। मध्य प्रदेश के अन्दर 50 यूनिट तक का रेट है तीन रुपये 85 पैसे। 51 से 100 का रेट है चार रुपये 70 पैसे। 101 से 300 यूनिट का रेट है छः रुपये और 300 यूनिट से ऊपर है छः रुपये 30 पैसे। दिल्ली का रेट... मैंने 400 यूनिट तक का रेट निकाला कि मध्य प्रदेश में अगर 400 यूनिट कोई आदमी खरीदे तो बिजली का खर्चा कितना बनता है। खाली मैं बिजली के रेट लगा रहा हूँ। बाकी थोड़ा बहुत बिल में लगता है, वो छोड़ देते हैं। पहले 50 यूनिट का 192 रुपये, बाद के 50 यूनिट का 235, फिर दो सौ यूनिट का 1200 रुपये और 100 यूनिट का 630 रुपये। यानी 2257 रुपये और दिल्ली में चार यूनिट का बिजली का रेट कितना है? पहले 200 यूनिट का 600 रुपये बाद के दो सौ यूनिट का 900 रुपये। टोटल बना 1500 रुपये जिसमें सरकार की ओर से आधा रेट कर दिया जाता है। बनता है 750 रुपये। दिल्ली बिजली परचेज करता है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश

में बिजली का उत्पादन होता है। दिल्ली सबसे ज्यादा बिजली मध्य प्रदेश से खरीदता है। जिस राज्य में बिजली का उत्पादन होता है, उसको बहुत सस्ती बिजली मिलती है। ये एग्रीमेन्ट होता है। उनको बहुत ही सस्ती... दिल्ली से भी सस्ती बिजली मिलती है। दिल्ली को अगर पाँच रुपये मिलती है तो हो सकता है उनको बहुत सस्ती रेट बिजली मिलती होगी। दिल्ली में 400 यूनिट का बिजली का रेट जो बिजली का चॉर्ज है, बाकी चॉर्जेज छोड़ दीजिए, 750 रुपये और मध्य प्रदेश में 2257 रुपये यानी कितना? तीन गुना से भी ज्यादा। अब वो कहते है कि जी, मध्य प्रदेश की बात मत करो। क्यों न करें, जब मध्य प्रदेश से हम बिजली खरीद रहे हैं और खरीदने के बाद हम अगले, पिछले चार साल में रेट नहीं बढ़ने दे रहें हैं तो मध्य प्रदेश रेट क्यों बढ़ा रहा है! वहाँ पर ऐसी क्या आफत आ रही है! दिल्ली सरकार ने इस साल 1000 मेगावाट, 750 मेगावाट सोलर पॉवर और 250 मेगावाट विन्ड पावर के एग्रीमेन्ट किये हैं। 25 साल साल तक रेट क्या होगा ढ़ाई रुपये यूनिट से कम। 25 साल के लिए ढ़ाई रुपये यूनिट से भी कम होगा। अध्यक्ष जी, अगर ये 2265 मेगावाट के पॉवर परचेज एग्रीमेंट हमें छोड़ने दें तो हम ढ़ाई रुपये यूनिट बिजली खरीद सकते हैं जो कि हमें साढ़े पाँच, छह रुपये में लेनी पड़ती है और साढ़े पांच, छह रुपये में भी फिक्स चॉर्जेज अलग से। फिक्स चॉर्जेज के चक्कर में कई बार बिजली नहीं लेते हैं, तब भी देने पड़ते हैं। तो दिल्ली के साथ ये ज्यादती कर रहे हैं, दिल्ली के साथ बेईमानी कर रहे हैं। उसके बावजूद भी इतने सारे ऑड होने के बावजूद भी क्योंकि इन सब को मैंने हिसाब समझा दिया, ये हिसाब समझाते ना मुझे! मंत्री जी समझा रहे थे कि दिल्ली बंद हो जाएगी। मैंने कहा चिंता मत करो, मुझे पता है कि बिजनैस कैसे चलाना होता है। अरे भाई, एक

चीज पाँच रुपये की मिलती है और आठ रुपये की बेच रहे हो तो घाटा कहाँ से हो जाएगा? घाटा हो ही नहीं सकता। बीच का जो डिफरेंस है या तो खरीदने से बेचने के रेट सस्ते हों, तब घाटा हो सकता है वरना तो कोई घाटे का मतलब ही नहीं है। मेरा यह कहना है कि अगर बिजली की खरीद हम सस्ती करते चले जाएंगे तो अगले कई वर्षों तक बिजली के रेट बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी।

मैं आपको महाराष्ट्र के बारे में बताना चाहता हूँ। महाराष्ट्र के रेट, आपको सुनकर ताज्जुब होगा...

... (व्यवधान)

श्री जगदीप सिंहः अध्यक्ष महोदय, टाइम बढ़ा दें।

माननीय ऊर्जा मंत्रीः बढ़ा चुके हैं।

माननीय अध्यक्षः बढ़ा दिया है, 7.30 तक।

माननीय ऊर्जा मंत्रीः दिल्ली के भी साथ–साथ बताऊँगा, महाराष्ट्र के बता रहा हूँ। अगर महाराष्ट्र में 100 यूनिट है तो रेट है चार रुपये 21 पैसे। 100 से 300 यूनिट सात रुपये 94 पैसे और 301 से 500 यूनिट 10 रुपये 91 पैसे। अगर 400 यूनिट का हिसाब निकाले तो महाराष्ट्र में बिजली हुई 3100 रुपये की। दिल्ली में मैंने अभी बताया था दिल्ली में बनती है 750 रुपये की। कितना फर्क हुआ जी, चार गुणा और वो भी सरकार किसकी है? मध्य प्रदेश में भी सरकार इन्हीं की है और महाराष्ट्र में भी सरकार इन्हीं की है। अगर वहाँ पर ये चार–चार गुणा रेट ले रहे हैं और चार–चार गुणा रेट के बावजूद भी इनको लगता है कि सस्ती है तो भगवान ही इनको

बचाए! अब ये कहते हैं कि दिल्ली के अंदर बिजली के रेट बढ़ गए। मैंने कहा जी, कैसे बढ़ गए? कहते हैं कि 7 गुणा रेट कर दिए दिल्ली के अंदर।

मैं आज इस सदन के अंदर बैठे हुए सभी सदस्यों को दोबारा से रिपीट करता हूँ जो अभी तक बिजली के बिल आ रहे थे, अब दोबारा बिल आएंगे, आप अगले महीने, उससे अगले महीने का बिल ले आइयेगा और इस महीने का बिल भी ले आइयेगा। अगर आपका उतने यूनिट का बिल बढ़ जाता है तो आप मुझे बताइये आकर। मैंने सारी कैलकुलेशन करके देख ली है। अब वो कह रहे हैं 10 यूनिट। 10 यूनिट अगर एक साल में कहेंगे तो मजाक ही हो जाएगा। एक महीने में कहेंगे तो मजाक वाली बात हो गई। आप एक तरफ कह रहे हैं पाँच किलोवाट का कनैक्शन और 10 यूनिट की खपत, यह तो मजाक वाली बात हो गई। दिल्ली के अंदर 200 यूनिट तक पहले चार रुपये का रेट था अब 3 रुपये का रेट कर दिया गया है। 25 परसेंट रेट कम किए गए हैं। 201 से 400 यूनिट तक का रेट पहले पाँच रुपये 95 पैसे था जिसको घटाकर चार रुपये 50 पैसे किया गया है। एक रुपये 45 पैसे पर यूनिट का रेट कम किया है जो कि 24.36 परसेंट कम होता है। 401 से लेकर 800 यूनिट तक 7 रुपये 30 पैसे रेट था जिसको घटाकर छः रुपये 60 पैसे किया गया है 80 पैसे यूनिट के हिसाब से रेट कम किया गया है। 801 से 1200 यूनिट तक आठ रुपये 10 पैसे का रेट था जिसको सात रुपये किया गया है और 1200 से ऊपर आठ रुपये 75 पैसे था जिसको सात रुपये 75 पैसे किया गया है। दिल्ली के अंदर जो अब हाइऐस्ट रेट है, वो है सात रुपये 75 पैसे और महाराष्ट्र में क्या है 13 रुपये 58 पैसे लगभग दुगुना। अनेक राज्यों के अंदर... आप

पंजाब देख लीजिएगा। पंजाब में तो भागड़ा नांगल डैम से भी बिजली मिलती है जो कि बिजली का रेट एक रुपये से भी कम है। उसके बावजूद भी वहाँ पर बिजली बेचने का रेट दिल्ली से कम नहीं है। दिल्ली से ज्यादा रेट है। अरे, हम तो साढ़े पांच रुपये, साढ़े छह रुपये में खरीद रहे हैं, तब जाकर ये रेट दे रहे हैं वो एक रुपये, दो रुपये में खरीदते हैं, तब भी घाटे में देते हैं क्योंकि यह भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा साधन है। उन राज्यों के अंदर बिजली बोर्ड को सिर्फ पैसे इकट्ठे करने के लिए बनाया गया है और कुछ नहीं कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कि फिक्स्ड चॉर्जेज बढ़ गए। हाँ, फिक्स चार्जेज को एडजस्ट किया गया है, उसका कारण मैंने बताया कि केन्द्र सरकार ने थर्मल पावर प्लांट्स के ऊपर 50 पैसे यूनिट का खर्चा बढ़ा दिया और वो फिक्स्ड चॉर्ज है। वो बिजली के रेटों के अंदर नहीं एडजस्ट कर सकते। फिक्स्ड चॉर्ज में एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि बिजली के रेट में अगर करते हैं तो बिजली लेंगे तब, अगर बिजली नहीं लेते हैं, वो तो एक पॉवर प्लांट है, हजार मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है, हम उससे बिजली लें या न लें, 50 पैसे यूनिट रेट बढ़ गया हमारा। तो उसके लिए एडजस्टमैंट की गई, उसके बावजूद भी जो हमने कैलकुलेशन करके देखी, मैंने 200 यूनिट से लेकर 800 यूनिट तक की कैलकुलेशन की है। अगर 200 यूनिट का बिल है, किसी का और एक किलोवाट का कनैक्शन है तो 115 रुपये की सेविंग है और अगर 100 यूनिट भी है, मैं कहता हूँ, चलो उनकी बात मान लेता हूँ कि 100 यूनिट है, तब भी उसको 10 रुपये का बेनिफिट होगा, उसका रेट बढ़ेगा नहीं। 400 यूनिट अगर दो किलोवाट का कनैक्शन है तो 280 रुपये का बेनिफिट होगा। 400 यूनिट में तीन किलोवाट का कनैक्शन है, 175 रुपये का बेनिफिट होगा। 400 यूनिट

में अगर चार किलोवाट का कनैक्शन है तो 70 रुपये का बेनिफिट होगा, 800 यूनिट में अगर पाँच किलोवाट का कनैक्शन है तो 170 रुपये का बेनिफिट होगा और 800 यूनिट के लिए अगर चार किलोवाट का कनैक्शन है तो 285 रुपये का पर मंथ इसमें बेनिफिट होगा। अगर परसेंटेज में भी निकालेंगे तो दिल्ली के अंदर एवरेज... जो एवरेज बिल है सात–आठ परसेंट सभी का लगभग कम होगा। एवरेज मैं बता रहा हूँ, सात से आठ परसेंट बिल कम होगा। अभी तक देश के अंदर किसी भी राज्य के अंदर किसी भी सरकार ने, पिछले मेरी जानकारी में तो ऐसा नहीं है कि रेट कम किए हों। दिल्ली के अंदर पहली एक ऐसी सरकार है जिसने टैरिफ को कम किया है, नॉर्मलाइज किया है। मैं यह नहीं कह रहा कि 20 परसेंट कम हुए हैं, पर हाँ पाँच से सात परसेंट, आठ परसेंट का रेट जरूर कम हुआ है और इसके लिए मैं मानता हूँ कि हमारे को... दिल्ली सरकार ने जो काम किया है और हम आगे के लिए भी... मैं इसलिए समझा रहा था कि 10 साल के लिए... कि दस साल भी रेट नहीं बढ़ने चाहिए ताकि उन लोगों को पता होना चाहिए कि हमें पता है कि हिसाब क्या है वरना तो कहते हैं कि खर्चा बढ़ गया जी! खर्चा बढ़ गया! मैंने कहा, ले आओ हिसाब। खर्चा बढ़ गया तो हमें दिखा दो ना, कैसे खर्चा बढ़ गया है। तो हम किसी बात में झुकने वाले नहीं हूँ, दबने वाले नहीं हूँ। दिल्ली के अंदर बिजली के जो रेट हूँ, उसको नहीं बढ़ाया गया है। इसके लिए मैं डीईआरसी का धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू।

माननीय अध्यक्षः माननीय मंत्री जी का धन्यवाद।

माननीय सदस्यगण, आज सूचीबद्ध अल्पकालिक चर्चा दिनांक 02 अप्रैल, 2018 को होगी। 280 के विषय... माननीय सदस्यगण ध्यान दे लें। नोटिस

ब्रांच में अपने 280 जमा कराएं 30 तारीख को चार बजे तक यानी शुक्रवार छुट्टी नहीं है मंडे के लिए जमा करा सकते हैं। फिर मंडे को ट्यूसडे के लिए जमा करा सकते हैं। मंडे 11 बजे तक दे दें।

श्री राजेश ऋषिः मेल से दे सकते हैं?

माननीय अध्यक्षः मेल पर नहीं दे सकते हैं। मंडे को सुबह 11:00 बजे से पहले–पहले दे सकते हैं, 280 और ट्यूसडे के भी 280 11:00 बजे तक दे सकते हैं।

वित्तीय समितियों का निर्वाचन, कल जिसकी विद्ड्राल की लास्ट डेट थी, उसमें जिन सदस्यों के नाम आए थे, कुछ के विद्ड्राल हो गए। मैं लोक लेखा समिति... उनके नाम बोल रहा हूँः– श्री अखिलेशपति त्रिपाठी, सुश्री अलका लाम्बा, चौ. फतेह सिंह, श्री गिरीश सोनी, श्री पंकज पुष्कर, श्री संजीव झा, श्री सौरभ भारद्वाज, श्री विजेन्द्र गुप्ता, श्री विशेष रवि।

सरकारी उपक्रमों संबंधी समितिः– श्री अजय दत्त जी, श्री अजेश यादव जी, श्री अखिलेशपति त्रिपाठी जी, श्री दिनेश मोहनिया जी, चौ. फतेह सिंह जी, श्री नारायण दत्त शर्मा जी, श्रीमती प्रमिला टोकस, श्री राजू धिंगान जी, श्री विशेष रवि जी।

प्राक्कलन समितिः– श्रीमती बंदना कुमारी, श्री दिनेश मोहनिया जी, चौ. फतेह सिंह जी, श्री गिरीश सोनी जी, श्रीमती सरिता सिंह जी, श्री सौरभ भारद्वाज जी, श्री एसके बग्गा जी, श्री सुरेन्द्र सिंह जी, श्री विशेष रवि।

कल भगवान महावीर जयंती है। कल सदन नहीं रहेगा, उसकी मैं आपको शुभकामनाएं दे रहा हूँ, बहुत–बहुत बधाई दे रहा हूँ। माननीय सदस्यों

के पास, विशेष जी, माननीय सदस्यों के पास पाँच–पाँच कार्ड भी गए हैं। कल का कार्यक्रम ठीक चार बजे शुरू हो जाएगा। फिर ध्यान दे लें, कल चार बजे कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। हम सब लोग उसमें सम्मिलित हों। महावीर जयंती का विधान सभा के प्राँगण में। अब सदन की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 02 अप्रैल, 2018 को अपराह्न 2:00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। बहुत–बहुत सभी का आभार, धन्यवाद और मैं सोमनाथ जी से सदन की ओर से जो कुछ भी ओम प्रकाश जी ने आज अपशब्दों का इस्तेमाल किया, मैं स्वयं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ।

(सदन की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 02 अप्रैल, 2018 को अपराह्न 2:00 बजे तक के लिए स्थगित की गई)

© दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 18 (2) के उपबंधों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 281 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रकाशित तथा ग्राफिक प्रिंटर्सs, 2266/41, बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली-110 005 द्वारा मुद्रित।